

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्॥ ऋ० १/८६/२



Impact Factor
5.642



ISSN : 2395-7115

January 2023


Vol.-17, Issue-1

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

विश्व पटल पर हिंदी



विशेषांक

विशेषांक सम्पादक :
डॉ. मन्जु गर्ग

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग, एडवोकेट
सचिव, गुगनराम सोसायटी (रजि.) बोहल ।

Publisher :

Gagan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 17

ISSUE- 1

(जनवरी 2023)

ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

विशेषांक सम्पादक :

डॉ. मञ्जु गर्ग

प्राचार्या, हिन्दू महिला महाविधालय,

शामली, उत्तर प्रदेश।

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),

एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),

डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)

डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक

टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)



प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : nksihag202@gmail.com

मो. 09466532152

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

- Disclaimer :*
1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
 2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
 3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originality of their views/opinions expressed in their articles.
 4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdiction only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

प्रो. राधेमोहन राय

पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान।

डॉ. राजेन्द्र गोदारा

परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. विनोद तनेजा

पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :

डॉ. रेखा सोनी

उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टांटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :

डॉ. सुशीला आर्या

हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :

समुद्र सिंह

भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट

जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट

जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

माई मनीषा महंत

किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा

पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार

विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,

नेशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार

हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. मो. रियाज़ खान

बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरु

डॉ. कैलाशचन्द्र शर्मा 'शुंकी'

पूर्व जि.शि.अधिकारी, च. दादरी

श्री सहदेव समर्पित

सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय

उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल

राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर

गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी

संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी

राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमजीत कौर

बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी

पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. पायल लिल्लारे

अमरशहीद चंद्रशेखर आजाद
शा.स्ना.महा. निवाड़ी, मध्यप्रदेश

डॉ. मनमीत कौर

राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. शबाना हबीब

त्रिवन्तपुरम, केरल

डॉ. मानसिंह दहिया

हरियाणा

प्रो. नरेन्द्र सोनी

डी.एन. कॉलेज, हिसार।

डॉ. इस्पाक अली

प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरु

डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा

शासकीय महाविद्यालय,
लवकुश नगर, मध्य प्रदेश

डॉ. किरण गिल

दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. राजकुमारी शर्मा

नेपाल

श्री राकेश ग्रेवाल

सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

श्री राकेश शंकर भारती

यूक्रेन।

डॉ. रीना उब्जीयाल तिवारी

शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. शिवकरण निमल

राजस्थान

डॉ. नीलम आर्या

उत्तर प्रदेश

प्रो. रोहतास

डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. रेखा रानी

गवर्नमेंट कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. परमानन्द त्रिपाठी

एचओडी एजुकेशन, एल.एन.डी.
कालेज, मोतिहारी, बिहार

डॉ. सविता घुड़केवार

पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.

श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. पंडित बन्ने

भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. उमा सैनी

आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां

डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन

वाराणसी

डॉ. रवि सुण्डयाल

जम्मू कश्मीर

प्रो. सत्यबीर कालोहिया

पूर्व प्राचार्य

डॉ. के.के. मल्हौत्रा

पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. करमजीत कौर

प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकरिया, पंजाब

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

शोध-पत्र प्रकाशन के लिए निर्देश मंजूषा

गुगनराम सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा शोधार्थियों व अध्येताओं के शोध/अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु बोहल शोध मंजूषा ISSN 2395-7115 नामक बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंध, प्रौद्योगिकी, विधि, भूगोल, शिक्षा, पत्रकारिता पर केन्द्रीत इस शोध पत्रिका को विषय विशेषज्ञों तथा मनीषी विद्वानों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 1100 रु. है।

आप अपना शोध पत्र कम्प्यूटर से मुद्रित फोन्ट साईज 14, कृतिदेव-10, कृतिदेव-21 में व अंग्रेजी के Arial, Times New Roman में पेज मेकर या माइक्रोसोफ्ट वर्ल्ड में हमारी Email ID : grsbohal@gmail.com पर भेजें। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व दिये गये सन्दर्भ, मात्रा आदि की पूर्णतया जाँच कर लें।

नोट :- उर्दू, पंजाबी आदि भाषा के शोध पत्र पेपर साईज 7x9.5 पर टाईप कराकर JPG या PDF फाईल हमारी ईमेल आई.डी. पर भेज सकते हैं।

हमारी पत्रिका में शोध पत्र लेखक के फोटो सहित प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए आप अपने शोध पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सम्पर्क सूत्र; टेलीफोन, मोबाईल नं., ई-मेल तथा पिनकोड सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर भेजें।

शोध पत्र 2000-2500 शब्दों (4-6 पेज) से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि शब्द सीमा अधिक होती है तो सम्पादक को अधिकार होगा यथा स्थान संक्षिप्तीकरण कर दें। अस्वीकृत शोध पत्र की वापसी संभव नहीं है।

पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ शोध पत्र को हमारी सोसायटी/पत्रिका की ओर से बहुउपयोगी श्रीमती गिना देवी शोधश्री सम्मान प्रदान किया जायेगा।

शोध पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के विचार हैं। उनसे सम्पादक, प्रकाशक की सहमति आवश्यक नहीं है। शोध पत्र में प्रयुक्त किए गए तथ्यों के प्रति संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। पत्रिका में शोध आलेख प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लेखक का दायित्व है। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र भिवानी (हरियाणा) होगा।

सम्पादकीय पद अव्यावसायिक और अवैतनिक हैं। पत्रिका में केवल शोध पत्र ही प्रकाशनार्थ भेजें। शोध पत्र का प्रकाशन योजना एवं व्यवस्था के अनुसार यथा समय व प्रकाशित समस्त शोध पत्रों का सर्वाधिकार समिति/सम्पादक के पास सुरक्षित होगा।

नोट :

सहयोग/सदस्यता राशि 1100/- रु. का ड्राफ्ट/चैक/आई.पी.ओ. 'गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी' के नाम भेजें तथा ऑनलाईन बैंक में सहयोग जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति अपने आलेख के साथ हमें मेल कर सूचित करने का कष्ट करें ताकि समय पर रसीद भेजी जा सके। ऑनलाईन सहयोग राशि के साथ 50/- रु. अतिरिक्त अवश्य जमा करवायें। प्रकाशन सहयोग शुल्क वापिस देय नहीं।

बैंक का नाम	:	पंजाब नैशनल बैंक, हालु बाजार, भिवानी (हरियाणा)
खाता धारक का नाम	:	गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी
बैंक खाता संख्या	:	1182000109078119
IFSC Code	:	PUNB0118200
MICR CODE	:	127024003

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. मन्जु गर्ग	11-11
2.	हिन्दी भाषा की वैश्विक व्यापकता का प्रभाव	डॉ. रमेश चन्द्र टांक	12-20
3.	वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की दिशा	प्रा. डॉ. उत्तम जाधव	21-24
4.	हिंदी का वर्तमान एवं भविष्य : वैश्विक परिप्रेक्ष्य में	प्रवेश के० त्रिपाठी	25-29
5.	हिन्दी में रोजगार	प्रांशु बंजारे	30-34
6.	Role of Traditional knowledge in water conservation	Lakhan Kumar Tank	35-41
7.	कृषि विकास के साथ भूमि उपयोग परिवर्तन : एक मूल्यवान अध्ययन	डॉ. विजय कुमार	42-44
8.	अनुवाद का महत्व एवं प्रयोजनीयता	डॉ. पंडित बन्ने	45-48
9.	वैश्विक पटल पर हिंदी	दीपशिखा शर्मा	49-53
10.	हिन्दी भाषा : रोजगार की दृष्टि से	डॉ. सन्या कुमारी	54-58
11.	भूमंडलीकरण और हिंदी	नरेंद्र	59-60
12.	प्रवासी हिंदी कहानियों में चित्रित भारतीय समाज और संस्कृति	दिलबाग सिंह	61-64
13.	नई शिक्षा नीति और हिंदी	डॉ. मनीषा पांडे	65-69
14.	विश्व पटल पर हिन्दी साहित्य : संस्कृति और समाज	चौधरी बबीता जगदीश प्रसाद	70-74
15.	हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर	शिवलाल अहिरवार	75-79
16.	वैश्वीकरण की स्थिति में हिन्दी की भूमिका	सुमन कुमारी	80-84
17.	हिन्दी भाषा हम सबकी प्यारी भाषा	अमन आहुजा	85-88
18.	भारतीय भाषाओं का नई शिक्षा नीति में स्थान	डॉ. पूजा रानी	89-93
19.	मातृभाषा हिन्दी : जन जन की भाषा हिंदी	डॉ. श्रीमती कमलेश राव	94-97
20.	हिंदी का वैश्वीकरण	डॉ. नरेश कुमार	98-102
21.	जनसंचार : विज्ञापन और हिन्दी	डॉ. कुमारी कोमल	103-105
22.	वैश्विक पटल पर हिंदी	महेश्वर	106-108
23.	मीडिया लेखन में हिंदी की भूमिका	डॉ. शक्ति बुद्धिराजा	109-111
24.	नई शिक्षा नीति में हिंदी का वर्चस्व और उन्मूलन	डॉ. रश्मि मेहरोत्रा, नम्रता	112-116
25.	कृषि एवं किसानों के विकास में हिंदी समाचार-पत्रों की भूमिका	Sandeep, Prof. Dr. Harish Kumar	117-125
26.	समकालीन उपन्यासों में क्वीर जीवन	RESHMA K.R.	126-129
27.	हिंदी भाषा के अंतर्गत राज्यसभा में रोजगार के अवसर	सौ. रोहिणी गुरुलिंग खंदारे	130-135

28. वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी की बढ़ती ताकत	डॉ. मोहन चौधरी	136-143
29. विश्व पटल पर हिन्दी भाषा का विकास	डॉ. अमनदीप कौर	144-147
30. हिन्दी अलख नन्दन के नाटकों की रंगभाषा और हिन्दी चंदा बेड़नी, राजा का स्वांग, उजबक राजा तीन डकैत, जगर मगर अंधेर नगर, स्वांग शकुंतला के विशेष संदर्भ में)	चन्द्र पाल	148-151
31. भाषा में रोजगार के अवसर	आरती सोनी	152-155
32. हिन्दी में रोजगार	संदीप कौर	156-158
33. हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका	अमित राजावत	159-162
34. हिन्दी भाषा का वर्तमान और भविष्य	Dr. PUSHPAKUMARI	163-166
35. हिन्दी भाषा साहित्य में हाशिये का विमर्श और राजेन्द्र यादव	अजय कुमार	167-172
36. भूमंडलीकरण और विज्ञापन	डॉ. हरदीप कौर	173-175
37. हिन्दी के विकास में मीडिया की भूमिका	डॉ. सुनील कुमार	176-180
38. अरुण कमल के साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा	नीतू बाला, डॉ. प्रेम कुमार	181-187
39. नई शिक्षा नीति और हिन्दी	निहारिका देशमुख	188-192
40. विदेशों में हिन्दी के बढ़ते कदम	सूर्जलेखा ब्रह्म	193-195
41. कोविड-19 के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 में हिन्दी भाषा का योगदान	श्वेता भारती, डॉ. ततहीर फातमा	196-200
42. हिन्दी पत्रकारिता के विकास में प्रिंट मीडिया का योगदान : एक अध्ययन	मंजू, शिवकुमार	201-205
43. हिन्दी : बाजार में बढ़ती और घरों में सिमटती	डॉ. उर्मिला कुमारी	206-210
44. वैश्विक बाजार में हिन्दी की भूमिका	सलीता	211-213
45. डॉ. कमल किशोर गोयनका का प्रवासी हिन्दी साहित्य में योगदान	सुरुचि गुप्ता	214-218
46. Privatization : A Brief Overview	Vandana Agarwal	219-225
47. गांधी दर्शन में 'अहिंसा' की आलोचना	रमजीराम मेघवाल	226-230
48. आधुनिक हिन्दी नाटककार मोहन राकेश और उनके नाटकों के स्त्री पात्र	शबनम, प्रो. एमेरिटस डॉ.रानी बलबीर कौर	231-235
49. हिन्दी के विस्तार में डिजिटल मीडिया की भूमिका	रितू रानी, डॉ. उमा कुमारी शाह	236-238
50. कुमाऊँनी लोक गीत	सुमन	239-243
51. नई शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण	अनामिका साहनी	244-247
52. भारतीय स्त्रीनाम प्रतिमं वैशिष्ट्यम्	Dr. B. Keshavaprapannapandey	248-250

53. हिन्दी में रोजगार के अवसर	मीनाक्षी	251-255
54. युवा सौशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका	अजय कुमार, प्रोफेसर डॉ. हरिश कुमार	256-262
55. हिन्दी के बढ़ते वर्चस्व में सिनेमा की भूमिका	डॉ. यशोदा मेहरा	263-265
56. हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में प्रिंट मीडिया की भूमिका : एक अध्ययन	भारती, शिवकुमार	266-269
57. हिन्दी आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' में दलित स्त्री	PADMA PRIYA. V	270-273
58. हिन्दी सिनेमा का युवाओं पर प्रभाव : अनुराग कश्यप की फिल्मों का अध्ययन	रचना कसाना	274-280
59. 21वीं सदी की रोजगारोन्मुखी हिंदी	डॉ. बॉबी यादव	281-286
60. भूमंडलीकरण और विज्ञापन	डॉ. हरदीप कौर	287-289
61. हिन्दी प्रवासी साहित्य : एक पुनर्मूल्यांकन एवं इतिहास विभाजन	कार्तिक मोहन डोगरा	290-297
62. आर्य समाज का हिंदी के विकास में योगदान	KAMLESH	298-302
63. प्रवासी साहित्य और हिन्दी	मीनू रानी	303-305
64. प्रिंट पत्रकारिता में हिंदी भाषा के बदलते प्रारूप व स्वरूप : एक समालोचनात्मक अध्ययन	रसीना, शिवकुमार	306-314
65. हिंदी बाल साहित्य : सामाजिक सरोकार	अन्विता विश्वनाथन पी	315-316
66. मीडिया की भूमिका और हिन्दी भाषा	डॉ. शशिप्रभा गौतम	317-320
67. नई शिक्षा नीति और हिन्दी	सुप्रिया	321-324
68. हिंदी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप व प्रवृत्तियां : एक अध्ययन	आशु, शिवकुमार	325-329
69. वसुधैव कुटुंबकम् और हिंदी भाषा	डॉ. नेमीचन्द कुमावत	330-335
70. हिंदी पत्रकारिता में समाज सुधारकों के योगदान का ऐतिहासिक अध्ययन	अंशु, शिव कुमार	336-340
71. अतीत वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता का अवलोकन : एक समालोचनात्मक अध्ययन	शिवकुमार	341-345
72. असम में हिंदी शिक्षण : एक अनुशीलन	दिगंत बोरा	346-349
73. भूमंडलीकरण और हिंदी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का कथेतर लेखन	ज्योति सिंह	350-355
74. हिंदी भाषा कल, आज और कल	प्रो. अनिता किसन पाटोळे	356-359
75. हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका	डॉ. पारूल ए. परमार	360-364
76. हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रों की दशा/दिशा का विस्तृत अध्ययन : आजादी से पहले और आजादी के बाद	राखी, शिव कुमार	365-369
77. हिन्दी कल आज और कल	सुनिता	370-372

78. मैत्रेयी पुष्पा के कथा-साहित्य में विधि और हिंदी	अनु, ज्ञानी देवी गुप्ता	373-376
79. भूमण्डलीकरण और हिन्दी	डॉ० शारदा कुमारी	377-382
80. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी भाषा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन	निलेश नाथ, डॉ. वीणा छंगाणी	383-388
81. प्रवासी साहित्य और हिंदी	वि. अमुधा	389-392
82. अभिमन्यु अनंत के उपन्यास - 'लाल पसीना' में चित्रित गिरमिटिया भारतीय मजदूरों का जीवन	सजिता पी सी	393-396
83. इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता के प्रमुख स्वर	लवली	397-404
84. हिन्दी भाषा का वैश्विक परिदृश्य और प्रवासी साहित्य	डॉ. सफ़ा़म्मा	405-408
85. वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका	रीतू	409-412
86. बदलते वैश्विक में हिन्दी भाषा	सिमपी	413-415
87. नारी मन की अंतर्व्यथा का दस्तावेज : गाथा अमरबेल की	डॉ. देव्यानी महिड़ा	416-419
88. आधुनिक हिन्दी उपन्यास : किसान विमर्श ('अकाल में उत्सव' उपन्यास के संदर्भ में)	रचना	420-423
89. वसुधैव कुटुंबकम् और हिंदी	अनीता शर्मा	424-427
90. वैश्वीकरण : राजभाषा हिन्दी का अवदान	डॉ. मो. माजिद मियाँ	428-434
91. हिन्दी : कल, आज और कल	डॉ. संगीता चौहान	435-438
92. दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता	डॉ. प्रेम चन्द भार्गव	439-442
93. विश्व पटल पर हिंदी भाषा का विकास	बबीता	443-447
94. प्रवासी भारतीय साहित्य और हिंदी	पूजा	448-452
95. हिंदी भाषी पत्रकारिता में रोजगार के अवसर : एक अध्ययन	सीमा, शिवकुमार	453-458
96. हिन्दी भाषा में रोजगार के खुलते द्वार	डॉ. सीमा कुमारी	459-464
97. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी का स्वरूप	डॉ. सरोजबाला श्याम विरुनोई	465-469
98. हिंदी में रोजगार के अवसर	डॉ. मन्जु तोमर	470-473
99. सिनेमा और हिन्दी	डॉ. सपना शर्मा	474-478
100. जनसंचार : विज्ञापन और हिन्दी	डॉ. कुमारी कोमल	479-481
101. प्रवासी जीवन का संकट-कीर्ति चौधरी की कहानी "जहाँनारा" और रमा जोशी की कहानी "करमा" के संदर्भ में	बिंदु. आर	482-486
102. हिन्दी भाषा का वर्तमान और भविष्य	Dr. PUSHPAKUMARI	487-490
103. एशिया के देशों में हिंदी पत्रकारिता	डॉ. राखी. के. शाह	491-494
104. हिन्दी साहित्य : मीडिया व पत्रकारिता के लेखन कौशल का प्रभाव	डॉ० पूनम आर्या	495-499



विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करने के लिए वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा एक विश्व हिंदी सम्मेलन करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में संपन्न हुआ। 14 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के पश्चात यह पहला बड़ा पड़ाव था।

जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने-समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। हिंदी भाषा इतनी सरल है कि जो शब्द का उच्चारण होता है वही शब्द लिखित रूप में होता है। जबकि अन्य भाषाओं में शब्द का उच्चारण और लेख विभिन्न होते हैं। इंटरनेट पर हिंदी भाषी लोगों का निरंतर गुणात्मक रूप से वृद्धि हो रही है। जिसका यही कारण है कि हिंदी सरल और सुगम भाषा बनती जा रही है। यह एक विशाल समूह की भाषा है जो सरल और सुगम मानी गई है।

हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था, किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा 1960 ओर विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया। उस समय यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे :-

प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण।

प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।

अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण।

हिन्दी टाइपराइटर्स एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि।

शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी। इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य चालू किया था। बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते होते सन् 1960 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। निदेशालय तथा आयोग ने अब तक विज्ञान, मानविकी, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा प्रशासन आदि के 4 लाख अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित कर दिये हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी) आयोग तथा राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। सन 1979 में प्रकाशित विधि शब्दावली इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसमें लगभग 34000 विधिक शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित किए गए हैं।

हिन्दू महिला महाविधालय, शामली, उत्तर प्रदेश, गुरु विधापीठ और गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी रजि. बोहल भिवानी, हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में "विश्व पटल पर हिन्दी" विषय पर 22 जनवरी 2023 को आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध पत्रों का यह संग्रह आप सभी सुधी पाठकों के लिए बहु उपयोगी साबित होगा। ऐसा हमारा मानना है।

-डॉ. मन्जु गर्ग
विशेषांक सम्पादक



हिन्दी भाषा की वैश्विक व्यापकता का प्रभाव

डॉ. रमेश चन्द्र टांक

शोधार्थी, सीनियर रिसर्च फ़ैलो, समाज शास्त्र विभाग, मो.सु.वि.वि.उदयपुर (राज.)

भूमिका :-

भाषा, भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्यकृत साधन है जिसका स्वाभाविक रूप से हुआ है। भाषा व्यक्तिगत अनुभव एवं विचारों को समाज तक संप्रेषित करने का माध्यम होता है। साहित्य सर्जन साहित्यकार के अन्तर्मन से शुरू होकर भाषा व शैली के माध्यम से प्रस्तुत रचना है। भावों एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए मनुष्य जिन परम्परागत सार्थक व्यक्त ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है, सामान्यतः उसे हम भाषा कहते हैं, भाषा सम्प्रेषण का माध्यम है, सम्प्रेषण एवं सौन्दर्य भाषा के दो प्रमुख पक्ष हैं, साहित्य भाषा का सौन्दर्य पक्ष है। साहित्य का जन्म भाषा के गर्भ से ही होता है भाषा के सम्प्रेषण पक्ष के भी दो संदर्भ हैं, एक संदर्भ भाषा की संरचना और उसकी बनावट और दूसरा संदर्भ भाषा की प्रयुक्ति, प्रयोजन व प्रकार्य है।

हिन्दी बहुआयामी भाषा है हिन्दी अब साहित्य की भाषा न होकर रोजगार, व्यापार व वाणिज्य की भाषा बन गई है। हिन्दी भाषा ने अध्ययन-अध्यापन को एक नई दिशा प्रदान की है, हिन्दी भाषा वर्तमान में ज्ञान विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य विभागों में निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ हिन्दी भाषा के नये, क्षेत्रों का विकास हुआ है, जिसमें प्रशासनिक हिन्दी, कामकाजी हिन्दी आदि है। आज हिन्दी भाषा, साहित्य के अतिरिक्त विज्ञान, विधि, बैंक, व्यापार, न्याय, सिनेमा, जनसंचार, कम्प्यूटर आदि विभिन्न क्षेत्रों में पर्दापण करके राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संदर्भ से उपर उठकर वैश्विक संदर्भ में अपनी पहचान बनती जा रही है, हिन्दी भाषा विश्व की सबसे अधिक बोली, समझी जाने वाली भाषा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिन्दी को भारतीय संविधान में राज भाषा के रूप में स्वीकृत है, किन्तु राजभाषा का गौरव हिन्दी को प्राप्त होने के बाद यह अन्य समुदायों को जोड़ने वाली भाषा बन गई, जो देश के सामाजिक व साहित्यिक रूप को साकार करती है।

भारतीय समाज के अध्ययन में हमें सनातन संस्कृति और उस मूल्य परम्परा की तरफ जाना होगा जिससे होकर हम यहां तक पहुंचे हैं हिन्दी भाषा संस्कृत भाषा वेद, पुराण इन तीनों से मिलकर बनी श्रृंखला ही आगे चलकर वर्चस्वादी सत्ता, संस्कृति, परम्परा और इतिहास का वाह का भारत में बनती हुई दिखाई देती है। हिन्दी भाषा निरन्तर वैश्विक संदर्भ में प्रगति करती हुई प्रतीत हो रही है।

‘हिन्दी भाषा’ का मूल संस्कृत भाषा है। ‘हिन्दी भाषा’ संस्कृत की प्रपौत्री के रूप में गौरवान्वित है। संस्कृत से प्राकृत पुनश्च प्राकृत से अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से हिन्दी का प्राकट्य हुआ। हिन्दी खड़ी बोली, अवधी, ब्रज,

बुन्देली, बिहारी, मैथिली आदि अन्य प्रादेशिक हिन्दी बोलियों शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी अपभ्रंशों से उत्पन्न हुई। आज खड़ी बोली ने प्रायः सम्पूर्ण भारत और विश्व में भी व्यवहार और साहित्य के क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली है एवं श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

हिंदी का स्वरूप :-

संस्कृत की वंशजा होने से हिन्दी में, संस्कृत देववाणी की दैवी-ध्वनियाँ हैं। संस्कृत-वर्णों की भाँति ही संस्कृत से प्राप्त हिन्दी वर्णों में वैज्ञानिकता है, एवमेव प्रत्येक ध्वनि या स्वरव्यञ्जन-वर्ण, यहाँ तक कि अनुस्वार भी अपना महत्त्वपूर्ण उपादेय एवं उपयोगी अर्थ संधारण करते हैं। हिन्दी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा वर्णोच्चारण होता है, वैसा ही उसका लेखन होता है तथा जैसा लेखन होता है, तदनुसार ही उच्चारण भी होता है। इस प्रकार हिन्दी की वर्णमाला एवं शब्दावली भी वैज्ञानिक है और लिपि भी वैज्ञानिक है, जो देवनागरी या नागरी नाम से अभिहित है। हिन्दी भाषा की वैज्ञानिकता उसके ध्वनियन्त्र के माध्यम से उसके वर्णोच्चारण के स्थान-कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, नासिका, कण्ठतालु, कण्ठोष्ठ, दन्तोष्ठ, जिह्वामूल और मुख-नासिका से स्पष्ट हो जाती है।

हिन्दी भाषा का व्यापक क्षेत्र :-

सम्प्रति, हिन्दी भाषा का विश्व भर में प्रचार-प्रसार है। यह भाषा साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, चित्रपट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रौद्योगिकी, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र आदि सभी क्षेत्रों की उपयोगी एवं विभामयी भाषा बन चुकी है। आज विश्व की जनसंख्या लगभग सात अरब से अधिक ही प्रगण्य है। अष्टम विश्व-हिन्दी सम्मेलन न्यूयार्क में 13 जुलाई 2007 ई. को संपन्न हुआ था। उसमें विश्व की सात प्रमुख भाषाओं की सांख्यिकी स्थिति इस प्रकार प्रस्तुत की गई थी।¹

भाषा	बोलने वाली	प्रतिशत
फ्रेंच	70 मिलियन	1.00%
अरबी	100 मिलियन	1.42%
रूसी	160 मिलियन	2.28%
अंग्रेजी	340 मिलियन	4.85%
स्पेनी	360 मिलियन	5.14%
चीनी	900 मिलियन	12.85%
हिन्दी	1270 मिलियन	18.14%

(संदर्भ-हिन्दी-विश्व-काव्याञ्जलि-द्वितीय खण्ड, पृष्ठ-8 संपादक-डॉ. राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, ग्वालियर म.प्र.)²

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 'हिन्दी भाषा' विश्व में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। 2007 ई. से 2015 ई. तक के इस समय में हिन्दी ने अपना और भी अधिक प्रसार प्राप्त किया है एवं विश्व के प्रायः सभी देशों में इसने अपना सम्माननीय स्थान भी बना लिया है। सितम्बर 2015 में सम्पन्न 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' में हिन्दी के विश्व में फैलाव के आंकड़ों से यह परिज्ञात ही होगा कि हिन्दी भाषा व्यवहार की दृष्टि से विश्व में शीर्ष पर है। हिन्दी की इस व्यावहारिक प्रगति से यह सुविज्ञात ही है कि एक दिन बड़ी सहजता से हिन्दी भाषा विश्व के लोगों के दिल, दिमाग और व्यवहार की आत्मीय भाषा बनकर ही रहेगी।

हिन्दी भाषा के पठन—पाठन, व्यवहार एवं साहित्यिक विधाओं में संरचना तथा विविध विषयों में प्रयोग की दृष्टि से वह दो प्रकार से द्रष्टव्य है। प्रथम राष्ट्रीय या भारतीय दृष्टि से, पुनश्च वैश्विक दृष्टि से। अपने देश भारत में व्यावहारिक प्रयोग की दृष्टि से, साहित्यिक लेखन में उपयोग की दृष्टि से एवं बोलने तथा समझने की दृष्टि से हिन्दी—प्रिय लोगों की संख्या सर्वाधिक है। स्पष्ट है कि भारत में हिन्दी का प्रयोग अन्यान्य सभी भाषाओं से सर्वाधिक है।

अपने देश भारत में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार प्रदेशों में हिन्दी जानने वालों की संख्या शत प्रतिशत है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एवं चंडीगढ़ में हिन्दी भाषा को जानने वाले अस्सी प्रतिशत हैं। आंध्रप्रदेश में 40%, अरुणाचल में 30%, असम में 50%, गोवा में 70%, जम्मू कश्मीर में 90%, कर्नाटक में 45%, केरल में 35%, मणिपुर में 30%, मेघालय में 30%, मिजोरम 35%, नागालैंड में 25%, उड़ीसा में 60%, तमिलनाडु में 20%, त्रिपुरा में 25%, पश्चिम बंगाल में 60%, दादरा एवं नगर हवेली में 65%, दीव एवं दमन में 65%, लक्षदीप में 25% एवं पांडिचेरी में 20% से अधिक हिन्दी भाषी लोग हैं। इसी प्रकार विश्व के चवालीस (44) देशों में 2004 ई. में विश्व में हिन्दी जानने वालों की संख्या लगभग एक अरब 10 करोड़ बताई गई है, जो विश्व की लगभग छह अरब जनसंख्या का 18.9% हिन्दी भाषा को 'विश्व हिन्दी दिवस' एवं विश्व हिन्दी सम्मेलनों के आयोजना का भी गौरव प्राप्त है। यूरोपीय बल्गारिया की राजधानी 'सोफिया' में 10 जनवरी 2006 ई. को प्रथम विश्व हिन्दी दिवस का। भव्य आयोजन हुआ था। 10 जनवरी 1975 ई. में नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन भारतीय दूतावास और भारत शास्त्र विभाग, सोफिया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्त्वावधान में सम्पन्न हुआ था। अगस्त सन् 1976 ई. में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मारीशस में, अक्टूबर 1983 में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन दिल्ली में, चतुर्थ विश्व हिन्दी सम्मेलन 2, 3, 4 दिसम्बर 1993 ई. में मारीशस की।

राजधानी पोर्टलुई में, पंचम विश्व हिन्दी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 ई. में त्रिनीडाड और टोबेगो में, छठवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 14 से 16 सितम्बर 1999 को लन्दन में सम्पन्न हये। इसी प्रकार सप्तम विश्व हिन्दी सम्मेलन सूरीनाम, दक्षिणी अमेरिका 5 से 9 जून 2003, अष्टम न्यूयार्क (उत्तरी अमेरिका) 13 से 15 जुलाई 2007, नवम 22 से 24 सितम्बर 2012 जोहान्सवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में सम्पन्न हये। दशम वि.हि.स. 10 से 12 सितम्बर 2015 को भोपाल (म.प्र.) में सम्पन्न हुआ।

विश्व स्तर पर हिन्दी का आधिपत्य :-

विश्व में विश्व हिन्दी सम्मेलनों की संयोजना हिन्दी के समुत्कर्ष का ही द्योतक है। हिन्दी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारतीय संस्कृति 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' का पर्याय सिद्ध हो चुकी है, अतएव इस पवित्र संस्कृति के आधान हेतु विश्व के लोगों को हिन्दी भाषा जानने की आकांक्षा है— 'हिन्दी भाषा' अपनी अद्वितीय एवं अतुलनीय जानकारी से विश्व को आकर्षित कर रही है। मूलशब्दों के विषय में हिन्दी और अंग्रेजी की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी में मूलशब्द मात्र 'दस हजार' है और हिन्दी के मूल शब्दों की संख्या ढाई लाख से अधिक है।³

भारतवर्ष में प्रायः दो सौ विश्वविद्यालय हैं। इनमें यान्त्रिक विश्वविद्यालयों को छोड़कर लगभग सभी कला एवं भाषा (लैंग्वेज) सम्बन्धी विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन कार्य सम्पन्न होता है। भारत

में दो हिन्दी विश्वविद्यालय, एक वर्धा' में और दूसरा भोपाल' में प्रसिद्ध ही हैं।

विश्वस्तर पर दृष्टि-प्रक्षेप से स्पष्ट है कि आज विश्व के अधिकांश देशों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है। इस आधार पर हिन्दी की विकासोन्मुखी रचनात्मकता, वैचारिक श्रेष्ठता, गुणानुवाद एवं वैज्ञानिकता सिद्ध है। हिन्दी का रोजगारोन्मुखी निर्देशन भी है। देवनागरी लिपि भी हिन्दी के हित में एक सापेक्ष आधार है, जिससे कम्प्यूटर जगत भी हिन्दी के आकर्षण को सम्बल प्रदान करता है।⁴

विश्व में हिन्दी आज अपना सहज रूप से विस्तार कर रही है। फीजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिनाद आदि द्वीप समूहों में प्रवासी भारतीयों एवं उनके हिन्दी प्रेम के कारण वहाँ हिन्दी भाषा भली-भांति फलफूल रही है एवं वहाँ हिन्दी की बृहत् साहित्यसर्जना सम्पन्न हो रही है। न्यूजीलैण्ड, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार (बर्मा), मैक्सिको, अमेरिका, क्यूबा, पेरू, कोलम्बिया, श्रीलंका, अर्जेन्टाइना, चिली, इंग्लैण्ड, जर्मनी, जापान, रूस आदि में भी हिन्दी अपने सौहार्दपूर्ण हाथ पसारने में सफल हो रही है। यहाँ के लोगों में हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम एवं ग्रहणशीलभाव जाग्रत हुआ है।⁵

विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा का पठन-पाठन :-

विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व में 144 विश्व विद्यालयों में हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था है। विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या भी सौ करोड़ से अधिक है। वर्तमान में एक करोड़ तीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में निवास कर रहे हैं। इनमें से आधे से अधिक लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं। आज विश्व के अनेक देशों में यथा अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स, हॉलैण्ड, स्वीडन, डेन्मार्क, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन, रोमानिया आदि में हिन्दी के पठनपाठन का कार्य चल रहा है।

विश्व में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं प्रचार से भी विश्व में हिन्दी ने अपना समुचित स्थान बनाया है। भारतेतर दूसरे देशों में, यथा – फीजी, सूरीनाम, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका आदि में हिन्दी पत्र पत्रिकाओं का सुचारु प्रकाशन सम्पन्न होता है। यह हिन्दी की लोकप्रियता एवं विश्वप्रियता का प्रमाण है। भारत में तो सहस्राधिक हिन्दी पत्र-पत्रिकायें आज प्रकाशित हो रही हैं।⁶

हिन्दी के अनेक लोकप्रिय रचनाकारों तुलसी, कबीर, सूरदास, मीराबाई, प्रेमचन्द आदि की रचनाओं का रूसी, जापानी, जर्मन आदि भाषाओं में अनुवाद होना विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को उन्नत करता है।

भारतीय फिल्मों अधिकांशतः हिन्दी में ही प्रदर्शित होती हैं, जिनकी कैंसेट से अनेक देशों का बाजार क्रय-विक्रय हेतु भरा पड़ा है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी विश्वपटल पर हिन्दी ने अपनी अपूर्व क्षमता को प्रकट किया है।

हिन्दी भाषा के अपने कतिपय विशेष गुण हैं सरलता, सहजता, माधुर्य, सरसता, वैज्ञानिकता, आकर्षण, आत्मीयता, शुचिता, सुभाषित-सौन्दर्य, ध्वन्यात्मकता, सांगीतिक-मुग्धता, शब्दसामर्थ्य, भावगाम्भीर्य, मार्मिकता, मनोहरता आदि हिन्दी भाषा के अन्तःबाह्य स्वरूप को सुरूप प्रदान कर उसे रोचक बनाते हैं। इसीलिये भारत और विश्व पटल पर हिन्दी सहज रूप से ही सजल स्रोतस्विनी सरिता के समान अपनी अस्मिता बनाये हुये स्वतः अपने प्रसार में अनुरत है। आगामी समय में विश्व में हिन्दी अपना एक महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय स्थान बना लेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है।⁷

हिंदी की वैश्विक व्यापकताका प्रभाव :-

विदेशों में हिंदी के बढ़ते चलन को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी अपने स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर हो रही है। अपने आस-पास से लेकर दूर-दूर तक के देशकाल, वातावरण को जानने-समझने की आकांक्षा, मनोभावों व विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों को संप्रेषित करना, देशकाल-वातावरण की बदलती स्थितियों से तालमेल बिठाना, भाषा इस्तेमाल करने वाले का सर्वोपरि धर्म है।

भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, यह एक तरफ़ा सच है। इसका दूसरा सच यह है कि भाषा पर सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और समाज का भी बड़ा बोझ होता है, पर क्या भाषा इस्तेमाल करने वाले इस बात को सोचते हैं कि उनके ऊपर यह सारा भार है जो बोझ नहीं वरन राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य है। हिंदी के प्रति भी हमें कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। भूमंडलीकरण के इस दौर में, कौन सा भारत, कैसा भारत, कैसे भारतीय, यह सवाल अब कोई नहीं करता। हाँ, कहीं-कहीं 'गो बैक टू इंडिया' अब भी जरूर सुनाई देता है। पर, इसी 'गो बैक' से विदेशों में हिंदी साहित्य का उदय देखने को मिला है। सीधे तौर पर न भी हो पर परोक्ष रूप से इस परिणाम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। विदेशों में हिंदी की बिंदी से स्वर्णिम अध्याय के सफ़र में गिरमिटिया और प्रवासी भारतीयों के सहयोग को कम करके नहीं आंका जा सकता।

यू.ई. से पूर्णिमा वर्मन की 'अनुभूति' व 'अभिव्यक्ति' ई-पत्रिकाएँ विश्वभर में लिखे हिंदी साहित्य को समेटे हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर व तकनीक जैसे विषयों को भी हिंदी लेखों के माध्यम से लोगों को रूबरू करा रही हैं। आर्टिस्ट विदिशा मिथिला पेंटिंग के रंगों में डूबी रहती है—कहती हैं कि भारतीय जब भी आपस में मिलते हैं, हिंदी बोलने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते, वरन हिंदी सुनकर लगता है कि कानों में कोई अमृत घोल रहा है। यहाँ किसी सरकारी अधिकारी को भी हिंदी बोलते हुए सुनने का सुखद आश्चर्य भी जरूर मिल जाता है। सब हिंदी समझ ही लेते हैं। लंदन में शैल अग्रवाल नाम भी हिंदी का एक साहित्यिक हस्ताक्षर है। इनके द्वारा ऑनलाइन हिंदी पत्रिका 'लेखनी' शुरू की गई, जिसमें हिंदी के विभिन्न साहित्यिक आयामों को पढ़ा जा सकता है। वह बड़े दुःख के साथ कहती हैं कि यहाँ हिंदी की ज़रूरत न्यूनतम स्तर पर सरस्वती नदी सी है। इंग्लैंड के किसी शहर में भारतीय परिवार न रहता हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कई भारतीय तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी यहीं के होकर रह गए हैं। यहाँ भारतीय अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं। डॉ. पद्मेश गुप्त के अथक प्रयासों से संस्थागत स्तर पर काम होता है, परंतु व्यक्तिगत तौर पर कोई बदलाव नहीं आता। कारण स्पष्ट है बदलाव यदि मन से स्वीकारा व्यावहारिक रूप ले पाता है।⁸

अमेरीका की बात करें तो वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में विभाग हैं। वहाँ केवल भारतीय ही नहीं वरन् विदेशी भी हिंदी पढ़ते हैं। कम्युनिटी स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। चिन्मय और इस्कॉन जैसी संस्थाएँ भी बाल विहार कक्षाओं के जरिए हिंदी पढ़ाती और सिखाती हैं। यह सब सिखाने के पीछे अभिभावकों का एक ही उद्देश्य होता है कि उनके बच्चे किसी भी तरह अपने देश और जड़ों से दूर न रहें। परंतु कुछ अभिभावक अभी भी हिंदी को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हैं। वे हिंदी के बजाए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी बोलकर प्रफुल्लित महसूस करते हैं। कनाडा से सुमन घई की हिंदी ऑनलाइन पत्रिका 'साहित्यिक कुंज' भी अपने आप में हिंदी का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो हिंदी की विविध विधाओं से सजा है।

कहना न होगा कि अंग्रेजी के सफ़र के कारण मजदूर बने भारतीयों के साथ हिंदी भी अपने सफ़र पर

चल निकली थी, जिसका रूप हमें गिरमिटियों में देखने को मिलता है। मुश्किल बात यह है कि अब वहाँ भी हिंदी के बजाए अन्य भाषाओं पर जोर है जिससे उनके बच्चे नौकरी पा सकें। उन्हें अब हिंदी बोझिल ही लगती है। तो अब वहाँ संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद हिंदी अब अंग्रेजी वाला 'सफ़र— झेल रही है। इस सबके बावजूद आज भाव—विभोर कर देने वाले गिरमिटिया साहित्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।⁹

फ़ीजी द्वीप समूह की आधिकारिक भाषा फ़ीजी हिंदी ही है, जिसे फ़ीजियन हिंदी, फ़ीजीबात या फ़िजीयन हिंदुस्तानी भी कहते हैं। सूरीनाम में सरनामी हिंदी है। मॉरीशस में हिंदी के प्रचार—प्रसार में अन्य कई संस्थाओं के साथ आर्य समाज की संस्थाएँ भी बड़ी तन्मयता से जुड़ी हैं, किंतु अब वहाँ भी हिंदी को लंबे समय तक बनाए रखने में वे भी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। वहाँ की भाषा क्रियोल है तो अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी और क्रियोल के अलावा किसी और भाषा को सिखाने में कोई रुचि नहीं रखते। त्रिनिदाद और टोबैगो में भी हिंदी का वजूद हाशिये पर जाता नज़र आता है। हाँ, कुछ संस्थाएँ व्यक्तिगततौर पर प्रयास करती जरूर नज़र आती हैं। यहाँ बोली जाने वाली हिंदी में अवधी, भोजपुरी और अन्य बोलियों का समावेश है। पर सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ बॉलीवुड के गाने तो खूब चलते हैं किंतु उन गानों के अर्थ की समझ कोसों दूर है।

यहाँ हिंदी अंग्रेजी की लिपि में लिखी जाती है। तो यह लुप्त होने के कगार पर है। आस्ट्रेलिया में स्कूल व विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी सिखाई और पढ़ाई जाती है। समझना अलावा वहाँ के मंदिरों में भी हिंदी सिखाने का जोर है। हिंदी वहाँ भारतीयों की सपक भाषा है। न्यूजीलैंड में भारतीय विद्यार्थियों के चलते हिंदी का चलन तो है, किंतु पढ़ने—पढ़ाने का कोई प्रयास नहीं है। यूरोप में भी हिंदी के कुछ अपने ही तेवर हैं। यहाँ कई देशों में हिंदी की जरूरत न के बराबर ही रह गई है। यह बात और है कि बॉलीवुड की फ़िल्मों व उनके गानों पर थिरकने का क्रेज़ अब भी बदस्तूर जारी है।¹⁰

नीदरलैंड में जाने—माने भाषाविद प्रो. मोहनकांत गौतम और डॉ. रामा तक्षक जैसे जाने—माने नाम हिंदी के पर्याय बन चुके हैं। बड़ी तन्मयता से हिंदी की सेवा में लगे ये विद्वान हिंदी पर गर्व करते हैं। बकौल प्रो. गौतम, न जाने क्यों भारतीय हिंदी बोलने में कतराते हैं। अपनी भाषा आपकी अपनी पहचान होती है। और अपनी पहचान से दूर जाने का कोई औचित्य नहीं होता। स्वीडन से इंडो—स्कैंडिक ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेज़िडेंट सुरेश पांडेय जी हिंदी की सेवा में लगे हैं। हिंदी कविता के पुट में अपनी बात कहने में उन्हें कोई गुरेज़ नहीं है। उन्होंने अपना लेखन हिंदी में ही शुरू किया, पर उन्हें इस बात का मलाल ज़रूर है कि वे अपने बच्चों को पूरी तरह हिंदी नहीं सिखा सके। हिंदी में लिखी उनकी पुस्तक 'यादों के इंद्रधनुष' को उनकी तीसरी पीढ़ी नहीं पढ़ सकती, इसका दुख उन्हें सालता है। लेकिन उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि जब भी उनके बच्चे भारत जाते हैं तो सबसे हिंदी में ही बात करते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितनी भी अंग्रेज़ी बोले!¹¹

स्पेन में हिंदी अध्यापन व लेखन से जुड़ी पूजानिल को हिंदी की पूजा करने में कोई गुरेज़ नहीं है। पर वह बड़े दुःखी मन से बताती हैं कि यहाँ हिंदी की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। भारत से आई यह पीढ़ी फिर भी हिंदी बोलती है किंतु जब से स्पेनिश के अलावा अंग्रेजी को स्कूल स्तर पर पढ़ाना शुरू किया है, तब से हिंदी का स्पेस और भी कम हो गया है। पूजा आईसीसीआर के हिंदी प्रचार के प्रयास से ज़रूर उत्साहित और प्रसन्न हैं। जर्मनी से योजना जैन बताती हैं कि यहाँ जर्मन भाषा के बावजूद हिंदी भाषा ने अपनी पैठ बना ली है। प्रो. रामप्रसाद भट्ट जर्मनी में हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण के कार्य में संलग्न हैं। कक्षाओं में

विद्यार्थियों की संख्या भले ही कम हो गई लेकिन संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा के प्रति भी विद्यार्थियों में क्रेज़ देखा जा सकता है। अन्य यूरोपीय देशों की। अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में हिंदी वहाँ कुछ बेहतर स्थिति में है। इसका कारण संभवतः भारत से बड़ी संख्या में गए विद्यार्थी हैं। कहना न होगा कि लातिन के चलते जहाँ जर्मनवासियों में संस्कृत का क्रेज़ बरकरार है, वहीं वे एशियाई देशों से संपर्क रखने का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी को ही मानते हैं। एक भारतीय कर्मचारी ने बताया कि भारतीय विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के चलते सड़कों पर हिंदी आसानी से सुनाई देगी क्योंकि भारत से आते ही वे हमवतनों को खोजने लगते हैं। हिंदी ही उनको आपस में जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन जाता है। डेनमार्क में अली हिंदी की पहचान है।

हाँ, यह बात और है कि इन्होंने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की परंपरा को बढ़ाया। डेनमार्क में डेनिश के कारण अन्य भाषाओं को इतना स्थान नहीं मिल पाता। भूमंडलीकरण के दौर में सब भाषाओं की बात होती है तो हिंदी को भी ज़ोरदार तरीके से पेश किया जाता है, पर चिंता की बात तो यह है कि भारतीयों का खुद अपनी भाषा के प्रति दुखद और उदासीन रवैया है। बुल्गारिया जैसे देश में हिंदी का अपना एक स्थान है। विश्वविद्यालय के स्तर पर सोफ़िया विश्वविद्यालय में प्रो. आनंद शर्मा ने हिंदी विभाग संभाला है। वहाँ मोना कौशिक का हिंदी के प्रति प्रेम किसी से कम नहीं है।¹²

नॉर्वे जैसे शांति प्रिय देश में किसी मोड़ पर हिंदी सुनाई देना एक आम बात है। यह कहना है, नॉर्वे की एक द्विभाषिक पत्रिका 'स्पाइल दर्पण' के संपादक श्री सुरेशचंद्र शुक्ल का, जो 'शरद आलोक' के नाम से लिखते हैं। 33 साल से लगातार हिंदी की पत्रिका चलाना अपने आप में किसी तप से कम नहीं। कहना न होगा, कोविड महामारी के समय में उनका विश्व का पहला हिंदी काव्यसंग्रह प्रकाशित हुआ—लॉकडाउन। एक ऐसा देश जिसे मध्यरात्रि तक सूरज रहने वाले देश के तौर पर जानते हैं, वहाँ एक हिंदी पत्रिका स्वयं को स्थापित कर चुकी थी। अड़ोसी पड़ोसी भारत के बाद पाकिस्तान में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। कारण स्पष्ट है कि उर्दू, हिंदी भाषा की ही एक शाखा है। अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि देशों में हिंदी अपरिचित नहीं है। इन देशों में स्कूल व 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। बाद में सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था।

हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जैसी ध्वनि बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अंग्रेजी की तरह इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं है। विदेशों में बसे इन भारतीयों को इस बात पर हैरानी है कि विदेश में जाकर लोगों के सामने हिंदी बोलने में गुरेज़ क्यों? हिंदी के साथ होते अन्याय के कारण कहीं हम अपनी पहचान न खो दें, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा, तब फिर किसी हिंदी संघर्ष या हिंदी दिवस को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।¹³

इस सबका एक दूसरा पहलू भी है, जो भारतीय लंबे समय से विदेशों में बस गए हैं, वे अपनी भारतीय पहचान को कायम रखने के लिए हिंदी बोलते हैं या उन्हें सचमुच हिंदी में दिलचस्पी है। अंग्रेजी यदि जीविका अर्जन का साधन है तो हिंदी आत्मा और संस्कारों को निखारने का एक माध्यम। भारत व भारतीयों में संकुचित होती और विदेशों में हिंदी के बढ़ते चलन को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदी अपने स्वर्णिम काल की

ओर अग्रसर हो रही है। अपने आस-पास से लेकर दूर-दूर तक के देशकाल, वातावरण को जानने-समझने की आकांक्षा, मनोभावों व विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों को संप्रेषित करना, बदलती स्थितियों से तालमेल बिठाना भाषा इस्तेमाल करने वाले का सर्वोपरि धर्म है। अंत में, भाषा अभिव्यक्ति का एक कलात्मक माध्यम है और हिंदी भाषा को विदेशों में विशेष स्थान दिलाने में प्रवासी भारतीयों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। इनमें हिंदी के प्रति मोह है जो एक सच्ची देशभक्ति है। यही लोग वसुधैव कुटुंबकम् की भावना को साकार करेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाने में सहायक होंगे। साथ ही विश्व पटल पर भारत की निखरती छवि भी हिंदी को विश्व में स्थापित करने में अवश्य मील का पत्थर साबित होगी।

निष्कर्ष :-

हिन्दी भाषा आज विश्वभाषाओं में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल है, किन्तु अपने ही प्रभावदेश भारत में यह गौरवपूर्ण 'राष्ट्रभाषा' के पद की प्राप्ति से वंचित है। यह हमारे देश और देशवासियों के लिये लज्जास्पद बात है। यथार्थ तो यह है कि यदि राजनीति आड़े न आये तो जन-जन के मन में रम जाने वाली यह परम हितैषिणी 'हिन्दी' राष्ट्रभाषा के पद पर आशु प्रतिष्ठित होकर राजभाषा। (राजकार्य की भाषा) के रूप में प्रत्यक्ष प्रदर्शित होगी और अतिशय लोक कल्याणकारिणी बनेगी।

आज विश्वपटल पर हिन्दी ने अपना मनोरम रूपप्रदर्शित किया है। यह हिन्दी की अपनी सामर्थ्य है। हिन्दी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जाति, वर्ग, धर्म, सम्प्रदाय एवं स्थान आदि से पूर्ण निरपेक्षता है।

निष्कर्ष रूप में भारतीय संस्कृति के विशिष्ट स्वरूप के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि विदेशों पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव आधुनिक काल में भी लक्षित होता है आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति सर्वाधिक श्रद्धा व्यक्त करने वाला देश जर्मनी है। जर्मन के विद्वान गोटफ्रीड हर्टर ने जब प्रथम बार कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् का जार्ज फास्टरकृत अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा तो उसने इस कृति के सम्बन्ध में अपना मतव्यक्त करते हुए कहा कि मानव मस्तिष्क की इससे अधिक आनन्दप्रद और कोई कल्पना मुझे नहीं मिली, भारतीय संस्कृति की विशिष्टता में उन्होंने कहा पूर्व का एक विकसित पुष्प सबसे पहला और सुन्दरता में बेनोड नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् है। ऐसी वस्तु कोई दो-तीन हजार वर्षों में एक बार दिखाई देती है। यह है भारतीय संस्कृति की विशेषता जिसकी विदेशी विद्वानों ने भी मुक्तकंठ प्रशंसा करके भारतीय संस्कृति के गौरव को अति समृद्ध किया है।

भारतीय संस्कृति तथ्य की सूचक है कि नैतिकता के सम्बन्ध में भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण अनुदारवादी अथवा रूढ़िवादी कभी नहीं रहा। उसकी नैतिकता वैयक्तिक न होकर समाजोन्मुखी थी और उसमें सबके लिए समदृष्टि थी। प्रत्येक शिशु, चाहे वह उचित-अनुचित किसी भी सम्बन्धस्वरूप उत्पन्न हुआ हो, परमात्मा का अंश समझा जाता था। भले ही सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके भी किसी बच्चे को क्यों न उत्पन्न किया गया हो, तो भी समाज उस बच्चे को यथायोग्य स्थान देना तथा उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। उस युग में माता-पिता की गलती अथवा अपराध के लिए आने वाले बच्चे को दण्ड नहीं दिया जाता था। परन्तु परम सभ्यता के आधुनिक युग में तो तथाकथित रूप से अवैध कहे जाने वाले कितने ही कानीन व पौनर्भव शिशुओं का निदर्शतापूर्वक वध कर दिया जाता है। उन्हें गुप्त रूप से जन्म देने के पश्चात एकान्त, निर्जन स्थान पर कूड़े के ढेर में कुत्तों व सूअरों के खाने के लिए फेंक दिया जाता है। अविवाहित अवस्था में

गर्भवती होने वाली कितनी ही कन्याओं का पारिवारिक प्रतिष्ठा व मान-मर्यादा के नाम पर उनके परिजनों द्वारा वध कर दिया जाता है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के पतन की यह पराकाष्ठा है। आधुनिकता और वैज्ञानिकता का दम्भ भरने वाला हमारा वर्तमान भारतीय समाज तो यौन सम्बन्धों की स्वीकृति एवं वैवाहिक मान्यता की दृष्टि से प्राचीन युग से भी पिछड़ा हुआ है। यदि हमें यौन सम्बन्धों को व्यवस्थित करना और समाज को सुचारु रूप से चलाना है, तो हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति में मान्य सभी प्रकार की सन्तानों को उदारतापूर्वक स्वीकारना होगा।

यद्यपि भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का एक ही स्थान पर समग्र विवेचन कर पाना न तो सरल है और न सम्भव, तथापि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम भारतीय संस्कृति की एक स्पष्ट तरवीर अपने मन-मस्तिष्क में निर्मित कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ :-

1. विश्व स्तर पर हिन्दी – सं. डॉ. मफतलाल पटेल।
2. हिन्दी विश्व काव्याञ्जलि (द्वितीय खण्ड) सं. डॉ. राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा।
3. बैवसाइट (विश्व हिन्दी सम्मेलन, दशम)।
4. 'कश्फ', भारतीय पत्रकारिता अंक, मई 2015, सम्पादक डॉ. विनोद तनेजा।
5. हिन्दी विश्व गौरवग्रन्थ (प्रथम खण्ड), सं. डॉ. राजेन्द्र नाथ मेहरोत्रा।
6. हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य सं. – डॉ. महेश दिवाकर।
7. बढ़ती हिन्दी – बट्टी नारायण तिवारी।
8. राकेश शर्मा निशीथ; विश्व भाषा की ओर हिंदी के बढ़ते कदम – (द.क.)
वेबसाइट: <https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/lekh2nd-hin.pdf>
9. वर्मा डॉ. रतन कुमारी; वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी- (द.क.) वेबसाइट: <https://www.sieallahabad.org/hrt-admin/book/book-file/26bb0114f746809bb744b0ac0842b1f8.pdf>. (एक्सेसड)
10. वर्मा, विमलेशकान्ति, प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2016
11. साहा डॉ. रणजीत, विश्वभाषा हिंदी व्याप्ति एवं स्वीकृति, 2021
वेबसाइट: <http://patrikayan.vishwahindi.com/content.aspx?id/210609081511010100>
12. <http://www.anubhuti-hindi.org/>
13. <http://www.youtube.com/channel/UCfmNvJHM6VqFHI8vIX7H3kg/videos>

पत्र व्यवहार का पता :- 115/147 गायत्री नगर, सैक्टर नम्बर 5,
सरकारी स्कूल के पिछे वाली गली, हिरण मगरी उदयपुर (राज.) 313002
मो. 9461503411

EamilID : rameshchandratak46@gmail.com



वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की दिशा

प्रा. डॉ. उत्तम जाधव

हिंदी विभाग प्रमुख, शिव छत्रपती महाविद्यालय पाचोड, ता.पैठण, जि.औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

भाषा उन महत्वपूर्ण इकाइयों में एक है जो मानव जाति को एकसूत्र में पिरोकर रखती है। भाषा के स्वरूप का निर्धारण मानव समाज द्वारा होता है और मनुष्य तथा समाज की पहचान भाषा से होती है, इसीलिए प्रख्यात रूसी विद्वान मिखाइल बाख्तिन का कहना था कि भाषा ही समाज है। अतः मानव समाज का मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक परिवर्तन भाषा के स्वरूप को भी एक नया मोड़ देता है। मानव का स्थान परिवर्तन उसकी आवश्यकताओं और बाह्यताओं के कारण होता है। निश्चित रूप से भाषा मानवी की सहचारिणी है। शौक आवश्यकता या कार्य की बाह्यता पड़ने पर जब मानव विश्व के दूसरे देशों में प्रस्थान करता है तो उसकी भाषा भी भौगोलिक विस्तार पाती है। कभी-कभी इच्छानुसार या आवश्यकतानुसार हम दूसरे देशों की भाषा का पठन-पाठन या उसमें गंभीर शोध – अध्ययन भी करते हैं।

भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा पुरातनकालीन मानव सभ्यता की धरोहर है। इसका अस्तित्व बहुआयामी होता है। भाषा का इतिहास मानव इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वरूप ने भाषा के स्वरूप को भी परिवर्तित किया है। यह भाषिक परिवर्तन गुण और परिमाण दोनों रूपों में हुआ है। हिंदी भाषा भी इसी शाश्वत परिवर्तन चक्र से गुजर रही है। विश्व की प्रायः सात हजार बोलियों भाषाओं की शृंखला में यह अग्रणी श्रेणी में स्थापित है। प्रायः हजार साल पुरानी हिंदी की यात्रा सदैव से अनियंत्रित और असंगठित होते हुए भी राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारतीय सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधत्व करती रही है।

पिछले डेढ़ पौने दो सौ वर्षों में वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा का विस्तार हुआ है। यह भारत के करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारत की आत्मा है। करोड़ों भारतीय दुनिया के अनेकानेक देशों में रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। यह विश्व के कई देशों में बोली और पढ़ाई जाती है। अपने विराट वैश्विक स्वरूप के कारण ही दुनिया की तीसरी (चीन और स्पेनी भाषाओं के बाद) सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा है। संसार की प्रमुख और शक्तिशाली भाषाओं के मध्य अपना स्थान बनाने के लिए संघर्षरत हिंदी की वैश्विकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए 'आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास' के अध्यक्ष लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी कहते हैं कि 'हिंदी विश्व के कोटि कोटि जनगण का कंठ स्वर है। उनकी पहचान है, सांस्कृतिक अस्मिता का मखर स्वरूप है, आंतरराष्ट्रीय संबंधोंका सेतु है।' हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए 'गगवांचल'

पत्रिका के संपादक श्री.कन्हैयालाल नंदन अपने संपादकीय में लिखते हे। 'पिछले दिनों विश्व की एकस्तरीय और आंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हिंदी के अनेक रचनाकारों की कालजयी कृतियों के अनुवाद प्रकाशित करके अप्रत्यक्षतः हिंदी की अंतर्राष्ट्रीयता को प्रमाणित किया है।' आगे वे कहते हैं कि "यदि इस बात पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हिंदी मात्र एक राष्ट्रभाषा ही नहीं है, वरन् वह मनुष्यता की सर्वोच्च मानवीय अनुगूँजो की अभिव्यक्ति है, जो उसकी अति समृद्ध संस्कृति की धात्री है।"

विश्व के मानचित्र पर अगर हिंदी की तलाश की जाये तो पता चलता है कि सैकड़ों देशों ने भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। जहाँ भी भारतीय प्रवासी हैं वहाँ हिंदी किसी-न-किसी रूप में जानी या प्रयोग में लाई जाती है। 'विश्व क्षितिज पर हिंदी' नामक लेख में डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल मानते हैं कि 'हिंदी विश्व के लगभग 93 देशों में स्थान बना चुकी है, भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में तो हिंदी पढ़ाई जाती है, इसके अलावा विश्व के 110 विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी का अध्ययन अध्यायन होता है। विश्व में जहाँ भी भारतीय मूल के निवासी हैं वहाँ किसी-न-किसी रस में अर्थात् राजभाषा, सहभाषा, संस्कार की भाषा अथवा शास्त्रीय/प्राचीन भाषा की हैसियत से विद्यमान है।" इसी लेख में उन्होंने कुछ प्रमुख राष्ट्रों को सूची भी प्रस्तुत की है जहाँ हिंदी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है। सूची निम्नवत् है – अर्जेन्टाइना, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कोस्टारिका, फीजीन ग्वाटेमाला गणतंत्र, गयाना, इंडोनेशिया, कुवैत, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, ओमान, पाकिस्तान, पेरु, कतर, सऊदी अरब, अमीरात, दक्षिण यमन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। इन राष्ट्रों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की है। कुछ अन्य ऐसे राष्ट्रों का भी जिक्र उन्होंने किया है जहाँ हिंदी के महत्व को समझा जाता है और वहाँ अध्ययन – अध्यापन तथा प्रकाशन होता है। इनमें "रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, स्पेन, तजानिया, स्वीडन, स्पेन, रोमानिया, पोलैंड, फिलिपींस, नार्वे, केन्या, साइबेरिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया बहरीन, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, टोकोस्लोवाकिया, चीन, कनाडा, बल्गारिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन, हॉलैंड, इटली, जापान है।"

इसके साथ ही उन्होंने अनेक देशों में हिंदी पढाने वाले विद्यालयों संस्थानों और विश्वविद्यालयों की तालिका प्रस्तुत की है। जिसे परिशिष्ट में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की वर्तमान स्थिति मजबूत है। भले ही इसका अतीत काफी संघर्षमय रहा हो परंतु भविष्य उत्सावर्द्धक लगता है। आज इसकी वैश्विक स्थिति सन्माननीय और प्रगतियान है। आज दुनियाभर में भाषिक और साहित्यिक रूप से हिंदी का प्रचार-प्रसार बढस्तर जारी है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की संख्या करोड़ों में है। इनमें प्रायः सभी का हिंदी से विशेष लगाव है। अपेक्षागत रूप से बैठका, मंदिर, सामाजिक कार्य और धार्मिक सुअवसर को और शक्तिशाली भाषा का पद प्राप्त करना है। आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक बडा व्यावसायिक बाजार बनने के साथ ही हिंदी के विस्तार की संभावनाओं का द्वार खुला हुआ दिखाई पड़ता है।

कई देशों में भारतीय मूल के नेताओं के हाथों मे सत्ता की बागडोर होने के कारण हिंदी के उभरने ओर उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि का अवसर बढ जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलनों के सहारे वैश्विक स्तर पर हिंदी की पत्रकारिता को भी व्यापक बल और प्रसार मिला है। पूर्व और मध्य एशियाई देशों से भारत का व्यापार बढने के

कारण वहाँ हिंदी के विकास की आशा भी बंधती है। दुनियाभर में कम्प्यूटर प्रयोग की मांग बढ़ रही है। इससे विज्ञान सम्मत व्याकरण वाली भाषा की प्रधानता बढ़ेगी और निस्संदेह विज्ञान सम्मत व्याकरण होने के कारण हिंदी के भविष्य में अगुवा बनने की संभावना है।

हिंदी को चीनी के बाद विश्व के दुसरे स्थान की अधिकारिणी बनाते हुए डॉ. संजय चौहान मानते हैं कि “भारतीय मूल के लगभग एक करोड़ तीस लाख लोग दुनिया के 132 देशों में फैले हुए हैं। इसमें आधे से अधिक हिंदी का प्रयोग करते हैं।” गंगनांचल मे छोपे हिंदी: अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में’ नामक लेख में हिमांशु जोशी ने लिखा है “विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कही जाती है हिंदी। पिछली जनगणना (1991) के अनुसार भारत में हिंदी भाषियों की कुल संख्या लगभग 46 करोड़ थी, जिनमें लगभग 19 करोड़ वे लोग थे जिनकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उसे उसी तरह व्यवहार में लाने की क्षमता रखता हैं जैसे मूल हिंदी भाषी एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए है। जिनमें आधे से अधिक हिंदी से परिचित ही नहीं, उसे व्यवहार में भी लाते है।” उन्होंने कई देशों के नामों का उल्लेख भी किया है जैसे मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिडाड आदि। दरअसल वैसे देश जहाँ बंधुआ मजदूरों को शर्तबंदी प्रथा के अंतर्गत ले जाया गया था। हिंदी को पनी अस्तिका का परिचायक मानते है। इन्हें भारत की आजादी से पहले सन 1834 से लेकर सन 1921 तक ले जाया गया था। इन्हें खड़ी बोली हिंदी भी ठीक से नहीं आती थी। हिंदी बोलने वालों की दूसरी पौध आजादी के बाद विकसित देशों में जाकर बसने लगी। ये लोग डॉक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक, व्यवसायी, लेखक, कलाकार, शिक्षाविद् आदि थे। इनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और युरोप के अन्य देशों में जाकर जीविकोपार्जन के लिए गए। शर्तबंद मजदूरों की संततियाँ आज अपने-अपने देशों की भाग्य निर्धारक है। आज भारतीयों और हिंदी जानने वालों की एक बड़ी संख्या हमारे सम्मुख है।

विश्वभर में जहाँ हम हिंदी की पहुँच और प्रयोग देखते हैं उनके नामों की एक लंबी श्रृंखला है। कुछ प्रमुख नामों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, इटली, कजाकिस्तान, कनाडा, कोरिया, गयाना, जर्मनी, जापान, डेनमार्क, ट्रिनिडाड, थाइलैंड, नाइजीरिया, फ्रांस, फिनलैंड, फीजी, ब्राजील हालैंड, सोमालिया, मंगेलिया, कंबोडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पोलैंड, चीन, पेरु, स्पेन, नार्वे, ऑस्ट्रिया, तंजानिया, कोलंबिया, दखिण अफ्रीका, जाइरे, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तुर्की, न्यूजीलैंड, संयुक्त अमेरिका, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, कतार, नाइजेरिया, कीनिया, ईरान, बहरीन आदि आते है।

विश्वपटल पर हिंदी को स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियाँ एवं सम्मेलनों का भी सहयोग रहा है। देश-विदेशों में कई संस्थाएँ निष्काम भाव से हिंदी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयत्न कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं – ‘सूरीनाम हिंदी परिषद’ द्वारा सन 1979 और सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों का आयोजन, 1992 में ट्रिनिडाड और टुबैगो में सन 1992 तथा 1993 में स्कॅडेनेविया साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा नार्वे में 1988 में नीदरलैंड मे सन 1993 मे, मेनचेस्टर-इंग्लैंड मे ओर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिती द्वारा सन 2000 में आयोजित अधिवेशन आदि।

यह भी सत्य है कि आज मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग प्रायः पैंतालीस करोड़ से भी कम लोग करते

है। परंतु संपर्क भाषा के रूप में प्रायः दुगुने लोग इसका प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। यह संख्या दुनियां की किसी भी भाषा की महानता को पारिभाषित करती है। हिंदी विश्व की जनता की किसी भी भाषा की महानता को पारिभाषित करती है। हिंदी विश्व की जनता की संपर्क भाषा बनने की राह पर है। उसका भविष्य उज्ज्वल है।

इनके अलावा आज तक आयोजित सातों विश्व हिंदी सम्मेलन जिनका आयोजन नागपूर-भारत (1975) में, पोटलुंड्स-मॉरीशस (1976) में, दिल्ली-भारत (1983) में, मॉरीशस (1993) में, पोर्ट ऑफ स्पेन-ट्रिनिडाड और टुबैगो (1996) में, लंदन-इंग्लैंड (1999) में और पारामारीबो सूरीनाम (2003) में किया गया, में विश्वपटल पर हिंदी की स्थिति को मजबूत किया है।

संदर्भ सूची :-

1. हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास – डॉ. भगवत शरण चतुर्वेदी।
2. भारतीय गणतंत्र में हिंदी : दशा और दिशा – विमलेश कांति वर्मा।
3. हिंदी विविध व्यवहारों की भाषा – डॉ. सुवास कुमार।
4. हिंदी विकास और संभावनाएँ – डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया।

ईमेल – uttamjadhav476@gmail.com

मो. 9822843391 / 8329552410



हिंदी का वर्तमान एवं भविष्य : वैश्विक परिप्रेक्ष्य में

प्रवेश के० त्रिपाठी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ

सम्बद्ध— चौधरी चरण सिंह विश्व विद्यालय, मेरठ (उ०प्र०)

अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक एडवर्ड स्वीर ने कहा है— “भाषा स्वैच्छिक रूप से बनाए गए प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से विचारों, भावों और इच्छाओं को सम्प्रेषित करने की विशुद्ध रूप से मानवीय और गैर—नैसर्गिक पद्धति है”¹ (Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and describes by means a system of voluntarily produced symbols) सपीर की इस परिभाषा में प्रयुक्त “प्रतीक” शब्द पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि भाषा मुख्यतः श्रवणीय है अर्थात् वह सुनी जाती है। इसका यह अर्थ है कि भाषा संकेत भाषा के विपरीत होती है और मुख्य रूप से बोलने का विषय है। भाषा को बोलते समय श्रवण प्रतीक के रूप में जो ध्वनियाँ हम निकालते हैं वे लिखित भाषा में दृश्य प्रतीकों में रूपांतरित हो जाती हैं अर्थात् श्रवण प्रतीकों को हम वर्णमाला के अक्षरों (लिखित भाषा) में परिवर्तित कर देते हैं।

सपीर द्वारा दी गई इस परिभाषा में “सम्प्रेषण” शब्द भी प्रमुख है। सम्प्रेषण का अर्थ है — वक्ता से श्रोता को और लेखक से पाठक को विचारों आदि का अंतरण। इस परिभाषा में प्रयुक्त “मानव” शब्द भी एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अभिप्रायः है कि हालाँकि जानवरों को भी अपनी भाषा होती है लेकिन वह भाषा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। भाषा इस अर्थ में “गैर—नैसर्गिक” है कि हम सचेत होकर बोलते हैं। दर्द की वजह से सहज कराहने की आवाज को भाषा नहीं कहा जा सकता।

वैसे तो हिंदी भाषा का इतिहास अतिप्राचीन है, परंतु आधुनिक काल में इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। स्वतंत्रता के दौर से यही भाषा देशभक्ति की अलख जगा कर राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप पाती आ रही है। हिंदी स्वराज की भाषा है। पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली यह भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार तो है ही, साथ ही प्राचीन सभ्यता एवं आधुनिक प्रगति के बीच का सेतु भी है। राजभाषा हिंदी को एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकारा गया है, जो अपनी एकरूपता और उत्कृष्टता से हमारे मनोभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। वैश्विक मंच पर भी यह अपनी मजबूत पहचान बना रही है।

हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की अविरल धारा हमारी भाषाओं, संस्कृति और लोकजीवन में सुरक्षित रही हैं। भारत में स्थानीय भाषाओं का योगदान हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अतुलनीय रहा है। इन भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। हिंदी उन समस्त भारतीय भाषाओं की मूल परंपरा से है जो इस देश की मिट्टी से उपजी है। यहीं पुष्पित, पल्लवित हुई है और जिन्होंने अपनी शब्द—संपदा, भाव संपदा रूप, शैली और अपने

पदों से हिंदी को लगातार समृद्ध किया है। राजभाषा हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है और हमारी सभी भाषाओं का विकास एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही संभव है।

तेजी से बदलती दुनिया में हिंदी वैश्विक मंच पर संशुद्ध रूप से अपनी पहचान स्थापित कर रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हिंदी भाषा को अपनी गैर-सरकारी भाषाओं में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1946 में पारित बहुभाषावाद के प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों को हिंदी के माध्यम से दुनियाभर में हिंदी भाषियों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य के तहत हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। हिंदी भाषा को यह सम्मान मिलना भारत के लिए बड़ी सफलता है।¹²

विशेषज्ञों ने माना है कि, "संस्कृत के बाद हिंदी कम्प्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। इसका कारण है इसका लिखित और बोलचाल का स्वरूप एक जैसा होना। हिंदी को जब से यूनिकोड और तकनीक का सहारा मिला है तब से हिंदी इंटरनेट पर सबसे तेज गति से प्रसारित होने वाली भाषा बन गई है। ज्ञान और विज्ञान का निरंतर प्रसार अब इस भाषा के माध्यम से नवाचारों को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए जिससे डिजिटल डिवाइड से बचा कर हम अपनी भाषा के समृद्ध ज्ञान भंडार को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट पर सक्रिय है। हम उनके लिए ऐस प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे व वहां सहज होकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकें।"³

एक और बात का ध्यान हमें अभिभावक होने के नाते देना होगा। अपने बच्चों में भाषा के संस्कार बचपन से ही देने का प्रयास करें। बच्चों को हिंदी की गिनतियाँ, पहाड़े और छोटी-छोटी कविताएं सिखाएं, उनसे हिंदी में बात करें। भारतीय संस्कृति की आत्मा तो इसकी अपनी भाषाओं में ही समाहित है। एक विदेशी भाषा की बैशाखियों पर हम अपने बच्चों का सुदृढ़ भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते। बेशक व्यवसाय एवं आजीविका के लिए बच्चे विदेशी भाषाएं सीखें परंतु अपने देश की विरासत से जुड़ने के लिए अपनी मातृभाषाओं को ही माध्यम बनाएं। तकनीक के माध्यम से हो रहे नए प्रयोगों को हम निरंतर संवर्धित करते रहें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भाषा के संस्कारों से अभिसिंचित करते रहें।

"किसी लोकतांत्रिक देश में सहकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जनसामान्य में लोकप्रिय हो। हिंदी की इन्ही विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।"²

इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई। राजभाषा की इस विकास यात्रा में हमने कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। "विगत कुछ वर्षों से सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करने के लिए गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रवासरत है जिससे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी का काम-काज तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में गृह मंत्रालय में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जाता है तथा कई अन्य मंत्रालयों में माननीय मंत्री भी अपना अधिकांश कार्य राजभाषा हिंदी में करते हैं।

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएँ रखी गयी थीं और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं। “भारत की सभी भाषाएँ महत्वपूर्ण हैं और अपना समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हिंदी ने जनमानस के मन में विशेष स्थान प्राप्त किया है। यही कारण है कि आजादी के आंदोलन में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को संपर्क भाषा बनाकर आंदोलन को गति प्रदान की। ‘स्वराज’ प्राप्ति के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वभाषा का आन्दोलन निहित था।”⁵ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।

दैनिक जीवन में अधिकाधिक रूप में हिंदी का प्रयोग करना जनता का कर्तव्य है। ईमानदारी से हिन्दी-ज्ञान का प्रसार, विस्तार और हिन्दी को एकरूपता प्रदान करना हिन्दी के माध्यम से रोटी कमाने वालों का नैतिक दायित्व है। घर और समाज की मानसिकता को बदलकर ही हम हिन्दी-वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, हिन्दी की श्रीवृद्धि में योग दे सकते हैं। घर में एक हिन्दी बोलें हिन्दी के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं को खरीद कर पढ़ें, हिन्दी की श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ने का स्वभाव बनाएँ, निजी पत्र-व्यवहार हिन्दी में करें। अहिन्दी-भाषी प्रांतों में तथा विश्व के राष्ट्रों में महत्वपूर्ण हिन्दी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ सैंकड़ों की संख्या में निःशुल्क भेजनी चाहिए। हिन्दी शोध-ग्रन्थों, सन्दर्भ-ग्रन्थों तथा विशिष्ट ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों की एक-एक प्रति सरकारी अनुदान में विश्वविद्यालयों तथा शोध-संस्थाओं में पहुँचनी चाहिए। जनता और सत्ता, दोनों मिलकर जब हिन्दी को सच्चे हृदय से अपनाएँगे, राजनीति के छल-छद्म से दूर रखेंगे, तो निश्चय ही हिन्दी का विकास द्रुतगति से होगा और माँ भारती का सुंदर श्रृंगार होगा।

राष्ट्रभाषा की वाणी है। “बापू ने कहा था—“राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है। राष्ट्र के हृदय की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा द्वारा ही होती है। अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है। ‘भारत’ से तात्पर्य केवल भारत की मिट्टी, नदियाँ, पहाड़ जंगल नहीं, वरन् भारत की जनता से है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत है। देश का हर व्यक्ति जब यह अनुभव करेगा कि यह देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ, तब बहुत सी समस्याओं का समाधान सहज हो जाएगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं से हिन्दी अपने विकास के लिए शब्द-भण्डार लेगी। यहाँ तक कि वाक्य-विन्यास भी ग्रहण करेगी। हिन्दी भारतीय भाषाओं के विकास की अवरोध नहीं है। वह भी एक भारतीय भाषा है और अपनी भगिनी भाषाओं के विकास के लिए निरंतर सजग है।

विश्व-स्तर पर हिन्दी के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। विश्व के अन्य देशों में विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की सुविधाएँ बढ़ रही हैं। विदेशी विद्वान हिन्दी में लिखने बोलने लगे हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसी शुद्ध और साफ हिन्दी बोलते हैं कि आश्चर्य होता है। इन विद्वानों के भाषण सुनकर इस बात का प्रमाण स्वतः मिल जाता है कि हिन्दी केवल भारत की राष्ट्र भाषा ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की भाषा बनकर रहेगी। इस समय जनसंख्या (भाषा-बोधक) की दृष्टि से हिन्दी विश्व की तृतीय भाषा है, जिसके बोलने और समझने वाले 51 कोटिजन के लगभग या उससे अधिक हैं। प्रथम स्थान पर चीनी और दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा का है। हिन्दी भाषा के भावीरूप पर चार दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—(1) लोक सम्पर्क की

जनभाषा के रूप में, (2) साहित्यिक एवं शिक्षा के माध्यम की भाषा के रूप में (3) प्रशासकीय भाषा के रूप में, (4) विश्वभाषा के रूप में। इन सभी रूपों में भाषा के विकास और उसकी समृद्धि में ही हिन्दी भाषा की गरिमा निहित हो चुकी है तथा उत्तर और दखिण के निवासियों को एक-दूसरे से मिलने की अधिक सुविधा है, इससे इसके भावी रूप में और भी सहजता आएगी। उसमें केवल हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों के ही सरल शब्द नहीं होंगे। अन्य प्रदेशों के शब्द भी अपने आप घुल-मिल जाएंगे। जनभाषा के रूप में भाषा नया रूप ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती है।

साहित्यिक भाषा की दृष्टि से हिन्दी अन्य आधुनिक भाषाओं की भाँति लगभग एक हजार वर्ष से विकसित होती चली आ रही है। इसमें गद्य और पद्य, दोनों रूपों में पर्याप्त सम्पन्नता है। कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि पद्य-गद्य विद्याओं की दृष्टि से खड़ी बोली हिन्दी किसी भी प्रकार से अन्य भारतीय भाषाओं से पीछे नहीं है। सर्जनात्मक साहित्य की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र आदि विषयों तथा विज्ञान के क्षेत्र में इसकी गति अधिक नहीं है। आज भी विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम की भाषा के रूप में चुनता है, क्योंकि हिन्दी में प्रामाणिक पारिभाषित शब्दावली का अभी तक अभाव बना हुआ है। पारिभाषित शब्दावली निर्माण के सन्दर्भ में विभिन्न विवाद है, निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए तो हमें सामंजस्यवादी होकर सभी स्रोतों से शब्दावली का निर्माण करना है। अंग्रेजी भाषा का निर्माण लेटिन और ग्रीक की शब्दावली से हुआ है और इस दृष्टि से संस्कृत शब्दावली हिन्दी के लिए अपरिहार्य है।

आज राजनीतिक स्तर पर विरोध होते हुए भी हिन्दी का प्रशासन में व्यवहार चल रहा है। प्रशासकीय हिन्दी व्यावहारिक होती है, अलंकृत या काव्यात्मक नहीं। सरकारी कार्यालयों में इसका व्यावहारिक रूप प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण और पत्र-व्यवहार आदि में देखा जा सकता है।

इस प्रकार हिन्दी के भावों रूपों का हिन्दी जनसामान्य और कार्यालयों के कर्मचारियों से लेकर विद्वानों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों तथा बुद्धिजीवियों और संस्थाओं द्वारा सम्पन्न हो रहा है। अब केवल हिन्दी प्रदेश में ही इसे विकसित और निर्मित नहीं होना, भारत के सभी राज्यों में इसे स्थान प्राप्त करना है और अपने रूप निर्माण में वहाँ की भाषा के शब्दों का भी आत्मसात् करना है। विश्वभाषा के रूप में भी इसको आत्मसात् करना है। विश्वभाषा के रूप में भी उनकी उज्ज्वल संभावनाएँ हैं। कुछ विरोध और कुछ समस्याएँ इसके विकास-मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं, पर भविष्य में इनका समाधान अनिवार्यतः होगा ही।

आज श्रीलंका, हालैण्ड, पोलैण्ड, फिलीपाइन, वियतनाम, डेनमार्क, चीन इजराइल, हांगकांग, दक्षिण रोडेशिया, सूडान, आस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, गुयाना, जमैका आदि राष्ट्रों में भी हिन्दी पढ़ने की रुचि इन राष्ट्रों के नागरिकों में भी है। इसमें संदेह नहीं है कि अब विश्व के राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति और हिन्दी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नवीन जागृति पैदा हो गई है और इस प्रकार हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आरुढ़ हो गई है। आवश्यकता इस बात की है कि विविध राष्ट्रों में स्थित हमारे दूतावास अंग्रेजी के मोह को छोड़कर उन राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति और हिन्दी का प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय सहयोग दें। विश्व में एक विशाल जनसमूह की भाषा होने के कारण हिन्दी संयुक्त राष्ट्र-संघ की भाषा बन सकती है। संयुक्त राष्ट्र-संघ की भाषा बनने हेतु किसी भी भाषा में जो योग्यताएँ होनी चाहिए, वे सब हिन्दी में मौजूद हैं। हिन्दी किसी भी क्षेत्र में विश्व की किसी

अन्य भाषा से पीछे नहीं है। भारत में अन्य भारतीय भाषा-भाषी भी जानते हैं। नेपाल, भूटान, और सिक्किम में भी हिन्दी समझी जाती है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों के अलावा विश्व के लगभग 103 विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है।

हिन्दी की परम्परा और इतिहास बहुत प्राचीन है। साहित्यिक और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी उन्नत और विकसित भाषा है। आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी वह प्रतिष्ठित हुई है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिन्दी विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की भाषा है। इस प्रकार जनसंख्या, समृद्धि और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की दृष्टि से हिन्दी का स्थान विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

यद्यपि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिलने का प्रश्न सैद्धान्तिक, भावनात्मक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से काफी तर्कसंगत और उपयुक्त है, तथापि इसको इस रूप में प्रतिष्ठित कराने में कुछ कठिनाईयां हैं। इसके विरुद्ध एक तर्क यह दिया जा सका है कि हिन्दी केवल एक देश की भाषा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता के लिए जो अनेक देशों का समर्थन मिलना चाहिए, वह शायद हिन्दी में नहीं मिल सकेगा। इसका उत्तर यह है कि चीनी भी केवल एक ही देश की भाषा है और यदि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश मिल सकता है, जो हिन्दी को क्यों नहीं मिलना चाहिए?

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन का यह कथन अत्यन्त प्रासंगिक है कि— “भाषा और संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले राजनीतिज्ञ आते हैं और चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति की प्रतीक हिन्दी सदा अमर रहेगी।”

संदर्भ साहित्य :-

1. Edward Spair: Rifferences in language and culture. पृ०-3
2. वहीं, पृ०-9
3. राजभाषा विभाग, भारत सरकार का लेखा, 12 सितम्बर 2022
4. संस्कृत एवं कम्प्यूटर भाषा : एकलव्य सस्थान, पृ०-14
5. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा का लेख दिनांक 14 सितम्बर 2014
6. हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण : कैलाश चन्द्र भाटिया, पृ०-219
7. हिन्दी भाषा : कल आज, कल : पूर्णचन्द्र टण्डन, मुकेश अग्रवाल, पृ०-67
8. हिन्दी भाषा : वैश्विक परिप्रेक्ष्य, पृ०-217
9. हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का पारचरिक सम्बन्ध : आलेख।
10. विश्व भाषा की हिन्दी के ओर बढ़ते कदम : डा० राकेश शर्मा, लेख।

ईमेल—tripathipraves439@gmail.com



हिन्दी में रोजगार

प्रांशु बंजारे
शोधार्थी,

साहित्य और भाषा के विद्यार्थियों के मन में यह शंका बनी रहती है कि वे उपाधि प्राप्त करने के बाद कहां और किस रूप में रोजगार की तलाश करें? साथ ही प्राप्त शिक्षा-दीक्षा का रचनात्मक उपयोग किस प्रकार करें? इस तरह के अनेकों प्रश्न मन में उठते रहते हैं। इन सब प्रश्नों का जवाब इस आश्वस्त में है कि यदि हमारा संकल्प शुद्ध है और यदि हमारे पास श्रम और साधना का मंतव्य है तो हिन्दी में अपार सम्भावनाएं मौजूद मिलेंगी। यह बात तो हम जानते हैं कि देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक हैं, इसमें कोई दो-राय नहीं है। लेकिन वो बेरोजगारी हर क्षेत्र और हर वर्ग में विद्यमान है आज जो इंजीनियरिंग किये हुए हैं, जो डॉक्ट्रेट किये हुए हैं, चाहे वो मेडिकल फिल्ड में हो या शिक्षा के क्षेत्र में, एम.बी.ए. किये हुए हैं, कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित हैं, बेरोजगारी का आलम वहा भी बराबर मात्रा में दिखाई देता है। लेकिन इनकी तुलना में हम आयामों या सम्भावनाओं की बात करें तो हिन्दी में सम्भावनाएं अधिक है। बशर्ते कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें और वह तैयारी अत्यंत आवश्यक है।

हमारी सोच यह नहीं होनी चाहिए की उपाधि नौकरी की गारंटी है। इस भीड़ तंत्र में हमें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। एक प्रकार से हम सब दौड़ में हैं। इसलिए जब हम दौड़ में है तो हमें उसमें सबसे आगे रहना है। तभी हमें उसके महत्ता का बोध होता है। वर्तमान दौर में विद्यार्थियों के सामने एक बड़ा संकट यह है कि वो, भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण आयाम के प्रति उदासीन दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थी ये मान रहे है कि पढ़कर, रटकर, स्मरण या कंठस्थ करके जो उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उसके आधार पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसके विपरीत जब तक हमारे पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस उपाधि का या उस शिक्षा दीक्षा का पूर्ण लाभ हम नहीं उठा सकते। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भाषा और साहित्य का अध्ययन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसके लिए अनुप्रयोग का गुण और वैशिष्ट्य हासिल करना भी है। यदि हम हिन्दी के माध्यम से रोजगार की ओर उन्मुख होना चाहते हैं तो भाषा पर अनुप्रयोग का अधिकार और साहित्य की समझ अर्थात् बोधगम्यता दोनों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तब हमें हिन्दी में रोजगार की दृष्टि से उदासीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन बराबर अवसर प्राप्त होगा।

यदि हमें हिन्दी में रोजगार की सम्भावनाएं तलाशनी हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि हममें भाषा अर्जन की शक्ति हो। भाषा हमें पारिवारिक विरासत में नहीं मिलती, भाषा हम अपने माता-पिता व समाज से सीखते जरूर हैं, लेकिन यदि उस सीखे हुए भाषिक आयामों का प्रयोग नहीं करते तो फिर हम उसे

जिंदा नहीं रख सकते। इसलिए जो भाषा हमने अपने वातावरण, माता-पिता, परिवार आदि से सीखी है, उसका निरंतर अभ्यास और प्रयोग जरूरी है। अभ्यास के अभाव में वो कला स्थाई रूप से हमसे जुड़ी नहीं रह सकती। अतः भाषा को चार प्रकार से अर्जित किया जा सकता है :-

1 अधिक से अधिक बोलना :-

हम जिस किसी भाषा में अधिकार चाहते हैं, हम जिस किसी भाषा में लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति की विश्वसनीयता चाहते हैं उस भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक है।

2 अधिक से अधिक पढ़ना :-

किसी भाषा में अधिक पकड़ बनाने के लिए उसके साहित्य की किताबें, पत्र-पत्रिकाएं, ब्लॉग, विज्ञापन आदि का सतत अध्ययन आवश्यक है। इससे ज्ञानवर्धन के साथ-साथ वाक्य के अनुसार शब्द के अर्थ का बोध होता है तथा यह बात भी पता चलती है कि उसका प्रयोग कहां और कैसे करना है। अद्यतन, अधुनातन, वैश्विक जानकारी को अर्जित करना भी रोजगार की ओर ले जायेगा।

3 अधिक से अधिक सुनना :-

अपने कथन शैली को कर्ण प्रिय बनाने, उसके प्रस्तुतीकरण पर अधिकार तथा भाषा विज्ञान संबंधी सटीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनना बहुत आवश्यक है। हम साहित्य के अच्छे वक्ता दूरदर्शन के समाचार, रेडियो की बातचीत को सुनकर भी अपनी भाषायी अधिकार को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं।

4 अधिक से अधिक लिख कर :-

भाषा में अपनी पकड़ स्थापित करने व शब्द भंडार बढ़ाने के लिए लेखन अभ्यास आवश्यक है। हम नये-नये शब्दों को डायरी में लिख कर, अर्थ ग्रहण करने के पश्चात् उनका प्रयोग व्यवहार में ला सकते हैं। अपने विचारों को एक लेख, कविता, पत्र, निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि के रूप में सतत लेखन का अभ्यास कर भाषा की बुनावट का सही अंदाजा प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार साहित्य के साथ समय गुजारने पर हम अपने अंतःवृत्ति का अवलोकन, मूल्यांकन कर यह जान सकते हैं कि हमारा झुकाव किस ओर है। जैसे- अनुवाद, मीडिया (इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट), लेखन, वाचन, शासन, प्रशासन आदि। फिर उस ओर अपना कैरियर को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यदि हिन्दी में रोजगार का वर्तुल खोलें तो इसके क्षेत्र काफी वृहद् हैं, अग्र लिखित भाग में एक-एक कर उन तमाम क्षेत्रों का वर्णन है, जहां-जहां हमको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है।

मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

वर्तमान समय में मीडिया मतलब केवल अखबार का नाम नहीं है वरन् इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया का भी बोल-बाला अपने उत्कर्ष पर है। प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत विभिन्न अखबार, पत्र-पत्रिकाएं शामिल हैं जो कि देश भर में विस्तारित हैं। ऐसे में पत्रकारिता की पढ़ाई कर संवाददाता, पत्रकार, संपादक आदि पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र में यदि दृष्टिपात की जाये तो सारे समाचार चैनल इसके अन्तर्गत आते हैं। अतः इसकी पढ़ाई करके समाचार चैनलों में अच्छे ओहदे को प्राप्त किया जा सकता है। वेब मीडिया का चलन आधुनिक दौर में काफी तेज है, इसके क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। वेब मीडिया के अन्तर्गत हमें वे सभी समाचार पत्र, पत्रिकाएं सॉफ्टकॉपी के रूप में इंटरनेट पर मिल

जाते हैं। इनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाईल, ट्वीटर हैंडल उपलब्ध है, इन सभी जगहों पर स्टाफ को रखना पड़ता है ताकि उनमें सतत कंटेंट पोस्ट किया जा सके। ऐसे में उन्हें युवा पत्रकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक अवसर यहा भी मौजूद मिलता है।

वहीं सोशल मीडिया में फेसबुक, इंटरनेट और यू-ट्यूब की बात करें तो हिन्दी में बहुत स्कोप (दायरा) हैं। जिसमें यू-ट्यूब की महत्ता सर्वाधिक है आज के दौर में ऐसे बहुत से युवा यू-ट्यूबर हैं, जो यू-ट्यूब पर अपना इन्ट्रेस्टिंग कंटेंट डालकर काफी धन अर्जन कर रहे हैं। ध्रुव राठी, नज़मा आपी, लल्लनटॉप तथा ए.बी. पी न्यूज, आजतक आदि के यू-ट्यूब चैनल इनके उदाहरण हैं। अतः हम यदि यू-ट्यूब को मोनिटाइस कर लेते हैं तो उसमें धन अर्जन भी शुरू हो जाती है।

हिन्दी सिनेमा एवं टेलीविजन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

एक दौर था जब सिनेमा केवल पर्दे पर देखा जाता था पर अब ऐसा नहीं है, आज नेटफिलक्स, अमेज़न प्राईम, हॉटस्टार का जमाना है। वेब सिरीज का फैशन है। अतः हिन्दी सिनेमा में क्या-क्या कैरियर हो सकता है यह सोचें तो स्क्रिप्ट राइटिंग एक बेहतर विकल्प है क्योंकि जो फिल्म या टी.वी.सिरीयल बनती है उसकी एक स्क्रिप्ट होती है उसह के हिसाब से पूरी कहानी चलती है। वही एक विकल्प डायलॉग राइटिंग भी है। कोई भी फिल्म या टी.वी.सीरियल बनती है तो उसमे संवाद योजना भी शामिल होती है जो उस संवाद को लिखता है वह डायलॉग लेखक कहलाता है और एक अच्छे डायलॉग लेखक की आवश्यकता हिन्दी सिनेमा में हमेशा से रही है। हिन्दी फिल्म जगत में रोजगार का एक विकल्प लिरिक्स राइटिंग भी है। कुछ लोगों की रुचि गीत लेखन में होती है। प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे, मनोज मुंतशिर आदि कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गानें लिखकर अपना काफी नाम किया है। इस प्रकार से सिनेमा के क्षेत्र में ये तीन आयाम हैं जहां हम अपना कैरियर जमा सकते हैं। वही अवसर टी.वी. के क्षेत्र में भी मौजूद हैं।

विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

हिन्दी के जो स्लोगन्स लिख सकें ऐसे लोगों की आवश्यकता विज्ञापन के क्षेत्र में सदा से रही हैं। जनता के मन को समझकर उसके हिसाब से पंच लाईन लिखना एक अद्भुत कला है। अतः हिन्दी में विज्ञापन लेखन में अच्छा कैरियर मौजूद है क्योंकि बाजार हिन्दी का है। भारत सवा अरब की जनसंख्या, जिनमें 60 से 70 फिसदी से ज्यादा लोग हिन्दी में पढ़ते, लिखते, सुनते हैं, हिन्दी मीडियम को अपनाते हैं ऐसे में हिन्दी टेलीविजन, सिनेमा में विज्ञापन की जरूरत होती है और विज्ञापन के लिए अच्छे राइटर की। विज्ञापन के साथ ही एक स्कोप डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी है, जिसका जिक्र विज्ञापन के साथ ही होता है। कोई ग्रुप, कंपनी या संस्था का सोशल मीडिया पर एडवरटाईसमेंट करना, डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आज के दिनों में हर कंपनी, हर संस्था का डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया के साथ टाईअप रहता है, तो यह भी एक क्षेत्र है हिन्दी में रोजगार का।

शिक्षण और शोध के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

हिन्दी में शिक्षण के कई स्तर उपलब्ध हैं प्राथमिक, माध्यमिक, इंटरमिडियट स्तर से लेकर कॉलेज, युनिवर्सिटी के स्तर तक, जहां शिक्षक की महत्ती आवश्यकता होती है। यदि स्कूल स्तर पर बात की जाए तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल लगभग देश भर में मौजूद हैं जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है, इंटरमिडियट

स्कूल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर यदि बात की जाए तो भारत की ज्यादातर विश्वविद्यालयों में हिन्दी के डिपार्टमेंट उपलब्ध है जहां शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों, प्राध्यापकों की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती रही है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी विषय पर रोजगार के व्यापक अवसर मौजूद हैं।

शोध के क्षेत्र में भी हम नेट जे.आर.एफ. की परीक्षा पास कर जुनियर रिसर्च फ़ैलोशिप का लाभ उठाकर अच्छे विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं।

लेखन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

लेखन के क्षेत्र में भी रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। हम कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि संबंधित किताब लिख सकते हैं। किसी समाचार पत्र के लिए रचनात्मक लेखन जैसे— आर्टिकल, फीचर आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के साथ-साथ फ्री लान्स लेखन भी किया जा सकता है। साहित्य और कविता पाठ के क्षेत्र में देखें तो कवि सम्मेलन इन दिनों रोजगार का प्रबल माध्यम बना हुआ है। हम हिन्दी काव्य मंचों में कविता सुनाकर अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं।

अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

यह हिन्दी में कैरियर बनाने वालों के लिए ध्यानाकर्षण का क्षेत्र है। आने वाला जो भविष्य है वह अनुवाद का भविष्य है पूरी दुनिया का अच्छा साहित्य, ज्ञान की बातें, साहित्य ही नहीं अन्य विषय से संबंधित इनफारमेटिव चीजों का एक भाषा से दुसरे भाषा में अनुवाद होते हैं। इसके लिए हिन्दी में बहुत स्कोप है क्योंकि एक अच्छे अनुवादक की आवश्यकता हिन्दी हमेशा रही है। जो की पर्याप्त मात्रा में मिलते नहीं हैं। अतः जो हिन्दी में कैरियर बनाना चाहते हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो अनुवाद में एक वर्ष या छः महिने का कोर्स कर सकते हैं, यह इग्नू से भी होता है और कई जगह अनुवाद में डिप्लोमा कोर्स भी होता है वो भी किया जा सकता है। अनुवाद की खास बात है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी बराबर अवसर मौजूद है।

सरकारी क्षेत्र में एस.एस.सी. से जुनियर हिन्दी ट्रांसलेटर की परीक्षा पास कर बहुत अच्छी सैलरी पर भारत सरकार में ट्रांसलेटर बन सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, सरकारी कंपनियों एवं बैंक के क्षेत्र में भी अनुवादक, राजभाषा अधिकारी या हिन्दी अधिकारी के रूप में भर्तियां होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े प्रोजेक्ट लेकर उनका हिन्दी अनुवाद कर के अच्छी खासी आय कमाया जा सकता है।

प्रशासन और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर :-

बहुत से परीक्षाएं ऐसी है जिनमें हिन्दी का पेपर होता है। पी.सी.एस., कई राज्यों के सिविल सेवा परीक्षाओं में तथा आई.ए.एस. के परीक्षा में हिन्दी का पेपर होता है, जिनमें हिन्दी एक मुख्य विषय के रूप में होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी होती हैं, जिनमें हिन्दी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमें हिन्दी का ठीक-ठाक व्याकरणिक ज्ञान है तो उस परीक्षा के द्वारा भी हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

हिन्दी अकादमी के प्रकाशन विभाग में रोजगार के अवसर :-

हिन्दी अकादमी राज्य और केन्द्र दोनो स्तर पर उपलब्ध हैं। जहां सरकारी महत्ता की किताबों का मुद्रण व्यापक स्तर पर होता है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि अनेकों संस्थाएं हैं जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध है। इनके अलावा राजकमल प्रकाशन समूह, वाणी प्रकाशन,

प्रभात, राजपाल, वेसलैण्ड आदि संस्थानों में भी रोजगार उपलब्ध है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दी में यदि अच्छी पकड़ स्थापित कर ले तो रोजगार के अनेकों अवसर मौजूद हैं। इसके लिए हमें अपना लकीर बड़ा करना पड़ेगा बजाए दूसरे के लकीर छोटे करने के। खुद आगे बढ़ कर एक कीर्तिमान गढ़ें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनायें। कविता के क्षेत्र में डॉ. कुमार विश्वास, सिनेमा में प्रसुन जोशी, मीडिया में सौरभ द्विवेदी, प्रशासन के क्षेत्र में कृष्णकांत पाठक, जितेन्द्र सोनी, किरण कौशल, निशांत जैन आदि अनेकों व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे ही सतकर्म कर अपना और हिन्दी के माध्यम से हिन्दी का मान बढ़ाया।

संदर्भ सूची :-

1. हिन्दी भाषा में रोजगार के अवसर, विकास पाटील, प्रकाशक आर्ट्स एवं कामर्स कॉलेज, आष्टा पृष्ठ संख्या-7, 15, 31, 45, 54, 72, 90, 139, 145
2. विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धांत, नरेन्द्र सिंह यादव, राजस्थान ग्रंथ एकादमी पृष्ठ सं.-3, 10, 38, 71
3. सिनेमा साहित्य और समाज, प्रहलाद अग्रवाल (2012), अनामिका प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ सं.-16, 84,
4. पुस्तक समीक्षा : हिन्दी भाषा के अध्येताओं के लिए गूगल, ज्योतिमंगल 'ज्योतिप्रकाश', (सहायक प्रध्यापक यशवंत महाविद्यालय नांदेड़)
5. वेबपेज, लाईव हिन्दुस्तान, 09 जुलाई 2014
6. वेबपेज, नवभारत टाइम्स, 14 सितम्बर 2017



Role of Traditional knowledge in water conservation

Lakhan Kumar Tank

Project Associate at CSIR-TKDL New Delhi.

Abstract :-

With the increasing population, urbanization and pollution there is a huge pressure on the water resources. For the full-fill the need of every household's we need to implement the affective watershed management practices. It has been observed that involving local, indigenous and traditional communities and incorporating their knowledge as environmental management measures result in effective planning and forecasting strategies intended for addressing key environmental issues.

In this paper we are discussing about how our TK play a important role in water shed management practices. Many success stories of such integration have been recorded in the recent past from different part of the globe nevertheless, such stories still a rarity in many regions despite having an astounding a TK base. If the local and traditional actions and strategies are incorporated and promoted through scientific action plans, the greatest benefits could be derived for addressing water shed management practices.

Introduction :-

Traditional knowledge refers to the knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. TK is transmitted orally from generation to generation. It tends to be in the form of stories, songs, folklore, cultural values, beliefs, rituals and such kind of other activities which are generally practiced in the field of Agriculture, Health, Forestry and Environmental management in general.

The world intellectual property organization (WIPO) defines TK as the "knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation with in a community, often forming part of its culture or spiritual identity.

With in the broader purview of TK , Indigenous knowledge is significant in preserving the Environment and providing the local people with their day to day necessities. The United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) defines Indigenous knowledge (IK) as "Local and indigenous knowledge refers to the understanding, skills and philosophies developed by

societies with long histories of interaction with their natural surroundings”. Over an extensive succession of observations conveyed from one generation to another, indigenous people have a historical continuousness of practices an resource use practices and often own a wide ranging knowledge base on the intricate ecological structures in their own vicinities (Gadgil at al.,1993).Mostly, the term indigenous and TK are use interchangeably as they possess a range of common characteristics.

Over all, with in the research and development areas, TK has established itself into a topic of considerable attention with the impact of this knowledge in management and conservation increasingly recognized, and its implementation efforts are taking place in several countries(Uprety et al., 2012).for instance, in the area of water resource management traditional and indigenous knowledge has been able to attain increasing research attention. This is because Traditional harvesting, storage and other water associated knowledge have allowed the indigenous communities to subsist in conditions such as arid lands and survive in drought for ages (Johnsten,2012).Today, the traditional practices are frequently considered to be promising particularly towards sustainable uses of resources and conservation (Pei et al., 2009).If the local and traditional actions and strategies are incorporated and promoted with scientific action plans, the utmost benefits could be derived for addressing major environmental concerns. In this context, the scientific persons should ensure that the environmental management and resources conservation schemes that are being under-taken covers elements that are both culturally relevant and scientifically useful.

In this paper, an attempt has been under taken to address the TK system for water conservation and management.

Traditional knowledge in water conservation/harvesting and management in India :-

Nature has gifted India with extra ordinarily rich endowment of diverse and distinctive water bodies. Our ancestors had designed and developed hundreds of water harvesting systems indifferent parts of the country. They may have different name like Johads, ahars, bawdis, talabs, vavs, eris and others. But their underlying theme has remained same “ Save Water with Public Participation”.

The TK provides substantial contribution toward addressing major socioeconomic and environmental apprehensions ranging from water and agriculture to issues associated with climate change and mitigation of natural disasters.

Naturally, the local people decided the design and structure of each system based on the terrain and rainfall pattern of the region. Hance , each eco-zone of India developed its unique technique for harvesting water. In scientific perspective, their knowledge of smaller water recharge structures(Khal’s) or bigger water bodies(Tal’s) in higher reaches of the habitation or agricultural land played an important role in the recharge of springs, rivulets, and gadheras.

There are several water harvesting system still very much in use in different parts of our country. We would here mention few water harvesting technique's employed in various parts of India.

Rajasthan, Gujarat and the Western Deserts :-

Great thar desert receives very little rainfall. Traditionally the rain water was captured and stored in ponds and underground tanks. For example, tarais (reservoirs) were built in the valley between sand dunes by constructing bunds at the two ends when it rained, the rain water was collected in the reservoir. Every effort was made to catch every drop of rain water by building tanks, lakes, ponds, wells and drainage canals.

KHADINS :-

The Khadin system is a runoff agricultural system, in which, the runoff water from the high catchment area is stored with the help of a Khadin bund where it is impounded during the monsoon season. This water is then used for irrigation. The Khadin soil remain moist for a long period because of water storage and chemical weathering, decomposition along with the activities of the microbes, which eventually raise the organic matter and other nutrient content of the soil.

Khadin have functioned efficiently for centuries maintaining the soil fertility. The Paliwal Brahmins of Jaisalmer are said to be the pioneers of this technique in the 15th century. The king gave lands to the Paliwals and asked them to develop Khadins on the land. The ownership of the land would remain with the King. The Paliwals used to get a share in the harvest. This system has great similarity with the irrigation methods of the people of Mesopotamia around 4500 BC.

Tankas/Tanks :-

Tankas are underground small tanks and are popular in Bikaner. Tanka is a round or rectangular underground room in a house that functions as a water tank. Rainwater from the roof or terrace is directed towards an opening in the floor that leads to the Tanka. Rainwater is collected in these circular holes, lined with fine polished lime, made in the ground. Tankas are often beautifully decorated with tiles. These tiles help to keep the water cool. The water was only used for the drinking purpose. In water scarce arid regions, tankas save families from the everyday drudgery of fetching water from distant sources.

In contrast, tanks (sagar/jheel) are generally constructed with large walls on four side and an almost impermeable floor, with enormous water holding capacity. These are the oldest source of water for irrigation. Most of them are small reservoirs with earthen walls, used for storing water diverted from a stream or run off. The tanks are provided with a large catchment area and a system of canals.

Kuis/Beris :-

Dug mostly in western Rajasthan, the Kuis are 10-12 metre deep pits in the vicinity of tankas to collect leaking or oozing water. When 6 to 10 Kuis are constructed together, the entire system is then called Paar system. Rainwater harvested through such system is called Patali Paani.

Kuis can also be used to harvest rainwater in areas with scant rainfall. The mouth of the pits usually made very narrow which reduces the evaporation of the stored water. The pit gets wider as it gets deeper, so that water can seep into a large surface area. The openings of these earthen structures are generally covered with planks of wood, thus remain mostly kuchcha. This water is used sparingly, as a last resource in crisis situations.

Virdas :-

Virda are shallow holes, which are made in the sands of dry riverbeds and lakes for collecting drinking water. They are found all over the Banni grasslands, a part of the great Rann of Kutch in Gujarat. First a depression or Jheel is excavated up to depth of 2 to 5 meter depending on the type of soil and level of salinity. This helps in removing the salinity embedded in the topsoil and non-permeable clay. Such a dug area looks like a small pond. Such depressed structure helps in storing more amount and longer retention of monsoon runoff, leading to enhanced infiltration to shallow aquifers.

The most important structure in this whole water system is Virda or dug well. Within a jheel, 10 to 20 wells of approximately 1 to 1.5 meter of diameter and 3 to 5 meter of depth are dug. These dug wells are framed from inside in square form with wooden trunks to support them. Further on the inner side of these trunks, the locally available grasses mixed with local soil are filled very thickly and they work as a filter as well as fill the macro pores. The upper portion of these dug wells is plastered with the clay.

In Virdas, the sweet freshwater remains in the upper layer from which the water is collected, and the saline water remains below the freshwater zone because of its higher density. The harvesting system depends on the grass cover of the adjacent areas that is essential for free infiltration of groundwater. The Maldharis (local nomadic people) first established these unique structures in the Rann of Kutch.

Stepwells :-

Stepwells are India's most unique contribution to the water architecture. They are called vav or vavadi in Gujarat, and baolis or bawdis in northern India. The stepwells of Gujarat consist of a vertical shaft in the middle from which water is drawn. This shaft is surrounded by corridors, chambers and steps that provide access to the well. Important stepwells are profusely carved and designed in such a way to serve as a cool resting place in summer. Thus many of them are constructed on old trade

routes to give comfort to the people.

Eleventh century made Mata Bhavani's vav in Ahmedabad is said to be one of the earliest stepwells. Rani ki vav (Queen's well) at Patan was built few decades after that is the grandest among all vavs. Some other fine examples of stepwells in Gujarat are Dada Harir's vav in Ahmedabad, and the octagonal vav at Adalaj, Gandhinagar.

Stepwells are open for all. Anyone can draw water from them. One can admire their beautiful arches, carved motifs and stepwells, as well as the rooms on their sides. Their grandness is befitting to any grand temple of ancient India. Their grandness is a testimony of the value attached to water by Indians.

The location of a baoli revealed its usage. Baolis within villages were mainly used for utilitarian purposes and social gatherings. Baolis on trade routes were often frequented as resting places. Stepwells used exclusively for agriculture had drainage systems that channelled water into the fields.

South India :-

When we talk about water conservation practices in South India first picture comes to mind is of temple tanks. The temple tanks are known as Kovil Kulam in Tamil Nadu, Kulam in Kerala, Kalyani in Karnataka and Cheruvu or Pushkarini in Andhra Pradesh/Telangana. The temple tank is the focal point of several religious activities like the Theppam or float festival. Banks of the tank are also used for meditation and other rituals.

It has been mentioned that Chennai city alone once had over 50 temple tanks constructed to harvest rainwater and prevent flooding. In addition to it there were several hundred Yeris (artificial tanks) to hold rainwater. It is also said that the founder of modern Bangalore, Kempegowda built several tanks in and around the city.

Eri and Kulams :-

The southern state of Tamil Nadu in India has a rich water resource heritage. Tamil Nadu has no perennial river that can cover the whole state. This inspired people to use monsoon rains for irrigation and filling the ponds for consumption and other purposes. It has been mentioned that approximately one-third of the irrigated area of Tamil Nadu is watered by the Eris (tanks).

Without the Eri, the development of rice cultivation, which is the staple diet of the people, would not have been possible. A large number of irrigation tanks were built between 6th and 10th century A.D. during Pallava rule. From the beginning of the 16th century, rivers were partially diverted to fill these tanks quickly, which in turn, ensured food production.

Before the East India Company's rule, local communities maintained these Eris. For the maintenance about 4.5 percent of the gross produce of each village was allocated for the maintenance

of the Eris and other irrigation structures. If Eri is the broad irrigation tank, Kulam was the small pond close to a temple. Kulams were constructed by the local masons. A Kulam was built with bricks (and occasionally by granite) and was attached to a temple, giving it the name Kovil Kulam or temple tank.

Kudimaramathu is one of the old traditional practices of stakeholders participating in the maintenance and management of irrigation systems. In this, citizens of a village participate in maintaining the water bodies of their village by deepening and widening the lakes and ponds and restoring them back to their original form. The silt, rich in nutrients, collected in the process is used by the farmers themselves in their field. A sense of collective ownership ensured the continued survival of the water bodies.

Anicuts (check dams) were small or medium dams built across rivers to divert water into irrigation channels. The Grand Anicut or Kallanai was built by Karikala Chola in the second century A.D. It was made of stone and situated on the river Cauvery where the River Kollidam branches off. The Anicuts in Kanyakumari district were built many hundreds years ago.

Deccan and Maharashtra :-

In Maharashtra and Deccan, the elevation ranges from 1,000m in the south to 500m in the north. The rainfall is low to moderate. Many kinds of irrigation systems were in vogue in the region such as the wells, embankments across rivers and streams, reservoirs, tanks, etc.

Kohli Tanks :-

Kohli Tanks are called so because of the name of group of cultivators who built these tanks three centuries back. A network of channels to practically carry water to every house was in existence in the Bhandara district of Maharashtra. The tanks were built on the slopes of the Gaikhuri range. The larger tanks were on the higher slopes, while the smaller ones were placed in the foothills. These tanks constituted the backbone of irrigation in the area until the government took them over in the 1950s. These are considered crucial for sugar and rice irrigation even today.

Bhandharas :-

These are a traditional system of check dams or diversion weirs built across rivers. These check dams also impound water and form a large reservoir called Bandhara. They raise the water level of the rivers so that the water flows into the channels. The water supply would usually last for a few months after the rains.

Phad :-

This traditional water harvesting system is more than four centuries old. Managed by the community, this irrigation system is prevalent in north-western Maharashtra. The system operated on three rivers in the Tapi basin - Panjhra, Mosam and Aram - in Dhule and Nasik districts. At few places

it is still used.

Kere :-

Tanks, called Kere in Kannada, were the predominant traditional method of irrigation in the central Karnataka plateau, and were fed either by channels branching off from Anicuts (check dams) built across streams, or by streams in valleys. The outflow of one tank supplied the next all the way down the course of the stream; the tanks were built in a series, usually situated a few kilometers apart. This series of tanks avoided the wastage of water through overflow and also ensured that the seepage of a tank higher up in the series would be collected in the next lower one.

Conclusion :-

Everybody wants revival of water bodies. But in enthusiasm to achieve the goal of revival of water bodies, we need to understand that one solution may not fit all. Depending on the purpose, ecological services, livelihood and socio- cultural practices, the approach, process and solution may vary from one water body to another.

Unless, we don't involve the local people, the revival of traditional water conservation systems and bodies will be unsuccessful. All traditional systems survived because of people's active participation. Water needs to be seen as a responsibility of both the government and the citizens, as well as a collective communal responsibility.

To take water conservation at the grassroots level through people's participation and urge stakeholders to create rainwater harvesting structures suitable to the climatic conditions and subsoil strata, we need to incorporate our traditional knowledge with scientific practices.

References :-

1. Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous knowledge for biodiversity conservation. *Ambio*, 22(2/3), 151– 156. <https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>
3. Johnston, B.R. (2012). Water, cultural diversity, and global environmental change: Emerging trends, sustainable futures? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris. Uprety et al., 2012, <https://www.wipo.int/tk/en/tk/>
5. Borthakur A., Singh P. Indigenous knowledge system in sustainable water conservation and management, http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/pdf/special_events/bozza_scheda_DOW
6. Bhalge, P. and Bhavsar, C. 2007. Water management in arid and semi arid zone: Traditional wisdom. International History Seminar on Irrigation and Drainage, Tehran-Iran, pp. 423-428.
7. Agarwal A., Narain S. (ed.) 1997. Dying wisdom: Rise, fall and potential of India's traditional water harvesting systems. (State of India's Environment – A Citizens' report, No. 4). Centre for Science & Environment (CSE), New Delhi, pp. 11-12.

Village Rampura khurd, Post-Malarana Teshil-Lawan, Distric-Dausa (Raj.) 303303,
namdevtailor1994@gmail.com, Mb-8285218160



कृषि विकास के साथ भूमि उपयोग परिवर्तन : एक मूल्यवान अध्ययन

डॉ. विजय कुमार

सह आचार्य, भूगोल, मोहता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सादुलपुर चूरु (राजस्थान)

प्रस्तावित शोध की परिचायात्मक विश्लेषण :-

पंजाब की पहचान पांच नदियों की जमीन और इसके पकवानों इतिहास और संस्कृति की चकित कर देने वाली विवधता के लिए हैं। चमकदार हरी उर्वर खेती की जमीन पानी की झिलमिलाहट, आकाश में नीले रंग के विभिन्न प्रकार आपको कभी खत्म न होने वाले जीवत का अहसास कराती हैं। पंजाब की चमत्कारी धरती पर उत्साही, सक्रीय और हमेशा खुश रहने वाले लोग रहते हैं, जो आपका खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कान से स्वागत करते है, पुरुष सतरंगी पगड़ी पहनते हैं वहीं महिलाएं बहुरंगी परिधान, चुड़िया रिबन और दुपट्टे पहनती हैं। यहां का संगीत भंगड़ा भी इस रंगबिरी और जिंदादिल संस्कृति को बढ़ावा देता है।

राज्य के आकर्षक शहर इसके पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ते हैं इनमें शामिल हैं, मनमोहक स्मारक, गुरुद्वारे पवित्र देवस्थल, मन्दिर आश्रम चौड़ी झिलें, अभ्यारण जो संग्रहालय और प्रवासी पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियों व जानवरों के घर हैं। पर्यटकों के लिए प्राचीन सभ्यता, समद्व-संस्कृति, मुंह में पानी ला देने वाले पकवानों और बेहतरीन खरीददारी के लिए यह एक आदर्श पर्यटन स्थल हैं।

प्रस्तावित शोध का उद्देश्य :-

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं देश का आर्थिक विकास वहां की जनसंख्या के वितरण, घनत्व एवं लोगों के जीवन स्तर पर निर्भर करता है। प्राकृतिक साधन निष्क्रिय होते हैं किन्तु मानव ही प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है। यदि क्षेत्र में पाये जाने वाले संसाधनों का ठीक प्रकार से दोहन किया जाये तो विकास सही ढंग से हो जाता है और यदि दोहन तीव्र गति से किया जाये तो विकास रुक जाता है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मानव संसाधन की वृद्धि पर नियन्त्रण हो सके। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि उत्पादन के अनुरूप नहीं होती है तो वहां के निवासियों का जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है एवं जनसमस्याएं पनपती है। जनसंख्या वृद्धि उत्पादन के अनुरूप नहीं होती है तो वहां के निवासियों का जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है एवं जनसमस्याएं पनपती है।

जनसंख्या में श्रमपूर्ति, कार्यक्षमता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि सभी तथ्य मानव शक्ति के रूप में प्रभाव दिखाते हैं। क्षेत्र की जनसंख्या का कृषि के सन्दर्भ में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि क्षेत्र की लगभग दो तिहाई से अधिक कार्यशील जनसंख्या वृद्धि में संलग्न है। अतः क्षेत्र की 80 प्रतिशत

जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जिले में जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। अतः प्रति इकाई भूमि पर उत्पादन में वृद्धि भी जरूरी है। कृषि में आधुनिकीकरण के कारण प्रति वर्ष उत्पादन भी विकास की ओर उन्मुख है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का कारण कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं नये कृषि साधनों का प्रयोग हैं। कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं नये कृषि साधनों का प्रयोग है।

प्रस्तावित शोध के स्रोत :-

देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्य समस्या को हल करने के लिए सघन खेती अति आवश्यक हैं। इस विधि से एक ही खेत में एक वर्ष में कई फसलें ली जा सकती हैं। इसके लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशी दवा तथा पानी की समुचित व्यवस्था है साथ-साथ समय पर कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति आवश्यक हैं। कृषि क्षेत्र में प्रायः सभी कार्य कृषि यंत्रों से करना सम्भव हैं, जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई एवं भंडारण आदि।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हैं। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती हैं यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किये जा सकते हैं। कृषि में यंत्रीकरण से निम्न लाभ हो सकते हैं।

1. कृषि उत्पादकता में 12-34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती हैं।
2. बीज सह खाद ड्रिल से 20 प्रतिशत बीज की तथा 15-20 प्रतिशत खाद की बचत होती हैं।
3. फसल सघनता को 05-12 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता हैं।
4. कृषकों की कुल आमदनी 30-50 प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती हैं।

हमारे फरीदकोट श्री मुक्तसर साहिब प्रदेश में भी कृषि यंत्रों का प्रयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा हैं। यहाँ के किसान मजदूरों की कमी की समस्या हैं। परिणामस्वरूप आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं।

प्रस्तावित शोध का महत्व :-

मानवीय अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का विशेष महत्व है। जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन एवं वन्य संसाधन पर दीर्घकाल तक निर्भरता के उपरान्त मनुष्य धीरे-धीरे कृषि विधियों को अपनाने लगा और कालान्तर में वही इन्हीं के द्वारा जीविकोपार्जन करने लगा। आज मानव के भरण पोषण में कृषि का प्रमुख योगदान है। इसी पर आधारित अन्य व्यवसाय भी मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उसकी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक बन गये हैं। कृषि के प्रचलन ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति की है। कृषि कार्य से उसके यायावर जीवन में स्थायित्व आया, उसे गृह निर्माण करना पड़ा, तथा कृषि में पशुशक्ति का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ एवं मनुष्य ने पशुचारण युग से वर्तमान अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया।

कृषि का श्रीगणेश भी मानव सभ्यता की भांति ही अति प्राचीन है, मनुष्य ने आखेट, वन क्रिया कलाप एवं पशुपालन के उपरान्त ही कृषि कार्य प्रारम्भ किया। पशुचारण और कृषि कार्य दीर्घकाल तक साथ-साथ किन्तु अर्थव्यवस्था रूप में चलते हैं, धीरे-धीरे कृषि कार्य प्रधान बनने लगा, कृषि का प्राथमिक रूप बदलता रहा और आज वह अपने पूर्ण आधुनिक विकसित एवं व्यापारिक रूप में दिखाई देती है। निरन्तर बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुष्य ने जंगलों को साफ किया और उसे कृषि में परिवर्तित कर दिया, धीरे-धीरे नदी घाटियों के अतिरिक्त पठारों

व मरुभूमियों में भी कृषि कार्य फैलता गया। गांवों व नगरों का जाल सा बिछ गया और भूमि में एक निश्चित क्षेत्र से अधिक उत्पादन करने का प्रयास किया जाने लगा।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के साथ-साथ शस्य गहनता में भारी बदलाव हुआ है। क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा विभाजित भूमि उपयोग अपनाते हुए भूमि उपयोग को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। भूमि उपयोग का उपरोक्त वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसार है। यह वर्गीकरण मूलतः कृषि उन्मुख है तथा कृषि भूमि उपयोग के अध्ययन हेतु बहुत उपयोगी है।

किसी भी प्रदेश के भूमि उपयोग का प्रतिरूप अनेक भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक कारकों से प्रभावित रहता है। इसका निर्धारण में ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों जिलों में नहरी सिंचाई जल उपलब्ध होने से यहां जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. अमालकर (2014), "एग्रीकल्चर लैण्ड यूज इन एरिडवैस्टर्न राजस्थान रिसोर्स एक्सप्लोइटेशन एण्ड इमरजिंग इश्यूज"
2. असवा, सुशीला (1991), राजस्थान में सिंचाई का विकास, उदयपुर और भीलवाड़ा के संदर्भ में विश्लेषण शोध ग्रंथ, अप्रकाशित अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर।
3. डेली, एस. ई. (1989), सतत विकास : फ्रॉम कॉन्सेप्ट एण्ड थ्योरी टुवार्ड्स ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स पापुलेशन एण्ड डवलपमेंट रिव्यू वांशिगटन।
4. गुर्जर आर. के. (1987), इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर मोडर्नाइजेशन, साइटिफिक पब्लिकर्स, जोधपुर।
5. गुर्जर आर. के. (1992), "मरुस्थलीय पारिस्थितिकी पर सिंचाई का प्रभाव" रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

ई मेल आईडी : vkgodara1978@gmail.com



अनुवाद का महत्व एवं प्रयोजनीयता

डॉ. पंडित बन्ने, डी.लिट्.

शोध-निर्देशक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, भारत महाविद्यालय, जेऊर (म.रेल),
तह-करमाला, जि. सोलापुर (महाराष्ट्र)

अनुवाद आधुनिक युग की माँग की उपज है। संसार का समग्र ज्ञान-विज्ञान किसी एक भाषा में समाहित नहीं। वह तो सैकड़ों भाषाओं में बिखरा हुआ है। भाषा जीवन में साधन के रूप में महत्व रखती है। समय, श्रम, धन एवं प्रतिभा की सीमाओं के कारण मनुष्य को सभी भाषाएँ सीखना संभव नहीं है। किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में ठीक उसी रूप में रूपांतरित प्रस्तुत करना उसे अनुवाद कहते हैं। विज्ञान ने जहाँ आज विश्व को समेट कर छोटा बना दिया है वहाँ अनुवाद की महत्ता और उपयोगिता को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया है। संसार के किसी एक देश में हुई ज्ञान-विज्ञान की प्रगति की जानकारी आज अनुवाद के माध्यम से ही दूसरे देशों तक पहुँचाई जा सकती है। एक देश के ज्ञान विज्ञान को अनुवाद के माध्यम से ही दूसरे देशों में पहुँचा कर सभी लोगों को एकसाथ और एक समान लाभान्वित किया जा सकता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार – “एक भाषा में व्यक्त विचारों के यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।” वर्तमान काल में अनुवाद का महत्व संपर्क के सशक्त माध्यम के रूप में मानना ही पड़ेगा।

दूसरी भाषा के साहित्य से परिचय :-

अनुवाद कार्य द्वारा प्राचीन द्वारा साहित्य के उत्कर्ष से नयी पीढ़ी को परिचित कराया जा सकता है। इस प्रकार अनुवाद प्राचीन और अर्वाचीन काल को जोड़ने में भी सेतु कार्य करता है। जिस व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं उसके लिए वाल्मीकि अथवा कालिदास का साहित्य सर्वथा निरर्थक है। जो अंग्रेजी नहीं जानता उसके लिए प्रेमचंद, प्रसाद, महादेवी वर्मा तथा निराला आदि का साहित्य से यदि परिचित होना हो तो इसके लिए सब से लाभदायक साधन अनुसार को ही मानना पड़ता है।

अरस्तु, सुकरात जैसे ग्रीक विचारवंत आदि का साहित्य, सुकरात जैसे ग्रीक विचारवंत आदि का साहित्य दुनियाभर में अनुवाद के कारण ही पहुँच सका है।

अन्य समाज की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचय :-

भारत के संदर्भ में ही देखे तो तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ भाषा-भाषी समाज की जो सभ्यता एवं संस्कृति परिलक्षित होती है। इनमें कम अधिक मात्रा में अंतर अवश्य है। उसी प्रकार अंग्रेजी और फ्रेंच समाज, चीनी और रूसी समाज, जर्मन और जापानी समाज तथा इतालवी और तोर्तुगाली समाज की सभ्यता और संस्कृति

पूर्णतः भिन्न पायी जाती है। अनुवाद से अन्य समाज चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी, आँचलित हो या नागरी, स्वदेशी हो या विदेशी की सभ्यता और संस्कृति से परिचय पाना सहज सुलभ होता है। बहुभाषी राष्ट्र में समाज को एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का परिचय हो जाता है।

विज्ञापन-प्रसार का माध्यम :-

विज्ञापन को विभिन्न भाषा-भाषियों तक पहुँचाने का एक मात्र साधन अनुवाद हैं किसी भी चीज के विज्ञापन को अगर व्यापक धरातल पर ले जाना हो तो उसके लिए जरूरी है अनुवाद।

संचार के माध्यमों में अनुवाद का प्रयोग अनिर्वाता से होता है। रेडियो, दूरदर्शन एवं समाचार-पत्र इनमें मुख्य है। प्रादेशिक भाषाओं के समाचार-पत्र समाचारों के लिए सरकारी सूचना, न्युज एजेंसियों की दी हुई सामग्री, प्रादेशिक संवाद दाताओं की डाक आदि पर निर्भर करते हैं। इनमें प्रादेशिक भाषाओं में सीमित सामग्री ही प्राप्त होती है। बाकी की सामग्री अन्य भाषा से अनुदित करनी पड़ती है। रायटर जैसी आंतरराष्ट्रीय न्युज एजेंसियाँ अन्य देशों की भाषाओं में छपे और प्रसारित समाचारों को अलग-अलग भाषाओं में अनुदित कराके ग्राहकों तक पहुँचाते हैं।

आंतरराष्ट्रीय सद्भावना के दृढीकरण का सूत्र :-

आज विश्व बंधुत्व की भावना बल पकड़ रही है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के निकट लाने और एक-दूसरे को समझने-समझाने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। यहाँ भी सबसे बड़ी बाधा भाषा है।

आंतरराष्ट्रीय सद्भावना का प्रधान उद्देश्य है पूर्वी-पश्चिमी तथा दक्षिणी-उत्तरी आदि का भेदभाव नष्ट करना और संसार के संपूर्ण देशों में आपसी सद्भावना का दृढीकरण करना। अनुवाद के सूत्र को पाकर ही भाषागत, समाजगत तथा राष्ट्रगत अभिनिवेश को छोड़ संसार के संपूर्ण मानव समाज में सहिष्णुता एवं सद्भावना का विकास किया जा सकता है। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में चरम विकास की संभावनाओं को देखते हुए अनुवाद के जरिए हमें एक ऐसा माध्यम प्राप्त हुआ है जो सभी देशों के विकास के अभियान में सहयोग दे। यह सयोग भी मिल रहा है कि विकास क्षेत्र में आदान-प्रदान भी हो रहा है किंतु यहतब तक अधूरा है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी सद्भावना विकसित नहीं होगी।

राष्ट्रीय एकात्मता :-

भारत जैसे बहुप्रांतीय राष्ट्र में अनेक भाषा-भाषी से हुए होने कारण उनमें अनेकरूपता मिलना स्वाभाविक है। जाति, वर्ग, व्यवसाय, भाषा तथा प्रदेश आदि भिन्न-भिन्न होने के कारण हमारे यहाँ एकता की अपेक्षा अनेकता परिलक्षित होती है। फलस्वरूप आज अनेकता में एकता स्थापित कर राष्ट्रीय एकात्मकता को बढ़ावा देना हमारी राष्ट्रीय माँग बन गई है। यह राष्ट्रीय एकात्मता अनुवाद के जरिए स्थापित करना संभव है। डॉ. अर्जुन चव्हाण जी का कथन दृष्टव्य है "एक प्रदेश के समाज, साहित्य एवं संस्कृति आदि को दूसरे प्रदेश के लोग अनुवाद के जरिए ही समझ सकते हैं। अनुवाद ही उन्हें एक-दूसरे के करीब ला सकता है। भारत जैसे बहुप्रदेशी देश में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक तत्वों का हिंदी में अनुवाद करने से संपूर्ण राष्ट्र प्रादेशिक सीमाओं को तोड़कर एकात्म होने की दिशा में अग्रसर है। अर्थात् राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ करने का अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन बनता है।"

स्वतंत्र व्यवसाय का क्षेत्र :-

आज अनुवाद भी एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में स्थापित हो रहा है। अनुवाद कार्य से वे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। प्रकाशक इनसे विविध श्रेष्ठ साहित्य-कृतियों के अनुवाद करवा लेते हैं और उसके प्रतिदान में उन्हें परिश्रमिक मिलता है। अपनी सीमा में अनुवाद आज एक स्वतंत्र व्यवसाय के क्षेत्र के रूप में अपनाकर स्वयं के मकान या कार्यालय में व्यवसाय करता रहता है। तो वह निश्चय ही सम्मानपूर्ण जीवन जी सकता है।

व्यापार वृद्धि का साधन :-

आज व्यापार का क्षेत्र अपने गले-मुहल्ले अथवा अपने नजदीकी गाँव-शहर तक ही सीमित नहीं रहा है। व्यापारी लोग व्यापार के कारण अपने पास-पड़ोस की भी कुछ काम चलाऊ भाषाएँ बोलते हुए अवश्य दिखाई देते हैं। किंतु अब व्यापार का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ होने के कारण दुनिया की सभी अथवा अधिकांश भाषाएँ सीखना व्यापारियों के लिए न तो संभव है और नहीं व्यवहार्य अनुवाद से व्यापारियों को एक-दूसरे से संपर्क करना सुलभ होता है। विशेषता: अंतर्प्रान्तीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क बनाये रखना तथा व्यापार से संबंधित व्यक्तियों, कंपनियों तथा संगठनों के साथ संवाद स्थापित करना अनुवाद से ही संभव होता है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई-नई व्यापार नीतियाँ बनने लगी हैं और व्यापार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरोत्तर रूपर्धाएँ बढ़ रही हैं, यह अनुवाद के वरदान का ही फल है कि व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है।

उन्नति का मार्ग :-

अनुवाद भी उन्नति का एक प्रशस्त मार्ग है। आज प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं के प्रति काफी सतर्क है। उनकी पूर्ति कर सब के सब उन्नति के मार्ग से दौड़ रहे हैं। आज दुनिया की समस्त भाषाओं में स्थित ज्ञान-विज्ञान मानव समाज के विकास हेतु जिस साधन के जरिए उपलब्ध हो रहा है वह अनुवाद ही है। अनुवाद की आवश्यकता उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु है इसे नकारा नहीं जा सकता। डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी का यह कथन दृष्टव्य है "अनुवाद की अनिवार्य उपयोगिता, हर युग, देश और जोवित समाज के लिए उसकी भावी प्रगति को समकालीन रखने के लिए सदा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानी जायेगी।"

आदान-प्रदान :-

आज हर समाज तथा राष्ट्र में आदान-प्रदान की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसी देश के नवनिर्माण या आविष्कार को अनुवाद से ही आत्मसात् किया जा सकता है। ज्ञान-विज्ञान की अधुनातन सामग्री का आदान-प्रदान अनुवाद से ही संभव होता है। आदान-प्रदान में ही हमारा हित है, समाज का हित है और संपूर्ण देशों का हित है हित, लाभ तथा कल्याण आदान-प्रदान पर निहित होता है जो अनुवाद से संभव है। इस संदर्भ में डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा का यह कथन दृष्टव्य है "अपने लाभ के लिए आदान जितना आवश्यक है उतना ही प्रदान भी। आदान का लाभ तो स्पष्ट ही है हम बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं, किंतु राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रदान भी कम आवश्यक नहीं है। हमारे पास भी दूसरों को देने के लिए कुछ है, यह भाव किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र में होता है, हमें भी होना चाहिए, खासकर तब जब वस्तुतः हमारे पास देने को कुछ है।"

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में अनुवाद का पर्याप्त महत्व प्राप्त हुआ है। उपयोगिता की दृष्टि से अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष के रूप में एक तथ्य सामने आता है कि अनुवाद की उपयोगिता के आयाम विविध हैं। अतः अनुवाद का उपयोग संपर्क माध्यम, दूसरी भाषा के साहित्य का परिचय, अन्य समाज तथा राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान, संप्रेषण का माध्यम, ज्ञान-विज्ञानार्जन का साधन, विचारों में और भाषा तथा साहित्य में समृद्धि तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान, विज्ञापन प्रचार का माध्यम, उन्नति का मार्ग, नौकरी तथा स्वतंत्र व्यवसाय का स्रोत, व्यापार वृद्धि का साधन, मानव जाति के कल्याण में सहयोग, भावात्मक एकता का सेतु, राष्ट्रीय एकात्मता, मानव धर्म प्रार तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना की बढ़ावा देना आदि की दृष्टि से असाधारण है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. साहित्य अमृत-सं. त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, जनवरी, 2022, नई दिल्ली।
2. 21 वीं सदी में अनुवाद एक पुनर्मूल्यांकन-डॉ. अमरसिंह वधान, अभिषेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अनुवाद चिंतन-डॉ. अर्जुन चव्हाण, अमन प्रकाशन कानपुर (उ.प्र.)
4. प्रयोजनमूलक के नए आयाम – डॉ. पंडित बन्ने, अमन प्रकाशन, कानपुर (उ.प्र.)

मोबाईल नं. 9657240554 / 9834582128

ईमेल : drpanditbanne@gmail.com



वैश्विक पटल पर हिंदी

दीपशिखा शर्मा

शोधार्थी, हिंदी-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

पिछले 25-30 वर्षों में आधुनिक तकनीक के विकास के कारण समस्त विश्व एक गाँव बन गया है। भूमंडलीकरण के कारण विश्व में व्यापार बढ़ा है एवं विभिन्न राष्ट्रों की भाषा और संस्कृति का भी आदान-प्रदान हुआ है। यही कारण है कि हिंदी भी आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। भारत की प्रतिभाओं ने जब विदेशों में जाकर अपना लोहा मनवाया तो उनके साथ-साथ हिंदी के कदम भी तेजी से वैश्विक जगत की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार विश्व के हर कोने में हिंदी अपना विशेष स्थान बना रही है। अपने एक लेख में डॉ. शबीना हबीब लिखती हैं— "विश्व के 150 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी जानते हैं। इन विभिन्न भाषा भाषी प्रवासी भारतियों में से अधिकांश आपस में सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो विश्व के सौ से अधिक देशों में लिखी-पढ़ी जा सकती है। हिंदी का जितना प्रचार-प्रसार पिछले दो दशकों में हुआ है उतना उससे पहले के कई सौ वर्षों में नहीं हो पाया।"¹

हिंदी साहित्य के साथ ही बाजार की भाषा भी बन चुकी है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय जनमानस तक अपना उत्पाद पहुँचाने के लिए उनकी भाषा का सहारा लिया जा रहा है जिससे हिंदी के विकास में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सूचना-प्रौद्योगिकी के विस्तार ने हिंदी को भी विकसित करने का कार्य किया है। आज रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन आदि प्रत्येक माध्यम में हिंदी भाषा आवश्यक रूप से सम्मिलित होती है। 1940 में बी.बी.सी. ने हिंदी प्रसारण सेवा का आरम्भ किया और 2001 में बी.बी.सी. हिंदी.कॉम की शुरुआत हुई। लगभग सभी मोबाइल कंपनी अपने फोन में इंग्लिश के साथ हिंदी का विकल्प भी दे रही हैं। जिस कारण हिंदी विदेशों तक लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। "भारत की सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा हिंदी फिजी, सूरीनाम, और मॉरीशस में बहुतायत में बोली जाती है। नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, केनेडा, रूस, चीन, थाईलैंड आदि देशों में ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ हिंदी का प्रयोग होता है। अतः जब हम हिंदी के विश्व रूप की बात करते हैं तो यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि हिंदी भाषा का प्रयोग भारत से बाहर अनेक देशों में होता है। मास्को में रूसी भाषा से हिंदी में अनुवाद कार्य का एक बहुत बड़ा केंद्र है।

गत अनेक दशकों में इस केंद्र ने रूसी साहित्यकारों, चिंतकों एवं दार्शनिकों की अनेक कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है और ये पुस्तकें सस्ते दामों में उपलब्ध भी हैं। इसी प्रकार जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी-विभाग हैं जिनमें हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के अलावा शोध-कार्य भी

किया जाता है।”²

आज हिंदी सम्पूर्ण विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। विभिन्न देशों में हिंदी का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है और हिंदी वहाँ के जनमानस में लोकप्रियता अर्जित कर रही है। कई देशों में इसे संस्कृति के साथ जोड़कर अपनाया जा रहा है। “मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में हिंदी का व्यापक प्रयोग है। इन देशों के हिंदी प्रेमी इस भाषा को केवल भाषा के रूप में व्यवहार में नहीं लाते अपितु उसे वे अपनी संस्कृति का एक अंग भी समझते हैं। हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष श्री जय नारायण राम का कहना है : हिंदी उपनिषद, रामायण, गीता की बेटी बनकर आई। यह उनके धर्म और संस्कृति का अंग बनकर अभी भी जीवित है।”³

“विश्वभाषा की पहचान का एक रूप यह भी है कि विभिन्न क्षेत्रों में उसकी सृजनात्मक स्थिति कैसी है? निस्संदेह, हिंदी के सन्दर्भ में विश्व के अनेक देशों में हिंदी के पठन, प्रशिक्षण शोध के अनेक केंद्र हैं, जहाँ निरंतर हिंदी में शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में भारतीय मूल के आचार्य अब समय-समय पर भारत सरकार द्वारा चयनित ‘विसिटिंग प्रोफेसर’ अध्यापन निर्देशनों का कार्य कर रहे हैं। अनेक बड़े संस्थानों में तुलनात्मक शोध-कार्य भी उच्चस्तर के हुए हैं तथा अभी भी जारी हैं। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि न केवल भारतवंशी बल्कि भारतेतर लोग भी हिंदी के अध्ययन में रुचि ले रहे हैं। इस गतिविधि के व्यापक स्तर पर चलते एक नए ढंग का वातावरण बन रहा है जो हिन्दीके सृजनात्मक रूप की ओर प्रेरित करता है।”⁴

भारत के बाहर हिंदी में जो सृजनात्मक लेखन हो रहा है वह न केवल स्तरीय है बल्कि उसने हिंदी को विश्व पटल पर सम्मानजनक पहचान दिलाई है। इन लेखकों ने विविध विधाओं में लेखन करके हिंदी के स्वरूप को विश्व में स्थापित किया। “हिंदी में सृजनात्मक कार्य के विश्व पटल पर भारतेतर लेखकों की दो श्रेणियाँ देखी जा सकती हैं। एक तो भारतीय मूल के लेखक तथा दूसरे देशों के लेखक। उधर कुछ सर्वाधिक चर्चित लेखकों में अभिमन्यु अनंत मॉरीशस के प्रख्यात लेखक हैं जो भारतीय मूल के हैं। सोमदत्त बखैरी, पूजानंदनेमा, रामदेश घुरघुर आदि मॉरीशस के मुख्य धारा के लेखक हैं जो वहाँ की जातीय इकाइयों के मूल से हैं तथा अपनी-अपनी भाषा में दक्ष हैं। रूस के वरिन्निकोवा, वेलिशेव, सैकेविच, उल्लिस्व्केरोव आदि कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा, व्याकरण एवं आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। इसी तरह चेकवासी प्रो. आंदोलन स्मकल हैं, जो हिंदी के कवि हैं। इनकी अनेक पुस्तकें भारत में बहुचर्चित रही हैं तथा उन्हें हिंदी लेखक के रूप में अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। पोलैंड के प्रो. मारियाक्षी स्तोकवृस की एक विवेचक और चिन्तक हैं तथा वे हिंदी में बराबर लिखते रहते हैं। जाहिर है कि भारतेतर हिंदी विद्वान सृजन, विवेचन और मूल्यांकन में मुख्यधारा के हिंदी सृजन और चिंतन से परे नहीं हैं। अमेरिका में अनेक अमेरिकी मूल के प्राध्यापक हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के विषय में कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं।”⁵

मॉरीशस में हिंदी की लोकप्रियता तीव्र गति से बढ़ रही है। वहाँ अनेक विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित हो चुके हैं। वहाँ 1996 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई जिसके अंतर्गत दो पत्रिकाएँ बसंत और रिमझिम का प्रकाशन हुआ। मॉरीशस में समय-समय पर हिंदी से जुड़ी अनेक पत्र-पत्रिकाएँ इसके विकास में बढ़-चढ़ कर योगदान दे रही हैं। “हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से मॉरीशस में सर्वप्रथम 15 मार्च 1909 को ‘हिन्दुस्तानी’ और ‘मॉरीशस आर्ट पत्रिका’ का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इन समाचार पत्रों के अतिरिक्त कई कई और भी पत्र प्रारम्भ

हुए जिनमें आभा, दर्पण, और रणभेरी आदि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का विशेष स्थान है। इस प्रकार मॉरीशस में हिंदी पत्रों की एक लम्बी श्रृंखला समय के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है जो विश्व हिंदी साहित्य के लिए शुभ लक्षण है।¹⁰ फिजी में भी हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। यह संसार में दूसरा विदेशी राष्ट्र है जहाँ हिंदी का बाहुल्य है। फिजी में सर्वप्रथम 1913 में पंडित शिवदत्त शर्मा की देखरेख में डॉ. मणिलाल द्वारा संपादित पत्र 'सेटलर' का हिंदी अनुवाद 'साइक्लोस्टाइल' के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर 1923 में 'फिजी समाचार', 'भारत पुत्र', 'बुद्धि' तथा 'बुद्धिवानी' आदि पत्रों का प्रकाशन हुआ। 1930-1940 के मध्य 'वैदिक संदेश' व 'किसान', 'सनातन धर्म', 1935 में 'शांतिदूत', 'साप्ताहिक पत्र', 'किसान', 'दीनबंधु', 'ज्ञान', 'तारा', 'पुस्तकालय', 'प्रवासिनी', 'जंजाल', 'सनातन प्रकाश', 1953 में 'आवाज', 'झंकार', 1960 में 'जयफिजी' निकला। इसके बाद 'सनातन संदेश', 'विजय' आदि पत्रों की श्रृंखला अविरल चली आ रही है। सूरीनाम में सर्वप्रथम 1964 में 'आर्य दिवाकर' नाम से पत्र प्रकाशित हुआ। इसी समय 'सरस्वती' निकेरी शहर से, 'भारतोदय', 'धर्म प्रकाश', 'संदेश परकाश' आदि पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। "अपने आलेख 'विश्व भाषा के रूप में' (2001) में हिमांशु जोशी कहते हैं कि सूरीनाम का उदाहरण बहुत रोचक है। वहाँ देवनागरी लिपि के साथ-साथ रोमन लिपि में भी हिंदी लिखी जा रही है। इसे सरनामी हिन्दी कहा जाता है।"¹¹ गुयाना में भी हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण पर बहुत कार्य हो रहा है। विशेषकर आर्य समाज द्वारा हिंदी को आगे ले जाने का कार्य लगातार चल रहा है। "गुयाना में आर्य समाज अपनी पाठशालाओं के माध्यम से वहाँ हिंदी की नई पौध तैयार कर रहा है। इन विविध नामों व शैलियों में व्यवहृत हिंदी पर छुटपुट अध्ययन व शोध-कार्य भी संपन्न हुए हैं।"¹² यहाँ से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'आर्गोसी' के रविवार के अंक में एक पृष्ठ हिंदी का रहा करता था। आर्य समाज द्वारा 'आर्य ज्योति' सनातन धर्म सभा द्वारा 'अमर ज्योति' पत्र निकाले गए। गुयाना का एकमात्र उत्तम पत्र 'ज्ञानदा' है। यह एक मासिक पत्र है जिसके संपादक योगिराज शर्मा हैं। इसी प्रकार त्रिनिदाद-टुबैगो में भी हिंदी अपनी लोकप्रियता के परचम लहरा रही है। यहाँ से सर्वप्रथम हिंदी में 'कोहिनूर अखबार' निकला जो अब बंद हो गया है। यहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 'ज्योति' है।

इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रिका से सर्वप्रथम 1903 में 'इंडियन ओपिनियन' साप्ताहिक हिंदी पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद 5 मई 1922 को 'हिंदी' नाम का साप्ताहिक पत्र निकला। श्रीलंका और भूटान धार्मिक दृष्टि से भारत के निकट हैं। श्रीलंका के तीनों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। कोरिया में इस समय 200 कोरियाई छात्र हिंदी सीख रहे हैं। सियोल का हांकुक विश्वविद्यालय इस कार्य में प्रमुख रूप से सक्रिय है। वहाँ एम.ए. तक हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। वहाँ की भाषा में हिंदी कृतियों का अनुवाद कार्य भी चल रहा है। बर्मा में श्री लाठिया ने 'बर्मा समाचार' का प्रकाशन कर हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। इसके बाद 'प्राची कलश' हिंदी दैनिक के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर 'प्रवासी', 'नवजीवन', 'दैनिक', 'जाग्रति', 1970 में 'आर्ययुवक जागृति' पत्रिका का भी मासिक रूप में प्रकाशन हुआ। "जहाँ तक नेपाल का सम्बंध है, देश की आबादी में हिंदी समझने और बोलने वालों की संख्या करीब 90 प्रतिशत तक मानी जाती है। 1960 तक वहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी रही थी।"¹³

1956 में काठमांडू से 'नेपाली' हिंदी दैनिक का प्रकाशन हुआ। इसके बाद 'साहित्य लोक', 'चर्चा', 'आरोहन' आदि पत्र प्रकाशित हुए। जर्मनी में सदियों से भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति बड़ा आदर भाव रहा

है। जर्मनी में आज 17 विश्वविद्यालयों में हिंदी के स्वतंत्र विभाग हैं। हॉलैंड में भी हिंदी की पहुँच है। इंग्लैंड ही विश्व में पहला देश है जहाँ सर्वप्रथम 1883 में कालांतर नरेश के संपादन में 'हिन्दोस्तान' पत्र का प्रकाशन हुआ। फिर 'वैदिक पब्लिकेशंस' का प्रकाशन हुआ। 1964 में एक हिंदी त्रैमासिक 'प्रवासिनी' का प्रकाशन हुआ। फ्रांस के सौवन विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों से हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ इस समय कुछ उत्साही भारतीय फ्रेंच भाषा को देवनागरी लिपि में अंकित करने पर शोध कार्य कर रहे हैं। कनाडा में भारतियों की काफी संख्या है। कनाडा के वेंकुवर, टोरंटो, मैगालिक, विन्डसन विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं। यहाँ इस समय टोरंटो से मासिक पत्र 'भारती' का प्रकाशन हो रहा है। इसके अतिरिक्त 'विश्वभारती' और 'जीवनज्योती' का प्रकाशन हो रहा है। रूस में अन्य देशों की अपेक्षा हिंदी का अध्ययन-अध्यापन एवं प्रचार अधिक है। रूस ही ऐसा पहला देश है जिसने हिंदी को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया। रूस से हिंदी के स्तरीय प्रकाशन हुए हैं तथा मास्को में एक हिंदी प्रकाशन गृह भी स्थापित है। यहाँ से 'सोवियत संघ' नाम का एक हिंदी मासिक पत्र प्रकाशित होता है। अमेरिका में हिंदी की अलख जगाने में प्रवासी भारतवंशियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वहाँ हिंदी गीतों द्वारा पढ़ाई जा रही है।

अमेरिका में अखिल भारतीय हिंदी समिति, हिंदी न्यास और अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति ऐसी संस्थाएँ हैं जो हिंदी के विकास में लगी हुई हैं। हिंदी शिक्षा के लिए डरबन में हिंदी भवन का निर्माण किया गया है। "संयुक्त राज्य अमेरिका काइस दृष्टि से विशेष महत्त्व है जहाँ के 27 विश्वविद्यालयों तथा अनेक समाजसेवी संस्थाएँ हिंदी के प्रति समर्पित भाव से जुटी हैं। 1875 में अमेरिका में हिंदी का व्याकरण तैयार किया गया था जो आज भी अपनी उपयोगिता बनाये हुए है।"¹⁰ चीन में भी हिंदी की स्थिति उत्साहवर्धक है। चीन में विद्वान हिंदी पढ़ने के साथ-साथ हिंदी की कालजयी कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद करना भी अपना कर्तव्य मानते हैं। यहाँ से 'सचित्रचीन' नामक हिंदी मासिक पत्र निकलता है। हिंदी में इसके 326 से भी अधिक अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इटली में भी हिंदी का विशेष स्थान है। वहाँ के नेपल्स ओर वेनिस विश्वविद्यालयों में कई सालों से हिंदी पढ़ाई जाती है। भारतीय साहित्य और दर्शन की ओर वहाँ के लोगों का विशेष स्नेह है। जापान में हिंदी की पढ़ाई 1900 में हिन्दुस्तानी के रूप में आरम्भ हुई थी। पहले इसे अधिकतर व्यापार करने वाले लोगों द्वारा पढ़ाया जाता था परन्तु बाद में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा इसका पठन-पठान होने लगा। "यहाँ हिंदी का पठान-पाठन अन्य देशों की भांति ही होता है। 1964 में यहाँ से एक 'अंक' नाम का पत्र प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त 'सर्वोदय' है। जापान का प्रथम हिंदी पत्र 'ज्वालामुखी' है जिसका प्रथम अंक सितम्बर 1980 में टोक्यो से प्रकाशित हुआ था।"¹¹

निष्कर्ष : अतः इस सारे अवलोकन से पता चलता है कि हिंदी के कदम आज विश्व के कोने-कोने में जा पहुँचे हैं। 1975 से शुरू हुए विश्व हिंदी सम्मेलनों की कड़ी में अब तक ऐसे ग्यारह सम्मेलन हो चुके हैं। इन सम्मेलनों के मंच से भी हिंदी को वैश्विक स्वरूप देने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। हिंदी के प्रसार की इस गति को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में हिंदी जल्द ही विश्व की संपर्क भाषा की भूमिका अदा कर सकती है।

संदर्भ-सूची :-

1. जोली, डॉ. मीनाक्षी, राजभाषा भारती (पत्रिका), वैश्विक धरातल पर हिंदी, दिल्ली, राजभाषा विभाग, अंक-162, सितम्बर 2022, पृष्ठ संख्या-9-10

2. डॉ. अनीता, डॉ. अमर सिंह वधान का भाषा और संस्कृति चिंतन, दिल्ली, अभिषेक प्रकाशन, 2016, पृष्ठ संख्या 87
3. श्रीवास्तव, डॉ. रवीन्द्रनाथ, भाषाई अस्मिता और हिंदी, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 1996, पृष्ठ संख्या-57
4. डॉ. अनीता, डॉ. अमर सिंह वधान का भाषा और संस्कृति चिंतन, दिल्ली, अभिषेक प्रकाशन, 2016, पृष्ठ संख्या 88
5. वही, पृष्ठ संख्या- 89
6. श्रीवास्तव, डॉ. रवीन्द्रनाथ, भाषाई अस्मिता और हिंदी, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन, 1996, पृष्ठ संख्या-58
7. रेड्डी, डॉ. विजयराघव, रेड्डी, डॉ. शकुंतला, हिंदी : विविध आयाम, दिल्ली, अकादमिक प्रतिभा, 2010, पृष्ठ संख्या-271
8. वही, पृष्ठ संख्या- 270
9. वही, पृष्ठ संख्या-272
10. वही, पृष्ठ संख्या-278
11. bharatdiscovery.org/india/विश्व की हिंदी पत्र-पत्रिकायें – डॉ० कामता कमलेश ।

मो० 9779803276

Sharmads1106@gmail.com



हिन्दी भाषा : रोजगार की दृष्टि से

डॉ. सन्या कुमारी

सहायक प्रोफेसर (हिन्दी), राजकीय महाविद्यालय डैहर, जिला मण्डी, (हि0प्र0)

हिन्दी भाषा हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक है। हिन्दी भाषा देश की धड़कन है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी विश्व की वैज्ञानिक भाषा है जिसे विश्व भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वैश्विक पटल पर हिन्दी प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। हिन्दी लगभग सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा है और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिन्दी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिन्दी भारत की राजभाषा होने के साथ ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की राजभाषा है। देश में तकनीक और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिन्दी देश के राजभाषा होने के बावजूद आज प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजी के वर्चस्व को स्पष्ट देख जा सकता है। हिन्दी जानते हुए भी लोग हिन्दी में बोलने पढ़ने या काम करने में हिचकिचाते हैं। हिन्दी इन सभी आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हुए आज राजभाषा से विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है। इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता है। समस्त विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। हिन्दी चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है।

युनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, "लगभग विश्व के एक सौ सैंतीस देशों में हिन्दी भाषा विद्यमान है। हिन्दी भाषियों की संख्या अनुमानतः सौ करोड़ है। नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव आदि ऐसे देश हैं जिनमें से अनेक बृहत्तर भारत के अंग थे। यहाँ हिन्दी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं।" स्पष्ट है कि हिन्दी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली, लिखी व समझी जाती है। यह इंडो-आर्यन भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है व इसकी लिपि देवनागरी है। हिन्दी विश्व की दस भाषाओं में से एक है। भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी सिर्फ कार्यालय साहित्य व अध्ययन-अध्यापन तक सीमित नहीं रह गई है, "हिन्दी केवल राजभाषा तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया के बाजारों में भी जगह बना चुकी है। आजकल कुछ युवा हिन्दी को केवल देशभक्ति की भाषा मानने लगे हैं लेकिन हिन्दी में आजकल अवसरों की भरमार है। हिन्दी माध्यम से पढ़े-लिखे लोगों को कैरियर बनाने के खूब अवसर मिल रहे हैं।"²

इस प्रकार कहा जा सकता है हिन्दी कार्यालय, साहित्य व अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र से आगे बाजार की भाषा बन चुकी है, ज्ञान-विज्ञान की भाषा बन चुकी है। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दी एक जीवन्त भाषा है।

विश्व की अनेक भाषाएं जहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं वहीं हिन्दी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है।

हिन्दी भाषियों के प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अनेक विकल्प उपलब्ध है। हिन्दी भाषा और साहित्य में डिग्री प्राप्त कर सरकारी और निजी क्षेत्र में शानदार करियर बनाने के अनेक अवसर मौजूद हैं, “हिन्दी का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा संसदीय, न्यायिक और सामान्य संचार में किया जाता है। प्रिंट, मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हिन्दी खूब इस्तेमाल हो रही है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अब हिन्दी का दबदबा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कम्पनियों ने भी हिन्दी में काम करना शुरू कर दिया है।”³ स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी भाषा की गहरी पैठ है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में सरकार के प्रयास काफी हद तक प्रशंसनीय हैं। हिन्दी भाषा में लगभग सभी तकनीकी शब्दों के अर्थ और परिभाषाएं उपलब्ध हैं। हिन्दी भाषा को डिजिटल प्रयोग के लिए कई संगठनों ने हिन्दी वर्ड प्रोसेसर्स तैयार किए हैं जैसेकि श्रीलिपि, सुलिपि, अक्षर आदि।

आजकल मोबाइल, कम्प्यूटर और लैपटॉप पर बखूबी हिन्दी भाषा को पढ़-लिख सकते हैं। हिन्दी को लोकप्रिय भाषा बनाने में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का योगदान प्रमुख रूप से रहा क्योंकि भारत उनके उत्पाद का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ अधिकतर उपभोक्ता हिन्दी भाषी हैं। हिन्दी भाषा भारत की विविधता में एकता का भी प्रतीक है। वर्तमान समय में हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने वालों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है उन अवसरों को समझने व पहचानने की। हिन्दी भाषा को रोजगार विकल्प के रूप में चुनने वालों के लिए आवश्यक है कि हिन्दी भाषा की उन्हें अच्छी समझ हो। बी0ए0 ऑनर्स और स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को भाषा की अच्छी समझ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। हिन्दी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने के साथ उसके व्यावहारिक पक्ष को समझने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। आज देश-विदेश में सरकारी व निजी स्तर पर हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए विपुल अवसर हैं।

हिन्दी राजभाषा अधिकारी :-

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों-उपविभागों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। हिन्दी भाषा अधिनियम में प्रावधान किया गया है, “सभी सरकारी व निजी संस्थानों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त होंगे। संविधान संशोधन 1967 के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का उपयोग अनिवार्य होगा। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध एवं विविध प्रारूपों को हिन्दी में बनाना और जारी रखना अनिवार्य है।”⁴ लगभग सभी राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों में बैंक के प्रचार-प्रसार के लिए उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। विदेशों में स्थित दूतावासों में अब हिन्दी विभाग स्थापित हो चुके हैं। इस विभाग में हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी सहायक जैसे पद सृजित हैं। इन विभागों द्वारा पत्राचार, समाचार रिपोर्ट हिन्दी में भेजने के लिए हिन्दी विशेषज्ञों का विशेष महत्व है। इन पदों की योग्यता के लिए हिन्दी विषय में स्नातक और अंग्रेजी एक विशेष रूप में पढ़ना अनिवार्य है या अनुवादक के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करना आवश्यक है।

अनुवादक :-

हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने वालों के लिए अनुवाद के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत

है। जैसे-जैसे हिन्दी का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे अनुवादक व द्विभाषाविदों की माँग बढ़ती जा रही है। साहित्यिक क्षेत्र के साथ-साथ मीडिया, फिल्म, जनसम्पर्क, बैंकिंग क्षेत्र, विज्ञापन आदि लगभग सभी क्षेत्रों में अनुवादकों की माँग रहती है। अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल हिन्दी अपनाकर प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकाशन संस्थाएँ हैं जो पुस्तकों के लिए अनुवादक की माँग करती हैं। साहित्यिक पुस्तकों के अलावा विभिन्न पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है जहाँ पर अनुवादक की विशेष भूमिका रहती है। फिल्म स्क्रिप्ट, विज्ञापन का अनुवाद अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में किया जाता है। अनुवादक को रोजगारके रूप में अपनाने के लिए दोनों भाषाओं का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वतंत्र अनुवाद के तौर पर अपनी आजीविका चला सकता है और अनुभव प्राप्त करने के लिए पश्चात स्वयं की अनुवाद फर्म स्थापित कर दूसरों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। देश-विदेश के मीडिया क्षेत्र, राजनैतिक संस्थाओं, पर्यटन व होटल में अनुवादकों की अच्छी खासी माँग है।

प्रकाशन के क्षेत्र में :-

हिन्दी के प्रति आकर्षण को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थानों में हिन्दी प्रकाशन की शुरुआत की है। श्रेष्ठ बिक्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली पुस्तकों को बड़े पैमाने पर अनुदित रूपांतर हिन्दी में प्रकाशित करवाना आरंभ कर दिया है। इन संस्थानों में सम्पादक, उपसम्पादक, अनुवादक के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। पत्र-पत्रिकाओं एवं प्रकाशकों के यहाँ प्रूफ रीडिंग, हिन्दी टंकण जानने वालों की माँग अधिक है। स्नातक डिग्री के पश्चात् पत्रकारिता एवं जन संचार में डिप्लोमा करने के पश्चात् इस क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। हिन्दी में स्नातक या स्नातकोत्तर करने के पश्चात् हिन्दी पत्रकारिता का कोर्स कर प्रकाशन के क्षेत्र में रोजगार के विकल्प को चुन सकते हैं।

अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में :-

हिन्दी का अध्ययन करने वालों के बीच अध्यापन एक पारम्परिक आजीविका के साधन के रूप में लोकप्रिय है। प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन के अवसर योग्यतानुसार उपलब्ध रहते हैं और इसे सदाबहार करियर माना जाता है। हिन्दी विषय के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ बी0एड0 डिग्री करने तथा अध्यापक पात्रता योग्यता परीक्षा पास करने के बाद टी0जी0टी0 व भाषा अध्यापक विद्यालय स्तर व लैक्चरर के रूप में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्नातकोत्तर हिन्दी में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले समय-समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को जूनियर रिसर्च फ़ैलोशिप मिल सकती है जिसके माध्यम से शोधकार्य करने वाले छात्रों को 30,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत अंक/एम0फिल0/पी0एच0डी0 के साथ नेट पास करने वाले महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन के अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मॉस्को में रूसी मैत्री संघ 'दिशा' के अध्यक्ष डॉ0 रामेश्वर सिंह बताते हैं, "विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अलग पहचान है। उसमें से हिन्दी भाषा को लेकर खासा आकर्षण है। भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के लिए विदेशी छात्र हिन्दी पढ़ते हैं। रूस में जो भारतीय व्यवसायी और कम्पनियाँ हैं वे विदेशी छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। कोशिश यही

होती है कि हिन्दी केवल भारतीय के लिए नहीं, विदेशी विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक भाषा बने।¹⁵ इस प्रकार हिन्दी भाषा व साहित्य का अध्ययन-अध्यापन करने वालों को भारत व विदेशों में अनेक अवसर उपलब्ध है। साथ ही विदेशों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन करने वालों के पास भी रोजगार के अनेक विकल्प हैं। ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन के द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन के क्षेत्र में :-

विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने वालों के लिए अनेक सुनहरे अवसर उपलब्ध हैं। विज्ञापन में अभिनेता से लेकर अनुवादक तक विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति नाम और शौहरत हासिल कर सकता है। अनेक प्रकार के विदेशी चैनल्स व मीडिया के आने पर भी विज्ञापन के क्षेत्र में हिन्दी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं बल्कि इसकी उपयोगिता अधिक बढ़ गई है। विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों में हिन्दी कॉपी राइटर की माँग अत्यधिक है। भारतीय उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए उसकी भाषा व भावना की समझ आवश्यक है। डबिंग कलाकार भी एक बेहतर विकल्प है। विभिन्न भाषाओं के विज्ञापन को हिन्दी में प्रसारित करने के लिए डबिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी आवाज में कलात्मकता है तो आप इस क्षेत्र को रोजगार के रूप में चुन सकते हैं।

सृजनात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन व भाषण लेखन :-

सृजनात्मक लेखन के अन्तर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आदि गद्य विधाओं को प्रमुख रूप से लिया जाता है। यदि आप में सृजनात्मक प्रतिभा है तो आप कवि, लेखक, कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन जिसे युवा वर्ग क्रिएटिव राइटिंग के रूप में जानते हैं, में स्वतंत्र लेखन या नियमित लेखन कर सकते हैं। फिल्म, रेडियो, वेबसाइट, पोर्टल आदि के लिए रचनात्मक लेखन कर लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भाषण लेखन भी रोजगार का अच्छा विकल्प है। भाषण लोगों को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सरकारी क्षेत्र, विज्ञापन एजेंसी, कॉर्पोरेट जगत के लिए भाषण लेखन का कार्य कर सकते हैं। राजनेताओं प्रतिष्ठित लोगों और अधिकारियों के लिए भाषण लिखकर अच्छी आय कमा सकते हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र में :-

वर्तमान समय में मनोरंजन का क्षेत्र प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। हिन्दी भाषियों के लिए टी0वी0, फिल्म व रेडियो में अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। टी0वी0, फिल्म व रेडियो में कलाकार, गायक, गीतकार, संवाद लेखक, पटकथा लेखन, अनुवाद व प्रशिक्षक के रूप में अनेकों अवसर उपलब्ध हैं। रेडियो में उद्घोषक, समाचार वाचन, समाचार लेखन व रेडियो जॉकी के रूप में कार्य कर सकते हैं। आजकल हर महीने अनेक कार्टून और विदेशी फिल्में प्रसारित होती हैं। अगर आपकी आवाज अच्छी व दमदार है तो रेडियो स्टेशन, पॉडकास्ट, विज्ञापनों की डबिंग, मूवी डबिंग में वॉयस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर कार्य कर अच्छी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आवाज के धनी हैं तो रेडियो जॉकी व समाचार वाचक के रूप में अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से रोजगार का दायरा बढ़ गया है। फिल्म व टी0वी0 धारावाहिकों के लिए संवाद लेखन व गीत लिखकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हिन्दी का अच्छा ज्ञान है तो आप प्रकाशन गृह, मीडिया हाऊस के लिए स्क्रिप्ट राइटर का कार्य कर सकते हैं।

इस प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इन सबके अलावा हिन्दी से स्नातक करने के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर बैंक, न्यायायिक सेवा, हिन्दी स्टेनोग्राफर, प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के अलावा रेलवे में भी नौकरी के बेहतर अवसर हैं। क्रिकेट कमेंटरी से लेकर फैशन जगत और एन0जी0ओ0 में भी हिन्दी भाषा का ज्ञान रखने वाले करियर बना सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में अनेक सरकारी व निजी संस्थाएं प्रशिक्षण प्रदान करवाती हैं जिससे कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में पारंगत हो जाता है और कार्य को और बेहतर ढंग से करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार हिन्दी भाषी अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार रोजगार का विकल्प चुनकर भविष्य को सुरक्षित कर जीवन में सुख व समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा रोजगार की भाषा बनकर स्वयं को समृद्ध कर विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर होती जा रही है। भारत के राजनेता जब विदेशों में राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हिन्दी भाषा में बातचीत करते हैं या विदेशी नेता जब भारत में आकर जनसभा में 'नमस्ते' कहकर अभिवादन करते हैं तो हिन्दी भाषी फूले नहीं समाते हैं। यह भारतवासियों के लिए गौरव के क्षण होते हैं। हिन्दी भाषी हिन्दी की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। हिन्दी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों के प्रयोग करने से हिन्दी भाषा हिंग्लिश बनती जा रही है। इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो हिन्दी भाषा का भविष्य उज्ज्वल है।

सन्दर्भ :-

1. www.jansatta.com, 14 Sept. 2021
2. www.tv9hindi.com
3. वही।
4. शब्द ब्रह्म, आलेख : हिन्दी अस्मिता : हिन्दी में रोजगार की संभावनाएं, पृ० 32
5. <https://navbharattimes.indiatimes>

98822-35749

Email: sanyakumari791@gmail.com



भूमंडलीकरण और हिंदी

नरेंद्र

सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजीव गांधी महाविद्यालय, उचाना, जींद (हरियाणा)

भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमा के आर-पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है।

भूमंडलीकरण का दूसरा नाम है-वैश्वीकरण। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है जो संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान करता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जा सकता है क्योंकि जैसी घटनाएं समाज में घटित होती हैं। वैसा ही साहित्य प्रतिफलित होता है। आज का दौर भूमंडलीकरण का दौर है जिसे वैश्वीकरण विश्व आयन बाजारीकरण उदारीकरण आदि के नाम से भी जाना जाता है। आज साहित्य के कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, जनसंचार माध्यमों पर बाजारवाद का विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव है। भारत में 1991 ईसवी में नरसिम्हा राव की सरकार ने व्यापारिक नीतियों में सुधार तथा उन्हें परिष्कृत करके भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा लायक बनाने हेतु उदारीकरण नीति को अपनाया तथा उसके पश्चात सही अर्थों में भारत में 1990 के बाद भूमंडलीकरण घोषित रूप में लागू हुआ।

भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय पूंजी का निवेश उत्पादन तथा बाजार द्वारा राष्ट्रीय सीमा में ही नहीं राष्ट्रीय सीमा से परे भूमंडलीय आधार पर निरंतर अपना प्रसार चाहती है। यह विषय को ग्लोबल गांव में बदलने की प्रक्रिया है इस भूमंडलीकरण ने विकास से अधिक विनाश किया है-भाषा, समाज, साहित्य और संस्कृति का। भूमंडलीकरण मूलतः नव-उपनिवेशवाद है जो व्यापार के जरिए संस्कृति, भाषा-आचरण, आचार सब पर अपना प्रभाव कायम करता हुआ, बाजार पर अपना कब्जा जमाते हुए भाषा, संस्कृति और मानवता को बाजार बनाने की रणनीति है। इसके लिए भौगोलिक सीमाओं का कोई अर्थ नहीं है। यह बाजार को माध्यम बनाकर दूसरे देशों की सीमाओं में प्रवेश करता है, वहां की संस्कृति तथा सभ्यता को प्रभावित करने लगता है व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना को निगलने लगता है। उसकी सामूहिकता की भावना को समाप्त करके उसकी सोच-विचार की अक्षमता को 'स्व' या 'अहं' बदल देता है। वास्तव में भूमंडलीकरण एक संक्रामक रोग की भांति है जो समाज का स्वरूप परिवर्तन करके उसे एक व्यापारिक मंडी में बदल देता है। यह व्यक्ति को उसके देश, सभ्यता और संस्कृति से अलग करके अपने व्यापारिक लाभ को पोषित करता है। मनुष्य मात्र को उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन की क्षमता को समाप्त कर मीडिया तथा विज्ञापन के

माध्यम से मस्तिष्क को अपाहिज बना कर उसकी वैचारिकता पर कब्जा कर लेता है। भूमंडलीकरण दावा करता है कि संसार में सब कुछ बिकाऊ है बस उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए।

‘भूमंडलीकरण’ शब्द भारतीय संस्कृति के “वसुधैव कुटुंबकम्” की उत्तर आधुनिक सोच है। भारतीय अवधारणा मानवता पर आधारित है जबकि भूमंडलीकरण का नवोन्मेष अर्थ पर टिका हुआ है। इनमें से यदि एक दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति व त्याग पर आश्रित विश्व कल्याण में व्रत है तो दूसरा व्यापार व्यवसाय में केंद्रित सूचना क्रांति और तकनीकी विकास में तत्पर-तल्लीन विशुद्ध आर्थिक अवधारणा है। भूमंडलीकरण की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हिंदी को भी प्रभावित किया है। अब हिंदी सृजन राजभाषा व संपर्क भाषा के समानांतर जन संचार के साधनों में प्रचलित तकनीकी समृद्धि के अनुरूप आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट और पत्रकारिता से होते हुए सेटलाइट एवं डिजिटल क्रांति से भी जुड़ चुकी है। आज हिंदी में अनेक अंतरराष्ट्रीय शब्द प्रचलित हो गए हैं जिनकी विश्व स्तर पर उपयोगिता है। आज उपभोक्ताओं की रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जा रहा है। भूमंडलीकरण की जकड़ और वैश्वीकरण की पकड़ से हिंदी का प्रयोग (व्यवहार) माल की अधिक खपत के लिए हो रहा है। एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में हिंदी को रोमन लिपि में लिखकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्वीकरण के वृत्त में पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। यह अपनी लिपि को खोने तथा जड़ से कटे होने की संस्कृति को प्रकारांतर में प्रेरित कर रही है।

बहरहाल वैश्वीकरण की चुनौतियों के बीच से गुजरती हुई हिंदी भाषा अपनी आगामी दशा की सारी संभावनाओं को तलाशती हुई आगे बढ़ रही है। हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में चार भाषाओं—अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी तथा हिंदी का भविष्य ही विश्व बाजार में उज्ज्वल है और भारत में तो यह निर्विवादित रूप से हिंदी पर ही निर्भर है। आज अंग्रेजी से अधिक न्यूज चैनल हिंदी में है तथा लगातार लोकप्रियता की शिखर पर हैं तथा जिन्होंने अंग्रेजी चैनल आरंभ किया वे भी हिंदी की पूंछ पकड़कर इस वैतरणी को पार करने में कटिबद्ध हैं।

भूमंडलीकरण ने साहित्य को भी उत्पाद में बदल दिया है। आज बाजार की मांग के अनुसार इसके सरोकार, वस्तु तथा शिल्प में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इनमें मनोरंजन, उत्तेजना तथा सनसनी पैदा करने वाले तत्वों की घुसपैठ बढ़ी रही है। हिंदी भाषा भी इसकी चपेट में है। हिंग्लिश का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है। किसान, आदिवासी, दलित पर वैश्वीकरण के सर्वाधिक दुष्प्रभाव हैं। किसानों से जमीन छीनकर उद्योगपतियों के लिए सेज, आदिवासियों का विस्थापन, अंधाधुंध खनन, जंगल, पहाड़ का गायब होना सब इस भूमंडलीकरण की ही देन है।

मोबाइल नंबर 9992961753

ईमेल narendermor671@gmail.com

वार्ड नं० 21 मोर दरवाजा, मोर पत्ती, नरवाना (जींद) 126116



प्रवासी हिंदी कहानियों में चित्रित भारतीय समाज और संस्कृति

दिलबाग सिंह

शोधार्थी, हिंदी विभाग, गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो (बठिंडा)

सारांश :-

अपनी जन्म भूमि से दूर बैठकर हिंदी में साहित्य रच रहे भारतीयों का साहित्य प्रवासी हिंदी साहित्य कहलाता है। ये साहित्यकार भले ही भारत से दूर हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति इनकी रग-रग में बहती है। इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति और समाज के चित्र मिलते हैं, साथ ही पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क स्थापित होने पर दोनों संस्कृतियों में जो संक्रमण होता है, वह भी इनके साहित्य का अंग है। प्रवासी हिंदी कहानियों में भी इसे देखा जा सकता है।

बीज शब्द :- प्रवासी, विमर्श, संस्कृति, पुरुषार्थ उच्चादर्श।

प्राक्कथन :- विश्लेषणात्मक विधि को अपनाते हुए प्रवासी कहानियों को जाँचा-परखा जाएगा।

विषय-वस्तु :-

यह सच है कि साहित्य एक निश्चित परिपाटी पर नहीं चल सकता। शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से पर्याप्त भेद सदा विद्यमान रहते हैं। साहित्यकार अलग-अलग विचारधाराओं से प्रेरित होकर, अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आधार बनाकर अपने साहित्य का सृजन करते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद उन्हें एक ही साहित्य का अंग माना जाना चाहिए, क्योंकि साहित्य को संपूर्ण समग्रता में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन बीसवीं सदी में हिन्दी साहित्य को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया गया। दलित साहित्य, स्त्री- विमर्श, किन्नर विमर्श, प्रवासी साहित्य आदि विभिन्न नामों से हिन्दी साहित्य विकसित होने लगा। दलित साहित्य, स्त्री विमर्श आदि भेदों के अंतर्गत माना गया कि दलित और स्त्री की पीड़ा को वही सही अर्थों में बयान कर सकता है, जो इसे भुगतता है। प्रवासी साहित्य को इस दृष्टिकोण से अलग किया जाता है कि उनकी समस्याएँ अलग हैं। उनके समाज की मान्यताएँ अलग हैं। हालाँकि प्रवासी साहित्य की कल्पना हिंदी साहित्य में ही है, अन्य भाषाओं में नहीं।

ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, यूरोप, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर आदि में भारत से जाकर बसे हिन्दी के साहित्यकार हिन्दी साहित्य के प्रवासी साहित्यकार हैं, जो विदेश में रहकर न सिर्फ अपनी भाषा अपितु अपने समाज और अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। इनके साहित्य में यहाँ इनके वर्तमान देश का चित्रण है, वहीं भारतीय समाज और संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। भारतीय संस्कृति चार पुरुषार्थ – काम, अर्थ, धर्म और

मोक्ष की बात करती है अर्थात् जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष होते हुए भी इसमें काम और अर्थ के महत्त्व को नकारा नहीं गया। कामकलाओं को लेकर खुजराहों के मन्दिर में उत्कीर्ण मूर्तियाँ भारतीय संस्कृति को बहुआयामी सिद्ध करती हैं। प्रवासी हिंदी कहानियों में इस संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक पहलुओं का चित्रण बड़ी सजीवता से किया गया है।

भारतीय समाज उच्चादर्शों को मानने वाला है। भारत में धन की अमीरी की बजाए चरित्र की अमीरी को महत्त्व दिया जाता है। इसी का चित्रण 'मीरा बनाम सिलविया' कहानी में मिलता है—

“मेरी तुलना उन आम आदमियों से मत करिए, प्लीज।” सद्भाव सकते में बोला। “मैं लोकहित में संलग्न एक पंथ का अनुयायी हूँ। मेरे जीवन के उद्देश्य ऊँचे हैं।”

“तुम ऊँचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यह रास्ता अपना रहे हो।” आर्यन ने टिप्पणी की।

“हाँ, सद्भाव, तुम्हारी भावना ऊँची है। तुम्हारा लक्ष्य श्रेष्ठ है। यहाँ की सरकार तुम्हें बेवजह यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे रही है, जिससे तुम्हें मजबूरन यह रास्ता अपनाना पड़ रहा है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए उठाया हर कदम अंततः ठीक ही होता है।” हरिहरण ने भी स्वर मिलाया।

भारतीय संस्कृति त्याग को बहुत महत्त्वपूर्ण मानती है। रामायण के प्रमुख पात्र राम, लक्ष्मण, सीता, उर्मिला, भरत आदि अपने त्याग के कारण ही आदर्श माने गए। डॉ. आरती लोकेश की कहानी 'प्रशस्ति पत्र' में माँ-बेटी दोनों एक-दूसरे के लिए त्याग करती हैं। उनकी ही कहानी 'भोर' में उषानी के उदार व्यक्तित्व को दिखाया गया है। उम्र में वह 'मैं' से पात्र से छोटी है और पत्रिका के संपादन कार्य में पिता की सहायिका बनकर आई है और धीरे-धीरे उसने पूरा काम संभाल लिया है। 'रजनी' नामक एक पात्र से वह जिस प्रकार व्यवहार करती है, वह उसकी उदारता और सूझ-बूझ को दिखाता है।

भारतीय समाज में स्त्री जीवन काँच की तरह माना जाता रहा है, जिसे टूटने पर जोड़ा नहीं जा सकता। स्त्री जीवन को समाज की भागीदारी किस हद तक प्रभावित करती है, यह अर्चना पैन्थूली की कहानियों से पता चलता है। 'अनुजा' कहानी में सुधा अनुजा को समझाती है कि इस देश में सरकार बहुत कुछ करती है, ऐसे में उसे कुछ गलत निर्णय लेने की बजाए, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। 'लक्ष्मी' कहानी में मुख्याध्यापिका विधवा लक्ष्मी को शादीशुदा व्यक्ति से संबंध न बढ़ाने का सुझाव देती है। इस कहानी में स्त्री की अस्मिता पर परंपरित सामाजिक मूल्य भारी पड़ते हैं, उसे सांत्वना देने के स्थान पर उसे घुटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यहाँ समझौता तथा नारी दोनों परंपरित सामाजिक मूल्यों के समक्ष पर्यायवाची बन जाते हैं।

कहानी 'कठिन चुनाव' में अनिता का परिवार डेनमार्क में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है। अनिता के दादा जी, पिता जी नहीं चाहते कि उनके बच्चे डेनिश संस्कृति को अपनाए और विजातीय, विधर्मी, विदेशी से शादी करें, लेकिन अनिता की बड़ी बहन नैना यहूदी संग भाग जाती है, जिसका प्रभाव अनिता पर पड़ता है। 17 वर्ष की आयु में ही अनिता की शादी भारत आकर भारतीय युवक से कर दी जाती है। शादी के बावजूद वह अपने सहपाठी मोगर्न की गर्लफ्रेंड बनी रहती है। अपने पति अनिल को लेकर उसके दिल में कोई लगाव नहीं, लेकिन अनिल जब स्थायी रूप से डेनमार्क पहुँचता है तो वह मोगर्न और अनिल में से अनिल को चुनती है, हालाँकि उसका मन इसके लिए आक्रोशित भी होता है —

“अनिल के साथ एक सुखद व संतुष्ट जिंदगी बिताते हुए भी पता नहीं क्यों मन में यह आक्रोश फूट पड़ता है कि नैना ने भी अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुना और श्यामल ने भी। पिसी तो मैं घुन की तरह।”

यह कहानी स्पष्ट करती है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति की अपेक्षा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकाव रखती है, जिससे प्रवासी परिवारों में तनाव का माहौल पैदा होता है।

भारतीय संस्कृति जीव-जन्तुओं सभी पर दया करने का संदेश देती है, मानव की भलाई की बात करती है। अर्चना पैन्थूली ने माँ को अपनी कहानियों का विषय बनाकर इसी मूल्य की स्थापना अपनी कहानियों में की है। लेखिका ने धरती को भी माँ माना है। कहानी ‘तुम्हारी धरती माँ’ में धरती अपनी उत्पत्ति और विकास की कहानी सुनाती है। आदमी की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देती है। लेखिका की कहानियों में मानवेंतर माँओं का वर्णन हुआ है। कहानी ‘फैनी’ एक कृतिया की ममता की कहानी है। वह अपने बच्चों के लिए अपना घर छोड़ देती है, लेकिन अंतिम साँस वह अपने घर में ही लेती हूँ। कहानी ‘कबूतरी, थारो कबूतर गूटर-गूटर-गू बोल्यो रे’ में कबूतरों के जोड़े का चित्रण किया है। हालाँकि दूसरी तरफ आरुष और पीहू भी हैं। पीहू माँ बनने वाली है और वह कबूतरों के मिलन से लेकर बच्चों को बड़ा करके पुनः मिलन तक के दृश्य को देखती है। इस बीच वह खुद भी माँ बन जाती है। वह पक्षियों के निस्वार्थ भाव से बच्चों के पालन करने पर विचार करती है।

सेरोगेट मंदर की अवधारणा जिस रूप में पश्चिम में है, उसे वर्तमान भारत में तो देखा जाता है ही, उसका कोई-न-कोई रूप प्राचीन भारत में अवश्य रहा होगा। कौरवों के अलग प्रकार के गर्भ से उत्पन्न होना इसका एक उदाहरण है। प्रवासी लेखकों ने इसके पाश्चात्य रूप का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। अर्चना पैन्थूली की कहानी ‘आई एम प्राउड ऑफ यू, माँ’ में आरव का जन्म सेरोगेसी के द्वारा होता है और उसकी सेरोगेट माँ उसकी चाची मानसी है। ‘मैं कुमाता नहीं’ की नोरा भी सेरोगेसी से माँ बनती है।

सौतेली माँ का जो चित्रण भारतीय साहित्य में मिलता है, उसका वर्णन अर्चना पैन्थूली की कहानियों में नहीं और इसका कारण विदेशी प्रभाव ही है, जिसमें सौतेली माँ का होना आम है। ‘बेघर’ का राहुल अपनी सौतेली माँ से परेशान ज़रूर है, लेकिन सौतेली माँ का कोई विशेष दुर्व्यवहार नहीं दिखाया गया है। कहानी ‘कितनी माँएँ हैं मेरी’ के नीलाभ को उसके दादा-दादी ने पाला है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी पाकिस्तानी माता को तलाक दे दिया था। पिता ने इंग्लैंड में दूसरी शादी कर ली। बड़ा होकर वह भी उनके पास आ गया है। सौतेली माँ से उसे कोई परेशानी नहीं होती। दरअसल यह कहानी अनेक माँओं में से असली माँ किसे कहे, इस समस्या को लेकर है। पिता की मृत्यु से पाकिस्तान से फोन आता है कि उसकी वास्तविक माँ बीमार है। नीलाभ की पत्नी उसे पाकिस्तान जाने को तैयार करती है। उनके वहाँ पहुँचने के बाद माँ उसकी बाँहों में अंतिम साँस लेती है। भारतीय वर्तमान समाज को देखें तो साम-दाम-दंड-भेद से काम निकलवाना भारतियों का प्रमुख व्यवहार बन गया है। लेखिका ने इसे ‘अनुजा’ कहानी में दिखाया है कि विदेश में बसने के लिए भरिय किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे भारत की छवि को भी ठेस पहुँचती है। लेखिका दोनों संस्कृतियों की तुलना करते हुए भारत में वर्तमान में छीजते मूल्यों पर प्रहार करती है। कहानी ‘मही क्या कहेगी?’ में दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए बलात्कार का विश्व स्तर पर चर्चित होना दिखाया गया है।

‘कोख का किराया’ कहानी में यह दिखाया गया है कि अपने पति के प्रति वे गोरी स्त्रियों से अधिक

वफादार हैं, कम-से-कम ब्रिटिश पुरुषों की नज़रों में। डेविड जब 'आर्टीफिशियल इनसेमिनेशन' के जरिये अपना वारिस पैदा करने के लिए किसी औरत की तलाश में है, तो उसे मैनी यानी मनप्रीत का ध्यान आता है। वह कहता है –

“इन गौरी लड़कियों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। कल को क्या गुल खिलाएँ। कोर्ट में केस कर दें। यहाँ तो पैसे के लिए बात-बात पर अदालत के दरवाज़े पर पहुँच जाते हैं लोग।”

प्रवास में रहने वाले लोग भोजन अपनी संस्कृति के अनुरूप ही पसंद करते हैं। पाश्चात्य फास्ट फूड प्रसिद्धि पाकर भी वह स्थान नहीं ले सकता। भारतीय भोजन भारत से बाहर भी अन्य संस्कृतियों का अंग बनता जा रहा है। 'खोदा पहाड और' कहानी इंग्लैंड में बदलते सांस्कृतिक मूल्यों को प्रस्तुत करती है। भारतीय संस्कृति का पाक भास्त्र वहाँ ध्वज लहरा चुका है। नायिका कहती है—

“भारतीय भोजन के दीवाने हैं यह लोग.....एक जमाना था कि ये गोरे हमें घर किराये पर नहीं देते थे, हमारे बदन से इन्हें लहसुन, अदरक की बदबु आती है और आज आलम यह है कि चिकन-टिक्का मसाला को इंग्लैंड की नेशनल डिश घोषित किया गया है।”

इंग्लैंड का खान पान भी भारतीय संस्कृति में जगह बना चुका है। यह सामजस्य सांस्कृतिक परिवर्तन है। 'तुल्ला किलब' कहानी की नायिका जानकी का भारतीय मित्र राघवन कहता है –

“अरे भई दिल्ली लंदन से कौन सी पीछे रह गई है.....वहाँ भी अब मैकडॉनलड, पिज्जा हटस और फास्ट फूड की कई चैन्स खुल गई हैं।”

सांस्कृतिक परिवर्तन वैश्वीकरण की कहानी भी कहता है। जहाँ पहनावा, खान-पान सीमित नहीं रहे।

निष्कर्ष :-

प्रवासी कहानियों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि इनकी कहानियों ने भारतीय संस्कृति और समाज का चित्रण करते हुए हिंदी साहित्य को नए विषयों से परिचित करवाया है। प्रवासी कहानीकार विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के ध्वजावाहक बने हुए हैं।

संदर्भ :-

1. पैन्थूली, अर्चना, 'हाईवे ई-47', ज्ञान गंगा, दिल्ली प्रथम संस्करण-2005, पृष्ठ – 111
2. पैन्थूली, अर्चना, 'कितनी माँएँ हैं मेरी' (नई दिल्ली : विद्या विकास एकेडमी, 2019), पृ. – 105-106
3. शर्मा, तेजेन्द्र, 'नयी जमीन नया आकाश', (दिल्ली : यश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2019), पृ. 297
4. माथुर, दिव्या, 'पंगा तथा अन्य कहानियाँ', (दिल्ली : मेधा बुक्स, 2009), पृष्ठ 17-18
5. माथुर, दिव्या, 'पंगा तथा अन्य कहानियाँ', (दिल्ली : मेधा बुक्स, 2009), पृष्ठ 34



नई शिक्षा नीति और हिंदी

डॉ. मनीषा पांडे

अतिथि व्याख्याता, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरी, जिला-सागर (म.प्र.)

भारत में शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा मानव जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिक्षा मनुष्य को असभ्य से सभ्य बनाती है। शिक्षा एक मूल्यवान संपत्ति है जिसे मनुष्य प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को समझा गया वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और उच्च शिक्षा में विभाजित की गई है। शिक्षा सभी मनुष्यों में सकारात्मक विचार लाकर नकारात्मक विचारों को हटाती है मनुष्य के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का विशेष महत्व है।

भारत में शिक्षा का ब्रह्म इतिहास है प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। कालांतर में शिक्षा के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए समय के साथ-साथ शिक्षा में नवीन परिवर्तन हुए भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण हुआ स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कर्जन की शिक्षा नीति, हंटर आयोग गोपनीय शिमला शिक्षा सम्मेलन 1997 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार हेतु सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु अनेक नवाचारी एवं रचनात्मक उपायों के साथ उच्च शिक्षा में क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति नई उड़ान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई।¹

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें देश के विकास संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं को केंद्र में रखा गया है। यह नीति हमारी प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञानपरंपरा एवं विचार परंपरा को समृद्ध परंपरा की आधार भूमि के साथ तैयार की गई। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है।²

नई शिक्षा नई उड़ान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण एवं समग्रता मूलक बनाए जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए विद्यार्थी अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त कर सकेंगे विद्यार्थियों में रचनात्मकता तार्किक सोच एवं अवधारणात्मक समझ विकसित हो सके इस हेतु पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है।

नई शिक्षा नीति और हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा के विकास के कई युग और हिंदी भाषा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्य में नवीन संघर्ष हेतु हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। मातृभाषा मनुष्य के संस्कार संचेतना और विकास का आधार होती है यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में हिंदी को विशेष महत्व दिया गया है।

हिंदी नई शिक्षा नीति में प्राथमिक तौर पर मातृभाषा के प्रभाव को समायोजित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व को भी सम्मिलित किया गया है यह हिंदी के प्रभुत्व को स्थापित करते हुए भविष्य में हिंदी युग की स्थापना का कारक बनेगा।³

नई शिक्षा नीति में हिंदी विषय के अंतर्गत प्रश्न पत्र प्रथम में हिंदी काव्य और प्रश्न पत्र द्वितीय कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग दो प्रमुख हिंदी के विषय के रूप में शामिल किए गए हैं देश की शिक्षा नीति उस देश की प्रकृति संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होना चाहिए 34 वर्ष के उपरांत देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामने आई यह भारत के हित व समग्रता के साथ-साथ भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता अनेक विशेषताओं के साथ हमारे सम्मुख आई भाषा संस्कृति वैचारिक भावनात्मक समरसता की सेतु भी है इस भावनात्मक स्वरूप को हिंदी काव्य में गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी, भूषण, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और भारतेन्दु हरिश्चंद्र आदि कवियों ने हिंदी काव्य में प्रमुखता से लिखकर छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा है।

नई शिक्षा नीति में हिंदी विषय विद्यार्थियों को नई काव्यधारा से जोड़ता है। छात्र हिंदी में काव्य के प्रकार जैसे प्रबंध का मुक्तक काव्य महाकाव्य खंडकाव्य गीतिकाव्य आदि के विषय में जानेंगे। इनसे संबंधित कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर हिंदी काव्य से जुड़ेंगे।⁴

हिंदी भाषा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्य जीवन संघर्ष में महत्वपूर्ण साधन हिंदी भाषा राजकाज के कार्यों में प्रमुख होती है इसलिए नवीन शिक्षा नीति में कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों को हिंदी का कार्यालय में उपयोग एवं उस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। कार्यालयीन हिंदी में आम बोलचाल की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप अलग ही होता है इसका प्रयोग शासकीय अर्ध शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कार्य करने हेतु किया जाता है। सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पत्र व्यवहार कार्यालय आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, तार आदि सम्मिलित हैं जिसमें हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है।⁵

हिंदी जनसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क का माध्यम बनी है। इस पाठ्यक्रम में हिंदी का ई पुस्तकालय होता है। जिसका विकास सन 2008 में माना जाता है। इससे शिक्षकों शोधार्थियों व युवाओं को इस पुस्तकालय का व्यापक रूप से लाभ उठाया क्योंकि सभी आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुस्तकालयों के भौतिक स्वरूप के साथ साथ ऑनलाइन किताबें भी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय से पठन-पाठन में रुचि जागृत होती है। अभिनव कौशल सामग्री के चयन में स्वतंत्रता, शोध की प्रवृत्ति, सामग्री खोजना सरल हो जाता है। नवीन शिक्षा नीति में पत्राचार जिसमें निजी, व्यवहारिक, व्यवसाय कार्यालय पत्र आवेदन पत्र शासकीय पत्र अर्ध शासकीय पत्र आदि जो दैनिक एवं कार्यालय उपयोग के होते हैं कि जानकारी नई शिक्षा नीति में दी जाती है।⁶

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य एवं अनुवाद विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य एवं पद्य हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं

के रूप में होती है। गद्य शब्द गद् धातु से बना है गद्य का अर्थ है बोलना बताना अथवा कहना है। पद्य में छंद, यति, गति लय पद आदि सहायक तत्व होते हैं। हिंदी गद्य में युवाओं को इतिहास की जानकारी हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी, निबंध एवं गद्य विधाएं आत्मकथाओं कहानी के भेद कहानियों जैसे उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, नाटक लहरों के राजहंस, एकांकी, दीपदान, टूटते हुए मस्तूल निबंध मित्रता, अशोक के फूल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। संस्मरण, यात्रा वृतांत, व्यंग, जीवनी, आत्मकथा आदि महत्वपूर्ण विषयों से छात्रों को परिचित कराया गया है। छात्र हिंदी की विभिन्न विधाओं से परिचित होंगे।⁷

रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से अधिक अंक वाली रचना को नाटक कहते हैं। नट शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई थी जिसका अर्थ शाब्दिक भावों का प्रदर्शन करते नट के द्वारा अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। नई शिक्षा नीति में नाटक के क्षेत्रों को परिचित कराया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से नाटकों के समय को इस तरह से विभाजित किया गया है। भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक की संपूर्ण जानकारी पर प्रकाश डाला गया है। नाटक में कथावस्तु, पात्र योजना, चरित्र-चित्रण, संवाद योजना, देशकाल और भाषा शैली आदि की जानकारी दी गई है। नई शिक्षा नीति में हिंदी विषय के माध्यम से एकांकी से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना है। एकांकी गद्य साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है और जिसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी में भी नाटक की तरह वे सभी कथा तत्व विद्यमान होते हैं जैसे कथावस्तु, पात्र योजना, चरित्र चित्रण, द्वंद, संघर्ष, भाषा शैली और अभिनेता एकांकी के प्रमुख तत्व एकांकी का हिंदी साहित्य में महत्व एवं आवश्यकता पर दिया है।

हिंदी में एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर प्रमुख एकांकी दीपदान, टूटते हुए मस्तूल एकांकी की प्रमुख विषय वस्तु अनुसार चर्चा की है। विश्व हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को निबंध लेखन से भी परिचित कराया गया है निबंध लेखन होता है जिसमें वह विषय पर विस्तृत भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और विवरणात्मक हो सकता है। हिंदी साहित्य जगत में कई निबंधकार हुए। हिंदी साहित्य जगत में हर युग में निबंधकार रहे हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यानिवास मिश्र आदि मित्रता, अशोक के फूल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखकों एवं निबंध रचना पर विचार विस्तार से चर्चा उन छात्रों को निबंध लेखन कला से जोड़ा है। हिंदी साहित्य में संस्मरण, यात्रा वृतांत, व्यंग्य आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। नई शिक्षा नीति में इन विधाओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।⁸

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान भी जोड़ा गया है। अनुवाद विज्ञान एक भाषा में कही गई बात को जब हम किसी दूसरी भाषा में इस प्रकार से रूपांतरित करते हैं कि वह उसके अर्थ और अभिप्रेरित की व्यंजना यथावत और प्रभावशाली ढंग से कर सकें उसे अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। अनुवाद का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है क्योंकि विश्व स्तर के ज्ञान को शिक्षा में समाहित करना अनुवाद द्वारा ही संभव है। अनुवाद से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में विश्व स्तर पर हो रहे परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा में हो रहे नवीन अनुसंधान से भी परिचित हो सकते

हैं। अनुवाद एक कला विज्ञान शिल्प मानी जाती है अनुवाद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मानव अनुवाद मशीनी अनुवाद मानव अनुवाद में मानव द्वारा संपादित होता है एकांकी मानव व सहयोगात्मक मानव अनुवाद करते हैं।

मशीनी अनुवाद कंप्यूटर द्वारा होता है क्योंकि कंप्यूटर मशीन है अतः कंप्यूटर द्वारा अनुवाद से छात्रों में आधुनिकीकरण से परिचित होते हैं अनुवाद करने वाला अनुवादक लक्ष्य भाषा का ज्ञात भाषा की प्रकृति का ज्ञान सामाजिक संस्कृति का ज्ञान संदर्भ का ज्ञान विषय का ज्ञान होता है अनुवादक के क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि वह भिन्न-भिन्न भाषा के समझने समझता है इस कारण भारत तक सीमित ना होकर पूरे विश्व में रोजगार के अवसर अपने लिए खोज लेता है एक अच्छा अनुवादित साहित्य धर्म-दर्शन के अतिरिक्त विज्ञान प्रौद्योगिकी चिकित्सा शास्त्र प्रशासक कूटनीतिज्ञ कानून जनसंपर्क करने वाला बन सकता है। अनुवाद विज्ञान का अध्ययन करने के उपरांत सरकारी नौकरी में संभावना बढ़ जाती है एक हिंदी का छात्र स्वतंत्र अनुवादक के रूप में भी कार्य कर सकता है अनुवादक को अनुवाद करने में किस प्रकार प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे कौन-कौन सी समस्या आती है अनुवादक की सीमाएं होती हैं उन सभी से परिचित कराया जाता है।⁹

नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को निश्चित ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के पद पर आसीन है, इसलिए इस पर अधिक बल दिया गया है। हिंदी भाषा मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्यत जीवन संघर्ष में शुचितापूर्ण मानव का उपयोग करते हुए सफल होने का मार्ग दिखाती है। साथ ही हमारी जिज्ञासाओं को भी अंकुरण करती है। हिंदी भाषा के विकास के कई युग और चरण हैं। लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ था संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए यह वर्तमान हिंदी भाषा को वह पद प्राप्त हुआ जिसकी वह हकदार थी। हिंदी भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी और अनेक जन बोलियों को समाहित करते हुए हिंदी का आज इतना सामर्थ्य है कि विश्व की कई देशों में हिंदी भाषा में साहित्य की रचना हो रही है और धीरे-धीरे हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा का रूप ले रही है। भारत में सर्वाधिक हिंदी बोलने वाले और समझने वाले निवास करते हैं।

हिंदी विविध रूपों में प्रयोग की जाती है संचार भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, वाणिज्यिक भाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में, कार्यालय हिंदी के रूप में, और सामान्य हिंदी के रूप में हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं निश्चित ही भाषा संस्कृति और संस्कारों की संवाहक होती है। देश और समाज में ज्ञान का प्रकाश भी अपनी भाषा में सरलता व आसानी से व्यक्त होता है। देश की प्रगति में भाषा का महत्व स्थान होता है जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं होती उस देश की उन्नति भी नहीं होती। देश की शिक्षा नीति उस देश की प्रकृति संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होना चाहिए। भारत की भाषाएं विश्व में सबसे समृद्ध वैज्ञानिक और सबसे सुंदर भाषाओं में से हैं जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य के विशाल भंडार है भारतीय भाषा में लिखा गया है। साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है जब तक स्वयं राष्ट्र की कोई भाषा नहीं होती वह राष्ट्र गूंगा कहा जाता है। हिंदी भाषा में लेखन का कार्य करने वाले विद्वान जन साधुवाद के पात्र होते हैं। लेखन वैचारिक प्रवाह को बल प्रदान करता है और पठन-पाठन का मजबूत आधार बनता है। भावी पीढ़ी के निर्माण में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि युवा पीढ़ी को मार्ग दिखाने में

भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके आधार पर हम एक स्वच्छ राष्ट्र और स्वस्थ युवाओं का निर्माण कर सकते हैं यह सभी बातें नई शिक्षा नीति और साहित्य में समाहित है।

संदर्भ सूची :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐश्वर्य पुरोहित।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
3. <https://m-hindi.webduniya.com.nic>
4. हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, डॉ. कृष्ण गोपाल मिश्र।
5. कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग।
6. हिंदी साहित्य डी.बी.पी.डी. पब्लिकेशंस डॉ. एस. के. शर्मा।
7. हिंदी साहित्य डी.बी.पी.डी. पब्लिकेशंस डॉ. एस. के. शर्मा।
8. हिंदी साहित्य, डी.बी.पी.डी. पब्लिकेशन डॉ. एस. के. शर्मा।
9. हिंदी साहित्य डी.बी.पी.डी. पब्लिकेशंस डॉ. एस. के. शर्मा।



विश्व पटल पर हिन्दी साहित्य : संस्कृति और समाज

चौधरी बबीता जगदीश प्रसाद

पीएच.डी., हिन्दी शोधछात्रा, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद-380009

आज हिन्दी पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के अधिकांश देशों में हिन्दी भाषा को बोलने-लिखने एवं समझने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व पटल पर आज हिन्दी भाषा नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, टैबेगो, मॉरिशस जैसे आधे से अधिक देशों में बोली एवं समझी जाती है। विश्व के 90 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों में हिन्दी को भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। 55 प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग पाठशाला, पूजा, शादी एवं प्रार्थना सभा के अवसरों पर करते हैं। नेपाल देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दी भाषा बोलती एवं समझती है। श्रीलंका में आज भी रेडियो पर भारतीय शास्त्री संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तथा वहाँ की विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी भाषा की शिक्षा दी जाती है। अमेरिका में हिन्दी भाषा का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिससे अमेरिका में लाखों की संख्या में भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। अमेरिका के 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, हंगरी आदि कई देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई है। कनाडा एवं इंग्लैंड के कई हिन्दी साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से हिन्दी भाषा का प्रचार कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आज हिन्दी भाषा विश्व पटल पर दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि आलोचना ही नहीं बल्कि नाटक, निबन्ध, कविता जैसी अनेक विद्याओं के उदय के कारणों की व्याख्या करे तो हम जानेंगे कि इसके कई गहरे सामाजिक सरोकार थे। भारतीय नवजागरण का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा जिसके कारण साहित्य और समाज के रिश्ते मजबूत बने। साहित्य और समाज के सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए मैनेजर पाण्डेय कहते हैं कि – समाज से साहित्य का सम्बन्ध मान लेना एक बात है और उस सम्बन्ध के स्वरूप को ठीक से जानना पहचानना दूसरी बात। जरूरी नहीं कि जो मानते हो वे जानते भी हों। साथ ही मानने और जानने से अधिक उस सम्बन्ध की विश्वसनीय व्याख्या करना। यहीं दृष्टि और पद्धति का प्रश्न सामने आता है।¹ समाज और साहित्य के सम्बन्ध की व्याख्या की दो पद्धतियाँ उल्लेखनीय हैं। (1) समाज को समझने के लिए साहित्य का उपयोग होता है। (2) साहित्य को समझने के लिए सिर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। साहित्यिक कृति को एक सामाजिक उत्पादन माना गया है। लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि साहित्य की रचना व्यक्ति ही करता है। इसलिए समाज से साहित्य के सम्बन्ध को समझने के लिए रचनाकार के समाज से सम्बन्धों को भी समझना आवश्यक है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है।

रेमण्ड विलियम्स ने कृति में स्थापित मूल्यों के ऐतिहासिक आधार और उसके बदलते विविध रूपों को अधिक महत्व दिया है। साहित्य समाज की खोज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है : 'साहित्यक कल्पना के सामाजिक अभिप्राय की पहचान। साहित्य—रचना का सूचना व्यवहार कल्पना का व्यापार है। कल्पना की मदद से ही जीवन—जगत का बोध, यथार्थ की चेतना, चरित्रों का निर्माण, भावो—विचारों की व्यंजना के तरीको की खोज सम्भव हो पाती है। लावेंथ के अनुसार — 'यह साहित्य के समाजशास्त्री की जिम्मेदारी है कि वह लेखक के काल्पनिक पात्रों की स्थितियों का सम्बन्ध उस ऐतिहासिक वातावरण से जोड़े जहाँ से लिए गए हैं।'²

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में सांस्कृतिक मोड़ आया है। साहित्य हंमेशा से संस्कृति के केन्द्र में रहा है लेकिन धीरे—धीरे साहित्य सांस्कृतिक होता गया है। यहाँ तक कि समाज के लगभग प्रत्येक पहलू को संस्कृति से जोड़ा जाने लगा है। कुछ समय पहले जो सभ्यता के अंतर्गत आता था आज वह सब संस्कृति का अंग बन गया है। साहित्यकार ए.के.सरन ने माना है कि अगर संस्कृति विश्व दृष्टि है, तो विज्ञान उसका एक पत्र है, क्योंकि विश्वदृष्टि मनुष्य की समग्रदृष्टि है जो प्रकृति तथा मनुष्य के जीवन और इतिहास से सम्बन्धित सोच का परिणाम है। मैनेजर पाण्डेय ने संस्कृति के समाजशास्त्र को भारतीय परंपरा का मात्र शब्द न मानकर इसे अंग्रेजी के 'कल्चर' शब्द का अनुवाद माना है। मैनेजर पाण्डेय ने बताया है कि हमारे यहाँ सभ्यता शब्द संस्कृत से मिलता है। कुछ समय के बाद सभ्यता के स्थान पर संस्कृति का प्रयोग होने लगा और आज संस्कृति शब्द अधिक प्रचलन में है। संस्कृति के समाजशास्त्र को परंपरा से जोड़ते तथा उसे विश्लेषित करते हुए मैनेजर पाण्डेय जी कहते हैं कि — 'संस्कृति के समाजशास्त्र का एक मुद्दा है परंपरा का विश्लेषण। प्रायः परंपराएँ समाज की होती हैं, कलाओं की होती हैं और साहित्य की भी होती हैं, जो मिल—जुलकर संस्कृति का विशिष्ट स्वरूप निर्मित करती हैं।'³

मैनेजर पाण्डेय रेमण्ड विलियम्स की तरह ही साहित्यिक सिद्धांतों को सांस्कृतिक सिद्धांतों के अंतर्गत मानते हैं। मैनेजर पाण्डेय के अनुसार कुछ हिन्दी के आलोचकों की साहित्यिक मान्यताओं में हम संस्कृति के समाजशास्त्र की अभिव्यक्ति पाते हैं जिसके आधार पर आलोचना का समाजशास्त्र विकसित किया जा सकता है। मैनेजर पाण्डेय अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि — 'हिन्दी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक सिद्धांत संबंधी मान्यताओं में उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण मौजूद है। उनकी लोकमंगल की धारणा का सांस्कृतिक संदर्भ है और हृदय की मुक्तावस्था का भी। मुक्तिबोध आलोचना को 'सभ्यता समीक्षा' कहते थे। रामचंद्र शुक्ल और मुक्तिबोध की आलोचना को संस्कृति के समाजशास्त्र के अंतर्गत विवेचित करते हुए उनकी आलोचना का समाजशास्त्र निर्मित किया जा सकता है।'⁴ भारतीय संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ कई संस्कृतियाँ हैं, जिससे उनमें सामंजस्य की समस्या मुख्य रही है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमें पूरे विश्व में देखने को मिलता है। लोग आज धीरे—धीरे भारतीय संस्कृति को अपनाते लगे हैं। एक तरफ राम, कृष्ण की पूजा करने लगे हैं तो वही दूसरी तरफ भारत के त्यौहारों को भी मनाने लगे हैं। मैनेजर पाण्डेय कहते हैं कि — 'आत्मसातीकरण के बदले संस्कृतियों में निहित सार्वभौमिकताओं की पहचान और उनका समन ही उचित होगा। संस्कृतियों के अंतर और अलगाव के स्वीकार के बाद जो समावेश और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया चलती है वहीं लोकतांत्रिक होती हैं।'⁵

किसी की भाषा की कृति पर विचार करना अर्थात् उस भाषा के साहित्यिक परिदृश्य पर विचार करना ऐसा हम कर सकते हैं। हिन्दी भाषा के साहित्य की परंपरा लगभग बारह सौ वर्ष पहले से ही शुरू हो गई थी

जो आज विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। आज हम सब वैश्विक ग्राम की संज्ञा में जी रहे हैं जहाँ प्रत्येक मनुष्य विभिन्न सौशल साइट्स और संचार—माध्यमों के माध्यम से संपूर्ण विश्व से आपस में जुड़ गया है और संवाद स्थापित कर पा रहा है। व्यक्ति का जीवन अनुभूति के विविध रंगों और भाषा की वक्रता पर टिका हुआ है। व्यक्ति जीवन के विभिन्न प्रसंग, कार्य—कलाप, अनुभव, समाज, जीवन शैली, राजनीति आदि स्थितियों को दर्शाते हुए साहित्य में अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करता रहता है। भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए आज विश्व के कई प्रदेश समाज और संस्कृति को अपने अंदर समेट रहा है। इसलिए अन्य भाषाएँ भी हिन्दी के वैश्विक रूप को देखते हुए हिन्दी साहित्य को दिल से अपना रहा है।

भारत और विदेशों में हिन्दी साहित्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता और हिन्दी साहित्य के पाठक वर्ग को बरकरार रखने का कार्य मात्र भाषा के द्वारा ही सम्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे हिन्दी के साहित्यकार, पत्रकार, पत्रिका, प्रचार—प्रसार करने वाला वर्ग, हिन्दी साहित्य को मिलने वाला प्रोत्साहन, नियमित रूप से पठन—पाठन के लिए व्यक्तिगत संस्थागत प्रयासों और कार्यक्रमों का योगदान भी विशिष्ट रूप से रहा है। संवाद माध्यम के कारण भी हिन्दी विश्व में लोकप्रिय भाषा बनी है। देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाली हिन्दी आज पूरे विश्व में विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपनी धाक जमा रही है। हिन्दी भाषा जितनी बोलने में आसान और सुचारु है वैसी शायद ही विश्व की कोई अन्य भाषा रही होगी। इसलिए हिन्दी भाषा और साहित्य को विश्व पटल पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य लेखकों, प्रकाशकों और पाठकों के माध्यम से सफल हो पाया है।

यूरोप से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति भारतीय उपमहादीप के साथ—साथ पूरे विश्व में फैली थी। इस औद्योगिक क्रांति के कारण न केवल साम्राज्यवाद का जन्म हुआ बल्कि पूरे विश्व में लोगों का भी विस्थापन हुआ। इस दौरान मूल भारतीय समाज के लोग दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। आज तक इस समाज ने अपनी भाषा और संस्कृति को न त्यागते हुए अपनी भाषा और संस्कृति के बल पर पूरे विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। पहले लोग रोजगार की तलाश में गाँव से शहर, शहर से अन्य देशों में विस्थापित होते थे। विस्थापन के समय वह अपनी संस्कृति, समाज, परंपराएँ और रीति—रिवाजों को अपने साथ ले जाते थे। जिसके कारण भारत की मूल संस्कृति और साहित्य से लोग परिचित होने लगे और आज विश्व पटल पर हिन्दी साहित्य विराजित हो रहा है।

आज विश्व पटल पर भारतीय वंश के ऐसे कई महान साहित्यकार हैं जो हिन्दी भाषा में साहित्य सृजन कर उसे विश्व पटल पर प्रदर्शित करते हुए पाठकों का एक नया वर्ग तैयार कर रहे हैं। ऐसे कई साहित्यकार हिन्दी साहित्य का अन्य विदेशी भाषाओं जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रूसी आदि में अनुवाद कर हिन्दी साहित्य को विश्व पटल पर पहुँचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हिन्दी साहित्य को भारत के बाहर विभिन्न हिन्दी सेवी संस्थाएँ और रचनाकार लेखन कार्य करके साहित्य का विभिन्न क्षेत्र में प्रचार—प्रसार कर रहे हैं। हिन्दी के कई महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिन्दी साहित्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने में लगा दिया। ऐसे ही महान साहित्यकारों को आज हमें जानने की आवश्यकता है।

विश्व पटल पर उषा प्रियंवदा ऐसी प्रसिद्ध रचनाकार हैं जिन्होंने अमेरिका में रहकर हिन्दी साहित्य को वहाँ की जनता के सम्मुख रखा। कानपुर में जन्म लेने वाली उषा प्रियंवदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. तथा पीएच.डी. की पढ़ाई पूर्ण की। उषा प्रियंवदा फुलब्राइट स्कालरशिप लेकर अमरीका चली

गई। अमरीका के ब्लूमिंगटन, इंडियाना में दो वर्ष तक डॉक्टरल अध्ययन किया। 1964 में उषा जी ने विस्कांसिन विश्वविद्यालय, मैडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर का कार्य प्रारंभ किया था। उषा जी के कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के भारतीय शहरी परिवार, सांस्कृतिक परिवेश का संवेदनशील एवं प्रभाव देखने को मिलता है। उषा प्रियंवदा के कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं – वनवास, शून्य, कितना बड़ा झूठ, जिन्दगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। इनके उपन्यास हैं : रूकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, पचपन खंभे लाल दीवारें, अंतर्वशी, भया कबीर उदास आदि।

भारत के साथ मॉरीशस में हिन्दी साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। मॉरीशस में रहने वाले हिन्दी कथा-साहित्य के सम्राट अभिमन्यु अनंत ने हिन्दी भाषा का खूब प्रचार-प्रसार किया है। अभिमन्यु अनंत की मुख्य रचनाएँ इस प्रकार से हैं : नागफनी में उलझी साँसे, कैक्टस के दाँत, गूँगा इतिहास, देख कबीरा हाँसी, इंसान और मशीन, लहरों की बेटी, जब कल आएगा यमराज, एक बीघा प्यार, कहासे का दायरा। अभिमन्यु अनंत के साहित्य के विद्रोह स्वर है और शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ बेबाक अभिव्यक्ति है। हिन्दी के अध्यापन और नाट्य प्रशिक्षण से जुड़े रहकर अभिमन्यु अनंत ने अपने विभिन्न हिन्दी उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से मॉरीशस को समकालीन हिन्दी साहित्य से परिचित करवाया है। अभिमन्यु अनंत के 30 से अधिक उपन्यास प्रकाशित हैं। अपना मन उपवन, लाल पसीना उनके चर्चित उपन्यास हैं।

भारतीय मूल की अमेरिकी उपन्यासकार, अभिनेत्री एवं शिक्षाविद सुषमा बेदी उपन्यासों और कहानी संग्रह की लेखिका हैं। सुषमा बेदी के दो उपन्यास हवन और वापसी का हिन्दी से उर्दू में अनुवाद किया गया है। इनहोंने 'हिन्दी भाषा शिक्षण कार्यक्रम' (हिन्दी लैंग्वेज पेडागोजी) कार्यक्रम चलाया है जिसके द्वारा हिन्दी भाषा की लोकप्रियता विदेशों में भी बढ़ी है। सुषमा बेदी के 'हवन' उपन्यास का 'द फायर सेक्रीफाइस' के नाम से डैविड रुबिन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। 'हेनमैन इंटरनेशनल' ने 1993 में प्रकाशित किया। सुषमा बेदी ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सहित कई विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिन्दी साहित्य में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए जनवरी 2006 में साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया।

कहानी-संग्रहों के लेखक तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन के एक ऐसे प्रतिष्ठित कहानीकार हैं जिनके संकलन नेपाली, पंजाबी, उर्दू भाषाओं में अनुदित और बहुत चर्चित हुए हैं। इनके कहानी-संग्रह काला सागर, ढिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, बेघर आँखे आदि हैं। तेजेंद्र शर्मा ने नाटक, फिल्म एवं अन्य साहित्यिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया है। इनकी कहानियों में मानवीय रिश्तों में मौजूद करुणा और संघर्ष के कई अंतर्द्वंद्व दिखाई पड़ते हैं।

उषा राजे ब्रिटेन की हिन्दी साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका 'पुरवाई' की सह-संपादिका तथा हिन्दी समिति यू.के. की उपाध्यक्षा रहीं हैं। तीन दशकों तथा ब्रिटेन के 'बॉरो ऑफ मर्टन' की शैक्षिक संस्थाओं पर उषा राजे कार्यरत रही हैं। इन्होंने 'बॉरो ऑफ मर्टन' के पाठ्यक्रम को हिन्दी में अनुवाद किया है। उषा राजे के काव्य-संग्रह-विश्वास की रजत सीपियाँ, इंद्रधनुष की तलाश में आदि हैं। कहानी संग्रह-प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियाँ संकलित हैं।

पूर्णमा वर्मन के संपादन में निकल रही हिन्दी इंटरनेट पत्रिकाएँ अभिव्यक्ति तथा अनुभूति की सामग्रियों

को खूब लोकप्रियता मिली है। पूर्णिमा वर्मन की प्रमुख रचनाएँ फुलकारी (पंजाबी में), मेरा पता (डैनिश में), चायखाना (रूसी में) आदि विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है।

विश्व पटल पर हिन्दी साहित्य को प्रस्थापित करने वाले अन्य साहित्याकरों में सीमा वीरा, कमला दत्ता, सुनीता जैन, वेद प्रकाश बटुक, उमेश अग्निहोत्री, इन्दुकान्त शुक्ल, अनिल प्रभा कुमार, सुधा ओम ढींगरा, सुरेश राय, शालीग्राम शुक्ल, मिश्रीलाल जैन, रचना रम्या, स्वदेश राणा, रेखा रस्तोगी, अनुराधा चन्दर, आर्य भूषण, आर. डी. एस 'माहताब ललित आहलूवालिया, भूदेव शर्मा, वेद प्रकाश सिंह 'अरूण, उषा देवी कोल्हटकर, स्वदेश राणा आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसी तरह से कई देशों में जैसे की मॉरीशस, इंग्लैण्ड, चीन, अमेरिका, जापान, फिजी त्रिनिदाद आदि में हिन्दी साहित्य के विकास को लेकर व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर कई विशेष कार्य किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष :-

हिन्दी भाषा ने अपनी सरलता और सरल सहजता के कारण विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। अपने विराट स्वरूप से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिन्दी भाषा में मधुरता है, कर्णप्रियता है, विश्व बंधुता है, संवेदनशीलता है। हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिस पर घमंड या अहंकार नहीं किया जा सकता बल्कि गर्व किया जा सकता है। हिन्दी अपने गुण और समर्थ, समर्थ और वैज्ञानिक लिपि से परिपूर्ण भाषा है, यह देश विदेश की अन्य भाषाओं के साथ मिलकर हमेशा आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। जिससे हिन्दी साहित्य का संसार आज विश्व पटल पर विस्तृत हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि :-

1. मैनेजर पाण्डेय : साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, पृ. 13
2. L.Lowenthal – The Art of Narrative, Page 10
3. मैनेजर पाण्डेय : संकलित निबंध, पृ. 203
4. मैनेजर पाण्डेय : संकलित निबंध, पृ. 202
5. मैनेजर पाण्डेय : संकलित निबंध, पृ. 210



हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर

शिवलाल अहिरवार

सहायक प्राध्यापक—हिंदी, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरी, जिला—सागर (म. प्र.)

भाषा का अर्थ :-

भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना जैसे तो सभी जीवधारी बोलते हैं, लेकिन मानव जिस वाणी को बोलता है बिल्कुल अन्य सभी जीवों से पूरी तरह भिन्न है। जीव धारियों की भाषा को विचार विनिमय की भाषा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी भाषा केवल सांकेतिक मात्र होती है, जबकि मानव की भाषा का स्वरूप केवल सांकेतिक ना होकर लिखित है।¹ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में एक दूसरे से संपर्क में आने पर अपने विचारों तथा भावों की अभिव्यक्ति करना आवश्यक है, जिस साधन से विचार विनिमय किया जाता है उसे ही भाषा कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, 'समुझै खग खग ही कै भाषा'। भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। भाषा सामान्य रूप से उन सभी अभिव्यक्ति की व्यंजना करती है जिससे संकेत विमर्श होता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं।²

भाषा का महत्व :-

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है। संप्रेषण और परिचय भी है बहुत सरल सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने बोलने और चाहने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है।³

हिंदी भाषा की उत्पत्ति :-

हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार साल पुराना है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है, साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है।⁴

हिंदी पत्रकारिता में रोजगार :-

वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है तेजी से होते औद्योगिकरण ने विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। कुछ वर्षों पूर्व भारत में आर्थिक समाचारों के प्रति ना तो पत्र पत्रिकाओं और ना ही संपादकों की रुचि की थी और नहीं पाठकों की हिंदी समाचार पत्रों की स्थिति तो और भी खराब थी। देश और विदेश के अर्थ जगत

से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि आर्थिक पत्रकारिता का विषय हो सकता है। आज की योजनाएं, बाजार समाचार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार आदि के समाचार पत्र-पत्रिकाओं में बहुतायत से प्रकाशित होने लगे हैं। सिर्फ अर्थ जगत से जुड़े संपूर्ण समाचार पत्रों की काफी संख्या में प्रकाशित हो रहे हैं तथा पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित कर रहे हैं। मानव जाति का गुण उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति उसे ना केवल अपने आसपास की अपितु समूची दुनिया में घट रही घटनाओं को जानने की दिशा में प्रेरित करती रही है। समस्त संसार के घटनाक्रम का मनुष्य को यथाशीघ्र परिचित कराने के प्रयासों की होड़ में पत्रकारिता का विविध रूपों में विकास होने लगा है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी भाषा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।⁵

अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं :-

एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। हिंदी में कहें गए किसी कथन को अंग्रेजी में कहना है अनुवाद है। आजकल ज्यादातर संगठन किसी व्यक्ति से अनुवाद करवाना पसंद करते हैं, जिसे अनुवादक कहते हैं। यह सभी अनुवादक प्रोफेशनल होते हैं और इन्हें अनुवाद करने के लिए अच्छा वेतन दिया जाता है, अगर हम पढ़ने और आगे बढ़ने का शौक रखते हैं तो अनुवादक बनना हमारे लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। भारत में अनुवाद की जरूरत सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों को ही है आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। आज बाजारवाद के दौर में हम अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प देख सकते हैं सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र, न्यूज मीडिया, विज्ञापन उद्योग, उद्योग प्रकाशन अनुवाद एजेंसियां और स्वतंत्र रूप से घर बैठे भी हमें कई सारी वेबसाइट हैं जो अनुवाद का काम स्वतंत्र रूप से करने को दे सकती हैं।⁶ हिंदी में अनुवादक के क्षेत्र के लिए द्विभाषी दक्षता होना महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति एक स्वतंत्र अनुवादक के तौर पर अपनी आजीविका संचालित कर सकता है। अपनी खुद की अनुवाद फर्म भी स्थापित कर सकता है ऐसी फर्म अनुबंध आधार पर कार्य प्राप्त करती है। तथा बहुत से पैसेवर अनुवादको को रोजगार उपलब्ध कराती है। विदेशी एजेंसियों से भी अनुवाद परियोजनाओं के अवसर प्राप्त कर सकते हैं यह कार्य आसानी से इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है।⁷

रेडियो जॉकी और समाचार वाचक :-

रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी की आवाज किसने नहीं सुनी नवेद की आवाज से कौन नावाकिफ है। इन्होंने हिंदी में रेडियो जॉकी का कैरियर बनाया ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो इस क्षेत्र में नाम और दाम कमा रहे हैं यदि हम भी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं आवाज अच्छी है तो यह कैरियर ऑप्शन है इसके साथ ही समाचार वाचक की भूमिका में भी हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।⁸

विज्ञापन में रोजगार :-

वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा प्रचार-प्रसार का युग है। वर्तमान समय में सभी लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना ही विज्ञापन कहलाता है। साधारण रूप से कंपनी या संस्था द्वारा किसी उत्पाद सेवा अथवा सामाजिक मुद्दे राष्ट्र हित में योजनाओं की जानकारी का लोगों तक विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आपका संदेश कितना प्रभावी है यह आपकी कला पर निर्भर करता है। विज्ञापन कंपनियां उत्पादों का प्रचार-प्रसार करती हैं। इसके लिए वह टीवी, समाचार पत्रों, एस.एम.एस, ईमेल, और सोशल मीडिया का प्रयोग करती

हैं, इसके लिए सभी कंपनियां डिग्री या डिप्लोमा वाले अनुभवी अभ्यर्थियों की खोज करती रहती हैं। कंपनियां उनके अंदर भाषा पर मजबूत पकड़ और उच्च कोटि की संवाद दक्षता का आकलन करती हैं। वर्तमान में कई अभिनेता, कलाकार और खिलाड़ी विज्ञापन के माध्यम से बहुत सा धन और नाम भी कमा रहे हैं।⁹

हिंदी शिक्षण में रोजगार :-

शिक्षा का मतलब ज्ञान सदाचार उचित आचरण तकनीकी शिक्षा तकनीकी दक्षता विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निकली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण करते हैं। शिक्षक पाठ्यवस्तु को छात्र के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से ही छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि छात्र का अपनी भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो वह ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। वर्तमान में हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हैं। भारत की सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी में हिंदी को अनिवार्य रूप से रखा गया है और हिंदी शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है इसमें रोजगार के अवसर बहुतायत होते हैं।¹⁰

लेखन के क्षेत्र में रोजगार :-

लेखन कौशल का अर्थ है भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित करने की कुशलता। अधिकांशतः सभी भाषाओं की अपनी-अपनी लिपि व्यवस्था होती है चाहे हिंदी भाषा हो या अन्य भाषाएं सभी भाषाओं की अपनी-अपनी लिपियां होती हैं। आशय यह है कि लेखक द्वारा लिपिबद्ध विचारों तथा भावों को ही पढ़ और समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा का और लिपि का अच्छा ज्ञान हो। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष तथा उसकी लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी जरूरी है। लेखन कौशल साहित्य सृजन का मूल आधार है। लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों की सास्वत अभिव्यक्ति साहित्य का रूप ग्रहण करती है। अतः लेखन कार्य करके उस भाषा जिसमें आप लिखना चाहते हैं, उस मानव समुदाय को समझना अत्यंत जरूरी है। लेखन के माध्यम से नैतिक मूल्य संस्कृति के बारे में भी आप लेखन कार्य कर सकते हैं और अपनी आजीविका को लेखन के माध्यम से चला सकते हैं। भारत में अनेक लेखक हुए जिन्होंने नाम और दाम खूब कमाया हम भी हिंदी भाषा में लेखन कार्य करके धनार्जन कर सकते हैं।¹¹

अगर आप अच्छा लिख लेते हैं और उसको आपको लगता है कि आपके लिखे गए को लोग काफी पसंद करते हैं तब लेखन के क्षेत्र में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यह बाकी कैरियर के मुकाबले काफी अलग तरह का कैरियर है। इसमें कल्पनाशीलता के अलावा लगातार काम करते रहने की काबिलियत भी होना जरूरी है। किताब लेखन के क्षेत्र में सबसे पहले अपने लिखे को स्वयं बार-बार पढ़ें और इस बात पर गौर करें कि आपने जो लिखा है क्या वह ठीक है या अच्छा है। इतना ही नहीं अपने दोस्तों से इस संबंध में बातचीत करें और उन्हें भी यह बताएं अगर आपने अच्छा लिखा है तब अखबारों या साहित्यिक पत्रिकाओं में भी आप अपने लेख आदि भेज सकते हैं पहले शुरुआत छोटी पत्रिकाओं से करें फिर अन्य पत्रिकाओं के लिए लिखें धीरे-धीरे आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं और लेखन के क्षेत्र में आप महारत हासिल कर सकते हैं।¹²

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का युग है जिसमें भाषिक आमजन वैश्विक दृष्टि से करने की जरूरत महसूस होती जा रही है। इन सभी जरूरतों की पूर्ति करने का सामर्थ्य हिंदी में निश्चित है। आज की हिंदी ना केवल आज बल्कि भविष्य में भी विस्तृत मानवीय संदर्भों में राष्ट्रीयता की सीमा लांघकर कर पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली अमोघ शक्ति बनी रहेगी। आज सृजनात्मक हिंदी किसी भी प्रकार के विषय में संबंध में अभिव्यक्ति में समर्थन प्राप्त कर चुकी है, साथ ही शिक्षा प्राप्त ज्ञान—विज्ञान कानून आदि संबंधों में स्वायत्त भी बनती जा रही है। यहां यह कहना समीचीन होगा कि हिंदी आपकी अपनी साहित्य सीमाओं को लांघकर जीवन शैली की भाषा बनती हुई विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ती जा रही है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है। आज वर्ड प्रोसेसिंग वेबदुनिया आदि में हिंदी के तेजी से बढ़ते प्रयोग को नजरअंदाज नहीं कर सकते अतः वैश्विक स्तर पर हिंदी का भविष्य भी देदीप्यमान है। आज भारत अगर पूरी दुनिया के सामने शक्तिशाली बाजार के रूप में उभरा है तो हिंदी भाषा एक बाजार की सबसे शक्तिशाली भाषा के रूप में सामने आ रही है। अतः आज वैश्वीकरण का युग है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में करीब आ गया है। हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज समय आ गया है कि हमें अपने ज्ञान को आधुनिक युग के हिसाब हिंदी से जोड़ना होगा विद्यार्थियों को हिंदी में निपुण होना होगा, तभी हिंदी भाषा में रोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं।¹³

आज हम भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हिंदी अपने उस व्यापक मुकाम तक पहुंच चुकी है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चाहे गूगल का क्षेत्र हो, व्हाट्सएप, मोबाइल, टीवी नाटक, समाचार, पत्र—पत्रिकाएं, समाचार लेखन, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा और गीत लेखन में यदि आपकी हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है और आप तर्कशील हैं। अपनी बात को इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें रोचकता हो मनोरंजन हो या लोगों को प्रेरणा मिलती हो आप एक अच्छे लेखक अच्छे कवि बन सकते हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे भारत के कई राज्यों में यह राजभाषा के पद पर आसीन हैं और इसमें ही शासकीय पत्राचार किया जा रहा है। भारत ही नहीं विश्व में और भी ऐसे कई देश हैं जहां पर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन हो रहा है। कई देशों में हिंदी को लोग सीख रहे हैं और हिंदी भाषा भाषियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदी के लिए यह गर्व की बात है। आने वाला समय हिंदी के लिए स्वर्णिम दौर होगा और हिंदी भाषा में रोजगार के नए—नए मार्ग प्रशस्त होंगे। सिनेमा के क्षेत्र में कई लोकप्रिय गीतकार हुए हैं जिनको हम आज भी सुनते या पढ़ते हैं। कई पटकथा लेखक हुए जिन को आज भी याद किया जाता है या उनकी लिखी हुई पटकथा की सराहना की जाती है। हिंदी में भारत में कवि के रूप में भी कई कवियों ने ख्याति प्राप्त की है और उन्होंने अपने कविता को जीवन यापन का माध्यम भी बनाया है।

संदर्भ सूची :-

1. लेख—कैलाश मीणा।
2. भाषा विज्ञान —डॉ. राजेश 'शष्वर'।

3. उल ळवअ मेरी सरकार 14 सितंबर 2017
4. <https://www.amarujala.com>blog>
5. प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रो. त्रिभुवन नाथ शुक्ल ।
6. ब्लॉग 20/12/2017
7. हिंदी कुंज, कॉम. प्रतिभा त्रिपाठी (रांची झारखंड)
8. लेख, नवीन रांगियाल ।
9. [kaise in hindi.com](http://kaise.in.hindi.com)
10. <https://www.hindi.ke.guru.com>
11. कैलाश एजुकेशन ।
12. m.hindi.webduniy



वैश्वीकरण की स्थिति में हिन्दी की भूमिका

सुमन कुमारी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार।

वैश्वीकरण वह शब्दावली है जिसका प्रयोग कुछ ऐसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा राजनीतिक परिवर्तनों के जटिल समूह के लिये किया जा रहा है जिनके परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर दूर-दराज एवं विभिन्न स्थानों पर बैठे व्यक्तियों, समूहों, कम्पनियों अथवा सरकारों के बीच अंतर्संबंध काफी तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। वैश्वीकरण की अवधारणा समय तथा स्थान की निकटता की तरफ भी संकेत करती है। बेलिज तथा स्मिथ के अनुसार—वैश्वीकरण एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो मानवीय समाजिक संगठन के स्थानीय सोपान के रूपांतर में मौलिक बदलाव है जो दूर-दराज के समुदायों को जोड़ता है तथा शक्ति संबंधों की पहुँच को क्षेत्रों तथा उपमहाद्वीपों के आर-पार फैला देता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का सीमा पर लेन-देन की मात्रा एवं भिन्नता में बढ़ौतरी।

वर्तमान समय में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या भूमण्डलीकरण का अर्थ है— विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण। वास्तव में यह एक आर्थिक अवधारणा है जो आज एक सांस्कृतिक और बहुत कुछ अर्थों में भाषायी संस्कार से भी जुड़ चुकी है। वैश्वीकरण आधुनिक विश्व का वह स्तम्भ है जिस पर खड़े होकर दुनिया के हर समाज को देखा, समझा और महसूस किया जा सकता है। वैश्वीकरण आधुनिकता की वह कसौटी है जो किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को उसकी भौगोलिक सीमाओं से परे हटाकर एक समान धरातल उपलब्ध कराता है, जहाँ वह अपनी पहचान के साथ अपने स्थान को पुष्ट करता है।

वैश्वीकरण के प्रवाह में आज कोई भी भाषा और साहित्य अछूता नहीं रहा गया है, वह भी अपनी सरहादों को पारकर विश्वभर के पाठकों तक अपनी पहचान बना चुका है जिसमें दुनिया भर के प्रबुद्ध भी एक-दूसरे से जुड़ सके हैं और साहित्य का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन संभव हो सका है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यह साफ दिखलाई पड़ रहा है कि एक ओर विश्व बाजार में तेजी से समरसता आ रही है। अपनी भाषा पर हो रहे अतिक्रमण से उपजने वाले वैश्विक मानकीकरण को लोग नहीं पहचान रहे हैं और उनका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि इस नई भाषा के कथ्य के रूप में उन्हें बहुत कुछ भारतीय मिल रहा है। कुछ लोग अंग्रेजी के लचीलेपन से बहुत प्रभावित हैं। उनका विचार है कि अंग्रेजी में दूसरी भाषाओं को ग्रहण करने की क्षमता है। लेकिन पिछले दो दशकों में अंग्रेजी ने विभिन्न भाषाओं के कितने शब्द ग्रहण किए, कितने नए उच्चारणों को मान्यता मिली इस पक्ष पर भी विचार करना आवश्यक है। भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा है और इस हद तक बढ़ा है कि यदि ध्यान न दिया गया तो भविष्य में आनुपातिक विभिन्नता

में अंग्रेजी का अनुपात अधिक होने से भारतीय भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर हो जाएगी और तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।

भारत विश्वभर में सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। बहुभाषिकता की दृष्टि से भी यह तथ्य पूर्णरूपेण सत्य है। हजारों मातृभाषाएँ अनेक वर्षों से यहाँ बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में से कुछ ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, पुरातन समय में जो काम संस्कृत कर रही थी वही काम वर्तमान में हिन्दी कर रही है। हिन्दी आज समाचार-पत्रों संचार माध्यमों में प्रयोग बाहुल्यता से अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। भाषाविद जयंती प्रसाद नौटियाल के अनुसार— “विश्व में हिन्दी प्रयोग करने वालों की संख्या चीन से भी अधिक है और हिन्दी अब प्रथम स्थान पर है। उसने अंग्रेजी समेत विश्व की अन्य सभी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया है।”¹

हिन्दी साहित्य का मध्यकाल आक्रमणों का काल रहा। अतएव विदेशी आक्रमणकारियों की भाषा संस्कृति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी में तुर्की व फारसी शब्दों का समावेश बहुलता से हुआ। इसी दौर में व्यापार के माध्यम से विदेशी सम्पर्क भी बढ़ने लगा। अतः पूर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का समावेश भी हिन्दी में हुआ। ठीक इसी समय पिंगल, मैथिली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का स्वर्णिम साहित्य रचा गया। हिन्दी वह भाषा थी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या उसके बाद चले आंदोलन, देश भर में आजादी की अलख जगाने में सेतु बनी, खास कर उत्तर भारत में।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। भारत के स्वाधिनता आंदोलन में पूरे देश को जोड़ने में हिन्दी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। “स्वाधिनता संग्राम में हिन्दी और लोकभाषाओं की भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाधिनता की बलिबेदी पर न्यौछावर होने की लौ जो देशवासियों के भीतर जगाई गई, वह हिन्दी भाषा के माध्यम से ही जगाई गई थी। भारत में स्वाधिनता की जो लौ जलाई गई, वह मात्र राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं थी, वरन् सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए भी प्रमुख थी। भारत में साहित्य, संस्कृति और हिन्दी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।”²

वर्तमान समय में हिन्दी किसी प्रदेश की भाषा न रहकर समूचे देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका पठन-पाठन हो रहा है। प्रवासी भारतीय साहित्य अन्तराष्ट्रीय फलक पर हिन्दी को अपनी विशिष्ट पहचान दिला रहा है। इस वजह से हिन्दी भाषा और साहित्य का दायरा निःसंदेह विश्व के मानचित्र पर बढ़ा है परन्तु विज्ञापनों व समाचार माध्यमों में प्रयुक्त हो रही हिन्दी भाषा ने इसके स्वरूप व भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। आज हिन्दी में नए शब्दों का प्रचलन न के बराबर हो रहा है। साथ ही बाजार की भाषा बनने की प्रक्रिया में इसकी मूल प्रकृति भी नष्ट हो रही है। भाषा का मानकीकरण एक अन्य ऐसा प्रमुख बिन्दु है जो हिन्दी के रूप को प्रभावित करता है। इस ओर प्रभावी कार्य होने की आवश्यकता है।

आज हिन्दी भाषा का साहित्य भी विविध विधाओं के माध्यम से वैश्विक फलक पर अपना स्थान बना रहा है। उत्कृष्ट लेखन व हिन्दीतर श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद इस भाषा को मांज कर इसके वैश्विक स्वरूप को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकती है जो कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में परम आवश्यक है। आज हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पत्र-पत्रिकाओं के साथ साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र भी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हिन्दी को बढ़ावा दे कर सहारा बन रहे इन माध्यमों से ही हिन्दी को सबसे अधिक खतरा भी है। ये

माध्यम बोलचाल की भाषा के नाम पर विदेशी भाषा के मोह से स्वयं को अलग नहीं कर पा रहे हैं बल्कि इनमें प्रयुक्त भाषा में अंग्रेजी शब्दों की अधिकता होने लगी है। परिणामस्वरूप हिन्दी के स्वरूप में बदलाव आ रहा है और हिंग्लिश के रूप में एक नया रूप अवतरित होने लगा है। आज अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केवल भाषागत आवश्यकता के लिए ही नहीं होता अपितु एक सामाजिक स्तर प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है।

हिन्दी भाषा के वैश्विक स्वरूप को संचार माध्यमों में भी देखा जा सकता है। हिन्दी के वैश्विक स्वरूप को गढ़ने के लिए संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृति की वाहक होती है भाषाएँ और संचार माध्यमों पर प्रसारित कार्यक्रमों से समाज के बदलते सच को हिन्दी भाषा के बहाने ही उजागर किया जाता है। आज स्मार्टफोन हो या अन्य कोई भी डिवाइस सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में हिन्दी में संदेश भेजना, हिन्दी की सामग्री को पढ़ना, सुनना या देखना लगभग उतना ही सरल हो गया है जितना अंग्रेजी की सामग्री को लिखना-पढ़ना। इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं खास कर हिन्दी की सामग्री की वृद्धि प्रभावशाली है।

प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया और हिन्दी टेलिविजन पर व्यावसायिकता की दृष्टि से हिन्दी एक बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है। वैश्वीकरण के इस सघन और उत्कट समय में मीडिया को वर्चस्वशाली भाषा और उच्च तकनीकी विकास का स्रोत तथा आधुनिकता के मुल्यों का वाहक माना जा रहा है। विज्ञापनों की भाषा हिन्दी शुद्धतावादियों को भले ही न पच रही हो, आज के युवा वर्ग ने उसे देश भर में सक्रिय भाषा कोष में शामिल कर लिया है। आज हिन्दी का ही देन है कि राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों को हम गांवों में भी प्राप्त कर सकते हैं। हिन्दी भाषा में लिखे लोक लुभावने विज्ञापनों और नारों ने शहरी सीमा को लांघकर कस्बों और गांवों में जगह बना ली है। आज प्रचार माध्यमों की भाषा हिन्दी होने के कारण वे भारतीय परिवार और सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते। आज हिन्दी समूचे भूमण्डल की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है।

हिन्दी विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्व-विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन में भागीदार है। अकेले अमेरिका में ही लगभग एक सौ पचास से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है। वैश्वीकरण के दबावों के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ आदान-प्रदान व संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं तो हिन्दी इस दिशा में विश्व मनुष्यता को निकट लाने के लिए सेतु का कार्य कर सकती है। हिन्दी की मूल प्रवृत्ति लोकतांत्रिक तथा रागात्मक संबंध निर्मित करने की रही है। वह विश्व की ही सबसे बड़े लोकतंत्र की ही राष्ट्र भाषा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सुरिनाम जैसे देशों की सम्पर्क भाषा भी है। वह भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच खाड़ी देशों, मध्य एशियाई देशों, रूस, समूचे यूरोप, कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको जैसे प्रभावशाली देशों में रागात्मक जुड़ाव तथा विचार-विनिमय का सबल माध्यम है।

आज वैश्विक फलक पर हिन्दी स्वयं को एक संपर्क भाषा, प्रचार भाषा और राजभाषा के साथ-साथ वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करती जा रही है। वैश्वीकरण के बाद हुए भाषायी विस्तार से हिन्दी में भाषाओं के शब्द ही नहीं आए, बल्कि इसका फैलाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रवासियों और विदेशियों की बोली में देखा जा सकता है।

वर्तमान में हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी पहचान की मोहताज नहीं है वरन उसने विश्व परिदृश्य में

एक नया मुकाम हासिल किया है। अमेरिका जो उत्तम टेक्नोलाजी, बेहतर शिक्षा, दूरसंचार के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी है वहाँ भी हिन्दी भाषा का प्रयोग बढ़ा है और इसके प्रचार-प्रसार की पुरजोर प्रतिनिधित्व की जा रही है। अमेरिका जो कि अपनी भाषा और पहचान को लेकर दुनिया में श्रेष्ठता का दावा करता है, हिन्दी भाषा सीखने के लिए अपने देशवासियों को प्रेरित करने की उसकी रुचि का प्रदर्शन निश्चित ही भारत के लिए गौरव की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से घोषणा किया है कि— “हिन्दी ऐसी विदेशी भाषा है, जिसे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को सीखना चाहिए।”³

हिन्दी को वैश्विक स्तर पर सम्मान सिनेमा के माध्यम से भी प्राप्त हो रहा है। सिनेमा ने हिन्दी की लोकप्रियता और व्यावहारिकता दोनों ही बढ़ाई है। आज भारत के सभी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों का अनुवाद हिन्दी भाषा में तो हो ही रहा है, लेकिन हॉलीवुड की सिनेमा को बॉलीवुड की भाषा या हिन्दी भाषा में लाने की कोशिश हिन्दी भाषा के प्रति एक नई क्रांति ले कर आयी है। भारत के दूर-दराज के गाँव व कस्बों तक उसे पसंद किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक भाषा के रूप में हिन्दी की उपयोगिता को विश्व का व्यापारिक समुदाय अब भली-भांति समझ भी चुका है। सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस राष्ट्र में चालीस करोड़ से अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं। लगभग तीस करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी रूप में हिन्दी भाषा के साथ सरोकार जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की आबादी के लगभग तीन चौथाई से अधिक लोगों में हिन्दी संपर्क का माध्यम है।

बहुभाषिक समाजिक व्यवस्था वाले भारत में हिन्दी को वैश्विक बाजार ने संपर्क व व्यवहार की भाषा के रूप में अपनाया है। विश्व इस बात को जान चुकी है कि विशाल आबादी वाले भारतीय मध्यमवर्गीय बाजार तक उसे अपनी पहुँच बनानी है तो हिन्दी को अपनाना ही होगा। नई बाजार संस्कृति अब तक स्वायत्त रहे समाजों और संस्कृतियों के रहन-सहन, आचार-विचार, भाषा-भूषा और मूल्यबोध सभी का अपने तरीके से समायोजन कर रही है।

वर्तमान में हिन्दी पर भूण्डलीकरण अपना व्यापक प्रभाव डाल रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में भूमण्डलीकरण समकालीन विश्व की विशिष्टताओं में से एक है। भूमण्डलीकरण का प्रत्यक्ष संबंध बाजारवाद से है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यावसायिक दृष्टिकोण या तो स्वयं इसे अपना रही है या फिर अपनाने पर विवश है। संगीत, कला, विज्ञान, दर्शन आदि के साथ ही साहित्य पर व्यावसायिकता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। दरअसल यह वैश्वीकरण आंचलिकता, स्थानीयता व क्षेत्रीयता का विरोधी है चाहे वह कला के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में। परिणामस्वरूप देशज तत्वों पर संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है और अंग्रेजी का दबदबा निरंतर बढ़ता जा रहा है। विदेशी निवेशकों और कम्पनियों को भारत के धरातल पर उतरने के लिए तथा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए हिन्दी के सहारे की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे अपने उत्पादों की जानकारी या विज्ञापनों को हिन्दी में प्रस्तुत करते हैं परन्तु उसमें वे गुणवत्ता या मानकीकरण की अवहेलना कर रहे हैं।

निसंदेह आज भूमण्डलीकरण समकालीन विश्व की विशिष्टताओं में एक है। भूमण्डलीकरण का प्रत्यक्ष

संबंध बाजारवाद से है। इसी का प्रभाव है कि प्रत्येक गतिविधि व्यावसायिक दृष्टिकोण या तो स्वयं अपना रही है या अपनाने को मजबूर है। संगीत, कला, विज्ञान, दर्शन आदि के साथ ही साहित्य पर व्यावसायिकता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है।

विज्ञान और भाषा का दिलचस्प रिश्ता है। विज्ञापन-भाषा अपने निश्चित सीमांतों को तोड़कर नित नए मुहावरों में ढलती है। जैसे कवि अपनी कविता में शब्द की अनेक अर्थ-व्यंजनाएँ निर्मित करता है वैसे ही विज्ञापन भी अपने मूल संदेश को सपनों का जामा पहनाकर शब्दों की गलियों से हम तक पहुँचता है। यह भाषा केवल शब्दों की अर्थ-क्रिया से ही नहीं बंधी, यह मीडिया की विशिष्ट प्रकृति से भी जुड़ी है। मीडिया के अर्थ-ग्रहण केवल शब्द के आधार पर नहीं होता। माध्यम की प्रवृत्ति के अनुसार अर्थ-संप्रेषण का आधार-शब्द, ध्वनि, संगीत, चित्र या दृश्य कुछ भी हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. साहित्य अमृत, सितम्बर 2010, पृ0-39
2. साहित्य अमृत, सितम्बर 2010, पृ0-38
3. कृष्ण कुमार यादव, भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी, साहित्य कुंज, 17, जनवरी 2009

सुमन कुमारी

पता – गोपालगंज (टाइगर फिल्ड के समीप), पोस्ट ऑफिस+थाना-सासाराम, जिला-रोहतास (बिहार)-821115

टेलीफोन/मोबाईल नं0-9572011701

ई-मेल- sumansharmakumari635@gmail.com



हिन्दी भाषा हम सबकी प्यारी भाषा

अमन आहुजा, एम.बी.ए., एम.कॉम,

पी.एच.डी, रिसर्च स्कॉलर (वाणिज्य), स्टारएक्स विश्वविद्यालय, गुरुग्राम।

सारांश :- “निज भाषा पावन बड़ी, गंगा माँ सा नीर
हिन्दी ने जग को दिए, तुलसी सूर-कबीर।।”

हम सबकी प्यारी हिन्दी भाषा ने देश की सांस्कृतिक एकता को एक सूत्र में पिरोकर रखा हुआ है। यह भारत देश की संस्कृति की आत्मा है। हिंदी विश्व की सबसे मीठी एवं प्यारी भाषा है। हम चाहें कितनी भी भाषाएँ सीख लें, लेकिन जो अपनापन और स्नेह हिंदी भाषा में है, वह किसी और भाषा में नहीं। यह वैज्ञानिकता की कसौटी पर एक दम रखी उतरी है। इसमें आप जो बोलते हैं वही लिखा जाता है। अनेक विचारकों का कथन है कि—“ मनुष्य का संसार उसके बोध से बनता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति दुनियाँ की बदलने की क्षमता रखता है। हर कोई दुनियाँ को बदलने की सोचता भी है लेकिन कोई भी खुद को बदलने की बात नहीं सोचता। मनीषी टॉलस्टॉय का यह कथन बताता है कि मनुष्य की दुनियाँ खुद उससे शुरु होती है, वह बदल जाए तो दुनियाँ खुद बखुद बदल जायेगी। मैं तुम्हें नहीं बदल सकता, तुम मुझे नहीं बदल सकते, लेकिन हम मिल जुलकर दुनियाँ को बदलने का काम कर सकते हैं। हिंदी भाषा को समस्त भारत में फैलाने हेतु यह कथन एकदम स्टीक बैठता है। कल मैं चतुर था इसलिए दुनियाँ को बदलना चाहता था, आज मैं समझदार हूँ, इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। रुमी का यह विशेष कथन बताता है कि दुनियाँ को बदलने का एक ही तरीका है—“खुद को बदलना।” हिंदी भाषा के प्रयोग हेतु यह कथन शत प्रतिशत सही ठहरता है। यदि हम अपने देश की भाषा से ही प्रेम नहीं कर सकते तो क्या ईट पत्थर की दीवारों से प्रेम करेंगे। किसी भी राष्ट्र की भाषा ही उसकी संस्कृति होती है। भाषा परम्पराओं और संस्कृति को जोड़े रखने की एक कड़ी है। इसका काम दो दिलों को तोड़ना नहीं है, दोनों के बीच सेतु का काम करना है। भाषा किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की पहचान होती है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है जो हमें हमारी धरोहर व अस्मिता की पहचान कराती है।

प्रस्तावना :-

“अंग्रेजी की अनिवार्यता को निश्चित रूप से समाप्त कर देना चाहिए।” यह कथन सर्वथा उचित है। अंग्रेजी भाषा आधुनिक दौर की आवश्यकता अनुचित है। अंग्रेजी की अनिवार्यता से कहीं-न-कहीं राष्ट्रभाषा हिंदी के अस्तित्व को भी नुकसान हुआ है। वर्तमान युवा पीढ़ी हिंदी पढ़ने व समझने से कतराने लगी है, जबकि सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में जितना निपुण हो सकता है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं।

अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए रखना हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने जैसा है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को थोपा जाता है। अंग्रेजी की अनिवार्यता से अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों तथा हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्द्धा बराबरी की नहीं रह जाती। अतः प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को बनाए रखने तथा हिन्दी की समाप्त होती प्रासंगिकता को पुनः वांछित ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए।

हिंदी भाषा को लेकर महात्मा गांधी की सोच व्यापक थी। इसी कारण उन्होंने हिंदी भाषा का पक्ष लिया और इसके लिए काम भी किए। हिंदी पर महात्मा गांधी के कुछ विचार निम्न प्रस्तुत हैं—

1. राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।
2. हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है।
3. हिन्दुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए, रोमन लिपि का व्यवहार यहां हो ही नहीं सकता।
4. हिंदी भाषा देश के स्वाभिमान का कारण है।
5. हिंदी भाषा के लिए मेरा प्रेम हिन्दी प्रेमी जानते हैं।
6. हिंदी भाषा के लिए भाषा का सम्बोधन।
7. हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।
8. अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता—समझता है और हिन्दी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।
9. प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करें उसमें कार्य करे किन्तु देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा भी वह सीखे।
11. यदि स्वराज्य देश के करोड़ों भूखे, अनपढ़, दलितों के लिए होना है तो जन—सामान्य की भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा।

महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी ही वह भाषा है, जो हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं होने देती। इसी कारण वे अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हुए कहते हैं—“अंग्रेजी ने जो हम पर जादू का सा असर डाला है वह अभी नष्ट नहीं हुआ है। उसी के कारण हम हिन्दुस्तान की, उसके ध्येय की प्रगति में रोड़े अटकाते हैं। हम अंग्रेजी सीखने में जितने साल बिताते हैं, उतने महीने अगर हिंदी सीखने में बिताने का कष्ट करते हैं तो जनता के प्रति हमारा प्रेम बिल्कुल ही ऊपरी स्तर का है।” महात्मा गांधी के विचार से गैर—हिंदी भाषाई भारतीयों को हिंदी भाषा सीखने की तरफ आगे बढ़ाना था। वर्तमान समय में भी अंग्रेजी की श्रेष्ठता का हाल बना हुआ है और यह गांधी जी के समय से कहीं ज्यादा सक्रिय और गहरा होता जा रहा है। आजकल हिंदी भाषा में विशेषकर गैर—हिंदी भाषा प्रदेश में बोलना लगभग अज्ञानता का सूचक माना जाता है।

सन् 1910 में ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ की स्थापना हुई। मार्च 1918 में हुए इंदौर के हिन्दी साहित्य

सम्मेलन अधिवेशन में महात्मा गांधी सभापति चुने गए। इस पर कार्य करने से पूर्व उन्होंने अहिंदी भाषी नेताओं जैसे बांग्लाभाषी रवीन्द्रनाथ ठाकुर, दक्षिण भारत की एनी बेसेंट और महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक को अपने कुछ सवाल भेजे और इनके जवाब तुरन्त मांगे थे।

इन सवालों में 1. क्या हिंदी भाषा या उर्दू अन्तः प्रांतीय व्यवहार के लिए अन्य राष्ट्रीय कार्यवाहियों के लिए उपयुक्त एकमात्र राष्ट्रीय भाषा नहीं है? 2. क्या हिंदी कांग्रेस की आगामी अधिवेशनों में मुख्यतः उपयोग में लाई जाने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए? 3. क्या हमारे विद्यालयों या महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा देशी भाषाओं के माध्यम से देना वांछनीय और संभव नहीं है? 4. क्या हमें प्रारम्भिक शिक्षा के बाद हिंदी को अपने विद्यालयों में अनिवार्य द्वितीय भाषा नहीं बना देना चाहिए?

गांधी जी के इन प्रश्नों के अनुकूल उत्तर इन नेताओं द्वारा दिए गए थे। भाषा प्रेम पर गांधी जी ने बहुत बल दिया। इन सभाओं में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि—“आपने मुझे इस सम्मेलन का सभापतित्व देकर कृतार्थ कर दिया है। हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है, यह मैं जानता हूँ। मेरा हिंदी भाषा के प्रति असीम प्रेम ही यह स्थान दिलाने का कारण हो सकता है।

महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कई सारी पत्रिकाओं का भी सहारा लिया था। कुछ पत्रिकाएं इन्होंने स्वयं की प्रकाशित की थी और कुछ दूसरी पत्रिकाओं के लेखकों ने इनसे प्रभावित होकर हिंदी के लिए काम किया। हिंदी नवजीवन और हरिजन सेवक पत्र ने इसी दिशा में योगदान दिया। सन् 1921 में नवजीवन का पहला अंक हिंदी में निकला था और इसके संपादकीय स्तंभ में गांधी जी ने लिखा था कि—“यद्यपि मुझे मालूम है कि नवजीवन को हिंदी में प्रकाशित करना कठिन काम है तथापि मित्रों के आग्रहवश और साथियों के उत्साह से नवजीवन का हिंदी अनुवाद निकालने की धृष्टता मैं करता हूँ।

अनुपम मिश्र ने समाज से जिस भाषा में संवाद किया उस भाषा का भी बड़ा योगदान है। डॉ. राममनोहर लोहिया ऐसी ही भाषा और मुहावरों में अपनी बात कहते थे जो समाज के अंतिम जन तक को समझ में आ जाती थी। अनुपम मिश्र ने भी गांव-करबे की उस भाषा में संवाद किया और लोगों पर उसका असर हुआ। भाषा के ही बारे में अनुपम मिश्र की ये पंक्तियाँ हमें हमारे समाज, मन और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं, ‘किसी समाज का पर्यावरण पहले बिगड़ना शुरू होता है या उसकी भाषा? हम इसे समझ कर संभल सकने के दौर से तो अभी आगे बढ़ गए हैं। हम विकसित हो गए हैं। भाषा यानी केवल जीभ नहीं। भाषा यानी मन और माथा भी। एक का नहीं, एक बड़े समुदाय का मन और माथा, जो अपने आस-पास के और दूर के भी संसार को देखने-परखने-बरतने का संस्कार अपने में सहज संजो लेता है। ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज के मिट्टी, पानी, हवा में अंकुरित होते हैं, पलते-बढ़ते हैं और यदि उनमें से कुछ मुरझाते भी हे तो उसकी सूखी पंक्तियाँ वहीं गिरती हैं, उसी मिट्टी में खाद बनाती है। इस खाद यानि असफलता की ठोकरी के अनुभव से भी समाज नया कुछ सीखता है। लेकिन कभी-2 समाज के कुछ लोगों का माथा थोड़ा बदलने लगता है। यह सब इतने चुपचाप होता है कि समाज के सजग माने गए लोगों के भी कान खड़े नहीं हो पाते।

निष्कर्ष :-

विश्व विख्यात अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कथन है कि "दुनिया सभी को तोड़ती है, लेकिन टूटी हुई जगहों पर कई लोग ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमारी हिंदी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, बावजूद उसके वह अपनी कसौटी पर खरी उतरती गई। जो विरोधी ताकतें थी वे भी इसके समर्थन में आगे आने लगीं और हिंदी जलते पानी के प्रवाह की तरह सदैव बहती रही है। जैसाकि कहा गया है कि हमें इस दुनियाँ में दूसरो की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करना चाहिए।

संदर्भ :-

1. जोशी, मधु बी. (2019) कादम्बिनी वर्ष 59, अंक 6
2. स्वामी विवेकानन्द सरस्वती (2019) राष्ट्रवाद की वीणा, वर्ष 61 अंक
3. आर्येन्दु अखिलेख (2018) भाषाई और सांस्कृतिक संकट की विषम स्थितियाँ, परोपकारी, पाक्षिक वर्ष 59 अंक 18
4. वशिष्ठ जी वीर श्री (2020) हिंदी के प्रचार प्रसार में महात्मा गांधी का योगदान www.aadharsocial.com



भारतीय भाषाओं का नई शिक्षा नीति में स्थान

डॉ. पूजा राणी

सहायक प्रोफेसर, हिंदी, राजकीय महाविद्यालय, नलवा, हिसार।

एक न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उसे उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है, तो उसके विनाश का कारण भी बन सकती है। वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए इन्हीं प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हुए 29 जुलाई 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात यह भारत की तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति है जो 1986 के 34 वर्ष बाद देश में लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत करते हुए माननीय शिक्षामंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा 'देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। यह शिक्षा नीतिज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारों की रक्षक, मूल्य परक, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरने वाली होगी।'

भारत के इतिहास में पहली बार किसी शिक्षा नीति को बनाते समय इतने व्यापक स्तर पर लोगों से सुझाव लिए गए हैं। इस शिक्षा नीति को बनाते समय देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक तथा 650 जिलों से शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों व छात्रों के व्यापक सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया और फिर शिक्षा नीति का निर्माण किया गया तथा यह भी भारत में पहला अवसर है जब किसी शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय भाषाओं के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई हो। प्रशंसनीय है कि किसी एक भाषा एवं संस्कृति के संदर्भ में बात ना करके सभी भाषाओं की समग्रता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूनेस्को द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में जहां 197 लुप्तप्रायः भाषाओं की संकटग्रस्त परिस्थितियों पर ध्यान दिलाया गया उससे यह बात स्वतः स्पष्ट हो गई कि भाषाई संकटग्रस्तता एक अवस्था है जिससे भाषाओं को अलग नहीं रखा जा सकता। भाषाई संकट का दबाव जनजातीय भाषाओं के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं पर भी देखा जा सकता है।

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित ऐसी भाषाएं जिन्हें शास्त्रीयता का दर्जा दिया गया है उन्हें भी इस भाषा संकटग्रस्तता से मुक्त नहीं किया जा सकता। सामान्यतः देखने में यह भी आता है कि जिन क्षेत्रों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उन क्षेत्रों में भी बहु प्रचलित भाषाओं को बोलने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती जा रही है। एक भाषा के विलुप्त होने से उस भाषा की सभ्यता एवं संस्कृति भी विलुप्त होने लगती है। ऐसी

परिस्थिति में भाषा का महत्व किसी भी देश के लिए ओर भी अधिक बढ़ जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही नई भाषा नीति में लिखा गया है, 'संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।'

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य :-

वैश्विक स्तर पर भारत को महाशक्ति के रूप में उभारने के लिए बच्चों में तकनीकी ज्ञान व रचनात्मक शिक्षा का प्रसार आवश्यक है इसलिए नई शिक्षा नीति को भारतीय परंपराओं, संस्कृति तथा जीवन मूल्यों पर आधारित करने के साथ-साथ बच्चों में भाषा-दक्षता, वैज्ञानिक तर्क-शीलता, सौंदर्य बोध के साथ डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने का उद्देश्य सामने रखा गया। यद्यपि ई-लर्निंग तथा ऑनलाइन शिक्षण को लेकर आम जनता में यह धारणा बनी हुई है कि इस प्रकार का शिक्षण अंग्रेजी भाषा में ही संभव हो सकता है परंतु नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ई-लर्निंग स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है। केंद्रीय स्तर पर भी भारत के अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एन.सी. ई. आर.टी.,आई.सी.ई.टी.,सी.बी.एस. इ.,एन.आई.ओ.एस. आदि अन्य शिक्षण निकायों के द्वारा भी विद्यालय शिक्षण अधिगम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय भाषाएं भी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी जैसी विदेशी भाषाओं के समकक्ष खड़ी हो सकती है। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता युक्त पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास, शब्दकोश एवं साहित्यिक विधाओं के सृजन तथा प्रसार पर जोर दिया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं :-

1. बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देना।
2. अवधारणात्मक सोच तथा सीखने के सतत मूल्यांकन पर बल देना, जिससे कोचिंग संस्कृति तथा रटंतू शिक्षा प्रणाली पर रोक लगाई जा सके।
3. बहुभाषा तथा बहुविषयक शिक्षा प्रणाली को लाना, जिसमें कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-गतिविधियों तथा व्यवसायिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सामंजस्य बिठाया जा सके।
4. भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों के साथ रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना।
5. स्थानीय परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय से महाविद्यालय तक की शिक्षा में सामंजस्य बिठाना।
6. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उसके सतत विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध किए जाने को बढ़ावा देना।
7. शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए स्कूलों में डिजिटल साधन उपलब्ध करवाना।
8. बहु वैकल्पिक विषयों की उपलब्धता, जिससे छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषय का चुनाव कर सकें।
9. शिक्षा के सार्वभौमीकरण का प्रयास किया गया इसलिए कुछ शैक्षणिक क्षेत्र जैसे मेडिकल तथा लॉ को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।
10. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में भी व्यापक अनुवाद की पहल की जा रही है जिससे मध्य सुदूर जनजातीय भाषाओं में निहित ज्ञान परंपरा को भी राष्ट्रीय फलक पर स्थान दिया जा सकता है।

नई शिक्षा नीति की प्रणाली :-

नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी जैसे विद्वानों के शिक्षा दर्शन पर आधारित है। जिसमें विद्यार्थियों को तथ्यात्मक ज्ञान की अपेक्षा प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने का यत्न किया गया है। नई शिक्षा नीति में चार प्रमुख आयामों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है – विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम तथा ढांचागत सुविधाएं। शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :-

मनोविज्ञान के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का विकास व उसके सीखने की गति उसकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में ओर भी अधिक तीव्र गति से होती है। जबकि अन्य भाषाओं में बच्चा उसे रटने का प्रयास करता है। विश्व के अनेक बड़े देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि में भी स्कूली शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाती है जिससे बच्चा अपने विषय में अधिक सक्षम बन पाता है। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक विद्यार्थी श्रोता ने डॉक्टर अब्दुल कलाम से उनके सफल वैज्ञानिक बनने का रहस्य पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैंने 12वीं कक्षा तक विज्ञान, गणित सहित संपूर्ण शिक्षा मातृभाषा (तमिल) में ली है।' इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में पांचवी कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाएगी। विदेशी भाषाओं को सेकेंडरी लेवल में सिखाया जा सकेगा। अन्य विषय चाहे वह अंग्रेजी ही हो उसे एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाएगा। भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसके व्यावहारिक समाधान पर ध्यान दिया गया है। जैसे भारत में अनेक राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाते हैं ऐसे में वहां के छात्रों को शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए। शिक्षकों की नियुक्ति में भी उनकी स्थानीय भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाए, जिससे ग्रामीण जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।

1. प्राथमिक शिक्षा को गतिविधि आधारित बनाने पर बल दिया जाएगा।
2. 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका अथवा प्री स्कूलों के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण मुफ्त शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा।
3. नए पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित होगी, जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, 14-18 वर्ष के बच्चों पर लागू होगी।
4. नई प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा के प्रथम चरण में प्री-प्राइमरी के साथ पहली और दूसरी कक्षा को रखा गया है। उससे अगले चरण में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा को रखा गया है।
5. छठी कक्षा से छात्रों को वोकेशनल कोर्स तथा इंटर्नशिप करवाई जाएगी। बच्चों में म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
6. पाठ्यक्रम के बोझ को कम करके छात्रों में अनुभव आधारित शिक्षण तथा तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा।
7. छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की कक्षाओं में परीक्षाओं के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा।
8. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए 'परख' नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी।

9. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी तथा पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तथा समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन का आंकलन ही उनकी पदोन्नति का आधार रहेगा।
10. वर्ष 2030 तक अध्यापन करने के लिए न्यूनतम डिग्री B-Ed का होना अनिवार्य किया जाएगा। जिसकी समय अवधि 4 वर्ष रखी जाएगी।
11. उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है।
12. देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
13. दिव्यांग विकलांग छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे बच्चों के लिए विकलांगता प्रशिक्षण केंद्र, संसाधनकेंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है।
14. पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान ज्ञान प्रणालियां, जिनमें जनजातियां एवं स्वदेशी ज्ञान सम्मिलित होंगे ऐसे पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से नई शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा।
15. ऐसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक व जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं उन्हें 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' के रूप से नामित किया जाएगा।
16. देश के निर्माण हेतु लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने के लिए 'जेंडर इंकलूजन फंड' की स्थापना की जाएगी।

इस नई नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करके विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी पर विशेष जोर देना था।

नई शिक्षा नीति की चुनौतियां :-

शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है परंतु जमीनी स्तर पर इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं। भारत के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में महिला वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के अनेक बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते और बीच में ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं ऐसे में सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य होगा। वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों का स्तर चिंताजनक है वहां पर मूलभूत आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है ऐसे में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को स्कूलों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी तथा शिक्षा संस्थानों का डिजिटलकरण करवाना सरकार के लिए चुनौती पूर्ण होगा। केवल उपकरण एवम् संसाधन ही नहीं सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में अध्यापकों की संख्या भी आवश्यकता से कम है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी को पूरा करना भी सरकार के लिए चुनौती पूर्ण होगा।

शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया गया है परंतु यह कार्य बहुभाषी देश के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है जैसे यदि कोई छात्र किसी क्षेत्रीय भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसे अपने परिवार के स्थानांतरण के साथ किसी अन्य भाषा क्षेत्र में जाना पड़ता है तो उसे भाषा चयन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। भाषा संबंधी समस्याओं का हल भी सरकार

के लिए चुनौती पूर्ण होगा। नई शिक्षा नीति में सरकार ने जीडीपी खर्च को 2.7 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है परंतु यह कार्य इतना आसान प्रतीत नहीं होता।

निष्कर्ष :-

निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के समक्ष यदि नई आशाएं हैं तो साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। किसी भी नीति की सफलता उसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। हम आशा करते हैं कि बदलते परिदृश्य में शिक्षा के वर्तमान स्तर को सुधारने में नई शिक्षा नीति मददगार साबित हो। इसे प्रभावी तरीके से लागू करने में हम समर्थ होंगे और यदि वास्तव में इसका सफल क्रियान्वयन हुआ तो भारत की युवा पीढ़ी ज्ञान विज्ञान के रास्तों को खोलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने में अवश्य सफल होगी।

संदर्भ :-

1. प्रकाश कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउट लुक हिंदी, 2020
2. प्रोसेसर पी.एल. शर्मा, दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण, अगस्त 2020
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. सुभाष गंगवाल, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की चुनौतियों का करेगी मुकाबला, दैनिक नव ज्योति, 22 अगस्त 2020
5. राजस्थान पत्रिका, नागौर, जनवरी 2020

Email id : poojaajhunthra@gmail.com



मातृभाषा हिन्दी : जन जन की भाषा हिन्दी

डॉ. श्रीमती कमलेश राव

एसोसियेट प्रोफेसर, राव लालसिंह शिक्षा महाविद्यालय, सिधरावली।

सम्बद्ध : गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

सारांश :-

“हिन्दी भाषा का आरंभ मुख्यतः 12वीं शताब्दी में माना जाता है। इस समय हिन्दी पर प्राकृत तथा अपभ्रंश का प्रभाव था। 16वीं शताब्दी में उस पर से ये प्रभाव हट गए तथा ब्रज और अवधी के रूप में वह एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्थापित हुई। बाद में 19वीं शताब्दी में छापे खाने के आविष्कार, गद्य के विकास तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप हिन्दी ने एक नया स्वरूप धारण किया, जिसे खड़ी बोली कहा गया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस भाषा को विकसित किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कारित किया। यही खड़ी बोली हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बनी। चूंकि यह भाषा देश के सबसे बड़े भाग में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती थी, इसलिए इस भाषा के इसी राष्ट्रीय स्वरूप को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। इस पृष्ठभूमि में हिन्दी भाषा के ज्ञान को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से तथा व्यक्ति की अपनी सुविधा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाना उचित ही है। करीब 12वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का काल आरंभ होता है। आरंभ के 600 वर्षों तक हिन्दी पर अरबी-फारसी भाषा का प्रभाव रहा। उसके बाद करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा उर्दू भाषा का प्रभाव रहा। चूंकि अरबी-फारसी बोलने वाले मुस्लिम यहां के लोगों से काफी घुल मिल गए थे, इसलिए हिन्दी ने इन भाषाओं के शब्द सबसे अधिक लिए।

दूसरा स्थान अंग्रेजी भाषा के शब्दों का है। वर्तमान में हिन्दी की कुल शब्द सम्पदा दो लाख के करीब है। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत शब्द हिन्दी के अपने हैं, तथा शेष लगभग 15 प्रतिशत शब्द विदेशी हैं। यह हिन्दी भाषा का जीवंतता और उदारता का प्रमाण है कि इसने विदेशी तथा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करके अपने-आपको सम्पन्न बनाया है। हाँ, हिन्दी भाषा ने एक काम और किया है। उसने अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किए और उन शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुकूल ढाला। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी शब्दों तक का हिन्दीकरण हो गया है। सामान्य हिन्दी भाषी के लिए तो यह जानना भी कठिन होगा कि अमुक शब्द हिन्दी भाषा का है, या नहीं। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा सरल हो जाती है, क्योंकि इसकी शब्द सम्पदा कठोर नियमों से बंधी हुई नहीं है। हिन्दी भाषा पर मूल रूप से अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा है। चूंकि ये तीनों

भाषाएं काफी लम्बे समय तक हिंदी के सम्पर्क में रही हैं, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इन भाषाओं का प्रभाव हिंदी के शब्द भण्डार के साथ—2 हिंदी की ध्वनियों, शब्द—रचना, वाक्य—रचना, क्रिया—रूप, मुहावरे, लोकोक्ति तथा यहां तक कि विराम चिह्नों पर भी पड़ा है। हिंदी में अन्य भाषाओं के ये प्रभाव कुछ इस तरह घुल—मिल गए हैं कि सामान्य पाठक के लिए उन्हें अलग से पहचान पाना आज लगभग असंभव हो गया है। इसे हम हिंदी का एक विशेष गुण ही कह सकते हैं कि उसने अन्य भाषाओं के बहुविध प्रभावों को स्वीकार करके, उन्हें अपने में समाहित कर अपने जैसा बना लिया है।

प्रस्तावना :-

नई शिक्षा नीति से देश में भविष्य की शिक्षा प्रणाली बनाई जा रही है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों को सोचने, तर्क विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने एवं शोध करने की क्षमता बढ़ेगी। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों का आम जन तक सुलभ करवाने के लिए क्षेत्रिय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य प्रथम अप्रैल 2023 से हिंदी में काम करने हेतु न्यायालयों को आदेश जारी करेगा तथा भारत 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में करने जा रहा है।

महात्मा गांधी का हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान :-

वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। सन् 1947 में जब अंग्रेजी सत्ता के चंगुल से भारत आजाद हुआ तब भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। आजाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। 6 दिसम्बर 1946 में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना 26 नवम्बर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। लेकिन भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी ये मुद्दा काफी अहम था। दरअसल देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी और अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। अंग्रेजी भाषा का हटाएं जाने की खबर पर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरु हो गया। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे हो गए। 14 सितम्बर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाया जाए। पहला हिंदी दिवस 14 सितम्बर 1953 में मनाया गया था।

हिंदी के प्रचार-प्रसार में फादर कामिल बुल्के का योगदान :-

हिंदी विद्वान, विद्यार्थियों के मित्र, गुरु, अभिभावक फादर कामिल बुल्के का जन्म एक सितम्बर 1909 को पश्चिम वेल्जियम के वेस्ट क्लैंडर्स नामक प्रांत के गांव कैरेम्स चैपल में हुआ था। वह विदेश में जन्म भारतीय थे। उन्हें हिंदी से, इस देश की सभ्यता और संस्कृति से बेहद प्यार था। स्वर्गीय काका कालेलकर ने एक बार

कहा था—‘वे हम लोगों में एक हो गए हैं।’ इलाहाबाद युनिवर्सिटी से ‘रामकथा उत्पत्ति और विकास’ पर 1949 में डी.फिल प्राप्त की। इस शोध में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, तमिल आदि समस्त प्राचीन और आधुनिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध राम विषयक विपुल साहित्य है। इसके साथ ही तिब्बती, गर्मी, रदोनेसी, मलय थाई आदि एशियाई भाषाओं के समस्त राम साहित्य की सामग्री का इस कथा के अध्ययन के विकास की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक रीति से उपयोग हुआ है। तुलसीदास उन्हें उतने ही प्रिय थे जितने अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के महाकवि गजैलेया, अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर। वे प्रायः कहा करते थे ‘हिंदी में सब कुछ कहा जा सकता है।’ इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने सबसे पहले दर्शन, धर्मशास्त्र आदि विषयों की परिभाषित शब्दावली का एक लघुकोष ‘ए टैक्नीकल इंग्लिश हिंदी ग्लॉसरी’ के नाम से प्रकाशित कीं इसके बाद ‘अंग्रेजी हिंदी कोष’ को 1967 में तैयार किया, इसका व्यापक स्वागत हुआ।

बाबा बुल्के के शोधग्रंथों के उद्धरणों ने पहली बार साबित किया कि रामकथा केवल भारत की ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कथा है। फादर बुल्के हिंदी के इतने सबल पक्षधर थे कि सामान्य बातचीत में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें इस बात का दुख था कि हिंदी वाले अपनी हिंदी का सम्मान नहीं करते। उनका विचार था ‘दुनिया भर में शायद की कोई ऐसी विकसित साहित्यिक भाषा हो जो हिंदी की सरलता की बराबरी कर सके। लेकिन जब तक भारत के लोग स्वयं हिंदी का आदर नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया से भी ऐसी आशा नहीं कर सकते।’ उन्हें इस बात का दर्द था कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं हिंदी को खा गईं। जब भी कोई उनसे अंग्रेजी में बोलता था वह पूछ लेते थे ‘क्या तुम हिंदी नहीं जानते?’ उन्होंने कई निबंध लिखकर ये प्रमाणित किया कि जर्मन, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और फ्रेंच इन पांचों भाषाओं से कहीं अधिक वैज्ञानिक और समृद्ध हैं—हिंदी। अपने हिंदीविद होने के कारण डा. बुल्के को देश विदेश में बहुत सम्मान प्राप्त था। 1950 से ही बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य थे। 1972 से भारत सरकार की केन्द्रीय हिंदी समिति के सदस्य थे। उन्हें 1973 में बेल्जियम की रॉयल अकादमी का सदस्य बनाया गया था। ‘रामकथा’ हिंदी विषय की उपाधि के लिए उन्हें हिंदी में लिखित प्रथम शोध प्रबन्ध की भाषा और हिंदी को पहली बार प्रतिष्ठित कराने का श्रेय उनको है। इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। देश के कई हिंदी साहित्य परिषदों के बीच हिंदी और तुलसीदास ही उनके मुख्य विषय रहे। डॉ. दिनेश्वर प्रसाद ने कहा ‘फादर बुल्के तुलसी के दरवाजे से हिंदी में आये और हिंदी के दरवाजे से तुलसी के अधिकाधिक समीप पहुंचने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे।’ कॉलेज मंच पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था ‘संस्कृत राजमाता है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, पर नौकरानी के बिना भी काम नहीं चलता।’

निष्कर्ष :-

कौन आज चाहता है कि मातृभाषा में उनकी संतान शिक्षा हासिल करे? कौन चाहता है कि सारा कार्य मातृभाषा में ही करके एक मिसाल पेश करें? मातृभाषा में भी कठिन से कठिन कार्य किया जा सकता है— इस सच को मानते हुए कि मातृभाषा से बच्चे के मस्तिष्क का विकास संतुलित तरीके से होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा न हुई तो उनकी सीखने और याद करने की क्षमता पर जबर्दस्त प्रतिकूल असर पड़ता है। लाखों साल पहले भारतीय वैज्ञानिकों (ऋषि—मुनियों) ने इस बात को अपने गहन अनुसंधान के बल पर समझा दिया था कि बच्चों का स्वर्णिम भविष्य उनकी मातृभाषा में ही सुरक्षित है। वेदों में

मातृभाषा का पुरजोर समर्थन किया गया है। उत्तम संतान के निर्माण के लिए मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने की महती आवश्यकता बताते हुए महान् समाज सुधारक और दार्शनिक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है— माता बच्चे की पहली पाठशाला होती है। इसलिए माँ की जो भाषा हो, संतान को उसी में शिक्षा दिलाने से वह हर तरह से उत्तम बनती है। हम अंग्रेजी के साथ अपना कितना कुछ खो रहे हैं, इस सबसे जरूरी विषय पर कभी विचार नहीं किया गया। अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक व कॉन्वेनट स्कूलों—कॉलेजों में एक शब्द भी हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं के बोलने पर जुर्माना लगाने का एक चलन भारत में वर्षों से चलता आ रहा है। किससे पूछें कि ऐसे अंग्रेजी परस्त स्कूलों के साथ क्यों सख्ती नहीं बरती जाती? ऐसा भारत में ही क्यों होता है? जो भारत की राजभाषा है, जिससे भारत की पहचान, मान और सम्मान है, उसे बोलने पर इतना बड़ा प्रतिबन्ध हर काम करने के पीछे कोई न कोई आधार होता है। हमारी राष्ट्रीय चर्चाओं, सेमीनारों, तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी एक उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार—प्रसार नदी के बहते जल की तरह हो।

संदर्भ :-

1. अरोड़ा ऊषा : हिंदी को सम्मान दिलाने वाले फादर कामिल बुल्के बालभारती वर्ष 71 अंक 4 सितम्बर 2018
2. स्वामी विवेकानन्द सरस्वती : राष्ट्रवाद की वीणा, वर्ष 61 अंक 1 जनवरी 2019
3. जोशी, मधु बी : कादम्बिनी वर्ष 59, अंक 03 मार्च 2019

email: kamlesh.rao1962@gmail.com



हिंदी का वैश्वीकरण

डॉ. नरेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिण-पश्चिम, घुम्नहेड़ा, नई दिल्ली।

मुख्य शब्द :- हिंदी, वैश्वीकरण, सोशल मीडिया, हिंग्लिश, ग्लोबल गाँव, सूचना क्रांति, वैश्विक भाषा, विश्व-पटल, धर्म-निरपेक्ष, विश्वव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सोशल मीडिया।

जब कोई व्यवस्था विभिन्न प्रकार की सीमाओं एवं बंधनों का त्याग कर एक वैश्विक स्वरूप धारण कर लेती है तो उस व्यवस्था को 'वैश्वीकरण' कहा जाता है। आज समूचा विश्व एक विशेष प्रकार की व्यवस्था में समाहित है और यह व्यवस्था अपने-आप में विशेष और अनोखी है। विशेष इस संदर्भ में कि यह विभिन्न प्रकार की सीमाओं से परे है तथा अनोखी इस संदर्भ में कि यह अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त है। सामान्य रूप से वैश्वीकरण की अवधारणा मानव समाज और संस्कृति के विस्तार की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है। सैद्धांतिक रूप से वैश्वीकरण वैचारिक (बाज़ार), आर्थिक (पूँजी) और राजनीतिक (नेतृत्व) संकल्पना है और जिसका सरोकर मुख्य रूप से केवल आर्थिक है। वैश्वीकरण शब्द वास्तव में प्रचलित शब्द बन चुका है तथा स्वयं की संरचना में मूलभूत परिवर्तन कर चुका है। 'वैश्वीकरण' शब्द 'विश्व' शब्द का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रत्येक घटना, समस्या एवं विषय को विश्व परिदृश्य के संदर्भ में देखता है। वैश्वीकरण किसी एक राष्ट्र की सीमाओं से नहीं बंधा है अपितु सम्पूर्ण विश्व एवं इससे संबंधित घटनाएँ, समस्याएँ एवं विषय इसकी परिधि के अन्तर्गत आते हैं; अतः वैश्वीकरण का संबंध सम्पूर्ण विश्व से है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण प्रक्रियाओं, अंतर्संबंधों एवं अंतःक्रियाओं का एक प्रभाव क्षेत्र है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिकी, विधिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं।

वैश्वीकरण से अभिप्राय है विभिन्न भौगोलिक सीमाओं की बाधाओं को पार करके सभी राष्ट्रों को एक-दूसरे के निकट लाना। यह राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण का विकास करता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों एवं समाजों के बीच बहुगणित सघनता है जो आज की विश्व व्यवस्था की प्रमुख पहचान बन चुकी है। यह अवधारणा मुख्य रूप से उन तथ्यों को रेखांकित करती है जिनके आधार पर विश्व के एक क्षेत्र के निर्णयों, गतिविधियों तथा घटनाओं का प्रभाव विश्व के दूसरे भागों पर प्रभावी रूप से पड़ता है। यह प्रक्रिया (वैश्वीकरण की) समूचे विश्व के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण को दो संदर्भों विस्तार एवं सघनता के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है। एक ओर तो यह उन प्रक्रियाओं के समुच्चय को निर्दिष्ट करता है जो समूची विश्व व्यवस्था को समाहित करता है; तो वहीं दूसरी ओर यह राष्ट्रों तथा समाजों के बीच वैश्विक समुदाय का निर्माण करता है तथा बढ़ती सघनता

को प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए इसे विशिष्ट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूपान्तरण बताया है। जिसमें उत्पादन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण होता है तथा राष्ट्रों के बीच वित्तीय पूँजी का स्वतन्त्र एवं अनवरत प्रवाह होता है। वैश्वीकरण को विभिन्न संदर्भों एवं रूपों में समझा जा सकता है। यदि इसको राजनीतिक संदर्भ के साथ देखा जाए तो इसे अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी सीमांकन के मध्य की दीवार को कमजोर करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है; तो वहीं सामाजिक संदर्भ में वैश्वीकरण नागरिक समाज में रूपांतरण की प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वैश्वीकरण राज्य और बाज़ार के बीच संबंधों का रूपांतरण, राष्ट्रों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं विश्व व्यापार का प्रचार और अधिमान्यता की प्रक्रिया है। तो सांस्कृतिक दृष्टि के संदर्भ में वैश्वीकरण बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज का घोटक है। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया, व्यवस्था, संदर्भ अथवा दौर में भाषा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

यदि हम भाषा की बात करें तो आज विश्व में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में वही भाषा अथवा भाषाएँ अपना वर्चस्व स्थापित कर पाती हैं जो वैश्विक व्यवस्था के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चल सके अर्थात् अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सके। यदि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि विश्व-पटल पर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वैश्वीकरण के दौर में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है। बेशक हिंदी को ग्लोबल भाषा न माना जाए अर्थात् उसे आधिकारिक दर्जा न दिया जाए लेकिन वैश्वीकरण के संदर्भ अथवा दौर में यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। हिंदी के साथ समूचा वैश्विक बाजार एवं अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। लेकिन यह सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है अपितु यह तो संसार के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता को भी पहचान प्रदान कर रही है। आज समूचे विश्व में हिंदी का परचम लहरा रहा है तथा हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। हिंदी केवल सम्पर्क भाषा नहीं है अपितु वैश्वीकरण के संदर्भ में यह विश्व-व्यवस्था की भाषा अर्थात् विश्व भाषा बनती जा रही है। यूनेस्को की नौ आधिकारिक भाषाओं में हिंदी पहले से ही शामिल है तथा इसके अतिरिक्त आज विश्व के 150 से भी अधिक देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की व्यवस्था में हिंदी आज समूचे विश्व के देशों एवं शिक्षण संस्थानों में अपना विशेष स्थान बना चुकी है। वैश्वीकरण की व्यवस्था एवं दौर में हिंदी का एक नया स्वरूप उभरकर हमारे सामने आया है और यह स्वरूप हिंदी के बढ़ते हुए टेलीविज़न चैनलों, एफ. एम. रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हिंदी फिल्मों तथा सूचना-माध्यम आदि के अनेक रूपों में यह परिलक्षित होता है।

हिंदी आज वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली सम्प्रेषण का माध्यम है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यह माध्यम अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। विश्व-पटल पर अब हिंदी सिर्फ एक भाषा अथवा उसका एक रूप मात्र नहीं है; अपितु यह वैश्विक व्यवस्था में जीवन-जीने का साधन है और किसी भी साध्य तक पहुँचने में साधन की अपनी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी आज वैश्वीकरण के संदर्भ में ग्लोबल होती जा रही है। आज हिंदी विश्व-बाज़ार की न सिर्फ ताकत है; बल्कि व्यक्ति के लिए यह सामाजिक, आर्थिक एवं स्वावलम्बन का आधार भी है और यह आधार इसे वैश्विक भाषा की ओर तेजी से अग्रसर कर रहा है। हिंदी न सिर्फ आज राजनेताओं की भाषा है; बल्कि यह सम्पर्क, रोजगार, बाज़ार एवं प्रचार-प्रसार की भी भाषा है।

वैश्विक परिदृश्य में आज जनसंख्या के संदर्भ में अधिकतर विज्ञापन हिंदी में ही आते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी हिंदी का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में वह ताकत है जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं सूचना क्रांति के दौर में एक नए जोश के साथ तेजी से बढ़ रही है।

किसी भी वैश्विक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है और इस संदर्भ में हिंदी भाषा में वह ताकत है जो विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच संवाद करने में संक्षम है। आज विश्व स्तर पर हिंदी संवाद-सेतु का कार्य कर रही है। यदि संवाद नहीं तो संसार नहीं अर्थात् "संवाद में ही संसार है।" आज हिंदी संवाद की भाषा से विस्तारित होकर "संसार की भाषा" बनने हेतु अग्रसर है। हिंदी अपने आप में सक्षम एवं समर्थ भाषा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। दूसरे अर्थ में यह भाषा अपने समूचे रूप में ध्वनि और उच्चारण पर आधारित भाषा है और इसकी यह विशेषता ही इसे विश्व की अन्य भाषाओं से अलग करती है। वर्तमान समय में हिंदी का आशय साहित्य की कलिष्ट भाषा अथवा व्याकरणिक ताम-झाम एवं लबादे से लिपटी भाषा से नहीं है; अपितु यह तो आम-जन की व्यावहारिक एवं बोलचाल की भाषा है जिसका उपयोग न सिर्फ मीडिया अपितु समूचा संसार खुलकर कर रहा है। हिंदी बदलते वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बढ़ रही है तथा विश्व समाज के साथ तेजी से सामंजस्य स्थापित करते हुए निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हिंदी में वह लचीलापन एवं अपनापन है जो विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं।

यदि हिंदी को हम वर्तमान वैश्विक संदर्भ में देखें तो यह कहा जा सकता है कि हिंदी आज अनेक रूपों तथा बोलियों के रूप में प्रचलित है। यही कारण है कि आज यह विश्व की सर्वाधिक बोलने तथा प्रसार वाली भाषाओं की सूची में शामिल है। विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि हिंदी अंग्रेजी के बाद सबसे विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। आज की हिंदी "भारतीय हिंदी" की परिधि से निकलकर "ग्लोबल हिंदी" अर्थात् "वैश्वीकरण के माथे की बिंदी" बन गई है। जिस तरह माथे की बिंदी किसी औरत के व्यक्तित्व और विश्वास को बढ़ाती है; ठीक उसी तरह इसने वैश्वीकरण की व्यवस्था को विशेष व्यक्तित्व, स्वरूप एवं सुदृढ़ आधार प्रदान किया है और अब इसका विस्तार चारों दिशाओं में तेजी से हो रहा है। कुछ लोग यह मानते हैं कि हिंदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। यह उनका निजी विचार हो सकता है। लेकिन भाषा के बारे में यह कहा जाता है कि—"भाषा कभी बनती, बिगड़ती अथवा बदलती नहीं अपितु वह निरन्तर विकसित होती है।"

उपरोक्त कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी का स्वरूप बिगड़ नहीं रहा अपितु वह तो विकसित हो रहा है। हिंदी ने विभिन्न भाषाओं एवं उनके शब्दों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। जिस तरह समुद्र विभिन्न नदियों को अपने अन्दर समाहित कर लेता है; ठीक उसी प्रकार से हिंदी ने भी विभिन्न भाषाओं को अपने अन्दर समाहित कर लिया है। अब अर्थात् आज की हिंदी अर्थात् वैश्विक हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि विभिन्न भाषाओं को आत्मसात करने वाली सागर रूपी भाषा है। यदि इस संदर्भ को थोड़ा और स्पष्ट करें तो यह कहा जा सकता है कि हिंदी ने विश्व स्तर पर सम्पर्क की भाषा कहे जाने वाली इंग्लिश को भी अपने अन्दर समाहित कर लिया है। हिंदी भाषा में इंग्लिश भाषा अथवा उससे संबंधित शब्दों का मिश्रण एक आम बात हो गई है और जिसे लोग वैश्वीकरण के संदर्भ अथवा दौर में 'हिंग्लिश' कहते हैं। कुछ लोग इसे उचित नहीं मानते। लेकिन जो लोग इसे उचित नहीं मानते वो इस शब्द 'हिंग्लिश' की अगर उचित व्याख्या करें तो

यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि हिंदी+इंग्लिश=हिंग्लिश अर्थात् वैश्विक स्तर पर केवल दो ही भाषाओं का वर्चस्व है— हिंदी और इंग्लिश और इसमें भी हिंदी ने इंग्लिश को अपने अंदर समाहित कर लिया है और इस बात की पुष्टि स्वयं 'हिंग्लिश' शब्द करता है। अब हिंदी वैसी हिंदी नहीं रही जैसी कि कुछ वर्षों पहले तक लोग पढ़ते और सुनते थे। हिंदी ने शब्दों से लेकर लिपि तक के परिवर्तन को आत्मसात कर लिया है। हिंदी न केवल आत्मसात करने वाली भाषा है बल्कि यह आज की ग्लोबल आवश्यकता भी है।

वर्तमान परिदृश्य में हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में सबसे बड़ी भूमिका संचार माध्यमों एवं बाज़ार ने निभाई है। यह अब किसी एक क्षेत्र एवं प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि यह तो "ग्लोबल गाँव" की भाषा है। हिंदी की फिलॉसफी ग्लोबली धर्म—निरपेक्ष है तथा अपनी इसी फिलॉसफी के कारण यह हर की प्रकार की संकीर्णताओं से दूर है। आज हिंदी, साहित्य विशेष तक ही सीमित नहीं है अपितु ग्लोबल साहित्य आज हिंदी में समाहित हो रहा है। हिंदी ने अपने ऊपर से एक राष्ट्रीय चोले को उतार कर एक ग्लोबल चोले को अपना लिया है और यह ग्लोबल चोला देश, धर्म, जाति एवं संस्कृति विशेष की संकीर्णताओं से परे है। हिंदी वैश्विक संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जान है। यह वह भाषा है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। जिस तरह समय एवं समाज परिवर्तनशील है; ठीक उसी तरह हिंदी एवं उसकी शब्दावली समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील है। वैश्वीकरण सवर्जन तक पहुँचने की व्यवस्था एवं प्रक्रिया है और इस सर्वजनीय व्यवस्था एवं प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का कार्य यह भाषा अर्थात् हिंदी कर रही है। वैश्वीकरण में मुख्य चिंता बाज़ार है और बाज़ार की मुख्य चिंता भाषा है। लेकिन हिंदी ने बाज़ार और भाषा को ऐसा परिवर्तित एवं नूतन आधार प्रदान कर दिया है कि दोनों ने एक—दूसरे को कसकर गले लगा लिया है। वैश्विक संदर्भ में हिंदी भाषा को केवल एक शब्द अथवा शब्दों की श्रंखला विशेष के रूप में ही न देखा जाए; अपितु इसे तो एक विश्वव्यापी संबंध के रूप में देखा जाए और जहाँ संबंध स्थापित हो जाता है तो वहाँ पर भाषा उसके अनुरूप स्वतः ही विकसित हो जाती है। इस संदर्भ में यह आज वैश्विक स्तर पर विकसित हो रही है।

आज हिंदी को अपनाना विश्व के देशों अर्थात् वैश्वीकरण की विवशता भी बन गई है। हिंदी के बारे में यह उक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है कि—“हिंदी हृदय की भाषा है।” जैसे हृदय धड़कने से शरीर चलता है, उसे जीवन शक्ति मिलती है; ठीक उसी प्रकार विश्व व्यवस्था अर्थात् वैश्वीकरण को हिंदी से संजीवनी मिलती है। आज हिंदी में रचा विभिन्न प्रकार का साहित्य विश्व—पटल पर अपना विशेष स्थान बना रहा है; तो वहीं दूसरी ओर बहुत सी देशी एवं विदेशी भाषाओं के साहित्य को भी हिंदी में अनुवाद के माध्यम से विश्व के बहुत बड़े जन—समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि हम वर्तमान में वैश्वीकरण के संदर्भ में विश्व की प्रमुख शक्तिशाली भाषाओं की सूची तैयार करें तो उसमें हिंदी का एक प्रमुख स्थान होगा। हिंदी वैश्वीकरण के संदर्भ में सम्पूर्ण विश्व को एक गाँव में बदलने की अवधारणा कही जा सकती है। अतः अंत में इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी केवल आर्थिक व्यवस्था एवं बाज़ारीकरण तक ही सीमित नहीं है; अपितु यह तो विश्व स्तर पर एकीकरण, सामंजस्य एवं सौहार्द की भाषा है और इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ विश्व की अनेकों भाषाएँ लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं; तो वहीं हिंदी अपने लचीले एवं आत्साती स्वभाव के कारण दिन—प्रतिदिन अपने आप को उच्च शिखर पर ले जा रही है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हिंदी आज ग्लोबल अर्थात् वैश्विक विस्तार पर है और वह दिन दूर नहीं जब यही हिंदी संसार अर्थात् "ग्लोबल

गाँव" की भाषा होगी।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. सिंह, दिनेश कुमार : वैश्वीकरण के विविध आयाम, यश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
2. उपाध्याय, करुणाशंकर : हिंदी का विश्व संदर्भ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
3. यादव, नरेश कुमार : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, आरोही पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. गुप्ता, एस. एवं अग्रवाल जे.सी. : उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. अग्रवाल, लोकेश : राजनीतिक सिद्धांत, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स : वैश्वीकरण और हिंदी का विकास, राजभाषा विभाग, कॉरपोरेट कार्यालय, गुरुग्राम।
7. एन.सी.ई.आर.टी. : भारतीय आधुनिक शिक्षा, अंक1, जुलाई 2010
8. भार्गव, नरेश: वैश्वीकरण : सामाजिक परिप्रेक्ष्य, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. पांडेय, मैनेजर, अग्निहोत्री, रमाकान्त : भाषा और भूमंडलीकरण, शब्दसंधान प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. श्रीवास्तव, असीम एवं आशीष : भारत में वैश्वीकरण प्रभाव और विकल्प, कल्पवृक्ष प्रकाशन, पुणे।
11. National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol 3; Issue1; January 2018
12. International Journal of Information Movement, Vol 2; Issue 9; January 2018
13. <https://www.myhindilekh.in/global-scenario-of-hindi/>
14. https://rajbhasha.gov.in/sites/default/files/lekh2nd_hin.pdf
15. <https://sol.dy.ac.in/mod/book...>
16. [http://www.jansatta.com lang..](http://www.jansatta.com/lang..)
17. www.ncert.nic.in/ncerts/lhps109
18. https://www.drdo.gov.in/sites/default/files/publications-document/aaj_ki_hindi.pdf
19. <http://www.hindijournal.com/archives/2016/vol2/issue4/2-4-37>
20. <https://hindibhashaa.com/seminar-on-global-scenario-of-hindi-on-world-hindi-diwas/>

Home Address :

Dr. Naresh Kumar, Assistant Professor

592, Near Water Supply Pump No.2 and Dispensary, Rajokari New Delhi-110038

Email: nky2013@gmail.com

Mobile: 9891414261



जनसंचार : विज्ञापन और हिन्दी

डॉ. कुमारी कोमल

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, ति. माँ. भा. वि. वि. भागलपुर, बिहार।

समाज में विकास एवम् परिवर्तन की प्रक्रिया सतत् चलती रहती है। कभी इसका नियामक आंतरिक द्वंद्व होता है तो कभी बाह्य दबाव। इन नियामकों को लोक सम्पर्क, जन संपर्क या जनसंचार कहा जाता है। किसी भी बड़े जनसमूह तक सूचनाओं अथवा विचारों का आदान-प्रदान जनसंचार कहलाता है। समाज की बौद्धिक संपदाओं के हस्तांतरण में जनसंचार की महती भूमिका है। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्रायः अद्यतन सूचनाओं को विशाल जनसमूह तक बड़ी सहजता से सम्प्रेषित किया जाता है। कह सकते हैं कि जनसंचार का तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवम् विवेचन से है जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यह mass communication का हिन्दी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को सम्प्रेषण द्वारा सूचना, जानकारी, ज्ञान आदि का आदान-प्रदान करना ही संचार कहा जाता है। अर्थात् सूचनाओं को सम्प्रेषित करने की प्रक्रिया संचार है। संचार की प्रक्रिया की पूर्णता के लिये सम्प्रेषण आवश्यक है। सम्प्रेषण तभी संभव है जब सम्प्रेषण के सभी घटक उपस्थित हो।

1. प्रेषक
2. चयनित सूचना
3. माध्यम या संचार साधन
4. ग्राहक

1. **प्रेषक या सम्प्रेषक :-** यह सम्प्रेषण का प्रथम तत्व है। यही से चयनित सूचना के संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

2. **चयनित सूचना :-** सम्प्रेषण के लिये किसी एक जानकारी या सूचना की जरूरत होती है। सूचना का चयन सम्प्रेषण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। इस चयनित सूचना का सम्प्रेषण या संचार होता है।

3. **माध्यम या संचार साधन :-** सूचना के प्रसार या संचार के लिये माध्यम की जरूरत होती है। जिसके द्वारा सूचना एक व्यक्ति या जनसमुदाय तक पहुँचती है इसके अनेक माध्यम हैं। जैसे मुद्रित और electronic माध्यम।

4. **ग्राहक :-** किसी भी सूचना का लक्ष उसे ग्रहण करने वाला होता है। अर्थात् वह निर्धारित व्यक्ति या जनसमूह जहाँ तक सूचना को प्रेषित किया जाता है। जब कोई सूचना अपने निर्धारित गंतव्य तक संचरित हो जाती है तब संचार या संचरण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है।

स्पष्ट है कि जब भावों, विचारों अथवा सूचनाओं का सामूहिक सम्प्रेषण होता है तब उसे जनसंचार कहा जाता है। वास्तव में संचार व्यक्ति और समाज की सहज प्रवृत्ति है। मानव अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का विनिमय आरंभ साई ही करता है अथवा करने की चेष्टा करता है। भाषा के आविष्कार और सांस्कृतिक

विकास के साथ ही सम्प्रेषण और प्रभावी हो गया। चाहे मुद्रित माध्यम हो या Electronic माध्यम दोनों में लंबे समय से विज्ञापन द्वारा सम्प्रेषण को सशक्त बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो विज्ञापन जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है।

विज्ञापन वर्तमान बाजार व्यवस्था की संजीवनी है। अंग्रेजी के Advertisement को हिन्दी में विज्ञापन कहते हैं। संक्षेप में इसे एड भी कहा कजाता है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन के साथ वि उपसर्ग के योग से बना है। जिसका अर्थ है विशेष रूप से सूचित करना या ज्ञान कराना। Advertisement का शब्दिक अर्थ है – To Advert (ध्यान दिलाना)। इस आलोक में Ad का अर्थ माना जा सकता है कि – किसी वस्तु की ओर ध्यान दिलाना या उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देना।

विज्ञापन मूल रूप से व्यावसायिक होता है। विज्ञापन वह कला है जिससे उत्पादित वस्तुओं की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो और उपभोक्ताओं के मध्य इसकी माँग बढ़ सके। क्रय-विक्रय में वृद्धि विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन के कार्य और स्वरूप के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है।

गोल्डन – विज्ञापन एक व्यापारिक शक्ति है जो मुद्रित शब्द के द्वारा विक्रय कराती है। तथा विक्रय कराने में सहायता कराती है। कीर्ति का निर्माण करती है और साख बढ़ाती है।

फ्रैंक प्रेंसबेने – विज्ञापन लिखित मुद्रित शब्दों द्वारा व्यक्त या चित्रित विक्रय कला है। विज्ञापन का कार्य विज्ञापित वस्तु को बेचना या जनता के मस्तिष्क को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विज्ञापन के हित में प्रभावित करना होता है।

डॉ. बर्डन – विज्ञापन में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिसके अनुसार दृश्य या मौखिक संदेश जनता को सूचना देने के उद्देश्य से तथा उन्हें या तो किसी वस्तु को खरीदने के लिये प्रभावित करने हेतु या पूर्वनिश्चित विचारों संस्थाओं या व्यक्ति के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से सम्बोधित किये जाते हैं।

संक्षेप में उत्पाद की जानकारी देना नवीन वस्तु का आधार तैयार करना माँग उत्पन्न करना एवम् बढ़ाना प्रसिद्धि बनाना एवम् बाजार में स्वयं को बनाये रखने के लिये जो मुद्रित या शाब्दिक सूचनायें दी जाती हैं, उसे ही विज्ञापन या एड कहा जाता है। वस्तु विशेष या सूचना विशेष की ओर ग्राहक का ध्यान आकृष्ट कर उसके विक्रय का मार्ग प्रशस्त करना विज्ञापन का उद्देश्य है। जनसंचार माध्यम के आधार पर विज्ञापन के तीन रूप हैं।

1. **मुद्रित या लिखित रूप** :- इस श्रेणी में समाचारपत्र या पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन इश्तिहार या सूचि पत्र आते हैं। पम्पलेट का प्रकाशन भी इसी श्रेणी में आता है।
2. **श्रव्य विज्ञापन** :- ये विज्ञापन ध्वनि रूप में हमारे सामने आते हैं। अर्थात् रेडियो द्वारा प्रसारित विज्ञापन।
3. **दृश्य : श्रव्य विज्ञापन** :- दूरदर्शन फिल्म, स्लाइडर इंटरनेट इत्यादि पर जाने वाले विज्ञापन दृश्य श्रव्य विज्ञापन के अन्तर्गत आते हैं। इसमें सबसे आकर्षक रूप से उत्पाद का प्रदर्शन एवम् वर्णन किया जाता है।

आज सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिये हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञापन का प्रसारण बहुसंख्यक जनता के लिये किया जाता है, जिनमें शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं। इसलिये विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि सभी आसानी से उसे समझ पाये। भाषा सर्वजनग्राह्य होनी चाहिये। इसलिये विज्ञापन के लिये सरल, सुबोध, स्पष्ट और आम बोलचाल की भाषा आदर्श मानी जाती है। इस कसौटी पर हिन्दी बिल्कुल खड़ी उतरती है। विभिन्न संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग भिन्न-भिन्न रूप से किया जाता

है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो थोड़ी-बहुत या पूरी तरह से बोली एवम् समझी जाती है। प्रयोगगत भिन्नता के भार को वहन करने में हिन्दी पूर्ण रूप से सक्षम है।

विज्ञापन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के लिये हिन्दी भाषा की महत्वपूर्ण एवम् उल्लेख्य विशेषता उसका लचीलापन है। हिन्दी भाषा इतनी दुराग्रही नहीं है कि उसमें सिर्फ हिन्दी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। हिन्दी का शब्द भण्डार तो देशज और विदेशज शब्दों के मिलने से ही समृद्ध हुआ है। हिन्दी की समृद्धि का आधार स्तंभ उसका लचीलापन ही है। भाषायी समृद्धि आज के समय में विज्ञापन की विशेषता ही नहीं वरन् आवश्यकता भी है। विज्ञापन में अंग्रेजी के शब्दों का जितना प्रयोग किया जा रहा है क्षेत्रीय शब्दों का भी उसी प्रकार उपयोग हो रहा है। इन दोनों दो ध्रुवीय शब्दों को एक साथ लेकर चलना हिन्दी की ही क्षमता है। हिन्दी व्यापक जनसंपर्क की भाषा है। इसलिये भारत में विज्ञापन में हिन्दी (जिसे हम प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक हिन्दी भी कहते हैं) व्यवहृत हो रही है। विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी जनमानस द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली हिन्दी होती है न कि साहित्यिक हिन्दी या मानक हिन्दी। वैसे भी भाषा की परिवर्तनशीलता जगजाहिर है। अधिक समय तक इसका कोई एक रूप निश्चित नहीं रहता है।

विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी शुद्धतावादी ना होकर विविधतामूलक जन भाषा हिन्दी है। इसमें जन प्रचलित शब्दों का प्रयोग कलात्मक रूप से किया जाता है। आज की हिन्दी बहुभाषी शब्दों द्वारा निर्मित हिन्दी हो चुकी है। भाषा मिश्रण की यह प्रकृति मौखिक हिन्दी का अभिन्न अंग है। विज्ञापन के सभी रूपों में हिन्दी का यही स्वरूप प्रचलित है और वर्तमान संदर्भ में यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि शुद्धतावादी दृष्टिकोण विज्ञापन के उद्देश्य पूर्ति में बाधक ही बनेगा साधक कभी भी नहीं।

सहायक पुस्तकें :-

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी — कमल कुमार बोस।
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी — डॉ. माधव सोनटक्के।
3. राजभाषा हिन्दी — प्रकाशन विभाग।
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी संरचना एवम् अनुप्रयोग — डॉ. रामप्रकाश, डॉ. दिनेश गुप्त।

ईमेल — komalzhs@gmail.com

मोबाइल नंबर — 7488259826



वैश्विक पटल पर हिंदी

महेश्वर

विद्यार्थी, हिंदी विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-05

मानव सभ्यता चाहे कितनी भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों ना हो जाए, लेकिन भावों और संकल्पनाओं का संप्रेषण और विचार-विनिमय का माध्यम भाषा ही रहेगी। वास्तव में भाषा मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी केंद्रीय व महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करती है। हमारे समस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सरोकार भाषा से ही निर्मित हुए हैं। भाषा संस्कृति की देन है। संस्कृति की अभिव्यक्ति भाषा से ही होती है। किसी भी राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा से ही होती है। भाषा के वैश्विक स्वरूप से परिचित होने के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वैश्विक स्तर पर कितने लोग उस भाषा को दैनिक व्यवहार में लाते हैं। जब हम वैश्विक रंगमंच पर खड़े होकर भाषा के स्वरूप पर विहंगम दृष्टिपात करते हैं, तो पाते हैं कि विगत कुछ वर्षों में हिंदी का वैश्विक मंच विशाल से विशालतर होता जा रहा है। अब हिन्दी केवल मात्र एक राष्ट्र की भाषा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप ले चुकी है। वह समय अतीत में धूमिल हो गया है, जब हिंदी को अपने ही घर में अर्थात् हिंदुस्तान में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। अब विरोधी बेटियों को तोड़कर हिन्दी वैश्विक पटल पर छाने की ओर अग्रसर हो रही है।

हिंदी विश्वभाषा है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में बोली जाती है। गत पचास वर्षों में हिंदी की शब्द सम्पदा का जितना अधिक विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ होगा। आज शब्द संख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा संसार की सबसे समृद्ध भाषाओं में मानी जाती है। हिंदी भाषा विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। विश्व में हिंदी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में 'आचार्य बाबू राम' का दृष्टव्य है कि, "हिंदी के विकास के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीय साहित्यकार भी बढ़े जागरूक हैं। वे संसार के अनेक देशों में रहते हुए हिंदी साहित्य का सृजन करके हिंदी को विश्व में बढ़ा रहे हैं।" हिंदी भाषा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजभाषा ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे ऐसे देश है, जहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। मॉरिशस में बकायदा विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य हिंदी को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा करना है। यूनेस्को के बहुत सारे कार्य हिंदी में संपन्न होते हैं। हिंदी विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन में भागीदार है। 'करुणा शंकर उपाध्याय' के शब्दों में, "अमेरिका में ही लगभग एक सौ पचास से ज्यादा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है।" अमेरिका में हिंदी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया में सौ से अधिक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत

के बाहर फिजी ऐसा देश है, जहां पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अमेरिका के अनेक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में हिंदी ने अपनी जगह बनाई है जो कि शुभ संकेत है।

हिंदी भाषा अपने बुहआयामी भाषा-शास्त्र के साथ विश्वभाषा बनने की दिशा में अतिशय तीव्र गति से बढ़ रही है। हिंदी भाषा मातृभाषा, लोकभाषा, सम्पर्क भाषा, एवं राजभाषा के सोपानों से गुजरकर विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। आज हिंदी विश्व के अनेक देशों में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका जैसे दक्षिण देशों में अपनी विकास यात्रा को निरंतर गतिमान कर रही है।

हिंदी भाषा मध्यकाल से भी भारत और नेपाल के बीच व्यापार प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। वह पर्यटन तथा सम्पर्क भाषा के दायित्व का सफलता पूर्वक निर्वाह कर रही है। नेपाल की आबादी के लगभग नब्बे प्रतिशत लोग हिंदी को प्रथम एवं संपर्क भाषा के रूप में दैनिक व्यवहार में लाते हैं। नेपाल कांग्रेस सरकार के तत्कालीन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री वी.पी. कोइराला जी हिंदी के अच्छे लेखक थे। नेपाल में हिंदी में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं ने हिंदी को विस्तार दिया। सन् 1956 से ही काठमांडू में 'नेपाली' हिंदी दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा है। नेपाल के बहुप्रसिद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय में उच्चतम स्तर पर हिंदी शिक्षण का कार्य चल रहा है और साथ ही वहां के हिंदी विभाग में 'साहित्य लोक' नामक पत्र प्रकाशित होता है। इस प्रकार हिंदी भाषा नेपाल में भी अपने विविध रंगों को बिखेरती हुई विश्वपटल पर छा रही है।

दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदी अपने बहुविविध वर्णों तथा छटाओं के साथ साहित्य, शिक्षण व संचार माध्यमों में निरंतर प्रयुक्त हो रही है। वह भारतीय और पाकिस्तान बुद्धिजीवियों व कवियों के मध्य विचार-विनिमय का माध्यम बन रही है। आज पाकिस्तान में उतने ही लोग हिंदी बोलना जानते और समझते हैं, जितने की उर्दू। पाकिस्तान में लगभग 80 प्रतिशत जनता हिंदी को दैनिक प्रयोग में लाती है। यहां के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन-पाठन की व्यवस्था है। पाकिस्तान के तीन प्रमुख विश्वविद्यालय, कराची विश्वविद्यालय, इस्लामाबाद विश्वविद्यालय और लाहौर विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षा की विविध व्यवस्था है। यहां के विश्वविद्यालयों से हिंदी भाषा में शोधकार्य भी संपन्न हो रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा के लिए गर्व की बात है। पाकिस्तान के संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है। इसके इत्तर पाकिस्तान में हिंदी में डिप्लोमा कार्य भी चल रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी का महासागर दिन-प्रतिदिन विस्तार पा रहा है।

सिंहल द्वीप नाम से विख्यात महासागर के उत्तरी छोर में स्थिति श्रीलंका में दूरदर्शन से भी हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। श्रीलंका के सुप्रसिद्ध कोलंबो विश्वविद्यालय, केलानिया विश्वविद्यालय, जयवर्द्धने पूरा विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का पठन-पाठन हो रहा है। भारत और श्रीलंका सरकार की ओर से दोनों देशों की भाषाओं में शोधकार्य हेतु शोधवृत्ति व्यवस्था बनाई है। श्रीलंका के परीक्षा विभाग द्वारा संचालित 'उच्चतम पाठशाला प्रमाण पत्र' परीक्षा हेतु हिंदी भी वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है। जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर हिंदी अपना परचम लहरा रही है, वैसे-वैसे उसके चरणों की गति श्रीलंका में भी जोर पकड़ रही है।

मॉरीशस में 'विश्व हिंदी समाचार' नामक हिंदी का पहला अन्तर्राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित हुआ है। सम्पूर्ण वैश्विक पटल पर हिंदी के विकास एवं हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना से

मॉरीशस में की गई है। सचिवालय की स्थापना अधिनियम नवंबर सन् 2002 में पारित किया गया और उसकी अधिकारिक घोषणा सन् 2005 में की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरीशस यात्रा के दौरान विश्व हिंदी सचिवालय भवन का शिलान्यास किया। 13 फरवरी, सन् 2018 को मॉरीशस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय के भवन का उदघाटन व लोकार्पण किया गया। सचिवालय का उद्देश्य हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित व संवर्धन कर और उसे संयुक्त राष्ट्रीय संघ में अधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाना है।

विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के विराटतम उत्सव की तरह होते हैं। यह सम्मेलन नागपुर से आरंभ होकर नई दिल्ली, मॉरिशस, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंव टोबैगो लंदन, सूरीनाम, अमेरिका, जोहान्सबर्ग तथा भोपाल से होते हुए अपने ग्यारहवें पड़ाव में मॉरिशस पहुँचा। इस तरह विश्व के सभी महाद्वीपों में विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। विदेशों में संपन्न होने वाले सम्मेलनों से भारत की सांस्कृतिक, भाषिक व साहित्यिक दृष्टि से हिंदी विविधता में एकता की सबसे बड़ी सूत्रधारिणी है। विश्व हिंदी सम्मेलन इस दायित्व को वैश्विक स्तर पर निभाने में पूर्णतः सक्षम रहा है।

फरवरी 2019 में आबूधाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। विश्वभाषा बनने के सभी गुण हिंदी में विद्यमान हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रकाश सारी दुनिया में उदभाषित हो रहा है। हिंदी भाषा आज न केवल भारत की ही भाषा है, बल्कि ये विश्व भाषा बन चुकी है। विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी को गौरव दिलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। अतः वैश्विक स्तर पर हिंदी के महत्व को उजागर करते हुए 'संतोष डेहरिया' लिखते हैं, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी ने अपनी क्षमताओं के बल पर वैश्विक स्तर पर विश्वभाषा बनने का सम्मान पाया है और विश्व हिंदी सम्मेलनों ने इस क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है।" हिंदी की जड़ें विविध रूप से अपने पाठकों के हृदय में हैं। हिंदी भाषा अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व के लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। हिंदी भाषा मजबूती से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक रूप से विश्व पटल पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। आज समूचे विश्व में हिंदी को नई दृष्टि मिल रही है।

संदर्भ-ग्रन्थ सूची :-

1. बाबूराम (सं०), हिंदी की विश्वयात्रा और सांस्कृतिक प्रदूषण, पृ० स० 16
2. करुणा शंकर उपाध्याय, हिंदी का विश्व संदर्भ, पृ० स० 26
3. ललिता राठोड़ (सं०), 21वीं शती का वैश्विक हिंदी साहित्य, पृ० स० 130

मेल :- maheshwar932001@gmail.com

Phone : 70189-29596



मीडिया लेखन में हिंदी की भूमिका

डॉ. शक्ति बुद्धिराजा

असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर।

मीडिया लेखन शब्द से अभिप्राय है कि मीडिया अर्थात् संचार माध्यमों के लिए लिखना।¹ संचार एक मूलभूत, वैयक्तिक एवं सामाजिक आवश्यकता तथा सार्वभौमिक मानवाधिकार है। इसके बिना जीवन अर्थहीन और उद्देश्यहीन हो जाता है। संचार के बिना सम्पूर्णता नहीं हो सकती। इसके बिना किसी समुदाय या मानव गरिमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचार एक प्रक्रिया है तंत्र नहीं।

भाषा के बिना संचार और मीडिया का लक्ष्य पूरा नहीं होता। प्रत्येक युग में जनसंचार माध्यमों के लिए भाषा का उपयोग अनिवार्यतः रहा है। भाषा ने संचार माध्यमों के कार्य को सुगम बनाया है, आकर्षण प्रदान किया है और विस्तार भी दिया है। संसार भर की भाषाएं अपने-अपने प्रयोग क्षेत्र में जनसंचार का माध्यम बनी हुई है। भारत में मीडिया लेखन के माध्यम के रूप में हिन्दी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही है।

मीडिया में हिन्दी के माध्यम से सम्प्रेषण का इतिहास बहुत प्राचीन है। 9वीं शताब्दी में प्राप्त शिलांकित रचनाओं से ही यह संकेत मिलता है कि हिन्दी ने संवाद प्रेषण के क्षेत्र में अपनी विशिष्टताओं का संकेतन आरम्भ कर दिया था। अमीर खुसरो ने बार-बार ऐसे संदेशों का उल्लेख किया है जो हिन्दोस्तानी तथा हिन्दवी में सार्वजनिक स्तर पर प्रचारित हुए। मध्यकाल के भक्तों संतों ने जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अलख जगाया था उसके विभिन्न सूत्रों के रूप में अखिल भारतीय संचार की व्यवस्था को इसका श्रेय जाता है इसी के कारण दक्षिण के आचार्यों का संदेश उत्तर भारत तक पहुँचा और उत्तर के भक्तों ने इस वाणी को व्यापक विस्तार दिया।²

मुगल बादशाहों ने संचार माध्यमों की उपादेयता को प्रशासनिक कार्यों के लिए अपनाया, लेकिन आधुनिक अर्थ में जनसंचार की सुविधाओं का आकाश युरोपीय सम्पर्क के बाद ही खुला।³ सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जिस आँधी का नेतृत्व 19वीं शताब्दी के बाद भारतेन्दु, केशवचन्द्र सेन, राजाराम मोहन राय और स्वामी दयानंद जैसे लोगों ने किया, उसके विस्तार में आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का परिचय दिया।

मीडिया ने हिन्दी को न जाने कितने व्यापक भू-भाग तक फैलाया है। संचार माध्यमों की हिन्दी न तो सामान्य बोलचाल की हिन्दी है और सृजनात्मक स्तर पर उपयोग में आने वाली काव्य भाषा है। वह निजी और सार्वजनिक कार्यकलापों में प्रयुक्त होने वाली शुष्क राज भाषा भी नहीं है। रेडियो की हिन्दी, पत्रकारिता की हिन्दी, विज्ञापन की हिन्दी, दूरदर्शन की हिन्दी, इंटरनेट की हिन्दी, पोस्टरों की हिन्दी तथा समाचारों की हिन्दी में पर्याप्त

अंतर है। मीडिया ने बाजारवाद को बढ़ावा दिया है। बाजारवाद के दौर में भाषा का परिवर्तन अवश्यमभावी है। यह बाजारवाद हिंदी भाषा को प्रसारित करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। दुःख को सुख में बदलने की नई कला है। बाजारवाद ने हमारी हिंदी को प्रयोजित कर किया है। इस बाजारवाद ने वैचारिक लेखन को भी अपनी ओर आकर्षित किया और रचनाकार अपनी भाषाई भूमिका बदलकर आधुनिक मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

समाज में जन जागृति लाने में मीडिया सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न कुप्रथाओं पर कटु प्रहार किए हैं। इसने बाल विवाह दहेज प्रथा, छुआछूत, साम्प्रदायिकता, भ्रूणहत्या, आदि के खिलाफ जनमत तैयार किया। इस सबका माध्यम बनी हिंदी क्योंकि सुदूर प्रदेशों तक फैली हमारी अधिकांश जनसंख्या केवल हिंदी ही जानती है।

‘मतदान हमारा अधिकार है’ जैसे नारे आम आदमी को मतदान के प्रति सजग कर रहे हैं। आतंकवाद और पर्यावरण पर हिंदी में बनी डॉक्यूमेंटरी फिल्में मीडिया में हिन्दी की भूमिका को स्पष्ट करती है।

मीडिया हिन्दी ने साहित्य व साहित्यकार के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया है। आज का साहित्यकार अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। समय और सृजन की अवधारणाएं बदल रही हैं। समय का अर्थ तत्काल हो गया है। तत्काल को महत्व देने के लिए युग युगीन साहित्य सृजन मानो रूक सा गया है। चारों ओर बिखरे इतने सारे मीडिया के उपकरण, व्यस्तता और भागदौड़ भरी सृजन कर रहा है। यह भाङ्गा जो वास्तव में शास्त्रीय और व्याकरणिक गुणों से रहित है तथा साहित्यिकता के गुणों से भी परे है। पर आज का पाठक या श्रोता और दर्शक इसी भाषा को जानता और समझता है क्योंकि मीडिया का प्रत्येक माध्यम इस भाषा को बोलता है।⁴

ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के तेज विस्तार ने हमारी जीवन शैली, काम और सम्पर्क की प्रकृति को बुनियादी तौर पर बदल दिया है।⁵ हम भारतीयों ने फ़ैस बुक की दीवारों को अपने ही अंदाज और मिजाज से रंगना शुरू कर किया है। इस पर हमारी भाषा, अपनी संस्कृति और देसी अंदाज की चमक दिखाई देती है। इंडियन फ़ेसबुक यूजर्स के स्टेट्स में जिंदगी के फ़लसफ़े हैं, कहीं गाँव की मिट्टी की खुशबू है, कुछ मुद्दे हैं। कविताएं हैं, छींटाकसी है, कुछ यादें हैं। दादी नानी के किस्से और नुस्खे भी हैं। बचपन की बातें हैं सीख है उत्सव हैं, गंभीर विचार विमर्श भी है। अपनी गलियों मुहल्लों को हमने ग्लोबल बना दिया है। इस सब में लिपि कोई भी हो पर मूल में हिंदी ही विद्यमान है।

ब्लॉग के जरिए यंग जनरेशन स्वयं को सम्पूर्ण संसार के साथ जोड़कर पूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा ले रही है। चैटिंग के दौरान लाइव ओडियो वीडियो इंटरैक्शन की जा रही है। हिंदी में नए नए सर्च इंजन, बैबसाइट्स और साफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं। आज इंटरनेट ने विश्व को छोटे से गाँव में तब्दील कर दिया है।

सरल हिंदी डॉट कॉम हिंदी वैब साइट पर हिंदी शीर्षक के अंतर्गत हिंदी समाचार, हिंदी विकीपीडिया,

हिंदी के साधन, हिंदी जाल निर्देशिका तथा यूनिकोड सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रयास हिंदी की भूमिका को सुदृढ कर रहा है।

मीडिया के माध्यम से हिंदी निरन्तर लोकप्रियता की ओर अग्रसर है। विदेशों में लोग हिंदी की सम्प्रेषणीयता के कायल हैं। मीडिया ने न सिर्फ भारत अपितु विश्व मंच पर हिंदी की सार्थकता को सिद्ध किया है और उसकी अस्मिता को शिखर तक पहुँचाया है।

संदर्भ सूची :-

1. मीडिया लेखन, मीनाक्षी पूनिया, पृ0 1
2. जनसंचार माध्यमों में हिंदी, चंद्रकुमार, प्रस्तावना से।
3. सृजन गाथा—13 नवम्बर 2010
4. डॉ. बलबीर कुंदरा, जनसंचार बदलता परिप्रेक्ष्य, भूमिका से।



नई शिक्षा नीति में हिंदी का वर्चस्व और उन्मूलन

डॉ रश्मि मेहरोत्रा, शोध निर्देशिका

नम्रता, शोध छात्रा

तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

प्रस्तावना :-

एक स्वतंत्र देश की खुद की एक भाषा होती है, जो उस देश का मान-सम्मान और गौरव होती है। भाषा और संस्कृति ही उस देश की असली पहचान होती है। भाषा ही एक ऐसा जरिया है, जिसकी मदद से हम अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। विश्व में कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान है। मातृभाषा के बिना व्यक्ति समाज और राष्ट्र की उन्नति अधूरी है। नए भारत के निर्माण और भारत भाव के जागरण के लिए मातृभाषा में चिंतन-वंदन की आवश्यकता है मातृभाषा वह है जिसे बालक सबसे पहले अपनी मां से सीखता है और फिर परिजनों के साथ उसका विकास करता है। मातृभाषा का चिंतन-वंदन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के आत्मबल की उन्नति करता है। यह दूसरे पर निर्भरता से मुक्ति और आत्मनिर्भरता की राह खोलने वाला है। मातृभाषा में व्यवहार और शिक्षा किसी के बहिष्कार से परे स्वयं के स्वीकार की दिशा में जाना है। मातृभाषा वह है जिसे बालक सबसे पहले अपनी मां से सीखता है और फिर परिजनों के साथ उसका विकास करता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का अनावश्यक प्रयास नहीं करना पड़ता। सीखने की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रहती है।

इसी निज भाषा की ताकत को पहचानते हुए ही भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने हिंदी की उन्नति शीर्षक व्याख्यान में 1877 में कहा था— निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल...। यह वह समय था जब आधुनिकता के नाम पर कुछ लोगों में अंग्रेजी का आकर्षण पैदा हो रहा था। भारतेन्दु द्वारा संकल्पित यह निज भाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएँ ही थी, जिनकी उन्नति के बिना सुख-दुख, ज्ञान-विज्ञान, प्रेम-विवेक, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती है। यह सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम भी करती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। इसका अध्ययन विदेशों में भी होता है और विश्व के कोने-कोने से लोग भारत सिर्फ हिंदी सिखने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा का सरलतम रूप हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषा में संस्कृत के काफी शब्दों का समावेश देखने को मिल जाएगा।

हिंदी भाषा का विकास :-

विश्व में कुल 3 हजार भाषाएँ बोली जाती हैं, उनमें से हिंदी एक भाषा है। रूप या आकृति के आधार

पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। भारत देश में 4 भाषा के परिवार मिलते हैं, जो भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा परिवार भारोपीय परिवार है। यह भाषा की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली, प्राकृतिक भाषा से होती हुई और अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश से गुजरती हुई प्राचीन/प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है।

हिंदी भाषा का विकास क्रम : संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन/प्रारम्भिक हिन्दी।

हिंदी भाषा का महत्व :-

यह एक ऐसी भाषा है, जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि है। हमारे में से कई लोग ऐसी भी है, जो यह मानते हैं कि वह हिंदी नहीं सीखेंगे फिर भी उनका काम बन जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में हर व्यक्ति अन्य भाषाओं को मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकता है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हर भारतीय आसानी से आपस में समझ सकते हैं। अनेकता में एकता के सूत्र, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के द्वार निज भाषा की उन्नति से ही जुड़ते-खुलते हैं। मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार, समाज, प्रदेश और देश से जोड़ती है, उनके बीच समरसता स्थापित करती है। वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य समिति इंदौर के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था— आज अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। हमें अब अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए...।

भारतवर्ष सनातन ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा है। विदेशी दासता के दौर में अनेक रूपों में ज्ञान की इस सनातन परंपरा को नष्ट करने के प्रयास होते रहे। ब्रिटिश दौर में मैकाले की शिक्षा नीतियों ने समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भिन्न-भिन्न रूपों में ध्वस्त किया। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक, वीर परंपरा, संत परंपरा, त्याग, सेवा भाव एवं जीवन मूल्य जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण बातें शिक्षा से अलग हटा दी गईं। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा नीतियों में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। अंग्रेजी अच्छे ज्ञान और अच्छी शिक्षा का पर्याय बनती चली गई। हमारी शिक्षा नीतियां बालक अथवा मनुष्य को एक संसाधन के रूप में देखती रही। वह उसे अच्छा व्यवसायी और बाजार के अनुरूप तो बनाती रही, किंतु मातृभाषा, परहित का भाव और भारत भाव से वह अधिकांशतरु दूर होता चला गया। आज भारतवर्ष भिन्न-भिन्न रूपों में विकास के मार्ग पर अग्रसर है। नया भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह नितांत आवश्यक है कि मातृभाषा शिक्षा एवं संस्कार का माध्यम बने। युवा भारत मातृभाषा के चिंतन के साथ-साथ उसके वंदन के लिए भी दृढ़ संकल्पित हो। वर्ष 1886 में एक पत्र में विदेशी विद्वान फ्रेडरिक पिकाट ने लिखा है— मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निजभाषा अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता।

हिंदी- एक भावात्मक भाषा :-

भारत एक ग्रामीण देश है और इसकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से तालुक रखती है। भारत में सभी अंग्रेजी नहीं जानते। इसलिए भारत में आपको किसी से भी बात करनी हो या फिर संवाद करना हो तो

आपको पहले हिंदी का ज्ञान होना ही चाहिए। यह एक ऐसी भाषा है, जिसकी मदद से हम अपनी भावनाओं को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको हिंदी की जानकारी होते हुए भी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी बोलने से उनके चरित्र पर सवाल उठेंगे। ये सोच रखने वाले हिंदी को अधिक महत्व नहीं देते लेकिन उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सिखने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च करके भारत आते हैं। हिंदी के महत्व को जानने के लिए यही मात्र काफी है।

हिंदी भाषा की विशेषताएं :-

इस भाषा को देवभाषा संस्कृत का सरलतम रूप कहा जा सकता है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है।

हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें हम दूसरी भाषा के शब्द भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें आसानी होती है।

इस भाषा के वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की वर्णमालाओं की तुलना में बहुत अधिक व्यवस्थित है।

हिंदी भाषा के वर्ण हम जो भी बोलते हैं, उन्हें आसानी से लिख भी सकते हैं जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसी नहीं होता है।

यह एक ऐसी भाषा है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए लिंग का निर्धारण होता है।

हिंदी भाषा को पढ़ने के साथ ही इसे आसानी से लिखा भी जा सकता है।

हिंदी भाषा के शब्दकोश में मौजूद शब्द हर काम के लिए अलग अलग हैं और ये शब्द बढ़ ही रहे हैं।

इस भाषा में साइलेंट लेटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण ही इसका उच्चारण और लेखन में शुद्धता होती है।

सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग हमेशा बढ़ता ही जा रहा है इसलिए सभी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट ने हिंदी को महत्व देना शुरू कर दिया है।

भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देती नई शिक्षा नीति :-

सकारात्मक यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषा और मातृभाषा पर केंद्रित है। यह जहां एक ओर भारत केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर बालक केंद्रित भी है। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड पांच तक और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक का भविष्य निर्माण करता है। इसलिए देश की शिक्षा व्यवस्था में देश की सांस्कृतिक चेतना के साथ-साथ उसके भविष्य के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आना चाहिए। भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देती नई शिक्षा नीति को आखिरकार लगभग साढ़े तीन दशक के लंबे इंतजार के बाद 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं नए भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ विश्वविद्यालयों ने मेडिकल एवं

इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों को भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू किया है। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, किंतु संकल्प से उसमें भी सफलता मिलेगी। मातृभाषा में वह शक्ति है जिसके सहारे बालक नैसर्गिक रूप से ज्ञानात्मक और विकासात्मक अवस्थाओं तक आसानी से पहुंच सकता है। विभिन्न देशों में उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका व्यवहार उनकी अपनी भाषाओं में ही होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा और गुरुकुल पद्धति का एक स्वर्णिम दौर रहा है। लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान मैकाले का घोषणा-पत्र, वुड डिस्पैच और हंटर आयोग के माध्यम से ऐसी शिक्षा व्यवस्था को भारत पर लादने का प्रयास किया गया जो औपनिवेशिक हितों के अनुरूप थी। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का भारतीयकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन शिक्षा नीतियों पर वामपंथी विचारधारा का दबाव था। जिससे शिक्षा व्यवस्था देश की अंतरात्मा और संस्कृति से जुड़ने में असफल रही।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह प्रविधान किया गया है कि हम अपनी मातृभाषाओं के व्यवहार में सम्मान महसूस करें। देशी-विदेशी सभी भाषाओं में ज्ञान का भंडार है, उन्हें सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहला सम्मान अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के लिए आवश्यक है। मातृभाषा में बालक की सहज प्रकृति का निर्माण करने की क्षमता है, यह समरसता का सेतु है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आमूलचूल बदलाव किए गए हैं। जिनका भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा। वर्तमान में चल रही 10 + 2 प्रणाली के स्थान पर पढ़ाई की रूपरेखा 5 + 3 + 3 + 4 के आधार पर तैयार की जाएगी। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर कार्य करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति के मसौदे में की गई है। इसके साथ ही चौथी व पांचवीं के बच्चों के लेखन कौशल पर ध्यान देने की बात की गई है। बच्चों में अपनी मातृभाषा व गणित के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए "भाषा सप्ताह" व "गणित सप्ताह" के प्रारूप भी नई शिक्षा नीति में जोड़े गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करने का फैसला किया है जो कि वर्तमान में 4.43 प्रतिशत है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि कम से कम पांचवी कक्षा तक बच्चों को मातृभाषा या किसी अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाए। इस नियम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य बच्चों को भारतीय भाषाओं से जोड़ना है। संस्कृत भाषा को भी विषय के तौर पर रखा गया है। एक विषय के रूप में बच्चे अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं और पांचवी कक्षा के बाद अगर वे चाहें तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अतः इससे बच्चों में अंग्रेजी ज्ञान में कमजोरी की संभावना नहीं है अपितु इससे बच्चे अपनी भाषा व संस्कृति से घनिष्ठ संबंध बना पाएंगे।

नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य यह भी है कि सन 2035 तक 50 प्रतिशत बच्चे उच्च शिक्षा में दाखिला लें। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों और युवाओं की जरूरतों को देखते हुए "मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम" का प्रावधान रखा गया है ताकि कोई भी विद्यार्थी अगर किसी कारण से अपना अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो उसे प्रथम वर्ष के बाद 'सर्टिफिकेट' द्वितीय वर्ष के बाद 'डिप्लोमा' तथा तृतीय/चतुर्थ वर्ष के बाद डिग्री प्रदान की जा सके। अगर कोई विद्यार्थी एक निश्चित अवधि के बाद अपना अध्ययन पुनः आरंभ करना चाहता है तो वह अपनी शिक्षा को जारी रख सकता है। इससे उसके 'क्रेडिट बैंक' में रखा क्रेडिट स्कोर उसके काम आएगा। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जोर दिया गया है। यह भारत की नई पीढ़ी को कौशल युक्त करने की सराहनीय पहल है। विद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा पहले कक्षा नौवीं से दी जाती थी। अब कक्षा छठी से ही आरंभ कर दी जाएगी ताकि वह अपनी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई के बाद अपने रोजगार हेतु

कुशलता प्राप्त कर सके। सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि कक्षा पाँचवीं तक भाषा संबंधी नियम केवल सरकारी विद्यालयों तक ही सीमित न हो बल्कि निजी विद्यालयों पर भी सख्ती से लागू किए जा सकें। ऐसा करने से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्वदेशीकरण हो पाएगा अन्यथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाला यह प्रावधान अमीर-गरीब के बीच खाई पैदा करने वाला होगा। इसके साथ साथ हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी, विज्ञान की स्तरीय पाठ्य-सामग्री के अभाव को दूर करने के प्रयास भी यथाशीघ्र होने चाहिए अन्यथा ऐसे प्रावधानों का संपूर्ण लाभ भावी पीढ़ी नहीं उठा पाएगी और भारतीय भाषाएं भी पीछे छूट जाएंगी। शिक्षा राष्ट्र-निर्माण का प्रभावी माध्यम होती है। ऐसे में शिक्षा में असमानता राष्ट्रीय-एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। जिसको एक समान पाठ्यक्रम अपनाकर दूर किया जा सकता है। अतः नई शिक्षा नीति का महत्व बढ़ जाता है।

उपसंहार :-

हिंदी भाषा के प्रति हमारा सभी का यह कर्तव्य है कि हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़े रखने का काम करती है। सभी को यह समझाना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करना हीनता का प्रतीक नहीं बल्कि यह हमारा गौरव है। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, जिससे हर कोई सिखकर इसका प्रयोग कर सकता है। यह सिखने में बहुत ही आसान है। हिंदी को सिखने के लिए आपको अधिक खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। हिंदी को मात्र कुछ किताबों की मदद से सिखा जा सकता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के लोग अपने बचपन से करना शुरू कर देते हैं। विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को अग्रिम स्थान मिला है। हिंदी भारत की मूल है। यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। हिंदी भाषा हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करवाती है। विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिन्दी का स्थान दूसरा आता है। भारत देश में यह भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है इसलिए हिंदी भाषा को 14 सितम्बर 1949 के दिन अधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत ही एक ऐसा देश है, जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। जो यह साबित करता है की भारत देश में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग एक हजार वर्ष पहले हुआ था।

ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म देवभाषा संस्कृत की कोख से हुआ है। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिन्दी -यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है। हिंदी एक भावात्मक भाषा है, जो लोगों के दिल को आसानी छू लेती है। हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है। पुरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एक मात्र हिंदी भाषा को जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते अंग्रेजी भाषा का सभी क्षेत्रों में चलन बढ़ गया है। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग जरूर करते हैं लेकिन कॉर्पोरेट जगत में ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है, जो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. हिंदी भाषा शिक्षण स्वरूप , डॉ कमल किशोर गोयनका 68
2. हिंदी भाषा का वैश्विक परिदृश्य, डॉ मीना कौल
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति गजट।



कृषि एवं किसानों के विकास में हिंदी समाचार-पत्रों की भूमिका

Sandeep, Ph.d (Research Scholar)

Prof. Dr. Harish Kumar, (HOD of JMC, MDU ROHTAK)

Department of Journalism & Mass Communication, Maharshi Dayanand University, Rohtak (HARYANA)

शोध सारांश :-

भारत में हिंदी समाचार-पत्रों की दुनियां बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया के इस तकनीकी युग में हिंदी समाचार-पत्रों का अपना एक अलग महत्त्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषक प्रधान होने के बाद भी कृषि एवं किसानों को सम्पन्न की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भावी सरकार और मीडिया को यह समझने की जरूरत है कि देश की समृद्धि और विकास का रास्ता गांवों के खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। कृषि एवं किसान न केवल देश की खाद्यान्न की मांग की पूर्ति करता है बल्कि यह देश के लिए सबसे बड़ा व्यापार भी है। ऐसे में हिंदी समाचार-पत्र कृषि क्षेत्र की कवरेज किस तरह से कर रहे हैं, यह अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह शोध अध्ययन कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शोध अध्ययन के लिए “कृषि एवं किसानों के विकास में हिंदी समाचार पत्रों की भूमिका” विषय को शोध समस्या के तौर पर चुना गया है। शोध विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, रिपोर्ट आदि का अध्ययन करने के बाद ही शोध कार्य को आगे बढ़ाया गया है। शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह जानने का प्रयास किया गया है कि कृषि एवं किसानों के विकास के लिए हिंदी समाचार-पत्रों की क्या भूमिका रही है? शोध कार्य में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

मुख्य शब्द :- कृषि, हिंदी समाचार-पत्र, कृषि समाचार, हिंदी पत्रकारिता, कृषक जगत्।

हिंदी समाचार-पत्र एवं कृषि :-

ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता तहसील, ब्लॉक, गांव, शहर, कस्बा, आर्थिक बाजार तथा दूर-दराज के दुर्गम क्षेत्रों की पत्रकारिता है। गांव, कृषि व किसान के विषमताओं से भरे समाज की रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफल अंजाम देने के लिए हिंदी समाचार-पत्र कृषि क्षेत्र में बेहतरीन प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया में समाहित ‘हिंदी समाचार-पत्र’ समाज का अंग ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा भी है। समाचार-पत्र प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है। समाचार-पत्र

समाज के विचारों का प्रतिबिम्ब है। समाचार-पत्रों की खास बात यही होती है कि इन्हें एक से अधिक बार पढ़ने के साथ-साथ, सुरक्षित भी रखा जा सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही पूरी की जाती है। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। साधारणतः शब्दों में कहे तो 'कृषि' देश की रीढ़ है। ऐसे में हिंदी समाचार-पत्रों एवं संचार के अन्य माध्यमों में कृषि समाचारों की कवरेज महत्वपूर्ण हो जाती है। कृषि-पत्रकारिता में पत्रकार कृषि से संबंधित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए किसानों एवं मजदूरों की तर्ज पर काम करता है। कृषि से जुड़े अन्य संचार माध्यमों के साथ-साथ हिंदी समाचार-पत्रों ने भी सामाजिक सरोकारों, सार्वजनिक हितों, ग्रामीण परिवेश तथा कृषि विकास में कदम से कदम मिलाया है। ग्रामीण परिवेश आज तेजी से बदल रहा है। किसानों एवं मजदूरों को सूचनाएँ प्राप्त होने लगी हैं।

हरियाणा में हिंदी समाचार-पत्रों की कवरेज :-

वर्तमान समय में हिन्दी समाचार-पत्रों में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के समाचारों का महत्त्व बढ़ रहा है। लेकिन कृषि पत्रकारिता की स्थिति अभी भी पूरी तरह सुधर नहीं पाई है। वास्तव में गाँव की वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए पत्रकारिता से जुड़े हुए समाचार-पत्र, कृषि पत्रकारिता के प्रति सामान्य नहीं है। कुछ समाचार-पत्रों को छोड़कर बाकि सभी समाचार-पत्र कृषि पत्रकारिता से कोसों दूर हैं। समाचार-पत्रों को कृषि पर आधारित विशेष कॉलम या पृष्ठ प्रकाशित करने की जरूरत है। तभी ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों का विकास हो सकता है। देखा जाए तो हरियाणा में कृषि समाचारों की कवरेज में हिन्दी समाचार-पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिनमें दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हरिभूमि, पंजाब केसरी, जनसत्ता तथा अन्य संचार माध्यम शामिल हैं। दैनिक भास्कर समाचार-पत्र किसानों को कृषि समाचार एवं सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 'एग्रो भास्कर' के नाम से एक साप्ताहिक पृष्ठ प्रकाशित करता है जिसे प्रत्येक गुरुवार को प्रकाशित किया जाता है। अमर उजाला 'एग्रो टेक' के नाम से एक पृष्ठ प्रकाशित कर किसानों को कृषि जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। दैनिक जागरण के द्वारा भी कृषि समाचारों को 'सांझी' पृष्ठ में शामिल किया जाता है। पंजाब केसरी, हरिभूमि, जनसत्ता तथा अन्य समाचार-पत्रों में कृषि समाचारों की महत्त्वता के आधार पर ही विशेष स्थान दिया जाता है।

हिंदी समाचार-पत्रों के लिए कृषि पत्रकारिता में एक समस्या यह भी आती है कि पत्रकारों को कृषि के बारे में सामान्य जानकारी नहीं होती है। पत्रकारों को ग्रामीण परिवेश और कृषि के विभिन्न आयामों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए चीन के 'पीजेंट डेली' समाचार-पत्र से सबक लिया जा सकता है। इस समाचार-पत्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक रिपोर्टर और संपादकों को हर साल कम से कम दो महीनें गांवों में बिताना आवश्यक है ताकि वह किसानों की समस्याओं और उनकी उम्मीदों से रूबरू हो सके। अधिकतर समाचार-पत्र व पत्रिकाएँ हरियाणा से प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया जगत् में कृषि समाचारों की कवरेज बहुत कम है।

एग्रो भास्कर : एक परिचय :-

एग्रो भास्कर कृषि पर आधारित एक साप्ताहिक पृष्ठ है। जिसे भास्कर समूह द्वारा प्रत्येक गुरुवार को प्रकाशित किया जाता है। वास्तव में एग्रो भास्कर कृषि से जुड़ी गतिविधियों को संजोकर तैयार किया गया एक

ऐसा पृष्ठ है जिसमें कृषि समाचार, कृषि योजनाएं, नई तकनीक, मंडियां, खाद्य टिप्स, खेती, नॉलेज फ़ैक्ट, मौसम-अपडेट, कृषि संस्थान व मेले, पैदावार, ग्रामीण क्षेत्र, बजट, नियुक्तियां, सम्मेलन, उत्पादन, पशु-पालन, बाजार-भाव, एवं सफल कहानियाँ इत्यादि सभी विषय सामग्री को शामिल किया जाता है। एग्री भास्कर किसान एवं कृषि क्षेत्र की स्थिति के आधार पर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आंकलन करता है और इसका कार्य केवल प्रकाशन मात्र नहीं है बल्कि प्रदेश के सभी किसानों एवं मजदूरों को निचले तबके से ऊपर उठाकर उनका विकास करना है। कृषि क्षेत्र के विकास में एग्री भास्कर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े किसान एवं मजदूर समाचार-पत्रों में रूचि लेने लगे हैं। यही कारण है कि अब हिंदी समाचार-पत्रों में 'गांव' एक समाचार है।

शोध में प्रयोग शोध विधि :-

शोध से संबंधित कार्यों एवं उद्देश्यों को सफल अंजाम देने का सुचारु रूप शोध विधि ही होती है। जिस पर चलकर शोधकर्ता अच्छे परिणामों को अंजाम देता है। शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है ताकि शोध के सटीक एवं स्पष्ट परिणाम प्राप्त हो सकें। शोध की इस विधि को आधार मानकर ही शोध कार्य को आगे बढ़ाया गया है।

सैंपल का चयन :-

शोध से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए शोधकर्ता द्वारा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। साधारणतः उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि अप्रायिकता निदर्शन विधि का प्रकार है। मुख्य तौर पर कहा जा सकता है कि समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ चुनी हुई इकाईयों को ही निदर्शन विधि कहा जाता है। शोध विषय से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा करनाल और हिसार के 100 किसानों का चयन सैंपल के लिए किया गया है। प्रत्येक जिले से 50-50 किसानों को चुन कर प्रश्नावली भरवाई गई है।

प्रश्नावली का निर्माण :-

प्रश्नावली संबंधित प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची है जिसका मुख्य उद्देश्य शोध विषय से संबंधित प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। शोध से संबंधित किसानों से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता ने शोध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी समाचार-पत्रों से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की है। जिसका मुख्य उद्देश्य शोध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करना है। साथ ही हिंदी समाचार-पत्रों के संबंध में किसानों की राय जानना भी है कि किसान कृषि से संबंधित किस तरह की सूचनाएँ पसंद करते हैं? किसानों द्वारा हिंदी समाचार-पत्रों को किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है? हिंदी समाचार-पत्रों में कृषि संबंधित विषयों की कवरेज से किसान कितने सहमत हैं? किसानों से कुछ ऐसे प्रश्न प्रश्नावली के माध्यम से पूछे गए हैं।

शोध उद्देश्य :-

1. हिंदी समाचार-पत्रों में प्रकाशित कृषि समाचारों के संदर्भ में किसानों की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना।
2. किसानों के लिए हिंदी समाचार-पत्रों की उपयोगिता को जानना।
3. यह जानना कि किसान हिंदी समाचार-पत्रों को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ते हैं।

शोध की परिकल्पना :-

1. हिंदी समाचार-पत्र किसानों को सूचना उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2. हिंदी समाचार-पत्रों को किसान कृषि विकास के लिए बहुत उपयोगी मानते हैं।
3. हिंदी समाचार-पत्रों द्वारा कृषि समाचारों की कवरेज एवं विश्वसनीयता से किसान पूर्णतः सहमत हैं।

शोध सीमाएँ :-

1. शोध में केवल हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने वाले किसानों से ही आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।
2. हरियाणा के दो जिलों करनाल व हिसार के किसानों को ही शोध में शामिल किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण :-

सर्वेक्षण विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण, वर्गीकरण, सारणीयन एवं प्रस्तुतिकरण किया गया है :-

तालिका-1 शोध के लिए चयनित पुरुष एवं महिला किसान

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
पुरुष	87	87.0
महिला	13	13.0
कुल	100	100.0

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा कुल 100 प्रश्नावलियाँ भरवाई गईं। जिसमें शोधकर्ता ने 87 प्रतिशत पुरुषों एवं 13 प्रतिशत महिलाओं को शोध में शामिल किया गया है।

तालिका-2 उत्तरदाताओं का निवास क्षेत्र

क्षेत्र	आवृत्ति	प्रतिशत
ग्रामीण	72	72.0
शहरी	28	28.0
कुल	100	100.0

शोध में शामिल 72 प्रतिशत उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र से तथा 28 प्रतिशत उत्तरदाता शहरी क्षेत्र से संबंधित है।

तालिका-3 हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने वाले किसानों का आयु-वर्ग

आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
18 से 25 वर्ष	27	27.0
26 से 50 वर्ष	55	55.0
50 से अधिक वर्ष	18	18.0
कुल	100	100.0

हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने वाले 55 प्रतिशत किसानों की आयु 26 से 50 वर्ष के बीच है। 27 प्रतिशत किसानों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। जबकि 18 प्रतिशत किसान 50 से अधिक वर्ष के हैं।

तालिका-4 हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने बारे किसानों की प्रतिक्रिया

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
हमेशा	61	61.0
कभी-कभी	39	39.0
कह नहीं सकते	0	0.0
नहीं	0	0.0
बिल्कुल नहीं	0	0.0
कुल	100	100.0

61 प्रतिशत किसानों का कहना है कि वह हिंदी समाचार-पत्रों को हमेशा पढ़ते हैं तथा 39 प्रतिशत किसानों का कहना है कि वह हिंदी समाचार-पत्र को कभी-कभी पढ़ते हैं।

तालिका-5 आप हिंदी समाचार-पत्रों में से कौन-सा समाचार-पत्र पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं?

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
दैनिक भास्कर	32	37.0
दैनिक जागरण	27	22.0
अमर उजाला	11	11.0
पंजाब केसरी	15	15.0
जनसत्ता	05	5.0
अन्य	10	10.0
कुल	100	100.0

हिंदी समाचार-पत्रों में दैनिक भास्कर समाचार-पत्र को सबसे ज्यादा 32 प्रतिशत किसानों द्वारा पढ़ा जाता है। जबकि दैनिक जागरण समाचार-पत्र को 27 प्रतिशत किसानों द्वारा, पंजाब केसरी समाचार-पत्र को 15 प्रतिशत किसानों द्वारा, अमर उजाला समाचार-पत्र को 11 प्रतिशत किसानों द्वारा, जनसत्ता समाचार-पत्र को 5 प्रतिशत किसानों द्वारा तथा हिंदी के अन्य समाचार-पत्रों को 5 प्रतिशत किसानों द्वारा पढ़ा जाता है।

तालिका-6 किसानों द्वारा हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने की समय-अवधि

<u>समय-अवधि</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
0-1 घण्टा	44	44.0
1-2 घण्टे	27	27.0
2-3 घण्टे	11	11.0
3 से अधिक घण्टे	18	18.0
कुल	100	100.0

यह तालिका दर्शाती है कि 44 प्रतिशत किसानों द्वारा हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने की समय-अवधि 0 से

1 घण्टे के बीच, 27 प्रतिशत किसानों की समय-अवधि 1 से 2 घण्टे के बीच, 18 प्रतिशत किसानों की समय-अवधि 3 घण्टे से अधिक तथा 11 प्रतिशत किसानों की हिंदी समाचार-पत्र पढ़ने समय-अवधि 2 से 3 घण्टे के बीच के बीच में है।

तालिका-7 हिंदी समाचार-पत्रों में कृषि सूचनाओं को पसंद करने बारे किसानों की राय

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
कृषि में प्रयोग नई तकनीक	17	17.0
मौसम	26	26.0
खेतीबाड़ी	21	21.0
कृषि समस्याएं	05	5.0
उपचार एवं निदान	02	2.0
कृषि कार्यक्रम	06	6.0
कृषि योजनाएं	10	10.0
सफल कहानियां	10	10.0
मंडी समीक्षा	03	3.0
कुल	100	100.0

हिंदी समाचार-पत्रों के किसान पाठकों द्वारा 26 प्रतिशत मौसम को, 21 प्रतिशत खेतीबाड़ी को, 17 प्रतिशत कृषि में प्रयोग नई तकनीक को, 10-10 प्रतिशत कृषि योजनाएं और सफल कहानियों को, 6 प्रतिशत कृषि कार्यक्रम को, 5 प्रतिशत कृषि समस्याओं को, 3 प्रतिशत मंडी समीक्षा को तथा 2 प्रतिशत उपचार एवं निदान को किसानों द्वारा पसंद किया जाता है।

तालिका-8 हिंदी समाचार-पत्रों द्वारा कृषि समाचारों की कवरेज एवं विश्वसनीयता बारे किसानों की राय

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
पूर्णतः सहमत	48	48.0
सहमत	35	35.0
पता नहीं	02	2.0
पूर्णतः असहमत	10	10.0
असहमत	05	5.0
कुल	100	100.0

48 प्रतिशत किसान हिंदी समाचार-पत्र में कृषि विषयों की कवरेज एवं विश्वसनीयता से पूर्णतः सहमत, तथा 35 प्रतिशत किसान 'सहमत' है। इसके अलावा 10 प्रतिशत किसान हिंदी समाचार-पत्र में कृषि विषयों की कवरेज एवं विश्वसनीयता से 'पूर्णतः असहमत' है। जबकि 5 प्रतिशत किसान 'असहमत' और 2 प्रतिशत किसानों ने 'पता नहीं' विकल्प पर अपना मत रखा है।

तालिका-9 कृषि विकास के लिए हिंदी समाचार-पत्रों की उपयोगिता बारे उत्तरदाताओं की सहमति

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
पूर्णतः सहमत	45	45.00
सहमत	36	36.00
पता नहीं	05	5.00
पूर्णतः असहमत	08	8.00
असहमत	06	6.00
कुल	100	100.00

‘कृषि विकास के लिए हिंदी समाचार-पत्र बहुत उपयोगी हैं।’ इस तथ्य पर 45 प्रतिशत किसान पूर्णतः सहमत हैं, 36 प्रतिशत किसान ‘सहमत’ हैं। 8 प्रतिशत किसान ‘पूर्णतः असहमत’ हैं। 6 प्रतिशत किसान ‘असहमत’ हैं तथा 5 प्रतिशत किसानों ने ‘पता नहीं’ विकल्प को चुना है।

तालिका-10 हिंदी समाचार-पत्र को पढ़ने को पढ़ने का उद्देश्य

<u>विकल्प</u>	<u>आवृत्ति</u>	<u>प्रतिशत</u>
मंडी से संबंधित सूचनाओं के लिए	09	9.0
कृषि से जुड़े मुद्दों की जानकारी के लिए	02	2.0
कृषि योजनाओं के लिए	04	4.0
ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी के लिए	01	1.0
मौसम संबंधित जानकारी के लिए	16	16.0
नई कृषि तकनीक संबंधित जानकारी के लिए	07	7.0
कृषि घोषणाएं एवं सूचनाओं के लिए	02	2.0
जैविक/रसायनिक खेती की जानकारी के लिए	02	2.0
सभी	57	57.0
कुल	100	100.0

57 प्रतिशत किसानों का कहना है कि वह मंडी सूचनाओं, कृषि मुद्दों, कृषि योजनाओं, ग्रामीण विकास, मौसम, नई कृषि तकनीक, कृषि घोषणाएं तथा जैविक/रसायनिक खेती अर्थात् सभी उद्देश्यों को लेकर हिंदी समाचार-पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 16 प्रतिशत किसान मौसम जानकारियों के लिए, 9 प्रतिशत किसान मंडी सूचनाओं के लिए, 7 प्रतिशत किसान नई कृषि तकनीक की जानकारी के लिए, 4 प्रतिशत किसान कृषि योजनाओं के लिए, 2-2 प्रतिशत किसान कृषि मुद्दों, कृषि घोषणाओं, तथा जैविक व रसायनिक खेती की जानकारियों के लिए हिंदी समाचार-पत्रों को पढ़ते हैं और 1 प्रतिशत किसान ग्रामीण विकास की जानकारियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंदी समाचार-पत्र पढ़ते हैं।

तालिका-11 एगो भास्कर पढ़ने बारे किसानों की राय

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	27	27.0
कभी-कभी	56	56.0
कह नहीं सकते	02	2.0
नहीं	12	12.0
बिल्कुल नहीं	03	3.0
कुल	100	100.0

56 प्रतिशत किसान कृषि से संबंधित एगो भास्कर को कभी-कभी पढ़ते हैं तथा 27 प्रतिशत किसान एगो भास्कर को हमेशा पढ़ते हैं। एगो भास्कर पढ़ने के संबंध में 12 प्रतिशत किसानों ने 'नहीं' विकल्प को तथा 3 प्रतिशत किसानों ने 'बिल्कुल नहीं' विकल्प को चुना है। जबकि 2 प्रतिशत किसान एगो भास्कर को पढ़ने के बारे में 'कुछ कहना नहीं चाहते'।

तालिका-12 हिंदी समाचार-पत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और किसानों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने का उत्तम साधन मानते हैं।

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
हमेशा	63	63.0
कभी-कभी	15	15.0
कह नहीं सकते	17	17.0
नहीं	05	5.0
बिल्कुल नहीं	0	0.0
कुल	100	100.0

63 प्रतिशत किसानों का मानना है कि हिंदी समाचार-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और किसानों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने का उत्तम साधन मानते हैं। 17 प्रतिशत किसानों ने इस संबंध में 'कुछ कहना नहीं चाहते' विकल्प को चुना है। जबकि 15 प्रतिशत किसानों ने 'कभी-कभी' विकल्प को, 5 प्रतिशत किसानों ने 'नहीं' विकल्प को चुना है।

तालिका-13 हिंदी समाचार-पत्रों में प्रकाशित कृषि सामग्री की उपयोगिता

विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिकतर	42	42.00
सामान्य से अधिक	30	30.00
सामान्य	05	5.00
सामान्य से कम	01	1.00
बहुत कम	22	22.00
कुल	100	100.00

42 प्रतिशत किसानों का मानना है कि कृषि से संबंधित जो सामग्री हिंदी समाचार-पत्र दी जाती है वह कृषि एवं कृषि से जुड़े किसानों के लिए अधिकतर उपयोगी है। 30 प्रतिशत किसान कृषि सामग्री को सामान्य से अधिक उपयोगी मानते हैं। जबकि 22 प्रतिशत किसान प्रकाशित कृषि सामग्री को बहुत कम उपयोगी मानते हैं। इसके अलावा 5 प्रतिशत किसान कृषि सामग्री को सामान्य तौर पर व 1 प्रतिशत किसान हिंदी समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई कृषि सामग्री को सामान्य से कम उपयोगी मानते हैं।

निष्कर्ष :-

शोध में शामिल अधिकतर किसानों का कहना है कि वह हिंदी समाचार-पत्रों को हमेशा पढ़ते हैं। इनमें से दैनिक भास्कर समाचार-पत्र को किसान सबसे ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। समाचार-पत्र पढ़ने के लिए अधिकतर किसान 0-1 घण्टे का समय ही दे पाते हैं। खेतीबाड़ी से संबंधित समाचारों को किसानों द्वारा पसंद किया जाता है। हिंदी समाचार-पत्र में कृषि विषयों की कवरेज एवं विश्वसनीयता से किसान पूर्णतः सहमत हैं। अधिकतर किसानों का कहना है कि कृषि विकास के लिए हिंदी समाचार-पत्र बहुत उपयोगी हैं। किसानों का यह भी कहना है कि वह मंडी सूचनाओं, कृषि मुद्दों, कृषि योजनाओं, ग्रामीण विकास, मौसम, नई कृषि तकनीक, कृषि घोषणाएं तथा जैविक/रासायनिक खेती अर्थात् सभी उद्देश्यों को लेकर हिंदी समाचार-पत्र पढ़ते हैं। कृषि से संबंधित एग्री भास्कर को किसान कभी-कभी पढ़ते हैं। अधिकतर किसानों का मानना है कि हिंदी समाचार-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और किसानों से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने का उत्तम साधन मानते हैं। वास्तव में हिंदी समाचार-पत्र किसानों एवं कृषि विकास के लिए वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि हिंदी के कई समाचार-पत्र किसानों की मानसिकता और उनकी गतिविधियों के आधार पर ही काम कर रहे हैं। हिंदी समाचार-पत्रों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसान गांव-गांव की कृषि गतिविधियों से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों का जायजा ले रहे हैं।

संदर्भ सूची :-

1. जाधव रविंद्र, मोरे केशव (2016) 'मीडिया और हिंदी बदलती प्रवृत्तियाँ' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
 2. चित्तौरी विजय (2011) आंचलिक पत्रकार, माधवराव स्त्रे समृति समाचार-पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल (म0 प्र0)।
 3. मृगेश माणिक (2006) 'समाचार पत्रों की भाषा' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
 4. धूलिया सुभाष, प्रधान आनन्द (2004) समाचार अवधारणा और लेखन प्रक्रिया, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली।
- www.nayaindia.com/youth.news
 - www.jansatta.com
 - himveeru.blogspot.com/2016/05/blog
 - tehelkahindi.com/challenges-of-rural
 - www.bhaskar.com

sandeepjasath@gmail.com PH. 9813331989
harishkumarmdu@gmail.com PH. 9416051022



समकालीन उपन्यासों में क्वीर जीवन

RESHMA K.R.

Ph.D. Research Scholar, Govt. Arts & Science College, Calicut.

हमारे समाज में मानव की भागीदारी मुख्य रूप से लैंगिक संरचना के आधार पर ही होती है। सामान्यतः स्त्री और पुरुष। मानव जाति में इन दो वर्गों के अलावा एक और वर्ग हमारे समाज में है वो है क्वीर। यह मानव समाज का अंग होते हुए भी मुख्यधारा समाज से दूर है। क्वीर एक अंग्रेजी शब्द है इसका मतलब है अलग, अजीब, विचित्र या असाधारण। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले क्वीर शब्द का इस्तेमाल उन मर्दों का मजाक उड़ाने के लिए किया गया जो व्यक्ति समलैंगिक थे। इस शब्द के इस्तेमाल समय के साथ कई लोग किसी को अपमान करने के लिए अपशब्द के रूप में किया गया था।

लिंग या जेंडर के आधार पर शोषण सहने वालों लोगों को लिंग अल्पसंख्यक कहते हैं। इनमें लेस्बियन (स्त्री समलैंगिक), गे (पुरुष समलैंगिक), बाई सेक्शुअल (उभय लिंगी), थर्डजेंडर (तृतीय लिंगी) आदि कई लोग आते हैं। इन्हें एलजीबीटी समाज या क्वीर समाज भी कहते हैं। मुख्यधारा समाज उन लोगों को सामान्य मानव की तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं है। क्वीर मुख्यधारा समाज से निरंतर अपमानित एवं उपहासित लोग हैं। इनके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मुख्य धारा समाज के साथ अपने परिवार भी इन्हें त्याग देते हैं। उन लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक भेद तथा कई प्रकार के शोषण को सहना पड़ता है। क्वीर समाज में सबसे अधिक समस्याओं की सामना थर्डजेंडर करते हैं। पारिवारिक विस्थापन, कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी आदि। इन अनगिनत समस्याओं के कारण उन्हें नाच गाकर या भीख माँगकर और कभी वेश्यावृत्ति के जरिए अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

हिन्दी साहित्य में थर्डजेंडर विमर्श का आरंभ कथा साहित्य से मानी जा सकती है। पाण्डेय बेचन शर्मा के कुछ कहानियों में थर्डजेंडर का जिक्र आता है। लेकिन थर्डजेंडर विमर्श की शुरुआत नीरजा माधव के यमदीप से माने जा सकते हैं। यह उपन्यास 2002 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास में सदियों से पीड़ित वर्ग थर्डजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इन उपन्यास पाठकों को थर्डजेंडर के संबंध में सोच-विचार करने के लिए मजबूर कर देता है।

नाजबीबी इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, वह एक थर्डजेंडर है। उपन्यास के आरंभ में पागल औरत प्रसव वेदना में तड़प रही है। उस समय मुख्य धारा समाज के कोई भी आदमी उस औरत को सहायता करने नहीं आता है, उस वक्त नाजबीबी अपने साथियों के साथ आकर उसके मदद करती है। लेकिन वह एक बच्ची को जन्म देकर मर जाती है। नाजबीबी उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करती है। उसको

पाल-पोसकर बड़ा करती है। इस घटना के द्वारा लेखक थर्डजेंडर के मानवीय गुणों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

प्रस्तुत उपन्यास में नंदरानी के माध्यम से पारिवारिक विस्थापन के कारणों पर भी नजर डाला गया है। नाजबीबी की असली नाम नंदरानी है। किन्नर समुदाय के डर से उसकी दादी उसे नानी के घर भेज देती है। परिवार वाले उसको समाज के हेय दृष्टिकोण से बचाकर रखना चाहते थे। लेकिन उसके शारीरिक कमियों और स्त्रैण स्वभाव के कारण समाज के लोग उसका मजाक उठाते थे। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नंदरानी अपना परिवार छोड़कर किन्नर समुदाय में चली जाती है। उपन्यास में नंदरानी और छेल बिहारी ऐसा पात्र है कि अपने सामाजिक और पारिवारिक समस्या के कारण अपने घर से दूर भाग जाते हैं। एक थर्डजेंडर भी दूसरों के तरह अपने परिवार से संबंध रखना चाहता है। लेकिन सामाजिक डर से परिवार उसको दूर हटाता है। इस विषय पर नाजबीबी कहती है— “जब से नन्दन भइया ने उसे बार-बार टेलिफोन न करने के लिए कहा था, तब से वह बहुत विवशता में ही फोन करती थी। भाभी को तो एकदम पसंद नहीं था कि वह उस परिवार से कोई संबंध रखे। नन्द रानी को बिना देखे ही नन्दन से उसके बारे में जान चुकी थी। घर और रिश्तेदारों में अपनी बदनामी के डर से नन्दन ने भी उसे फोन पर साफ मना कर दिया था।”¹ यहाँ नन्दरानी के प्रति परिवार वाले की उपेक्षा भाव का चित्रण किया है।

उपन्यास में थर्डजेंडर की आर्थिक विषमताओं का भी चित्रण किया है। मुख्यधारा समाज में लोग थर्डजेंडर को किसी भी जगह काम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण से थर्डजेंडर भीख माँगकर, नाच-गाकर अपना जीवन जीते हैं। आजीविका के लिए इस समाज के बहुत लोग वेश्यावृत्ति भी करते हैं। वेश्यावृत्ति के कारण कई लोग एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार होकर मर जाते हैं। उपन्यास में जुबैदा और सोबराती ऐसा पात्र है जिनकी मृत्यु यौन बीमारी से ग्रस्त होकर हुई थी। इसलिए उपन्यास में महताब गुरु अपने साथियों को उपदेश देते हुए कहती है – “दस-बीस रुपयों के लिए इतना गंदा काम करने की क्या जरूरत? अरे थोड़ा कम खायेंगे, कम सोना-चाँदी पहनेंगे, लेकिन वेश्यागिरी तो नहीं करनी पड़ेगी।”² इस तरह प्रस्तुत उपन्यास में नीरजा माधव ने थर्डजेंडर की दयनीय स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

महेन्द्र भीष्म द्वारा लिखित ‘किन्नर कथा’ (2011) उपन्यास में भी उपेक्षित ट्रांसजेंडर समाज की दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है। इसमें जौतपुर की राजमहल में रानी आभासिंह दो जुड़वा बहनों को जन्म देती है। उसमें सोना एक थर्डजेंडर है। यह जानकर उसका पिता राजा जगतराज सिंह सोना को मारने के लिए दीवान पंचम सिंह से आदेश देता है। लेकिन पंचम सिंह सोना की भोलापन और मासूमीयत पर प्रभावित होकर सोना को किन्नर गुरु तारा के हाथ में सौंप देता है।

प्रस्तुत उपन्यास में किन्नर गुरु तारा के माध्यम से थर्डजेंडर के प्रति सामाजिक घृणा स्पष्ट करने वाले अनेक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तारा का जन्म एक व्यावसायिक परिवार में हुआ था। चौदह-पन्द्रह साल की उम्र में उसकी परिवार वाले को पता चलता है कि वह एक थर्डजेंडर है। यह जानकर भी उसके माँ-बाप तारा को अपने साथ रखना चाहते थे। लेकिन उसके बड़े भाई इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए तारा को घर से दूर कर देते हैं। इस बीच बहनों की शादी, पिता की मृत्यु की कोई सूचना उसको नहीं देते हैं। माँ की मृत्यु की खबर मिलकर श्मशान पर पहुँचते समय तारा को अपने परिवार वाले माँ की चिता के पास भी आने का मौका

नहीं देते हैं। तारा का भतीजा उसके पास आकर धमकाता हुआ कहता है – “तू हिजड़ा है, हिजड़ा हमारा तेरे से कोई नाता नहीं, तू हमारा कुछ नहीं लगता, भाग जा यहाँ से, क्यों हमारी नाक कटाने पर तुला है, हिजड़ा कही का।”³ इस प्रकार परिवार वाले ही समाज के सामने बार-बार उसका अपमान करते हैं। तारा ने कई बार अपने परिवार से रिश्ते स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से केवल घृणा, धिक्कार और अवहेलना ही प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तुत उपन्यास में सोना (चन्दा) अकेलापन से तड़पने वाली एक पात्र है। बचपन से ही वह माँ-बाप, भाई, बहन के प्यार से वंचित रही है। चौदह साल के बाद अपनी जुड़वा बहन रूपा की विवाह में नृत्य पेश करने जाती है। वहाँ अपने परिवार को देखकर सोना अपना दुःख सह नहीं पाता है। वह सोचती है – “क्या यही वह स्थान है, जहाँ उसने जन्म पाया और इस महल से महज इसलिए निकाल दी गई कि वह एक हिजड़ा बच्ची थी। हिजड़ा होना कितना बड़ा अभिशाप है, आज चन्दा को पता लग रहा था।”⁴ सोना को अपने बचपन की यादें आती हैं। उसकी आँखों में आँसू आती है। क्योंकि परिवार वाले उसे भूल चुके थे। उन लोगों के मन में उसको कोई स्थान नहीं है। यह सब सोचकर सोना अपने जीवन में अकेला महसूस करती है।

प्रदीप सौरभ द्वारा लिखित तीसरी वाली (2014) उपन्यास में थर्डजेंडर के जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र डिम्पल, रेखा, चितकबरी तथा नीलम तीनों किन्नरों के गुरु हैं। इन्हीं की मण्डली की कहानी है ‘तीसरी ताली’। दूसरा प्रमुख पात्र चन्दा भाई है। उनके शिष्य नर्गीस, नीलम और रीना हैं। इसमें विनीता की कथा भी प्रमुख है। इसके साथ-साथ समलैंगिक संबंधों का चित्रण भी किया गया है। इसमें सुविमल और अनिल तथा यास्मीन और जुलेखा समलैंगिक पात्र हैं। उपन्यास में राजा और मंजु स्त्री-पुरुष थे।

प्रदीप सौरभ ने उपन्यास में थर्डजेंडर की कई शोषणों के साथ समाज में लोग उनसे कैसी व्यवहार करते हैं, किस तरह बहिष्कृत, तिरस्कृत करते हैं, इसका भी विस्तृत वर्णन किया है। इसका अच्छा उदाहरण आनन्दी आंटी और गौतम साहब की कथा है। आनन्दी आंटी को बेटी के रूप में थर्डजेंडर पैदा होती है। आनन्दी अपनी बेटी निकिता को शिक्षित करके मुख्यधारा में स्थान प्रदान करना चाहती थी। लेकिन समाज और परिवार के लोगों के बुरे व्यवहार के कारण उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होता है। किसी भी स्कूल में जेंडर, स्पष्ट न होने के कारण निकिता को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं होता है। आनन्दी आंटी इस विषय पर अपना दुःख स्पष्ट करते हुए ऐसा कहता है – “निकिता को लड़कों के स्कूल में दाखिला दिलाएँ या फिर लड़कियों के स्कूल में? दोनों जगह से एक ही जवाब मिला कि जेण्डर स्पष्ट न होने के कारण हम दाखिला नहीं दे सकते हैं।”⁵ अंत में आनन्दी आंटी सामाजिक रूप से मजबूर होकर अपनी बेटी को नीलम नामक किन्नर के हाथ में सौंप देती है। निकिता को नया वातावरण पसंद नहीं आती है, और वह आत्महत्या कर लेती है। लेकिन गौतम साहब का बेटा विनीत अपने अस्तित्व की तलाश करता है। वह बाद में विनीता बनकर समाज के बीच में अपना पहचान बना देती है। वह ‘गे वर्ल्ड’ नाम से पार्लर चलाती है। लेकिन विनीत से विनीता तक का सफर बहुत संघर्ष पूर्ण था।

गरीबी एक ऐसी समस्या है कि दो वक्त की रोटी के लिए मनुष्य किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उपन्यास में ज्योति एक नकली किन्नर है। एक गरीब परिवार में पैदा हुए ज्योति अपने परिवार वालों के पेट भरने के लिए वह नकली हिजड़ा बनता है। वह स्वयं किन्नर बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। इस

विषय पर ज्योति ऐसा कहती है – “मैं मर्द रहूँ औरत रहूँ या फिर हिजड़ा बन जाऊँ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेट की आग तो बड़े-बड़ों को न जाने का क्या बना देती है?”⁶ इस तरह उपन्यास में नकली किन्नर ज्योति का दयनीय अवस्था का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

प्रदीप सौरभ ने प्रस्तुत उपन्यास में सामान्य और सरल भाषा के माध्यम से किन्नर समुदाय के जीवन की स्थिति और उनके शोषण, सांस्कृतिक विशेषताएँ आदि का चित्रण किया है। हमारे समाज में बहुत से लोग रहते हैं और हमें उनकी वास्तविकता का पता भी नहीं चलता है। इस उपन्यास में एक ऐसा पात्र है – फोटोग्राफर विजय। वह बाह्य रूप से पूर्ण पुरुष है। जिससे मंजू नामक स्त्री आकर्षित होकर विवाह करना चाहती है। लेकिन विजय इन्कार करते हुए ऐसा कहता है – “मंजू मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम एक मुकम्मल औरत हो। तुम्हारी खूबसूरती हासिल करना किसी की भी खुशकिस्मती हो सकती है। पर मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ। मैं तुम्हारे निर्मल व पारदर्शी हृदय को स्वीकार कर ही नहीं सकता। तुम मुकम्मल औरत जरूर हो पर मैं मुकम्मल पुरुष नहीं हूँ। मैं एक हिजड़ा हूँ। हिजड़ा, हिजड़ा।”⁷

उपयुक्त विवचेन से यह स्पष्ट होता है कि थर्डजेंडर समुदाय पर लिखे गये इन उपन्यासों में थर्डजेंडर की पीड़ा, दुख-दर्द, उनसे जुड़े अनेक समस्याओं का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि थर्डजेंडर समाज के प्रति मुख्यधारा समाज उसके मन-मस्तिष्क में स्थापित अपनी धारणा बदले। बस एक शारीरिक कमी के कारण उन्हें मुख्यधारा समाज से दूर हटाना उचित नहीं है। उन्हें अपनाने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नीरजा माधव, यमदीप, पृ. 82
2. नीरजा माधव, यमदीप, पृ. 28, 29
3. महेन्द्र भीष्म, किन्नर कथा, पृ. 51
4. महेन्द्र भीष्म, किन्नर कथा, पृ. 157
5. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, पृ. 42
6. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, पृ. 57
7. प्रदीप सौरभ, तीसरी ताली, पृ. 194

Address :

RESHMA K.R.

KADUNGATH HOUSE, THENKURISSI POST, PALAKKAD DIST, PIN : 678671, KERALA.

Mobile No. 6282738100, 9846354584 (Whatsapp No.)

Email ID : reshmakr596@gmail.com



हिंदी भाषा के अंतर्गत राज्यसभा में रोजगार के अवसर

सौ. रोहिणी गुरुलिंग खंदारे

सहायक प्राध्यापिका, डॉ. घाळी कॉलेज, गडहिंग्लज, तह. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर।

हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्र की स्थापना हुई तब लोकतंत्र के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि स्वतंत्र भारत देश का काम काज चलाने के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिस भी लोग उस भाषा को जान सकें। हिंदी भाषा को चुना गया क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं। तब से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी है। हिंदी हमारी भारत माता की बिंदी है। जिस प्रकार नारी कितने भी गहने डाले या कीमती साड़ी पहने लेकिन बिंदी के बिना उसका सौंदर्य नहीं खुलता उसी प्रकार हमारे भारत माता का भी सौंदर्य हिंदी के बिना अधूरा है। खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि, "राष्ट्रभाषा हिंदी के बिना देश गूंगा है।"¹ इसलिए हिंदी केवल राजभाषा तक ही सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना रही है।

इसी कारण हिंदी भाषा में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अनेक विद्वानों ने अपने देश में हिंदी का प्रचार-प्रसार किया है। यूरोपीय हिंदी विद्वान् रेवरेण्ड फादर डॉक्टर कामिल बुल्के गोस्वामी तुलसीदास की हिंदी से प्रभावित हुए थे। सन् 1935 में अपना देश बेल्जियम छोड़कर भारतीय नागरिक बने। वे कहते हैं— "अंग्रेजी यहां दासी या अतिथि के रूप में ही रह सकती है, बहुरानी के रूप में नहीं। संस्कृत माँ, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है।"² आज अंग्रेजी का बोलबाला हो तो भी हिंदी भाषा में जो माधुर्यता है वह उस भाषा में नहीं है। हिंदी भाषा की मधुरता के कारण ही हर क्षेत्र में इस भाषा का प्रयोग हो रहा है और रोजगार के अवसर भी दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अध्यापन, हिंदी अधिकारी, हिंदी योग अध्यापक, अनुवाद, फिल्म, पर्यटन, मीडिया, विज्ञापन, क्रिकेट कमेंट्री, संसद केंद्र सरकार के अधीन देश-विदेश के मंत्रालय कार्यालय के आदेशों, नियमों, अधिसूचना, प्रति वेदना प्रेस विज्ञप्तियों, अनुज्ञापनों, निविदा प्रारूप आदि सुविधाओं और करारों के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी अपना कार्य कर रही है।

हिंदी की महत्ता के बारे में कैलाश नाथ पांडे जी लिखते हैं कि, "कुल मिलाकर यह रोजी रोटी कमा सकने की भाषा है। आज यह सही अर्थों में रोजगार का औजार बन उभरी है। बस थोड़ी सी जरूरत है लोगों को इसे व्यवहारिक एवं प्रयोजनमूलक क्षेत्रों की विषय में बताने की। सरकारी तंत्र को चाहिए कि इसे मन से स्वीकार करें क्योंकि यह इस देश की मिट्टी, संस्कृति और गंध की भाषा है। यही हमारे सोच, दर्शन, चिंतन, मनन तथा आहार का जरिया है, यही राष्ट्र की सुरक्षा और अस्मिता है।"³

राज्यसभा के अंतर्गत हिंदी भाषा में निम्नलिखित रोजगार के अवसर हैं :-

1) अनुवादक :-

राज्य सभा के सचिवालय में अनुवाद करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। हिंदी का अंग्रेजी में अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने के लिए अनुवादक की नियुक्ति की जाती है। राज्य सभा सचिवालय भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से अनुवादक के लिए विज्ञापन आता है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल, कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।
- 2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है।
- 3) हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व, व्याकरण का ज्ञान, मानक वर्तनी का ज्ञान होना आवश्यक।
- 4) संसदीय चर्चाओं को तत्पर अनुवाद करने की क्षमता तथा समय सूचकता होना आवश्यक।।

परीक्षा :- अनुवाद पद के लिए के लिए 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे :-

- 1) प्रारंभिक परीक्षा
- 2) मुख्य परीक्षा।
- 3) साक्षात्कार और नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है।

2) संसदीय रिपोर्टर :-

राज्यसभा तथा लोकसभा में अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। वहां खासदार तथा आमदारों द्वारा विभिन्न विषयों पर विचार विनिमय होता है। दिनभर चलते इन कामकाजों की जानकारी संभालकर रखना बहुत ही जरूर होता है इसलिए कामकाज का रिपोर्टिंग हिंदी भाषा में करने के लिए संसदीय रिपोर्टर की नियुक्ति की जाती है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल, कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी तथा अंग्रेजी में मास्टर या स्नातक डिग्री।
- 2) अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर प्रभुत्व आवश्यक।

परीक्षा :-

संसदीय रिपोर्टर हिंदी पद के लिए 4 चरणों में परीक्षाएं दी जाती है। जैसे :-

- 1) प्रारंभिक परीक्षा
- 2) कौशल परीक्षा
- 3) मुख्य परीक्षा
- 4) साक्षात्कार

3) जूनियर संसदीय रिपोर्टर :-

राज्यसभा में जो दिनभर कामकाज होता है उसका रिपोर्टिंग राजभाषा हिंदी में किया जाता है। संसदीय रिपोर्टर को मदद करने के लिए जूनियर संसदीय रिपोर्टर की नियुक्ति की जाती है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल, कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी हिंदी में मास्टर तथा स्नातक डिग्री।
- 2) हिंदी अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व आवश्यक।

परीक्षा :-

जूनियर संसदीय रिपोर्टर के पद के लिए 3 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे :

- 1) प्रारंभिक परीक्षा
- 2) कौशल्य परीक्षण
- 3) मुख्य परीक्षा

4) सचिवालय सहायक (हिंदी) :-

भारतीय संसद की सचिवालय में सचिवालय सहायक (हिंदी) की नियुक्ति की जाती है। सचिवालय में जो परियोजनाएं, योजनाएं, चर्चा तथा विचार-विमर्श आदि काम का रिपोर्ट अंकित करने का काम सचिवालय सहायक को करना पड़ता है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल और कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर या स्नातक डिग्री अनिवार्य।
- 2) कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

परीक्षा :-

सचिवालय सहायक पद के लिए 4 चरणों में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे :-

- 1) प्रारंभिक परीक्षा
- 2) कौशल परीक्षण
- 3) मुख्य परीक्षा
- 4) साक्षात्कार

5) आशुलिपिक :-

राज्यसभा सचिवालय में हिंदी में काम काज करने के लिए आशु लिपिक की नियुक्ति की जाती है। उन्हें आशुलिपि का कार्य करना पड़ता है। आशुलिपि लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। इसमें छोटे प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रारूप लेखन, संक्षेपण, सूचना, निवेदा आदि कार्यालय पत्र को तैयार करना, अधिकारियों की सलाह से उस पर क्रिया करना और प्रतिक्रिया के रूप में पत्राचार करना आदि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आशुलिपि को निभानी पड़ती है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल और कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर या स्नातक डिग्री अनिवार्य।
- 2) शॉर्ट हैंड अंग्रेजी या हिंदी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति।
- 3) अंग्रेजी टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट और टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट।
- 4) हिंदी भाषा पर प्रभुत्व।

परीक्षा :- आशुलिपिक पद के लिए 4 चरणों में परीक्षा ली जाती है। जैसे :-

- 1) प्रारंभिक परीक्षा
- 2) कौशल परीक्षण
- 3) मुख्य परीक्षा
- 4) साक्षात्कार

6) संसदीय इंटरप्रेटर :-

इंटरप्रेटर का अर्थ है—दुभाषिया अर्थात् दो भाषाएँ जानने वाला। दो विभिन्न भाषा—भाषियों के विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति दुभाषिया कहलाता है। संसदीय कामकाज में दुभाषिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यसभा तथा लोकसभा सचिवालय में जो काम का चलता है उसका रिपोर्टिंग किया जाता है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल और कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी में स्नातक अथवा मास्टर डिग्री अनिवार्य।
- 2) हिंदी/अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व होना अनिवार्य।

परीक्षा :- राज्यसभा सचिवालय में संसदीय इंटरप्रेटर पद के लिए 4 चरणों में परीक्षा ली जाती है।

- जैसे :-
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) भाषण परीक्षण | 2) लिखित परीक्षा |
| 3) व्याख्या परीक्षण | 4) साक्षात्कार |

7) प्रूफरीडर :-

प्रूफ का अर्थ है संशोधन हेतु छपाई का प्रारंभिक नमूना और प्रूफरीडिंग का अर्थ है छपाई शुद्ध करने के लिए पढ़ना, लिखित या छपी सामग्री में वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करना। मुद्रित माध्यमों को शुद्ध करने का कार्य प्रूफरीडर करता है। राज्यसभा में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। राज्यसभा की ओर से कुछ योजनाएं, नई नीतियाँ बनाई जाती हैं वह लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है। उन योजनाओं को उचित तथा शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है क्योंकि लिखे हुए हर शब्द का उचित अर्थ सहज रूप में समझ आ सके।

आयुसीमा :- 18 साल और कमाल 30 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में डिग्री तथा मास्टर डिग्री अनिवार्य।
- 2) आईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
- 3) किसी मुद्रणालय तथा प्रकाशन केंद्र में प्रूफरीडर का 3 सालों का अनुभव।

परीक्षा :- प्रूफरीडर पद के लिए 3 चरणों में परीक्षा दी जाती है। जैसे :-

- | | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 1) प्रारंभिक परीक्षा | 2) मुख्य परीक्षा | 3) साक्षात्कार |
|----------------------|------------------|----------------|

8) राज्यसभा टेलीविजन (आरएसटीवी) में संपादक इन-चीफ :-

राज्यसभा सचिवालय की ओर से सभा टेलीविजन में संपादक पद की नियुक्ति की जाती है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल और कमाल 58 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

- 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी तथा अन्य विषय में स्नातक की डिग्री।
- 2) प्रिंट और विजुअल मीडिया में संयुक्त रूप में कम से कम 15 साल का अनुभव तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव।

3) वरिष्ठ संपादक के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव।

9) व्यक्तिगत सहायक :-

राज्यसभा में हो रहे कार्यों की जानकारी रखने के लिए टिप्पणियाँ तथा आगामी मीटिंग की जानकारी तथा महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी रखने के लिए राज्यसभा में व्यक्तिगत सहायक की नियुक्ति की जाती है।

आयुसीमा :- किमान 18 साल और कमाल 58 साल (आरक्षण के अनुसार उम्र में छूट मिलती है)

शैक्षिक योग्यता :-

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी हिंदी में स्नातक डिग्री।

परीक्षा :- व्यक्तिगत सहायक पद के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी टंकण गति और स्टेनोग्राफी गति का परीक्षण किया जाता है।

10) आकस्मिक मजदूर :-

राज्यसभा सचिवालय में कम समय के लिए आकस्मिक मजदूर की नियुक्ति की जाती है।

शैक्षिक योग्यता :-

1) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य।

2) अंग्रेजी/हिंदी का ज्ञान आवश्यक।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण आज हिंदी का महत्व बढ़ रहा है। जिसके कारण व्यापारी, कंपनियाँ चाहे देशी हो अथवा विदेशी अपना माल बेचने के लिए हिंदी को ही प्रथम स्थान दे रहे हैं। विश्व को उपभोक्ता बाजार मानने वाली विदेशी कंपनियों ने विज्ञान एवं सूचना के क्षेत्र में हिंदी को ही महत्व दिया है इसलिए हम सरकारी संस्थाओं से लेकर निजी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सही कहा था कि, "साहित्य, संस्कृति और सद्भाव की भाषा हिंदी को व्यापार, उद्योग तथा प्रौद्योगिकी की भाषा बनानी चाहिए। जिससे हिंदी किसी अनुशंसा से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन सके।"⁴ हिंदी पढ़ने वालों के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है आज हिंदी में असीम संभावनाएं हैं।

"कुल मिलाकर हिंदी आजाद देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है।..... आज इसने एक ओर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर टेलकस, तार, दूरदर्शन, रेडियो, डाक, अखबार, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के सभी माध्यमों को अपने लपेटे और घेरे में ले लिया है तो दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग आदि औद्योगिक उपक्रम, रक्षा सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थानों, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा शिक्षा सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में चिट्ठी-पत्री, लेटरपैड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, मोहरे, नामपट, स्टेशनरी के साथ-साथ कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, अपील, नीलाम, मंजूरी पत्र-पावती आदि में यह बहुत आसानी से प्रयुक्त की जा रही है। इतना ही नहीं इस देश के संपूर्ण तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों में तो इसके शिष्ट रूप का प्रयोग हो ही रहा है। इसने आज बाजार तथा आधुनिकता के दबाव के कारण गाँव के हाट बाजार, गली चौराहे,

कल कारखाने, कचहरी तथा सब्जी मंडियों में भी अपने आगमन की सूचना साइन बोर्डों पर छपे विज्ञापनों तथा अन्य तरीकों से दे दी है।⁵

संदर्भ सूची :-

1. भारत वाणी –सितंबर 1999, पृष्ठ क्रमांक 2
2. राष्ट्रभाषा पत्रिका अक्तूबर 2011–अनंतराम त्रिपाठी, पृष्ठ 14
3. प्रयोजनमूलक हिंदी की नई भूमिका–कैलाशनाथ पांडे, पृष्ठ 17
4. अंतरराष्ट्रीय जगत में हिंदी का वर्तमान और भविष्य –महेशचंद्र द्विवेदी, पृष्ठ 52
5. प्रयोजनमूलक हिंदी की नई भूमिका–कैलाशनाथ पांडे – पृष्ठ 6, 7

Phone No.: 7588113600

Email Address: rohinikhandare10@gmail.com



वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी की बढ़ती ताकत

डॉ. मोहन चौधरी

असिस्टेंट प्रोफेसर—हिन्दी विभाग, स्नातकोत्तर राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर—11, चंडीगढ़।

विश्व की प्राचीन सभ्य मानव—संस्कृतियों में भारतवर्ष अपने साहित्य, समाज, सभ्यता और प्रशासन में 'विश्व—बन्धुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम्, परहित, विश्व—कल्याण, विश्व—धर्म, मानव—धर्म और प्रकृति—प्रेम' जैसे शाश्वत मूल्यों को लेकर चलने तथा जीने वाला देश रहा है। विश्व—फलक पर उदारवादी दृष्टि से वसुधा को परिवार मानने वाले यहां के ऋषि—मुनि, साधक और मनीषी अपने आश्रमों में वेद, उपनिषद, ब्रह्म—सूत्र, पुराण, स्मृतियों का ज्ञान आर्यावर्त के साथ—साथ विदेशों से आने वाले जिज्ञासुओं को भी समानधर्म दृष्टि से करवाते थे। उस समय 'विश्व—ग्राम की परिकल्पना' सच्चे अर्थों में यही थी जो तद्युगीन भाषाओं में साकार होती रही, बिना किसी वैश्विक बाजार और आर्थिक—हित की सोच के साथ। इसलिए हम आज भी गाते हैं :—

“अर्य निजरूपरोवेति गणना लघु—चेतसाम्।

उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।”¹

लेकिन आज आर्थिक उदारणीकरण, भूमण्डलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिक विकासवादी अवधारणा ने 'आत्मवाद, विश्व—बन्धुत्व, वसुधैव कुटुम्बकम्, परहित, विश्व—कल्याण, विश्व—धर्म, मानव—धर्म, और प्रकृति—प्रेम' जैसे शाश्वत मूल्यों को दिखावे की वस्तु में बदल दिया है, तो जाहिर है कि भाषा में भी युगीन—मूल्य अवश्य बोलेंगे। हिन्दी आज विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में चीन की मन्दारिन के बाद दूसरे स्थान पर स्थानापन्न है जिसने सर्वशक्तिमान अंग्रेजी को भी पीछे धकेल दिया है। वैश्वीकरण ने हिन्दी की उपयोगिता को विश्व के जनमानस पर चुनौती के रूप में स्वीकर कर ललकारा है। आर्थिक रूप से विश्व के देशों को अलग—अलग वर्गों—विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश—में बाँटने वाले अमीर—पूँजीवादी देश आज अपनी बड़ी—बड़ी कंपनीज के उत्पाद विश्व के विभिन्न देशों में बसे भारतीयों तक पहुँचाने के लिए हिन्दी भाषा का दामन पकड़कर चलने को मजबूर है। यह हिन्दी की विश्व—फलक पर महत्ता को ही दर्शाता है। जो कभी हिन्दी को पिछड़ी मानकर भारतीयों से नाक—मुँह सिकोड़ते थे, वे आज भारत, भारतीयों और हिन्दी भाषा को आर्थिक संपन्नता का हार समझकर गले से लगा रहे हैं।

विश्व—फलक पर हिन्दी के बढ़ते महत्व को हम निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं :—

1. हिन्दी की शिक्षा और हिन्दी में शिक्षा।
2. भूमण्डलीकरण और संचार माध्यम में हिन्दी।

3. मनोरंजन की दुनिया में हिन्दी का बढ़ता वर्चस्व।
4. बाजारवाद में उत्पाद-उपभोक्ता, विज्ञापन और हिन्दी।

हिन्दी की शिक्षा और हिन्दी में शिक्षा :-

‘विश्वग्राम’ शब्द में मानवीय संवेदना और सहानुभूति की अन्तरंग अनुभूति ग्राह्य अधिक है न कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के निजी हित। भारत में संस्कृत के बाद पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और इसके बाद हिन्दी भाषा अध्ययन-अध्यापन का माध्यम बनी। स्वतंत्रता के बाद ‘त्रिभाषा सूत्र’ में हिन्दी मुख्याधार रही जिसमें विध्याध्ययन होता रहा है। भारत के विद्यालयों-विश्वविद्यालयों, मानद परिषदों, निकायों और प्रशासनिक आयोगों द्वारा हिन्दी को अंग्रेजी के साथ-साथ बढ़ावा मिलता रहा है। आज हिन्दी भारत की सीमाओं को पार करके विश्व के विभिन्न देशों में बोली और समझी जा रही है। मोरिशस, फिजी, श्रीलंका, मलेशिया, कम्बोडिया, जावा, बाली, सुमात्रा और कई देशों में हिन्दी के मानद संस्थान हिन्दी भाषा और साहित्य को पढ़ने-पढ़ाने पर बल दे रहे हैं। वहां रहने वाले हजारों नहीं, लाखों भारतीय अपनी मातृभाषा में किताबें तथा अखबार पढ़ते और पढ़ाते हैं और साथ ही भारतीयता की सजल अनुभूति करते नहीं अघाते हैं। अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत रूस आदि ऐशियाई-यूरोपीयन तथा अमेरिकी देशों ने अपने-अपने देशों में हिन्दी-विभाग, हिन्दी विद्यालय और विश्वविद्यालय तक खोले हैं, जिनमें हिन्दी को सिखाकर उसमें उत्पादों के अनुकूल भाषाई परिवर्तन किया जा सके। विदेशों में हिन्दी के देशानुसार कई स्वरूप मिल जाएंगे जिसमें यह भाषा वहां की स्थानीय बोलियों या भाषाओं के साथ मिलकर अपना वर्चस्व जमा रही है। डॉ. कुलदीप सिंह लिखते हैं- “वैश्वीकरण के दौर में जहां एक तरफ सैकड़ों भाषाएं मर रही हैं, दूसरी तरफ एक सवाल उपस्थित है कि क्या आज ज्ञान और विज्ञान के लिए हिन्दी की कोई अहमियत बची है? इसका जवाब हां है क्योंकि हिन्दी एक विश्व भाषा है। मात्र इसलिए नहीं कि वह सर्वाधिक बोली और समझी जाती है बल्कि इसलिए कि पूरे विश्व में उसके अनेक रूप-रूपान्तर प्राप्त होते हैं। जैसे- मोरिशस में ‘क्रिओली हिन्दी’, फीजी में ‘फिजियन हिन्दी’, सूरीनाम में ‘सरनामी हिन्दी’, त्रिनिदाद में ‘त्रिनि हिन्दी’, नेटोल में ‘नेटाली हिन्दी’, तजाकिस्तान में ‘ताजिकी हिन्दी’ और रोम में ‘रोमानी हिन्दी’।”²

पिछले कुछ वर्षों में ईधर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषियों ने विदेशों में रहते हुए वहां की सरकारों के सहयोग से हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करना शुरु किया है और हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं-कविता, कहानी, रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग्य, आलोचना, उपन्यास आदि लिखने के साथ प्रकाशित भी होने लगा है, जिसके कारण हिन्दी अब भारतीयों में ही नहीं अपितु विदेशी नागरिकों द्वारा भी पढ़ी और समझी जाने लगी है। फीजी से ‘आर्योदय’, जनता’ (समाचार पत्र) तथा ‘आभा’, ‘दर्पण’, ‘अनुराग’ जैसी साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के हिन्दी शोध-कार्य भी सम्मिलित होते हैं। विदेशों में हिन्दी और साहित्य को पढ़ने-पढ़ाने के लिए इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स भी हैं-“हिंदी आज भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में इतना गौरवशाली स्थान प्राप्त कर चुकी है जो हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया सरीखे देशों के कई विश्वविद्यालयों ने इंटरनेट द्वारा हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करवाई हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी कुछ सेवाओं की साइट्स के नाम हैं- [www.C.S.Colostate.edu.](http://www.C.S.Colostate.edu), News From Akashwani, Himalaya Hindi House, Hindi Learning biiks/CDs from Amazon.com, Devnagari Fonts/Editors, hindibhasha.com.3

वैसे हिन्दी की वैश्विक साहित्यिक स्थिति अभी फलीभूत हुई हो, ऐसा नहीं है। आजादी के आन्दोलन के समय और उससे भी पूर्व अनेक विदेशी विद्वानों ने हिन्दी में साहित्येतिहास (गार्सा द तासी-फ्रांस) लिखकर या वर्नाक्युलर हिन्दी (ग्रियर्सन) से या फोर्ट विलियम कोलेज की हिन्दी द्वारा हिन्दी की सेवा की और फिर उसे युरोप से लेकर सम्पूर्ण एशिया में फैलाया है।

भूमण्डलीकरण और संचार माध्यमों में हिन्दी :-

“भूमण्डलीकरण का अभिप्राय है वैश्वीकरण अर्थात् किसी वस्तु, पदार्थ, गुण अथवा सत्ता का विश्वमय हो जाना, उसकी पहुँच व विस्तार स्थानीय मात्र न रहकर विश्व-स्तर तक हो जाना। यह शब्द विश्व-एकीकरण या सिमटते विश्व को भी व्यक्त करता है।”⁴ भूमण्डलीकरण के इस दौर में संचार माध्यमों-मोबाइल, टेलीविजन, कम्प्यूटर, लेपटोप, पत्र-पत्रिकाएं, किताबें और इन्टरनेट ने महत्ती भूमिका निभाई है। इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी शुद्ध साहित्यिक न होकर विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों को अपने में समेटे हुए है जिसे बोलने, लिखने-पढ़ने में सुविधा तथा आसानी है। आज का युवा शुद्धतावादी साहित्य और भाषा का हिमायती नहीं है और यही बात मीडिया को अपनी सुविधानुसार वरेण्य लग रही है, क्योंकि वह तो इसी तलाश में था। “भूमण्डलीकरण ने अर्थतंत्र, राजनीति, भाषा, साहित्य, सब पर अपना व्यापक प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब दुनिया एक साझा बाजार है और हम सब इस बाजार के उपभोक्ता, भाषा में विदेशी शब्दों का सम्मिश्रण, भाषा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। भाषा की तत्सम प्रधान भाषा के साथ-साथ रोजमर्रा में व्यवहृत होने वाली भाषा का एक रूप विकसित होता जा रहा है।”⁵

वास्तव में आज की युवा पीढ़ी और मीडिया के संचार साधनों की भाषा एक है और यही कारण है कि वैशिव परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के चाहने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हिन्दी आज एक वस्तु और विचार दोनों के रूप में छा रही है। आज संचार माध्यमों में मिश्रित शब्दावली की ‘हिंगलिश’ धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रही है और बिक भी रही है। टेलीविजन का कोई भी कार्यक्रम हो, खेल का मैदान हो, किसी घटना का सीधा प्रसारण हो, बच्चों के कार्टून नेटवर्क चैनल हो, ज्ञान-विज्ञान के राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय चैनल या पत्र-पत्रिकाएं हो, समाचार चैनल्स हो-सब जगह हिन्दी अपने कलेवर में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को समेटे लोगों के दिल-ओ-दिमाग में छाई हुई है। यही कारण है कि शुद्ध अंग्रेजी में निकलने वाले अखबारों में भी हिन्दी विज्ञापन दिए जा रहे हैं। कई अंग्रेजी अखबार तो अंग्रेजी पाठकों की कमी और हिन्दी पाठकों की बढ़ती संख्या के चलते अब हिन्दी में छपने लगे हैं लेकिन इसके लिए हिन्दी को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा। मोबाइल में आज कोई भी सन्देश आसानी से हिन्दी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में टाइप करके भेजा जा सकता है।

कोरोना काल में तो मोबाइल ने अलग-अलग सोफ्टवेयर-यूनिकोड, गूगल ट्रांसलेटर, वराह, कृतिदेव और प्लेटफार्म-व्हाट्स एप, गूगल क्लासरूम, जूम, गूगल मीट को लेकर ओनलाईन क्लासेस के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति ला दी है। हिन्दी को लेपटोप तथा मोबाइल के लिए अनुपयुक्त और कठिन मानने वाले भी अब इसे सुविधाजनक रूप में नितप्रति प्रयोग कर रहे हैं। वैश्विक अन्तर्जाल यानि इन्टरनेट ने तो दिहाड़ी मजदूर से लेकर पूँजीपतियों तक को वैश्विक सन्दर्भ में एक मंच पर एक साथ ला खड़ा कर दिया है। इन्टरनेट पर आज अनेक सर्च इंजन मौजूद हैं- गूगल, क्रोम, फायरफोक्स, और स्वदेशी सर्च इंजन ‘तलाश’। यदि किसी को हिन्दी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के किसी शब्द का अर्थ जानना है तो गूगल में जाकर शब्द लिखो और उसके ढेर

सारे अर्थ आपकी आँखों के सामने दिखाई दे जाएंगे। यही नहीं, विश्व के किसी कोने में बैठे साहित्यकार की लिखी कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक या पुस्तक आदि नेट पर मिल जाते हैं और घर बैठे-बैठे ही हम उनको पढ़ सकते हैं।

सभी के लिए सुलभ मोबाइल से आज गरीब-मजदूर के बच्चे भी दूर-दराज बैठे अपनों से विडियो कोल, व्हाटस एप, फेसबुक आदि से आसानी से रु-ब-रु बात करते हैं और विदेशों में कमाने गए युवाओं-लोगों को भी हिन्दी या अपनी भाषा में यह सुविधा अपनत्व दिलाती है। कभी अमीरों का स्टेटस सिंबल रहा मोबाइल आज झोपड़-पट्टी में रहने वालों और उनके बच्चों के लिए ऑनलाईन शिक्षा का सशक्त माध्यम बना है और हिन्दी भाषा का अध्ययन-अध्यापन भी भारत में ही नहीं, इसके द्वारा वैश्विक संस्थानों में भी हो रहा है। आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से विदेशों में बैठे-बैठे ही ऑनलाईन विडियो कोन्फ्रेंसिंग, ई-सेमिनार, ई-वेबिनार जैसे आयोजन हिन्दी भाषा में सफलतापूर्वक हो रहे हैं।

वास्तव में भूमण्डलीकरण के इस दौर में हिन्दी किसी अमीर-पूँजीपति की जायदाद न होकर आमजन की व्यावहारिक जीवन-शैली बनती जा रही है। इस संबंध में घषभ देव शर्मा का कथन एकदम उपयुक्त प्रतीत होता है—“यह कहना गलत न होगा कि संचार माध्यमों ने हिन्दी के जिस विविधता पूर्वक सर्व-समर्थ रूप का विकास किया है, उसने भाषा समृद्ध समाज के साथ-साथ भाषा वंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भों से जोड़ने का काम किया है। यह नई हिन्दी कुछ प्रतिशत अभीजात वर्ग के दिमागी शुगल की भाषा नहीं बल्कि अनेकानेक बोलियों में व्यक्त होने वाले ग्रामीण भारत की नई भाषा है। इसे भारत तक पहुंचने के लिए बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ रहा है।”⁶

“कम्प्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में भी हिन्दी की स्थिति निरंतर बेहतर हो रही है.....बिल गेट्स ने स्वयं हिन्दी को कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक है.....। आज कम्प्यूटर का प्रयोग बढ़ने के साथ ही इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ा है। अब कई हिन्दी अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को इंटरनेट पर पढ़ा जा सकता है। बड़े लेखकों की रचनाएँ, कहानियाँ, कविताएँ भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। www.shabdkosh.com की सेवा पर जाकर कोई भी हिन्दी में या रोमन में शब्द टाईप करे, उसे तुरंत ही उसका अर्थ मिल जाएगा। 2003 में शुरुआत के समय इसमें लगभग 25000 शब्द थे, आज इसमें 165000 शब्द उपलब्ध है।.....भविष्य में इस वेबसाइट के सदस्य बनकर ई मेल भी पा सकेंगे।

‘सी डेक’ पुणे हिन्दी में इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में लगा है.....ऐसे में निश्चित रूप से इक्कीसवीं सदी हिन्दी की होगी, भारत की होगी। कम्प्यूटर पर द्विभाषिक शब्द संसाधन के लिए कई पैकेज बाजार में उपलब्ध है, जैसे-सुलिपि, आकृति, लीला, हिन्दी प्रबोध, बैंक मित्र, श्रीलिपि, प्रकाशक, गुरु आदि। लेखक, हिन्द, वाणी, अनुसारका, देशिका, शब्दकोश आदि भी हिन्दी में काम करने में सहायक सॉफ्टवेयर हैं। अमेरिकी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने अपना पहला हिन्दी सॉफ्टवेयर ‘हिन्दी वर्ड 2000’ जारी किया है, जिससे हिन्दी में वेब पेज तैयार करना, ई-मेल भेजना और हिन्दी में इंटरनेट पर गप्पें लड़ाना संभव हो गया है। इंटरनेट पर वर्डमाला, डोटकोम, नेट जाल डोटकोम तथा पहले हिन्दी के सर्च इंजन ‘तलाश’ के आ जाने से अब हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं भी अंग्रेजी की-सी स्पष्टता और तीव्रता से इंटरनेट पर उपलब्ध होगी।”⁷ हां, यह सत्य है लेकिन इन सबसे हमें सतर्क रहने की भी आवश्यकता है ताकि हमारी मूल हिन्दी और पहचान बनी रह सके।

मनोरंजन की दुनिया में हिन्दी का बढ़ता वर्चस्व :-

विश्व में मनोरंजन के आज अनेक साधन सहज ही उपलब्ध हैं— मोबाईल, टेलीविजन, कम्प्यूटर, लेपटॉप, पत्र-पत्रिकाएं, किताबें, इंटरनेट, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंकड इन आदि। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों में सीरियल, फिल्म्स, लाइव शो, टैलेंट हंट शो, डांस शो, म्यूजिक शो, डोक्यूमेंट्री आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा—सामग्री किसी एक भाषा के वर्चस्व को फोकस नहीं करती है अपितु सभी देशों के प्रचलित शब्दों को सम्मिश्रित रूप में परोसती है अपने दर्शक—श्रोता के सामने, जिसे देख—सुनकर श्रोता—दर्शक झूम उठता है। टेलीविजन के अनेक भारतीय हिन्दी धारावाहिक—‘रामायण, महाभारत, श्रीकृष्ण, पवित्र रिश्ता, कुमकुम भाग्य’ आदि और अनेक टी वी शो—‘इण्डियन आईडल, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस,बिग बोस’ आदि विभिन्न भारतीय टी वी चैनल्स के द्वारा देश—विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा खूब देखे और सराहे गए हैं। अगर बात भारतीय फिल्म—उद्योग से ली जाए तो विश्व—फलक पर हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और उसे प्रतिष्ठित करने में हिन्दी सिनेमा ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। हिन्दी फिल्म—उद्योग के अनेक सितारे आज हिन्दी के बलबूते ही रुस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और कई—कई देशों में लोकप्रिय हुए हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी आदि मुख्य हैं। यही नहीं,ये सब सितारे हिन्दी को विश्व—सिनेमा और रंगमंच पर भी स्थापित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं। मैडम तुसाद म्युजियम में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय आदि के बर्फ से बने ताबूत इन सितारों की ही प्रसिद्धि नहीं बताते हैं, अपितु इनके साथ—साथ हिन्दी की लोकप्रियता को भी दर्शाते हैं। पिछले चार—पाँच वर्षों से मलेशिया, त्रिनिदाद, टोबेगो, फीजी, कंबोडिया, जावा, बाली, सुमात्रा, इण्डोनेशिया, श्रीलंका और भारत ने मिलकर एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘रामायण महोत्सव’ मनाना शुरु किया है जिसमें ये सभी अपने—अपने देश की परम्परानुसार देश में प्रचलित रामकथा को विभिन्न रूपों में झांकियों और नाटकों के माध्यम से रंगमंच पर दर्शाते हैं और हिन्दी के साहित्यिक—सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया में हिन्दी का बढ़ता यह एक नवीन फलक है जिसे नकारा या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा के शब्द भी आज विश्व—फलक पर अनेक कार्यक्रमों में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब शुद्ध हिन्दी या अंग्रेजी किसी दर्शक या श्रोता की समझ में नहीं आती है। कई राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों और कार्यक्रमों में हिन्दी मिश्रित भाषा धड़ल्ले से बोली—सुनी और समझी जा रही है। भारत में आई पी एल के दस सीजन सफलतापूर्वक मनोरंजक तरीके से पूरे हुए हैं जिसमें एन्करिंग हिन्दी की बहुतायत में हुई है और आगे भी होगी। जो श्रोता—दर्शक हिन्दी के विरोधी थे,वही लोग अब मनोरंजन की दुनिया में विश्व—फलक पर हिन्दी को आगे बढ़ाने की हिमायत दे रहे हैं।यही नहीं,खुद विभिन्न आयोजनों—कार्यक्रमों में ‘हिंगलिश’ बोल रहे हैं क्योंकि अब उनकी अंग्रेजी सामान्य जनता की समझ से परे प्रतीत होने लगी हैं।

बढ़ती ‘कार्पोरेट और माल संस्कृति’ ने भी हिन्दी के प्रचलन को बदला है। कभी ऊँचे घराने गरीबों की आम भाषा में बात नहीं करते थे लेकिन अब आर्थिक मजबूरी ने उनको मनोरंजक चैनल्स चलाने पर मजबूर कर दिया है और वे अपने कार्यक्रम या चैनल्स की सफलता हेतु आम हिन्दी बोलने को मजबूर हैं। डिस्कवरी, ऐनिमल प्लेनेट, फोकस, फैशन, सोनी, स्टार, निक, कार्टून नेटवर्क जैसे अंग्रेजी चैनल्स अब हिन्दी में ज्ञान—विज्ञान और

बच्चों के मनोरंजन की सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि हिन्दी भाषी केवल भारत में ही नहीं है अपितु सम्पूर्ण विश्व में फैल चुके हैं और उनकी मांग आज भी हिन्दी में ही प्राथमिकता से पूरी की जा सकती है।

बाजारवाद में उत्पाद-उपभोक्ता, विज्ञापन और हिन्दी :-

आज बाजार, उत्पाद और उपभोक्ता का शुद्ध बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में वही वस्तु या चीज बिकती है जो विज्ञापन में दिखती है या दिखाई जाती है और देखी जाती है। आज मशहूर खिलाड़ी, नेता-अभिनेता-अभिनेत्री या मोडल किसी भी नवीन उत्पाद को बाजार में बेचने और उसके प्रति जन-मानस में लालसा-लिप्सा, उसकी कमी और आवश्यकता और उसके प्रति आकर्षण जगाने में लज्जारहित होकर विज्ञापन देने में पीछे नहीं हैं। कुछ विज्ञापनों को परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर देखना भी सही नहीं लगता है। लेकिन यह सच है कि विज्ञापन का उद्देश्य ही बाजार और वस्तु की खरीद के प्रति लालसा और उत्सुकता जगाना है जिसमें श्रोता-दर्शक उसे देखते ही खरीदने के लिए बाजार में दौड़ पड़े। भारत में आज लगभग 2900 सौ हजार करोड़ रुपये का वार्षिक विज्ञापन बाजार है। विज्ञापनों के जरिए आज नव पूँजीवादी उपनिवेशवाद बाजार में पैर पसार रहा है जो भविष्य में विकासशील देशों के लिए भयंकर चुनौती है।

विश्व परिदृश्य के साथ भारतीय परिवेश में यह विज्ञापन संस्कृति तेजी से भारत के बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे-छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों के लोगों में चीजों के प्रति मोह, आकर्षण और आवश्यकता जगा रही है। चूँकि भारत की अधिकांश जनता आज भी कम पढ़ी-लिखी या अनपढ़ है तो उन तक चीजों को पहुँचाने के लिए उनकी ही भाषा में विज्ञापन बनाना पड़ेगा और टी.वी., अखबार, मोबाईल आदि में दिखाना पड़ेगा। यही कारण है कि भारत के छोटे-छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों के लोगों से लेकर विश्व के विभिन्न देशों में रोजगार के लिए गए भारतीयों को लुभाने के लिए हिन्दी में आज विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह हिन्दी विज्ञापन के केन्द्र की भाषा बनती जा रही है। इस संबंध में डॉ. कुलदीप सिंह का कथन है— "भूमण्डलीकरण के इस दौर में बाजार की केन्द्रीय भाषा हिन्दी होती जा रही है, क्योंकि बड़े शहरों का बाजार संतृप्त हो गया है इसलिए कंपनियाँ छोटे शहरों और गाँवों पर जोर दे रही हैं, जहाँ हिन्दी का बोलबाला है। यही कारण है कि कल तक हिन्दी के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ने वाले तथाकथित भद्र लोग जो बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, अपनी कंपनी के माल को भारतीय बाजार में बेचने के लिए हिन्दी में विज्ञापन देने का आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं।"⁸

दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के रेलवे स्टेशन, अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डों, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, मुख्य बाजारों, पिकनिक स्थलों, धर्म स्थलों, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक धरोहरों से लेकर होटल्स के बोर्ड्स में तथा उसके आस-पास लगे विज्ञापन बोर्ड्स में हिन्दी भाषा के शब्दों को आसानी से देखा जा सकता है जो वहाँ की स्थानीय भाषाओं या अंग्रेजी के साथ हो सकते हैं या होते हैं। टी. वी. में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों या अखबार में छपने वाले विज्ञापनों में मध्यमवर्गीय और सामान्य जनता की समझ तथा माँग के अनुरूप वस्तुओं के चित्रों के साथ हिन्दी भाषा के लोक-प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञापन की हिन्दी में वे सारी विशेषताएँ मौजूद हैं जो एक सार्थक विज्ञापन की भाषा में होनी चाहिए। जैसे— "विज्ञापन की भाषा रोचक, सरल और स्पष्ट तथा जन-साधारण की भाषा होनी चाहिए ताकि सामान्य जन विज्ञापित उत्पाद को सरलता से समझ सके। विज्ञापन में वस्तु के संबंध में उन समस्त जानकारियों जैसे—वस्तु

की उपयोग-विधि, अधिक टिकाऊ, अन्य कंपनियों के उत्पाद से श्रेष्ठ, खरीद पर मिलने वाले प्रस्ताव(ओफर), अतिरिक्त छूट आदि का उल्लेख होता है।”⁹

आज भारतीय शहरी बाजार और विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के आकर्षण लिए विज्ञापन अंग्रेजी शब्दों के साथ हिन्दी में तैयार किए और दिखाए जा रहे हैं, जैसे-‘ये दिल मांगे मोर (पेप्सी)’, ‘सण्डे हो या मण्डे, रोज खाएँ अण्डे’, ‘यही है राईट च्वाइस बेबी’, आदि-आदि। पिज्जा, बर्गर, डोसा और फास्ट फूड खाने और कॉरपोरेट मोल संस्कृति में हाथों में हाथ डालकर घूमने वाले शहरी युवाओं के लिए यही सब कुछ आज का प्रिय शगल है। वहीं, दूसरी तरफ बहुसंख्यक कस्बाई और ग्रामीण आबादी के लिए विज्ञापनों की भाषा थोड़ी अलग है। उनके लिए हिन्दी फिल्मी गीतों के अन्तरे या मुखड़े जोड़कर विज्ञापन बनाए जाते हैं तो कहीं आश्चर्य जगाने वाले वाक्यों, कहीं प्रश्नात्मक वाक्यों, कहीं लोकोक्ति-कहावतों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन तैयार किए और दिखाए जाते हैं, जिनमें अपनापन महसूस करके जनमानस वस्तु लेने के लिए घरों से दौड़ पड़ते हैं। कुछ विज्ञापनों के उदाहरण देखिए- ‘इण्डिया का नंबर वन डिटर्जेंट पाऊडर’ और ‘पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करें’ (घड़ी), ‘ईंटों से सरियों तक अल्ट्रा टेक सीमेंट, मजबूती का जोड़’, ‘इण्डिया का नंबर वन : गोदरेज साबुन’, ‘हीरो होण्डा धक धक गो’, ‘ये है कोमल और निखरती त्वचा का राज (लक्स)’, ‘ठंडा-ठंडा कूल-कूल (हिमानी नवरत्न तेल)’, ‘सोफ्ट स्मूथ और ग्लोइंग त्वचारूडव साबुन’ आदि-आदि। उत्पादों पर अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी जानकारी दी होती है ताकि उसे सामान्यजन द्वारा समझा जा सके।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज हिन्दी अपनी धाक जमा रही है और उसकी स्वीकार्यता भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय कंपनीज ने अंग्रेजी की भरपूर पैरोकारी की लेकिन आज बाजार में वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषियों के उत्तरोत्तर छा जाने से अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी विज्ञापनों की माँग बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है। धनाढ्य-बुर्जुआ वर्ग अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी हिन्दी को बाजार, उत्पाद, और उपभोक्ता की भाषा बनने से रोक नहीं पाया है। पत्र-पत्रिकाओं से लेकर टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स तक पर हिन्दी मिश्रित विज्ञापन देना और दिखाना अमीरों की मजबूरी है और इन्हें दिखाना संचार साधनों की इससे भी बढ़कर मजबूरी है, क्योंकि इनके बिना इन सबका अस्तित्व खतरे के कगार को दिग्दर्शित करता है।

आज हिन्दी ने अपने प्रयोजनमूलक स्वरूप को अपनाया है और भारत से निकलकर वैश्विक फलक पर साहित्य के साथ-साथ मनोरंजन की महत्वपूर्ण भाषा बनी है। विश्व में नब्बे करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और समझते हैं। चीन की मन्दारी भाषा के बाद हिन्दी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। उसने अंग्रेजीयत की मानसिक गुलामी और वर्चस्व को चुनौती देते हुए उसका गुरुर तोड़ा है और अपना दामन थामने पर मजबूर किया है-वैश्वीकरण तथा बाजारीकरण के इस दौर में। यह सब हिन्दी, हिन्दी साहित्य, हिन्दी समाज और हिन्दी भाषियों के लिए गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत भी है कि कहीं बाजारीकरण के इस दौर में विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनीज हिन्दी की आत्मा की हत्या न कर दे, उसे उसकी जड़ों से उच्छेदित न कर दे और अंग्रेजीयत में लपेटकर धीरे-धीरे उसका पतन न सुनिश्चित कर दे! अतः हिन्दी को प्रयोजनमूलक रूप में अपनी वृद्धि करते रहना होगा किन्तु सतेज-सतर्क निगाहों से।

सहायक और सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास—बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ—106
2. भूमण्डलीकरण का हिन्दी भाषा पर प्रभाव—डॉ. कुलदीप सिंह, पृष्ठ—18
3. भूमण्डलीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी भाषा की भूमिका— डॉ. हरप्रीत कौर, पृष्ठ—53
4. नया ज्ञानोदय (सितंबर 2015)—रमेश दवे, पृष्ठ—70
5. भूमण्डलीकरण के सन्दर्भ में हिन्दी भाषा—डॉ. राजिन्द्र पाल सिंह, पृष्ठ—1
6. भूमण्डलीकरण की चुनौतियां : संचार माध्यम और हिन्दी— ऋषभ देव शर्मा, पृष्ठ—2
7. भूमण्डलीकरण का हिन्दी भाषा पर प्रभाव—डॉ. कुलदीप सिंह, पृष्ठ—21—22
8. भूमण्डलीकरण का हिन्दी भाषा पर प्रभाव—डॉ. कुलदीप सिंह, पृष्ठ—20
9. वैश्वीकरण व विज्ञापन के संदर्भ में बाजार भाषा हिन्दी —डॉ. नीना मेहता, पृष्ठ—57

मोबाइल : 9016142497



विश्व पटल पर हिन्दी भाषा का विकास

डॉ. अमनदीप कौर

सहायक प्रवक्ता, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर।

हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है तथा साथ ही देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली एवं समझी जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त फिजी, मारीशस, गुयाना, सूरीनाम एवं नेपाल की जनता भी हिन्दी अच्छी तरह बोलती तथा समझती है। सम्पूर्ण विश्व में लगभग 800 मिलियन लोगों द्वारा हिन्दी बोली जाती है। यह भारत की आधिकारिक भाषा है जो कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में द्वितीय स्थान पर है। विश्व की अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भाषा एकांगी और एकाकी न होकर, कई-कई बोलियों और भाषाओं, विभाषाओं का समुच्चय है। यह ठीक है कि हिन्दी में समाहित अन्य भाषाओं के व्याकरणिक ढांचे भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु लिपि के स्तर पर एक ही है। इस दृष्टि से हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा दो अर्थों में भिन्नता पाती है। क्षेत्रीयता के अर्थ में वह बहुक्षेत्रीय भाषा है, यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बिहार तक फैली हुई है। अन्य भाषाएं एकक्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार हिन्दी राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुन्देली, बघेली आदि का कुल योग है। अतः कहना चाहिए कि हिन्दी भाषा भिन्न-भिन्न बोलियों अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में सार्वदेशिक सिद्ध हो जाती है, किन्तु वाक् या वाणी के स्तर पर उसके किसी एक रूप का ही प्रयोग होता है।

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत के साथ ही सम्पूर्ण संसार में वैश्वीकरण की लहर का श्रीगणेश हुआ। वैश्वीकरण के इस युग में राजभाषा हिन्दी के भविष्य के बारे में अनेक अपेक्षाएं की जाती हैं। इन अपेक्षाओं के दायरे काफी विस्तृत हैं क्योंकि हिन्दी अब लोक व्यवहार की भाषा से आगे बढ़कर विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा कार्यालयी स्तरों पर भी अपनी प्रयोजनमूलकता प्रतिपादित करने के दायित्व की ओर अग्रसर है। इस दायित्व का निकश है – उसके संरचना-सामर्थ्य का अनुप्रयोगात्मक कार्यान्वयन। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर विविध प्रयास चल रहे हैं, किन्तु उनमें एकरूपता, पारस्परिक एकसूत्रता तथा समन्वयशीलता का अभाव होने से अनेक समस्याएं अवरोध का कारण बन रही हैं। इन्हीं समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में हिन्दी का विस्तार अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर तीव्रगति से हो रहा है क्योंकि हिन्दी एकमात्र एक ऐसी भारतीय भाषा है जो अपने में भारतीय संस्कृति को समेटे हुए है। आज के समय में भारतीय के साथ-साथ विश्व के लगभग 132 देशों में 1.10 अरब लोगों के द्वारा हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है। मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम, श्रीलंका, चीन, हैनरी, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, अफ्रीका, वियतनाम, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, अरेबिक इत्यादि देशों में हिन्दी भाषा पर अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। “विश्व के

अनेक देशों में विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है। इन सम्मेलनों से प्रभावित होकर व हिन्दी भाषा की वैज्ञानिकता को देखकर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे अधिकारिक भाषा के रूप स्थान दे दिया है।¹

प्रवासी भारतीयों के बीच भी हिन्दी संपर्क की भाषा के साथ-साथ भारतीयता की पहचान की भाषा भी बनी हुई है। इस भाषाई विकास से विदेशों में भारत की साख बढी है। हालाँकि इसमें कोई संशय नहीं है कि हिन्दी भाषा में तकनीकी साहित्य की उपलब्धता कम है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। परंतु साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी कभी भी किसी भी भाषा के साहित्य से कमतर नहीं रही है। हिन्दी को विश्व के लगभग सभी विकसित व विकासशील देश अपने यहाँ स्थान दे रहे हैं और यह तेज गति से अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हिन्दी की बढ़ती समृद्धि के कारण हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विविध पक्षों पर निरन्तर शोध-कार्य किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य का अनुवाद भी व्यापक स्तर किया जा रहा है। “हिन्दी साहित्य के संदर्भ में विविध उपागमों के आलोक में विस्तृत शोध कार्य हो रहा है। निस्संदेह आज साहित्यिक हिन्दी का स्वरूप परिष्कृत, परिमाकृत तथा प्रांजल बनकर प्रभावपूर्ण परिलक्षित होता जा रहा है।”² इस तरह हिन्दी की विविध विधाओं जैसे-कहानी, उपन्यास, निबन्ध, रेखाचित्र, संस्मरण इत्यादि पर निरन्तर रचना की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी के प्रयोग से विश्व में इसकी पहचान बढी है। विगत वर्षों में यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तेजी से स्वीकार्य हुई है। हिन्दी की लोकप्रियता का पता इससे भी चलता है कि हिन्दी भाषा में बनाई गई मनोरंजक फिल्में विश्व के कई देशों में बड़े ही चाव से देखी जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी आपस में हिन्दी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके प्रचार-प्रसार का भरसक प्रयास करते हैं।

01 नवंबर, 2001 को मॉरीशस के फिनिक्स शहर में विश्व हिन्दी सचिवालय का शिलान्यास किया गया तथा पहली बार देश से बाहर विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का श्रेय भी इसी देश को प्राप्त है। सर्वप्रथम मॉरीशस द्वारा ही राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

हिन्दी भाषा की व्यापकता :-

बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का विकास खूब हुआ है। मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, केन्या, ट्रिनीडाड-टुबैगो, बर्मा, थाइलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैण्ड, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, चीन, जापान, नार्वे, स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको आदि देशों के शिक्षण संस्थानों में हिन्दी पढाई जा रही है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी की माँग बढी है। विद्वानों व भाषाविदों के अनुसार विश्व में हिन्दी जानने वाले सर्वाधिक हैं।

ई-माध्यमों में हिन्दी :-

लिपि की वैज्ञानिकता के कारण इसे व्यापक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। वेबसाइटों में इसका बढ़ता प्रयोग इसकी लोकप्रियता का संकेत है। ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-बुक, इंटरनेट, एस एम एस एवं वेब जगत में इस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, आई बी एफ तथा ओरेकल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों द्वारा भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विदेशी वेबसाइटों में हिंदी भाषा का प्रयोग :-

इसी प्रकार अब यह भी देखने में आने लगा है कि बहुत से देश अपने वेबसाइट में हिंदी के शब्दों, विज्ञापनों एवं सूचनाओं को अपलोड करने लगे हैं। यह हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता एवं उसमें छिपी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संभावनाओं का प्रभाव है। प्रवासी भारतीयों के साथ साथ-साथ अपनी जनता के मनोभावों को आह्लादित करने के लिए कई देशों में रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रसारण किए जाते हैं, जिसका सबसे सशक्त उदाहरण बी बी सी है। ये सूचना तंत्र भारतीयता के संबल को बचाए रखने में विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो होते ही हैं। साथ ही उन चैनलों अथवा रेडियो सेवा प्रदान करने वाले संस्थाओं के लिए आय का मुख्य साधन भी हैं। विश्व की 18 प्रतिशत लोगों द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी को स्थान दिया जा रहा है। यू.ए.ई. के 'हम एफ-एम' सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें 'बी बी सी', जर्मनी के 'डॉयचे वेले', जापान के 'एनएचके वर्ल्ड' और चीन के 'चाइना रेडियो इंटरनेशनल' की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इंटरनेट, मोबाइल, सेटलाइट फोन आदि में हिंदी लिखी जा रही है। फेसबुक, आरकुट, ट्विटर ब्लॉग आदि पर सभी लोग बखूबी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। फिजी में 'रेडियो नवरंग' एकमात्र ऐसा रेडियो स्टेशन है, जिसके 24 घंटे हिंदी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। फिजी सरकार द्वारा सूचना-मंत्रालय के माध्यम से सरकारी कार्यों और उपलब्धियों पर 'नवज्योति' नामक त्रैमासिक हिंदी-पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है।

वैश्विक शिक्षण संस्थाओं में हिंदी :-

विश्व के लगभग एक सौ पचास से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। लगभग 74 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने का प्रावधान है। केवल अमेरिका के ही 75 विश्वविद्यालयों में हिंदी-शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

विदेशी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी :-

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूसी तथा अन्य भाषाओं में भी हिंदी साहित्यकारों की कृतियों का विशद अध्ययन हुआ है। सन 1978 में सूरदास की कालजयी कृति 'सूरसागर' के कुछ पद 'कृष्णायन' शीर्षक से जर्मन, रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में अनूदित होकर दो खण्डों में प्रकाशित हुए। मारीशस में दि.15 मार्च, 1909 से 'हिंदुस्तानी' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है।

जापान में हिंदी सिनेमा के माध्यम से हिंदी शिक्षण में नयी क्रांति आई है। टी वी धारावाहिकों और नाटकों में भी हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। प्रमुख हिंदी धारावाहिक रामायण को हिंदी पाठ्य-सामग्री में शामिल किया गया है। रामायण की एनीमेशन फिल्म भी काफी लोकप्रिय है। जर्मनी के लोठार लुत्से भारत में जर्मनी के सांस्कृतिक केंद्र मैस्कमूलर केंद्र के निदेशक रहे। इनकी पत्नी बारबरा लुत्से भी इस केंद्र की निदेशिका रहीं। इनके द्वारा हिंदी कवियों की रचनाओं का पाठ और हिंदी गोष्ठियों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है। हिंदी के कई कवियों की कविताओं का जर्मन भाषा में अनुवाद की बातें सामने आई हैं। ब्रिटेन, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हिंदी कहानीकारों को हर साल तेजिंदर शर्मा कथा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रमुख अंग्रेजी हिंदी सेवी रूपर्ट स्नेल द्वारा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया है। इनके द्वारा ब्रजभाषा में कविताओं की रचना भी काफी लोकप्रिय है। 'टीच योरसेल्फ हिंदी' और 'बिगिनर्स हिंदी

स्क्रिप्ट' विदेशी छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

रूस में भी हिंदी का अध्ययन एवं अध्यापन और प्रचार-प्रसार काफी होता है। हिंदी के स्तरीय प्रकाशन में 'सोवियत संघ' और 'सोवियत नारी' नामक हिंदी मासिक पत्रिकाएँ आती हैं। उल्लेखनीय है कि रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद वहाँ के जनमानस में काफी लोकप्रिय है। चीन जैसे देशों में भी 'चीन सचित्र' नामक एक हिंदी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यह विश्व की 19 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होती हैं। हिंदी में इसके 326 अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इसका मुद्रण एवं प्रकाशन बीजिंग से होता है।

आधुनिक युग प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। आज के दौर में संचार के माध्यमों ने हिन्दी के विकास पर व्यापक प्रभाव डाला है इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने हिन्दी की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भविष्य की स्थिति को भी प्रभावित किया है। हर रोज़ भारत में सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिन्होंने हिन्दी भाषा को लोग प्रिय बनाने में अहम् योगदान प्रदान किया है। "जनसंचार माध्यमों के वर्चस्व से पहले हिन्दी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आजादी की लड़ाई में जबाने हिन्द का दर्जा हासिल कर ही लिया था। स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्र की स्थापना में शासन को जनता के साथ जोड़ने में हिन्दी के साथ संचार माध्यमों ने महती भूमिका निभाई।"² दूरदर्शन के माध्यम से भी हिन्दी की लोकप्रियता में समृद्धि हुई है। तकनीकी व प्रौद्योगिकी के विकास होने के साथ ही मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। कम्प्यूटर युग के विकास होने से हिन्दी भाषा के क्षेत्र में भी अधिक विकास हुआ है। इंटरनेट के प्रयोग के कारण लोगों को हिन्दी साहित्य के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो रही है क्योंकि साहित्य लेखन के क्षेत्र में कम्प्यूटर ने अहम् योगदान प्रदान किया है।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि विश्व में बदलते आर्थिक और सामाजिक परिवेश के कारण हिन्दी आज भारत की भाषा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की भाषा बनती जा रही है कहा तो यहां तक भी जाता है कि भविष्य में हिन्दी विश्व में दूसरे नंबर की भाषा का दर्जा हासिल कर लेगी। हिन्दी भाषा में आज अनेक अंग्रेजी भाषा के शब्दों का मिश्रण हो रहा है जिसके कारण भविष्य में इसकी मानक स्थिति पर संकट मंडरा सकता है। "हिन्दी के विकास से जुड़ी सभी संस्थाओं का आज यह दायित्व है कि वह भाषा को मात्र साहित्य सृजन तक ही सीमित न करे वरन् इस भौतिकवादी में भाषा को मार्केट की भाषा बनाये और जॉब ओरियन्टेशन से जोड़ें। भविष्य में उसे विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि हेतु तैयार करें।"³ इस तरह हिन्दी के शुद्ध रूप को परिमार्जित करते हुए भविष्य में इसका स्वरूप उज्ज्वल बन सकता है तथा विश्व की दूसरे नम्बर पर आने वाली भाषा बन सकती है। अंतः हिन्दी की विश्व स्तर पर फैलाने के लिए इसमें शुद्धता का होना अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रभाषा किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। यही कारण है यदि हमें अपने समाज सही दिशा में ले जाना हो तो भाषा की तरफ ध्यान देना अति जरूरी है। हमारी हिन्दी पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरोये हुए है जो भविष्य में भी भारत के गौरव को बढ़ायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सुखदेव सिंह मिन्हास, वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी, उन्मेश प्रकाशन, दिल्ली 2012, पृ. 102
2. वही, पृ. 103
3. सुधा जितेन्द्र, अनीता नरेन्द्र (सपा.), हिन्दी की बहुआयामी प्रासंगिकता, भारत पुस्तक भंडार, दिल्ली, 2001, पृ. 100
4. डॉ. सत्यदेव सिन्हा, भाषा और समीक्षा बिन्दु, लोक भारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, 2006, पृ. 145



अलख नन्दन के नाटकों की रंगभाषा और हिंदी

चंदा बेड़नी, राजा का स्वांग, उजबक राजा तीन डकैत, जगर मगर अंधेर नगर, स्वांग शकुंतला के विशेष संदर्भ में)

चन्द्र पाल

शोधार्थी, हैदराबाद विश्वविद्यालय।

अलख नन्दन ने अपने रंगकर्म की शुरुआत लगभग आपातकाल के दौरान हरिशंकर परसाई की 'विवेचना' के बैनर तले जबलपुर में की थी। अलखनन्दन जी को हरिशंकर परसाई, ज्ञानरंजन, मंजूर एहतेशाम, बव कारंत का आजीवन साथ मिला। अलखनन्दन ने अपना अध्ययन साहित्य के विद्यार्थी के रूप में ही किया था। उन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा हिंदी विषय के साथ ही उत्तरीर्ण की थी, बावजूद इसके उन्हें अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू भाषाओं सहित भोजपुरी, बुन्देली और छत्तीसगढ़ी की गहरी समझ थी। हिंदी भाषा में ही उन्होंने उपरिलिखित नाटकों की रचना की है। यद्यपि इन नाटकों में आपको बोलियों की सुगंध मिल ही जाएगी। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि उनका हृदय प्रथतः और अंततः कवि का हृदय था।

इसके माध्यम से हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी चन्द्र पाल ठोस उदाहरणों और पुष्ट प्रमाणों के साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियों, रायों के माध्यम से अपनी बात करेंगे। इस शोधालेख में आप अलखनन्दन जी के संक्षिप्त परिचय से भी अवगत हो सकेंगे। यद्यपि सहायक ग्रन्थों का नितांत अभाव है लेकिन मूल नाटकों का अभाव नहीं है। अलखनन्दन पर कम लिखा गया है। यह शोधार्थी का उन पर प्रथम शोध है। लेकिन शोधार्थी ने उनसे जुड़े लोगों के साक्षात्कार लिए हैं। इस का अधिकांश हिस्सा शोधार्थी का मौलिक विश्लेषण, चिंतन तथा पठित अंश पर आधारित है।

अलखनन्दन :-

अलखनन्दन का जन्म ग्राम कल्याणपुर, जिला भोजपुर बिहार में पचास के दशक में हुआ था। आपके पिता ऑर्डिनेंस विभाग जबलपुर में कार्यरत थे। अलखनन्दन बहुमुखी प्रतिभा और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अतः आप भी बहुत बचपन में ही जबलपुर आ गए थे। लेकिन आजीवन अपने गांव और राज्य के बारे में सोचते रहे। उनकी कविताओं में यह दर्द मुखर अभिव्यक्ति पता है। अतः आपके जीवन पर भोजपुर और बुंदेलखंड तथा छत्तीसगढ़ के जीवन की जीवंतता, जीवटता, जिजीविषा और कर्मठता की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। आपने स्वाध्याय और गहन परिश्रम उपरांत ही अपने को एक सफल रंगनिर्देशक और नाटककार में तब्दील किया था। बिहार-बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा, बुंदेलखंड का लोकजीवन जैसे उनमें एकाकार हो गया है। अलखनन्दन की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा जबलपुर में ही सम्पन्न हुई है। अलखनन्दन मूलतः तो कवि चरित्र हैं। अलखनन्दन काफी अर्से तक छत्तीसगढ़ में भी रहे। अर्थात् उनके व्यक्तित्व में कोई कहना चाहे तो कह सकता

हैं कि उनका एक छत्तीसगढ़ी अंदाज भी था। अलखनन्दन ने शुरुआत पेशेवर तौर पर बतौर पत्रकार छत्तीसगढ़ से की थी। उनदिनों छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। अलखनन्दन बहुपठित और गहन अध्येता के रूप में हमारे सामने आते हैं। अलखनन्दन ने जो भी अर्जित किया है वह उन्हें विरासत में तो कतई नहीं मिला। अलखनन्दन ने एक बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित किया है। वह हमारे समक्ष कई रूपों में आते हैं मसलन कवि, पत्रकार, अभिनेता, नाट्य निर्देशक, नाटककार तथा ऑर्डिनेंस कर्मचारी इत्यादि। अलखनन्दन की रचनात्मक यात्रा लगभग चार दशकों तक बिखरी पड़ी है।

इसको अध्ययन की सुविधा के लिए मौटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है यथा जबलपुर का रंगमंच, भारत भवन रंगमंडल और बवकारंत के साथ का रंगकर्म तथा नटबुन्देले के नाट्य समूह के बैनर तले उनका स्वतंत्र रंगमंच। कविताएं भी लिखते रहे हाँ कम जरूर हो गई थीं व्यस्तताओं के चलते। जानकार बताते हैं कि अलखनन्दन के पूर्व जबलपुर में जो रंगनाट्य था वो बहुत परंपरागामी, महिमा मंडन से ग्रसित, पौराणिक किस्म का तथा जनसरोकारों से कटा हुआ था। अलखनन्दन पहले व्यक्ति जबलपुर में हुए जिन्होंने हरिशंकर परसाई की सांस्कृतिक संस्था 'विवेचना' के तहत नाटक को बड़े पैमाने पर जनसरोकारों और प्रतिरोध की परंपरा से जोड़ा। अलखनन्दन का उठना बैठना भारत और पाश्चात्य के तमाम नामीग्रामी, बहुभाषी कवियों और रंग निर्देशकों और साहित्यकारों के बीच था। अलखनन्दन ने जबलपुर बासियों को आधुनिक रंगकर्म के प्रथमतः दर्शन कराए थे। यूँ अलखनन्दन इप्टा से भी कुछ समय के लिए जुड़े रहे हैं। शुरुआती समय में आप लोहिया से प्रभावित रहे हैं। बाद के दिनों में आपको ज्ञानरंजन, हरिशंकर परसाई इत्यादि का भी सानिध्य मिला है। और आप पर वामपंथ की झलक भी देखने को मिलती है। यद्यपि आप समाजवादी थे और आपका समाजवाद मार्क्स उन्मुख समाजवाद था। आपकी निर्भीकता, निडरता सभी को अचम्भित करती है। जो कहते डंके की चोट पर कहते। चुनौतियों से टकराना कोई अलखनन्दन से सीखे। अलखनन्दन रंग-प्रसंग और नटरंग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपने अन्य नाटककारों द्वारा लिखित नाटकों का निर्देशन भी किया है।

आपके द्वारा लिखित कुछ मौलिक नाटक इस प्रकार हैं— राजा का स्वांग, उजबक राजा तीन डकैत, जगर मगर अंधेरे नगर, स्वांग शकुंतला, चंदा बेड़नी तथा सलौनी गोरेया, मुक्ति संग्राम इत्यादि। आपका एक कविता संग्रह 'घर नहीं पहुंच पाता' शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। अलखनन्दन का जोर प्रस्तुतियों पर ज्यादा रहता था। उनके व्यक्तित्व में जल्दबाजी नहीं थी। नाटक मंच पर उतारने के लिए वह काफी समय लेते थे। अलखनन्दन ने लगभग सभी तरह का रंगकर्म किया है। एक तरफ उन्होंने गिनी पिग, अंडोरा, वेटिंग फॉर गोदो, क्लर्क की मौत तथा जज जैसे पाश्चात्य नाटक किये। तो वहीं मराठी के नाटक 'भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला' और महानिर्वाण भी किये। महानिर्वाण में तो ब व कारंत ने भी भाऊराव की भूमिका अदा की थी। संस्कृत का नाटक भगवदुज्जकम और धूर्त समागम भी किया। अलखनन्दन ने कविताओं का रंगमंच भी किया जिसमें मुक्तिबोध की कविता 'अंधेरे में', श्रीकांत वर्मा की कविता 'मगध' तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का कोलाज 'काव्यरंग' शामिल हैं। अलखनन्दन ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में नाट्य कार्यशालाएं ली थीं। उन्होंने बाल रंगमंच भी किया है। अलखनन्दन अपने पीछे एक लंबी शिष्य परम्परा छोड़ गए हैं। उनके बहुत सारे नाटक संगीत नाटक अकादमी की परियोजनाओं और भारत रंग महोत्सव, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हिस्सा रहे हैं। लोकनाट्य, ब्रेख्त पद्धति का नाटक, विसंगति बोध के नाटक, बाल रंगमंच, कविता का रंगमंच, कहानी का रंग मंच

पाश्चात्य और आधुनिक रंग से जो व्यक्तित्व खड़ा होगा वह अलखनन्दन कहलाएगा। अलखनन्दन का रंगकर्म हबीब तनवीर, बव कारंत के नजदीक का है। मणि कौल से उनकी गाढ़ी मित्रता थी। ध्यातव्य हो आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अलखनन्दन आठ भाई बहन थे। सबसे बड़े होने के नाते जिम्मेदार भी बहुत थे और जिम्मेदारियां भी बहुत थीं। अलखनन्दन का विवाह रेखा वर्मा जी से हुआ जो छत्तीसगढ़ी थीं। अब अलखनन्दन जी ने और उनकी धर्म पत्नी ने हमें अलविदा कह दिया है। उनका एकलौता बेटा अंश पायन सिन्हा जो कि पिता की विरासत को आगे किसी न किसी रूप में आगे बढ़ा रहा है। अलखजी का बाहरी व्यक्तित्व तो अत्यंत कठोर था लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील और कोमल था। अब मुद्दे पर आते हैं।

रंगभाषा :-

अलखजी के नाटकों की भाषा सुगठित, संयमित होती है। नाटकों की भाषा पर वह खूब विचार करते थे। अपने नाटकों में वह कविताओं और गीतों और लोकगीतों का तथा लोकधुनों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते थे। नाटकों में उनके वाक्य छोटे छोटे स्पष्ट और सरल और सहज होते हैं। कहीं आप उनकी लिखी हिंदी या बोली में दुरुहता का अनुभव नहीं करेंगे। इससे हिंदी की समृद्धि में इसलिए मानता हूँ कि उनके रचने एक लोकपन की छटा आपको देखने को मिलेगी। जब लोक के भूले बिसरे शब्द आपको देखने को मिल जाएं तो क्या कहना? उनकी भाषा चुस्त दुरुस्त है घिघियाने वाली नहीं। आर्तता, दीनता उनकी रंगभाषा की विशेषता नहीं है। वाक्यों का सटीक और संक्षिप्त रूप आपको सर्वत्र उनके नाटकों में मिलेगा। जैसा की वह हबीब तनवीर, बव कारंत के नजदीक रहे हैं। उनकी भाषा में एक चुटीलापन, व्यंग्यात्मकता भरी है। अलखनन्दन की भाषा उनके नाट्यमंचन में संघर्ष को जन्म देने में सक्षम है। उनके स्वलिखित नाटकों में एक बुन्देलियत के दर्शन हो जाना स्वाभाविक सा है। आपके नाटकों की रंगभाषा में गीत, ग्रामीण लोकगीत जान डालते चलते हैं।

‘जगर मगर अंधेर’ नगर पढ़ने के मैं कह सकता हूँ कि आपमें एक भारतेंदु जरूर थे उनका प्रभाव भी आपमें स्पष्ट झलकता है। आपने भी इस नाटक में संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों खूब तोड़ा मरोड़ा है और उससे हास्य उत्पन्न करने की सफल कोशिश की है। आपके नाटकों की रंगभाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसके संवाद लम्बे चौड़े नहीं हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार ही रखे गए हैं जिनसे दर्शक बँधे रहते हैं ऊबते नहीं है। बुन्देली स्वांग शैली रचित उनका नाटक है ‘उजबक राजा तीन डकैत’ इससे एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। गजब का हास्य और व्यंग्य से भरा यह संवाद देखिये :-

दूत : सावधान! अरना खेड़ा के महाप्रतापी सम्राट, राजा रेशमलाल, प्रजा-दरबार में दर्शन देने आते हैं। दर्शनाभिलाषी कतार में दाएँ और बाएँ हो जाएँ। कोई अपनी तरफ से कुछ न बोले, न मुह खोले। जब तक महाराज न पूछें, जवाब न दें, जब तक आज्ञा न हो सवाल न करें। चीखना, चुप होना, छींकना, खंखारना, हँसना-रोना सब बन्द। राजा साहब की सवारी आती है।

होशियार..... पृ. 15, उजबक राजा तीन डकैत

अब दो उदाहरण आप ‘जगर मगर अंधेर नगर’ से देखिए आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद न हो आये ऐसा एकदम असम्भव है। अंग्रेजी और संस्कृत से कैसे उनकी रंगभाषा भाषा बन रही है :-

‘विदूषक - 1. मूर्खताचमे कायरत्वचमे धक्काचमे गरदनियाचमे हँसी चमे भ्रष्टताचमे आजादीचमे.....

विदूषक :- 2. रिसेप्शनश्चते इल्यूमिनेशनश्चते टैक्शचते—चुंगीचते जमाचते जुर्मानाचते' पृ. 2, जगर मगर अंधेर नगर।

उनका लिखा एक बुन्देली ठसक से भरा लोकगीत देखिये जो उन्होंने बुन्देली स्वांग भड़ैती शैली या कहे आल्हा गायन की तर्ज पर लिखा है :-

'गायक :- एक जनेऊ फिसले तो,
हजार जनेऊ कस- कस जांय,
आगे चन्दा चली लखन फिर,
पीछे सारे बाम्हन धाय,
सीताराम सीताराम।

प्रेम से ऐसी नफरत निकली,
जिसकी लीला बरनि न जाय,
बिदो बिदौना मची फजीहत,
लखन के बाप पे सब गुर्राय
छी छी छी छी छी राम।

सीताराम सीताराम' ।। पृ. 34, चंदा बेड़नी

अलखनन्दन का एक नाटक राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 'वोल्गा से गंगा' की एक कहानी 'सुदास' पर आधारित है जिसको उन्होंने बुंदेलखंड की स्वांग परंपरा के अंतर्गत तैयार किया है। नाटक का नाम है 'राजा का स्वांग' इस नाटक में गणतंत्र, राजतंत्र के बीच के द्वंद्व को अत्यंत सघनता के साथ चित्रित किया गया है। उनकी रँगभाषा की सुगठता का एक उदाहरण देखिये और साथ उनकी संयमित हिंदी का भी। आपको 'अंधा युग' का स्मरण होना लाजिमी है :-

समीर :- हर बात पर प्रजा का कंकाल कहता है सुखी हैं हम, सुखी हैं हम। इसीलिए राजा वही होगा जो राजा होना चाहिए। क्योंकि देखना होगा कि प्रजा के सुख के विरुद्ध कौन-कौन दुःखी है, इसीलिए जो राजा नहीं होना चाहिए वह राजा नहीं होगा।' पृ. 27, राजा का स्वांग।

अपने नाटकों की रँगभाषा को अलखनन्दन जी माँजते रहते थे परिमार्जन, संशोधन चलता रहता था। उनकी रँगभाषा गत्यात्मक थी। हमेशा सोचते थे कि कैसे कुछ बेहतर हो सकता है? और अंत में उनके नाटक 'स्वांग शकुंतला' से उद्धरण दिया जा रहा है जिससे आपको अलखनन्दन की रँगभाषा का अंदाजा लग जायेगा—

शकुंतला :- हे स्वामी, मालगुजार दुष्यंत ने मुझसे गन्धर्व विवाह किया। मेरे पूज्य बापू कण्व ने जब मुझे उसके घर रहने के लिए भेजा तो उसने मुझे पहचानने से इन्कार कर दिया। बंदूक दिखाई, राक्षस जैसे हँसा, अपमान किया। अपनी दी हुई अंगूठी दिखाने पर मुझे तिरिया चरित्तर कहा और घर से निकाल दिया। एक सहारा थे गहू भैया जिनने गंधर्व विवाह की वीडियो फिल्म बनाई थी वे बम्बे चले गए। कोई सबूत नहीं बचा। क्या दावा करूँ? कहाँ जाऊँ स्वामी, मैं क्या करूँ? मेरी कोख में पापी दुष्यंत का टुकड़ा है।' पृ. 24, 25, स्वांग शकुंतला, अंक 73, नटरंग।

मो. नं. 6393177918



हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर

आरती सोनी

शोधार्थी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

सारांश :-

विश्व की प्राचीन और समृद्धि भाषा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी दुनियाभर में हमें सम्मान दिलाती है। देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में या अन्य किसी देशों में जाते हैं तो हिंदी भाषा आना बहुत जरूरी है। आप हिंदी भाषा के जरिए रोजगार के उद्देश्य से लोगों के समक्ष अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। जो युवा हिंदी में बात करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उन्हें यह सोच बदलनी होगी। क्योंकि यही हिंदी भाषा उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाने में तथा रोजगार दिलाने में सक्षम हैं, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। आज हिंदी में अनेक संभावनाएं हैं।

कुंजी :- हिंदी, हिंदी भाषा में रोजगार, हिंदी शिक्षण।

परिचय :-

मनुष्य को अपने जीवनयापन के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और उसके लिए रोजगार की जरूरत होती है। रोजगार मनुष्य के जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में कंप्यूटर, तकनीकी, चिकित्सा, विज्ञान के अतिरिक्त तमाम मानकीय विषयों के अध्ययन में रोजगार की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी भाषा रोजगार परक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली अग्रणी भाषाओं में एक नाम हिंदी का है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को बिल्कुल ना जानने वाले बहुत कम हैं। आज के समय में हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। वास्तव में हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो तेजी से लोगों के बीच में लोकप्रिय होती जा रही है। हिंदी को पढ़ने और समझने वाले भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों मारीशस इंडोनेशिया, फिजी, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, टोबेको, चीन, सुरीनाम इत्यादि देशों में हैं, जिससे हमें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलने की संभावनाओं की दर बढ़ जाती है।

विश्व की प्राचीन और समृद्धि भाषा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी दुनियाभर में हमें सम्मान दिलाती है। देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन् 1949 में हिंदी दिवस को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी कारण हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन ही हिंदी भाषा की महत्ता, इसकी पहुंच, इसके सम्मान आदि को लेकर बात करते हैं।

हिंदी भाषा प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु है। क्योंकि हिंदी दिल की भाषा है,

संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा है। हिंदी भाषा लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। हिंदी भाषा और रोजगार का काफी गहरा संबंध है। हिंदी की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ी है और इसके क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी ने अपनी दस्तक विश्व के लगभग सभी देशों में दी है। लगभग 70 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन आज के समय में जिन लोगों को अच्छी हिंदी आती है, उनके पास रोजगार के कई अवसर हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है हिंदी भाषा के द्वारा हम शिक्षा, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफार्म पर हिंदी का बोलबाला है। इसके साथ ही हिंदी में रोजगार या भविष्य बनाने की अपार संभावनाएं हैं।

यदि हम हिंदी को अच्छी तरह से आत्मसात कर ले तो निश्चित ही रूप से हमें रोजगार का अच्छा अवसर प्राप्त होगा।

भारतवर्ष में हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर भी अपनी खास पहचान बनाई है। भारतीय साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, विज्ञान को जानने के लिए विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए अलग से हिंदी भाषा विभागों की स्थापना की गई है। भूमंडलीकरण मुक्त व्यापार के चलते भी पूरा विश्व एक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। वे परस्पर एक दूसरे दूसरे की भाषा को सीखना चाहते हैं, यह मौजूदा समय की मांग भी है। अतः हिंदी भाषा रोजगार की दृष्टि से ही अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है।

हिंदी भाषा में रोजगार :-

वर्तमान भाषाई प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हिंदी भाषा का रोजगार के अवसर के रूप में पर्याप्त प्रसार हुआ है। इसे हम कुछ बिंदुओं से जान सकते हैं— सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों में हिंदी भाषा रोजगार के तमाम अवसर प्राप्त किये जा सकते हैं :-

1) **शिक्षा के क्षेत्र में :-** हिंदी का अध्ययन करने वालों के बीच शिक्षण आजीविका के लिये बेहतर विकल्प के रूप में एक पारंपरिक अवसर बन चुका है। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के लोकप्रिय अवसर उपलब्ध रहते हैं। और उसे सदा बहार अवसर माना जाता है। हिंदी शिक्षण के कई निजी पाठ्यक्रम स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के रूप में देखे जा रहे हैं। भारत सहित विश्व के कई देशों में हिंदी का अध्ययन व अध्यापन किया जाता है। इसके लिए संस्थानों को पर्याप्त मात्रा में योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रवासी अन्य विदेशी लोग भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को जानने समझने के लिए स्वयं तथा अपने बच्चों को हिंदी भाषा की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, जो कि हिंदी भाषा को रोजगार परक बनाती है। अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी स्तर पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में एम. ए. अनुवाद में डिप्लोमा, हिंदी में सृजनात्मक डिप्लोमा, प्रयोजनमूलक हिंदी में डिप्लोमा, बी.एड., एम.एड. में हिंदी विषय का शिक्षण इत्यादि कोर्स संचालित किए जाते हैं। जिनकी योग्यता या उपाधि हासिल कर कोई भी व्यक्ति अपने रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकता है।

2) **अनुवादक द्विभाषिया :-** सरकारी विभागों से लेकर निजी कार्यों में अनुवादक के रूप में कई अवसर उपलब्ध हैं। कई संस्थानों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व अर्ध सरकारी विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। इसलिए इन विभागों में बहुत प्रकार के पद सृजित किए गए हैं जैसे हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक या राजभाषा सहायक, लिपिक प्रबंधक इत्यादि क्या है। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम, डी आर डी ओ, सरकारी व गैर सरकारी बैंक, भारतीय पटल प्राधिकरण, अर्धसैनिक बल में भी हिंदी अधिकारियों व अनुवादकों के पद भरे जाते हैं। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न समाचार स्रोतों से अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों की एक अच्छा अनुवादक ही हिंदी भाषा में अनुवाद कर सकता है। अतः अनुवादक के रूप में इस क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं।

3) **संचार के क्षेत्र में :-** संचार माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा में रोजगार के कई अवसर प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन का क्षेत्रीय व अन्य क्षेत्रीय चैनल, डीडी भारती, डीडी न्यूज, लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी, हिंदी भाषा में समाचार प्रसारण, धारावाहिक ज्ञान दर्शन, स्वास्थ्य समाज के कल्याण व साहित्य से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम हिंदी में किए जाते हैं। दृश्य माध्यम के बढ़ते प्रभाव से रेडियो का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है बल्कि आज भी प्रतिस्पर्धा के दौर में नए आयाम स्थापित किए हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादकों, पत्रकारों, संवाददाताओं, उप संपादक, प्रूफ रीडर, रेडियो जाकी एंकर आदि की आवश्यकता होती है। अध्यक्षता होती है इन लोगों का कार्य अधिकांश हिंदी में होता है पत्रकारिता/जनसंचार की डिग्री डिप्लोमा की योग्यता के साथ एक से अधिक स्थानों पर नौकरी पा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी कई प्रमुख हिंदी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशित हेतु हिंदी भाषा में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं।

4) **स्क्रिप्ट राइटिंग :-** फिल्मों धारावाहिकों और विज्ञापन कंपनियों में स्क्रिप्ट रायटर्स की मांग कम नहीं है प्रिंट मीडिया में भी क्रिएटिव व तकनीकी लेखों की जरूरत बनी रहती है।

5) **इंटरनेट के क्षेत्र में :-** आज हिंदी की कई वेबसाइट उपलब्ध हैं विभिन्न हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के पोर्टल एवं ब्लॉग भी इंटरनेट पर हैं। ऐसे में पोर्टल पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर की जरूरत अब हिंदी भाषा छात्रों को भी इस क्षेत्र में अच्छे रोजगार मिल रहे हैं।

6) **प्रतियोगी परीक्षा में :-** हिंदी में स्नातक करने के बाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर बैंक, न्यायिक सेवा, सिविल सर्विस और स्टेट सर्विस के अलावा रेलवे बैंक आदि में भी नौकरी के बेहतर अवसर हैं।

7) **लेखन व संपादन के क्षेत्र में :-** स्वतंत्र रूप से लिखने वाले लेखक विविध प्रकार का साहित्य जैसे कविता, कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटक, निबंध, फीचर इत्यादि हिंदी भाषा में लिखकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

8) **पर्यटन के क्षेत्र में :-** भारत में पर्यटन सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के कुल रोजगार का 8.78 प्रतिशत योगदान पर्यटन का है। भारत में वार्षिक तौर पर 50 लाख विदेशी व्यक्ति पर्यटन घूमने आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में किसी विदेशी भाषा के अलावा हिंदी भाषा का जानकार होना इस प्रोफेशन के लिए महत्वपूर्ण योग्यता है। इस लिए घरेलू पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में, हिंदी भाषा का जानकार होने से रोजगार पाने में आसानी होती है।

9) **प्रकाशन :-** आज भारत में सर्वाधिक प्रकाशन हिंदी में है। चाहे विज्ञापन हो या पुस्तकें या समाचार पत्र

हो। नए दौर में विश्व की सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताबों का अनुवाद हिंदी भाषा से हो रहा है। इसमें भी अच्छी हिंदी जानने वालों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर हैं।

निष्कर्ष :-

भारत में या अन्य किसी देशों में जाते हैं तो हिंदी भाषा आना बहुत जरूरी है। आप हिंदी भाषा के जरिए रोजगार के उद्देश्य से लोगों के समक्ष अपनी बात को आसानी से रख सकते हैं। जो युवा हिंदी में बात करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उन्हें यह सोच बदलनी होगी। क्योंकि यही हिंदी भाषा उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाने में तथा रोजगार दिलाने में सक्षम हैं, फिर चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। आज हिंदी में अनेक संभावनाएं हैं।

‘हिंदी ने सबको बनाया है

अब हिंदी सबकी बनेगी।’

भाषा को समझना होगा ऐसा हो भी रहा है यदि इस अवसर का लाभ उठाया जाए तो हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. हिंदी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, संस्करण – 1995, पेज नं. 175
2. हिंदी महत्वपूर्ण विधा : यात्रा साहित्य, करुणा सक्सेना— आर. जे.आई.एफ –2017, पेज नं. 74
3. हिंदी की प्रसंगिकता, गजानंद झा – 2011, पेज नं. 184
4. हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, मंजू रानी – मानसरोवर, प्रकाशन—2017 पेज नंबर – 68 से 77

arti3456865@gmail.com



हिंदी में रोजगार

संदीप कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, यमुनानगर।

‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कोमूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय के सूल’।

अर्थात् मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। हिन्दी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनियाभर में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 55 करोड़ से ज्यादा है, वहीं हिन्दी समझ सकने वाले लोगों की संख्या करीब 1 अरब से भी ज्यादा है। देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। यही कारण है कि हम हर वर्ष आज के दिन हिंदी को कुछ ज्यादा ही याद करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जिस तरह एक घर में मांके बिना घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा और वह भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसे हृदय से जोड़ना होगा।

आधुनिक समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे-धीरे एक संकुचित दायरे में सीमित जाती है। अंग्रेजी के अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण व्यवसाय है। केवल शौक के लिए किसी भाषा को सीखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं। आज हिंदी भाषा को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग एक सौ सैंतीस देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः सौ करोड़ है। नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक पहले भारत के अंग थे। यहां हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही हैं। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित हैं। उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसे देवनागरी में लिखा जाए तो वह हिंदी ही है। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है, बल्कि बोलती भी है।

विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदम से कदम मिला रही है। जब भी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती है और वह है रोजगार की संभावना। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से नई दृष्टि से हिंदी को देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत स्वरूप और अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती हैं, उसकी प्रयोजनीयता की भी संभावनाएं होती हैं। यह संभावनाएं हिंदी में भी हैं।

हिंदी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों के लिए दल दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस-विज्ञापित, अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उपविभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप-प्रबंधकों के रूप में रखे जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद बनाए गए हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अब हिंदी का ही दबदबा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में करियर की भी बहुत संभावना है। हिंदी का अध्ययन करने वालों के बीच अध्यापन एक पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में लोकप्रिय है। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के अवसर योग्यतानुसार उपलब्ध रहते हैं और इसे सदाबहार कैरियर माना जाता है।

हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोजगार का एक आकर्षक विकल्प है, जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस दौर में हिंदी अखबार और न्यूज चैनल की संख्या भी काफी है। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र-पत्रिकाएं हैं जहां हिंदी भाषी प्रतियोगिताओं के लिए दरवाजे खुले हैं। ट्रांसलेशन यानि अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दुनियाभर में जैसे-जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे-वैसे अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग बढ़ती जा रही है। कई देशी-विदेशी मीडिया संस्थान, राजनैतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े-बड़े होटलों में अनुवादकों और दुभाषियों की अच्छी खासी मांग है। रचनात्मक लेखन जिसे आज के युवाओं की भाषा में क्रिएटिव राइटिंग कह सकते हैं, इस क्षेत्र में 'स्वतंत्र लेखन' और नियमित लेखन किया जा सकता है। फिल्म, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, पोर्टल आदि क्षेत्रों से जुड़कर हिंदी में लोकप्रिय लेखन किया जा सकता है और बाहर रहकर भी सेवाएं दी जा सकती हैं। हालांकि दोनों में कोई ज्वालदा अंतर नहीं है। दोनों ही रूप में आप काम एक ही कर सकते हैं। ब्लॉग लेखन (BlogWriting) भी एक विकल्प है।

हिंदी न केवल एक भाषा बल्कि अर्थोपार्जन का जरिया है। इस भाषा में पारंगतता से न सिर्फ शैक्षणिक क्षेत्र बल्कि निजी सेक्टर विशेष रूप से फिल्म एंड टेलीविजन सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा रेडियो और आकाशवाणी में भी हिंदी भाषा के जानकारों की जरूरत सदैव रहती है। भारत में हिंदी मीडिया में

भी काफी रोजगार उपलब्ध हैं। नई हिंदी के जो क्षेत्र उभरे हैं उनमें यदि छात्र दक्षता हासिल कर लेता है तो सिनेमा में पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन, में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। टीवी में विज्ञापन लेखन में भी भारी मांग है। वर्तमान परिवेश में हिंदी के साथ अंग्रेजी और किसी भी स्थानीय भाषा बोली का अध्ययन रोजगार की नई दिशाएं स्पष्ट करता है। आज प्रकाशन विज्ञापन, भाषण लेखन, आदि में अनुवादकों की भारी मांग है। यदि दोनों भाषाओं के साथ क्षेत्रीय बोली उप भाषा की जानकारी हो तो वैश्विक स्तर पर किए जा रहे शोध कार्यों में शोध सहायक, निजी एफएम चौनलों पर रेडियो एंकर के रूप में न केवल प्रभारी प्रस्तुति दे सकते हैं बल्कि पर्याप्त मात्रा में अर्थोपार्जन भी किया जा सकता है।

आज भारत में सर्वाधिक प्रकाशन हिंदी का है। चाहे समाचार पत्र हो, पुस्तकें हो या विज्ञापन हो। सभी में हिंदी टंकण, प्रूफ रीडिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में हिंदी जानकारों की आवश्यकता है। नए दौर में विश्व की बेस्ट सैलर पुस्तकों का हिंदी अनुवाद का मार्केट भी तेज गति से बढ़ा है। इसमें भी अच्छी हिंदी जानकारों की आवश्यकता है। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। विविध क्षेत्रों में इसकी स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से हिंदी को नई दृष्टि से देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है।

संदर्भ सामग्री :-

1. विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता डॉ. प्रद्युम्न मिश्र – (हिन्दी विभागाध्यक्ष, वैष्णव महाविद्यालय इंदौर)
2. विश्व के प्रमुख देशों में हिन्दी का पठन-पाठन – डॉ. ज्योति।
3. ई-अनुवाद और हिन्दी, किताबघर, नई दिल्ली- डॉ. हरीश कुमार।



हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका

अमित राजावत

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बांदर सिंदरी (किशनगढ़), अजमेर –305817

मानव सभ्यताओं के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भाषाओं का विस्तार 'इस्तेमाल' करने से बढ़ता है। और भाषा के इस्तेमाल (उपयोग) एवं प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि समय-समय पर बदलते रहते हैं। आरंभिक काल में मनुष्य भाषा का प्रसार वाचिक परंपरा में किया करता था, तत्पश्चात जब लिपि का विकास हुआ तो मनुष्य ने अपनी भाषागत अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना शुरू किया एवं ज्ञान को पांडुलिपियों, अभिलेखों के माध्यम से संचित एवं प्रसारित किया गया।

18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुद्रण की शुरुआत हुई एवं इसने साहित्यिक रचनाओं, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन एवं प्रसारण को गति प्रदान की जिससे एक ही साथ किसी भी पत्रिका या पुस्तक की सैकड़ों प्रतियों का एक साथ मुद्रण संभव हुआ एवं उनकी पहुँच का दायरा, देखते ही देखते अत्यंत व्यापक हो गया। इन पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के साथ हिन्दी भाषा का दायरा भी बढ़ता ही गया। तत्पश्चात 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रेडियो एवं उत्तरार्ध में टीवी (टेलीविजन) ने हिन्दी भाषा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया एवं जनता के बीच यह माध्यम अत्यधिक लोकप्रिय हुए क्योंकि पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक शर्त थी परंतु टीवी एवं रेडियो जैसे दृश-श्रव्य माध्यमों के उपयोग के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। 20वीं सदी के अंतिम दशक एवं 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में हिन्दी भाषा के प्रचार एवं प्रसार का कार्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से हुआ एवं आज भी हो रहा है।

आज वैश्वीकरण के इस दौर में सम्पूर्ण विश्व एक 'वैश्विक ग्राम' में तब्दील हो चुका है। जहाँ संस्कृति, परिवेश, परंपरा के साथ-साथ भाषाओं का भी आदान-प्रदान होता है। अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भाषा के इस आदान-प्रदान को मजबूती प्रदान की है आज के सशक्त माध्यम मीडिया ने। आज जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दी विश्व में दूसरी सर्वाधिक बोली एवं प्रयोग की जाने वाली भाषा है। आज भारतवासी चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहे पर सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि मीडिया उपकरणों की वजह से वे सदैव अपने देश, समाज, परिवार एवं अपनी भाषा हिन्दी से जुड़े रहते हैं।

21वीं सदी में सोशल मीडिया के रूप में मीडिया का नया रूप सामने आया जिसका विस्तार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जिससे सामाजिक एवं व्यक्तिगत रिश्ते भी इंटरनेट से जुड़े। सोशल मीडिया सम्पूर्ण विश्व को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि के माध्यम से एक आभासी मंच प्रदान कर रहा है। जिसमें हम अपने यथास्थान पर बने रहते हुए भी लोगों से आभासी रूप में मिल सकते हैं, चर्चा-परिचर्चा कर सकते

हैं, अपनी खुशियां एवं पीड़ाओं को साझा कर सकते हैं। एवं साथ ही अपनी प्रतिभा को अनेक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उदाहरण के लिए आज हर क्षेत्र में स्नेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया एप्स की वजह से प्रसिद्धि पा सकें एवं वैश्विक और राष्ट्रीय फलक पर अपनी अलग पहचान बना पाएँ। सोशल मीडिया एप्स की वजह से इंटरनेट पर हिन्दी लिखने, बोलने वालों की संख्या में अत्यंत वृद्धि होने के साथ-साथ वैश्विक पटल पर भी हिन्दी भाषा को विस्तार मिल रहा है।

हिन्दी भाषा के प्रभाव एवं महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज तमाम एप्स,वेबसाइट्स आदि सोशल मीडिया मंच सभी उपयोगकर्ताओं को हिन्दी भाषा में भी अपनी सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे – फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल आदि ने हिन्दी भाषा का विकल्प देना शुरू कर दिया है। आज हिन्दी के सर्च इंजनों की संख्या 15 से भी अधिक हो गई है, जो किसी भी वेबसाइट या पेज का कुछ ही क्षणों में हिन्दी अनुवाद करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। गूगल एवं याहू जैसे सर्च इंजन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि :-

“हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय से बातचीत हृदय करता है।”

और हिन्दी हृदय की भाषा है। यह बात वर्तमान समय में भी चरितार्थ होती नजर आ रही है क्योंकि आज हिन्दी को अनेक विकसित एवं विकासशील देशों में मान्यता मिल रही है एवं वहाँ यह भाषा न्यायालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में अपनी जगह बना रही है। जैसे हाल ही में आबूधाबी में अदालत ने अरबी और अंग्रेजी भाषा के बाद अब हिन्दी को भी अदालत में तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। क्योंकि वहाँ के भारतीय मूल के नागरिक अपनी मातृभाषा में अपना पक्ष न्याय व्यवस्था के समक्ष मजबूती से रख सकें।

इतना ही नहीं मीडिया ने सभ्यताओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। बीबीसी हिन्दी, द प्रिन्ट, लल्लनटॉप आदि मंच इस बात का प्रमाण हैं की मीडिया किस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी भाषा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आज स्मार्ट फोन के माध्यम से बाड़मेर (राजस्थान) या इम्फाल (मणिपुर) के सुदूरवर्ती गाँव का व्यक्ति भी देश-विदेश में होने वाली घटनाओं से महत्वपूर्ण आयोजनों, गतिविधियों से सीधा जुड़ पाता है।

कोरोना काल जैसी विकट परिस्थिति में मीडिया एवं इसकी परिधि में आने वाले तमाम कारकों ने अपनी उपादेयता को सिद्ध किया है। इस समय में गूगल मीट, जूममीट, स्काइप आदि अनेक ऐसे एप्स अस्तित्व में आए जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व को आभासी मंच के रूप में एक ऐसा विकल्प प्रदान किया जिसमें कोई व्यक्ति अपने यथास्थान पर बने रहते हुए भी सैंकड़ों हजारों लोगों से आभासी रूप में मिल सकता है, चर्चा-परिचर्चा, अध्ययन-अध्यापन, मनोरंजन आदि कर सकता है। इन सभी आविष्कारों एवं प्रयासों की परिणति हम वर्तमान समय में आयोजित हो रहे तमाम ऑनलाइन कार्यक्रमों एवं वर्क फ्रॉम होम जैसी कार्य पद्धतियों के रूप में भी देख सकते हैं।

एक समय था जब यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। परंतु आज बिना किसी अतिशयोक्ति के यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हिन्दी भाषा ने यह स्थान अपनी उपयोगिता एवं स्वतः स्फूर्त ऊर्जा से ही प्राप्त किया है न कि ब्रिटिश साम्राज्य की तरह हिंसा, क्रूरता,

ताकत एवं दमन आदि का प्रयोग करके। हिन्दी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध करने में अनेक विद्वानों ने आरंभ से ही अपना योगदान दिया है जिनमें भारतेन्दु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी आदि शामिल हैं। आज भी अनेक लेखक, कलाकार आदि हिन्दी भाषा एवं साहित्य की सेवा कर रहे हैं य साथ ही लोगों को अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में आशुतोष राणा की यह पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं :-

“अगर हम चाहते हैं हो कदर, हिन्दी की पग-पग पर,
उठें-जागें-भरें हुँकार, पहुँचा दे इसे नभ पर।
अगर भाषा मरी तो, हम भी प्यारे बच नहीं सकते,
भले ही हों करोड़ों गुण, हम कुछ रच नहीं सकते।
महज भाषा नहीं, यह माँ हमारी हम को रचती है,
बचेगी लाज जब इसकी, हमारी लाज बचती है।”

विश्व भर में 150 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का प्रयोग करती है अथवा जानती है। विश्व में करीब 6000 भाषाओं की गणना की गई है जिनमें से बहुत सी भाषाएँ ऐसी हैं जिनके प्रयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। वही कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जो विश्व के अनेक देशों में बोली एवं सीखी जाती हैं। और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारी हिन्दी विश्व की सबसे प्रभावशाली दस भाषाओं में से एक है। सन् 1999 की 'मशीन ट्रांसलेशन शिखर बैठक' में टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होजूमितनाका ने जो भाषाई आँकड़े प्रस्तुत किए थे, उनके अनुसार विश्व में प्रथम स्थान पर चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है एवं द्वितीय स्थान पर हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है एवं तृतीय स्थान अंग्रेजी भाषा का है। उस बैठक को हुए आज बीस वर्ष से अधिक समय हो चुका है, एवं मीडिया और अन्य कारकों के सहयोग से निरंतर हिन्दी भाषा के प्रभाव और प्रसार क्षेत्र में उत्तरोत्तर हुई है एवं हो रही है।

आज के सूचना क्रांति एवं भूमंडलीकरण के इस युग में अपने उत्पादों को बड़े स्तर पर बेचने के लिए तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार अब हिन्दी विज्ञापनों के माध्यम से कर रही हैं क्योंकि भारत उनके लिए बड़े बाजार के रूप में विद्यमान है।

मीडिया के अन्य पक्ष के रूप में यदि आज के सिनेमा या ओटीटी प्लेट फॉर्मस की बात की जाए तो आज इन मंचों पर रिलीज होने वाली तमाम भारतीय या विदेशी फिल्में, वेबसीरीज, रियलिटी शो आदि अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी भाषा में भी दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं। यह हिन्दी की ताकत, उसका महत्व या उसकी सर्व स्वीकृति ही है कि चाहे वोहॉलीवुड फिल्मों के निर्माता हो या दक्षिण भारतीय भाषाई फिल्मों के निर्देशक य सभी अपनी फिल्मों को हिन्दी में अवश्य रिलीज करवाना चाहते हैं। क्योंकि हिन्दी भाषी जनता तक पहुँच बनाने के लिए उन्हें हिन्दी का प्रयोग करना ही पड़ेगा।

कोरोना काल के पश्चात लोगों में ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन एवं कार्यक्रमों आदि को आभासी मंचों पर आयोजित करने की प्रवृत्ति नजर आ रही है य इससे हिन्दी भाषा को कहीं न कहीं बढ़ावा ही मिला है। क्योंकि अब संसार भर के हिन्दी प्रेमी, भारत के हिन्दी विशेषज्ञों से ऑनलाइन मंचों पर हिन्दी भाषा एवं साहित्य का ज्ञान

प्राप्त कर रहे हैं। कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन भी ऑनलाइन होने लगा है। जिससे पहले की तुलना में अधिक लोग आसानी से जुड़ पाते हैं एवं इसके लिए उन्हें पूर्व में होने वाले यातायात एवं अन्य खर्चों से भी मुक्ति मिली है। उदाहरण के लिए – साहित्य अकादमी ने वर्ष 2020–21 में 540 आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रमों का आयोजन किया एवं इतनी संख्या में वास्तविक मंचों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर पाना शायद संभव नहीं था।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मीडिया ने हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित एवं प्रसारित करने का कार्य बड़ी कुशलता से किया है और वर्तमान में भी यह प्रक्रिया अनवरत रूपसे जारी है। इसमें मीडिया के सभी प्रकारों यथा—प्रिन्ट मीडिया (पत्र—पत्रिकाओं आदि) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि), डिजिटल एवं सोशल मीडिया आदि का सम्मिलित योगदान रहा है। यह कहना उचित होगा कि आज हिन्दी एक भाषा के रूप में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है, पहुँचाई जा रही है, पढ़ी एवं पढ़ाई जा रही है, एवं यह सब संभव हुआ है मीडिया एवं इसके जैसे अनेक माध्यमों से और सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयासों से, जो कि आगे भी जारी रखे जाने चाहिए ताकि हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर विश्व भाषा के रूप में स्थापित हो सकें।

संदर्भ सूची :-

1. मीडिया हूँ मैं, जयप्रकाश त्रिपाठी, अमन प्रकाशन, कानपुर।
2. मीडिया और बाजारवाद, सं. रामशरण जोशी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. <https://www.bbc.com>
4. https://hindi.webdunia.com/hindi-diwas-special/hindi-quotations-for-hindi-language-116091400033_1.html
5. <https://www.amarujala.com/world/hindi-is-a-third-official-language-in-abu-dhabi>
6. <https://khabershindi.com/hindi-diwas-ashutosh-rana-on-usage-of-hindi-language>.

मोबाइल नंबर 7042787123

ई-मेल – rajawat1109@gmail.com



हिन्दी भाषा का वर्तमान और भविष्य

Dr. PUSHPAKUMARI

Assistant Professor, Department of Hindi, S. M. College Bhagalpur, (T.M.B.U.), Bihar, Pin Code-812001

विरोधों और संघर्षों से जूझती अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हिन्दी आज सम्पूर्ण भारतवर्ष की वाणी बन चुकी है। यह सर्वत्र समान रूप से व्यवहृत हो रही है। राजनीतिक दौंवपेंच से उबरकर हिन्दी निश्चित तौर पर निरंतर लोकप्रियता को प्राप्त करने में समर्थ होती जा रही है। हिन्दी किसी क्षेत्र, जाति, धर्म तथा वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, अपितु समूची भारतीय संरचना में समायी राष्ट्रीय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की अद्वितीय कड़ी है। हिन्दी भारतेन्दु, हरिऔध, निराला, प्रेमचंद, अज्ञेय और मुक्तिबोध की रचनाधर्मिता का ही भंडार नहीं है बल्कि रहीम, रसखान और जायसी की अंतरात्मा की पुकार भी है। इस प्रकार परम वैशिष्ट्य को प्राप्त करनेवाली इस भाषा को समय और सीमा के भीतर बाँध पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। समुद्रो, पर्वतों, वनों को पार कर हिन्दी ने भारतेतर देशों में भी अपनी विजय दुदुंभी का निनाद किया है और वहाँ समुचित सम्मान भी प्राप्त किया है।

भारत में सिकंदर लोदी के समय से लेकर मुगल शासन के अंत तक फारसी राजभाषा के पद पर आसीन रही। फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी राजभाषा बनी। सन् 1947 ई० में देश स्वतंत्र हुआ। 14 सितम्बर 1949 ई० को संविधान की भाषा समिति ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन किया था क्योंकि यह भारत की बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रयोग में लायी जाती थी। स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी भाषा में रचित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी, 1950 ई० में देश का नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 343 में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संविधान में देश की राजभाषा हिन्दी का तो उल्लेख है, किन्तु 'राष्ट्रभाषा' का कोई उल्लेख नहीं है। यह सही है कि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की स्वाभाविक जनभाषा होती है, वह बनायी नहीं जाती, बल्कि राष्ट्रभाषा सरकार द्वारा निश्चित की जाती है।

पिछले एक हजार वर्ष के अपने इतिहास में हिन्दी का निरन्तर किसी-न-किसी रूप में विकास होता रहा है। हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ और सशक्त संवाहिका भी है, जो देश के ही नहीं विदेशों में करोड़ों की संख्या में प्रवासी भारतीयों और भारत मूल के लोगों के बीच आत्मीयता के मधुर सम्बन्ध स्थापित करने और भारतीय संस्कृति से निरंतर जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम का काम करती हैं। इसी में वे अपनी अस्मिता की पहचान भी पाते हैं। हिन्दी बोली तो खूब जा रही है और विश्व में इसके बोलने वाले पहले स्थान पर नहीं, तो दूसरे स्थान पर अवश्य हैं। राष्ट्र की राजभाषा हिन्दी अभी भी हिन्दी भाषी राज्यों में सभी उच्च न्यायालयों और देश के सर्वोच्च न्यायालय की भाषा नहीं बन पायी है, जो कि सबसे बड़ी

आवश्यकता है। भारत की लगभग आधे से अधिक आबादी हिन्दी बोलते समझते हैं। यूनेस्को के अनुसार विश्व के 137 देशों में हिन्दी भाषा किसी-न-किसी रूप में जीवंत तरीके से मौजूद है। विश्व के 153 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग के तहत या भारतीय विद्या (इंडोलॉजी) विभाग के अंग के रूप में हिन्दी की पढ़ाई होती है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के द्वारा 30 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षक का विशिष्ट पद सृजित किया गया है। अर्थात् व्यवहार में हिन्दी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है।

हिन्दी की इस विश्वव्यापी भूमिका को मद्दे नजर रखते हुए अबतक 11 विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं और 12 वां विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन 15 – 17 फरवरी, 2023 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से फिजी में किया जा रहा है। हमें गर्व है कि हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए सर्वप्रथम 4 अक्टूबर 1976 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना मूल भाषण हिन्दी में देकर विश्व के सामने हिन्दी के गौरव को बढ़ाया था। 13 जुलाई, 2007 को तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वानकी मून ने आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था—“हिन्दी एक मीठी भाषा है, जो दुनिया भर के लोगों को पास लाने का काम कर रही है। यह एक ऐसी भाषा है जो दुनियाँ भर की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करती है।” इस प्रकार आज हिन्दी का स्वरूप राष्ट्रभाषा से ऊपर उठकर एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का भी है और इसके खुशहाल भविष्य पर भी हमें इसी दृष्टि से विचार करना होगा।

वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी, को प्रतिवर्ष विश्व हिन्दी दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक प्रयास करना और इसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया जाना है। जबकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हिन्दी भाषा विश्व में अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं में से एक है। भारत के अतिरिक्त हिन्दी भाषा नेपाल, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, टोबेगो और त्रिनिदाद जैसे अन्य देशों में भी बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर तो हिन्दी भाषा अत्यंत समृद्ध होती जा रही है किन्तु अपने ही देश भारत में हिन्दी की वर्तमान स्थिति दयनीय हो गयी है। हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिले वर्षों बीतने के बाद भी अभी तक यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन सकी। संविधान के अनुसार इसे 1965 ई0 में ही पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले लेना चाहिए था। संविधान आज भी यही कहता है और उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। हिन्दी की इस बेचारगी पर ध्यान केन्द्रित करने पर जो तथ्यगत सच्चाई सामने आती है उस पर संशोधनपरक अमल किये जाने की आवश्यकता है।

पहली सच्चाई तो यह है कि हम हिन्दी को रोजगार के साथ अब तक नहीं जोड़ पाये। जब तक कोई भाषा रोजगार की भाषा नहीं बन जाती, तब तक वर्तमान पीढ़ी के आकर्षण की केन्द्र बिन्दु नहीं हो पाती है। संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य तकनीकी नौकरियों में ज्यादा पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं। दूसरी ओर निजी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है और इससे अनेक विदेशी कम्पनियाँ, उद्यम, निगम आदि भारत में अंग्रेजी भाषा में ही काम करते हैं। यदि हमें हिन्दी को प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूरसंचार और राजनीति की भाषा बनानी है तो हमें निश्चित रूप से हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। मानविकी, ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा, जब तक हिन्दी माध्यम से नहीं दी जायेगी, तब तक

हिन्दी का सम्पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता। इसे मात्र कहानी, कविता और उपन्यास की भाषा से ऊपर उठाकर नवीनतम ज्ञान-विज्ञान की भाषा भी बनाना होगा। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन हो रही उपलब्धियों के समानान्तर चलना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय 'अनुवाद संस्थान' की स्थापना करनी होगी, जहाँ विश्व की किसी भी विकसित भाषा में प्रकाशित नवीनतम उच्च ज्ञान और शोध के साहित्य को तत्काल हिन्दी में उपलब्ध कराया जा सके। इससे हिन्दी माध्यम के शोधार्थियों को नवीनतम ज्ञान के लिए अंग्रेजी का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा। उन्हें नवीनतम उच्च ज्ञान का साहित्य सहज और तत्काल ही अपनी भाषा में मिल जायेगा।

आज हम अपने देश के साहित्य और भाषा के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गये हैं। यहाँ बहुत सावधानी और साहस की आवश्यकता है। यहाँ से गलत कदम उठाने का मतलब है दीर्घकाल तक के लिए भटकने को बाध्य होना। आज हिन्दी भाषा के वर्तमान एवं भविष्य पर एक सकारात्मक दृष्टि डालने और उसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। आज नित नवीन तकनीकी विकासों एवं प्रयोगों के कारण हिन्दी भाषा के प्रयोग में दैनंदिन प्रगति संभव हो सकी है। यह सच है कि भारतवर्ष में भाषाओं की विविधता के बावजूद हिन्दी में राष्ट्रभाषा के उच्च शिखर पर गौरवान्वित हो रही है। अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है। आगामी दशकों में हिन्दी भाषा के नवीन, अग्रगामी भविष्य का सुनहला रूप प्राप्त होने की गुंजाईश संभव प्रतीत हो रही है। इसके लिए आन्दोलनात्मक प्रचार निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा के निरंतर बढ़ते प्रयोग से हिन्दी भाषा के प्रति अस्वस्थ मनोवृत्ति पैदा हो रही है। परिणाम यह है कि हममें हिन्दी भाषा के प्रति सहजता न होकर कृत्रिम और बोझिल मानसिकता का संचार होने लगा है। इसके लिए विश्वविद्यालयी स्तर पर हिन्दी भाषा के ज्यादा-से-ज्यादा प्रयोग के लिए अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसके अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य को, अन्यान्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व मिलना चाहिए क्योंकि इससे हिन्दी भाषा के विकास को बल मिलेगा।

इन दिनों नाना कारणों से हिन्दी की ओर लोगों की दृष्टि आकृष्ट हुई है और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयों के शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। हिन्दीतर प्रान्तों के अनेक शिक्षार्थी, छात्र हमारे विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं और विभिन्न विषयों में शोध-कार्य में भी जुटे हुए हैं। यद्यपि इस ओर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को भी सकारात्मक सहयोग देने की आवश्यकता बढ़ गयी है लेकिन सरकार के बढ़ते सहयोगात्मक रवैये से अधिकाधिक प्रेरसाहन मिला है। आज अन्य भाषाओं की तुलना में हिन्दी भाषा में अनुवाद कार्य अत्यधिक होने लगे हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी भाषा परिष्कृत, अधिक उदार और अधिक परिमार्जित होती जा रही है। यह इसकी शुभता के लक्षण हैं।

हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में निचली कक्षाओं से ही पढ़ाया जाये तो अंग्रेजी का वर्चस्व कम होगा और हिन्दी भाषा जन-जन की भाषा बन पायेगी। आज भी जबकि बोलने के तौर पर हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है, विडम्बना यह है कि उसी समान अनुपात में लिखी नहीं जा रही है। हमें इसके लिए रोमण लिपि का ही सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी टंककों की अपेक्षा हिन्दी टंकक कम ही मिलते हैं। आज के कम्प्यूटर प्रधान युग में ई-मेल, ई-फॉर्म, ई-कामर्स, ई-गवर्नेंस, ई-टेंडर आदि का जमाना है। ऐसे में हिन्दी भाषा में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार कर इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसी के तहत भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने फरवरी, 2012 के एक आदेश में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों को 'यूनिकोड'

कम्पलाएंस फॉन्ट्स एवं यूनिकोड के अनुरूप सॉफ्टवेयर तथा इन-स्क्रिप्ट कुंजीपटल का ही प्रयोग करने की हिदायत दी है, जो सरकार का मानक की-बोर्ड है। इसका यह भी लाभ है कि एक भाषा में इन-स्क्रिप्ट की-बोर्ड सीख लेने पर सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से टंकन किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि दो वर्ष बाद रेमिंग्टन की-बोर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। नई भर्तियों के लिए टाइपिंग परीक्षा केवल इन-स्क्रिप्ट कुंजी-पटल पर ही ली जायेगी।

हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आवश्यकता है तो बस इनके प्रयोग की। हिन्दी का यह सौभाग्य ही है कि इसे देवनागरी लिपि के रूप में विश्व की एक सर्वाधिक वैज्ञानिक और ध्वनि-प्रधान लिपि विरासत में मिली है, जो हिन्दी के लिए एक वरदान है। हम जानते हैं कि इसका उद्भव भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है, जिससे भारत की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ विकसित हुई हैं। इसलिए कम्प्यूटर का देवनागरी की-बोर्ड सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान ही है। फलस्वरूप भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं में सहज आदान-प्रदान और लेखन के लिए इसका समुचित उपयोग किया जा सकता है।

भाषा प्रबंधन में सरलीकरण, मशीनीकरण, अप्रचलित शब्दों का लोप, नई शब्द रचना, सार्थकता वृद्धि, शब्दों में निखार, संक्षेपण की प्रवृत्ति, प्रभावी व्यंजना, पारिभाषिक शब्दों की वृद्धि, गोपनीयता, संवेदनशीलता, अनुवादीय भाषा और लोकभाषा आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान में धड़ल्ले से चल रहे हिंग्लिस को छोड़कर हिन्दी भाषा में सोशल मीडिया का उपयोग करना होगा जिससे हिन्दी भाषा का भविष्य उन्नत हो सके।

निष्कर्ष :-

आज आवश्यकता है कि मैकाले द्वारा रोपित इस मानसिकता को जड़ों से उखाड़ फेंके और भारतीयता के महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को भारतीयता के मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत करें ताकि वे वास्तविक भारत को पहचान सकें और कहे कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। यह कार्य तभी संभव हो पायेगा जब भारत का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपना दैनिक कामकाज, चिंतन और आपसी संवाद हमारे देश की भाषा हिन्दी में करे। यदि भारतीय को हीन भावना से मुक्त होना है तो उसे अपना कार्य व्यापार हिन्दी भाषा में अधिकाधिक करना होगा। अभी स्थिति इतनी जटिल नहीं हुई है कि उसे सुधारा नहीं जा सके। बस आवश्यकता एक पहल की है। अपनी मानसिक सोच बदलने की। यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है कि आज हम सबको राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास व प्रयोग को लेकर आत्मचिंतन करते हुए सभी की वैचारिकता तक इसे पहुँचाना है ताकि राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हो सके तथा हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भारतीय कहने में गर्व महसूस कर सकें। हमें इस संकल्प को दृढ़तापूर्वक कारगर करना होगा जिससे हिन्दी भाषा को विश्व के भाषाई क्षितिज के शीर्ष पर स्थापित किया जा सके।

E-Mail Id : pushpa201073@gmail.com

Mobile 7004531201



हिन्दी भाषा साहित्य में हाशिये का विमर्श और राजेन्द्र यादव

अजय कुमार

शोध-छात्र, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

राजेन्द्र यादव एक व्यक्ति ही नहीं वह अपने आप में एक सामाजिक संस्था और आंदोलन थे। एक सामाजिक रचनाकार होने के साथ-साथ राजेन्द्र यादव 'हंस' पत्रिका के यशस्वी संपादक भी रहे, हिन्दी साहित्य में राजेन्द्र यादव ही वह पहले व्यक्तित्व या पहले रचनाकार रहे जिन्होंने हाशिये के विमर्श को अपनी कथा कहानियों और अपनी पत्रिका 'हंस' में स्थान दिया। उन दलित व स्त्री विमर्श संबंधित साहित्य जिसे तत्कालीन समय के सभी रचनाकारों तथा संपादकों ने जब छापने से मना कर दिया था या प्रकाशित करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह साहित्य की श्रेणी में नहीं आता। यह केवल आत्म पीड़ा का साहित्य है, तब केवल राजेन्द्र यादव ही वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने दलित साहित्य व स्त्री पीड़ा के साहित्य को श्रेणी में माना और उन्होंने कहा कि जबतक कोई भी रचना प्रकाशित होकर लोगों के समक्ष आकर अपनी पहचान नहीं बनाएगी या उनसे रू-ब-रू नहीं होगी तब तक हम कैसे कह दे कि कोई साहित्य है ही नहीं या 'दलित साहित्य' साहित्य के श्रेणी में नहीं आता।

अपने व्यक्तित्व में राजेन्द्र यादव आधुनिकता के विचारों से तथा सामाजिक यथार्थ के विचारों से प्रभावित थे या सामाजिक यथार्थ के प्रतिनिधि रचनाकार थे। उनका व्यक्तित्व अडिंग या अपने विचारों पर अडिंग रहने वाले तथा वे प्रचंड जातिवादी विरोधी रचनाकार थे, समाज में ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज, उसके कारणों, रूढ़ियों के वे कुशल ज्ञाता थे इसीलिए वे शुरू से वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहे क्योंकि उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था का आधार ही अन्याय पर आधारित है जिसमें एक व्यक्ति श्रेष्ठ है बाकि के जो तीन वर्ण हैं उससे हीन हो जाते हैं इसीलिए असमानता की पद्धति पर आधारित है। राजेन्द्र यादव ने हाशिये के समाज के साहित्य को हिन्दी साहित्य में न केवल विमर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया बल्कि उनका योगदान दलित व स्त्री संबंधित साहित्यकारों व लेखकों की एक नयी पौध या साहित्य में उभरने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने अपने समय में नये लेखकों व कवियों को, 'हंस' पत्रिका में एक जगह भी दिया। इस पत्रिका के माध्यम से जिसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, आदिवासी विमर्श संबंधित रचनाएँ लिखी जाने लगी और केवल लिखी ही नहीं गई बल्कि वह अपने समय में काफी लोकप्रिय भी हुई। उनकी लोकप्रियता इतनी रही कि आज हम दलित साहित्य के स्त्री विमर्श संबंधी साहित्य को एक प्रमुख विषय, एक ज्वलंत मुद्दे यहाँ तक कि दलित, स्त्री व आदिवासी विमर्श पर अनेक संस्थानों, विश्वविद्यालयों में शोध विषयों के रूप में भी पाते हैं जिन पर आज सैकड़ों शोधार्थी अनुसंधान कर रहे हैं।

राजेन्द्र यादव के दूर दृष्टि का ही परिणाम है वे जानते थे कि दलित, स्त्री, आदिवासी व अल्पसंख्यक विमर्श भविष्य में चलकर एक बड़े विमर्श के रूप में स्थापित होगा। क्योंकि हिन्दी साहित्य में उन लोगों की पीड़ा अभी कही ही नहीं गई है। जो कि सदियों से हाशिये के समाज पर रहे इसीलिए हाशिये के समाज की पीड़ा को राजेन्द्र यादव ने समझा और उसे विमर्श के रूप में हिन्दी साहित्य में स्थापित किया। जोकि सराहनीय है। राजेन्द्र यादव की कलम दलित, स्त्री के शोषण के विरोध में आजीवन चलती रही। इस विषय पर वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी 'हंस' पत्रिका के राजेन्द्र यादव पर केन्द्रित विशेषांक अंक-5 में लिखते हैं, "नारी चेतना और दलित चेतना के क्षेत्र में राजेन्द्र यादव का अग्रगण्य योगदान है। इस क्षेत्र में उनका नाम दशकों तक याद किया जायेगा। इस दृष्टि से देखे तो वे हिन्दी क्षेत्र में दलित और नारी चेतना के प्रमुख एक्टिविस्ट, विचारक और संपादक थे।"¹

राजेन्द्र यादव सामाजिक रचनाकार होने के साथ-साथ समानता के समर्थक थे इसलिए वे वर्ण व्यवस्था, जातिवाद तथा ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के प्रचण्ड विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा पितृसत्तात्मक विचारधारा असमानता पर टिकी है और शोषण पर आधारित है। ये व्यवस्थाएँ स्त्री व दलित को कभी समानता का अधिकार व सम्मानपूर्ण जीवन नहीं दे सकती क्योंकि ये व्यवस्थाएँ व विचारधाराएँ टिकी ही गैर-बराबरी पर है, जिसमें दलित व स्त्री का शोषण तय है इसलिए राजेन्द्र यादव इस सामाजिक संरचना व शोषण आधारित व्यवस्था को सिरे से खारिज कर नयी जनतांत्रिक व लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के पक्षधर है। राजेन्द्र यादव के व्यक्तित्व पर हिन्दी के वरिष्ठ दलित चिंतक व आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी 'पाखी' पत्रिका के राजेन्द्र यादव पर केन्द्रित विशेषांक अंक-12 में लिखते हैं, "राजेन्द्र यादव की मुख्य चिंता समाज को जनतांत्रिक बनाने की है। वर्ण-जाति इस जनतांत्रिकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए उनका आक्रोश समाज की जातिवादी बाड़ेबन्दी करने वालों पर फूटता है। सवर्ण मानसिकता पर जितनी चुभती हुई अनवरत टिप्पणियाँ उन्होंने की है, उतनी उनके समकालीनों ने नहीं किया। उनका प्रायः हर संपादकीय, साक्षात्कार, व्याख्यान सवर्ण सत्ता प्रतिष्ठान पर हमला करने वाला होता है। वे इतिहास के उन प्रसंगों को रेखांकित करते चलते हैं जिनसे प्रभुवर्ग की क्रूरता उजागर होती है।"²

राजेन्द्र यादव के लेखन व व्यक्तित्व को मजबूत तथा बहुमुखी बनाने के पीछे उनका समाज के प्रति सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, उनके पास देश, दुनिया, समाज को देखने की अपनी अनुभवी दृष्टि व वैचारिकता है जो उन्हें अनेक अंतर्विरोधों व आलोचनाओं के बावजूद निरंतर लेखन के लिए प्रेरित करती है। राजेन्द्र यादव की वैचारिक दृष्टि व व्यक्तित्व पर आलोचक कंवल भारती लिखते हैं, "राजेन्द्र यादव के पास यह दृष्टि इसलिए है, क्योंकि उनके पास साहित्य का एक एजेंडा है— समाज को सुधारने का नहीं, समाज को बदलने का, जिसमें दलितों, आदिवासियों और स्त्रियों की मुक्ति के सवाल केन्द्र में हैं। इस एजेंडे ने हिन्दी के उन तथाकथित महान लेखकों को कहीं का न छोड़ा था, जो अभिजात चिंतन को ही मुख्यधारा का चिंतन समझ रहे थे। उनका सारा भ्रम ही टूट गया, उसकी जमीन भी दरक गयी, जब राजेन्द्र यादव ने वास्तविक मुख्यधारा का निर्माण शुरू किया।"³

राजेन्द्र यादव सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था में सुधार के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज के पूरे सामाजिक ढाँचे को तोड़ फिर से नया लोकतांत्रिक समाज के

निर्माण के पक्ष में थे। क्योंकि सुधार से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। राजेन्द्र यादव के वर्ण व्यवस्था विरोधी चरित्र पर वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह लिखते हैं, "राजेन्द्र यादव पर कुछ कहने से बेहतर मैं यही समझता हूँ कि पुस्तकों में से कुछ उद्धरणों को सामने रख दूँ, 'मैं हंस नहीं पढ़ता' में एक लेख हैदृ'पीड़ा के दावेदार' इसमें उन्होंने दलित लेखकों की हिमायत करने के साथ संदेश दिया है :-

'सवाल ये भी है

कि इसी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखकर क्या दलितों का संघर्ष खुद सवर्णों जैसा सम्मानित होने तक जाता है या सारी वर्ण व्यवस्था को ही बदलने की बात सोचता है? भूलना यह भी नहीं चाहिए कि उनका सवर्णों की तरह सम्मानित और सत्तावान बनना, दूसरे 'नए दलितों' को जन्म देना है— जो जितने अपनों में से होंगे उतने ही उन अपनों से बाहर—यहीं नहीं सवर्ण बनने की आकांक्षा उन्हें ठीक उन्हीं कर्मकाण्डों और धार्मिक ढकोसलों में ढकेल देगी जो उनकी अपनी समझ से असली सवर्णों की शक्ति है।"⁴

राजेन्द्र यादव ने स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक तथा आदिवासी विमर्श को केवल विमर्श के रूप में स्थापित ही नहीं किया अपितु स्त्री व दलित विषयक लेखन के लिए अनेक कवियों तथा लेखकों को प्रेरित भी किया और उन्हें 'हंस' पत्रिका के माध्यम से एक प्लेटफार्म भी दिया, जिस कारण दलित व स्त्री लेखिकाओं की एक बड़ी संख्या उभरकर आई। राजेन्द्र यादव के साहित्यिक अवदान पर आलोचक अशोक वाजपेयी लिखते हैं, "हिन्दी आलोचना में दूसरा अधिक कारगर और दूरगामी हस्तक्षेप राजेन्द्र यादव ने 'हंस' में, हिन्दी साहित्य में थोड़ी देर से उभरी स्त्री और दलित आवाजों को जगह देकर, उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन देकर किया, और उनके होने के सामाजिक, सांस्कृतिक आशयों को अपने संपादकीयों में लगातार स्पष्ट किया, अगर इधर की हिन्दी आलोचना एक तरह से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को गंभीरता से लेकर उन पर विचार करने पर विवश हुई तो इसका बहुत बड़ा श्रेय राजेन्द्र यादव को देना होगा। इस तरह उन्होंने हिन्दी आलोचना का लोकतांत्रिक और सामाजिक विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।"⁵

हाशिए के समाज की पीड़ा व उनके लेखन को विमर्श के रूप में स्थापित करने में राजेन्द्र यादव द्वारा संपादित 'हंस' पत्रिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। प्रेमचन्द द्वारा 1930 में स्थापित साहित्यिक पत्रिका 'हंस' जिसका प्रकाशन 1953 में बंद हो गया था, राजेन्द्र यादव ने 31 जुलाई 1986 को प्रेमचन्द की जयन्ती के दिन इसका पुर्नप्रकाशन प्रारम्भ किया और आजीवन 27 वर्षों तक 'हंस' का उत्तरदायित्व संभाला। उन्होंने 'हंस' को अपने समय की महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका के रूप में प्रतिष्ठित किया। पहले यह माना जाता था कि किसी लेखक की रचना, आलोचना या कविता 'हंस' में प्रकाशित हो गई तो उसे स्थापित अथवा प्रतिष्ठित लेखक के रूप में स्वीकृति मिल जाती थी। राजेन्द्र यादव ने 'हंस' के माध्यम से अनेकों नये दलित लेखकों व स्त्री लेखिकाओं को लेखक के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजेन्द्र यादव का 'हंस' प्रेमचन्द के 'हंस' से एक बात में बहुत खास था वो ये कि प्रेमचन्द के 'हंस' में दलित लेखकों व उनकी पीड़ा के लिए वह स्थान नहीं था जो स्थान

राजेन्द्र यादव ने दिया। राजेन्द्र यादव के 'हंस' पर वरिष्ठ आलोचक व प्रतिष्ठित दलित साहित्यकार श्यौराज सिंह बेचौन लिखते हैं, "राजेन्द्र यादव और हंस के कारण दलित लेखकों को मुख्यधारा में पहचाना जाने लगा, जो इससे पहले अपनी सामुदायिक पत्रिकाओं के सीमित पाठकीय दायरे में ही पढ़े जाते थे, हंस सामाजिक दृष्टि से अगड़ों, पिछड़ों, हिन्दू, मुस्लिमों, ब्राह्मणों, दलितों, सब में जाती रही है। यहाँ तक कि वह मराठी, पंजाबी आदि गैर हिन्दी क्षेत्रों और साहित्येतर विषयों जैसे राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र आदि से जुड़े लोगों के बीच भी पढ़ी जाती रही है। ऐसी पत्रिका में दलित साहित्य को जगह देकर राजेन्द्र यादव ने पहचान का बड़ा क्षितिज उपलब्ध कराया, दलित रचनाओं की मार्फत एक बड़ा पाठक वर्ग दलित जीवन और उसकी समस्याओं से परिचित हुआ।"⁶

राजेन्द्र यादव अपने संपादकीयों के माध्यम से भी एक बड़े पाठक वर्ग तक हाशिए के लोगों के जीवन की पीड़ा को पहुँचाये, जो साहित्य, समाज और संस्कृति में सदियों से उपेक्षित और हाशिए पर रहे। उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक हलचलों और ज्वलंत मुद्दों पर भी संपादकीय लिखें। राजेन्द्र यादव के संपादकीय लेखन की वैचारिकता व गम्भीरता पर वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं, "राजेन्द्र यादव ने हंस के संपादकीयों के माध्यम से वर्तमान भारत की सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं, स्त्रियों और दलितों की पराधीनताओं के बारे में जो सोचा और लिखा है वह उनकी और अन्य बहुतों की कहानियाँ और उपन्यासों से अधिक सार्थक, प्रभावकारी और आन्दोलनधर्मी है। उस सबका हिन्दी भाषी भारतीय समाज पर गहरा असर पड़ा है, प्रतिक्रियाएँ हुई हैं और हलचलें भी पैदा हुईं। साहित्य का एक लक्ष्य अगर अपने पाठकों को स्वतंत्र, संवेदनशील, सामाजिक और मानवीय बनाना है तो राजेन्द्र यादव ने हंस के संपादकीयों की मदद से यह लक्ष्य पूरा किया है।"⁷

राजेन्द्र यादव भारतीय सामाजिक संरचना के कुशलज्ञाता थे, उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जातिवाद की जड़े, वर्ण व्यवस्था की महीन, जटिल संरचना, स्त्री व दलित की पराधीनता के सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों का सूक्ष्म अध्ययन किया था, इसलिए वे दलितों व स्त्रियों के सदैव पक्ष में रहे। राजेन्द्र यादव स्त्री, दलित की पक्षधरता व जाति विरोधी चरित्र पर वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पाण्डेय आगे लिखते हैं, "वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के विरुद्ध राजेन्द्र यादव का आक्रोश, असल में, दलित समुदाय के शोषण, दमन और उनकी यातना के विरुद्ध आक्रोश है। हिन्दी में जाति व्यवस्था की निर्भीक आलोचना की जिसकी परंपरा का निर्माण प्रेमचन्द और राहुल सांकृत्यायन ने किया था उसी को अधिक उग्र और मूलगामी राजेन्द्र यादव ने बनाया है।"⁸

'हंस' पत्रिका में दलित लेखन को स्थान देने व दलित साहित्य की पक्षधरता पर संपादकीय लिखने के कारण राजेन्द्र यादव को अनेक आलोचनाओं व तीखी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभिजात तथा सवर्ण वर्ग का अधिकांश हिस्सा दलित लेखन को स्वीकृति नहीं देना चाहता था, राजेन्द्र यादव के वर्ण व्यवस्था विरोधी चरित्र व ब्राह्मणवादी मानसिकता के खण्डनपरक लेखों के कारण भी अनेकों पण्डित विद्वानों व सवर्ण आलोचकों की तीखी प्रतिक्रियाएँ भी उन्हें भेंटस्वरूप मिली, किन्तु वे अडिग रूप से निरंतर लेखन करते रहे, धनाभाव की स्थिति में भी उन्होंने हंस का प्रकाशन बंद नहीं होने दिया और पूरा उत्तरदायित्व स्वयं के खर्चे से संभाला, किन्तु हंस को बंद नहीं होने दिया। राजेन्द्र यादव के संपादक के रूप पर आलोचक कृष्णकांत चन्द्रा कहते हैं, "हंस पत्रिका के संपादन में तमाम असहमतियों, नापसन्दगियों, अगर-मगर, किन्तु-परन्तु के बावजूद इनके विरोधियों का भी मुँह भी बन्द कर दिया। कोई कुछ भी कहे दलित और स्त्री विमर्श को साहित्य में पूरी

मजबूती के साथ स्थापित करने का श्रेय उन्हें जाता है। युवाओं या नए लेखकों की जमात पैदा। 'हंस' के जरिए दर्जन भर से ज्यादा कालजयी कहानियाँ और लेखक दिए।⁹

राजेन्द्र यादव के रचनाकर्म की यदि बात करें तो उन्होंने तीन सौ से अधिक कहानियाँ लिखी तथा सात उपन्यासों की रचना की। राजेन्द्र यादव मध्यवर्गीय जीवन के रचनाकार थे, उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन साकार सदृश रूप में जीवंत हो उठा है, उनकी कहानी रचना भी मुख्यतः सामाजिक यथार्थ दृष्टि से प्रेरित रही है। उनकी कहानियों में 'भय', 'कुतिया', 'खेल-खिलौने', 'रोशनी कहाँ है', 'कुत्ते', 'स्वतंत्रता दिवस', 'तलवार पंचहजारी', 'लंचटाइम', 'टूटना', 'किनारे से किनारे तक', 'एक कमजोर लड़की की कहानी', 'जहाँ लक्ष्मी कैद है' आदि कहानियाँ प्रमुख हैं। जिसमें मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं व सामाजिक विसंगतियों के यथार्थ चित्रण के साथ-साथ स्त्री जीवन की पीड़ा, उसके दम तोड़ते सपने, परंपरा की बेड़ियों में कराहती कैद स्त्री की पीड़ा का भी मार्मिक चित्रण है। उनकी कहानियों के विषय पर दलित साहित्यकार अजय नावरिया लिखते हैं, "आखिर हम अनिच्छा से, विवशता में कब तक बंद दरारों में आखिरी सांस लेते रहेंगे? यह राजेन्द्र जी ही हैं—जो रूढ़ियों के मुद्दों की छाती पर पाँव रोपकर, जीवन का शंखफूक रहे हैं। ये कभी कहानीकार के रूप में, पाठक को वहाँ ले जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद है या छोटे-छोटे ताजमहल है, पुराने नाले पर नया फ्लैट है, अभिमन्यु की आत्महत्या है, और अंत में पास-फेल का हिसाब करते हुए हासिल तक पहुँचते हैं। कहानी का हासिल उनका उचित परवरिश, पालन पोषण का गुरुत्तर उत्तरदायित्व। स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श और अल्पसंख्यक समाज की हाशिए पर पड़ी आवाजों को मुख्यधारा बनाने का दुर्दमनीय संकल्प।"¹⁰

राजेन्द्र यादव के उपन्यासों का फलक भी बहुत विस्तृत और बहुआयामी है। उन्होंने कुल सात उपन्यासों की रचना की। 'सारा आकाश' उनका प्रथम उपन्यास है जो मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन के ताने-बाने, उसकी जटिलता और वैशिष्ट्य पर आधारित है, जिसकी कथावस्तु आम जीवन के निकट की सजीव प्रतीत होती है। उनका दूसरा महत्त्वपूर्ण उपन्यास 'उखड़े हुए लोग' सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें देशबंधु जैसे नेता भैया जो कि समाज सेवक का ढोंग करने का मुखौटा पहनकर आम जनता को मूर्ख बनाकर उनका शोषण कर रहे हैं, उनके दोहरे चरित्र कलई खोलकर रख दी है और साथ ही उपन्यास के प्रमुख पात्रों में शरद, जया और सूरज के माध्यम से संघर्ष, परिवर्तन व आधुनिक दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। स्त्री जीवन की पीड़ा व संवेदना पर उन्होंने दो प्रमुख उपन्यास 'कुलटा' व 'अनदेखे अनजाने पुल' की रचना की। 'कुलटा' उपन्यास अनमेल व आपसी तारतम्यहीन, मृत दाम्पत्य जीवन में घूँटती मिसेज तेजपाल के जीवन की मार्मिक कथा है तो 'अनदेखे अनजाने पुल' में निन्नी नामक किशोरी के काली-कुरूप होने के कारण मिलने वाले अपमान व उपेक्षा की मार्मिक व्यथा है। 'शह और मात' साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। तथा 'एक इंच मुस्कान' उपन्यास की रचना राजेन्द्र यादव और उनकी पत्नी मन्नु भण्डारी ने मिलकर की थी। जिसमें दाम्पत्य जीवन के टूटने की कथा है।

कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी साहित्य में विशेषकर दलित और स्त्री विमर्शी साहित्य को हिन्दी क्षेत्र में लाने और प्रतिष्ठित करने में राजेन्द्र यादव की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राजेन्द्र यादव साहित्यिक जगत में विरोध व तीखी आलोचनाओं से बिना डरे लेखन करते रहे और अपने संपादकीयों के द्वारा 'हम न मरिहे, मरिहे संसारा' का जयघोष करते हैं। राजेन्द्र यादव का साहित्य, उनके विचार और चिंतन वर्तमान और भविष्य दोनों

को समृद्ध करता है। स्त्री, दलित विमर्श यदि आज केन्द्र में है तो इसका श्रेय भी राजेन्द्र यादव को ही प्राप्त है क्योंकि उनका मानना था कि आने वाला भविष्य वंचितों का ही होगा, नए सपने, उम्मीदे और विकास के हकदार अब वंचित दलित और स्त्री ही होंगे, क्योंकि इनकी उड़ान को रोकना और पंख काटना अब संभव नहीं हैं। राजेन्द्र यादव का साहित्य और चिंतन समाज को नयी दिशा देता हुआ, नयी बहसों को सदैव आमंत्रित करेगा, क्योंकि विचार और चिंतन सदैव जीवित रहते हैं।

संदर्भ सूची :-

1. एक कुसंग-प्रिय का जाना, विश्वनाथ त्रिपाठी, वर्ष 28, अंक 5, पूर्णांक 326, दिसंबर 2013, हंस (पत्रिका), अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ, 27
2. दलित प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में, बजरंग बिहारी तिवारी, वर्ष, 3, अंक, 12, सितंबर, 2011, पाखी (पत्रिका) नोएडा (उ.प्र.), पृष्ठ, 119-120
3. राजेन्द्र यादव : प्रतिपक्ष की आवाज, डॉ. विश्वमौलि, डॉ. रामवचन यादव (संपा.), साहित्य भंडार प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2019, द्वितीय संस्करण, 2021, पृष्ठ, 91
4. यादों में यादव, नामवर सिंह, वर्ष 28, अंक 5, पूर्णांक 326, दिसंबर 2013, हंस (पत्रिका), अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ, 18
5. होना खोना एक कविता-विरोधी यारबाश का, अशोक वाजपेयी, वर्ष 28, अंक 5, पूर्णांक 326, दिसंबर 2013, हंस (पत्रिका), अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ, 32
6. राजेन्द्र यादव की फुले से तुलना मत करो, श्योराज सिंह बेचौन, वर्ष 28, अंक 5, पूर्णांक 326, दिसंबर 2013, हंस (पत्रिका), अक्षर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ, 81
7. राजेन्द्र यादव का हंस विवेक, मैनेजर पाण्डेय, वर्ष, 3, अंक, 12, सितंबर, 2011, पाखी (पत्रिका), नोएडा (उ.प्र.), पृष्ठ, 44
8. वही, पृष्ठ, 45
9. राजेन्द्र यादव, समानांतर दुनिया का सूत्रधार, डॉ. कृष्णाकांत चन्द्रा, डॉ. अजय बिन्द (संपा.), अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2016, पृष्ठ, 168
10. सुकरात की सी संवेदना, अजय नावरिया, वर्ष, 3, अंक, 12, सितंबर, 2011, पाखी (पत्रिका), नोएडा (उ.प्र.), पृष्ठ, 265

संपर्क नं. 7065710208

ईमेल: ajay1147@gmail.com

पता- हाउस नं.107, उत्तराखण्ड

जे.एन.यू. (कैम्पस) नई दिल्ली-110067



भूमंडलीकरण और विज्ञापन

डॉ. हरदीप कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर, (हिन्दी विभाग) श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, दिल्ली-110005

भूमंडलीकरण दरअसल नवपूँजीवाद के तात्कालिक साम्राज्यवाद की उद्घोषणा है। इसी के कारण पूँजीवादी व्यवस्था तीव्र गति से फल-फूल रही है। पूरा विश्व एक बाज़ार के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मनुष्य, मनुष्य की ओर प्रेम स्नेह, आदर और सहिष्णुता से देखने के स्थान पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देख रहा है। पैसा कमाना ही प्रमुख ध्येय रह गया है। सभी रिश्ते-नाते पैसे की धूरी पर सिमटते नज़र आते हैं। पैसा कमाने की ऐसी दौड़-सी लग गई है कि मनुष्य आज मानव मूल्यों को भूलकर मुनाफा कमाने के लालच में दिनों-दिन फंसता जा रहा है। जिस तरह से आज अनियोजित, औद्योगिकीकरण और बाज़ारवाद वाली बहुराष्ट्रीय संस्कृति टेकनोलॉजी के माध्यम से विकसित हो रही है उसमें यंत्रों की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करती जा रही है। इसने संचार क्रांति के द्वारा हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर हमारे हृदय और मस्तिष्क पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य की पुरानी मान्यताएँ, जीवन-मूल्य, सामाजिक सरोकार खंडित होते जा रहे हैं।

डॉ. कुमुद शर्मा ने भूमंडलीकरण को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि – “भूमंडलीकरण की अवधारणा व्यक्ति को अपनी जड़ों से काटकर ‘विश्वमानव’ में बदलने में विश्वास करती है। व्यक्ति को अपने देश का नहीं रहने देती, उसकी राष्ट्रीय चेतना को खत्म कर अंतर्राष्ट्रीयता का जयनाद करवाने की चेष्टा करती है, लेकिन जिस सूचना प्रौद्योगिकी के रथ पर चढ़कर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ती है, वह सूचना प्रौद्योगिकी व्यक्ति की ‘समाहिकता’ को समाप्त कर उसे ‘समाज निरपेक्ष’ बनाकर ‘निजता’ के खोल में सिकोड़ देती है। इस तरह साम्राज्यवादी ताकतें भूमंडलीकरण के रास्ते मनुष्य को अपने देश, संस्कृति तथा सभ्यता से अलग करके उसे ‘विश्वमानव’ बनाकर अपने व्यापारिक हितों को साधना चाहती है।” इसे भूमंडलीय परिप्रेय से विज्ञापन की दुनिया भी अछूती नहीं रही है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक हितों को साधना है और बाज़ारवाद को बढ़ावा देना है। भूमंडलीकरण के कारण ही पूरा विश्व ग्राम में बदल रहा है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंधन धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में विज्ञापन व्यापारिक रणनीति का सहारा लिये हुए है। मनुष्य नागरिक न रहकर उपभोक्ता बन गये हैं। ऐसे उपभोक्ता जो नये समाज और नई संस्कृति का ढाँचा गढ़ रहे हैं। नये समाज और नई संस्कृति को लाने में विज्ञापन प्रमुख हथियार के रूप में कार्य कर रहा है। अतः विज्ञापन की कलात्मकता के द्वारा ही कोई उत्पाद दिन दूनी चार चौगनी तरक्की करता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में आज जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती विज्ञापन की भूमिका और प्रभाव को अनदेखा

नहीं किया जा सकता। ऐसा जान पड़ता है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, सत्य, धर्म, बल, विवेक आदि को खो चुका है बल्कि उसके बदले में वह कलह, अविद्या, आपसी विभाजन जैसी मूढ़ता को प्राप्त कर रहा है। नई उपभोक्तावादी संस्कृति विज्ञापित वस्तुओं के उपभोग के लिए उत्पाद की बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा करती है। झूठे वायदे किये जाते हैं, समाज के साथ छल किया जाता है, समाज को भ्रमित कर ग़लत वस्तुओं का प्रसार किया जाता है। रचनात्मकता के स्थान पर अनैतिकता और अश्लीलता परोसी जाती है। सेल-सेल का नारा लगाकर और एक के साथ एक फ्री के नाम पर उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। भूमण्डलीकरण के दौर में बाज़ार व्यवस्था में मूल्यों का पूरी तरह से विघटन देखा जा सकता है चूँकि बाज़ार का एक ही लक्ष्य रह गया है वह है लाभ कमाना। मानव मूल्यों के बजाय आर्थिक उन्नति प्रमुख हो गई है जिसके लिए समाज या संस्कृति के मूल्यों को भी तोड़-मरोड़ दिया जाता है। भूमण्डलीकरण के दुष्प्रभावों का विरोध हिंदी साहित्य के रचनाकारों की रचनाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु लिखते हैं 'परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।

“अंग्रेज़ राज सुख साज सनै सब भारी
पै धन विदेश चलि जात रहै अति ख्वारी।”²

वस्तुतः भारतेंदु अंग्रेजीराज की सुख-सुविधाओं की तरफ़ संकेत करते हुए, अपने धन के विदेश चले जाने से चिंतित है। वह चाहते हैं कि हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तान में ही रहे, इसक लिए वह भारतीय समाज को नवीन वातावरण से युक्त देखना चाहते हैं। इसका प्रमाण 23 मार्च, 1874 के 'कवि वचन सुधा' में प्रकाशित प्रतिज्ञा पत्र से चलता है – “हम लोग नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी मानकर यह नियम मानते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, और जो कपड़ा की पहिले से मोल ले चुके हैं उसको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे, नव नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे, जिससे हिंदुस्तान का धन और कला दोनों में समृद्धि होगी।”³

भूमण्डलीकरण के पक्षधर भी हैं जो इसमें सकारात्मक पहलू देखते हैं। 12 अक्टूबर, 1999 में अमेरिकी विदेशी मंत्री डॉ. हेनरी किसिंगर ने डब्लिन के ट्रिनरी कॉलेज में एक व्याख्यान दिया है – ‘जिसे भूमण्डलीकरण कहा जा रहा है वह अमेरिका की वर्चस्व जमाए रखने संबंधी भूमिका का ही दूसरा नाम है, बीते दशक के दौरान अमेरिका ने अभूतपूर्व समृद्धि हासिल की। आर्थिक दृष्टि से बेहतर कुछ और नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतना तक कहा कि भूमण्डलीकरण का पिछला चरण ब्रिटेन के नेतृत्व में रहा, लेकिन मौजूदा चरण पर अमेरिका का दबदबा रहेगा, इसलिए अमेरिकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को स्वीकार करने के अलावा विश्व के समक्ष कोई विकल्प नहीं है।’⁴

ऐसे वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी यूरोपीय देशों का सीधा उद्देश्य भारत पर अपना-अपना कब्ज़ा जमाने के लिए तरह-तरह की मुहिम तैयार करना है। विज्ञापन के माध्यम से नई बाजारवादी और उपभोक्तावादी वैश्विक संस्कृति तैयार करना है। ऐसे में विज्ञापन एजेसियां इनकी सहायक होती हैं।

भूमण्डलीकरण का प्रभाव विज्ञापन की भाषा में भी दृष्टिगोचर होता है, हिंग्लिश अर्थात् अंग्रेज़ी और हिंदी का मिलाजुल रूप विज्ञापनों में नज़र आता है। जैसे ठण्डा मतलब बवस.बवस। अधिकतर स्त्रियाँ भी नई ग्लोबल स्त्री बन गई हैं। अश्लीलता और सेक्स सार्वजनिक हो गया है। नई ब्राण्ड संस्कृति के आने से घर में

अलग-अलग ब्राण्ड की चीजें दिखाई देने लगी हैं। ई-शॉपिंग हो रही है। आनलाइन आर्डर बुक हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान दौर भारतीय समाज के लिए बहुत ही चुनौतियों से भरा है, यद्यपि उनके समक्ष चुनौतियाँ पहले भी थीं, किंतु भूमंडलीकरण की कौख से पैदा हुई चुनौतियाँ सबसे भयावह हैं। इसने विविधता को समाप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति को जन्म दिया है जिसके कारण मानव-मूल्यों का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है। समानता और भाईचारा जैसे विचार केवल नाम के ही रह गये हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में सामाजिक परिवेश में विज्ञापन की उपादेयता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विज्ञापन के सामाजिक परिवेश को नारी, पुरुष, बच्चे, युवा-वर्ग, राजनीतिक विज्ञापन, जनहित में नारी विज्ञापन आदि में बाँटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवेश को बदलने में विज्ञापन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, मनोरंजन का व्यापारीकरण, मानसिक तनाव व रोग, संयुक्त परिवारों का विघटन, नगरीकरण, भूमंडलीकरण आदि आते हैं। अतः विज्ञापन जनसंचार का एक अंग होते हुए भी मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि) में अपना विशेष महत्त्व बनाये हुए है। वह समकालीन दौर में युगबोध का माध्यम है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. भूमंडलीकरण और मीडिया, कुमुद शर्मा, पृष्ठ-28
2. भारतेंदु ग्रंथावली (पहला खण्ड) – संपा. ब्रजरत्नदास, नाटक – भारत दुर्दशा, पृष्ठ-470
3. भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंद नवजागरण की समस्याएँ, डॉ. रामविलास शर्मा, लेख राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या, पृष्ठ-74
4. राष्ट्रीय सहारा, 21 सितंबर, 2003, लेख – भूमंडलीकरण और संस्कृति : कुछ खतरनाक पहलू, गिरिश मिश्र, पृष्ठ-8

फोन नं. 9811137112,

E-mail: hardeepnavya@gmail.com



हिन्दी के विकास में मीडिया की भूमिका

डॉ. सुनील कुमार

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, हरि सिंह महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर, मुंगेर – 811213

भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यह एक निश्चित समुदाय के व्यक्तियों को चिंतन, भावना और जीवन-दृष्टि के धरातल पर एक-दूसरे को समीप लाती है। किसी भी जाति के अस्तित्व का बोध उसकी भाषा के द्वारा भी होता है। इससे उस जाति की सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिताएं जुड़ी होती हैं। 'भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अधिक झलकाती है। यही उसके भीतर कल-पुर्जे का पता देती है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।'¹ किसी विशिष्ट जाति या समुदाय का अपनी भाषा के प्रति अपनत्व-बोध स्वाभाविक है। क्योंकि 'भाषा कोई छाता या ओवरकोट नहीं है, जो किसी से मांग-तांग कर काम चलाया जाए, बल्कि भाषा तो मनुष्य की जीती-जागती खाल होती है, जिसके तंतुओं से उसके संस्कार प्रवाहित होते हैं।'² हिंदी भाषा के साथ भी उपर्युक्त सभी बातें लागू होती हैं। वर्तमान समय में यह विशाल भारतवर्ष की सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता का भार वहन कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रही है। यह इस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। आधुनिक काल में इस भाषा के संवर्धन-परिवर्धन में मीडिया की भूमिका सर्वविदित है।

'मीडिया' दो बिंदुओं को जोड़ती है। विभिन्न संचार-माध्यम सम्प्रेषक और श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। आज का युग मीडिया का है। प्रत्येक क्षेत्र में मीडिया का प्रभाव दिखाई देता है। सुबह उठते ही अखबारों से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि विश्व में क्या हो रहा है या समाज किस ओर जा रहा है। जितना प्रभाव समाज पर पत्रकारिता का पड़ता है, उतना ही प्रभाव पत्रकारिता पर समाज का पड़ता है। मीडिया एक ऐसी आंख है, जो संपूर्ण देश व समाज में व्याप्त स्थितियों को एक साथ देख लेती है। तथा उसे प्रतिबिंबित करती है। प्रारंभिक दौर में प्रिंट मीडिया वह प्रभावी माध्यम रही, जिसके द्वारा सामाजिक बदलाव में काफी सहायता मिली। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई रूप सक्रिय हैं, जिसमें रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि प्रमुख हैं। इन माध्यमों के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के प्रसार में भरपूर सहायता मिली है। सोशल मीडिया भी इसी का एक रूप है, जिसने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। यह अलग बात है कि इसकी अपनी खूबियां हैं और खामियां भी।

हिंदी भाषा के सामाजिकरण, राजनीतिकरण और वाणिज्यिकरण में मीडिया की भूमिका को चिह्नित करने के क्रम में 19वीं शताब्दी के पत्रकारों को भुलाया नहीं जा सकता। यह निर्विवाद सत्य है कि कोलकाता से प्रकाशित पत्रों एवं पत्रकारों के अनथक परिश्रम के परिणामस्वरूप हिंदी भाषा का स्वरूप निर्धारित हुआ। किंतु

इसके पहले की स्थिति पर दृष्टिपात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषा का सामाजिकरण और राजनीतिकरण सल्तनत-मुगल-शासनकाल में ही शुरू हो गया था। उन दिनों भले ही जनसंचार के इतने माध्यम ना थे, किंतु दिल्ली से बाहर जानेवाले सैनिकों की सहायता से यह भाषादूर- दूर तक पहुंच रही थी। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास कीलोकभाषा थी; शताब्दियों से राजनीति और शासन का केंद्र होने के कारण दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों में सत्ताधारियों और सैनिकों का आना-जाना लगा रहा। वे जहां भी गए, अपने संग हिंदुस्तानी भाषा को लेकर गए। यही भाषा कहीं 'रेख्ता' तो कहीं 'हिंदवी' कहलाई। प्रो. दामोदर मिश्र ने भी इस बात पर अपनी मुहर लगाई है कि मुगलों के ज़माने में हिंदी राजभाषा नहीं थी। फारसी राजभाषा थी और अरबी-फारसी का ब्रज के संपर्क में आनेके कारण एक नई भाषा के रूप में उर्दू का विकास हो गया था। यद्यपि अमीर खुसरो के ज़माने में खड़ी बोली में लेखन चल रहा था पर संपूर्ण मध्यकाल में काव्य- भाषा के रूप में अवधी और ब्रज का वर्चस्व रहा। आधुनिक काल में खड़ी बोली के भाग्य चमकने लगे।³

सर्वविदित है कि खड़ी बोली ही आज की हिंदी है। भारत में अनेक समृद्ध भाषाएं हैं। इन भाषाओं में हिंदी एकता की कड़ी है। हमारे राष्ट्र-नायकों, समाज-सुधारकों ने अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए इसी हिंदी को अपनाया, क्योंकि यही एक भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान-गुजरात से बंगाल-असम तक कमोबेश समझी जाती है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुमुखी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। यदि विश्व भर में हिंदी बोलनेवालों और समझनेवालों को मिला दिया जाए तो आज यह विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। 'टाइम्स नाउ की डिजिटल ऑनलाइन न्यूज़- 2018' में ही बताया गया था कि इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक 51 प्रतिशत होता है, जबकि अंग्रेजी का इस्तेमाल करीब 40 प्रतिशत होता है।⁴ राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं की कुल संख्या 6809 है। इनमें 90 प्रतिशत भाषाएं ऐसी हैं, जिसे बोलनेवाले एक लाख से कम हैं। 150 से 200 भाषाएं ही ऐसी हैं, जिसे बोलनेवालों की संख्या 10 लाख से अधिक है। अंग्रेजी बोलने वालों से कहीं अधिक चीन की मंदारिन बोलने वाले लोग हैं। यह आंकड़ा सन् 2015 का ही है। आज हिंदी ने मंदारिन को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही हिंदी की नव्य-विकासात्मक स्वरूप है। इस स्वरूप को गढ़ने में मीडिया-क्रांति की अहम् भूमिका है।⁵

यदि साहित्य 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की उदात्त भावना लेकर चला है तो पत्रकारिता भी लगभग इसी प्रकार के मानव-कल्याण के उद्देश्य को लेकरपल्लवित-पुष्पित हुई। वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता - दोनों 'सत्यम् शिवम् और सुंदरम्' की ओर जनमानस को उन्मुख करती रही है। इसी उदात्त भावना को लेकर हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल की भूमि से हुई थी, जिसका श्रेय भारत में 'आधुनिक काल के जनक' राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। पत्र के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों पर प्रहार किया एवं जनता में जागरूकता लाने की कोशिश की। उनकी प्रेरणा से ही 10 मई सन् 1829 में 'बंगदूत' का प्रकाशन शुरू हुआ, जो अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी और हिंदी-चार भाषाओं में प्रकाशित होता था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित 'उदंत-मार्तंड' (1826) से प्रारंभ होकर हिंदी पत्रकारिता कहीं थमी या ठहरी नहीं। 1867 में भारतेंदुने 'कवि वचन सुधा' निकाली। 1873 में 'हरिश्चंद्र मैगजीन' का प्रकाशन आरंभ

हुआ। भारतेंदु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए, उनमें प्रमुख थे – पंडित रुद्रदत्त शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गा प्रसाद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि। 1893 ई. में 'नागरी प्रचारिणी' पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1900 ई. में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के दूसरे युग का पटाक्षेप हुआ। यही वह काल था, जिसमें हिंदी भाषा में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक लेखन की शुरुआत हुई। इस दौर में साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता के सरोकारों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सांस्कृतिक जागरण, राजनीतिक चेतना, साहित्यिक सरोकार और दमन का प्रतिकार – इन चार पहियों के रथ पर हिंदी पत्रकारिता आगे बढ़ी।⁶ माधव राव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के 'मराठा केसरी' को 'हिंदी केसरी' के रूप में छापना शुरू किया। 'समाचार सुधावर्षण', 'अभ्युदय', 'शंखनाद' आदि पत्रों के प्रकाशन ने लोगों में सोई हुई देशभक्ति के जज्बे को जगाया तथा क्रांति का आह्वान किया। कहना न होगा कि द्विवेदी युग के बाद छायावाद से लेकर वर्तमान समय तक हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा के विकास में अमूल्य योगदान किया है।

बीसवीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दैनिक समाचारों— 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर', 'दैनिक जागरण', 'प्रभात खबर', 'हिंदुस्तान' आदि ने बड़े शहरों के अतिरिक्त छोटे शहरों, कस्बों, गांवों तक अपनी पहुंच स्थापित की। भूमंडलीकरण के बाद आई नई तकनीक और यातायात के साधनों की सुलभता के कारण बाजार की वस्तुओं की खपत के लिए उपभोक्ताओं की तलाश शुरू हुई। अखबारों के सहारे उत्पादक छोटे-छोटे क्षेत्रों में पैठ बनाने लगे और इसी के साथ हिंदी भाषा का बाजारीकरण भी शुरू हुआ। विगत कुछ वर्षों में हिंदी मीडिया ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। हिंदी पत्रिकाओं और अखबारों की संख्या बढ़ी है। उनकी गुणवत्ता में कितना इजाफा हुआ है— यह निश्चय ही शोध का विषय है।

प्रिंट मीडिया से इतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो की उपयोगिता काबिले तारीफ़ कही जा सकती है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सर्व-स्वीकार्य बनाने में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आकाशवाणी ने समाचार, विचार, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, संगीत, मनोरंजन इत्यादि सभी स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसमें हिंदी फिल्मी-गीतों का विशेष स्थान रहा है। इसके कारण हिंदी की लोकप्रियता भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक जा पहुंची। आकाशवाणी की 'विविध भारती' सेवा एवं अन्य सरकारी व निजी प्रसारण-केंद्रों के कार्यक्रमों ने देश-विदेश के लोगों को हिंदी से परिचित कराया इस क्रम में हिंदी सिनेमा के योगदान को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हिंदी फिल्मों ने हिंदी साहित्य को भी प्रचारित किया है तथा आम लोगों से लेकर देश-विदेश तक संवाद पहुंचाने में सहायता की है। हिंदी भाषा का व्यापक प्रसार पूरे विश्व में फिल्मों के जरिए हो रहा है।⁷

विगत कुछ वर्षों में हिंदी समाचार चैनलों एवं अन्य धारावाहिक चैनलों की भरमार हिंदी के विकास में सहायक साबित हुई है। यह हिंदी-प्रेमियों के लिए शुभ संकेत है। जिस तरह प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में कुछ अंग्रेजी अखबारों ने हिंदी की ओर रुख किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 'स्टार न्यूज़' जैसे चैनल, जो अंग्रेजी में आरंभ हुए थे, वह विशुद्ध बाजारीय दबाव के चलते पूर्णतः हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए। 'डिस्कवरी', 'स्टार स्पোর্ट्स' जैसे चैनल भी हिंदी में प्रसारित हो रहे हैं। हिंदी को वैश्विक संदर्भ देने में उपग्रह-चैनलों, विज्ञापन-एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। यह जनसंचार माध्यमों के अनुकूल भाषा बनकर निकली है। वस्तुस्थिति यह है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, मारीशस, चीन,

जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रीका यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक हिंदी कार्यक्रम उपग्रह-चैनलों द्वारा प्रसारित हो रहे हैं और भारी तादाद में उन्हें दर्शक भी मिल रहे हैं।

सच तो यह है कि यदि किसी भी देशी या विदेशी कंपनी को अपना उत्पाद भारतीय बाजारों में उतारना होता है तो वे विशाल जनसंख्या वाले हिंदी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन हेतु हिंदी मीडिया का सहारा लेते हैं। यह विज्ञापन अखबारों, पत्रिकाओं, सिनेमा, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के सहारे दिया जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर हिंदी विज्ञापनों की भरमार है। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में कई गुना अधिक है। मीडिया के द्वारा हिंदी भाषा के विकास का यह स्वर्णिम दौर है। आज हिंदी प्रौद्योगिकी से लेकर वैश्विक विपणन-तंत्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भाषा बन रही है। मोबाइल बनाने वाली हर छोटी-बड़ी कंपनी नित नवीन उपकरण हिंदी भाषा के अनुरूप निर्मित करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इतना ही नहीं अंग्रेजी की डिक्शनरी में 'आधार' और 'नोटबंदी' जैसे शब्द जुड़ रहे हैं। मीडिया के कारण भारतीय राजनीति में हलचल उत्पन्न होती रहती है। हिंदी के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्द एक दूसरे को जबर्दस्त टक्कर देते रहते हैं। यह हिंदी के सामाजिकरण और राजनीतिकरण का ही परिणाम है कि इजराइल, जापान, अमेरिका आदि देशों के प्रमुख भारत आगमन पर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गर्व महसूस करते हैं।

बहुत से लोगों की शिकायत है कि मीडिया के द्वारा हिंदी का अवमूल्यन हो रहा है। प्रो. दामोदर मिश्र लिखते हैं कि भारत में नव-औपनिवेशिक परिवेश में संचार-क्रांति के कारण भाषा के सामाजिकरण की प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। मीडिया का हाथ पकड़कर वैश्वीकरण फूल-फल रहा है। सिनेमा, टीवी-धारावाहिक और विज्ञापन आदि मूलतः भाषिक दुनिया के उपकरण हैं। विज्ञापन की भाषा मिश्र-वृत्ति वाली हो गई है; जैसे- 'यह दिल मांगे मोर'। यह वृत्ति जब साध्य बन जाए तो निश्चय ही इसकी दिशा राजनीतिकरण और वाणिज्यकरण की ओर जाएगी और भाषा का अस्मिता-संकट पैदा होगा। इससे राष्ट्रीयता ही नहीं, मानवता भी खतरे में आ जाती है। भाषा का सामाजिकरण तो ठीक है, राजनीतिकरण ठीक नहीं है। राजनीतिकरण मिसाइल है तो समाजिकरण एंटी मिसाइल।⁹ मगर प्रतिस्पर्धा के इस युग में हिंदी का राजनीतिकरण स्वाभाविक है। इस परिस्थिति में भाषाई परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा बहता नीर है। जब उसका अधिक इस्तेमाल होगा तो उसके स्वरूप में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा। वास्तव में यह बदलाव विकार नहीं संस्कार है।

यह तर्कसंगत है कि यदि मीडिया की भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिनिष्ठित हिंदी ही होती तो क्या इतने अहिंदी भाषी लोग टीवी के कार्यक्रमों, समाचारों में अपनी रुचि दिखा पाते? हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए थोड़ी स्वच्छंदता आवश्यक भी है। जब अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषा को हिंदी से परहेज नहीं है तो हिंदी भाषा को कूपमंडूकता के दलदल में फंसाने की क्या जरूरत है? फिर हिंदी किसी एक भाषा की मिल्कियत है भी नहीं। इसमें संस्कृत के अलावे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, चीनी, संथाली, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्द पहले से ही मिले हुए हैं। इतना ही नहीं विभिन्न बोलियों के बोलचाल के शब्द भी सम्मिलित हैं। इस सम्मिलन से हिंदी भाषा मजबूत हुई है तथा इसी के सहारे बोलियों के आपसी विवाद का निपटारा भी संभव है। अपना विकास तथा अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए हिंदी ने लगातार कई तरह के समझौते किए। उसने कभी

अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, उर्दू आदि के साथ मिलकर काम किया तो कभी अंग्रेजी के साथ। यह हिंदी की चयापचय क्षमता ही है, जो किसी विशालहृदयी भाषा की हो सकती है। इसी प्रक्रिया में वह आसपास की प्रत्येक वस्तुस्थिति का हिंदीकरण करती रही। उसने अंग्रेजी शब्दों का भी हिंदीकरण किया। परिणामतः बजट, टिकट, मोटर और बैंक जैसे शब्द सपाट रूप में ले लिए गए क्योंकि ये हिंदी के प्रवाह में घुल-मिल जा रहे थे। इनका अनुवाद करने के प्रयास में 'लौहपथगामिनी' और 'अंतर्पाशन' जैसे कठिन शब्द ही हाथ आ रहे थे, जो कदाचित ज्यादा क्लिष्ट हैं। मीडिया ने इसी हिंदीकरण के प्रयास में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है।⁹

यह ऐतिहासिक सत्य है कि जब भी कोई भाषा पुराने तटबंधों को तोड़कर नए क्षेत्र में प्रवेश करती है, तब शुद्धतावादी तत्व चिंतित हो जाते हैं। सच तो यह है कि हिंदी इस समय विश्व-स्तर पर स्वीकार्यता के राजमार्ग पर सरपट दौड़ रही है। मीडिया इस दौड़ को और गतिशील बना रही है। आज का सच तो यह है कि जिस तरह हिंदी को अपने प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत है उसी तरह मीडिया को अपने विस्तार के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता है।¹⁰ हिंदी भाषा के विस्तार— उसके सामाजिकरण पर हम भारतवासियों को गर्व महसूस होना चाहिए तथा असली पत्रकारिता और मीडिया की सराहना करनी चाहिए। हिंदी भाषा को लेकर राजनीति कतई ठीक नहीं।

संदर्भ सूची :-

1. डॉ. अमरनाथ (संपादक), 'हिंदी भाषा का समाजशास्त्र', आनंद प्रकाशन, कोलकाता, संस्करण-2006, संपादकीय पृष्ठ
2. सुरेंद्र शर्मा, 'राजभाषा हिंदी : कल आज और कल', आधार प्रकाशन, पंचकूला, द्वितीय सं.-2010, पृष्ठ 11
3. प्रो. दामोदर मिश्र, 'हिंदी का सामाजिकरण एवं राजनीतिकरण – साहित्यकार और मीडिया की भूमिका', पदार्पण पत्रिका, संयुक्तांक 14-15, संपादक डॉ. इंदुसिंह, पृष्ठ 01
4. 'टाइम्स नाउ हिंदी डिजिटल, फरवरी 07, 2018.
5. डॉ. मो. आसिफ़ आलम, 'उत्तर आधुनिकता और हिंदी भाषा के बदलते परिदृश्य', पदार्पण पत्रिका संयुक्तांक : 14-15, संप.- डॉ. इंदुसिंह, पृष्ठ 22
6. कृष्ण बिहारी मिश्र, 'हिंदी पत्रकारिता', ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृष्ठ 57
7. 'हिंदी फिल्मों : भाषा, साहित्य और संस्कृति की लोकदूत', मीडिया चौपाल, 9 नवंबर, 2008.
8. प्रो. दामोदर मिश्र, 'हिंदी का सामाजिकरण एवं राजनीतिकरण – साहित्यकार और मीडिया की भूमिका', पदार्पण पत्रिका, संयुक्तांक – 14-15, संप. डॉ. इंदु सिंह, पृष्ठ-05
9. अजय कुमार सिंह, 'हिंदी भाषा का स्वरूप और मीडिया का प्रभाव', पदार्पण पत्रिका, संयुक्तांक 14-15, पृष्ठ 31
10. 'हिंदी के प्रसार में मीडिया की भूमिका', नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), पटना वेबमीडिया से साभार।

मो.न. 9883262947

Email :skumarncc77@gmail.com



अरुण कमल के साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा

नीतू बाला, शोधार्थी, पी.एच.डी.—हिन्दी

डॉ. प्रेम कुमार, सहायक प्रोफेसर,

गुरुकाशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, बठिंडा (पंजाब)

शोध सारांश :-

प्रगतिशील साहित्य का संबंध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत गहरा है। आजादी का आंदोलन आधुनिक साहित्य की अब तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रेरित और प्रभावित करता रहा है लेकिन प्रगतिशील आंदोलन ऐसा आंदोलन भी है जिसे हम विश्वव्यापी कह सकते हैं। यूरोप में फासीवाद के उभार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान इस आंदोलन का जन्म हुआ था, और भारत जैसे औपनिवेशिक देशों के लेखकों और कलाकारों ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जोड़ दिया। इस आंदोलन के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा की शक्ति और सोवियत संघ के निर्माण की ताकत भी लगी हुई थी। इसने साहित्य के उद्देश्य से लेकर वस्तु और रूप तक के सवाल पर नये तरह की सोच को सामने रखा जो उस समय लेखकों और कलाकारों के बीच जीवंत बहस के मुद्दे बने।

अरुण कमल जी अपने साहित्य में प्रगतिशीलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद ने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि "साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है" बल्कि उनके अनुसार "हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो—जो हममें गति, संघर्ष और बेचौनी पैदा करे, सुलाये नहीं क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।" अरुण कमल जी कहा था कि साहित्यकार और कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। लेकिन ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि वे सभी तरह के साहित्य का समर्थन नहीं करते। वे सिर्फ उस साहित्य को श्रेयस्कर मानते हैं जो हमें सुलाए नहीं बल्कि जगाए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरुण कमल जी ने कहा है कि प्रगतिशील साहित्य वह है जो समाज को आगे बढ़ाता है मनुष्य के विकास में सहायक होता है इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रगतिशील होने से ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है।

बीज शब्द :- प्रगतिशील साहित्य, बौद्धिक प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्ष, केंद्रीय मुद्दा, सामाजिक विषमताओं आदि।

विषय-विश्लेषण :-

अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन भी आयोजित किया गया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। राजनीतिक स्थितियों ने वामपंथी राजनीति के उभार को संभव बनाया और

किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के संगठन अस्तित्व में आए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पहले से साहित्य में परिवर्तन के संकेत मिलने लगे थे। इन परिवर्तनों का संबंध किस तरह प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से है, इसे समझने की जरूरत है।

अरुण कमल के अनुसार साहित्य और समाज के अंतःसंबंधों को समझने के लिए आधार और अधिरचना के संबंधों को समझना होगा। मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। इस बात को व्याख्यायित करते हुए अरुण कमल ने 'राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान' नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा था, "अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बँधते हैं, जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का पूर्ण योग ही समाज का आर्थिक ढाँचा है—वह असली बुनियाद है, जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढाँचा खड़ा होता है और जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप खड़े होते हैं।

प्रगतिशील प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है।" साहित्य की रचना को भी इसी विचार संदर्भ मंत समझा जा सकता है। समाज में चलने वाली प्रक्रियाओं को साहित्य, दर्पण की तरह प्रतिबिंबित नहीं करता। साहित्य में समाज का यथार्थवादी चित्रण होना चाहिए, यह बात जब प्रगतिशील साहित्यकार कहता है तब इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज जैसा है उसे वह उसी रूप में चित्रित कर दे। इसका मतलब यह है कि साहित्य में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। चूंकि समाज का रूप अत्यंत जटिल होता है इसलिए साहित्य में भी समाज की जटिलता की अभिव्यक्ति होगी। साहित्यकार को इस जटिलता को समझना होगा। इसी समझने की प्रक्रिया में प्रगतिशील दृष्टिकोण सहायक बनता है। यह मान लिया जाता है कि साहित्य में प्रगतिशील को लागू करने का मतलब है साहित्य को राजनीति का पिछलग्गू बनाना।

अरुण कमल जी का मानना है कि आज किसी भी तरह के साहित्य के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह राजनीति से निरपेक्ष हो। यहाँ तक कि जो कलावादी होने का दावा करते हैं वे भी राजनीति से निरपेक्ष नहीं होते। उन्हीं के शब्दों में, "यह ध्यान में रखने की बात है कि एक कला—सिद्धांत के पीछे एक विशेष जीवन—दृष्टि होती है, उस जीवन—दृष्टि के पीछे एक जीवन—दर्शन होता है और उस जीवनदर्शन के पीछे, आजकल के जमाने में एक राजनीतिक दृष्टि भी लगी रहती है।" प्रगतिशील के ऊपर उद्धृत कथन से जाहिर है कि साहित्य व्यक्ति की अंतःप्रेरणा का परिणाम ही नहीं होता वह परस्पर विरोधी सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों के संघर्ष का भी परिणाम होता है। वह राजनीतिक और विचारधारात्मक प्रेरणाओं से स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं रह सकता। यहाँ फिर से अरुण कमल जी का कथन उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। उनके अनुसार, "यह कहना बिल्कुल गलत है कि राजनीतिक प्रेरणा कलात्मक प्रेरणा अथवा विशुद्ध दार्शनिक अनुभूति कलात्मक अनुभूति नहीं है। बशर्ते कि वह सच्ची वास्तविक अनुभूति हो, छद्म जात न हो!" साहित्यकार राजनीति और विचारधारा के पास इसलिए नहीं जाता कि वह राजनीति और विचारधारा के क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहता है। अरुण कमल के अनुसार उसका मकसद तो मानव जीवन को बेहतर और उसे शोषण—उत्पीड़न से मुक्त करना है।

प्रगतिशील साहित्यकार रूप और शिल्प को महत्त्व नहीं देता वह सिर्फ साहित्य की विषय वस्तु को ही महत्त्व देता है। उसका यह मानना होता है कि यदि विषय वस्तु प्रगतिशील है, यदि उसमें किसानों और मजदूरों के जीवन का यथार्थवादी चित्रण है तो वह साहित्य महान है भले ही वह कला और शिल्प की दृष्टि से कमजोर ही क्यों न हो। लेकिन यह धारणा सही नहीं है। वस्तु और रूप में संबंधों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. अरुण कमल जी ने लिखा है, "रूप और विषय-वस्तु का संबंध अभिन्न और अन्योन्याश्रित है। प्रगतिशील साहित्य रूप-सौष्ठव का तिरस्कार करके दो कदम आगे नहीं चल सकता। यह सौष्ठव कला को प्रभावशाली बनाने में एक बड़ा कारण है। काव्य कौशल की ओर ध्यान न देकर रचनाकार अपनी कृति को असमर्थ ही बनाएगा। परंतु कला का रूप हवा में नहीं निखरता। फूल के रूप-रंग के लिए जिस तरह धरती की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी कृति के कलात्मक सौंदर्य का निखार उसकी विषय-वस्तु की सामाजिकता से जुड़ा हुआ है।"

प्रगतिशील साहित्य नारेबाजी का साहित्य नहीं होता। प्रगतिशील साहित्य जनता का साहित्य होता है। वह जन आकांक्षाओं को वाणी देता है। वह उनके जीवन यथार्थ को ही अभिव्यक्त नहीं करता बल्कि उसके रूपांतरण की इच्छा से भी प्रेरित होता है। वह जनता की धर्मनिरपेक्ष और जनवादी भावनाओं के अनुरूप लिखा होता है। वह उन विचारों और संगठनों का विरोध करता है जो जनता को शोषित और उत्पीड़ित जीवन जीने को मजबूर करते हैं। वह जनता की भावनाओं को उदार और मानवीय, उनके सौंदर्यबोध को व्यापक और उन्नत बनाता है। वह कला के प्रति लोगों की अभिरुचियों को स्वस्थ और समाजोन्मुखी बनाता है। प्रगतिशील साहित्य को इसी व्यापक मानवीय और कला संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

प्रगतिशील लेखक संघ के विस्तार के साथ लेखकों के व्यापक संयुक्त मोर्चे का सवाल भी उपस्थित हुआ। प्रगतिशील लेखकों के मोर्चे में किस तरह के लेखकों को शामिल किया जाना चाहिए, इसको लेकर बहस चल पड़ी। मार्क्सवादी और गैरमार्क्सवादी लेखकों में ही नहीं स्वयं मार्क्सवादी लेखकों में भी इस बारे में तीखे मतभेद थे। इस बात पर भी बहसें चल रही थीं कि कौन लेखक प्रगतिशील है और कौन प्रतिक्रियावादी। कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति प्रगतिशील है और कौन सी प्रगतिविरोधी। लेकिन इसके बावजूद प्र.ले.सं. के साथ सभी तरह के प्रगतिशील और उदार नजरिए के लेखकों का जुड़ना जारी रहा। प्रगतिशील लेखक संघ ने आजादी के संघर्ष के उस दौर में लेखकों में जनता से जुड़े सवालों के प्रति गहरी वचनबद्धता का माहौल बनाने में जर्बदस्त पहल की थी और जिसका प्रभाव उस समय के लेखन पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। इस दौर में बहुत सा ऐसा साहित्य भी लिखा गया जो अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बना, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया या जिन पर अश्लीलता के आरोप लगाकर मुकदमे दायर किए गये। इसके बावजूद कई नई पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। लेखकों को ऐसे मंच मिले जिनके द्वारा वे नये तरह के साहित्य को जनता तक पहुँचा सकें।

प्रगतिवाद का यह आंदोलन सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा। प्रगतिशील लेखक संघ की पहल से 1943 में भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) की स्थापना बंबई में की गई। थोड़े समय में ही इप्टा की टोलियाँ देश के कोने-कोने में स्थापित हो गईं और उनके द्वारा फासीवाद, अकाल और भुखमरी और साम्राज्यवादी दमन के विरुद्ध नाटक खेले गये। आजादी के बाद नाटक और सिनेमा की अधिकांश महत्वपूर्ण हस्तियाँ इप्टा से ही जुड़ी थीं। सोवियत संघ पर फासीवाद हमले के बाद फासीवाद के विरुद्ध जगह-जगह सम्मेलन आयोजित हुए जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

15 अगस्त 1947 को बंटवारे के साथ देश आजाद हो गया। इसने प्रगतिशील आंदोलन के विकास पर निर्णायक प्रभाव डाला। सितंबर 1947 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का विशाल अधिवेशन हुआ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन इसके प्रधान सभापति बनाए गए। इसमें पारित घोषणापत्र में कहा गया था कि देश के आजाद होने के बावजूद अब भी ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें मौजूद हैं जो जनता की खुशहाली को छीनना चाहती हैं। उस समय बनी नेहरू सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहकर स्वागत किया गया। लेकिन इसके बावजूद प्रलेस, इप्ता तथा इनसे जुड़े लेखकों, कलाकारों और पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी दमन का सामना करना पड़ा।

सन् 1949 में प्रगतिशील लेखक संघ का अखिल भारतीय सम्मेलन बंबई के पास भिवंडी में आयोजित किया गया। पहले यह सम्मेलन बंबई में होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण इसे भिवंडी में किया गया। इस सम्मेलन में हिंदी कवि और आलोचक रामविलास शर्मा को महासचिव बनाया गया। इसमें स्वीकृत घोषणापत्र में कहा गया था कि अगस्त 1947 के बाद भारतीय जनता की स्वाधीनता की लड़ाई एक नये दौर में दाखिल हुई है।

भारतीय पूँजीपति वर्ग जो राष्ट्रीय आंदोलन के काल में साम्राज्यवाद से समझौता किया करता था, अब खुले आम उसका गठबंधन साम्राज्यवाद से हो गया है। इस घोषणापत्र में यह घोषित किया गया कि आज लेखक भी दो खेमों में बँटा हुआ है, एक जो शांति और जनवाद की शक्तियों के साथ है, दूसरा जो हिंदुस्तान को साम्राज्य का पिछलग्गु बनाए रखना चाहता है। इन दोनों खेमों के बीच समझौता संभव नहीं है। दूसरा खेमा जनता का ध्यान सही सवालियों से हटाने के लिए कला कला के लिए' का नारा देता है तथा राजनीतिक दृष्टि से हीन साहित्य की रचना करता है (हंस, जून 1949.)। 1949 की इस समझ को लेकर प्रलेस के बीच विवाद छिड़ गया। लेखकों के एक समूह ने इस समझ को संकीर्णतावादी कहा। दूसरी ओर साहित्य के मूल्यांकन को लेकर भी विवाद बढ़ता गया।

प्रगतिशील कविता का संबंध समाज के अंतर्विरोधों और विकास से है। इसलिए जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होता है, प्रगतिशील कविता में भी परिवर्तन होता है। यही कारण है कि प्रगतिशील कविता हमेशा एक-सी नहीं रहती। वह समय के अनुसार बदलती रहती है। तीस के दशक में हिंदी कविता में जो परिवर्तन दिखाई दिए थे, उसने उस सुदृढ़ काव्यांदोलन को जन्म दिया जिसे बाद में प्रगतिशील कविता के नाम से जाना गया। लेकिन इससे पहले भी हिंदी की कविता परंपरा में प्रगतिशीलता के तत्व दिखाई देते हैं। यदि हम आधुनिक युग के संदर्भ में ही विचार करें तो प्रगतिशील काव्यधारा की कई विशेषताओं के मूल उत्स हमें भारतेंदु युगीन काव्य से दिखाई देने लगते हैं। मसलन, राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति इसी युग में प्रकट होने लगी थी। इसी प्रकार द्विवेदी युग में न सिर्फ इस भावना का विकास हुआ बल्कि नवजागरण के प्रभाव के विस्तार के साथ यह प्रश्न अधिक तीव्र स्वर में उभरने लगा था कि 'हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी'। इस भावना ने कई ऐसे सामाजिक सवालियों को कविता का विषय बनाने के लिए प्रेरित किया जो इससे पहले कभी नहीं उठाए गए थे।

प्रगतिवाद से पूर्व की सबसे शक्तिशाली काव्यधारा, छायावाद, की प्रगतिशील भूमिका पर प्रगतिशील आलोचकों ने विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने छायावाद के विकास को स्वाधीनता संघर्ष के साथ जोड़कर

देखा और कहा कि जो अंतर्विरोध उस दौर के स्वाधीनता आंदोलन में थे वे ही छायावाद में भी प्रकट हो रहे थे। डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार, 'हिंदी साहित्य का वह रूप जिसे हम छायावाद कहते हैं, स्वाधीनता आंदोलन की इस मंजिल को इसकी तमाम असंगतियों और अंतर्विरोधों के साथ प्रकट करता है। छायावादी साहित्य में जहाँ एक तरफ नया उल्लास, नये विकास और नये प्रसार की कामना, देश भक्ति की नयी प्रेरणा, समानता-विश्व बंधुत्व आदि के भाव हैं, वहाँ दूसरी तरफ उसमें पलायन, रहस्यवाद, प्राचीनता, प्रेम, निराशा, व्यक्तिवाद, काल्पनिक स्वर्ग रचना आदि-आदि की प्रवृत्तियाँ भी मौजूद हैं।' इसके कारण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि "किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसमें आम जनता के क्रांतिकारी वर्ग संगठनों का अभाव होगा, पलायन, निराशा, प्राचीनतावाद के भाव लाजमी तौर से उठेंगे।"

1930 के दशक तक आते-आते जब स्वाधीनता आंदोलन में किसान-मजदूर जनता की भागीदारी बढ़ने लगी थी, तब छायावाद की प्रासंगिकता भी समाप्त होने लगी थी। दूसरे शब्दों में छायावाद का पतन अवश्यंभावी हो गया था। छायावाद के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा था, "सन् 34 के आंदोलन की विफलता ने पूँजीवादी नेताशाही की तरफ से जनता के भ्रमों को काफी दूर किया। स्वाधीनता आंदोलन ने दूसरी मंजिल में कदम रखा। देश में किसानों और मजदूरों के नये वर्ग-संगठन कायम होने लगे और उन्होंने यह कोशिश शुरू की कि राष्ट्रीय आंदोलन को समझौतावाद के रास्ते से मोड़ा जाये। यह परिवर्तन साहित्य में भी दिखाई देता है। राष्ट्रीय नेताशाही के पक्के भक्त प्रेमचंद उससे मुँह मोड़ने लगे। उन्होंने वर्ग समझौते का रास्ता छोड़कर वर्ग-संघर्ष का रास्ता अपनाया। छायावादी कवि अपने कल्पना विलास की स्वयं आलोचना करने लगे। हिंदी में तभी प्रगतिशील साहित्य की चर्चा भी शुरू हुई।"

छायावाद के उत्तरकाल में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएँ लिखने की प्रेरणा लेकर जो कवि सामने आए उनमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी आदि प्रमुख थे। उन्होंने ऐसी कविताएँ लिखीं जिनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रभाव था और जो समाजवादी विचारों के प्रभाव में भी थे।

डॉ. अरुण कमल राय का कहना है, "प्रगति संबंधी मान्यताएँ किसी स्थिर अवधारणा पर आधारित नहीं रही हैं। समयानुकूल उनमें परिवर्तन हुआ है। स्वाधीनतापूर्व उसका जो रुख-रुझान था, स्वाधीनता के बाद उसमें स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देगा। इस अंतर के बावजूद प्रगतिशील कविता के सामने हमेशा एक केंद्रीय मुद्दा रहा है, वह है देश की बहुसंख्यक शोषित-उत्पीड़ित जनता की वास्तविक मुक्ति। अतः हिन्दी प्रगतिशील कविता की अन्यान्य प्रवृत्तियों में उसका केंद्रीय मुद्दा अनुस्यूत रहा है। चाहे राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रश्न हो, चाहे शोषित-उत्पीड़ित जन-जीवन के प्रति प्रेम हो या शोषक-उत्पीड़क वर्ग के प्रति आक्रोश, चाहे रूढ़िवाद और जातीय भेदभाव का विरोध हो या सांप्रदायिक सदभाव सर्वत्र हो, यह केंद्रीय मुद्दा उसके सामने रहा है। केवल कविता की अंतर्वस्तु ही नहीं, वरन् उसके शिल्प और कलात्मक सौंदर्य के प्रतिमानों के ग्रहण और परित्याग में भी यही केंद्रीय मुद्दा उसके सामने दिखाई देगा।" इस कथन के संदर्भ में ही हम यहाँ प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे।

प्रगतिवाद में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति एक प्रमुख विशेषता रही है। यह वह दौर था जब देश अंग्रेजी राजसत्ता के अधीन था और उससे मुक्ति का संघर्ष दिन-ब-दिन तेज होता जा रहा था। इस संघर्ष में जनता

के व्यापक हिस्से शामिल होते जा रहे थे। उत्तर छायावादी कविता में तो देशभक्ति एक अहम् मसला हो गया था। उस समय के कई लेखक स्वयं भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। कविता करना और आजादी के संघर्ष में भाग लेना उनके लिए अलग-अलग बातें नहीं थी। छायावाद के दौर से यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। सुभद्रा कुमारी चौहान, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर ही नहीं बाद में प्रगतिवाद से जुड़े राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, शील, यशपाल, शिव वर्मा, मन्मथनाथ गुप्त, हंसराज रहबर आदि कई साहित्यकार राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए।

प्रगतिशील कविता में व्यक्त राष्ट्रीय भावना छायावादी राष्ट्रीय भावना से कई मायनों में अलग थी। कवि ने जहाँ एक ओर देशभक्ति की भावना को क्रांतिकारी धार दी, तो दूसरी ओर, उन्होंने उसे सामाजिक मुक्ति के सवाल से भी जोड़ा। उन्होंने इतना ही कहना पर्याप्त नहीं समझा कि देश को विदेशी दासता से मुक्त होना चाहिए बल्कि यह भी कि आजाद भारत किस तरह का होगा और राजसत्ता पर। किसका शासन होगा। क्या वास्तव में जनता का राज होगा? उन्होंने गांधी युग के हिंसा और अहिंसा के सवाल को भी अप्रासांगिक ठहराकर अस्वीकार कर दिया। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था, "हिंसा और अहिंसा क्या है/जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है?" प्रगतिशील कविता ने साहित्य और कला को राजनीति से निरपेक्ष रखने की धारणा को भी अस्वीकार किया। उन्होंने 1947 में प्राप्त हुई आजादी के चरित्र को लेकर सवाल उठाए। कवियों ने यह सवाल उठाया कि क्या आजादी के बाद कुछ भी बदला है। नागार्जुन ने लिखा था :-

पुलिस और पलटन के हाथी कितना चारा खाते हैं,
वही रंग है, वही ढंग है, फरक नहीं कुछ पाते हैं।
देश-भक्ति की सनद मिल रही आये दिन शैतानों को,
डांट-डपट उपदेश मिल रहे, दुखी मजूर-किसानों को।

आजादी के बाद की निराशाजनक तस्वीर ने प्रगतिशील रचनाकारों को उस समय की राष्ट्रीय सरकार की आलोचना करने को प्रेरित किया। लेकिन मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का एक हिस्सा इससे भिन्न ढंग से सोच रहा था। वे किसान-मजदूरों के हितों से ज्यादा अपने हितों को तरजीह दे रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि ऐसे बदलाव होंगे जो उनके हित में जाएँगे। यही कारण है कि जल्दी ही कवियों का एक हिस्सा देशभक्ति और जनता के प्रति लगाव का भाव भूल गया और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पर ज्यादा बल देने लगा।

प्रगतिशील कविता की एक अन्य प्रवृत्ति रही है सामाजिक यथार्थ के चित्रण पर बल। इस संदर्भ में नामवर सिंह की यह बात खास तौर पर उल्लेखनीय है। उनका कहना है, "जिस तरह कल्पनाप्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद कीय उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है।" इसी सामाजिक यथार्थ दृष्टि के कारण ही वे समाज में व्याप्त कई ऐसी विकृतियों का विरोध करने में सक्षम हो सके जिसके कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा नारकीय और पराधीन जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। नारी की पराधीनता, दलितों का उत्पीड़न तथा शोषण और सांप्रदायिक विद्वेष के खिलाफ प्रगतिशील कवियों ने लगातार आवाज उठाई। वे यह जानते थे कि ये चीजें सिर्फ पूँजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जहर उगलने से ही समाप्त नहीं होंगी और न ही राजनीतिक परिवर्तनों से ही जातिवाद, सांप्रदायिकता और नारी मुक्ति के प्रश्न एक बारगी हल हो सकते हैं। इसके लिए जनता की चेतना को बदलने की भी जरूरत है।

यही कारण है कि प्रगतिशील कविता में इन विषयों पर अत्यंत मार्मिक कविताएँ लिखी गईं जिनका मकसद यही था कि जनता में जाति, धर्म, लिंग और भाषा की भिन्नताओं के बावजूद व्यापक एकता कायम हो सकी। प्रगतिशील कवियों ने ऐसी सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों और बंधनों का भी विरोध किया जिनके कारण लोगों में नरक से निकलने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है। वे अपने जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को ईश्वर और भाग्य का खेल समझकर चुपचाप झेलते रहते हैं। प्रगतिशील कविता ने सामाजिक यथार्थ के कुछ अनछुए और स्वस्थ चित्र भी प्रस्तुत किए हैं, खासतौर पर पति-पत्नी के संबंध, पिता-पुत्र के संबंध और इसी तरह के आत्मीय संबंधों के चित्र उनकी कविता को आत्मीय भावबोध से भर देते हैं।

प्रगतिशील कविता के बारे में आमतौर पर यह धारणा फैली हुई है कि वह राजनीतिक कविता है और जिसका काम प्रचार करना है। लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रगतिवाद जीवन के व्यापक और विराट सत्य को अभिव्यक्त करता है। जीवन और जगत् में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रगतिशील कविता के बाहर है। हाँ, हर कविता में उनकी मुख्य प्रतिज्ञा जनता के प्रति गहरी आस्था और उसकी मुक्ति की कामना है।

सारांश :-

प्रगतिशील साहित्य का उदय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से पहले ही होने लगा था। इसने साहित्य को गहरे तक प्रभावित किया। प्रगतिशील साहित्य सभी विधाओं में अपने को अभिव्यक्त कर रहा था लेकिन इस इकाई में हमने कविता का ही विस्तार से परिचय दिया है।

प्रगतिशील साहित्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं: राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति, वामपंथी विचारधारा और राजनीति का प्रभाव, शोषित-उत्पीड़ित जनता से जुड़ाव, ग्राम्य जीवन के प्रति लगाव, शोषक सत्ता का विरोध और सामाजिक परिवर्तन पर बल जिसमें नारी, दलित के शोषण और उत्पीड़न का विरोध शामिल है। साथ ही, सांप्रदायिकता और धार्मिक रूढ़िवाद के विरुद्ध संघर्ष को भी हिंदी की प्रगतिशील कविता ने मुख्य विषय बनाया। प्रगतिशील कविता भाषा और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे हिंदी में भक्ति काव्य और छायावाद के बाद की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध काव्यधारा माना जाता है। प्रगतिशील कविता ने काव्य के विविध कला रूपों को प्रस्तुत किया और भाषा को जनता के नजदीक लाकर उसकी संप्रेषणीयता को भी सपन्न बनाया। इस प्रकार प्रगतिशील कविता का यह अध्ययन आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, ऐसी आशा है।

संदर्भ :-

1. पुतली में संसार, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2004, अंतिम फलैप पर दिये गये लेखक परिचय में।
2. कवियों की पृथ्वी, अरविन्द त्रिपाठी, आधार प्रकाशन, पंचकूला (हरियाणा), संस्करण-2004, पृष्ठ-187.
3. अपनी केवल धार, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, तृतीय संस्करण-1999, पृष्ठ-88.
4. कविता और समय, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ-8.
5. जयप्रकाश, आलोचना (पत्रिका), सहस्राब्दी अंक-3 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2000), सं० परमानन्द श्रीवास्तव, पृष्ठ-149.
6. कविता और समय, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2002, पृष्ठ-164.
7. गोलमेज, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ-192
8. गोलमेज, अरुण कमल, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, संस्करण-2009, पृष्ठ- 189-90

नीतू बाला, पी.एच.डी -हिन्दी

हाउस नंबर- स. 499 भागू रोड, गली न.-29, नजदीक पटवारखाना, मोडल टाउन फेस-9888201192

गुरु काशी विश्वविद्यालय तलवंडी साबो, बठिंडा



नई शिक्षा नीति और हिंदी

निहारिका देशमुख

सहा. प्रा. जे.एस.एस.पी., कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, गोवेली, कल्याण, ठाणे।

14 सितम्बर 1949 को संवैधानिक स्तर पर भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता प्राप्त हुई थी। 1965 से पूर्व 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है। जो पुनः 1967 में संशोधित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1965 तक हिंदी को पूर्णतः राजभाषा के रूप में स्थापित कराने के आश्वासन को पुनः अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया जाता है। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी, जिनके लिए इससे पहले प्रयोग में लाई जाती रही है। यह व्यवस्था संविधान लागू होने से लेकर आज तक यथावत चली आ रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारी नीतियों के कारण आज भी हिंदी राजभाषा में सहायक के रूप में कार्य कर रही है और एक विदेशी भाषा हमारी प्रमुख राजभाषा के रूप के शासकीय प्रयोजनों, वार्ताओं, पत्रों, अभिलेखों की आधार भाषा बनी हुई है।

निज भाषा की ताकत को पहचानते हुए ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की उन्नति शीर्षक व्याख्यान में 1877 में कहा था— निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल वह भारतेंदु द्वारा संकल्पित यह निज भाषा हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाएं ही थी, जिनकी उन्नति के बिना सुख—दुख, ज्ञान—विज्ञान, प्रेम—विवेक, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास संभव नहीं है।

अनेकता में एकता के सूत्र, व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के द्वार निज भाषा की उन्नति से ही जुड़ते—खुलते हैं। मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार, समाज, प्रदेश और देश से जोड़ती है, उनके बीच समरसता स्थापित करती है। वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य समिति इंदौर के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था— आज अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। हमें अब अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए...।

ब्रिटिश दौर में मैकाले की शिक्षा नीतियों ने समूची भारतीय शिक्षा व्यवस्था को भिन्न—भिन्न रूपों में ध्वस्त किया। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक, वीर परंपरा, संत परंपरा, त्याग, सेवा भाव एवं जीवन मूल्य जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण बातें शिक्षा से अलग हटा दी गईं। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा नीतियों में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा। अंग्रेजी अच्छे ज्ञान और अच्छी शिक्षा का पर्याय बनती चली गई। हमारी शिक्षा नीतियां बालक अथवा मनुष्य को एक संसाधन के रूप में देखती रही। वह उसे अच्छा व्यवसायी और बाजार के अनुरूप तो बनाती रही, किंतु मातृभाषा, परहित का भाव और भारत भाव से वह अधिकांशतः दूर होते चला हैं।

भाषा ज्ञान के रास्तों को खोलती है लेकिन हमारे ही देश में अंग्रेजी पर हम सभी की अतिनिर्भरता ने गाँव, कस्बों व शहरों तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अभाव के कारण विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से वंचित कर दिया है। अगर हम अपने आसपास ही देखें तो विद्यालय तक विज्ञान की शिक्षा हिंदी में लेने वाला छात्र, उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय अंग्रेजी पाठ्यक्रम व अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता व हिंदी भाषा में पाठ्यपुस्तकों में अभाव के कारण विज्ञान व तकनीकी पाठ्यक्रमों से दूरी बना लेता है। यह हमारी शिक्षा व भाषा नीति की विफलता है कि वह एक और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है दूसरी ओर आजादी के इतने वर्षों उपरांत भी हम ज्ञान-विज्ञान के पाठ्यक्रमों को हिंदी, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि "हमने अपनी आँखे खोकर चश्में लगा लिए हैं"।

नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिये जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' प्रस्तुत किया था। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020' वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी।

शिक्षा नीति में हिंदी का महत्व भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने और आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है। नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा के संबंध में उत्पन्न उन सभी सवालों को समझा व नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया है जिस पर अमूमन पूरे देश में प्रत्येक हिंदी दिवस पर चर्चा होती आ रही है। इस नीति के अंतर्गत भी राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों में से एक भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश को शामिल किया गया है। जबकि इससे पूर्व 1968 में कोठारी आयोग (1964-66) जिसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में पहला कदम कहा जाता है, वह :-

शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करता है।

14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखता है।

संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करने व त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश करता है।

कोठारी आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धता त्रिभाषा सूत्र को लाना था।

जो हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कदम था।

कोठारी आयोग की सिफारिशों के उपरांत 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। इस नीति में 1992 में संशोधन होता है और कहा जाता है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यक्रम में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए। इसी कारण नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। 1986 की शिक्षा नीति में भाषा को लेकर कोई विशेष निर्देश देखने को नहीं मिलते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को नवाचार, तकनीक, प्रौद्योगिकी, विज्ञान व मूल्यों से जोड़ना था। भाषाओं के संबंध में इतना ही कहा गया कि "1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थी उतनी ही आज भी हैं। किंतु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और

सौदेश्यता से लागू किया जाएगा"। 1968 की कोठारी आयोग की सिफारिशें हो या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों के भाषा के संदर्भ में अधिक मुखर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 होती है।

नई शिक्षा नीति-2020 में स्पष्ट रूप से शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा के सवाल को मुख्य रूप से उठाया गया है। जिसके लिए एक उप-अध्याय 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' शीर्षक रखा गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा की शक्ति को पहचानते हुए विभिन्न प्रावधान व सुझाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। इसमें कहा गया कि "छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/ मातृ भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/ मातृ भाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर/ स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।

विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को मातृ भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद होता हो तो उसे समाप्त किया जाएगा।

भाषा के विकास में त्रिभाषा सूत्र को पुनः शामिल किया गया और कहा गया कि इसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी।

संस्कृत, पालि, फ़ारसी, प्राकृत के साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया भाषाओं को भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा व पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।

छम्ह-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' पञ्ज, 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान "National Institute (or Institutes) वित Pali, Persian and Prakrit, स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में सुझाव का भाषा स्थानीय दिया है।

हमारी मातृ भाषाएं हमारी लोक व व्यापक जन की संवाद व संप्रेषण की भाषा है। यह हमारे राष्ट्र की धरोहर है यदि हम इनके प्रति ही स्वाभिमान का भाव पैदा नहीं कर सके तो फिर हम अपने राष्ट्र के प्रति भी स्वाभिमान का भाव नहीं रख सकते हैं। महात्मा गाँधी जी ने भी कहा है कि "मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों न हों? मैं इससे चिपटा रहूँगा अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं है। महात्मा गाँधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना 1937 में शिक्षा में मातृभाषा की अनिवार्यता पर बात कही थी।

नई शिक्षा नीति-2020 में मातृभाषाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया है। यह सच है कि कोई

भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक उसकी जमीन अर्थात् उसका जन मजबूत नहीं होता है। हमारी मातृ भाषाएं इसी बड़े व व्यापक जन समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब यह जन समूह मजबूत होगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी भाषा भी स्वतंत्र मजबूत होगी। क्योंकि हिंदी का शब्द भण्डार तो उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों व भारतीय भाषाओं के शब्दों के भंडार से निर्मित है। ऐसे में बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी विशेषता है। डॉ. जाकिर हुसैन जी के मतानुसार "हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा"। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी ही अनेकता में एकता है।

राष्ट्र के विकास के लिए एक शिक्षा नीति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार चीन, जापान, इजराइल आदि विकसित देशों के ज्ञान-विज्ञान तथा शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा है। उनका बाजार-व्यापार भी उनकी अपनी भाषा में संचालित है। उसी प्रकार हमारे देश के भीतर भी होना चाहिए। हमारे देश में ज्ञान-विज्ञान का माध्यम एक विदेशी भाषा है। आज भारतवर्ष भिन्न-भिन्न रूपों में विकास के मार्ग पर अग्रसर है। नया भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यह नितांत आवश्यक है कि मातृभाषा शिक्षा एवं संस्कार का माध्यम बने। युवा भारत मातृभाषा के चिंतन के साथ-साथ उसके वंदन के लिए भी दृढ़ संकल्पित हो। वर्ष 1886 में एक पत्र में विदेशी विद्वान फ्रेडरिक पिकाट ने लिखा है— 'मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निजभाषा अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम विकास हो नहीं सकता।'

नई शिक्षा नीति-2020, 34 वर्षों बाद व्यापक स्तर पर भाषा के विकास के सवाल को उठाती है जो इससे न केवल हमारी भाषाएँ समृद्ध होगी बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी भाषाई बंधनों से आजाद होकर अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा व हिंदी के माध्यम से ज्ञान के नए रास्तों को तलाश सकेगी व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकेगी।

डॉ. वेदप्रकाश के अनुसार मातृभाषा का चिंतन-वंदन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के आत्मबल की उन्नति करता है। यह दूसरे पर निर्भरता से मुक्ति और आत्मनिर्भरता की राह खोलने वाला है। मातृभाषा में व्यवहार और शिक्षा किसी के बहिष्कार से परे स्वयं के स्वीकार की दिशा में जाना है। मातृभाषा वह है जिसे बालक सबसे पहले अपनी मां से सीखता है और फिर परिजनों के साथ उसका विकास करता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का अनावश्यक प्रयास नहीं करना पड़ता। सीखने की यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रहती है।

क्या इस प्रकार के विभिन्न वक्तव्यों पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता नहीं है? भारतवर्ष जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज भी विभिन्न प्रदेशों में साक्षरता के आंकड़े कम हैं। शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति चिंताजनक है। आज भी विद्यालय और महाविद्यालयों से कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसका बड़ा कारण अंग्रेजी माध्यम की कठिनता है। विभिन्न अध्ययन एवं शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि बालक अपनी मातृभाषा में अधिक सीखता है और सरलता से सीखता है। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में काम और मातृभाषा का व्यवहार संपूर्ण साक्षरता की दिशा में भी कारगर सिद्ध हो सकता है।

सकारात्मक यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषा और मातृभाषा पर केंद्रित है।

यह जहां एक ओर भारत केंद्रित है, वहीं दूसरी ओर बालक केंद्रित भी है। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा / मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड पांच तक और उससे आगे भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं नए भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ विश्वविद्यालयों ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों को भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू किया है। पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, किंतु संकल्प से उसमें भी सफलता मिलेगी। मातृभाषा में वह शक्ति है जिसके सहारे बालक नैसर्गिक रूप से ज्ञानात्मक और विकासात्मक अवस्थाओं तक आसानी से पहुंच सकता है। विभिन्न देशों में उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका व्यवहार उनकी अपनी भाषाओं में ही होता है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह प्रविधान किया गया है कि हम अपनी मातृभाषाओं के व्यवहार में सम्मान महसूस करें। देशी-विदेशी सभी भाषाओं में ज्ञान का भंडार है, उन्हें सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहला सम्मान अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के लिए आवश्यक है। मातृभाषा में बालक की सहज प्रकृति का निर्माण करने की क्षमता है, यह समरसता का सेतु है। हिंदी युग का आरंभ तब होगा जब व्यापार हिंदी भाषा सहित भारतीय भाषाओं में होगा।

मातृभाषा में शिक्षण के साथ अनेक अन्य आवश्यकताएं भी हैं जो हर भारतीय को भारत से जोड़ना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंदी का पर्याप्त प्रचार एवं बाजार आधारित शिक्षा व्यवस्था की अनुपालना अनिवार्यतः होना चाहिए, इसी के सहारे भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विकास संभव है।

इस नीति का विशाल दृष्टिकोण यह है कि छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे; साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें।

संदर्भ :-

1. TV9 Bharatvarsh मोहित पारीक गवर्मेंट पीजी कॉलेज, मनीला, उत्तराखंड – हिंदी की सहायक प्रोफेसर
2. डॉ. अर्पण जैन 'अविचल' वेब दुनिया हिंदी
3. कन्हैया जी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
5. shorturl.at@rxyKW
6. shorturl.at@chiGX
7. shorturl.at@hlX27
8. shorturl.at@bghKR
9. <https://www-successcds.net/hindi/essays-essay-on-new-education-policy-2020-in-hindi>
- 10- <https://essayshout.com/nayi-shiksha-neeti-kamiyan-pareshaaniya>.

Email : deshmukkh.neeharika@gmail.com, Mob. 9820279521



विदेशों में हिन्दी के बढ़ते कदम

सूजलेखा ब्रह्म

शोधार्थी, हिन्दी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक।

भाषा मनुष्य के व्यभिचार और आदान-प्रदान का एक जरिया है। आज भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपनी ज्ञान का विस्तार कर नये-नये आविष्कारों से विश्व को सजग बना रही है। प्राचीन काल में जिस इंगित भाषा का प्रयोग मनुष्य करते थे शायद आज उससे मानव जीवन इतनी सुलभ नहीं हो पाती जितनी आज देखने को मिल रही है। भाषा व्यक्ति विशेष की पहचान, जातियता और संस्कृति को दर्शाने का कार्य करती है जिससे उसके व्यक्तित्व के परिचय पता चलता है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है "भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अलग झलकाती है, यही उसके हृदय के भीतरी कल-पुर्जों का पता देती है। किसी जाति को आशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है।"

भारत और भारतीयता की पहचान 'हिन्दी' से है। भारत के उत्तर, दक्षिण हो या पूर्व, पश्चिम हर दिशाओं की भाषा, संस्कृति को अपने अंदर समाने की क्षमता हिन्दी में है। विश्व की तमाम महान भाषाओं में हिन्दी को विशेष दर्जा प्राप्त है। हिन्दी महज एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति को जोड़े रखने की संवाहिका है। आज इसे देशभर के कोने-कोने में वास करने वाले लोग संपर्क भाषा के तौर पर व्यवहृत कर रही है। हिन्दी आज मानव मूल्यों को बढ़ोत्तरी देने, रोजगार के क्षेत्र में आसान बनाने तो वहीं जीविकापार्जन में भी काफी सहायक सिद्ध होती आ रही है। मूलतः आज भारत में ही नहीं बल्कि देश-विदेशों में भी हिन्दी प्रचलित होती जा रही है। कोरिया के 'बुसान विश्वविद्यालय' में इसे पढ़ाया जाता है तो 'केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा' में कई अंतरराष्ट्रीय छात्र हिन्दी सीखने और पढ़ने के उद्देश्य से दाखिला लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य से लेकर दक्षिण और विदेशों तक आज हिन्दी को बढ़ाने और उसके फैलाव के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, काफी हद तक सफल भी हो गए हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो. होजुमी तनाका के अनुसार "सन् 1999 में मशीन ट्रांसलेसन सम्मिट में जो भाषाई आंकड़े प्रस्तुत किए थे उसके अनुसार विश्व भर में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिन्दी का द्वितीय है अँग्रेजी तीसरे स्थान पर ही रह जाती है।"

साथ ही नवीन तथ्यों के आधार पर 'डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल' का भी कहना है "विश्व में सर्वाधिक लोग हिन्दी जानने वाले ही हैं। हिन्दी का महत्व इस बात से भी आँका जा सकता है कि आज विश्व के लगभग 150 देशों में हिन्दी का पठन-पाठन ही नहीं शोधकार्य भी हो रहा है। मारिशस, फीजी, सूरीनाम, हालैंड और इंग्लैंड जैसे कई देशों में हिन्दी में सृजनात्मक साहित्य की रचना भी हो रही है।"

कोई भी भाषा केवल भाषा के माध्यम से ही नहीं बनती बल्कि उसके लिए प्रचुर साहित्य की आवश्यकता

पड़ती है और उस साहित्य का अनुवाद अगर विश्व की कई भाषाओं में हो तब तो और क्या कहना। आज अपने बढ़ते कदम के साथ हिन्दी साहित्यों का अनुवाद कई भाषाओं पर हो चुका है और हो रहा है। सर्वप्रथम हम विदेशों में हिन्दी के फैलाव और उसे बढ़ते कदम को यहाँ जानेंगे।

मारिशस : मारिशस हिन्दी भाषी आबादी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह सत्य भी है। यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद हिन्दी को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है। हिन्दी यहाँ की सबसे अधिक बोली जानेवाली भाषा के रूप में सिनाक्त हो गई है। कहा जाता है कि मारिशस में भारतियों का आगमन उद्योग धंधा और मजदूरी के उद्देश्य से हुआ था लेकिन चीन के लोगों के बढ़ते कदम के कारण वहाँ के मूल निवासियों ने भारतियों को भी वहाँ के मूल निवासी के रूप में घोषित करना अधिक मुनासिफ़ समझा जिस वजह से आज वहाँ हिन्दी काफी अधिक मात्रा में बोली और कही जाती है। आज वहाँ छठी कक्षा तक हिन्दी की शिक्षा दी जाती है। साथ ही पंकज, बसंत, रिमझिम, आक्रोश इंद्रधनुष जनवाणी एवं आर्योदय जैसी हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ भी आज वहाँ से प्रकाशित होती हैं। परमानंद पांचाल का कहना है “यहाँ भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या कुल आबादी का 52 प्रतिशत से अधिक है। यहाँ गिरमिटिया मजदूरों के रूप में भारतियों का आगमन 1830 ई. में आरंभ हुआ। ये लोग अपने साथ रामचरित मानस, हनुमान चालीसा और आल्हा जैसी पुस्तकें लेकर आये थे। यही उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर थीं।”

नेपाल : नेपाल और भारत का संबंध वर्षों से जमीर से जुड़ा हुआ है। हालांकि कई बार बीच-बीच में कई मन्तव्य हमें आय-दिन समाचारों पर सुनने और देखने को मिलते हैं लेकिन देखा जाय तो नेपाल के शत-प्रतिशत भारत में और भारत के नेपाल में अपनी-अपनी जीविका उपार्जन के उद्देश्य से वास करते हैं। भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से देखे तो नेपाल और भारत एक जैसा ही है। यहाँ तीज, त्योहार, दुर्गोत्सव, पर्व-समारोह भले ही नियम अलग हो मगर मनाया जरूर जाता है। ‘नेपाली’ लिपि भी ‘देवनागरी’ है जो हिन्दी वर्णमालाओं की तरह ही लिखी जाती है। अतः काठमांडू से प्रकाशित नेपाली पत्रिका में कभी-कबार हिन्दी में प्रकाशित लेख, आलेख देखने को मिल जाते हैं। तो वहीं त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से सन् 1980 से ही ‘साहित्य लोक’ नामक पत्र प्रकाशित होती आ रही है। अतः नेपाल में हिन्दी की स्थिति छुटपुट तरीके से ही हो पाई मगर हुई जरूर है जिससे हिन्दी की महानता का पता लगाया जा सकता है। आज हिन्दी न सिर्फ भारत की भाषा बनकर रह गई है बल्कि यह तो देश-विदेशों तक अपना परचम फहरा रही है।

फ़िजी : यहाँ भारतियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक और हिन्दी बोलनेवालों की संख्या उससे भी अधिक कही जाती है। कई भारतीय स्कूलों में हिन्दी पढ़े और पढ़ाये भी जाते हैं। यहाँ बाजारों में बिकने वाले श्यामपट्ट और विज्ञापन भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी लिखे जाते हैं। भारतियों फिल्मों में यहाँ खूब पसंद किया जाता है। रेडियो और दूरदर्शन में भी अङ्ग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। भारत पुत्र, बुद्धि तथा बुद्धिवाणी आदि पत्रों का भी प्रकाशन हुआ मगर वह काफी दिनों तक न चल सका बस इतिहास के पन्नों पर छापकर रह गया। इसके अलावा किसान, दीनबंधु, ज्ञान, तारा, पुस्तकालय, जंजाल, सनातन प्रकाश, मजदूर आदि और भी कई पत्रिकाओं का सम्पादन किया गया मगर इसका भी दो-चार अंकों के बाद सम्पादन कार्य नहीं हो पाया।

सूरीनाम : सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। अन्य देशों की तरह ही भारतीय मजदूर यहाँ भी मजदूरी

के उद्देश्य से जा पहुंचे। अनेक कठिनाइयों के बावजूद यहाँ भी हिन्दी अपनी कलेवर पकड़ी हुई है। सन् 2003 में सातवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन सूरीनाम में ही आयोजित किया गया था। 'आर्य समाज' के द्वारा यहाँ 'आर्य दिवाकर' नामक हिन्दी पत्रिका का सम्पादन हुआ 'भारतोदय', 'अधीन' आदि अन्य पत्रिकाओं का सम्पादन कार्य भी हुआ जिससे वहाँ बसे हिन्दी वासी हिन्दी पढ़ सके, जान सके साथ ही वहाँ के मूल निवासी भी भारतीय भाषा और संस्कृति से मुखातिब हो सके।

गयाना : गयाना दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। हिन्दी और भारतीय संस्कृति यहाँ खूब ज़ोर-शौर से देखने को मिलती है। कई वर्ष पूर्व यहाँ भी कई भारतीय मजदूरी के उद्देश्य से आकर रमने-बसने लगे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया भारतीय आबादी बढ़ती गई और हिन्दी का भी विस्तार होता गया। आज गयाना में भारी मात्रा में हिन्दी बोली जाती है साथ ही यहाँ के कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक के स्तर पर हिन्दी की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ के अंग्रेजी दैनिक पत्र 'आर्गोसी' में मुख्य रूप से हिन्दी के लिए एक पृष्ठ रहता है। इसके अतिरिक्त 'आर्य ज्योति', 'अमर ज्योति', 'ज्ञानदा' जैसी पत्रिकाओं का सम्पादन कार्य भी हुआ है।

रूस : रूस ने अन्य देशों की अपेक्षा हिन्दी की बढ़ोत्तरी के लिए जिस तरह से हाथ बताए हैं वैसा अन्य किसी ने नहीं। हिन्दी की बढ़ती मांग को देख मास्को में हिन्दी प्रकाशन गृह की स्थापना की गई तो वहीं 'सोवियत संघ' नामक मासिक पत्रिका का भी सम्पादन किया गया। अनुवाद क्षेत्र की बात करें तो रूस में हिन्दी पुस्तकों का जितना अनुवाद हुआ है शायद ही अन्य भाषाओं का हुआ हो।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि हिन्दी न सिर्फ एक भाषा है बल्कि भारतीयता को जोड़े रखने की भरपूर क्षमता इसमें है। आज देश से बाहर विदेशों में भी इसकी झलक दिन व दिन बढ़ती जा रही है। प्रवासी साहित्यकार हिन्दी की बढ़ोत्तरी के लिए हर कोशिश कर रही है ऐसे में हम सभी भारतवासियों का यह दायित्व बनता है कि हम सभी जाति-धर्म निरपेक्षता से ऊपर उठकर अपनी जातियता और भारत देश की पहचान के लिए एक निर्दिष्ट भाषा का गठन करें।

संदर्भ :-

1. भूमंडलीकरण के दौर में हिन्दी, कुमारी डॉ. सरिता, राजभाषा पुस्तक प्रतिष्ठान, पृ. 30.
2. हिंदी भाषा, राजभाषा और लिपि, पांचाल डॉ. परमानंद, हिन्दी बुक सेंटर, पृ. 114.
3. वहीं, पृ. 114.
4. वहीं, पृ. 115.

संपर्क : 7576942436 / 6003427091

ईमेल : surjalekha143@gmail.com

पता :- सोनापुरी (ढालीगाँव), चिरां (783385), असम



कोविड-19 के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा का योगदान

रुवेता भारती, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर,

डॉ. ततहीर फातमा, एसोसिएट प्रोफेसर,

गृह विज्ञान विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय,
सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ, यूपी 226013

सारांश :-

कोविड-19 जो कि देखते ही देखते विश्व स्तर पर महामारी की भयावह संक्रमण रूप में विस्तारित हो गया जिसने देश विदेश के साथ ही भारतीय जन के समस्त क्षेत्र के साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र को भी प्रभावित किया इसी महामारी के दौरान नई शिक्षा नीति जो कि 1986 के बाद भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। इस शोध पत्र का उद्देश्य कोविड-19 के दौरान प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 में मातृ भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम व शिक्षक छात्र के अध्ययन क्रिया प्रक्रिया में महत्व की विशेषताओं का वर्णन करना है जो कि विश्लेषणात्मक व व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग कर, साथ ही माध्यमिक श्रोत की सहायता पूर्वक किया जाएगा। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध पत्र अध्ययन हेतु प्रस्तावित है। जिससे कि समाज व शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित नियमों व शर्तों के द्वारा शिक्षा में हिंदी भाषा, पाठ्यक्रमों, शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा में सुधार करने के नियमों को जानने में भविष्य में सहायता करेगा एवं आगे के अध्ययन के हेतु भी गुंजाइश करेगा।

मुख्य शब्द :- कोविड-19, नई शिक्षा नीति, मातृभाषा, हिंदी, शिक्षक, आयोग

उद्देश्य :- कोविड-19 के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा का योगदान का अध्ययन करना है।

विधि :- इस शोध पत्र को सेकेंडरी डाटा की सहायता से पूरा करने हेतु गूगल स्कॉलर, विकीपीडिया, शोधगंगा, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट, डाटा, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पत्रों के सहायता से साथ ही साथ अन्य शोध पत्रों के द्वारा पूरा किया जाएगा जो यह जानने में सहायता करेगा कि नई शिक्षा नीति में क्या और कैसे सुधार एवं नियम व घोषणाएं की गई है।

कोविड-19 जिसे महामारी के रूप में संपूर्ण विश्व में देखा गया जिसने देश विदेश के समस्त क्षेत्र को भी प्रभावित किया। भारत जो कि विकासशील देश के रूप में जाना जाता है जहां पर 4.7 मिलियन कोविड से प्रभावित मृत्यु का अनुमान लगाया गया है। कोविड-19 के मामले संयुक्त राज्य अमेरिका ब्राजील के बाद भारत का स्थान रहा है। ऐसे में भारत के शायद ही कोई क्षेत्र हैं जिसे महामारी का सामना ना करना पड़ा हो चाहे वह

सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य क्षेत्र ही क्यों न हो साथ ही शिक्षा जगत भी प्रभावित हुआ।

इसी दौरान नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव आगे की शिक्षा क्षेत्र के कार्यकलाप में एक सुधार व एक सहायक कारक के रूप में देखा जा रहा है। जिससे कि छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल कायाकल्प दिया जा सकता है। जोकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से प्रस्तावित किया गया जो 34 सालों के पश्चात शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक निर्णय है। जिस को मंजूरी देते हुए कैबिनेट मंत्रालय में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एम एच आर डी के नाम में परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सीखने को केंद्र बिंदु कर भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कर बताया गया है कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा सभी वर्ग के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के स्वरूप दिया जायेगा।

1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन के अगुवाई में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन व भारत में शिक्षा व्यवस्था का कार्य आरम्भ किया गया था। 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा एवं 1964 में दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में शिक्षा आयोग में 1968 में शिक्षा नीति प्रस्ताव पारित किए गए जो राष्ट्रीय विकास के प्रति युवक-युवतियों के चरित्र व कार्य कुशल को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया व राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई 1986 में कार्यान्वित की गई जो कि अब तक चल रही है।

1990 में आचार्य राममूर्ति के अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा हेतु एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का आयोजन किया गया।

भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 जो कि भारत की शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। यह शिक्षा नीति 1986 के बाद भारत के प्रथम शिक्षा नीति है जिसमें बदलाव किया गया है जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन के दृष्टिगत अध्यक्षता समिति पर आधारित है। यह पहली शिक्षा नीति है जिसमें देश भारत के संभवत 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक व 650 जिलों से विचार-विमर्श कर जानकारी लिए गए। जो कि अध्यापकों अभिभावकों शिक्षा विद्वानों समिति, छात्रों का भी सुझाव प्राप्त कर उनके द्वारा दिए गए विचारों का मंथन कर ही राष्ट्रीय आवश्यकता व चुनौतियों के अनुरूप इस नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किया गया। शिक्षा का महत्व जीवन के प्रत्येक स्तर की चुनौतियों व कठिनाइयों से बचने का समाधान प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। जिससे कि अनगिनत रूप से जीवन स्तर में बदलाव आ सकता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा "एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें संस्कृत समेत भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा "इस नीति के मुख्य चार आयामों को रेखांकित किया गया है –ढांचागत सुविधाएं, पाठ्यक्रम, अध्यापक एवं विद्यार्थी। किसी भी छात्र के जीवन में शिक्षक का स्थान व शिक्षक के जीवन में छात्रों का स्थान कितना महत्व रहता है यह हमारे भारत देश में पूर्वोत्तर काल से ही देखा गया है जैसेकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य (जो कि राजनीति के जनक) एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फुले इस तरह संक्षिप्त रूप में वर्णित है।

इस नीति में छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्कूल में 30 अनुपात एक छा, शिक्षक अनुपात (पीटीआर) से कम सुनिश्चित करते हुए साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के अधिक संख्या वाले स्थानों पर 25 अनुपात¹ के अंतर्गत पीटीआर का लक्ष्य रखा जाएगा। यह शिक्षा नीति भाषा की दक्षता,

वैज्ञानिक विचार, कला बोध, नैतिक तर्क वितर्क, आधुनिक डिजिटल साक्षरता के साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्वा की पाठ्यक्रम, सभी मुख्य भाषाओं को महत्व देते हुए पाठ्यक्रम को गुणवत्ता, लोचमय एवं मूल्यांकन करने हेतु गठित किया गया है नई शिक्षा नीति म। भाषा किसी भी देश या परिवार के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा में भाषा का महत्व भी होता है हमारे भारत देश के संविधान जोकि बाबासाहेब बीआर अंबेडकर द्वारा रचित आठवीं अनुसूची के 343 अनुच्छेद में भाषाओं को वर्णित किया गया जिसमें हिंदी का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक भाषा का अपना महत्व होता है शिक्षा की व्यवस्था में भाषा का मुख्य भूमिका रहा है। व्यवहारिक जीवन हो या अध्ययन का आरंभ हो भाषा के बिना व्यर्थ ही है।

प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के महत्व को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन न हिय के मूल; भारत देश की संस्कृति व सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने में भाषा यानी मातृभाषा का अहम योगदान रहा है। इसके अभाव में सब व्यर्थ ही होते हैं इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा को अत्यधिक महत्व देते हुए पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के द्वारा कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अधिक मात्र भाषा के रूप में हिंदी प्रथम स्थान पर है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी को मातृभाषा के रूप में बताया गया साथ ही 2001 की जनगणना के अपेक्षा 2011 में बढ़ोतरी का स्तर बताते हुए 41.03 प्रतिशत पाया गया जबकि 2011 में 43.63 प्रतिशत इतना हो गया अन्य भाषाओं में इससे कम प्रतिशत रहा साथ ही अंग्रेजी भाषा को करीब 2.6 लाख लोगों ने मातृभाषा के रूप में स्वीकारा है।



<https://static.langimg.com/thumb/msid-64758766,width.680,resize-mode-3/64758766.jpg>

एनपी 2020 में मातृभाषा स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा के साथ ही उच्च शिक्षा में छात्रों हेतु संस्कृत व अन्य प्राचीन भाषाओं के चुनाव का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा में भी अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन क्रिया प्रक्रिया पर बल दिया गया है। 2008 में अपने रिपोर्ट में चर्चा करते हुए यूनेस्को ने मातृभाषा के माध्यम से सीखने को सरल बताया है क्योंकि इसमें मानव संप्रेषण व ज्ञात- संज्ञान अधिक सरलता व शीघ्रता से सीख अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करता है स अन्य भाषाओं के द्वारा उसे रटने पर ध्यान रहता है।

एमईपी 2020 में इन्हीं बातों को को ध्यान में रखते हुए साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के भाव-विचार जानते हुए ही इस योजना में भारतीय भाषाओं एवं अन्य भाषाओं में पढ़ाए जाने व सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम की सिफारिश किया गया है। हाल ही में घोषणा कर बताया गया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थानों में भी 2021-22 में मातृभाषा को माध्यम बना इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का भी आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री डॉ पोखरियाल ने भारतीय भाषाओं कला व संस्कृति को मातृभाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग कर कार्यक्रमों को द्विभाषी रूप में सुचारू रूप से चलाने हेतु निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित कर एवं बढ़ावा दिए जाने पर चर्चा किया है।

समस्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कहना उचित ही होगा कि कोविड-19 के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 जो कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्र नाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के अनुसार है जिससे कि विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को ही नहीं अपितु जीवन स्तर को भी उच्च बनाने में सहायता प्रदान करेगा। नई शिक्षा नीति में 10 +2 के ढांचे को परिवर्तन कर 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम की घोषणा कर क्रम से 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष तक वर्ष के बच्चों हेतु व साथ ही साथ इनएपी 2020 में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के द्वारा किए जाने पर बल देते हुए स्कूली व उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को अन्य भारतीय व गैर भारतीय भाषाओं के चयन हेतु स्वतंत्र होंगे। डॉ वेद प्रकाश के मतानुसार NEP 2020 के लिए ऐतिहासिक साहसिक व दूरगामी कार्य के समान बताया है। लगभग 75 प्रतिशत नियमों को 2024 एवं 25: प्रावधानों को 2035 तक स्थापित किया जाएगा।

निष्कर्ष : कोविड-19 ने देखते ही देखते एक भयंकर महामारी का रूप लेकर भारत के प्रत्येक क्षेत्र को छिन्न-भिन्न व नकारात्मक रूप से प्रभावित कर अत्यंत बुरी तरह से क्षति पहुंचाया है। जिसके कारण शिक्षा जगत में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी दौरान नई शिक्षा नीति का आगमन एक नई उजाले की तरह है जो कि इस संक्रमित अंधकार को दूर करने में सहायक होगा स जिससे कि बच्चों के शिक्षा व व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा जोकि कई प्रकार से इस नीति में उल्लेखित किया गया है जैसे कि भाषा, कौशल, ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि का इसमें बच्चों को सिर्फ स्कूल तक का ही ज्ञान ना मिलकर सामाजिक ज्ञान व व्यावसायिक ज्ञान में भी निपुणता मिलेगा। जिसकी सहायता से वह आगे भी शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए आत्मनिर्भर व समाज के लिए कुछ करने योग्य बन सकते हैं। जिससे कि सामाजिक उन्नति व देश के विकास की ओर कदम-कदम बढ़ता रहेगा। शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उतना ही आवश्यक है जितना की रोटी, कपड़ा, मकान। जिस प्रकार से इस के अभाव में व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल है ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के बिना इंसान का अस्तित्व भी है। इसीलिए तो कहा गया है शिक्षा उस शेरनी का दूध

है जिसे पीकर सब दहाड़ते हैं। अतः यह नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों के सम्पूर्ण विकास व उन्नतिशील जीवन को बनाने में साहायक होगी साथ ही साथ हम इसके सर्वोत्तम परिणामों की आशा करते हैं कि यह प्रगतिद्विप के रूप में प्रस्तावित व कार्यान्वित की जाएगी।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. <https://www.education.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/NEP-Final-English-0.pdf>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/National-Education-Policy-2020>
3. Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India & The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.
4. Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National.
5. Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education, 33.
6. <https://mgmu.ac.in/wp-content/uploads/NEP-Indias-New-Education-Policy-2020-final.pdf>
7. [http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2\(5½/33-pdhttp://ignited-in/I/a/89376](http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10/volume10-issue2(5½/33-pdhttp://ignited-in/I/a/89376)
8. भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित मुद्दों एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन | Original Article Sanjay Kumar Pal's in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education | Multidisciplinary Academic Research
9. नए भारत की नींव—राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 मीना (प्राध्यापक), मोनिका शर्मा (विद्यार्थी) HANS SHODH SUDHA. Vol. 1, Issue 3, (2021), pp. 59-62
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन पनंकी ननुनमा व ऋतेश बायद्वज।
11. [https://www.hindustantimes-com.translate-goog/education/new-education-policy-2020-nep-focus-on-healthy-pupil-teacher-ratio/story-ut28s1sobYpKHY5wcQuK-html-x-tr-sl\(en-&x-tr-tl\)hi-xxtr-hlhi-x-tr-pto\)tc.sc](https://www.hindustantimes-com.translate-goog/education/new-education-policy-2020-nep-focus-on-healthy-pupil-teacher-ratio/story-ut28s1sobYpKHY5wcQuK-html-x-tr-sl(en-&x-tr-tl)hi-xxtr-hlhi-x-tr-pto)tc.sc)
12. <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/hindi-mother-tongue-of-44-percent-in-india-bangla-second-most-spoken/articleshow/64758130.cms>

ईमेल: shwetab149@gmail.com, tatheerrau@gmail.com



हिन्दी पत्रकारिता के विकास में प्रिंट मीडिया का योगदान : एक अध्ययन

मंजू (विद्यार्थी)

शिवकुमार (सहायक प्राध्यापक)

मीडिया एवं कम्युनिकेशन अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, (भिवानी)—हरियाणा

सारांश :-

हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ ही हमारी मातृभाषा भी है तो वहीं से हिंदी समाचार पत्र लोक प्रिय हुए हैं। साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए साहित्य की विभिन्न विधाओं को विशेष प्रयोजन के साथ अभिव्यक्ति दी जाती है। ये विधाएँ आलोचना, काव्य, कथा—साहित्य, नाट्य, निबंध, संस्मरण, साहित्य की समीक्षा, समकालीन साहित्य विमर्श, तुलनात्मक साहित्य, साहित्य—संस्कृति, आदि पर केंद्रित होती हैं। इन विधाओं को पत्र—पत्रिकाओं (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जाहिर है इस प्रस्तुति—कला के संयोजन व संपादन के लिए पत्रकारिता के माध्यम का सहारा लेना पड़ता है स्पष्ट शब्दों में, अवधारणा के स्तर पर साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जोकि निर्धारित साहित्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रकाशन भी होता है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक पत्रकारिता क्षणों में नहीं युगों में जीवित रहने का प्रयास करती है। 30 मई को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड', प्रकाशित हुआ जो कि जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता में साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रारंभ किया।

भारतेंदु के उद्गार मानव जीवन और भाषा के महत्व को आज हम दर्शाते हैं। भाषा हमारे सोचने की दिशा निर्धारित करती है। हम बोले चाहे कोई भी भाषा मगर सोचते अपनी भाषा में ही है। भाषा की तरक्की से ही राष्ट्र की साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रसिद्धि संभव है और यह तरक्की प्रचार के माध्यम से ही संभव है। बाजारवाद के युग में एक कहावत प्रसिद्ध है 'जो दिखता है वह बिकता है, ठीक वैसे ही आज हिंदी ने संचार माध्यमों के द्वारा दुनियाभर में क्रांति मचा दी है। आज हर कोई हिंदी को लिखना, बोलना व सीखना चाहता है। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने बंगाल से निकालना और वही से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इनका उद्देश्य भार तीय को जागृत करना तथा भारतीय हितों की रक्षा करना था। पत्र—पत्रिकाओं को पूर्णता जागरण और स्वाधीनता की चेतना से जोड़ते हुए संस्कृत में कवि 'वचन सुधा हरिशचंद्र 'मैगजीन'' नामक पत्र—पत्रिकाएं निकाली। हिंदी के पत्र—पत्रिकाओं के प्रकाशन का संपादक का एकमात्र उद्देश्य हिन्दी के स्तर को उन्नत करना था।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' नामक पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धक करने के साथ—साथ नए

रचनाकारों को भाषा का महत्व समझाया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने और हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन अपेक्षाकृत बढ़ना प्रारंभ हुआ है। 30 मई को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया।

मूल शब्द :- हिंदी पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र पत्रिकाएं।

उद्देश्य :-

1. इसमें हम हिंदी पत्रकारिता एवं प्रिंट मीडिया अध्ययन करेंगे।
2. हिंदी भाषा में साहित्यिक पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे।
3. आधुनिक युग में अतीत में प्रिंट मीडिया का अध्ययन करेंगे।
4. अध्ययन का उद्देश्य साहित्य और पत्रकारिता के बीच के संबंधों को तलाशना।
5. साहित्य और पत्रकारिता कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं, उनके कारणों की पहचान करना।
6. साहित्यिक पत्रकारिता और व्यावसायिक पत्रकारिता के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझना।
7. हिन्दी के विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं का मूल्यांकन और प्रासंगिकता।

परिकल्पना :-

आधुनिक युग आने के बाद भी मुद्रण पत्रकारिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज के समय में भी हिंदी भाषा के समाचार पत्र उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे अब के समय में भी हिंदी समाचार पत्र, पत्रिकाओं साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक हैं और भी अधिक लोगों ध्यान आकर्षित हो रहा है लेकिन अब के समय में प्रिंट मीडिया पीत-पत्रकारिता में बाजारवाद का आगमन हुआ है आज की पत्रकारिता अपने मूल दायित्व को भूलती रही है व बाजारवाद व व्यवसायवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

शोध की सीमाएं :-

1. इस शोध में हम प्रिंट मीडिया का अध्ययन करेंगे।
2. इसमें हम हिंदी भाषा के समाचार पत्र, पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे।

साहित्य अवलोकन :-

1. साहित्य अवलोकन में हम देखते हैं कि आज के समय में समाचार पत्र-पत्रिकाएं व्यवसायवाद का रूप धारण कर रही हैं इनका मुख्य उद्देश्य लाभक माना ही रह गया है।
2. साहित्य में पत्रकारिता के बीच के संबंधों को तलाशना, साहित्य और पत्रकारिता कैसे एक दूसरे के पूरक हैं किसी भी समाज का समग्र रूप से आंकलन और अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उस समाज के विभिन्न काल-खंडों में रचा गया साहित्य और उस दौरान उपजा विमर्श ही होता है, इसलिए वर्तमान में रहते हुए देश और समाज की भूतकालीन दशा और भविष्यगामी दिशा को समझने के लिए साहित्य-रचना को देखा जाना अति आवश्यक है।
3. यह माना जाता है कि पत्रकारिता भी एक तरह का साहित्य ही है जो हड़बडी में और तुरंत प्रभाव छोड़ने के लिए लिखा जाता है इसलिए साहित्य-सृजन का एक रूप मानते हुए इसका अध्ययन भी आवश्यक है।
4. सन सैंतालीस के बाद देश पंचवर्षीय योजनाओं के 'ट्रायल' के दौर से गुजर रहा था। भारतीय समाज

के विकास का बहुआयामी आंकलन करते समय साठ के दशक को प्रस्थान बिंदु इसलिए माना गया है क्योंकि यह एक ऐसा समय था जब यह माना जा रहा था कि देश में लोकतंत्र लागू हो चुका है। नए तरीके का पूंजीवाद, नए तरीकेका सामंतवाद पनपने के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। साथ ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की आधार भूमि तैयार हो चुकी थी इस अध्ययन के लिए साहित्यिक पत्रकारिता की अवधारणा पर लिखित पुस्तकों और साहित्य और पत्रकारिता की बीच के संबंध और उनके बीच के विभाजन को प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों का ध्यान करने के पश्चात् आलेख को साहित्यिक पत्रकारिता की अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना :-

हिंदी के शास्त्र में हिंदी साहित्य के विकास का अभिन्न अंग है दोनों परस्पर एक दूसरे का दर्पण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सन् 1850 से 1885 ईसवी कि 'कविवचन सुधा' 1867 ईसवी 'मैगजीन' 1873 और 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' 1874 से ही हमें वास्तविक अर्थों में हिंदी की सतर्कता का पता चलता है। डॉ. शिव मंगल राय के अनुसार 1789 आते-आते प्रथम भारतीय बाबू राम ने कोलकाता में अपना प्रेस खड़ा कर लिया। प्री ओलकर ओर नाइक ने देवनागरी लिपिका समय 1796 में निर्धारित किया है। जबकि कुछ विद्वान इसे पहले ही मानते हैं 1786 से पहले देवनागरी टाइप कोलकाता में नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास मुद्रण 1995 में हिंदी का पहला पत्र निकालते हैं।

उदंत मार्तंड के बाद काशी के 'सुधाकर' और आगरा के 'बुद्धिप्रकाश' आदि में हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा। हरिश्चंद्र के समाचार पत्र पत्रिकाओं में देश के प्रति सजगता, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और इन पत्रों की मूल विषय वस्तु थी। 1907 का वर्ष समाचार पत्रों की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण रहा। बाल गंगाधर तिलक ने 'अभ्युदय' व 'हिंदी केसरी' का प्रकाशन किया। जिसमें राष्ट्रीय चेतना को जन साधारण तक पहुंचाना था। 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' का प्रकाशन किया इस समय छायावाद काल में पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक हुआ सभी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा पत्र-पत्रिकाएं निकाली। महात्मा गांधी की संपादकत्व में 7 अगस्त 1916 इसी को बंबई से 'सत्याग्रही' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। यह पत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन में हथियार के रूप में था। इसी क्रम में गोरखपुर से 6 अप्रैल 1919 को साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध था। इस पत्र के आदर्श वाक्य हैं।

'जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं।

वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

गुजरात में हिंदी पत्रकारिता के विकास ने गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। वहां से उन्होंने 1932 ईस्वी में यंग इंडिया, नवजीवन आदि पत्रिकाएं चलाई। 1821 में राजाराम मोहनराय ने बंगाली भाषा में 'संवाद कौमुदी' नामक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। इसके बाद राजाराम मोहनराय ने फारसी भाषा का पहला मीरात-उल-अखबार शुरू किया ये सभी साप्ताहिक पत्र थे। राजाराम मोहनराय ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना संपादन का प्रकाशन का कार्य किया। सभी दैनिक पत्रिकाएं ओर साप्ताहिक समाचार पत्रों में रुझान और उनके क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए साहित्य की विभिन्न विधाओं को विशेष प्रयोजन के साथ अभिव्यक्ति दी जाती है। ये विधाएँ आलोचना, काव्य, कथा-साहित्य,

नाट्य, निबंध, संस्मरण, साक्षात्कार, समीक्षा, समकालीन साहित्य विमर्श, तुलनात्मक साहित्य, साहित्य-संस्कृति, आदि पर केंद्रित होती हैं। इन विधाओं को पत्र-पत्रिकाओं (मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जाहिर है इस प्रस्तुति-कला के संयोजन व संपादन के लिए पत्रकारिता के माध्यम का सहारा लेना पड़ता है और इस प्रक्रिया के साथ ही साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत समझी जा सकती है।

दूसरे शब्दों में साहित्यिक पत्रकारिता क्षणों में नहीं युगों में जीवित रहने का प्रयास करती है। साहित्यिक पत्रकारिता का हमेशा से विशिष्ट स्थान रहा है। साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए साहित्य की विभिन्न विधाओं को विशेष प्रयोजन के साथ अभिव्यक्ति दी जाती है जाहिर है। इस प्रस्तुति-कला के संयोजन व संपादन के लिए पत्रकारिता के माध्यम का सहारा लेना पड़ता है और इस प्रक्रिया के साथ ही साहित्यिक पत्रकारिता की शुरुआत समझी जा सकती है। स्पष्ट शब्दों में, अवधारणा के स्तर पर साहित्यिक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जोकि निर्धारित साहित्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ प्रकाशन सामग्री को स्थायित्व व दीर्घ जीविता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में साहित्यिक पत्रकारिता क्षणों में नहीं युगों में जीवित रहने का प्रयास करती है।

हिंदी का युग डिजिटल का जमाना और पत्रकारिता :-

कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता सिखाई जाती है प्रैक्टिकल कराए जाते हैं ये पहले भी होता था, लेकिन आज इसकी ज्यादा ज़रूरत है वैसे भी मेनस्ट्रीम मीडिया में नौकरी कम है ऐसे में प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पत्रकार बनने में मददगार है पत्रकारिता का स्वरूप बदल चुका है। नई सदी की शुरुआत है पत्रकारिता के स्वरूप में भी बदलाव आया है पत्रकारिता का प्रथम स्वरूप अखबार यानी प्रिंट मीडिया है फिर टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया आज डिजिटल दौर में यह बिल्कुल नए तेवर और कलेवर के साथ अपनी तस्वीर बनाए हुए है। अखबार और पत्रिकाओं से शुरु हुई पत्रकारिता अब ऑनलाइन, जिसे वेब-पत्रकारिता कहते हैं, जिस तरह समाज बदला, उसी तरह पत्रकारिता भी बदली चाहे पत्रकारिता की रूप की बात करें या फिर उसकी विचारधारा की रिसर्च की ज़रूरत बढ़ गई है रिसर्च ही है जो पत्रकारिता को अब तक ज़िंदा रखा है। पत्रकारों के नैतिक मूल्य का पता नहीं, लेकिन पत्रकारिता का नैतिक मूल्य रिसर्च पर ही टिका हुआ है।

पहले खबरें प्रिंट, रेडियो और टी.वी. से आती थी अब ऑनलाइन भी इसमें शामिल हो गया है। अब वैसे ही खबरें आती हैं, जो दर्शकों को पसंद आए मतलब दर्शक ही पत्रकारिता को तय कर रहे हैं। खबरें मतलब सूचना हर कोई जल्दी से जल्दी से सूचना पाना चाहता है। इसलिए ऑनलाइन का दरवाजा खुला वैसे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फ़ेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम बहुत ज़रूरी है ये सभी बहुत सारी खबरें देते हैं, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया को नकारा नहीं जा सकता है। आज पत्रकारिता पहले जैसी नहीं रही अब विशेषज्ञ पत्रकार की ज़रूरत है और मांग भी है जैसे राजनीतिक पत्रकार, आर्थिक पत्रकार, लीगल पत्रकार, क्राईम पत्रकार, खेल पत्रकार, पत्रकारिता में पारदर्शिता ज़रूरी है, पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना जवाब देना। पत्रकारों को अपने नैतिक मूल्यों का सम्मान बनाकर रखना चाहिए और समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी चाहिए। लघु पत्रिका आंदोलन इतना लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ कि वे सभी भारतीय दायरों का विचारात्मक और सर्जनात्मक रूप विश्व भर में छा गया।

निष्कर्ष :-

हिंदी भाषा के समाचार पत्र इतने समृद्ध है कि आने वाले समय भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आधुनिकता के युग के चलते मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है हिंदी भाषा विकास में नए जन संचार माध्यमों की भूमिका के संदर्भ में अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अपने उद्भव काल से ही जनसंचार माध्यमों ने लोक शिक्षक की भूमिका में ही अपना कार्य जारी रखा है जैसे देखा जाए तो हिंदी भाषा विकास को केंद्र में रखकर भारत सरकार की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुँचाने में नए जनसंचार माध्यमों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में हिंदी भाषा विकास में नए जन संचार माध्यम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आते हैं नए जनसंचार माध्यमों ने विविध प्रकार के भावों में विचारों और जानकारीया आदान-प्रदान सफलता पूर्वक किया है अब तक जनसंचार मुद्रित माध्यमों में आज यह समय में टेक्नोलॉजी से बहुत अधिक प्रभावित हो रही है प्रत्येक सामाजिक, साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में उतनी ही उन्नत है जितनी पहली थी।

संदर्भ सूची ग्रंथ :-

1. <http://sarkariguider.in/hindi-bhasha-aua-wkavikas/>
2. <http://msahitykunj.net/entries/view/hindi-bhasha-ke-vikash-mein-patr-patrikaon-ka-yogdan>
3. <http://newsweiter.in/literary-journalism-in-hindi/>

Mob. 9728568119

Email ID - manjuduggal528@gmail.com



हिंदी : बाजार में बढ़ती और घरों में सिमटती

डॉ. उर्मिला कुमारी

सहायक प्राध्यापक, अन्नदा महाविद्यालय, हजारीबाग, झारखंड – 825301

हमारा समाज और हिंदी भाषा वास्तव में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका परस्पर जुड़ाव एक नई भाषा को जन्म देता है जो बाजार की भाषा होती है। आज के आधुनिक समाज में जहां मटेरिया लिज्म की प्रधानता है, वैसे में बाजार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। आज बाजार में हर एक वस्तु उपलब्ध है जिसके प्रति सभी आयु वर्ग का आकर्षण बढ़ रहा है। लोगों के पास सही-गलत तय करने की कोई कसौटी उपलब्ध नहीं है और वो बाजार के मोहपाश में बंधे हुए हैं।

भाषा की निर्मिति बाजार से ही हुई है। अपनी जरूरतों के लिए लोग बाजार से जुड़ते हैं, उनके आपसी सम्बंध बनते हैं। फिर यहीं से भाषा का नया रूप निर्मित होता है। इस प्रकार एक तरफ भाषा चीजों को परिभाषित करती है तो दूसरी तरफ चीजें भाषा को परिभाषित करती हैं। भाषा देश के भिन्न-भिन्न बाजारों से सफर तय करती हुई बोलियों के परंपरागत रूप से प्रांतीय भाषाओं तक की सफर तय करती है। बाजारों के साथ भाषा भी बदलती है। भाषा हर पल आवश्यकतानुरूप बदलती रहती है और यही उसकी जीवंतता की पहचान है।

आज का युग हाईटेक हो चला है। भूमंडलीकरण के विस्तार से मनुष्य में नई-नई कल्पनाएं पनप रही हैं जिसने 'ग्लोबल विलेज' का सपना साकार किया है। भूमंडलीकरण भी साम्राज्यवाद का एक नया अवतार है। नए-नए आविष्कारों तथा आयात-निर्यात के लिये हमेशा बाजार की तलाश रहती है। भूमण्डलीकृत विस्तार विश्व के साथ कदम मिलाकर चलने हेतु वर्तमान युग की अनिवार्यता बन गई है। पिछले एक दशक में बाजार में पूंजी के असीम विस्तार के साथ-साथ साधनों के अभूतपूर्व विकास को बढ़ावा देकर जिस प्रकार विश्व बाजार बनाया है उसके माध्यम से जो आर्थिक भूमंडलीकरण की भूमिका रची है उसमें मुनाफा आधारित उत्पादन प्रणाली को दुनिया भर के नए बाजारों की जरूरत महसूस होने लगी है। वैश्विक सीमाएं टूटी हैं। 'विश्व बाजार के सांस्कृतिक पहलुओं को भारतीय समाज की अंदरूनी तहों में प्रवेश कराने में हिन्दी की एक विशिष्ट भूमिका बन गयी है। हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिन्दी है, 30 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं। ऐसा कहा जाता है लगभग 22 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में हिन्दी भाषा के सम्पर्क में आते ही हैं।...एक अध्ययन के अनुसार भारत में 30 करोड़ का मध्यम वर्गीय उपभोक्ता बाजार मौजूद है जो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से कहीं अधिक बड़ा है। हिन्दी के घोड़े पर सवार उपभोक्ता बाजार महानगरों की सीमाओं से बाहर निकल रहा है।'¹

भारत में विश्व का सबसे बड़ा मध्य वर्ग है। यहाँ का मुठ्ठी भर 'एलीटक्लास' सारे कार्य-व्यापार का

नियामक है जिनकी भाषा हिन्दी नहीं है। आजादी की लड़ाई एवं राष्ट्रोत्थान में भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी की भूमिका सर्वविदित है। सच तो यह है कि स्वाधीनता पश्चात् सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग अब तक बढ़ा है, वह एक सवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने की औपचारिकता के रूप में ही बढ़ी है। इसकी वास्तविक प्रगति तब कही जाएगी जब वह कार्य कुशलता, सम्प्रेषण और कॉरपोरेट योजनाओं का अनिवार्य अंग बने। आज केवल माल बेचने व नए बाजार बनाने हेतु हिंदी का प्रयोग हो रहा है, व्यवहारिक उद्देश्य या मूलगामी परिवर्तन के लिए नहीं। विश्व बाजार में हिंदी की यही सबसे बड़ी विडम्बना है। वह उत्पाद बेचने की भाषा तथा लालसाओं और मरीचिकाओं की भाषा बन रही है जिसका भारत की करोड़ों अल्प शिक्षित जनता से कोई सम्बंध नहीं।

हिंदी संसार के समृद्धतम भाषाओं में से एक है। अपनी व्यापकता में सीमाओं को पार कर सार्वदेशिक भाषा बन गयी है। हिन्दी का शब्द भंडार विविध भाषाओं के प्रभाव को स्वीकार करते हुए नए शब्दों को आत्मसात् करते हुए समृद्ध होता जा रहा है।

मनुष्य आज बाजार का गुलाम होता जा रहा है। फलतः भाषा पर भी बाजार का प्रभाव पड़ रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी की बढ़ती उपयोगिता मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हो रही है। बाजार में व्यावसायिकता की मांग के कारण हिंदी भाषा के कई शब्द, वाक्य या वाक्यांश प्रयोजन हेतु पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। यथा—बिक वाली कम होने से दाल औंधे मुंह गिरा, मोबाईल धारकों को अनवांटेड कॉल से छुटकारा आदि। संचार भाषा के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी शब्दों को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त हुई है। जैसे — हैंडबिल, पोस्टर्स, न्यूज़ बुलेटिन, जर्नल्स, डायरी आदि। लगभग हजार वर्षों में हिंदी ने अथक लम्बी यात्रा कर अपनी प्रयोजन मूलकता को प्राप्त करते हुए बाजार का रूप ग्रहण किया है।

यह सच है कि हिन्दी बाजार में ही पनपी, पली और बढ़ी व विकसित हो रही है। हिंदी केवल अर्थार्जन एवं मनोरंजन की भाषा नहीं है बल्कि दिल-दिमाग की भाषा है। ज्ञान और संवेदना की भाषा है। सबको जोड़ने वाली भाषा, उदार, समावेशी और वसुधैव कुटुम्बकम् इसकी प्रवृत्ति है। यह रिश्तों की मिठास की भाषा है। भारत एक बहुभाषिक देश है। हिन्दी में न केवल भारत बल्कि विश्व की झलक मिलती है। यह एक जीवंत भाषा का लक्षण है। वर्तमान में साहित्य की सबसे बड़ी समस्या सामाजिक विस्थापन है। आज हर चीज की कीमत बाजार के मद्देनजर रखते हुए आंकी जाती है। आज भले ही मनुष्य का जीवन बाजारू चीजों से घिरा हुआ है पर उसमें कविता जैसी गैर व्यावसायिक चीजों के लिए भी 'स्पेस' जरूरी है।

गत एक-डेढ़ दशक के मध्य जब विदेशी कंपनियां बाजार के लिए हमारे यहाँ आईं तो उनके साथ हमारी देशी भाषाओं के साथ सम्मिश्रण होने लगा। 90 के दशक में हॉलीवुड के फ़िल्म निर्माता स्टीफन स्पिलबर्ग ने जब अपनी बहुचर्चित फ़िल्म 'जुरासिक पार्क' को हिंदी में डब किया तो उन्होंने एक कॉरपोरेट रणनीति के लिए नए दरवाजे जैसे खोल दिए। इससे पूर्व किसी विदेशी फ़िल्म ने भारत में इतना मुनाफा नहीं कमाया था। रूपर्त मर्डोक जब 'स्टार टीवी' के साथ भारत आये तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता हिंदी में सभी तरह के कार्यक्रम तैयार करना था। कम समय में ही हिन्दी के रंग में ढले ये पश्चिमी कार्यक्रम लोकप्रिय होने लगे। बी.बी.सी और डिस्कवरी चैनल भी अपने कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित करने लगे। आज सभी चैनलों पर हिंदी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। यह विश्व बाजार में हिन्दी भाषा के संग बनने वाला नया सम्बंध है। साबुन, टूथपेस्ट, मोटर साइकिल,

फ्रिज, ब्रांडेड कपड़े, प्रसाधन, बचत-निवेश की योजनाएं तक के विज्ञापन हिंदी में दिख रहे हैं।

‘एक अध्ययन के अनुसार भारत में 30 करोड़ मध्यवर्गीय उपभोक्ता बाजार मौजूद है जो दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से कहीं अधिक बड़ा है। हिंदी के छोड़े पर सवार उपभोक्ता बाजार महानगरों की सीमाओं से बाहर निकल रहा है। कुछ वर्ष पहले सार्वजनिक क्षेत्र की एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान ने 700 करोड़ रुपये के अपने ब्रांडों का देशभर में विज्ञापन किया था।विज्ञापन एजेंसी से जब विस्तृत सूचना मांगी गई तो कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए। तथ्य यह था कि एक आक्रामक बाजार रणनीति के तहत धुंआधार रेडियो, टेलीविजन, प्रचार होर्डिंग, समाचार पत्रों के विज्ञापन और हैंड बिलों के माध्यम से प्रचार राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर खर्च किया गया था और केवल 30 प्रतिशत अंग्रेजी।’²

भारत विश्व बाजार में टेक्नोलॉजी से जुड़ तो रहा है लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से। 95 प्रतिशत भारतीय जनता हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है लेकिन इन आधुनिक संचार साधनों में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है। गैर अंग्रेजी सॉफ्टवेयर के विकास का मामला केवल तकनीकी नहीं है वरन यह भारतीय समाज की राजनीतिक-सांस्कृतिक जटिलताओं से भी जुड़ा है।

विश्व बाजार में लगभग 20 प्रतिशत सॉफ्टवेयर पैकेज अमरीकी कम्पनियों द्वारा तैयार किये जाते हैं। इनका लक्ष्य समूह अंग्रेजी व्यवहार करने वाले लोग होते हैं। किंतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का विश्व की अन्य भाषाओं में स्थानीयकरण भी किया जाता है। इन्हें कई प्रमुख यूरोपीय भाषा- फ्रेंच, जर्मन, नार्वेजियन, फिनिश और स्वीडिश में बनाया गया है। फ़ायरो द्वीप समूह जहां की कुल आबादी मात्र 38 हजार है, की भाषा के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। ये सॉफ्टवेयर कजाक या उज्बेक के लिए भी उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर कम्पनियों के अधिकतर भारतीय भाषाओं में स्थानीयकरण नहीं किया गया है, जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसका कारण कोई भी सॉफ्टवेयर निर्माता कम्पनी किसी स्थानीय विशेषता के अनुरूप पत भी सॉफ्टवेयर बनाएगी जब उस उत्पाद के लिए बाजार में मांग हो या भविष्य में उसकी मांग की संभावना हो। भाषा की जटिलता के बावजूद चीनी भाषा में सॉफ्टवेयर बनाये गए हैं।

आजादी के साथ दशक बाद भी भारत में सरकार, कॉरपोरेट तथा सम्पन्न वर्ग के आपसी व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है। ‘सच तो यह है कि आजादी के बाद के इन तमाम दशकों में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में राजभाषा हिन्दी का जो प्रयोग अब तक बढ़ा है, वह एक संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने की औपचारिकता के रूप में ही अधिक बढ़ा है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारियों, अनुवादकों, टाइपिस्टों और द्विभाषिक फॉर्मों की संख्या कामकाज में हिंदी के महत्व को नहीं बल्कि एक सिनिकल और आत्मदया की स्थिति का ही निर्माण करती है।’³

बाजार में हिंदी की वास्तविक प्रगति तभी सिद्ध होगी जब वह सम्प्रेषण और लाभ प्रदता की तमाम कॉरपोरेट योजनाओं का एक अनिवार्य अंग बने। वर्तमान में केवल माल बेचने और गांव-कस्बों में नए बाजार बनाने के लिए हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है, वह व्यवहारिक उद्देश्य के लिए है, किसी व्यापार आदर्श, राष्ट्र निर्माण या मूल परिवर्तन के लिए नहीं है। कॉरपोरेट जगत् में हिंदी के लिए कोई स्थान नहीं।

‘प्रख्यात आलोचक-विचारक डॉ. नामवर सिंह ने भी कहा है कि इक्कीसवीं सदी में भाषा और साहित्य का भविष्य बाजार तय करेगा।बाजार ने खड़ी बोली के साथ-साथ अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी आदि क्षेत्रीय

बोलियों को भी लोकप्रियता प्रदान की है। मैडोना जैसी पॉप सिंगर को भी 'कबीर के पदों' को गाने के लिए बाजार ने ही विवश किया। इंडियन ओशन ग्रुप ने गोरख पांडे के 'हिलेला झकझोर दुनिया' (भोजपुरी) गीत को गाया।⁴ बहुतायत लोगों की भाषा का आश्रय लिये बिना आज संसार की व्यवहारिक और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन संभव नहीं।

विज्ञापन एजेंसियां सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में तैयार करती हैं, बाद में जैसे-तैसे उनका कामचलाऊ अनुवाद कर दिया जाता है। कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग के नाम पर अनुवाद की एक ऐसी कृत्रिम भाषा तैयार हुई है जो आम जनता के लिए अंग्रेजी से कहीं कम दुरुह नहीं।

अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में इसका प्रभाव बढ़ेगा। सीमित स्वार्थ के लिए व्यापार जगत में हिंदी और भारतीय भाषाओं को विस्तृत जन समुदाय में बुनियादी परिवर्तन की आकांक्षाओं से काटते हुए लगातार अंग्रेजीमय बनाते जाना कुछ अजीबों गरीब स्थितियों को जन्म दे रहा। टी. वी. पर उपभोक्ता सामग्री के विज्ञापनों में हम इस विरूपीकरण को देख रहे हैं। आपत्तिजनक यह है कि इस नई खिचड़ी भाषा ऐसे खाते-पीते वर्ग की जीवन शैली व मूल्यों को प्रदर्शित करने वाली भाषा बनती जा रही है जिसका जीवन मूल्य भोग-विलास, शोषण, स्वार्थपरता और स्पर्धा तथा आत्म केंद्रितता पर आधारित है। हिन्दी को उसके मूल स्वभाव तथा आकांक्षा से दूर कर उसे मरीचिकाओं की भाषा बनाई जा रही। भाषा के प्रयोग में जनता की अपनी स्मृतियां जुड़ी होती हैं।

'हिंदी का बढ़ता साम्राज्य और इसका अंतर जातीय रूप देख हम प्रफुल्लित हो सकते हैं कि हिन्दी की पहुंच बढ़ी है या अंग्रेजी को टक्कर दे रही है, लेकिन इसका न्यून पक्ष यह है कि भाषा की जीवंतता और उसका मानवीय प्रभाव निरंतर कम हो रहा है। यह भाषाई चिंता का एक नया कोण है। आज हिन्दी के विज्ञापनों की धूम मची है। हिंदी अखबारों की बढ़ती प्रसार संख्या भी हमें हिंदी के प्रति आश्वस्त करती है। हिन्दी सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता टी.वी. सीरियल और ओटीटी प्लेटफार्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिन्दी की लोकप्रियता को नया स्वरूप दिया है। चतुर्दिक रूप से हिन्दी का बढ़ता वर्चस्व हमें गौरवान्वित करता है किंतु भाषाई अस्मिता के प्रश्न पर हम मार्मिक यथार्थ से मुठभेड़ करते दिखते हैं।'⁵

बाजार ने हिंदी को अपने अनुकूल बनाया है जिसकी अपनी सीमाएं हैं। किसी भी भाषा के साथ यह बड़ा छल है कि उसे केवल सूचना और मनोरंजन की भाषा में कैद कर दें। वास्तविक सत्य यह है कि हिंदी का समाज वह है जो अंग्रेजी की दुनिया से कटा हुआ है। हमारा स्वाभाविक चयन हिंदी नहीं है।

'साहित्यकार देवेन्द्र आर्य ने कहा है कि हिन्दी भाषियों का बहुत बड़ा बाजार विश्व पटल पर मौजूद है। जाहिर है यह भाषाई उपनिवेश बड़ी कम्पनियों की कमाई के लिए उर्वरक जैसा है, इसलिए बाहर से ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर बहुत प्रचार प्रसार पा रही है लेकिन भीतर की वास्तविकता यह है कि वोट और मुनाफा के अतिरिक्त हिंदी की कोई अहमियत नहीं। जिसकी पूर्ति के लिए सरकार और प्रशासनिक स्तर पर कुछ समय व कुछ राशि खर्च कर दी जाती है।'⁶

वैश्वीकरण के कारण हिंदी का बाजार निश्चित रूप से बढ़ रहा है। फिल्मों व विज्ञापन के जरिये उसे बढ़ावा मिल रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी पठन-पाठन हो रहा है। विश्व के 91 विश्वविद्यालयों में 'हिंदी चेरर' है। लेकिन इसके भविष्य को लेकर चिंतनीय स्थिति है। कारण हिंदी अपने ही देश-प्रदेश में सिमटती जा

रही है। संघ लोक सेवा आयोग में जहां अंग्रेजी के साथ मातृभाषाओं को माध्यम बनाया गया था, वहाँ अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है जिससे अभ्यर्थियों का रुझान घट रहा है। देश के 25 उच्च न्यायालयों में से केवल चार में हिन्दी में कार्य करने की छूट प्राप्त है।

उपसंहार :-

हिन्दी आम भारतीयों की अस्मिता है। कोई भी भाषा तभी उन्नति व लोकप्रियता हासिल कर सकती है जब उसके प्रति नई पीढ़ी का आकर्षण हो क्योंकि भाषा का भविष्य युवा पीढ़ी के साथ ही जुड़ा हुआ है। नई पीढ़ी हेतु भाषा का अर्थ रोजगार एवं अर्थार्जन है। अगर हमारी भाषा इसमें समर्थ है तभी नई पीढ़ी का इससे जुड़ाव व लगाव होगा। लेकिन यह भी बड़ा सत्य है कि हिन्दी न केवल मनोरंजन व रोजगार की भाषा है वरन् यह हमारी संवेदना, मनुष्यता व प्रतिरोध की भाषा है। नई शिक्षा नीति (NEP) में नए-नए पाठ्यक्रम लाकर इसे पुनर्जीवित करने का स्तुत्य प्रयास जारी है। हमें इस भाषा की जीवंतता व मानवीयता को सुरक्षित रखना होगा। अंततः यह शुभेच्छा की जा सकती है राजनीतिक स्तर पर यह सर्वसम्मति से देश की पहली भाषा के रूप में स्वीकृतहोजाए और राजभाषा के शब्द कोश से मुक्त होते हुए राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाये।

सन्दर्भ संकेत :-

1. हरेंद्र कुमावत, हिन्दी का बाजार व बाजार की हिन्दी, राजस्थान साहित्य अकादमी।
2. www.abhivyakti-hindi.org, विजय कुमार, विश्व बाजार और हिंदी – 2011
3. www.abhivyakti-hindi.org, विजय कुमार, विश्व बाजार और हिंदी – 2011
4. भूमंडलीकरण और हिंदी, सम्पादक कल्पना वर्मा, पृ० 148
5. m.samaylive.com, डॉ. मनीष कुमार चौधरी, हिंदी : बाजार में बढ़ी है धमक, 14 सितंबर– 2022
6. www.amarujala.com, विवेक शुक्ला, विश्व हिंदी दिवस : बाजार के साथ बढ़ती और घर में सिमटती जा रही हिंदी, 10 जनवरी–2022



वैश्विक बाजार में हिन्दी की भूमिका

सलीता

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एफसी कॉलेज, हिसार (हरियाणा)

भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। भाषा के संबंध में किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है कि यह मानव को मानवता प्रदान करती है। मानव को यदि भाषा या वाणी का वरदान न मिला होता तो वह समाज का संगठन न कर पाता और न ही मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास हो पाता। भाषा ही हमारे ज्ञान के भण्डार को बढ़ाती है। इसलिए भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी से जोड़ा जा सकता है। भाषा के अभाव में सम्पूर्ण संसार निरर्थक है क्योंकि संसार के अंधकार में भाषा ही ज्योति है।

‘इदमंध नमः कृत्सन जाथेत, भवनत्रयम

यदि शब्दाहय, ज्योति संसार न दीप्यते।’

भाषा के विकास में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहता है। इस संबंध में इमरसन का कथन है की “भाषा वह नगर है जिसे खड़ा करने में हर व्यक्ति ने कोई न कोई पत्थर लगाया है”।

भारत वर्ष के कई करोड़ लोगों की भाषा हिन्दी है। यह हमारे देश की आत्मा है। हम भारतवासियों की भाषा हिन्दी सम्पूर्ण विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। विश्व के किसी भी कोने में पहुँच कर भी हिन्दी भाषी स्वयं को अजनबी महसूस नहीं करता है। हिन्दी विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध व सरल भाषा है। हिन्दी भाषा हमारे देश के स्वाभिमान और गर्व का प्रतीक है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी तीसरे स्थान पर आती है। अपनी मातृभाषा हिन्दी की प्रशंसा करते हुये गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है कि, “मैं अपनी प्यासी मातृभाषा की तरफ से, अपने ही देश में विश्वविद्यालय के द्वार पर खड़ा, चातक की तरह उत्कण्ठित वेदना के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे अभ्रभेदी शिखर को घेरे हुये जो पुंज के पुंज श्यामल, मेघ घूम-फिर रहे हैं, उनका प्रसाद आज फलों और शस्यों पर बरसने दो, पुष्प और पल्लवों से पृथ्वी सुंदर हो उठे, मातृभाषा का अपमान दूर हो, युग शिक्षा की उमड़ती हुई धारा हमारी चिंता की सूखी नदी के रीते मार्ग से बाढ़ की तरह बह निकले, दोनों तट पूर्ण चेतना से जाग उठे, “घाट-घाट पर आनंद ध्वनि मुखरित हो उठे”।

हिन्दी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की परिचायक है। आज सम्पूर्ण विश्व का हर एक देश हम भारतीयों की भाषा हिन्दी और हमारी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे है।

लगभग 25—30 वर्षों में तकनीकी विकास के कारण लगातार नये क्षितिज हमारे सामने खुलने लगे हैं, उसी तरह हिन्दी भाषा की वसुन्धरा भी पहले की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत हो गई और 21वीं सदी में प्रवेश के साथ ही हिन्दी की वैश्विक बाजार में अपनी क्षमता व भव्यता को बढ़ा रही है। वैश्विक बाजार के कारण यहां हिंदी का रूप—स्वरूप बदला, वहीं वैश्विक बाजार को हिंदी ने प्रभावित किया।

विश्व में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षण संस्कृत के अध्ययन द्वारा आरम्भ हुआ। उससे धीरे—धीरे हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति भी विश्व समुदाय में रुचि जाग्रत हुई। 'गत पचास वर्षों में हिन्दी की शब्द संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा का हुआ हो। आज शब्द संख्या की दृष्टि से हिंदी संसार की सबसे समृद्ध भाषाओं में से मानी जाती है। अतः राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त, अंग्रेजी भाषा में मूल शब्द मात्र दस हजार ही है, वहीं हिन्दी के लगभग दो लाख पचास हजार से भी अधिक हैं। विदेशों में हिन्दी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयास लिए जा रहे हैं जैसे—फ़िजी, मॉरिशस, त्रिनिडाड स्थित हमारे दूतावासों में राजभाषा अधिकारी एवं अता से नियुक्त किये जाते हैं। जिससे हिन्दी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया जा सके। इन हिन्दी अधिकारियों की सहायता से हिन्दी पाठ्यक्रम का निर्माण और टेलीविजन के प्रसारण में मानस चतुःशती जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन में भी विदेश स्थित ये अधिकारी संस्थाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। इन परीक्षाओं के संचालन में विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावास सार्थक कड़ी का कार्य करते हैं।

वैश्विक बाजार में हिन्दी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषी क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कहने का भाव यह है कि सम्पूर्ण विश्व में हिन्दी की महत्ता को फैलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। विश्व में अब उस भाषा को बढ़ावा मिलेगा जो व्याकरण संगत हो और जिसकी लिपि कम्प्यूटर पर आधारित हो। इसी आधार पर हिंदी को यह मान्यता मिली क्योंकि वह संस्कृत की पुत्री है। हिंदी भाषा में विश्व भाषा बनने की सच्चे अर्थों में अधिक संभावनाएँ हैं। इसलिए इसे अन्य भाषाओं से उच्च स्थान मिला है। हिन्दी भाषा अपने आप में सम्पूर्ण जगत को समेटे हुए है। हिन्दी भाषा में आर्य, द्रविड़, स्पेनिस, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, जापानी, चीनी आदि अनेक शब्दों को अपने में समाहित किये हुए हैं इसलिए यह वैश्विक बाजार में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रही है।

भाषा के माध्यम से समन्वय स्थापित करना सरल हो जाता है। किसी देश के दो राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करने में भाषा अपनी अलग भूमिका निभाती है और उसी प्रकार वैश्विक बाजार के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच आपसी तालमेल के लिए भाषा का उल्लेखनीय योगदान होता है। विश्व स्तर पर हिन्दी के बढ़ते हुए प्रभाव को बनाए रखने के लिये यह जरूरी है कि वहाँ बसे प्रवासी लेखकों को हिन्दी माध्यम से साहित्य सर्जन करना चाहिए और साथ ही साथ साहित्यिक पत्रिकायें भी निरंतर प्रकाशित करवानी चाहिए। वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका देखते हुए विश्व के देशों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। भारत के विविध प्रांतों के लोगो को विदेशों में एक साथ आने के लिए अपनी संपर्क

भाषा हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए और साहित्यिक कार्यक्रमों काव्य गोष्ठियों का आयोजन भी हिन्दी भाषा में किया जाना चाहिए। विदेशों में बने हिन्दी भाषा केन्द्रों का भ्रमण भी वहां के निवासियों को करना चाहिए जिससे की हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जायेगी।

निष्कर्ष रूप से हम सब भारत के विविध भाषी लोगों को ही वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका को सुधारना होगा और अपने साहित्य में निरंतर गतिशीलता लानी होगी जिससे सम्पूर्ण विश्व में हिंदी की महत्ता का परचम लहराएगा और हिंदी भाषा दिन-दुनी रात चौगुनी उन्नति की ओर अग्रसर होती रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. विश्व भाषा हिन्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ संख्या – 9. (01)
2. विश्व बाजार में पुस्तक महिपाल सिंह, देवेन्द्र मिश्र, पृष्ठ संख्या – 929 (127)
3. विश्व बाजार में हिन्दी महिपाल सिंह, देवेन्द्र मिश्र पृष्ठ संख्या – 928 (128)



डॉ. कमल किशोर गोयनका का प्रवासी हिन्दी साहित्य में योगदान

सुरुचि गुप्ता

सहायक प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी।

भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुंबकम्' से ही भारत का गौरव है। हिन्दी भाषा और साहित्य आरंभ से ही संकीर्णताओं व भेदभाव के लिए आवाज उठाता रहा है। विदेशी आक्रमणकारी, व्यापारियों द्वारा गिरमिटिया मजदूर बनाकर ले गए भारतीय जो मॉरिशस, फिजी, ट्रिनीडाड, आदि देशों में बस गए। वे अपने संघर्ष व यंत्रणाओं को हिन्दी भाषा में अभिव्यक्त करने लगे। इंग्लैंड, यूरोप के देशों में भारतीय स्वेच्छा से विदेश गए थे। इनमें से कुछ भारतीय अपनी मातृभाषा में संवदेनाओं को अभिव्यक्त करने लगे। डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने इन्हें भारतवंशी के नाम से पुकारा। ये भारतवंशी विदेशी धरती पर अपने देश की संस्कृति, अस्मिता भाषा प्रेम के बीज बोने लगे। हिन्दी में विभिन्न प्रकार का साहित्य रचने लगे। जो प्रवासी साहित्य कहलाया। प्रवासी साहित्यकारों का भी अपना एक छोटा सा संसार बसा हुआ है। प्रवासी साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय डा. कमल किशोर गोयनका को जाता है।

डॉ. कमल किशोर गोयनका आधुनिक हिन्दी साहित्य के शीर्ष स्तर के रचनाकार हैं। निबंध, संस्मरण, शोध, आलोचना, प्रवासी साहित्य आदि क्षेत्रों में उनकी अहम भूमिका है। वे विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने अपनी सृजनात्मक ताकत से हिन्दी साहित्य को अपने आप में एक शक्तिशाली वस्तु व हिन्दी को सशक्त भाषा के रूप में प्रतिष्ठित स्वरूप दिया। शोध व आलोचना जैसी विधा को नई दृष्टि व स्वरूप दिया। प्रेमचंद के उपन्यासों पर मौलिक शोध कार्य किया। वे प्रेमचंद के साहित्य, विचार से इतने प्रभावित हुए व उनके बारे में इतना अध्ययन किया कि प्रेमचंद का साहित्य अध्ययन गोयनका की आलोचना दृष्टि के अध्ययन के बिना अधूरा प्रतीत होता है।

1980 में प्रेमचंद जन्मशताब्दी समारोह के अवसर पर जब वे जैनेन्द्र जी के साथ प्रेमचंद के मूल दस्तावेजों, पत्रों, फोटोग्राफों की प्रदर्शनी लगाने मॉरिशस गए। वहाँ उनकी भेंट अभिमन्यु अनंत व ब्रजेन्द्र कुमार भगत 'मधुकर' व मॉरिशस के अन्य प्रतिष्ठित लेखकों व हिन्दी प्रेमियों से हुई। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि प्रवासी साहित्य के प्रचार, प्रसार व प्रतिष्ठा के लिए जीवन प्रयत्न कार्य करेंगे। वे कहते हैं, "हिन्दी के प्रवासी साहित्य से मुझे प्रेमचंद जैसा ही प्यार हो गया है।" डॉ. गोयनका प्रवासी साहित्य के प्रति बहुत गंभीर हैं। अपने प्रयासों में उन्हें सफलता भी मिली। उनके प्रयासों से प्रवासी साहित्य अब पाठ्यक्रमों में शामिल हो रहा है। शोध कार्यो का विषय बन रहा है। अनेक संगोष्ठियों, परिचर्चाओं में प्रवासी साहित्य का विषय

रखा जाता है। पत्र-पत्रिकाओं में विशेषतः प्रवासी साहित्य कॉलम, पृष्ठ रखे जाते हैं। सुविख्यात पत्रिकाओं में प्रवासी साहित्य विशेषांक प्रकाशित किए जा रहे हैं। डॉ. गोयनका जी ने हिन्दी के प्रवासी साहित्य पर अभी तक छः पुस्तकें जिनमें 'अभिमन्यु अनत-एक बातचीत', 'अभिमन्यु अनत-प्रतिनिधि रचनाएँ', 'मॉरिशस की हिन्दी कहानियाँ', 'अभिमन्यु अनत-समग्र कविताएँ' मॉरिशस के राष्ट्र कवि ब्रजेन्द्र कुमार भगत की 'मधुकर काव्य रचनावली' 'हिन्दी का प्रवासी साहित्य' प्रकाशित हो चुके हैं।

अभिमन्यु अनत की प्रमुख कृतियों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉ. गोयनका को है व अनत को मॉरिशस के प्रेमचंद की संज्ञा देते हैं। वे उनकी रचनाओं को कालजयी मानते हैं। डॉ. गोयनका जी लिखते हैं कि, "अभिमन्यु अनत अपने पूर्वजों के गूंगे इतिहास और चीखती पीड़ा के गायक हैं, वे एक चिंतित लेखक हैं, विद्रोही लेखक हैं और ये सब देश और जनता और पूरी मानवता के लिए हैं। जो अपने वर्तमान में अतीत व भविष्य को जीते हैं।"² वे अभिमन्यु को मॉरिशस को हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक संपूर्ण युग मानते हैं। 'यह मॉरिशस के हिन्दी साहित्य का अभिमन्यु अनत युग है।'³

डॉ. गोयनका ने अनत के कई उपन्यासों की भूमिका लिखी व पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता की। मधुकर जी जो कि मॉरिशस के राष्ट्रकवि हैं कि कविताओं का संग्रह समग्रता के साथ हिन्दी प्रेमियों व पाठकों तक पहुंचाकर डॉ. गोयनका जी ने महान कार्य किया है। वे लिखते हैं, "मधुकर जी पहले से ही यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के मॉरिशस के हिन्दी कवि हैं और उन्हें किसी अन्य ख्याति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस काव्य रचनावली से मधुकर जी विश्व हिन्दी की आने वाली पीढ़ियों तक भी अपने समग्र रूप में पहुंच सकेंगे।"⁴

भारत के बाहर एक ही देश में इतनी बड़ी मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण लेखन हुआ जिसकी जानकारी डॉ. गोयनका ने ही हिन्दी जगत को दी। मॉरिशस में हिन्दी पत्रकारिता और समय-समय पर हिन्दी पत्रिकाओं में साहित्य प्रकाशन की वे सूचना लेते रहते हैं। भारत में हिन्दी प्रेमियों को इसका लाभ देते हैं।

'दुर्गा' मॉरिशस से निकलने वाली हस्तलिखित पत्रिका है। इसके संपादक सूरज प्रसाद मंगर भगत ने ज्वालामुखी नाम से इसे प्रकाशित करवाया। डॉ. गोयनका ने इसे सुव्यवस्थित करने व प्रकाशित करवाने में यथाशक्ति योगदान दिया। 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में इस पत्रिका का विमोचन हुआ। उनके प्रयासों से ही प्रेमचंद के स्वर्गवास के पश्चात् दुर्गा पत्रिका के नवम्बर 1936 अंक में शोक संवेदना स्वरूप प्रेमचंद के संस्मरण लेख छपे।

सूरीनाम में विश्व हिन्दी रचना का संपादन किया। इसमें कई लेख सूरीनाम पर प्रकाशित किए। 7वें हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर 12 देशों के 110 प्रवासी हिन्दी लेखकों की कविताएँ, कहानियाँ, निबंध, एकांकी, डायरी आदि 267 रचनाओं को प्रकाशित करवाया। यह ग्रन्थ एक प्रकार से हिन्दी के प्रवासी साहित्य की पहचान, प्रतिष्ठा, सरोकार के लिए प्रमाणित दस्तावेज बन गया।

साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रवासी हिन्दी साहित्य के विषय पर एक स्वतंत्र अध्याय को सम्मिलित करने व लिखने में गोयनका जी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवासी साहित्य को

आलोचना व शोध का विषय बनाने के कार्यों को आगे बढ़ाने में डॉ. गोयनका के प्रयास अभूतपूर्व है। उन्होंने साक्षात्कार (भोपाल), शब्दयोग (नई दिल्ली) आदि पत्रिकाओं का संपादन किया।

हिन्दी का प्रवासी साहित्य : दशा और दिशा नामक आलेख में गोयनका जी ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास काल के दौरान अनुभवों का उल्लेख किया है। अमेरिका से डॉ. भूदेव शर्मा द्वारा संपादित त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका 'विश्वविवेक' का भारत में वितरण द्वारा डॉ. गोयनका ने प्रवासी साहित्य के प्रचार प्रसार में यथाशक्ति योगदान दिया। वे इंग्लैंड में डॉ. सिंघवी के हिन्दी भाषा व साहित्य के उत्थान व विकास के अभूतपूर्व योगदान के लिए नतमस्तक रहे। इंग्लैंड में उच्चायुक्त पद पर आसीन डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दो प्रकार के साहित्यिक आंदोलन शुरू किए। एक इंग्लैंड के प्रवासी हिन्दी लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित कर उन्हें यूरोप व भारत में प्रतिष्ठित कराया और दूसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कृत लेखकों व हिन्दी के अन्य प्रतिष्ठित लेखकों को इंग्लैंड आमंत्रित किया। लंदन में छठा विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ व इंग्लैंड में काव्य गोष्ठी सम्मेलनों का श्री गणेश हुआ। उन्होंने 1992 में लंदन में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एकल काव्य पाठ कराया। श्री अटल जी ने उन्हें पत्र में लिखा, "काव्य संध्या मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। बरसों से मन में ललक थी एक कसक थी कि कोई मेरे कवि को थपकी दे, उसे दुलराए। यह भारत से कोसों दूर समुद्र के पार, किसी कूटनीतिज्ञ के हाथों होगा, इसकी कल्पना ही नहीं थी। किन्तु आप मात्र राजदूत नहीं, भारत की अस्मिता के प्रबल प्रवक्ता और राष्ट्रीय नवोन्मेष के जागरूक प्रतिनिधी हैं।"⁵

उन्होंने 'पुरवाई' पत्रिका का प्रकाशन करवाया। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में बच्चन पीठ का शुभारंभ कराया। डा. गोयनका प्रवासी साहित्य को बड़ी गम्भीरता से लेते हैं। उन्होंने हिन्दी के प्रवासी लेखकों की लगभग 30-32 पुस्तकों की भूमिकाएँ लिखी अनेक लेखकों पर लेख व पुस्तकों की समीक्षाएँ भी प्रकाशित की। इनके अनवरत प्रयासों से भारत में कई पत्र-पत्रिकाएँ समय-समय पर प्रवासी साहित्य विशेषांक भी निकालते रहते हैं।

उषा राजे सक्सेना के अनुसार :- "मुंशी प्रेमचंद और प्रवासी साहित्य पर तो वे चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं। प्रवासी हिन्दी साहित्य को परिभाषित करते हुए जिस तरह से उन्होंने हिन्दी मुख्य धारा में प्रवेश दिलवाया है, वह सराहनीय है।"⁶

अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के प्रवासी साहित्य का इस बात पर सजग हुए कि वे प्रवासी हैं परन्तु उनका लेखन प्रवासी कैसे हो गया। उनकी भाषा शैली, संवेदना, विषय वस्तु सभी गिरमिटिया लेखन से अलग है। वह उसी स्तर का है जिस स्तर की भाषा में उत्तर भारत में साहित्य लिखा गया है। काफी लेखकों, प्रशासकों ने भी इस बात का विरोध किया कि विदेशों में बैठे भारतवंशी लेखकों का साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। डा. गोयनका को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बड़ी शालीनता से विश्लेषण करते हुए उन्हें संतुष्ट किया और कहा कि, "प्रवासी शब्द का प्रयोग लेखकों के अपमान के लिए नहीं, उनके सम्मान के लिए प्रयुक्त होता है। उनकी अलग पहचान के लिए और उनके स्वतंत्र मूल्यांकन की परम्परा को आरंभ करने के लिए है।"⁷

इसके पश्चात् लगभग सभी प्रवासी हिन्दी लेखकों ने प्रवासी शब्द को सहर्ष अपने साहित्य के लिए स्वीकार कर लिया।

गोयनका जी अक्सर प्रवासी साहित्य को पारिभाषित करते हुए लिखते हैं, “हिन्दी के इस साहित्य का रंगरूप, उसके चेतना, संवेदना एक सृजन प्रक्रिया भारत के हिन्दी पाठकों के लिए नई वस्तु है। यह नए भावबोध एवं नए सरोकार का साहित्य है। एक नई व्याकुलता, बेचैनी तथा एक नए अस्तित्व बोध व आत्मबोध का साहित्य है, जो हिन्दी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नई साहित्य संसार से समृद्ध करते हैं। इस साहित्य में एक ऐसी भारतीयता है जो स्वदेश प्रदेश के द्वंद्व से जन्म लेती है और एक नया परिवेश, एक नई जीवन दृष्टि और जीने का नया सरोकार देती है। हिन्दी की मुख्य धारा का यह साहित्य एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह अपनी पहचान भी रखता है।”⁸

कनाडा में भी विश्व हिन्दी परिषद्, हिन्दी साहित्य परिषद, सद्भावना, हिन्दी साहित्यिक संस्था, नागरी प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाएँ हिन्दू धर्म संस्कृति व भाषा साहित्य के प्रचार व प्रसार में निरंतर कई सालों से प्रयासरत है। ‘चेतना’, ‘वसुधा’ पत्रिकाएँ भाषा व साहित्य के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। विश्व हिन्दी संस्थान अभी भी प्रयासशील है। इसी क्रम में इंग्लैण्ड अपना अच्छा खासा सहयोग दर्ज कराता रहा है। डा. गोयनका के सहयोग से ही यहाँ ‘पुरवाई’, ‘प्रवासी टुडे’, ‘लंदन टाइम्स’ आदि पत्रिकाएँ विशेष रूप से सक्रिय हैं सर्वप्रथम हिन्दी परिषद की के द्वारा विभिन्न हिन्दी नाटकों का मंचन होता रहा है उसके द्वारा वह प्रवासी भारतीय अपने मन में भाषा, देश, संस्कृति के प्रति अपनी संवेदनाओं को दर्शाता रहता है। डा. गोयनका के अनुसार प्रवासी जीवन को जानने के लिए विभिन्न साहित्यकारों की कविताएँ व कहानियाँ अपने आप में प्रमाणित दस्तावेज हैं। दिव्या माथुर, मोहन राणा, गौतम सचदेव, उषा राजे सक्सेना, कीर्ति चौधरी, उषा वर्मा, नीलापॉल आदि नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रवासी हिन्दी साहित्य को एकत्रित करने अध्ययन व विश्लेषण करने में डा. गोयनका की भूमिका अहम रही है। डा. गोयनका प्रवासी साहित्य के विशेषज्ञ हैं। डा. अनीता कपूर लिखती हैं, “प्रवासी साहित्य में अभिमन्यु अनंत पर उन्होंने काम किया और फिर मॉरिशस के अन्य लेखकों पर इसी क्रम में गिरमिटिया देशों पर और उसके बाद डायस्पोरा लेखन पर उन्होंने कलम चलाई उनके यात्रा सार्थक और प्रेरणादायी हैं। लगभग तीन दशक से ज्यादा समय से उन्होंने प्रवासी साहित्य पर समग्रता से अपना चिंतन विकसित किया। किसी भी विषय को समय के कसौटी कसकर गवेषणा करना उनका मूल स्वभाव है। यही कारण है कि डा. गोयनका सर्व सुलभ में से किसी दुर्लभ विषय को पहचान लेते हैं और फिर उसे अपने द्वारा प्रतिपादित या आविष्कार यंत्रों, विचारों से उसका एक नया स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं जो हम सभी को अचंभित कर देता है।”⁹

प्रवासी साहित्य के मुख्यधारा के लिए बढ़ते कदम अब नहीं रुकेंगे, जुड़कर ही थमेंगे। हिन्दी प्रवासी लेखन मुख्य हिन्दी साहित्य के साथ रूबरू कराने व उसे जोड़ने का जो भगीरथ कार्य डा. गोयनका ने किया है वह अतुलनीय है। हिन्दी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को समर्पित ‘बहुवचन’ नाम हिन्दी की सुप्रसिद्ध पत्रिका में 2019 में ‘हिन्दी साहित्य का वैश्विक चिंतन : कमल किशोर गोयनका’ विशेषांक निकाला। जिसमें हिन्दी के वरिष्ठ लेखकों ने उनके लेखकीय योगदान को रेखांकित किया व सराहा उन्होंने जो विलक्षण कार्य आरंभ किया है वह अब नहीं रुकेगा बल्कि और भी विशाल रूप धारण करेगा वे स्वयं लिखते हैं

अभी इस साहित्य को लंबी यात्रा तय करनी है, प्रवासी लेखकों को आत्मप्रशंसा से बचते हुए श्रेष्ठ साहित्य की रचना करनी चाहिए।¹⁰

प्रवासी साहित्यकार व साहित्य डा. कमल किशोर गोयनका का उनके अतुलनीय योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा।

संदर्भ :-

1. डा. गोयनका और प्रवासी साहित्य : उशाराजे सक्सेना, बहुवचन 2019
2. साहित्य में अभिमन्यु युग : हिन्दी का प्रवासी साहित्य : कमल किशोर गोयनका।
3. वहीं :
4. ब्रजेन्द्र कुमार भगत 'मधुकर' : राष्ट्रकवि की साधना : कमल किशोर गोयनका।
5. हिन्दी का प्रवासी साहित्य : एक सर्वेक्षण – हिन्दी का प्रवासी साहित्य : कमल किशोर गोयनका।
6. डा. गोयनका और प्रवासी हिन्दी साहित्य : उषा राजे सक्सेना, बहुवचन 2019
7. वही।
8. हिन्दी का प्रवासी साहित्य – एक सर्वेक्षण : हिन्दी का प्रवासी साहित्य, कमल किशोर गोयनका।
9. गोयनका मेरी दृष्टि में : डा. अनीता कपूर, बहुवचन 2019
10. प्रवासी साहित्य और डा. गोयनका : पुष्पा सक्सेना – बहुवचन 2019



Privatization : A Brief Overview

Vandana Agarwal

Guest Faculty, Economics, Government College, Merta City, Nagaur (Rajasthan)

Introduction :-

Before moving any further with the topic let us understand clearly what does privatization means. Privatization in simple terms is a process of transferring an enterprise or industry from public sector to private sector. Making the point clear about privatization let's move to the ways in which we can privatize the enterprises.

Ways to Privatize :-

There are mainly two ways in which privatization can take place; first one is by Disinvestment (In which we sell part of equity of PSUs to the private sector, in short we partially sell out the Public sector enterprises). Second one is Transfer of Ownership (Here the whole management is transferred to private sector i.e. whole PSU is sold out without any control of government).

Why to Privatize?

There are many reasons as to why public sectors are being privatized. Some of them are as follows :

- **Improves the use of public resources :-**

When the nation manages everything from profit motive enterprises to social welfare schemes, it is likely that the public resources and money can be diverted towards the less priority purposes. To make sure this is not the case, Governments are trying to privatize the sectors so that it can free the public resources of unnecessary burden and focus on the priority issues. Also it will help the profit motive sectors to focus solely on the profit without worrying about the well-being of nation.

- **Improves Operating Efficiency :-**

In addition to freeing resources, privatisation also improves the efficiency of the enterprises. This change takes place because of two factors. First is competition. Public enterprises are sometimes unfairly supported. For example, even if the public firm is facing losses or lacking efficiency, rather than letting the firm face the competition, different types of protection is provided to these firms (in form of subsidies, licencing, etc.). Also Public enterprises are given monopolies even after having the potential market for competition which makes the firms lethargic to innovation.

Sometimes public enterprises are overburdened too. As in some enterprises the Board of Directors are some retired government officials or Military officers who add very little to managerial talent and also sometimes their expensive tastes come as a hurdle. Because of this enterprises are not ready to face any kind of competition.

The second factor is Private property rights because of which private sector performs better. As by giving property rights to an Individual he/she becomes responsible for his/her acts. But when firms are under government authority, all the losses and profits become responsibility of Government and the problem of free rider occur.

- **Improves Dynamic Efficiency :-**

Dynamic Efficiency simply relates to the increase in investment and innovation. Private enterprises seize the opportunity of any new investment or innovation quickly than Public enterprises. The reasons can be because of lack of political interference, public managers are given less credit for taking risks and are penalised for any unsuccessful venture.

How to Privatize?

The benefits from privatization we talked earlier can be achieved only by doing it properly and effective privatization is difficult to achieve. So let's see how we can privatize effectively.

- **Create a Conductive Environment :-**

Privatization of any particular state owned enterprise must be done on the ground of country's basic fundamentals and the series of reforms and laws that are being introduced. Otherwise the privatization will impact the country negatively. In short, it must be the part of larger reform programmes introduced by the government (like trade reforms, competition acts, Price reforms, etc.)

- **Streamline the Privatization Process :-**

The key to successful privatization is transparency. Public at every stage should be made perfectly aware about the process and terms. Also a realistic valuation is also necessary for negotiations and to check that the deal is legitimate. As overvaluation will create problems in an attempt to sell and undervaluation will lead to loss of government and thus public.

With all this expert advice plays an important role in privatization process. But governments face difficulty in using technical expertise as they expect the experts to think from the welfare point of view together with the market point of view. While they are expert in market field but welfare part is not their area of expertise.

- **Prepare the Enterprise for Privatization :-**

Before selling any enterprise government must prepare the enterprise for privatization. The first one is by eliminating debt burden from balance sheet to make it more attractive to the buyers. Second one is by layoffs. Here we are not talking about the efficient employees or all the employees working in the enterprises to be laid off but inefficient staff will have to go. And for this government

have to make its employees ready for sale. And one method of this is by offering them shares.

Privatization in India :-

Early leaders of our country were influenced by Soviet Union. So naturally the early period (1947-1991) was period of socialism. But then in 6th five year plan (1980-85) we saw a favourism towards liberalization. And then in 1991 Soviet Union collapsed and the country was facing financial crisis so the then government realised, all those glitters is not gold. So the New Economic Policy of LPG was introduced to reform the country in the view to fight financial crisis. And this opening up of economy led to increase in FDI(Foreign Direct Investment) and influenced overall economic growth.

WHY PSUs ARE RUNNING IN LOSS?

- The first and foremost reason behind this is that government is a service sector and it has to put public welfare at top priority. And while doing welfare earning profit holds a little space here.
- The public enterprises have little ways to earn profits partly because of less manpower and partly because revenues are less compared to the costs incurred. As the central idea behind democracy is welfare of people and if high prices are charged by government then the very essence of democracy is threatened.

DISINVESTMENT TARGET FOR SOME PAST YEARS :-

<h2 style="text-align: center;">TARGETS AND ACHIEVEMENTS</h2>		
Financial Year	Target (in Rs. Crore)	Achievement (in Rs. Crore)
2011-12	40,000.00	13,894
2012-13	30,000.00	23,957
2013-14	40,000.00	15,819
2014-15	43,425.00	24,349
2015-16	41,000.00 [^]	23,997
2016-17	56,500 [*]	46,246.58 [#]
2017-18	1,00,000	1,00,056.91
2018-19	80,000	84,972.36
2019-20	1,05,000	50,298.64
2020-21	2,10,000	32,845.18
2021-22	1,75,000	9,110.56

^{*} (including Rs. 36,000 crore as disinvestment of CPSEs and Rs. 20,500 crore from strategic disinvestment)
[#] (including Rs. 35,467.87 crore from disinvestment of CPSEs and Rs. 10,778.71 crore from disinvestment of strategic holdings and income from management of SUUTI investment)
[^] (excluding strategic disinvestment of Rs. 28,500 crore)

Source DIPAM website

Let's now first understand the meaning of strategic disinvestment. Government carefully and legally analyse the assets and transactions to figure out potential losses and debts and then follow appropriate mechanisms of disinvestment. There are some approaches in which strategic disinvestment takes place.

1. Minor Disinvestment: In this type of disinvestment government retains 51% stake of the company while other 49% is sold out to the private player.
2. Major Disinvestment: In this type of disinvestment, government sales major part of the enterprise while retain minor part.
3. Complete Privatization: In this the whole stake of the enterprise is sold out to a private company and nothing is owned by government.

HISTORY OF DISINVESTMENT IN INDIA :-

- In August 1996 a Disinvestment Commission was set up under the chairman ship of G.V. Ramakrishna. Its main purpose was to advice, supervise and monitor PSUs. Although this commission was dissolved in May 2004.
- In December 1999, Department of Disinvestment was set up which was renamed as Ministry of Disinvestment in 2001, and in May 2004 it was brought under Ministry of Finance.
- Department of Disinvestment was renamed as Department of Investment and Public Asset Management in 2016.
- All the money generated from the sale of central Public Enterprises is channelized in National Investment Fund which was set up in November 2005.

Privatization of Public Sector Banks (PSBs) :-

In the recent years Government of India is focusing upon privatization of banks while there was a time when government was obsessed with nationalisation. If precisely speaking government right now is consolidating the banks. We will discuss about the factors why the government is trying to do this, we will discuss later. In the 2021 budget government have classified the companies in strategic and non-strategic sectors. While the non-strategic sectors will be completely privatized and if not then will be shut down, the strategic sectors (1. Atomic Energy, Space & Defence; 2. Transport & Telecommunication; 3. Power, Petroleum, Coal & Other minerals; 4. Banking, Insurance & Financial Services) maximum 4 PSBs or up to 4 PSBs will be hold by government.

Evolution of Banking Sector :-

After couple of months of Independence the employees conference of Imperial Bank of India (IBI) asked government to nationalise the financial institutions and banks. In 1949, RBI (Reserve Bank of India) became nationalised and the role of RBI changed to regulator and controller of financial system of the Country. Many private banks collapsed during this time and due to this IBI was nationalised and renamed as SBI (State Bank of India). From 1960-1965, Govt. of India merged many private sector banks and reduced the number of these banks. This consolidation was done to reduce the

number of private banks so that RBI can regulate these banks.

In 1968 we introduced social control (Banking Laws Amendment Act 1968). In this act some directives were introduced, such as :

- Profile of Board of Directors of multiple private sector banks should be changed.
- National Credit Council (NCC): It will realign the activities of private sector banks to achieve development banks. This council stated that these banks do not provide a very large amount of loans to agricultural sector and small sector industries so the amount should be doubled.

Finally India started first round of Nationalization of banks in year 1969 and the second one was done in 1980. In 1969, 14 domestic banks were identified and were nationalised which had deposits over ₹50 cr. In 1980, 6 banks were identified which had deposits over ₹200 cr. and were nationalised.

Why we went for nationalisation?

- Only 2% of total credit given by these private sector banks went to agricultural sector from year 1951-67 which was very low.
- From 1951-67 the amount of loans given to Industrial sector went from 34% to 64% which was very high.
- Presence of these private banks in rural areas was very low. According to data, out of more than 7000 branches of private banks only 1250 were in rural area. Huge amount of population was living in rural area but the banks according to population were not there.
- Lending was going among the banks itself due to the system of multiple Board of Directors.

What happened after Nationalisation?

- Public Sector Banks have increased the access to rural banks. According to the survey of RBI, by 1995 more than 35000 banks were present in rural areas.
- Agricultural sector was targeted for lending. The concept of priority sector lending was introduced to increase loans to agricultural sector and small scale industries which improved the role of women, employment generation was there, infrastructure developed and also regional disparity reduced.

Who recommended the Privatization of Banks?

- Narasimhan Committee: Also known as CFS 1 (1991) and CFS 2(1998). This committee recommended that on one side government is a regulator and owner on other side. But this creates conflict of interest. As being an owner it should focus on earning profit and as a regulator focus must be on health of public sector. So this committee recommended that government of India reduce its ownership to 33% in PSBs.
- P J Nayak Committee (RBI in 2014): It recommended that the ownership in these PSBs must be brought down below 50 %. For this, the committee recommended to repeal the Bank Nationalization Act of 1970 & 1980. As this act mandates the govt. to hold the ownership in

these PSBs at minimum of 51%. But government has rejected this recommendation.

Why Government want the Privatization of Banks after all these years of Nationalization?

- Government's role is not to earn profit but it is for the welfare of public. So government is keen to privatize the banks.
- Private sectors are associated with the more efficient use of resources.
- Usually PSBs are utilized by the government for the welfare of the country. And by using these banks government tries to mobilize the benefits of all the schemes introduced by it.
- In the previous years, PSBs have accounted for huge NPAs (Non-Performing Assets). As these banks are owned by government then in case of losses faced by them, liquidity is infused by government in PSBs. As a result of this liability of the government is increasing.
- There are many PSBs in the country out of which some are exceptionally doing very well. But these well doing enterprises are over-shadowed by the PSBs which are incurring losses.

How Privatization Can Take Place In India?

- Government of India can pick a PSBs and sell them to private sector. But this is a doubtful option. As Private sector has its own very well developed infrastructure and has good standing in the market.
- Government can issue more shares in the market which will automatically reduce the ownership of the Government. And then the Boards can be more active and take decision process in their hands.
- PSBs can be sold to some industrial/corporate houses (these are group of companies having total asset value of ₹5000 cr.).

Conclusion :-

After all this discussion and positive points, let's discuss what wrongs can take place while privatization.

- The privatization can lead to the regional disparity for which we are fighting for so long. As at the end private sectors will only consider about the profits and not about the welfare of people.
- In some cases if privatization takes place, the threat of monopolies can be there.
- If we talk about efficiency, it is not guaranteed that all private sectors will work better than public sectors. There are many examples where private sectors have failed and have management issues.
- While selling an enterprise having deficit, will be valued low and thus the main objective behind privatization of generating revenue will not be achieved.

After considering all this, the point is not if privatization should be done or not. The question which arises in the mind is how privatization should be done. Of course, the PSBs which are not doing well is a liability for the government and to stop the further losses, it should be sold out to a private enterprise. But before selling it, the valuation of the enterprise should be done in a precise manner.

Anything which is doubtful should be consulted with the experts and transparency must be maintained while privatization process.

References :-

1. The what, why and how of privatization: A World Bank Perspective [Mary m. Shirley]
<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2976&context=flr#:~:text=Privatization%20should%20be%20designed%20to,focus%20on%20how%20they%20privatize.>
2. Disinvestment & Privatization Policy in India [Amit Sengupta] <https://youtu.be/rCfd33-9TOI>
3. Privatization of Public Banks & PSEs <https://www.youtube.com/watch?v=QuT6i5RvyQw>
4. PDF:https://cdn1.byjus.com/wp-content/uploads/2021/04/BYJUS-IAS-Explained_Privatizations-of-Public-Sector-Banks.pdf

Name: Vandana Agarwal

Address: Pitti Wada, Near Agrasen Mandal, Nagaur (Rajasthan)

Email Id: vandanaagarwal997@gmail.com



गांधी दर्शन में 'अहिंसा' की आलोचना

रमजीराम मेघवाल

सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेड़ता सिटी, जिला—नागौर (राजस्थान)

विषय संकेत :- गाँधी दर्शन, अहिंसा, हिन्द स्वराज।

भारतीय राजनीति ने अपनी संघर्ष—यात्रा के अनुभव से अनेक राजनैतिक सिद्धांत निगमित किये हैं। अनेक राजनैतिक सिद्धांत 'अहिंसा' का है। प्रस्तुत आलेख में गाँधी जी की पुस्तक 'हिन्द स्वराज' के माध्यम से उनके समकालीन राजनैतिक परिस्थितियों, विचारों, दर्शनों के आलोक में 'अहिंसा' का परीक्षण करते हुए उसके दार्शनिक—राजनैतिक सिद्धान्त के संभावना की गहरी छानबीन की गई है।

रविन्द्र नाथ टैगोर :-

जो यह समझता है कि बर्फ के ऊपर कम्बल लपेट कर उसे गरमाया जा सकता है। वह कुछ देर बाद देखेगा कि बर्फ का टंडापान कम्बल से और भी सुरक्षित हो गया है।

श्री अरविन्द्र :-

यह दर्शन जो भी सभी कर्मों पर एक ही मशीनी नियम लागू करता है अथवा एक शब्द लेता है और उससे सारे मानव जीवन को बैठाने का प्रयास करता है, वह निरर्थक है। एक योद्धा की तलवार न्याय और सदाचार की पूर्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि एक संत की धार्मिकता। शिवाजी के बिना रामदास पूर्ण नहीं हैं। न्याय की रक्षा करने तथा उसे छीनने और निर्बल को दबाने से बलवान को रोकने के लिए ही क्षत्रिय बनाया गया।

वर्ष 2009 में असंख्य पत्र—पत्रिकाओं, सरकारी संस्थाओं द्वारा गाँधीजी के 'हिन्द स्वराज' की शती मनायी गई अधिकांश लेखें, भाषणों में लगभग एक जैसी बातें दुहराई गईं, यह एक महान रचना है, कि सारी दुनिया गाँधीजी की अहिंसा का लोहा मान गई है, या मान रही है। किसी ने इसे भगवान बुद्ध के बाद कहे गए सबसे मूल्यवान वचन कहे तो किसी ने इसे 'सामाजिक अध्यात्म' का नया दर्शन बताया। एक बड़े गाँधीवादी विद्वान ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिले पुरस्कार को भी अहिंसा से जोड़कर देखा। दुनिया में किन—किन बड़े लोगों ने इस पुस्तक का नाम लिखा या तारीफ की, यह दुहराना भी कोई नहीं भूला। देश के विचार—विमर्श की यह स्थिति अत्यंत शोचनीय है। यह 1920—80 के बीच सोवियत संघ की झलक देती है। जब लेनिन या लेनिन के लिखे—बोले गए शब्दों के बारे में सोवियत तथा दूसरे कम्युनिस्टों द्वारा स्वयं ही की जाती रही अतिरेकी प्रशंसा और उसके दुहराव को ही रूसी लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद् और नेता लेनिनवाद की महानता का अकाट्य प्रमाण समझते थे। लेनिन के विचारों के गुण—गान को ही विद्वत लेखन भी माना जाता था। 1947 के बाद भारत

में गाँधी या नेहरू की विरासत के बारे में विमर्श की स्थिति उससे अधिक भिन्न रही है। चाहे यहाँ किसी तानाशाही सत्ता से भय का कारक न हों, किंतु गाँधी—नेहरू का नियमित सरकारी प्रचार, उनकी स्वयंसिद्ध वैचारिक महानता का (अंध) विश्वास, सत्ता और संस्थानों से किंचित लाभ—यश की आस और प्रतिकूल दृष्टि से बचने की चाह—यह सब यहाँ के विद्वत्—जगत में प्रचलित है। अधिक दिन नहीं हुए, जब हमारे अनेक गाँधीवादी लेखक और शोध—कर्त्ता गाँधी और मार्क्स के विचारों में साम्य ढूँढ़ा करते थे। उस पर पूरी पुस्तकें तक लिखी गई। आज वह लेखन—स्वर लुप्त क्यों हो गया। अब बरसों से किसी गाँधीवादी को वह सब कहते नहीं सुना गया, जो वर्ष 1991 तक सुना जाता था। अथवा सुनी सुनाई के मजिश्ून्य दुहराव से प्रभावित थी।

उसी का दूसरा पक्ष यह है कि गाँधी—नेहरू के सिवा एक से एक समकालीन भारतीय महापुरुषों के गुरु—गंभीर विचारों, प्रबल, मौलिक और विचारोत्तेजक चिंतन को विस्मृत किया जा चुका है। जस्टिस रानाडे, स्वामी दयानंद, बंकिमचंद्र, विवेकानंद, तिलक, मदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद, लाललाजपत राय, श्री अरविन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, के.एम. मुंशी, वीर सावरकार, राम मनोहर लोहिया आदि जैसे नाम सहज ध्यान में आते हैं। इनमें से कुछ का एकेला दार्शनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या शैक्षिक चिंतन गाँधी और नेहरू दोनों को मिलाकर देखने पर भी भारी पड़ता है। पर उन नामों में से कुछ तो नई पीढ़ियों के लिए बिल्कुल अपरिचित से हो चुके हैं। जिनसे परिचय बचा हुआ भी है तो उससे सत्ता या शैक्षिक संस्थानों का कोई योगदान नहीं है तथा वह परिचय भी अति—सीमित है।

अतः यहाँ गाँधी जी की महानता के स्वयंसिद्ध स्वरूप में नेहरू पंथी सत्ता—प्रश्रय का सबसे बड़ा अवदान है। वे इसका उपयोग अपनी अनैतिक किस्म की सेक्यूलर राजनीति को वैध ठहराने में करते हैं। उन्हें इस विडंबना की परवाह नहीं कि गाँधी विचार — “धर्म से पृथक की हुई राजनीति लाश के समान है, जो केवल दफना देने योग्य होती है” से उनकी राजनीति घोर पातक है। साथ ही, वह गाँधी की आड़ में दूसरे सभी महत्त्वपूर्ण विचारों, मनीषियों को तहखाने में दबा रखने का काम सफलतापूर्वक करते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गाँधी के (कहीं—कहीं नेहरू के भी) उन सभी विचारों को कदापि याद तक नहीं किया जाता, प्रचारित करना तो दूर रहा, जो उनकी विशिष्ट सेक्यूलरवादी राजनीति के लिए असुविधाजनक जान पड़ता हो। जैसे ऊपर अभी उद्धृत की गई बात। इसी प्रकार चर्च—विस्तारवाद और संगठित धर्मांतरण के विरुद्ध गाँधी के सुचिंतित विस्तृत विचारों को, आज नितांत प्रासंगिक होने पर भी, सावधानीपूर्वक छिपा रखना इसका एक उदाहरण है। गैर—सरकारी गाँधी संस्थान भी यही कहते हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण अवदान स्वयं पश्चिमी समर्थन का है जो गाँधी का उपयोग कई मामलों में अपने स्वार्थों, दुराग्रहों को भारत पर थोपने में करता है। यह संयोग नहीं कि कई पश्चिमी लेखकों और नेताओं ने गाँधी में ‘ईसा की झलक’ देखी है। अमेरिकी पादरी जे.एच. होम्स ने तो उन्हें ‘दूसरा ईसा मसीह’ ही कह दिया था। पर भारत में गाँधी की महानता सहज स्वीकृति के बावजूद किसी ने उनमें राम, कृष्ण या बुद्ध की भी झलक नहीं देखी। क्या यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो लोग गाँधी को मिले पश्चिमी प्रचार और श्री अरविन्द से लेकर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेई तक के राजनीतिक नकार या उदासीनता को अनायास समझते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय सभ्यतागत राजनीति और सामी (सेमेटिक) मजहबों की साम्राज्यवादी भावना के प्रति भोले हैं। आज के प्रसंग में चिंता का बिन्दु तब आता है जब वैसे अनुयायी अपने संप्रदाय की दृष्टि को ही वास्तविक विद्वत् आकलन के रूप में प्रस्तुत

करते हैं। हिन्दु स्वराज की देश-व्यापी चर्चा में जाने-अनजाने यही हुआ। जबकि अकादमिक, बौद्धिक अथवा शैक्षिक चर्चा तभी उपादेय व सार्थक हो सकती है जब वह किसी विचारणीय विषय को हर दृष्टिकोण से देखने के लिए खुली हो, मुफ्त आलोचना के तैयार हो।

अतएव, पहला प्रश्न यह उठता है कि हिन्द-स्वराज और उसके संदेश की गम्भीर आलोचनाओं को चर्चा के लिए क्यों नहीं उठाया जाता है, केवल जय-जयकार ही क्यों किया जाता है, जबकि उन आलोचनाओं में से कुछ की चर्चा स्वयं उस पुस्तक की रमजीराम द्वारा बाद में लिखित भूमिका में ही है। वे आलोचनाएँ कितनी गम्भीर और सामयिक हैं, उन्हें पढ़ते ही समझा जा सकता है। स्वयं गाँधी ने चाहे किंचित अंह-भाव से ही सही, उन आलोचनाओं को नोट किया था मूल गुजराती हिन्द-स्वराज का नया अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित (1938) होने पर दिए गए संदेश में वे कहते हैं कि इस पुस्तक “के विरुद्ध दूसरे पलड़े में रखने के लिए मेरे एक स्वर्गीय मित्र की यह राय भी जान लें कि “यह एक मूर्ख आदमी की रचना है।” संक्षिप्त अंदाज में रखे इस बात से पाठक को संदेश मिलता है कि वह तुच्छ आलोचना थी। आज प्रश्न यह नहीं है कि हिन्द स्वराज के दूसरे पलड़े पर रखने के लिए क्या पर्याप्त था, बल्कि यह कि आज दूसरा पलड़ा ही क्यों लुप्त कर दिया गया है।

यह भी एक विडम्बना है कि अधिकांश गाँधीवादी अपनी चर्चा में हिन्द स्वराज की आलोचनाओं की चर्चा भी करते हैं और उसे आंशिक रूप से मौन स्वीकार करते भी जान पड़ते हैं, वास्तव में वे उस पुस्तक के मूल्यांकन अंश हैं, अर्थात् गाँधी द्वारा की गई यूरोपीय सभ्यता और उसकी देन की भरपूर भर्त्सना, ब्रिटिश संसद, टेल, वकील और डॉक्टरों की भूमिका की निंदा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के हानिकारक प्रभाव आदि। यह भी गाँधीवादी की दुर्बल दृष्टि का परिचायक है कि वे हिन्द स्वराज की उन आलोचनाओं का उल्लेख करते हैं जिन्हें वे मामूली बात मानते हैं। जबकि वहीं अंश हिन्द स्वराज के सशक्त पक्ष हैं। उसी में गाँधी अपनी धर्म-अधर्म भेद दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता की एक मौलिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर, गाँधी के जो अनुयायी उसका महत्त्व समझते हैं वे उसी पर अपने को केन्द्रित रखते हैं – मानों पश्चिमी सभ्यता की आलोचना ही गाँधी दर्शन का मूल या अत्यंतिक पक्ष था। वे गाँधी विचार के दूसरें तत्त्वों, जो दर्शन से लेकर अर्थशास्त्र और राजनीति तक बहुतायत से दिए और प्रयोग किए गए, उन पर विचार ही नहीं करते।

इस प्रकार, हिन्द स्वराज और कुल मिलाकर गाँधी दर्शन के वास्तविक दुर्बल पक्ष पर शायद ही कभी चर्चा होती है। 1930 के दशक में उनकी आलोचनाओं की शक्ति रमजीराम ने महसूस की थी। इसलिए उन्होंने उसे नोट कर यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया था। वे आलोचनाएं गाँधीजी द्वारा पश्चिमी सभ्यता या टेल, डॉक्टर, वकील के मूल्यांकन पर नहीं बल्कि अहिंसा और चर्खे के सिद्धान्त एवं उपयोग से संबंधित थी। स्वयं गाँधी के गुरु गोखले से लेकर विद्वान जी.डी. एच. कोल, अध्यापक सार्डी, मिल्टन मरी, डिलाइल बर्न्स तथा इरनी रैथबोन की आलोचनाएं रमजीराम ने विस्तार से उद्धृत कर उनकी आलोचना करने का प्रयत्न किया था। वस्तुतः यह भी एक पक्षीय दृष्टि है कि हिन्द स्वराज में पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध भविष्य के भारतीय स्वराज का खाका पेश किया गया है। यह उसमें है, किन्तु साथ ही वह अहिंसा के गाँधी सिद्धान्त की सविस्तार प्रस्तुत भी है। गंभीरता से विचार करें तो दिखेगा कि यही उस पुस्तक का मूल आधार है, जिस पर गाँधी अपने सपने के स्वराज्य या सभ्यता की इमारत बनाते हैं। इसी नींव पर ही पुस्तक में विचारित सभी विषय खड़े हैं – सभ्यता का दर्शन, भारत के पराधीन होने के कारण, यूरोपीय जीवन पद्धति वहाँ की संसदीय राजनीति, हिन्दू-मुस्लिम संबंध, अंग्रेजी शिक्षा

की हानियाँ आदि। इनमें सभी के सभी दर्शन नहीं, बल्कि कई राजनीतिक विषय हैं। इसे भूला दिया जाता है। कि उसे एक सक्रिय राजनीति-कर्मी व पत्रकार ने लिखा था, दार्शनिक ने नहीं, किन्तु जिस विचार को पुस्तक में आदि से अंत तक अविच्छिन्न आग्रह के साथ रखा गया वह है अहिंसा-सत्याग्रह का सिद्धान्त। स्वयं गाँधीजी के शब्दों में हिन्द स्वराज- “हिंसा की जगह आत्म-बलिदान को रखती है। पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्म-बल को खड़ा करती है।” यही पुस्तक का मुख्य आधार है।

यह विडंबना है कि गाँधी की विश्व-विख्यात हिन्दू महात्मा के रूप में हुई पर अहिंसा पर उनके विचार नितांत अ-हिन्दू, अ-भारतीय थे। भारतीय शास्त्रों या लोक में कहीं उसकी अनुशंसा नहीं मिलती। यह संयोग नहीं कि रमजीराम ने समर्थन के लिए बुद्ध और ईसा मसीह का नाम लिया जो पश्चिमी दृष्टि, जिससे ही हमारे बौद्धिक भी देखते हैं, उस दृष्टि से भी अ-हिन्दू रिलीजन माने जाते हैं रमजीराम किसी हिन्दू परंपरा में मनीषी, महापुरुष या शास्त्र का नाम नहीं दे सकते। यह बात पुस्तक में भी झलकती है। यह वर्तमान गाँधीवादियों का भगोड़ापन ही है कि उन्होंने हिन्द स्वराज के मूल सिद्धांत पर समकालीन भारतीय मनीषियों की आलोचनाओं को भी तौलने, मनन करने और नहीं तो कम से कम पिछले सौ वर्ष के ऐतिहासिक अनुभवों की कसौटी पर भी परखने का कष्ट नहीं किया।

बल्कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद (1915) गाँधी का पहला सबसे बड़ा। राजनीतिक अभियान यही था। वह भी तब जबकि कांग्रेस यह नहीं चाहती थी। जिन्ना को गाँधी से पहला जबर्दस्त धक्का इसी बिन्दु पर लगा था। कांग्रेस और होमरूल लीग के प्रखर नेता के रूप में तब जिन्ना ब्रिटिश सरकार पर भारत को डॉमिनियन स्टेट्स देने के लिए दबाव बनाना चाहते थे। राजनीतिक वातावरण भी अत्यंत अनुकूल था, जबकि गाँधी दबाव के बदले सरकार को सहयोग देने के लिए कांग्रेस को सैनिक-भर्ती अभियान में लगाना चाहते थे। इस के पक्ष में जोरदार बयान देने का आग्रह करते हुए उन्होंने जिन्ना को पत्र लिखा (4 जुलाई 1918) – “क्या आप नहीं देखते कि यदि प्रत्येक होम रूल कार्यकर्ता सैनिक भर्ती की संभावित एजेंसी बन जाए, जबकि साथ ही संवैधानिक सुधार के लिए संघर्ष भी करता रहे, तब हम कांग्रेस –मुस्लिम लीग की योजना पारित करा सकते हैं, इसके बाद बाइबिल की लेखन शैली में गाँधी जोड़ते हैं “पहले तू भर्ती दफ्तर की चाह कर, और फिर सब कुछ तेरे पास आ जाएगा।” स्पष्टतः प्रलोभन दिया जा रहा है कि सरकार की मदद करके इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती है।

अतः यह कहना कई अर्थों में एक बहुत बड़ी प्रवचना है – और 1905-10 के बीच चले सशक्त स्वदेशी आंदोलन का अपमान भी कि गाँधी से पहले “भारत के लोग गिरे-पड़े थे जिन्हे उन्होंने उठाया” सच्चाई यह है कि लोग उठकर खड़े हो चुके थे, कुछ करना चाह रहे थे, तभी गाँधी पहुँचे। उन्हें बंग-भंग के विरोध में हुए स्वदेशी आन्दोलन और उसकी सफलता से बनी-बनाई राजनीतिक जमीन मिली थी। नहीं तो 1920 के उस बयान कि ‘एक वर्ष में स्वराज्य ले लेंगे’ की संगति जनता के ‘गिरे-पड़े’ होने से कैसे बैठ सकती है। वस्तुतः उसी काल में श्री अरविन्द, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोजशाह मेहता, लाला लाजपत राय जैसे कई लोगों के राजनीति से दूर हो जाने या निधन से नेतृत्व विरल हो गया था। तब लोगों ने गाँधी में संघर्ष में उन्हें नेतृत्व देने वाला एक नया वीर देखा। लोग गिरे-पड़े नहीं थे। वे एक बड़ी लड़ाई लड़कर जीत चुके थे, जब गाँधी का आगमन भी नहीं हुआ था। 1919 के राजनीतिक सुधार, पिछली लड़ाई के बाद की गई ब्रिटिश समीक्षा

का परिणाम था। अहिंसा के मुद्दे पर हिन्दु स्वराज में जो प्रश्न रखे गए हैं वह बड़े सतही और सुविधाजनक हैं। प्रश्न भी उनके, उत्तर भी उनके और अंततः खुद ही स्वयं को शाबाशी भी दे देते हैं। उन स्थलों पर प्रश्नकर्ता कहता है कि 'आपने मेरा संदेह दूर कर दिया' 'आपने मुझे कायल कर दिया' आदि।

यह देखते हुए कि प्रश्न और उत्तर दोनों गाँधी के द्वारा ही लिखे गए हैं, यह आत्म-प्रशंसा ही है। पर हिंसा और अहिंसा संबंधी अधिकांश प्रश्न और उत्तर, काल्पनिक व हल्के किस्म के हैं, जिससे हिन्द स्वराज भरा पड़ा है। अहिंसा के प्रश्न पर देश-विभाजन के प्रसंग में एक कारुणिक निष्कर्ष यह है कि कई बार किसी घाव का ऑपरेशन करके ही अधिक शारीरिक हानि को रोका जाता है। उसमें रक्त बहना रोगी को कष्ट पहुँचाना नहीं, बल्कि निरोग करने के लिए होता है। यदि विभाजन को डटकर अस्वीकार किया गया होता, यदि हिन्दुओं को अपना सामाजिक बल मुसलमानों के समकक्ष करने का सचेतन संदेश दिया गया होता न कि सदैव झुक कर सद्भाव बनाने, 'हिंसा रोकने' का दीन उपाय— तो वह हिंसा होती ही नहीं, जिसे कथित रूप से रोकने के लिए विभाजन स्वीकार कर लिया गया था। यह उपाय पहले भी कई बार खिलाफत नेताओं तथा मुस्लिम लीग की विभिन्न अहंकारी, विशेषाधिकारी माँगें स्वीकार करते हुए किया जा चुका था। यदि अहिंसा के नाम पर अधर्म, अन्याय सहना और कार्यकर्ता नहीं सिखाई गई होती, तो सन् 1919 से लेकर आज तक उतनी हिंसा नहीं होती, जो हुई है। यह रवीन्द्रनाथ और लोहिया के विचारों का यह निष्कर्ष है जो हमें स्वयं निकालना चाहिए।

सन्दर्भ :-

1. दादा भाई नौरोज और रमेशचंद्र दत्त की पुस्तकें ब्रिटिश राज का आर्थिक विश्लेषण हैं, हिन्द स्वराज के दर्शन से संबद्ध कुछ भी उनमें नहीं है। शेष सभी अठारह पुस्तकें दार्शनिक रचनाएँ हैं जो सभी पश्चिमी चिंतकों की हैं।
2. गुजरात राजनीतिक परिषद् गुजरात राजनीतिक परिषद् में भाषण 3 नवम्बर, 1917
3. चर्खे को 'भविष्य के भारत की सामाजिक व्यवस्था' का आधार बनाने की बात गाँधी 1940 में भी करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई गुरु-गंभीर आलोचनाओं (देखें, इनका 'स्वराज साधना' शीर्षक लेख)
4. ए. बी. पुराणी इविनिंग टॉक्स विद श्री अरविन्दो (पांडिचेरी : श्री अरविन्द आश्रम, 1995), पृ. 52-53
5. देखें, रविन्द्रनाथ के 'सत्य का आह्वान, 'समस्या', 'स्वराज साधना'। यह सभी 1921-25 के बीच लिखे गए थे।
6. लोहिया, ऊपर संदर्भ 9, पृ. 209

नाम :- रमजीराम मेघवाल

पता :- मु.पो.—बग्गड़, तहसील—रियाँ बड़ी, जिला—नागौर (राज.)

मोबाईल नं. :- 9352465359

E-mail ID :- ramjirammegh@gmail.com



आधुनिक हिन्दी नाटककार मोहन राकेश और उनके नाटकों के स्त्री पात्र

शबनम (शोधार्थी),

प्रोफेसर एमेरिटस डॉ. रानी बलबीर कौर,

विभाग इण्डियन थिएटर, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़।

सार संक्षेप :-

मोहन राकेश साठ के दशक के नाटक साहित्य के प्रमुख नाटककार रहे हैं। हिंदी नाटकों के क्षेत्र में भारतेन्दु और प्रसाद के बाद मोहन राकेश का प्रवेश हुआ। उन्होंने हिंदी रंगमंच को फिर से दर्शकों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने अपने नाटकों में आधुनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। उनके नाटकों में स्त्री पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह समकालीन समाज के स्त्री चरित्र का निर्माण करते हैं जो पितृसत्तात्मक समाज के बंधनों से मुक्त करने की स्त्रीवादी विचारधारा पर चिंतन करने का एक सचेत प्रयास किया है। नयी विचारधारा में अपना योगदान देते हुए उन्होंने हिंदी नाटकों का अस्वाद ही बदल दिया। उनके नाटक हिंदी में लिखे गए मात्र नाटक नहीं बल्कि सामाजिक का स्वरूप है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मोहन राकेश का आरंभ एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में हुआ और बाद में अपने लेखन का स्तर बढ़ाते हुए प्रसिद्ध नाटककार से के रूप में भी जग विख्यात बन गए। इस शोध पत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मोहन राकेश के नाटकों के स्त्री पात्रों के योगदान का विवरण है।

बीज शब्द :- आधुनिक, नाटक, साहित्य, हिन्दी, स्त्रियाँ।

प्रस्तावना :-

भारतेन्दु युग से साहित्य में स्त्री की अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। भारतेन्दु ने स्त्री जीवन पर 'बालबोधिनी' नामक हिन्दी पत्रिका का विमोचन किया, जिससे स्त्रियों के जीवन में जागृति आ सके। स्त्री जीवन में जागृति के लिए उन्होंने ज्ञान-विज्ञान का संचार भी किया। भारतेन्दु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी उसी समय के लेखन साहित्य में, परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत स्त्री को जगह दी। परन्तु हिंदी कथा साहित्य में स्त्री का स्वतंत्र स्वरूप प्रेमचंद और उसके बाद के युगों में सामने आता है। आधुनिक युग में, पूर्व की तुलना में स्त्री की जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई देता है। अनेक आधुनिक रचनाकारों ने अपने साहित्य में स्त्री पात्रों को विशेष चरित्रों में प्रस्तुत किया है। रचनाकारों ने, सदियों से हाशिए पर रही स्त्री को एक विशेष दर्जा दिया है। वैसे हिंदी कथा साहित्य के आरंभ में यदि देखा जाए तो स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। वह मां, बहन, सहचरि आदि बनकर, आत्म पीड़ा और आत्मदान की जिन्दगी में ही, जीवन की सार्थकता की तलाश करती रही है। पहले जहाँ

स्त्रियाँ, अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं मूल्य में जकड़ी रही, वहीं वर्तमान युग में स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया और पुरुषवादी मानसिकता के विरुद्ध स्त्री लेखन पर भी पूर्ण जोर दिया। इसलिए भारतीय कथा साहित्य में स्त्रियों को वर्तमान युग में विशेष स्थान दिया गया है। अब वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त और स्वतंत्र है। रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त, वह पुरुष के साथ सहकर्मी के रूप में खड़ी है। हिंदी नाटकों के क्षेत्र में भारतेंदु और प्रसाद के बाद मोहन राकेश का प्रवेश हुआ। उन्होंने हिंदी रंग मंच को फिर से दर्शकों के साथ जोड़ दिया।

आधुनिक हिन्दी नाटकों में स्त्री :-

वास्तव में आधुनिक हिन्दी नाटकों की सही शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। भारतेंदु से पहले पारसी नाट्य कंपनियों ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन भारतेंदु ने इस क्षेत्र में मजबूती से काम करना प्रारम्भ कर दिया। हिंदी साहित्य के नाटकों पर बंगाली और अंग्रेजी नाटकों का भी प्रभाव पड़ा। हिंदी साहित्य के लेखकों पर संस्कृत के आदर्शवादी नाटकों ने भी गहरी छाप छोड़ी। भारतेंदु युग से नाट्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग माना जाता है। भारतेंदु युगीन में लिखे गए नाटक, रंग मंच को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। देश भक्ति, समाज सुधार, हास्य और व्यंग्य, अनूदित नाटक, प्रेम प्रधान आदि भारतेन्दु और उनके समकालीन नाटककारों का प्रमुख विषय रहा है। सन् 1900 के बाद जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी रंग मंच को एक नई दिशा दी। जयशंकर प्रसाद ने सन् 1910 में नाटक लेखन की शुरुआत की और उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से 'ध्रुव स्वामिनी', 'सज्जन', 'प्रायश्चित', 'अजातशत्रु' आदि मुख्य रचनाएं हैं।

प्रसादोत्तर नाट्यधारा में सामाजिक, ऐतिहासिक और यथार्थ पर आधारित नाटकों की भी बहुतायत रही है। साठ के दशक के बाद के हिन्दी नाटकों की विकास यात्रा में सजीव और शक्तिशाली परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और जो परिवर्तन धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तरों पर आये, वहीं नाटकों के नए विषय बने। साठ के दशक के नाट्य-साहित्य में मोहन राकेश के अलावा सुरेन्द्र वर्मा, डॉ. शंकर शेष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म साहनी, नरेन्द्र मोहन, मणि मधुकर, रमेश बक्षी, मृदुला गर्ग, लक्ष्मीकांत वर्मा, ब्रजमोहन आदि आधुनिक हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार हैं। 1970-75 के बाद नुक्कड़ नाटकों का आरम्भ हुआ। नाट्य मंडली गली मोहल्लों में घूम-घूमकर शोषण, हिंसा, दहेज प्रथा, स्त्री समस्याओं, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर व्यंग्य, आतंकवाद आदि विषयों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता फैलाती है। सफदर हाशमी नुक्कड़ नाटक के प्रणेता हैं। अपनी नाट्य मण्डली 'जन नाट्य मंच' (जनम) के माध्यम से भी समाज की समस्याओं एवं स्त्री विषयों की विविधता के संदर्भ में लोगों का उद्बोधन करने की प्रेरणा से नाटक लिखे और प्रस्तुत किए हैं।

मोहन राकेश साठ के दशक के नाटक साहित्य के प्रमुख नाटककार रहे हैं। उन्होंने अपने नाटकों में आधुनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस ऐतिहासिकता से भरे हैं, जबकि 'आधे-अधूरे' मन से मानव जीवन की अपूर्णता को मध्य वर्ग की स्त्री के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। मोहन राकेश के नाटकों में आधुनिक युग की समस्याओं जैसे घुटन, अकेलापन, पैसे की अत्यधिक इच्छा, पति-पत्नी के संबंधों में तनाव आदि का चित्रण मिलता है। मोहन राकेश की भाषिक

विशेषता यह है कि उनकी कथा भाषा उनके पात्रों की भाषा बन जाती है। मोहन राकेश की सुलझी हुई और तीव्र दृष्टि न केवल अपने परिवेश के प्रति बल्कि पात्रों के प्रति भी उनकी जागरूकता को दर्शाती है। मोहन राकेश के समस्त नाटकों में स्त्रीवादी चिंतन विकसित होता हुआ दिखाई देता है। 'आषाढ़ का एक दिन' में भारत को आदर्श स्त्री का समर्पण है। 'लहरों के राजहंस' अहंकार पोषित स्त्री की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। उनकी महिला पात्र अलग-अलग पृष्ठभूमि और उम्र से हैं और अलग-अलग भूमिका निभाती हैं। वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं। 'आधे अधूरे' में आर्थिक रूप से सक्षम और स्वतंत्र स्त्री निकम्मे पति से विरोध करती हुई दिखाई देती है। अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु विद्रोह करती है। अपने अधूरेपन को भरने के लिए स्वतंत्र रूप से पूर्णता की खोज करती है। मोहन राकेश ने भी अपनी नाटकों में स्त्री को एक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया है। स्त्री के प्रति समाज की मानसिकता एवं दृष्टिकोण को बदलने में मोहन राकेश के नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहन राकेश के नाटक पूरी तरह से रंग मंच से जुड़े हुए हैं।

मोहन राकेश के नाटकों के मुख्य स्त्री पात्र

1. आषाढ़ का एक दिन : मल्लिका :-

आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश मल्लिका के माध्यम से निःस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति की हैं। नाटक की संपूर्ण कथा मल्लिका के व्यक्तित्व के चारों तरफ घूमती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि इस नाटक में नायक मल्लिका है। राकेश ने मल्लिका का चरित्र-चित्रण एक आत्म निर्भर, स्वतंत्र विचारशील, निर्णायक और आधुनिक स्त्री के रूप में किया है। वे केवल कालिदास की प्रेमिका ही नहीं अपितु काव्य-सृजन की मूल प्रेरणा भी है और उसकी आस्था का स्थिर एवं विस्तृत रूप है। मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलसकर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती। वह नहीं चाहती कि कालिदास ग्राम-प्रांत तक एक स्थानीय कवि के रूप में ही सीमित रहे। इसलिए वह उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती बल्कि उसके लिए विस्तृत क्षितिज का द्वार खोल देती है। मल्लिका उसके लिए अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित कर देती है किंतु कालिदास ऐसा नहीं करता। मल्लिका अभाव झेलती है, विरांगना जैसे अस्तित्व का सामना करना पड़ता है, किंतु उसका आस्था-भाव बना रहता है। वह कालिदास के बिना अनश्वर प्रेम के बल पर जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेती है। कैसी दुखद अनुभूति है उस कालिदास के प्रति जो एक आत्मकेंद्रित व्यक्ति है। वह राज्य कवि बनकर उसके निरछल प्रेम को भूल जाता है और प्रिय गुमंजरी से विवाह कर लेता है। वह मल्लिका को वास्तविक जीवन में भूलकर केवल स्मृति में याद रखता है।

मोहन राकेश ने कालिदास और विलोम को एक दूसरे के पूरक बताया है। और इन दोनों पुरुषों के बीच मल्लिका जिन संबंधों को जीती है उसमें पूर्णता कही नहीं अपितु वहाँ अधूरापन ही व्याप्त है। राकेश ने अपने नाटकों के स्त्री पात्रों के माध्यम से आधुनिक स्त्री की चुनौतियों को अभिव्यक्ति किया गया है। मल्लिका एक अत्यंत कोमल और भावुकता से ओत-प्रोत व्यक्तित्व लिए हुए हैं। इसके साथ ही वह एक स्वाभिमानी महिला और एकनिष्ठ प्रेमिका का स्वरूप भी है। मोहन राकेश ने नाटक में पुरुष मानसिक को कालिदास द्वारा चित्रित किया है। कालिदास अपने जीवन के परिवर्तनों को गिने बिना ही वह मल्लिका के जीवन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाता और मानसिक स्तर पर बिखर जाता है। इस नाटक में एक महत्वपूर्ण विडंबना यह है कि पुरुष, स्वयं समय को कितना जी चुका है इस बात पर ध्यान दिए बिना, वह अपनी प्रेमिका को उसी रूप में पाना चाहता

हैं जिसमें उसने उसे छोड़ा था। मल्लिका एक आधुनिक नारी है। मल्लिका को नाटक के आरंभ में चंचल ग्राम बाला के रूप में चित्रित किया गया है और अंत में आते-आते वह परिस्थितियों से लड़कर विनम्र, त्यागमयी स्त्री के रूप में देखी जा सकती है। मल्लिका का जीवन समय की बदलती धारा में जीवन के आदर्श से आरंभ होकर यथार्थ तक समाप्त होता है।

2. लहरों के राजहंस : सुन्दरी :-

नाटक की मुख्य नायिका सुन्दरी है। वह राजकुमार नंद की पत्नी होने के साथ-साथ रूपगर्विता है। उसे अभिमान है कि उसके रूप एवं सुन्दरता के कारण वह दूसरी स्त्रियों के लिए ईर्ष्या का विषय है। सुंदरी एक ऐतिहासिक पात्र है लेकिन मोहन राकेश ने उसके चरित्र में आधुनिक समय की स्त्री के विभिन्न स्वरूपों को उभारा है। राकेश ने उसे बुद्ध के विपरीत चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वह सांसारिक जीवन की सर्वोपरिता को स्वीकारती है और गैर सांसारिक जीवन का विरोध प्रकट करती है। सुंदरी का चरित्र सुंदर, चतुर, अहंकारी, स्वाभिमानी आत्मविश्वासी एवं अपराजित स्त्री के रूप में प्रकट होता है। इस विषय में सत्यदेव दुबे का मानना है कि 'सुन्दरी', 'आषाढ का एक दिन' की 'मल्लिका' से भिन्न है। वह एक विद्रोहिणी है, अपनी बात पर जोर देने वाली है। उसका दृष्टिकोण अपने पति नन्द से एकदम भिन्न है जो बौद्ध दर्शन के प्रति आकर्षित है और अन्त में उसे स्वीकार कर लेता है। राकेश नाटक के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि लहरें समान्तर हैं राजहंस, नन्द और सुन्दरी के, वह उनकी परिस्थितियाँ हैं। सुन्दरी के संदर्भ में उनका मानना है कि सुन्दरी नंद से बहुत प्रेम करती है और इस प्रेम में गहरा आत्मविश्वास है। सुन्दरी के जीवन दर्शन से उसका पोषण होता है। नाटक का मूल द्वंद भी पार्थिव और अपार्थिव मूल्यों का द्वंद है।

3. आधे अधूरे : सावित्री :-

सावित्री 'आधे-अधूरे' नाटक की मुख्य पात्र है जो पिछले बाईस वर्षों से अपने दांपत्य जीवन का बोझ ढो रही है। सावित्री के तीन बच्चे, दो लड़कियां और एक लड़का है पति महेंद्र नाथ व्यापार में हाथ धोकर घर बेरोजगार बैठ गया है वह उसके निकम्पेपन के कारण अपनी जिंदगी टूटी-भरी बिखरी हुई महसूस करती हैं। परिवार के सभी सदस्यों की जीविका की जिम्मेदारी का सारा बोझ अकेली सावित्री पर है। इसीलिए वह झुंझलती रहती है। वास्तव में 'आधे अधूरे सावित्री की कहानी है वह भी अन्य औरतों की तरह एक ऐसे घर की कल्पना करती है जिसे भी अपना कह सके। उस घर से अपनी उस एक जरूरत को पूरा कर सके, जो उसके अपने अंदर के किसी अधूरेपन को भर सके। वह अपने परिवार का भला सोचती है लेकिन परिवार के सदस्यों की उपेक्षा उसे तोड़कर रख देती है। स्त्री-पुरुष के पारस्परिक संबंधों के अस्त-व्यस्त होने का प्रतिफल परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु समाज को भी भोगना पड़ता है। नाटक में राकेश ने सावित्री के द्वारा प्रस्तुत किया है कि व्यक्ति अपने जीवन के अधूरेपन को दूर करने के लिए किस प्रकार भटकता, संघर्ष करता है और अंत में हार मान जाता है।

लेखक ने इसका वास्तविक चित्रण, आधे अधूरे नाटक में राकेश ने सावित्री के पात्र द्वारा प्रस्तुत किया है। मनुष्य की असंतोष वृत्ति उसे किस दिशा में भटकाती है, उसका चित्रण भी सावित्री के पात्र से दिखाई देता है एक स्वतंत्र जीवन जीने वाले आधुनिक नारी हैं। सावित्री की पूर्णता की खोज उसे जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन और शिवजीत आदि पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करने तक ले आती है परंतु असफल रहती है।

उसकी कल्पना में स्थित पूर्ण पुरुष का आदर्श उसे इन सभी में से किसी में भी नहीं मिला। अतः वह एक पूर्ण पुरुष चाहती है इसलिए पूर्णता की महत्त्वाकांक्षा से प्रेरित होकर वह अपने जीवन में आए दिन नए पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है और नये सिरों से जीवन आरंभ करने का प्रयास करती है। सावित्री के जीवन में कई पुरुषों ने प्रवेश किया परंतु वह भी कहीं ना कहीं अधूरे निकले। इस प्रकार नाटक में राकेश ने सावित्री को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। और सावित्री को आज की स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके अनेक स्वरूपों को प्रकट है।

उपसंहार :-

19वीं शताब्दी से स्त्री को साहित्य में प्रवेश मिलना एक तरह से स्त्री चेतना का आरम्भ था। कई महापुरुषों ने स्त्री जागृति के लिए स्मरणीय कार्य किये हैं, जिसकी परिणीति आधुनिक काल में दिखाई देती है। जब मोहन राकेश के नाटक प्रकाशित हो रहे थे, तब स्त्री विमर्श का रूप वह नहीं था, जो आज है। स्त्री को चाहे कानूनी स्तर पर समानता प्राप्त हो चुकी थी परंतु सामाजिक स्तर पर वह अभी पिछड़ी हुई है। मोहन राकेश के समस्त नाटकों में स्त्रीवादी चिंतन विकसित होता हुआ दिखाई देता है। 'आषाढ का एक दिन' में यदि स्त्री की भावना का वर्णन किया गया है। तो वही 'लहरों के राजहंस' में स्त्री के आकर्षण-विकर्षण की अनुभूति की अभिव्यक्ति का चित्रण है। एक समर्पित स्त्री है तो दूसरी रूप गर्व करने वाली स्त्री। आधे अधूरे नाटक 'आषाढ का एक दिन' और 'लहरों के राजहंस' की तुलना में एक भिन्न कोटी का नाटक है। सावित्री का चरित्र आधे अधूरे नाटक को प्रमुख स्त्री चरित्र ही नहीं बल्कि आधुनिक समाज के स्त्री का स्वरूप है। वह मध्यवर्गीय स्त्री का प्रतीक है। कथा साहित्य में भाषायी प्रवीणता के कारण हर विचार और अनुभव को एक कलात्मक रूप से रूपायित कर प्रदर्शित किया है, वह अन्य समकालीन नाटककारों में देखने को नहीं मिलती है। मोहन राकेश की कथात्मक भाषा पात्रानुकूल लगती है।

संदर्भित ग्रन्थ :-

1. कमलेश्वर, नयी कहानी की भूमिका, शब्दाकार प्रकाशन, 1978
2. माहेश्वर, डॉ. सुरेश, सवातन्त्र्योत्तर हिन्दी भाषा साहित्य, भावना प्रकाशन, 2000
3. राकेश, अनीता, मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियां, दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 1972
4. पिंपलापुरे, डॉ. मीना, मोहन राकेश का नारी, नयी दिल्ली : संसार प्रकाशन संस्थान, 1987
5. गुप्त, डॉ. लाजपतराय, बीसवीं शताब्दी के हिन्दी नाटकों का समाज शास्त्रीय अध्ययन, मेरठ : कल्पना प्रकाशन, 1974
6. दूबे, डॉ. विजय कांतधर, सठोत्तरी हिन्दी नाटक, दिल्ली : नचिकेता प्रकाशन, 1983
7. ओझा, डॉ. दशरथ, हिन्दी नाटक की रूपरेखा, दिल्ली : हिन्दी साहित्य संसार, 1962



हिंदी के विस्तार में डिजिटल मीडिया की भूमिका

रितू रानी, शोधार्थी

डॉ. उमा कुमारी शाह

मीडिया एवं जनसंचार विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी।

सारांश :-

डिजिटल मीडिया : डिजिटल मीडिया का कोई भी वह रूप जो वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करता है। मीडिया के इस रूप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से बनाया, देखा, संशोधित और वितरित किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं के प्रचार प्रसार में तीव्र गति लादी है। डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए जिन भाषाओं का चयन किया है वह भाषा भी वैश्विक पलक पर विस्तार कर रही है। हिंदी के संदर्भ में यह देखा जाता है कि हिंदी भाषा बोलने वाले भारत के एक बड़ी आबादी के बाहर भी गिरमिटिया देशों के अतिरिक्त विश्व बाजार को भी आज हिंदी भाषा की जरूरत है। वैश्विक और व्यवसायिक जरूरतों ने हिंदी को डिजिटल मीडिया के माध्यम से विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया है। यह शोध पत्र हिंदी के विस्तार में डिजिटल मीडिया किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रही है इस पर एक अध्ययन करने का प्रयास है। डिजिटल मीडिया द्वारा आज सभी हिंदी समाचार पत्रों की डिजिटल संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं। यह शोध पत्र समाचार पत्रों की डिजिटल संस्करण और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की सेवा देने वाली वेबसाइट की भाषा हिंदी होने और वेबसाइट महत्व के बारे में एक अध्ययन करने का प्रयास करता है। उपयुक्त शोध का उद्देश्य हिंदी भाषा के विस्तार में डिजिटल युग किस तरह अपनी भूमिका निभा रहा है और डिजिटल मीडिया के माध्यम से किस तरह हिंदी को ग्लोबल बनाया है। इसको समझने का प्रयास करना है। इस शोध में व्याख्यात्मक विधि का उपयोग करके द्वितीयक शोध के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं।

मूल शब्द :- हिंदी भाषा, तकनीकी कांती, डिजिटल युग, डिजिटल प्लेटफॉर्म।

भूमिका :-

हिंदी में जितनी सृजन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है शायद उतनी किसी और भाषा में नहीं हो सकती है। खासकर यूनिकोड फॉन्ट आने के बाद लोगों के लिए हिंदी में लिखना-पढ़ना और सहज हो गया है। इससे पहले सोशल मीडिया में लोग हिंदी भी रोमन लिपि में लिखा करते थे। यही कारण है कि डिजिटल क्रांति के इस स्वर्णिम दौर में नई पीढ़ी का हिंदी के प्रति रुझान बढ़ा है। डिजिटल क्रांति के युग में हिंदी का दायरा और बढ़ा है। पहले अखबार, पत्रिकाएं, टीवी, सिनेमा, काव्य गोष्ठियां और साहित्य सम्मेलन ही हिंदी के प्रचार-प्रसार के बड़े माध्यम थे। लेकिन अब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और ब्लॉग भी हिंदी को समृद्ध बनाने के सशक्त माध्यम

बनकर उभरे हैं। हिंदी अब केवल आम बोलचाल और साहित्यिक भाषा नहीं रह गई है। बल्कि विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी फल फूल रही है। पारंपरिक मीडिया के विपरीत, डिजिटल मीडिया को डिजिटल डेटा के रूप में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसके सरलतम रूप में डिजिटल केबल या उपग्रह शामिल होते हैं जो बाइनरी सिग्नल – 0s और 1s – उन उपकरणों को भेजते हैं जो उन्हें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट और अन्य में अनुवादित करते हैं। डिजिटल तस्वीरें, डिजिटल किताबें (ईबुक) वेबसाइट और ब्लॉग हिंदी के विस्तार के महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं।

भारत में हिंदी भाषा का विस्तार डिजिटल मीडिया के रूप में :-

इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अरविंद गुप्ता डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने चुनाव 2014 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया अभियान की अगुवाई की, जिसके लिए उन्हें डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर और पाथब्रेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साबरकांठा जिले में स्थित गुजरात का अकोदरा गाँव भारत का पहला डिजिटल गाँव बन गया। इसका एक उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकी का निर्माण करना होगा, जो देश के डिजिटल डिवाइड की खाई को पाट सके। इसे भारत के भविष्य के बदलाव के रूप में पेश किया है।

हिंदी के प्रति भावी पीढ़ी का रुझान डिजिटल रूप में :-

नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहती है। अंग्रेजी में लिखने के शब्दों के चयन में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। हिंदी तो हमारी अपनी बोलचाल की भाषा है ऐसे में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लिखने में आसानी होती है। कई आसान हिंदी कीपैड भी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाते हैं। हिंदी में घंटों बातचीत कर सकते हैं।

हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, किंतु भारतीय अस्तित्व की पहचान हिंदी भाषा है। सोशल मीडिया हिंदी के लिए एक सकारात्मक पहलू माना गया है। सोशल मीडिया पर जो स्वदेशी भाषा का प्रचार प्रसार माना गया है व भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से सफल हो पाया है।

उप विषय :

डिजिटल मीडिया वर्तमान परिपेक्ष में :-

डिजिटल मीडिया वर्तमान परिपेक्ष में डिजिटल मीडिया न्यू मीडिया का ही रूप है। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ ही मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचाने की नीति को उड़ान मिली। वर्ल्ड वाइड वेब एक व्यापक क्षेत्र है जहां सूचनाएं सरवर के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचती है। इंटरनेट चालित यह मीडिया अपने कई रूपों में जाना जाता है। जिससे हम न्यू मीडिया, वेब मीडिया, डिजिटल मीडिया और इस मीडिया का ही वर्तमान में एक क्रांतिकारी रूप उभर कर सामने आया है जिससे हम सोशल मीडिया के नाम से जान रहे हैं। वर्तमान परिपेक्ष में डिजिटल मीडिया की आवश्यकता डाटा को संग्रहित करने के लिए अधिक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय संदर्भ में डिजिटल मीडिया की चर्चा वर्तमान परिपेक्ष में करें तो डिजिटल मीडिया का उपयोग जीवन से मृत्यु तक का डाटा संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया में वर्तमान में सारी जानकारी हिंदी में दी जा रही है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के रूप में हिंदी आगे बढ़ रही है। जहां जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म

है। उन सबके संचालन नियम हिंदी में लिखे जा रहे हैं। हिंदी पूरी तरह से डिजिटल स्वीकृत भाषा बन चुकी है।

डिजिटल मीडिया में हिंदी की आवश्यकता :-

डिजिटल मीडिया की पहुंची जो पूरी दुनिया में है तो व्यापक जगत भला इससे अछूता कैसे रह सकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर डिजिटल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्पादों को बेचने का प्लेटफॉर्म बन रही है। जैसे फिलप कार्ड, मित्रा इन सभी कंपनियों की जब हम ऐप ओपन करते हैं या वेबसाइट पर जाते हैं, तो उत्पादों की जानकारी के लिए इन्हें हिंदी भाषा की आवश्यकता होती है। जहां पहले उत्पाद की जानकारी अंग्रेजी भाषा में होती थी। वही अब संपूर्ण विवरण हिंदी में भी उपलब्ध हो रहा है। सौ करोड़ जनसंख्या वाले भारत को पूरी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में देखती है। यह हिंदी के बिना संभव नहीं है। इसलिए सारी उपयुक्त विदेशी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में जानकारी देने के लिए विवश हुई है।

हिंदी के विस्तार में डिजिटल मीडिया :-

डिजिटल मीडिया में हिंदी भाषा स्वीकार है। डिजिटल मीडिया के द्वारा हम आसानी से हिंदी भाषा को लिख-पढ़ सकते हैं। आज विकिपीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, एप्प सभी डिजिटल मीडिया में हिंदी के कीबोर्ड आसानी से काम करते हैं और यही वजह है कि भारत के सुदूर गांवों की प्रतिभा भी अपने लेखन से वैश्विक पहचान बना रही है। वही गिरमिटिया के लेखक भी अपने लेखन द्वारा भारतीय साहित्य प्रेमियों के बीच अपनी पहचान बना रही है।

निष्कर्ष :-

अध्ययन करने के पश्चात् यह पता चला है कि हिंदी के विभिन्न प्रकार के फॉन्ट जैसे यूनिकोड, कुर्ती 10 आदि के आने से हिंदी भाषा को विश्व पटल पर अच्छी पहचान मिली है। डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, सोशल मीडिया के आगमन में 'मार्स मैक लोहान' का यह तथ्य आज भी सत्य सिद्ध हुआ है कि संपूर्ण विश्व पटल को एक गांव के रूप में तब्दील कर दिया गया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से आज हिंदी भाषा विदेशी में भी पढ़ी-लिखी वह विस्तारित की जाती है। हिंदी भाषा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय सीमाओं को तोड़ते हुए वैश्विक पटल पर अपनी पहचान अंकित कर रही है। भूमंडलीकरण और तकनीकी क्रांति आने से भारतीय संस्कृति को प्रचारित-प्रसारित करने में हिंदी भाषा में विशेष भूमिका निभाई है। जिसमें डिजिटल मीडिया का अहम योगदान रहा है। भारत की डिजिटल 'इंडिया योजना' पूर्ण रूप से हिंदी भाषा को स्वीकृत करती है। विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन बाजार के प्लेटफॉर्म हिंदी भाषा में अनुवादित किए जाते हैं। जिससे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा को पढ़ा-लिखा व सुना जाता है। यदि हम यह कहे कि करोड़ों और अरबों रुपयों के बाजार हिंदी भाषा के बिना संभव नहीं हो सकते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संदर्भ सूची :-

1. <https://www.amarujala.com>
2. dehradun/hindi-hain-hum-hindi-got-a-new-identity-due-to-digital-revolution
3. <https://hindibhashaa.com/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%80&E0%A4%95%E0%A5%87&E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0&E0%A4%94%E0%A4%B0&E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4/>
4. <https://achiverceinformation.com/2022/05/What-is-a-digital-media.html> 8059656933, Kritu5775@gmail.com



कुमाऊँनी लोक गीत

सुमन

शोध छात्रा, हिन्दी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, परिसर अल्मोड़ा।

सारांश :-

लोक गीत में लोक और गीत दो शब्दों के योग से बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, लोक के गीत लोक शब्द का वास्तव में अंग्रेजी के 'फोक' का शब्द है, जो ग्राम तथा नगर की समस्त साधारण का द्योतक माना जाता है, लोकगीत को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मतों का योग किया है। पं० रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में "ग्राम-गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय।। लालित्य नहीं केवल माधुर्य है।।। "ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री-पुरुषों के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है, प्रकृति के वे वही गान ग्राम-गीत है"।¹ डॉ० सत्येंद्र लोक गीतों की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, "वह गीत लोक मानस की अभिव्यक्ति हो अथवा जिसमें लोक मानस भी हो, लोक गीत के अन्तर्गत आएगा।"²

मूलशब्द :- संस्कार, कर्तव्य, उत्सव, मेले आदि।

प्रस्तावना :-

हमारे जीवन में लोक गीत का सर्वाधिक महत्व माना गया है। जीवन में विभिन्न प्रकार के संस्कार लोक गीत माने गये हैं। संस्कार का अर्थ होता है, शुद्धि संस्कार मानव जीवन एक महत्वपूर्ण मुख्य माना जाता है, जो मानव जीवन को समय-समय पर परिष्कृत करता रहता है। लोक गीत को पुरुष हो या स्त्री बड़े ही उत्सव के साथ गाती है, जैसे चॉचरी, झोड, छपेली, फाग होली ऋतु गीत आदि।

चॉचरी :-

चॉचरी शब्द 'संस्कृत' के चॉचरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, नृत्य ताल समतन्त्रित गीत वह कुमाऊँनी नृत्य गीतों एक विशिष्ट शैली मानी जाती है। दानपुर, नाकुरी आदि स्थानों में इनका विशेष प्रचलन माना जाता है। मेला उत्सवों आदि अवसर पर ये गीत गाये जाते हैं, इसमें दो या दो से अधिक स्त्री या पुरुष दोनों हाथों का जोड़कर वृत्त आकार बनाते हैं इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। वृत्त आकार में पुरुषों का पहला और स्त्री का दूसरा भाग होता है। इन गीतों को स्त्रियां या केवल पुरुष भी अलग-अलग रूप से गा सकते हैं, मुख्य गायक एक या अधिक भी हो सकते हैं, जो गायक होता है, उसे चॉचरिया दुहरिया भी कहा जाता है। ये गीत दो गायकों के बीच प्रश्न-उत्तर के रूप में भी गाया जाता है। स्त्री और स्त्री और पुरुष, पुरुष, चॉचरी में वाद यंत्र के रूप में हुडका बजता है, चॉचरी ईश्वर वंदना मंगल वचन या नमस्कार रूप में यह गीत गाया जाता है। यह गीत प्रेमी, प्रेमिका, देवर, भाभी, साली, जीजा आदि के साथ गाया जाता है।



“पाकि गया मेव लो पाकि मेवला,
तलि चॉछू राम गंगा मलि चॉछू भेवला।”³

बैर :-

बैर का तात्पर्य है, द्वन्द्व अथवा संघर्ष। गायकों के मध्य गीतात्मक शैली होने वाले वाक-युद्ध को ‘बैर’ कहा जाता है। ‘बैर’ को अन्य कई नामों से ‘बैरिया’ या भग्नौ लिया किसी भी विषय, दृश्य, घटना या प्रसंग को लेकर गीत का आरम्भ होता है, और गीतों के माध्यम से दूसरे बैरियों से प्रश्न पूछ लेता है, दूसरा बैरियों अपने स्थान पर खड़ा होकर पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना प्रश्न पूछ ही लेता है, यह गीतों कई दिनों तक चलता रहता है, तीन-तीन, चार-चार बैरियों प्रश्नोत्तर के द्वन्द्व में भीड़ जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर न दे पाने वाले गायक की पराजय मान ली जाती है।

कुमाँउनी में विभिन्न प्रकार के संस्कार गीतों का भी आयोजन किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार से संस्कारों की संख्या बताई है। भगवान गौतम ने ‘स्मृति’ में चाली संस्कार बताये हैं, तो व्यास संस्कृति सोलह संस्कारों का वर्णन किया है, वर्तमान समय कुछ प्रमुख संस्कार ही सम्पन्न हुए हैं, कुमाँऊ में निम्नलिखित प्रकार के संस्कार गीत गाये जाते हैं

नामकरण :-

इन गीतों को गाने वाली स्त्रियाँ गिदार भी कही जाती है। यह संस्कार के प्रारम्भ दिन में गए जाने वाला गीत को शंकुनांखर भी कहा जाता है। कुछ गीत ऐसे भी होते जिन्हें स्त्रियाँ बच्चों को अपने पांवों में बैठा कर पीठ के बल लेटा कर मुड़े हुए घुटनों को ऊपर उठाते हुए ‘घुगूति बासूति’ नामक गीत गाया करती हैं। खेल-खेल में बच्चे इन गीतों को तुकबंधी स्वयं कर लिया करते हैं, इनमें शब्द चयन और तुक की मधुरता वे सहजता होती है, जो बच्चों का आसानी से याद रहते हैं। इसे तुकबंधी और लय के बोध से बच्चे के मानसिक विकास का अनुमान लगा लिया जाता है।

“घुघुति’ वासूति आम का डछ भाड़ में छ,
कि कर नैछ खाट हाल मेछे,
कि लालि खाट लालि
को खाल दिदि खालि मामा खाल
नैं नैं नैं.....में खैल।”⁴

जब बच्चों को ग्यारहे दिन में उसका नामकरण किया है, इस अवसर पर बच्चों को सूर्य के दर्शन कराये जाते हैं। स्त्रियाँ सूर्य व सेली के गीत गाया करती है, सूर्य की किरण को बच्चे के कमरे तक जाने दो जिससे माँ का हृदय हर्षित हो जाता है, जैसे “सूरिज किरण उदय भैन, बावै माई हरसि भैन।”

अन्नप्राशन गीत :-

यह वह संस्कार गीत होते हैं, जब बालक या बालिका को अन्नप्राशन खिलाया जाता है। स्थानीय भाषा में अनप्रशन्न को "पासिणि" भी कहा जाता है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के गीत गाये जाते हैं। वह व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है, कि भात खाने बालक को भाग्यशाली, दाल, खाने से दयावान और साग खाने से बालक सत्यवादी होता है।



यर्थात्

“भात जो खाले भागीवंद होलड बाल
दाल जो खाले दयावंद होलड बाल,
साग जो खाले सत्यवादी होल बालक।”⁵

विवाह गीत :-

इन गीतों में सभी लोकाचारों का वर्णन किया जाता है। जब वर-वधू को विवाह के पक्ष में समय संपन्न होता है। विवाह संस्कार संबंधी गीतों को मोथिली में 'लग्न गीत' कहा जाता है, और स्थान में यह गीत 'बनडे' कहा लाते हैं। विवाह संस्कार गीतों के विषय में डॉ० कृष्णानन्द जोशी लिखते हैं, ऐसी कुछ भावनाएं—जो नारी हृदय में मूकवेदना जाने वाले गीतों में विद्यमान है। माँ की ममता इन गीतों के द्वारा नजर आती है। कन्या की विदाई के समय माँ का हृदय पीड़ा से निम्नलिखित गीतों के माध्यम से बता चल जाती है।



“अरे अरे पंडित लोगों
मेरी धियाकन, दुखजन दिया,
दस म्हैण मैले पेट में बोकी
दस धारि मैले दूध पिवाछे।”⁶

श्रम गीत :-

श्रम गीत थकान को कम करने लिए गाये जाने वाला गीत है। जो काम को करते समय गाये जाता है। कुमाऊँनी साहित्यकार डॉ० कृष्णानंद जोशी ने इन्हें कृषि संबंधी गीत माना है। वह इस गीत के माध्यम से रोपाई के समय गए जाने वाले गीत को गोडौल या "हुडकिया बौल" कहे जाते हैं। इन गीतों को कुमाँऊनी गीतों के अन्तर्गत रखा गया है।

होली :-

कुमाँऊ में होली का प्रचलन बहुत अधिक माना जाता है, यह दो प्रकार से गाये जाते हैं, एक बैठी दूसरी खड़ी स्त्री है। पुरुष अपने-अपने स्थानों में होली को बैठकर या खड़े होकर गाते हैं। खड़ी होली रास्ते या चलते फिरते गाई जाती है, बैठी होली को प्रायः सांध्य के समय अपने घर के भीतर बैठ कर गाई जाती है। यह कुमाँऊ

का विशेष उत्सव माना जाता है, बैठ होली का गायन मुख्य शिवरात्रि के दिन से हो जाता है, और इसका आरम्भ हो बंसत पंचमी से हो जाता है। ये होलिया शिव, राम, कृष्ण महाशक्ति, दुर्गा आदि से सम्बन्धित मानी जाती है। इसमें पूजा आराधना पर विशेष प्रयोग किया जाता है, जैसे “ऊँचे भवन से संबंधित पर बस रही अंत तेरो नहिं पायो” “जटन विराजन गंग” आदि प्रसिद्ध भक्ति पर कहोलियां होती हैं।

विषय वस्तु के आधार पर होलियां दो भागों में बांटा गया है।

1. भक्ति परक
2. श्रृंगार परक

भक्ति परक :-

भक्ति परक होलियां परमेश्वर देवी-देविताओं से सम्बंधित होती है, जिसमें दार्शनिकता प्रार्थना स्तुति वद तत्व कामना, सांस्कृति अनित्यता आदि का वर्णन किया जाता है।

श्रृंगार परक :-

श्रृंगार परक होलिया का वह होती है। जिसमें छेड़छाड़, हास-परिहास, मिलन संकेत, प्रेमी-प्रमिका दुःख दर्द से को भूला कर रंग रेली के लिए जाना या आमंत्रित करना, सुन्दरी का श्रृंगार आदि का वर्णन किया जाता है।

होलिया का मूल स्वयं श्रृंगार होता है, जिसमें कृष्णा राधा ही नहीं अपितु राम-सीता को भी रंग में डूबते श्रृंगार की अनेकों चेष्टाए मिलती है। अबीर गुलाबों का उड़ना रंग भरी पिचकारियों का चलना सभी को अच्छा लगता सब एक-दूसरे को रंग में डुबाये रहते हैं।

देवर भाभी के संबंध जैसे भी हास-परिहास स्नेह के दृष्टि से मधुर माना जाते हैं। होलिया में भाभी अपने परे रंग में दिखती हैं, और देवर को तीख खंर सुनाते हुए कहती हैं।



तू करिले अपनो ब्याह देवर हमरो भरोसो,
झन करिय,
मैं ले बुलाये एकीलो हो एकलो,
“तू ल्याये जन चार, देवर हमरो भरोसे,
झन करिये,
तू करिले अपनो ब्याह देवर हमरो भरोसो,
झन करिये,
मैं ले बुलाये बागा में हो बागा मे,
तू आये धरबार देवर हमरो,
झन करिये।

निष्कर्ष में कहा जा सकता है, कि कुमाऊँनी में यह लोकगीत का प्रचलन बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कृषि संबंधी गीत, बाल गीत, चॉचरी होली आदि गीतों का अपना ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इन गीतों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न साहित्यकारों ने अपना विशेष योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. पं. रामनरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, भाग ।
2. डॉ० सत्येन्द्र, लोक साहित्य विज्ञान, पृ० सं० 326
3. कुमाँउनी लोकगीत और डॉ० देवसिंह पोखरियां ।
4. वहीं, पृ० सं० 64
5. लोक साहित्य संपादक, पृ० सं० 20, प्रो० चंद्रकला रावत देवभूमि प्रकाशन हल्द्वानी ।
6. वही, पृ० सं० 21
7. कुमाँउनी लोकगीत और गाथाएँ, पृ० सं० 56, 57 डॉ० देवसिंह पोखरिया ।

मो० 8938052285

ईमेल : khersuman22@gmail.com



नई शिक्षा नीति 2020 में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण

अनामिका साहनी

शोध छात्रा, शिक्षा –संकाय, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सारांश :-

एक नारी को शिक्षित करने का मतलब एक परिवार को शिक्षित करना है। वर्तमान युग वैज्ञानिक और वैचारिकता का युग है। अगर स्त्री माता अथवा ग्रहणी का संस्कार, शिक्षा-दीक्षा आधी उत्तम नहीं होगा तो वह समाज तथा राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे पाएंगे। एक विकसित समाज तथा राष्ट्र के लिए स्त्री का शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना अत्यंत आवश्यक है और यह सब शिक्षा के बिना कोरी कल्पना मात्र होगी जब नारी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में उच्च स्थिति होगी तभी वह एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बन पाएगी और समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान देगी।

मूल शब्द :- सशक्तिकरण, वैचारिक युग, शिक्षा-दीक्षा, आत्मनिर्भर, सशक्त।

प्रस्तावना :-

जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। हमारी शिक्षा नीति 1986 से चली आ रही है। 34 साल से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें बदलाव की आवश्यकता है। बदलते वैश्विक परिवेश में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती है। इसमें विद्यालय स्तर जिसमें प्री स्कूल, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतम स्तर तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों द्वारा होता है और नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा है, वैसे शिक्षा सभी के लिए स्त्री हो या पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है जो देश की प्रगति, उन्नति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम

वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करें, तो आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। सभी क्षेत्रों में उसका पदार्पण हो चुका है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे आई हैं लेकिन यह स्थिति सभी वर्ग की महिलाओं पर लागू नहीं होती। अभी भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र सामाजिक आर्थिक एवं अल्पसंख्यक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। नारी के लिए शिक्षा और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि वह केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि अपने पूरे परिवार एवं बच्चों को भी शिक्षित करती है चाहे घर हो या बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है। नारी शिक्षा के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गईं और सफल भी हुई है। उसके बावजूद भी महिलाएं जो हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा मानी जाती है वह अभी भी अशिक्षित है। बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की इसमें ऐसा क्या विशेष है, जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देती है जहां तक मैंने इस नीति को समझा है तो नई शिक्षा नीति ने उन समस्याओं और बाधाओं की तरफ ध्यान दिया है, जो बालिकाओं की शिक्षा के रास्ते में बाधा बनती है। अनेक स्तर पर इसमें बालिकाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा की शुरुआत होती है विद्यालय स्तर से। इस नीति में दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वह हैं विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा तथा ऐसे प्रावधान और योजनाएं जो छात्राओं को विद्यालय से जोड़े रखते हैं उन्हें अवसर देते हैं।

शिक्षा एवं सशक्तिकरण का संबंध :-

प्रस्तुत अध्ययन में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा और सशक्तिकरण का क्या संबंध है। शिक्षा महिलाओं को पितृसत्तात्मक, नियमों, मूल्यों, व्यवहार, पद्धतियों को चुनौती देने में मदद करती है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक प्रयास और चिंतन की एक अनवरत प्रक्रिया है।

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान :-

1. बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी।
2. जहां विद्यालय अधिक दूरी पर है, ग्रामीण अंचलों, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों, वहां निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी।
3. कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो पहले से ही भारत सरकार की योजना है उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में 12वीं स्तर तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
4. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व समूह में आधी संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है। विशेषकर ऐसी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इन छात्राओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करके नीति एवं योजनाएं बनाई जाएंगी।
5. छात्राओं की भागीदारी और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे उपाय किए जाएंगे, जिससे वह विद्यालयों से जुड़ी रहे जैसे अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी तथा फीस आदि न भर पाने की स्थिति में उनके माता-पिता एवं अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण किया जाएगा ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।
6. विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण, भौतिक सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता, शौचालय आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां विद्यालय सह शिक्षा वाले हैं, वहां अलग शौचालय आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं

सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

7. कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति सभी शिक्षक संवेदनशील होंगे तथा विद्यालय में समावेशी एवं संवेदनशील संस्कृति का निर्माण किया जाए।
8. नई शिक्षा नीति 2020 में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि स्कूल में नामांकित सभी बच्चे विशेषकर बालिकाओं किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुशल तंत्र के साथ प्राथमिकता दी जाएंगी।
9. बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करने की बात एक नया और क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उनको ऐसी नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण स्वस्थ वातावरण मिल सके।
10. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल द्वारा प्रस्तुत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढीकरण किया जाएगा, हालांकि यह प्रावधान सभी विद्यार्थियों के लिए हैं किंतु बालिकाओं को उसका विशेष लाभ मिलेगा जो विद्यालय नहीं जा सकती वह भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।
11. व्यवसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इनडोर आउटडोर खेल, चित्रकला, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों आदि को नयी शिक्षा नीति में जोड़ा जाएगा जिससे विद्यार्थी विशेषकर बालिकाओं में रुचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ी रहें।

उच्चतम स्तर पर बालिका शिक्षा के प्रावधान :-

1. बात करें उच्चतम शिक्षा की तो उच्चतम शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित किया जाएगा।
3. परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे।
4. स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा (जैसे— 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक) इसके अतिरिक्त एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) की भी स्थापना की जाने का प्रावधान है जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगा और विद्यार्थी उस क्रेडिट का उपयोग करके किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। वैसे यह सुविधाएं सभी विद्यार्थियों के लिए हैं किंतु महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी होगा क्योंकि विवाह, पारिवारिक कारण व अन्य कारणों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है इस प्रावधान से उन्हें विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट,

डिप्लोमा और डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे अनेक कारणों की वजह से उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो कम हो जाती थी उनको दूर करने की दिशा में यह बदलाव विशेष रूप से लाभकारी होगा।

5. व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने का प्रावधान है, जोकि उच्चतर, प्राथमिक, माध्यमिक कक्षाओं से होती हुई उच्चतर शिक्षा तक जाएगी जिससे प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकें। विशेषकर महिलाएं इससे आत्मनिर्भर बन सकें।
6. उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों तथा 'लोक विधाओं' में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करवाने की भी अनुमति होगी इससे उच्च शिक्षण में महिलाएं अपनी रुचि एवं सुविधा के अनुसार कौशल प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तार से प्रावधान है। शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षण परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा, अधिक छात्रवृत्तियां आदि के प्रति यह नीति जागरूक और संवेदनशील है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. बालिका सशक्तिकरण में नई शिक्षा नीति की क्या भूमिका रही है।
2. क्या आज की शिक्षा महिलाओं (बालिकाओं) के शिक्षा के प्रति जागरूक उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ावा दे रही है।

शोध परिकल्पना :-

बालिका सशक्तिकरण में नई शिक्षा नीति महती भूमिका निभा रही है।

शिक्षा के कारण ही आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर के हर क्षेत्र में चल रही हैं।

निष्कर्ष :-

समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज महिला अबला नहीं है। बल्कि वह पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रयासरत है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगा वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में सुदृढ़ होंगी तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगी। आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारी आकांक्षाओं पर खरी उतरे सफल और सही दिशा में इसका क्रियान्वयन हो अधिक से अधिक बालिकाएं एवं महिलाएं शिक्षित हो सकें और नारी सशक्तिकरण में यह नीतियां मील का पत्थर साबित हो।

संदर्भ :-

1. दुवपुरा, प्रतापबाल, 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व', कुरुक्षेत्र, अंक 5 मार्च 2006
2. मकोल नीलम, शर्मा संदीप, 'सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान', कुरुक्षेत्र सितंबर 2006।
3. अंसारी, (2001) 'महिला एवं मानवाधिकार', ज्योति प्रकाशन जयपुर।
4. श्रीवास्तव, सुधारानी, (1999), 'भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति' कामनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. जैन, प्रतिभा, (1998), 'भारतीय स्त्री सांस्कृतिक संदर्भ', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
6. [Thhps://foilwise.co/article/v/women-education-and-new-education-policy](https://foilwise.co/article/v/women-education-and-new-education-policy)



भारतीय स्त्रीणाम् प्रतिमं वैशिष्ट्यम्

Dr. B. Keshavaprapannapandey

Assistant Professor, Dept of Sanskrit, Dwaraka Doss Goverdhan Doss Vaishnav College
Arumbakkam, Chennai – 106

अस्माकं भारतीयम् इतिहासमालोचयतां विमर्शकानां इदं तिरोहितं दस्मिन्देशे नारीणां स्थानम् अत्युन्नतं कल्पित मासीदिति । अनेकाः पूजार्हाः नार्यः स्व दिव्यचारित्र्येण इमां भारतभूमिं अलङ्कृतवत्यः ये नव यंनितरां गौरव मनुभवामः । तत्र स्त्रीणाम् उत्तमतातासां सदाचारेणैव प्रकटी भवति । उषसिय था समयमुत्थाय गृहकार्यादिकं सम्यक्निर्वर्त्य पति सेवारता श्वश्रूश्च शुरदेवरादीन् पिया श्रद्धया उपचरतिसा गृहणी सर्वैरप्यादृतासती सम्मानीया भवत्येव । तादृशीनां शिष्टानां स्त्रीणां पौराणानिनैकान्युदारणानि दृष्टीगोचरा भवन्त्येव ।

एवं जन्मनः प्रभृतिशिशूनां वर्धने पोषणे उत्तम संस्कार दाने च भारतीय स्त्रीणां मुख्यं स्थानं वर्तत एव । मात्रा बाल्यात् प्रभृति सम्यक् प्रबोधिताः नीति मार्गे च जागरूकतया प्रवर्तिताः त एव अग्रिम काले उन्नत राष्ट्र निर्माणे सभ्य समाज निर्माणे च महद्योगदान मावह्यतः स्वखालित्येऽपिशिष्टा इव आचरन्तः प्रबुद्धा उन्नत प्रजा भवन्ति ।

अपिचविशिष्यसतः पत्युः करणत्रयेणाप्यनुवर्तनं, कदाचिच्चप्रमादवशाज्जात दुर्व्यसनैः कुमार्गे प्रवर्तित स्यतस्यैवपत्युरनेकैः उचितोपायैः शास्त्रगत नीतिबोधनैश्च प्रीत्यासन्मार्गं प्रत्यानयनञ्चस्त्री स्वीयम परिहार्यम् उत्तरदायि त्वमनुते । एवं भर्तुः सर्वेषामपि लौकिकाकिक विषयणा मुत्तरोत्तरोन्नतौ सहभागिनी सतीयथा समयतत् समुचित पथप्रदर्शका भवति । तथैवकुटुम्ब निर्वहण—बालबोधन—धर्मालोचनादि विषयेष्वपिचदक्षाः संस्कारवत्योविद्यावत्यः एताः भारतीय स्त्रियःस्वीय कुटुम्बस्य विषम परिस्थितावपि मुख्यमङ्गमाव हन्त्योऽविचलिताः स्वकुशाग्र बुद्धयोचितोपायैः निजपरिजनान् उद्धार यन्तिनाम, इत्येवमेता दृशान्यनेकानि गौरवावहानिस्त्री कर्तव्यानि पौराणिका ख्यानेषुतत्तद्गेहेषुचाद्यापिनितरांचका सत्येव । तादृशा नांपति सेवारतानां पतिव्रतानां स्त्रीणां कृतेशा स्त्रोक्तं परम पुरुषार्थाख्यमलौकिकं परमानन्द दायकं मोक्षमासाद यितुं पृथक्तया किञ्चित् वैदिक यज्ञादिधर्मानुष्ठानानिवा, शारीरकानि श्रमसाध्यानि कठोराणितपांसिवा, विविधा निव्रतानिवा, उपोषणानिवा अनुष्ठेयानि भवन्तिवत्यत्र मनुस्मृतौ मनूक्तिर्य था –

नास्तिस्त्रीणांपृथग्यज्ञोन्नतनाप्युपोषणम् ।

पतिंशुश्रूषतेयेनतेनस्वर्गमहीयते ।।

अपत्यंधर्मकार्याणिशुश्रूषारतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथास्वर्गःपितृणामात्मनश्चह ।।

यद्यपि मध्यमकाले स्त्रीणां अध्ययना दिकनिषिद्धमा सीत्तथापितत्सर्वहूणा दिमतान्तर स्थानां प्रभवम् इत्येव

विभावनीयम्, यतःपुरातनकाले “गार्गी” “मैत्रेयी” प्रभृति महिलानाम् उत्तुङ्गशास्त्रेषु पिकूलङ्कषज्ञानम् आसीदिति स्फुटं ज्ञायत एव । येतावत् “नस्त्री स्वातन्त्र्यं महति” इतिमनुनोक्त स्यभाव मजानन्तः तंदूषयन्ति, ते अर्धवैशसन्ध्याय लक्ष्मी भूताः “यत्रनार्यःसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” इत्यपरत्रोक्तंविस्मृताइवदृश्यन्तइह । कोमल प्रकृतयः स्त्रियः सदापुरुषैः परिपोषणीयाः नतुकुटुम्बभरं वहन्तीनांता सामुपरि सामाजिक भरारोपणं उचितमिति मनोराशयः । परमेतत्सर्वम् अजानन्त्यः पश्चिम देशेषु स्त्रियः उच्छृङ्खल पथिप्रवर्तितुमिच्छन्ति । काश्चन अस्मिन्देशेऽपि मेवपन्थानम् अनुसर्तुम् अभिलषन्ति । परमेतदस्माकं भारतीय संस्कृतेः अनुरूपं भवत्येव ।

भारतीयनार्यः पतिशुश्रूषायां देवताराधने चसंलग्नाः पुराणेषु दृश्यन्ते । तादृशीषु प्रातस्स्मरणीया सुपूज्या सुनारीषुकासाञ्चन दिव्य चारित्र्यं महत् प्रसिद्धम् । यथा अनसूया स्वपति सेवामहिम्नादिन करो दयमपि स्थगयितुं प्रभवतिस्म इति सर्वेषां विदितं चरमेव तथैव मीरा गोदाप्रभृतयः नकेवलं भक्तमणय आसन् अपितु स्वीयैः भक्तिभरितैः गीतैः समेषां मनसिभक्ति भावमपि अजनयन् । अतः स्त्रियःपत्यौ देवतायाञ्च भक्तियुताःस्युः, घोरेऽस्मिन्कलिकालेऽपि भारतीय संस्कृतिः विराजते चेत्तत्रनिदानम् अत्रत्यानां स्त्रीणां पति देवता भक्तिरेव इत्यत्र नास्ति संशीतिर्लेशतोऽपि । एतत्सर्वं मनसिनिधायैवक विकुल गुरुणा कालिदासेन स्वीये अभिज्ञान शाकुन्तले हस्तिनापुरं प्रतिप्रस्थितायाः शकुन्तलायाः पित्राकण्वेन क्रियमाणेन उपदेश व्याजेनइत्थं भणितम् –

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने,
भर्तृर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः,
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी,
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥

अतः गुरु पतिशुश्रूषा तत्परास्व कर्तव्यं निर्वर्तनं समर्थाया नारी स्वकुलस्य देशस्यच गौरवं धयन्ती स्वयमपिसकलानर्थान्प्राप्तुं प्रभवतिस्वैव उत्तमा नारी इति चात्रनकापिवि प्रतिपत्तिः ।

अपि च कुटुम्बेनारीषु प्रसन्नास्वेव समग्र स्यापि कुटुम्बस्य प्रसन्नता, देवनां पितृणाञ्चतत्र नित्यं निवासोऽभिहितः तदभा वेयत्रनार्यः शोचन्ति तत्र सम्पूर्णस्यैव कुटुम्बस्य विनाश इति अधस्तनैः शास्त्रोक्तैः पद्यैः स्पष्टं ज्ञायते ।

पितृभिः भ्रातृभिश्चौताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।
पूज्याः भूषयितव्याश्च बहुकल्याणभीप्सुभिः ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तदकुलम् ।
न शोचन्तितु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा ॥
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्तिसमन्ततः ॥
तस्मादेताः सदा पूज्याःभूषणाच्छादनाशनैः ।
भूतिकामैर्नरैः नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥
स्त्रियां तुरोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ इति

इदानीं स्त्री प्रशंसायां विद्यमानानि कानिचनपद्यानिव राहमिहिरकृत-वृहत् संहितायाः चतुस्सप्ततित मेध्यायादत्र प्रस्तूयन्ते यथा-

येप्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान्
 वैराग्यमार्गेण गुणान्विहाय ।
 ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः
 सद्भाववाक्यानि न तानि तेषाम् ॥५॥
 प्रब्रूत सत्यं कतरोङ्गनानां
 दोषोस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः ।
 धाष्टर्चेन पुम्भिः प्रमदा निरस्ता
 गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम् ॥६॥
 सोमस्तासामदाच्छौचं गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम् ।
 अग्निश्च सर्वभक्षित्वं तस्मान्निष्कसमाः स्त्रियः ॥७॥
 ब्राह्मणा पादतो मेध्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः ।
 अजाश्वा मुखतो मेध्या स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ॥८॥
 स्त्रियः पवित्रमतुलं नैता दुष्यन्ति कर्हिचित् ।
 मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥९॥
 जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
 तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥१०॥
 इतिशम् ।

परिशीलित ग्रन्थ सूची -

1. मनुस्मृतिः
गजानन शास्त्रिकृत-हिन्दी व्याख्या सहित
प्रकाशन : चौखम्भा सुरभारती
प्र. संस्करणम्, वाराणसी-2001
2. वराह मिहिकृत-बृहत् संहिता
प्रकाशन : चौखम्भा सुरभारती
द्वि.संस्करणम्, वाराणसी-1995

Email : keshavaprapanna@gmail.com

Phone : 8124970316



हिन्दी में रोजगार के अवसर

मीनाक्षी

शोधार्थी, इन्दिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

हिन्दी भारत की अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जब से संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से हिन्दी भाषा का स्वरूप व्यवहारिक होता जा रहा है। हिन्दी संस्कृति, संवेदना व दिल की भाषा होने के साथ-साथ अब रोजगार की भाषा भी हो गयी है। जब कोई भाषा अपने पूर्ण विकास व विस्तार में होती है तो उसमें रोजगार की सम्भावनाएं भी उजागर हो जाती हैं। हिन्दी भाषा का विशाल व समृद्ध साहित्य ही उसे जीवित रखने का आधार नहीं है बल्कि हिन्दी भाषा का व्यवसाय, विज्ञान व रोजगार में शामिल होना भी उसके प्राण तत्व हैं। जिस भाषा में रोजगार देने की सामर्थ्य नहीं होती वह एक दिन अपने संकुचित दायरे में सिमट जाती है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग व्यवसायी भाषा के रूप में है यह उसके अंतर्राष्ट्रीय होने का मुख्य कारण है। विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी भाषा के बढ़ते वर्चस्व व प्रयोजनीयता के कारण हिन्दी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुकी है। अब हिन्दी भाषा केवल शिक्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के छात्रों व पेशेवरों को उच्चगुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रही है। वैश्वीकरण के युग में हिन्दी भाषा के बढ़ते चलन ने रोजगार के अनेक मार्ग खोले हैं। हिन्दी भाषा से रोजगार सम्बंधित क्षेत्रों की बात की जाये तो शिक्षा से लेकर मीडिया तक इसका विस्तार है।

शिक्षा के क्षेत्र में :-

हिन्दी भाषा का अध्ययन करने वालों के बीच में हिन्दी भाषा का अध्यापन कार्य रोजगार के क्षेत्र में एक लोकप्रिय विकल्प है। हिन्दी बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है इसलिए हिन्दी भाषा भारत के लगभग सभी सरकारी, अर्धसरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जा रही है। इन संस्थानों में योग्यतानुसार प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक रोजगार के व्यापक अवसर हैं। प्रत्येक संस्थान में हिन्दी के अध्यापक होते हैं। प्री प्राइमरी शिक्षक बनने के लिये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) या मांटेसरी ट्रेनिंग के बाद प्री प्राइमरी शिक्षक बना जाता है। प्राइमरी की कक्षा को पढ़ाने के लिये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.EL.ED.) या बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.ED) के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर किसी भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बना जाता है। हाईस्कूल व इंटर मीडिएट की कक्षाओं को पढ़ाने के लिये स्नातक हिन्दी विषय के साथ B.ED. का कोर्स व TET द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण कर हिन्दी अध्यापक की योग्यता प्राप्त की जा सकती है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर के बाद हिन्दी में Ph.D तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) या फिर राज्य पात्रता परीक्षा (SET) उत्तीर्ण कर हिन्दी प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया जा

सकता है। शिक्षण व्यवसाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम संस्थान राज्य तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों द्वारा संचालित किये जाते हैं। हिन्दी हमारी राजभाषा होने से सभी संस्थानों में हिन्दी शिक्षण होता है।

प्रिंट मीडिया :-

किसी सूचना या संदेश को लिखित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक आदि पत्र-पत्रिकायें प्रिंट मीडिया के माध्यम हैं। भारत का पहला हिन्दी समाचार पत्र 1826 ई० में 'उदंत मार्तंड' निकला था, तब से सैकड़ों हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं जिनमें रोजगार के विपुल अवसर हैं। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हिन्दी न्यूज रिपोर्टर, संपादक, एडिटर, स्तम्भकार, आलोचक आदि के रूप में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये हिन्दी भाषा का ज्ञान, व्याकरण की शुद्धता, शब्दों का अर्थपूर्ण व मर्यादित प्रयोग तथा रोचक भाषा शैली जैसे गुणों का होना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया में रोजगार पाने के लिये स्नातक स्तर पर हिन्दी भाषा के साथ पत्रकारिता के कोर्स विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कराये जा रहे हैं।

पत्रकारिता एवं जनसंचार :-

हिन्दी का वैश्विक रूप पत्रकारिता व जनसंचार माध्यमों से उजागर हो रहा है। हिन्दी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गयी है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं व टी० वी० चैनलों में दो तिहाई से अधिक हिन्दी भाषा के हैं। 'टेलीविजन पर कितने ही चैनल हिन्दी के कार्यक्रम दिखा रहे हैं। उनमें अधिक से अधिक हिन्दी के मनोरंजन प्रधान और सूचना प्रधान कार्यक्रम दिखाने की होड़ मची हुई है। विदेशी भाषाओं की फिल्में हिन्दी में डब की जा रही हैं। सभी व्यवसायिक कंपनियां अपने उत्पादनों का विज्ञापन हिन्दी में देने के लिये बेचैन हैं।' TRP बढ़ाने व आगे रहने की प्रतियोगिता में चैनल नये, नये कार्यक्रमों का निर्माण कर रहे हैं। उनके निर्माण, प्रचार, प्रसारण, संचालन के क्षेत्रों हिन्दी भाषी युवाओं के लिये रोजगार के नित नये विकल्प खुल रहे हैं। पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में हिन्दी जनसंपर्क अधिकारी, हिन्दी संवाद लेखन, पटकथा लेखन, हिन्दी डबिंग, गीत निर्माण, आलोचक, समाचार वाचक, लेखन, संपादन तथा हिन्दी अनुवाकों के रूप में कार्य किया जा सकता है। इसके लिये हिन्दी भाषा का ज्ञान, देश दुनिया की जानकारी, रचनात्मकता, आवाज में स्पष्टता व संवाद के आधार पर लय होनी चाहिए।

पत्रकारिता व जनसंचार में शिक्षण प्राप्ति के लिये अनेक पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं। B.A. में जनसंचार पाठ्यक्रम, B.Sc. में ग्राफिक्स एण्ड एनिमेशन तथा मल्टिमीडिया, B.B.A. में जनसंचार माध्यमों में प्रवेश के साथ डिप्लोमा या डिग्री इन मास कम्यूनिकेशन की पढाई की जा सकती है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व चैनलों के अपने यूट्यूब चैनल व वेबसाइटें होने से पत्रकारिता व जनसंचार के क्षेत्र में हिन्दी भाषी युवाओं को ऑनलाइन रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसके लिये हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान, आत्मविश्वास, संवाद कौशल कैमरे के सामने बोलने की कुशलता होनी चाहिए। अब प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदलता जा रहा है।

सरकारी व निजी कार्यालयों में हिन्दी :-

संविधान के संशोधन 1967 के अनुसार सभी सरकारी अधिकारियों को कार्यालय की भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग करना भी अनिवार्य है। आदेश सूचना, नियम, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध एवं विभिन्न प्रारूपों को हिन्दी में बनाना व जारी करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र व हिन्दी

भाषी राज्य सरकार के सभी विभागों, उपविभागों में हिन्दी भाषा अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उपप्रबंधक आदि के रूप में हिन्दी भाषा में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इन पदों के लिये स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अनुवादक के क्षेत्र में डिप्लोमा होना आवश्यक है। राजभाषा अधिकारी के लिये स्नातक में हिन्दी के साथ एक विषय के रूप में अंग्रेजी तथा हिन्दी तकनीकी शिक्षा का होना आवश्यक है।

सोशल मीडिया :-

भारत युवा देश होने के कारण यहां सोशल मीडिया की उपयोगिता बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। फेसबुक, ट्विटर, लिंकडइन व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, यू ट्यूब आदि सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ड बनाता है इन प्लेटफार्मों में हिन्दी भाषा में रोजगार के अनेक अवसर हैं। हिन्दी भाषा से सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोफेशनल ब्लॉगर, कंटेंट राइटिंग, एडिटर का कार्य किया जा सकता है। सोशल मीडिया में रोजगार के साथ प्रसिद्धि भी मिलती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कम्पनियों ने भी हिन्दी भाषा में बड़े पैमाने पर काम करना आरम्भ कर दिया है। सोशल मीडिया में हिन्दी भाषा के प्रभाव को स्पष्ट महसूस किया जा रहा है। सोशल मीडिया का प्रयोग हर घर में किया जा रहा है इसमें रोजगार की संभावनाएं अधिकाधिक हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय छात्रों की पढ़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो पायी थी।

राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों में हिन्दी :-

वर्तमान समय में राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिये अनेक योजनाओं का निर्माण व प्रचार किया जाता रहता है। जिन्हें ग्रामीण, देहात के लोगों तक पहुंचाने के लिये हिन्दी भाषी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जिससे अधिक से अधिक लोग बैंकों की योजनाओं को सरल भाषा में समझ सकें और उनका लाभ उठा सकें। इसके लिये बैंकों में ग्रामीण तथा उपनगरों के हिन्दी मीडियम से पढे स्नातक युवाओं की भी भर्ती की जाती है जो बैंकों की योजनाओं को सरल भाषा में लोगों को समझा सकें।

इसके अलावा न्यायिक सेवा, रेलवे, सिविल व स्टेट सर्विस विभागों में भी हिन्दी प्रुफ रीडिंग और फाइनल ड्राफ्ट तैयार किये जाते हैं। यहां भी हिन्दी भाषा में रोजगार के व्यापक अवसर हैं।

विज्ञापन :-

हिन्दी भाषा में विज्ञापनों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। बाजारवाद के इस युग में विज्ञापनों के व्यवसाय ने एक तरह की क्रान्ति पैदा कर दी है। अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए एजेंसियां विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च कर रहे हैं जिससे उपभोक्ता को प्रभावित कर सकें। आज अधिकांश लोग हिन्दी भाषी हैं, विज्ञापनों पर भी हिन्दी भाषा का ही कब्जा है। एजेंसियां विज्ञापन में अपने मूल संदेश को तथा उत्पाद की विशेषताओं को शब्दों में कुछ इस तरह बांधती है कि वह उत्पाद हमारे लिये कुछ खास मायने रखने लगता है। 'विज्ञापन की धारा हिन्दी में स्थापित हो चुकी है जो सतत् प्रवाहमान है। हिन्दी विज्ञापनों के लिये हिन्दी शब्दों का चयन, वाक्य गठन, सादृश्य, विचलन, समानान्तर इत्यादि का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञापन एक कला है जो दृश्य भी है श्रव्य भी है।'² हिन्दी विज्ञापन जगत में रोजगार के लिये हिन्दी भाषा का ज्ञान, शब्द की अनेक अर्थ व्यंजना, नये-नये मुहावरों का निर्माण करने की क्षमता तथा विज्ञापन प्रस्तुतीकरण में हिन्दी भाषा में अर्थ संप्रेषण की कला होनी आवश्यक है।

रेडियो जॉकी :-

यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आवाज द्वारा प्रोग्राम प्रस्तुत किये जाते हैं। हिन्दी रेडियो जॉकी की आवाज अच्छी होनी चाहिये क्योंकि इसमें मुख्य काम बोलना है तथा मिमिक्री व हँसी-मजाक से हर उम्र के लोगो का मनोरंजन करना होता है। रेडियो जॉकी में हिन्दी प्रोग्रामिंग, स्टोरी लिखना, विज्ञापन, ऑडियो मैगजीन व डाक्यूमेंट्री प्रस्तुत करने का कार्य किया जा सकता है। इसके लिये हिन्दी के साथ किसी अन्य भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है, साथ ही देश दुनियां की जानकारी, नये रचनाओं को पढने की ललक, आवाज में विनम्रता, उतार चढाव, समय की पाबंदी आदि गुणों का होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपकी शैली विशेष हो, हाजिर जवाबी, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतीकरण की क्षमता भी आवश्यक है। एयर FM, टाइम्स FM, रेडियो मिड डे, रेडियो वाणी, ऑल इण्डिया रेडियो व क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों में अपना कैरियर बना सकते हैं।

पर्यटन, समाजसेवी संस्थाएँ एवं ग्राहक सेवा केन्द्रों में हिन्दी :-

भारत एक पर्यटक देश है। यहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक विभिन्न दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं जिनका मार्गदर्शन करने के लिये हिन्दी भाषी गाईड की आवश्यकता होती है। हिन्दी गाईड को हिन्दी के अलावा अन्य भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। स्वयं भी पर्यटन कर ब्लॉग बना सकते हैं। विभिन्न समाजसेवी संगठनों द्वारा अपनी योजनाओं को लोगों तक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिये हिन्दी भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। कस्टमर केयर, काल सेन्टर, सर्विस सेंटर, सेल्स मार्केटिंग में हिन्दी भाषा में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं।

रचनात्मकता :-

कुछ लोगों में जन्मजात लेखन कला होती है। वे अपनी रचनात्मकता से हिन्दी में कविता, कहानी नाटक, उपन्यास, गीत, फिल्मों में संवाद, हास्य लेखन, विज्ञापन के लिये लेखन कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रसिद्ध हिन्दी लेखक प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला आदि में जन्मजात लेखन गुण था जिसे उन्होंने धीरे-धीरे विकसित कर हिन्दी का विशाल साहित्य तैयार कर दिया। समाज में मुद्दों की कमी नहीं है। किसी भी समस्या व मुद्दे पर यथार्थ लेखन कहानी, उपन्यास, स्तंभकार, हास्य व्यंग्य के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न कवि सम्मेलनों का आयोजन होता है। जहाँ अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन किया जाता है। यह मंच भी रोजगार का माध्यम है।

अन्य सामग्री लेखन :-

इसमें किसी भी वेबसाइट के लिये लिखना, टी. वी. के किसी भी कार्यक्रम के लिये लिखना, विभिन्न विषयों का हिन्दी भाषा में नोट्स बनाना, किसी टेक्निकल सामान के संचालन विधि को सरल हिन्दी में समझाकर लिखना, शोध ग्रन्थ व शोध पत्रों का लेखन, किसी भी प्रकार का हिन्दी टाईपिंग कार्य करना और भी अनेक कार्य हैं जिससे हिन्दी भाषा में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिन्दी सरल, जीवित व वैज्ञानिक भाषा है इसमें उद्यमिता व तकनीकी की अनेक संभावनाएँ हैं। कुछ समय पहले तक हिन्दी भाषा को हीन कहने वाले लोग भी हिन्दी भाषा के महत्व व उसकी बढ़ती प्रयोजनीयता को समझने लगे हैं। हिन्दी लोकप्रिय भाषा बन गयी है। भारत सरकार द्वारा हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के क्षेत्र में भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज उच्च

पदों पर आसीन शासन-प्रशासन के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मंच से हिन्दी भाषा में सम्बोधित करते हैं जिससे गर्व की अनुभूति होती है। वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरह भारत सरकार तकनीकी, चिकित्सा, विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भाषा को हिन्दी में प्रस्तुत करने के प्रयास कर रही है उससे यही प्रतीत होता है कि भविष्य में हिन्दी भाषा में रोजगार के नित नये-नये अवसर प्राप्त होंगे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो हिन्दी भाषा के प्रयोग से अछूता हो। हमें गर्व है कि हम हिन्दी भाषी हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आधुनिक जनसंचार और हिन्दी. प्रो. हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली, पृष्ठ सं० 122, प्रथम संस्करण 2008
2. जनसंचार माध्यमों में हिन्दी. डॉ० चन्द्र कुमार. क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ सं० 91
3. दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला 14 सितम्बर 2022 का अंक।
4. <https://www.hindikunj.com>

minaxikhulbe@gmail.com



युवा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका

अजय कुमार, पीएच. डी शोधार्थी,

प्रोफेसर डॉ. हरिश्च कुमार, विभागाध्यक्ष,

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।

शोध संदर्भ :-

संचार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। बिना इसके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचार ही सामाजिक ताने-बाने को है और न केवल बुनता है बल्कि समाज को समृद्ध भी बनाता है। सदियों से इंसान ने संचार का इस्तेमाल करने के लिए नए-नए माध्यमों को खोजा एवं अपनाया और एक बेहतर समाज का निर्माण करने का प्रयास भी किया। परंतु किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया के रूप में लोगों को एक ऐसा मंच मिलेगा जहाँ पर कोई भी बिना लाग-लपेट, रोक-टोक के न केवल अपनी बात कह सकेगा बल्कि अपनी एक अलग आभासी सामाजिक दुनिया भी बना सकेगा। जहाँ हम एक ही जगह पर बैठे-बैठे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से पल भरमें न केवल संपर्क साथ सकते हैं बल्कि कोई मैसेज भी भेज सकते हैं। बातचीत कर सकते हैं और यह भी पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है?

सोशल मीडिया ने लगभग हर वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिनमें इसका अधिक इस्तेमाल करने वालों में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया के द्वारा युवा वर्ग न केवल अधिकाधिक लोगों से जुड़ना चाह रहा है बल्कि सोशल मीडिया को मनोरंजन एवं अभिव्यक्ति के साधन के रूप में भी प्रयोग कर रहा है। परंतु वर्तमान में क्या सोशल मीडिया की उपयोगिता केवल उक्त कार्यों तक ही सीमित है? क्या सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में जो वैचारिक कार्यों तक ही सीमित हैं? क्या सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में जो वैचारिक क्रांति व सामाजिक परिवर्तन की बयार दिखाई देती है वह यथार्थ के धरातल पर उतना ही प्रभाव डालती है? आभासी दुनिया के परे वास्तविक दुनिया के सामाजिक बदलाव के क्या इसकी कोई भूमिका है भी नहीं इन्हीं सवालों के समाधान हेतु सामाजिक बदलाव में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की भूमिका का पता लगाना आवश्यक हो जाता है।

अतः प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से युवा सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र मात्रात्मक शोध प्रविधि द्वारा किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र को पूर्ण करने के लिए सर्वेक्षण, निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों का समग्र मानकर उसमें से सोशल

मीडिया पर सक्रिय साम्रो का उद्देश्यपरक निदर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया है।

प्रस्तावना :-

वर्तमान समय में दुनियां को एक नया आकार देने वाले कई महत्वपूर्ण साधनों में से एक इंटरनेट भी है। आज इंटरनेट ने एक तरह से सभी की जिंदगी को आसान बना दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब के इस चमत्कारी आविष्कार ने तो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। टिम बर्नस ली ने भी यह कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे द्वारा तैयार किया गया वर्ल्ड वाइड वेब इस तरह के बड़े और व्यापक तिलिस्मी मायाजाल की शकल ले लेगा। उन्होंने तो सब कुछ कम्प्यूटरों को जोड़ने का प्रयास किया और सारी दुनिया ही इससे जुड़ गई। आज इंटरनेट का ऐसा घोल बन गया है जिससे सारी दुनिया ही चिपक सी गई है। चिपकी है और नहीं थी। क्योंकि जो कुछ भी है वह आभासी है और सच भी। या यूँ कहे आभासी सच। इसी आभासी सच पर सपनों की एक और दुनिया रची गई और वह है सोशल मीडिया की दुनिया। ऐसी दुनिया जिसके भी कई रूप हैं— ब्लॉग, फोरम, बिजनेस नेटवर्क, फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, सोशल गेमिंग, माइक्रोब्लॉग, चैट एम्प्लीकेशनस और सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण रूप है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग एक नया विश्व, एक नया राष्ट्र और एक नया समाज निर्मित करने की ओर अग्रसर हैं।

वर्तमान समय में न्यू मीडिया ने जिस वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है वह है हमारी युवा पीढ़ी। आज का युवा सर्वाधिक समय इंटरनेट, सोशल साइट्स या फिर वीडियो गेग की आभासी दुनिया में ही बिताना पसन्द करता है। इसी में उसकी वास्तविक दुनिया बनती और बिगड़ती है। आज हम जिस सामाजिक परिवर्तन का दर्शन कर रहे हैं उसका सबसे अधिक श्रेय मीडिया को जाता है। लोकतंत्र में कार्य पालिका, न्याय पालिका, व्यवस्थापिका में समुचित ढंग से कार्य न करने के कारण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को अपनी सकारात्मक भूमिका में परिवर्तन। मीडिया की भूमिका जितनी सशक्त होगी उतना ही अधिक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन होगा, अपने तमाम नकारात्मक प्रभाव के बावजूद इसके उपयोग के प्रति बढ़ती ललक बताती है कि सोशल मीडिया का यह असर अभी और बढ़ने वाला है। सोशल मीडिया कहीं-न-कहीं संबंधों का विस्तार कर रहा है। संवाद की गुजांईश बना रहा है। सामाजिक सवालों पर जागरूकता और जनचेतना के जागरण में भी यह माध्यम सहायक सिद्ध हो सकता है।

सोशल मीडिया की ताकत व महत्व का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टैटिस्टा डॉट कॉम के अनुसार पूरी दुनिया में जनवरी 2017 तक सोशल मीडिया के 2.46 बिलियन अर्थात् 246 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। अर्थात् पूरी आबादी की लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करती है और 2023 तक यह आँकड़ा लगभग 300 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान भी स्टैटिस्टस डॉट कॉम ने लगाया है। जिसमें से स्टैटिस्टा डॉट कॉम के अनुसार सितम्बर 2017 तक पूरे दुनिया में फेसबुक के 2061 मिलियन अर्थात् 20,610 लाख यूजर्स हैं उनमें से अकेले भारत में ही जुलाई 2016 तक सर्वाधिक 241 मिलियन अर्थात् 2410 लाख फेसबुक यूजर्स हैं। वहीं म्यू रिसर्च सेन्टर के अनुसार 79 प्रतिशत व्यस्क फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी सर्वाधिक 82 प्रतिशत कॉलेज के छात्र फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं।

ये आँकड़े बताते हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक बदलाव के एक बहुत बड़े साधन के रूप में उभर रहा है, जिसमें फेसबुक एक बहुत लोकप्रिय सोशल साइट्स के रूप में लोगों की पसंद बनता जा रहा है, जिसका सर्वाधिक उपयोग भारत में कॉलेज में पढ़ने वाले भारतीय युवा छात्र कर रहे हैं। अतएव शोध-पत्र में सोशल मीडिया यूजर्स के रूप में विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले युवा छात्रों पर किया जा रहा है ताकि यथार्थ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके एवं समस्या समाधान तक पहुंचा जा सके। आज युवा शक्ति के सोशल मीडिया पर ऐसे कई युवा हैं जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं और अन्य लोगों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक बन रहे हैं परंतु अभी भी कई युवा सोशल मीडिया को महत्व एक अभिव्यक्ति एवं मनोरंजन के साधन के रूप में देख रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है। प्रस्तुत शोध-पत्र में यही जानने की कोशिश की जा रही है कि युवा सोशल मीडिया यूजर्स की सामाजिक बदलाव में क्या भूमिका है।

शोध के उद्देश्य :-

1. युवा सोशल मीडिया यूजर्स की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका का पता लगाना।
2. वास्तविकता जीवन के संदर्भ में सोशल मीडिया पर दिखाने वाले सामाजिक बदलाव की सत्यता का पता लगाना।
3. सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं के क्रियाकलापों का अवलोकन करना।

शोध की परिकल्पना :-

1. सोशल मीडिया का हाल प्रयोग ज्यादातर युवा मनोरंजन के लिए करते हैं।
2. सोशल मीडिया प्रयोगकर्ताओं की सामाजिक बदलाव में भूमिका कम है।
3. सोशल मीडिया पर जो भी सामाजिक बदलाव व विचार क्रांति दिखती है वह बहुत ज्यादा प्रभावित करती है।

शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध-पत्र मात्रात्मक शोध विधि के द्वारा किया गया है। इस शोध को पूर्ण करने के लिए सर्वेक्षण, निर्देशन का प्रयोग में लाया गया है और सोशल मीडिया पर झुकाव, रुझान एवं प्रवृत्ति जाने हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को समग्र मानकर उनमें से सोशल मीडिया पर सक्रिय छात्रों को उद्देश्यपूरक निदर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया है।

डाटा संकलन :-

प्रस्तुत शोध-पत्र में प्राथमिक स्रोत से आँकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के लिए संकलन के लिए शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली विधि द्वारा उत्तरदाताओं के सोशल मीडिया पर झुकाव, इन्सान एवं प्रवृत्ति से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया गया है। सामग्री का विश्लेषण अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण निम्न तालिकाओं के माध्यम से किया गया है।

सारणी-1

आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करते हैं?

छात्र	मनोरंजन के लिए	अभिव्यक्ति के लिए	लोगों से जुड़ने व बातचीत लिए	सामाजिक बदलाव के लिए	प्रतिशत
स्नातक	20	5	15	10	50
स्नातकोत्तर	22	3	17	8	50
कुल योग	42	8	32	18	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 18 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक बदलाव के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करना स्वीकार करते हैं है, जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाता मनोरंजन के लिए व 32 प्रतिशत लोगों से जुड़ने व बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं।

सारणी-2

क्या आपने जातिगत भावनाओं को गिराने के लिए सोशल मीडिया पर कभी कोई पोस्ट किया है?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	25	25	50
स्नातकोत्तर	17	33	50
कुल योग	42	58	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 58 प्रतिशत छात्रों ने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को मिटाने के लिए कोई पोस्ट नहीं किया है, जबकि 42 प्रतिशत छात्रों ने ऐसे पोस्ट करना स्वीकार किया है।

सारणी-3

क्या आपने सोशल मीडिया पर जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध कभी कोई कमेंट किया है?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	25	25	50
स्नातकोत्तर	25	25	50
कुल योग	50	50	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया पर 50 प्रतिशत छात्र जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध कमेंट करते हैं व 50 प्रतिशत छात्रों ने नहीं में जवाब दिया।

सारणी-4

क्या आप साम्प्रदायिक भावनाओं को मिटाने के लिए सोशल मीडिया पर कभी कोई पोस्ट करते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	15	35	50
स्नातकोत्तर	22	28	50
कुल योग	37	63	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 63 प्रतिशत छात्र सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक भावनाओं को मिटाने के लिए पोस्ट नहीं करते हैं। जबकि 31 प्रतिशत छात्र ऐसा नहीं करते।

सारणी - 5

क्या आप सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध कभी कोई कमेन्ट करते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	30	20	50
स्नातकोत्तर	33	17	50
कुल योग	63	37	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर प्रतिशत छात्र सामुदायिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध करते हैं। और 7 प्रतिशत छात्र कोई कमेन्ट नहीं करते हैं।

सारणी-6

क्या आप क्षेत्रवादी भावनाओं को मिटाने के लिए सोशल मीडिया पर कभी कोई पोस्ट करते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	8	42	50
स्नातकोत्तर	27	23	50
कुल योग	35	65	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकतर 63 प्रतिशत छात्र सोशल मीडिया पर क्षेत्रवादी भावनाओं को मिटाने के लिए कोईपोस्ट नहीं करते, जबकि केवल 22.22 प्रतिशत छात्र ही ऐसेपोस्ट करते हैं।

सारणी-7

क्या आप सोशल मीडिया पर क्षेत्रवादी भावना को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध कभी कोई कमेन्ट करते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	32	18	50
स्नातकोत्तर	26	24	50
कुल योग	58	42	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर 58 प्रतिशत छात्र ही क्षेत्रवादी भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध कमेन्ट करते हैं जबकि 42 प्रतिशत छात्र इसके खिलाफ कोई कमेन्ट नहीं करते हैं।

सारणी-8

क्या आप सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार विरोधी कोई पोस्ट व फोटो डालते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	8	42	50
स्नातकोत्तर	10	40	50
कुल योग	18	82	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर 82 प्रतिशत छात्र भ्रष्टाचार विरोधी कोई पोस्ट व फोटो नहीं डालते हैं जबकि 18 प्रतिशत छात्र भ्रष्टाचार विरोधी पोस्ट व फोटो डालते हैं।

सारणी-9

क्या आप सोशल मीडिया पर महिलाओं से भेदभाव विरोधी कोई पोस्ट व फोटो डालते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	38	12	50
स्नातकोत्तर	23	27	50
कुल योग	61	39	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर 61 प्रतिशत छात्र महिलाओं से भेदभाव पोस्ट व फोटो डालते हैं। जबकि 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वह कोई पोस्ट नहीं डालते।

सारणी -10

क्या आप सोशल मीडिया पर बाल श्रम विरोधी कोई पोस्ट व फोटो डालते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	प्रतिशत
स्नातक	19	31	50
स्नातकोत्तर	22	28	50
कुल योग	41	59	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर 59 प्रतिशत छात्र बाल श्रम विरोधी फोटो व पोस्ट नहीं डालते 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वह बाल श्रम विरोधी फोटो व पोस्ट डालते हैं।

सारणी-11

सोशल मीडिया पर सामाजिक बदलाव संबंधी जो भी पोस्ट व फोटो डालते हैं क्या उसका अपने जीवन में अनुसरण कर पाते हैं?

छात्र	हाँ	नहीं	कभी-कभी	मैं ऐसे पोस्ट नहीं करता	प्रतिशत
स्नातक	16	6	20	8	50
स्नातकोत्तर	18	8	21	3	50
कुल योग	34	14	41	11	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 41 प्रतिशत छात्र यह मानते हैं वह सोशल मीडिया पर सामाजिक बदलाव संबंधी जी भी पोस्ट व फोटो डालते हैं। उसका कभी-कभी अपने जीवन में अनुसरण कर पाते हैं, जबकि 34 प्रतिशत छात्र यह स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा अनुसरण करते हैं।

सारणी-12

सोशल मीडिया पर जो भी सामाजिक बदलाव दिखाई देता है क्या वह सचमें उतना ही फर्क डालता है?

छात्र	हाँ	नहीं	थोड़ा बहुत	जो भी फर्क डालता है वह महत्वहीन होता है	प्रतिशत
स्नातक	8	2	25	15	50
स्नातकोत्तर	15	3	20	12	50
कुल योग	23	5	45	27	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 45 प्रतिशत यह मानते हैं कि फेसबुक पर जी भी सामाजिक बदलाव दिखाई देता है वह थोड़ा बहुत फर्क डालता है।

निष्कर्ष :-

अध्ययन से यह पता चलता है कि 45 प्रतिशत युवा ही सामाजिक बदलाव करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सर्वाधिक 42 प्रतिशत युवा मनोरंजन व लगभग 32 प्रतिशत लोगों से जुड़ने और बातचीत भावनाओं को मिटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पर प्रतिशत युवा ही जातिगत भावनाओं को मिटाने के लिए फेसबुक, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वहीं जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टों के विरुद्ध लगभग 37 प्रतिशत युवा ही सोशल मीडिया साम्प्रदायिक भावनाओं को मिटाने के लिए पोस्ट करते हैं, जबकि लगभग 63 प्रतिशत युवा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट के विरुद्ध कमेंट करते हैं। 35 प्रतिशत प्रतिशत युवा ही सोशल मीडिया पर क्षेत्रवादी भावनाओं को मिटाने के लिए पोस्ट करते हैं, जबकि 65 प्रतिशत युवा क्षेत्रवादी भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट के विरुद्ध कमेंट करते हैं। 18 प्रतिशत प्रतिशत युवा ही भ्रष्टाचार विरोधी पोस्ट करते हैं। वही 61 प्रतिशत युवा महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी पोस्ट करते हैं और पांच प्रतिशत युवा बाल श्रम के विरोध में पोस्ट डालते हैं। 34 प्रतिशत युवा यह मानते हैं कि वह फेसबुक पर जो पोस्ट डालते हैं उनका अनुसरण अपने जीवन में वे कभी-कभी ही कर पाते हैं। 68 प्रतिशत युवाओं का यह मानना है कि सोशल मीडिया पर जो भी सामाजिक बदलाव हो वैचारिक क्रांति दिखाई देती है वह फर्क डालती है।

सन्दर्भ सूची :-

1. सूचना समाज, चौथी सत्ता, ऑनलाइन मैगजीन, 2014
2. सोशल मीडिया विकिपिडिया।
3. <http://psllen.wikipedia.org/wiki/social.media>
4. मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन प्रा.लि. पसंकुला, हरियाणा
5. wikipedia मो०- 8059510201, Email- ajaykumarmjmc@gmail.com



हिन्दी के बढ़ते वर्चस्व में सिनेमा की भूमिका

डॉ. यशोदा मेहरा

सहायक आचार्य – हिन्दी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.)

कोई भी भाषा या बोली एक व्यक्ति द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का एक माध्यम है जिसे मनुष्य सदियों से प्रयोग करता आ रहा है। मानव जाति के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि इस पृथ्वी पर असंख्य भाषाएँ और सभ्यताएँ अस्तित्व में आईं और अनेक भाषाएँ सभ्यताओं के साथ ही लुप्त हो गईं किन्तु आज भी असंख्य सभ्यताएँ एवं भाषाएँ खूब फल-फूल रही हैं। हिन्दी भी वैश्विक पटल पर फलती-फूलती भाषाओं का एक उदहारण है। हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण ईथोनोलॉज में दुनियाभर की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी तीसरे स्थान पर है।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव अवश्य पड़ा। वैश्वीकरण की मूल संकल्पना व्यापार, विदेशी निवेश द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर अधिग्रहण तथा आपसी समन्वय, आदान-प्रदान के माध्यम से एक मंच का निर्माण करने की प्रक्रिया के रूप में उभरती है। इन सब में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वैश्वीकरण के बाद हिन्दी भी एक नई भूमिका में हमारे सामने आई है। हिन्दी एक ऐसी लचीली व उदार भाषा है जो अन्य भाषाओं को अपने में समेटने में परहेज नहीं करती। जब हिन्दी संस्कृत की तत्सम शब्दावली से सजती-सँवरती है तब वह प्रबुद्ध वर्ग की भाषा बन जाती है, जब वह उर्दू शब्दावली से युक्त होती है तब आम हिंदुस्तानी की भाषा बन जाती है और देशी-भाषा व बोलियों से शब्दों को अपनाकर देश दुनिया के सुदूर क्षेत्रों में जानी-पहचानी जाती है। हिन्दी का यह लचीला व उदार स्वभाव ही उसे एक विश्व-भाषा की भूमिका प्रदान करता है।

मानव जीवन में साहित्य व सिनेमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार साहित्य में अपने समय और समाज की यथार्थ अभिव्यक्ति होती है ठीक उसी प्रकार सिनेमा भी अपने देशकाल का साक्षी होता है। आज सिनेमा जनसंचार के माध्यमों में सशक्त, लोकप्रिय एवं प्रभावशाली माध्यम है। सिनेमा मानव जीवन व मानव समाज की कलात्मक अभिव्यक्ति तो है ही साथ ही सिनेमा सम्पूर्ण समाज को भाषायी स्तर पर जोड़ने का कार्य भी करता है। सिनेमा साहित्य, संस्कृति, कला और समाज का जीवंत दस्तावेज है। साहित्य और सिनेमा में समाज के उत्थान-पतन, उन्नति-अवनति, अच्छा-बुरा सभी पक्ष देखने को मिलते हैं जिनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। वैश्वीकरण के कारण जहाँ हिन्दी भाषा का विश्व-पटल पर वर्चस्व बढ़ा है वहीं हिन्दी के बढ़ते प्रचार-प्रसार में सिनेमा का योगदान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूँकि सिनेमा सबसे सशक्त और लोकप्रिय विधा है जिससे

समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी रूप में सीधे तौर पर जुड़ा है इसलिए भाषायी एकता स्थापित करने का यह सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। छोटे-छोटे गाँवों-ढाणियों से लेकर बड़े-बड़े महानगरों तक सिनेमा का प्रभाव समाज पर देखा जा सकता है। प्रत्येक जाति, वर्ग, वर्ण, समुदाय व प्रान्त के लोग सिनेमा से प्रभावित होते हैं। वर्तमान दौर में सिनेमा का प्रभाव भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक तो दिखाई देता ही है अपितु भारतीय सिनेमा विदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप हिन्दी भाषा की लोकप्रियता में भी वृद्धि होती जा रही है।

वैश्वीकरण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़े बाजार के रूप में उभरा है। विश्व में भारतीय बाजार की ताकत जैसे-जैसे बढ़ी है वैसे-वैसे हिन्दी भाषा का वर्चस्व भी बढ़ा है। वर्तमान कॉरपोरेट युग में औद्योगिक उत्पाद, उपभोक्ता, बाजार और टेक्नोलॉजी का सर्वथा नया सम्बन्ध बन रहा है। इसमें सब कुछ बहुराष्ट्रीय है परन्तु जो उत्पाद बिक रहे हैं चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से या देश के उत्पाद हों परन्तु वे बिक रहे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही है। देश में विज्ञापनी भाषा में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग इसका उदाहरण है। हिन्दी का विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रवासियों और विदेशियों की बोली में देखा जा सकता है। मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, जमैका, टोबैगो और गुयाना आदि देशों में करीब पचास प्रतिशत लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं। अमेरिका और कनाडा देशों के अप्रवासियों द्वारा कुछ अलग प्रकार की हिन्दी बोली जाती है। वहाँ के हिन्दी रेडियो कार्यक्रमों में भारतीय रेडियो से ज्यादा गुणवत्ता नजर आती है। सिनेमा के प्रभाव स्वरूप हिन्दी एवं हिन्दी भाषा के शब्दों का प्रयोग हॉलीवुड की फिल्मों में भी किया जा रहा है। ऑस्कर से सम्मानित फिल्म 'अवतार' हिन्दी का ही शब्द है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाली फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' का 'जय हो' गाना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस गाने का प्रयोग फिलीपींस, स्पेन आदि देशों में जेल कैदियों की दशा सुधारने में किया जा रहा है।

20वीं सदी में भारतीय सिनेमा, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनेमा उद्योग हॉलीवुड तथा चीनी फिल्म उद्योग के साथ एक वैश्विक उद्योग बन गया है। बढ़ती हुई तकनीक और ग्लोबल प्रभाव ने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदला है। भारतीय सिनेमा ने 90 से अधिक देशों में बाजार पाया है जहाँ भारतीय फिल्में प्रदर्शित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा के प्रति लोकप्रियता एवं हिन्दी भाषी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

सत्यजीत रे, ऋत्विक् घटक, मृणाल सेन, अडूर गोपालकृष्णन, बुद्धदेव दास गुप्ता, जी अरविन्द, अपर्णा सेन, शाजी एन करुण, गिरीश कासरावल्ली जैसे निर्देशकों एवं शेखर कपूर, मीरा नायर और दीपा मेहता आदि फिल्म निर्माताओं ने भारतीय सिनेमा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व ख्याति प्रदान करवाने में अपना अमूल्य योगदान तो दिया ही है साथ ही हिन्दी भाषा को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलवाने का कार्य भी किया है। भारत से बाहर निवास कर रहे लाखों प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय फिल्में डीवीडी या व्यवसायिक रूप से संभव स्थानों पर स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। भारतीय फिल्मों ने अन्तर्राष्ट्रीय फोरम और फिल्म समारोहों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 21वीं सदी में भारतीय सिनेमा ने देश-देशान्तर की विभिन्न सीमाओं का अतिक्रमण कर विश्व के अनेक देशों में अपनी पहचान बनाई है और सिनेमा भाषायी विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे विश्व-पटल पर हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। पाथेर पांचाली, मदर इंडिया, आवारा, कागज के फूल, आखिरी खत, घटश्रद्धा, खरीज, लगान, देवदास, ब्लैक फ्राइडे, पेडलर्स, लूसिया, स्लमडॉग

मिलेनियर आदि अनेकानेक फिल्मों हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाई है अपितु सिनेमा के माध्यम से हिन्दी भाषा के महत्व व गौरव को भी बढ़ाया है।

चूँकि सिनेमा सबसे लोकप्रिय संचार व मनोरंजन का साधन है इसलिए सिनेमा किसी भी भाषा के सम्प्रसार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बन जाता है। जिस प्रकार किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य उस भाषा को अमरत्व प्रदान करता है ठीक उसी प्रकार जिस भाषा का सिनेमा में प्रयोग होता है वह भाषा भी अमरत्व व विशिष्टता प्राप्त कर लेती है। भारतीय सिनेमा ने हिन्दी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज भारतीय फिल्मों का गीत-संगीत सभी के सिर चढ़ कर बोल रहा है जिसकी बानगी हम सोशल मीडिया पर बनाए गये शॉर्ट रील्स के माध्यम से देख सकते हैं। इतना नहीं अपितु टी.वी. पर दिखाये जाने वाले कई रियलिटी शो में विदेशी प्रतिभागी भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हिन्दी गीत संगीत पर थिरकते हुए देखे जा सकते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय सिनेमा ने हिन्दी भाषा को विश्व-स्तर तक पहुँचाने में महती भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहा है। भारतीय फिल्मों, गीत-संगीत कई दशकों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों को लुभाते और आकर्षित करते आ रहे हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव हिन्दी भाषा की व्याप्ति पर पड़ा है। हिन्दी भाषा को विश्व-पटल पर ख्याति दिलवाने में अन्य कारकों के अतिरिक्त भारतीय सिनेमा का बहुत अधिक महत्व रहा है। आज भारतीय सिनेमा उद्योग हॉलीवुड को टक्कर देने का दम रखता है यही कारण है कि अनेक भारतीय कलाकार बॉलीवुड से आगे बढ़कर हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ हिन्दी भाषा को और अधिक सम्प्रसारित करने व उसका गौरव बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं।

सन्दर्भ :-

1. भाषा : वैश्वीकरण के दौर में हिंदी, जनसत्ता, 02 अप्रैल 2017
2. भारतीय सिनेमा : विकिपीडिया।
3. सिनेमा में नारी – शमीम खान, ग्रन्थ अकादमी, दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण 2017
4. नारी अस्मिता और भारतीय हिन्दी सिनेमा – सम्पादक डॉ. मुदिता चन्द्रा, डॉ. जूही।
समर्पिता, भावना प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2015

मो. 7425824902, 8387928901

Email : yashodamehra.alw.ym@gmail.com



हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में प्रिंट मीडिया की भूमिका : एक अध्ययन

भारती (विद्यार्थी),

शिवकुमार (सहायक प्राध्यापक)

मीडिया एवम् संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

सारांश :-

हिंदी आज वैश्विक स्तर पर बोली व समझी जाती है। मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोशल मीडिया इंटरनेट व मोबाइल के कारण आज युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है। आज लोग अन्य भाषा की तुलना में अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए यह आम बोलचाल की भाषा बन चुकी है। हिंदी भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने वाली भाषा है। यह हिंदी भाषा की ताकत को बताता है। भाषा आपस में लोगों को जोड़ने का काम करती है। सोशल मीडिया ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति और एक और बड़े समुदाय तक अपनी बात बिना किसी डर के कही है। प्रिंट मीडिया के द्वारा सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाती है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आते हैं।

प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं में हमें हिंदी साहित्य देखने को मिलता है। प्रिंट मीडिया हिंदी साहित्य को देश-विदेश तक पहुंचा रहा है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से हिंदी साहित्य देश के कोने कोने तक पहुंचा है। हिंदी साहित्य अब पत्रकारिता का साहित्य बन रहा है और इसका श्रेय प्रिंट मीडिया को जाता है। हिंदी साहित्य को फैलाने में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदी साहित्य पर बहुत अच्छी-अच्छी पत्रिकाएं निकलती हैं जो खूब पढ़ी जाती हैं। प्रिंट मीडिया का एक मुख्य माध्यम समाचार पत्र है। जिसको लोग सुबह-सुबह उठकर पढ़ते हैं। समाचार पत्र पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन में हमने व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें हम हिंदी साहित्य का पत्रकारिता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे।

मूल शब्द :- हिंदी साहित्य, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिका, पत्रकारिता साहित्य।

शोध के उद्देश्य :-

1. हिंदी के समाचार पत्र, पत्रिका का अध्ययन करना।

2. हिंदी साहित्य का पत्रकारिता के संदर्भ में उल्लेख करना।
3. हिंदी भाषी पत्रकारिता साहित्य का अध्ययन।

शोध की परिकल्पना :-

1. स्वतंत्रता संग्राम में जनता को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता के विशेष भूमिका रही है।
2. हिंदी साहित्य के कवि और लेखकों ने समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया।

शोध की सीमाएं :-

1. 1947 से पहले की पत्रकारिता के इतिहास का अध्ययन।
2. शोध अध्ययन में हम केवल समाचार पत्रों, पत्रिकाओं को शामिल करेंगे।
3. इस शोध अध्ययन में हम हिंदी साहित्य की विषय वस्तु को शामिल करेंगे।

प्रस्तावना :-

हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी जड़े प्राचीन भाषा के संस्कृत भाषा तक मानी जाती हैं। 'मध्ययुगीन भारत के अवधि, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का आरंभ आठवीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बाद में हुआ। हिंदी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है गद्य पद्य और चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में प्रिंट मीडिया का अहम योगदान रहा है। प्रिंट मीडिया का अर्थ है किसी सूचना या संदेश को किसी माध्यम से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आते हैं। प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इतिहास के सभी प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित करने में मदद करता है। ऐतिहासिक रूप से प्रिंट मीडिया का जन्म घोषणा पत्र द्वारा लिखा गया प्रचार और प्रसार के साथ हुआ है। दुनिया में प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति का श्रेय जर्मनी को जाता है। इंटरनेट के परिचय से पूर्व लोगों के लिए समाचार पत्र ही जानकारी के स्रोत थे। 1826 में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टंड आया। स्वतंत्रता से पहले भी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। उन सभी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद कही गई थी। समाचार पत्रों के जरिए जनता को ब्रिटिश सरकार की दमनकारी का पता चला। आजादी की प्राप्ति के बाद समाचार पत्रों की प्रोफाइल और समाचार पत्र में सभी क्षेत्रों की खबरों को महत्व दिया जाने लगा। समाचार पत्र टू इंटरनेट, टू एजुकेट टू इंफॉर्मेशन के सिद्धांत पर चलता है। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचकों की सुविधा के लिए पांच चरणों में विभाजित किया गया जो कि इस प्रकार है :-

1. आदिकाल 1400 ईस्वी पूर्व।
2. भक्ति काल 1375 से 1700।
3. रीति काल संवत् 1700 से 1900।
4. आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात।
5. नव्योत्तर काल 1980 ईस्वी के पश्चात।

1. आदिकाल 1400 ईस्वी पूर्व :-

हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं। जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बेहतर रचना मानी गई है।

2. भक्ति काल 1375 से 1700 :-

हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली दो काव्यधाराएं थीं। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे दो हिस्सों में बांटा गया। एक है संत काव्य जिसे ज्ञानाश्रेयी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य है जिसे प्रेमाश्रेयी शाखा भी कहा जाता है। भक्ति काल की दूसरी शाखा को सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा दो शाखाओं में बंटी हुई है। समाश्रेयी शाखा तथा कृष्णाश्रेयी शाखा।

3. रीतिकाल संवत् 1700 से 1900 :-

हिंदी साहित्य का रीतिकाल संवत् 1700 से 1900 तक माना जाता है। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता। इस काल को रीतिकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार वर्णन, अलंकार प्रयोग आदि के बंधे रास्ते की ही कविता है।

4. आधुनिक काल 1850 ईस्वी के पश्चात :-

आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली दो सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है। जिसमें गद्य और पद्य में अलग-अलग विचारधाराओं का विकास हुआ है।

5. नव्योत्तर काल 1980 ईस्वी के पश्चात :-

हिंदी साहित्य का नव्योत्तर काल 1980 ईस्वी के पश्चात माना जाता है। नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं।

स्वतंत्रता से पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र व पत्रिकाएं :-

भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंत मार्तंड (द राइजिंग सन), 30 मई 1826 को शुरू हुआ। चौथी दुनिया समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। यह दो भाषाओं में प्रकाशित होता है हिंदी और उर्दू। इसका मुख्यालय नोएडा में है। नई दुनिया नईदुनिया मीडिया लिमिटेड द्वारा संचालित एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 5 जून 1947 को इसकी स्थापना इंदौर में हुई। नवभारत हिंदी का एक समाचार पत्र है इसके संपादक राम कृपाल सिंह एवं सुंदर चंद ठाकुर थे। इसका मुख्यालय मुंबई व भारत में है। आज हिंदी भाषा समाचार पत्र एक दैनिक समाचार पत्र है। आज समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को हुआ। इसके प्रथम संपादक प्रकाश जी थे। प्रभात खबर हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन अनेक जगह किया गया।

सुझाव :-

इस अध्ययन में हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में प्रिंट मीडिया पर अध्ययन किया है। जरूरी नहीं कि हिंदी साहित्य पर प्रिंट मीडिया में ही अध्ययन हो। आगे चलकर कोई भी हिंदी साहित्य पर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अध्ययन कर सकता है।

निष्कर्ष :-

हिंदी साहित्य का इतिहास काफी पुराना है। हिंदी पत्रकारिता का अधिकतर साहित्य हमें प्रिंट मीडिया मंड देखने व पढ़ने को मिलता है। इस अध्ययन में हिंदी साहित्य पर प्रिंट मीडिया का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रचार-प्रसार में प्रिंट मीडिया का अहम योगदान रहा है। समय-समय पर हिंदी लेखकों ने प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए, भारतीय जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से अनेक पत्र व पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। इन समाचार पत्र व पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। समाचार पत्र व पत्रिकाओं ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को उखाड़ने का काम किया।

संदर्भ सूची :-

1. www.hindibhashaa.com
2. www.hindinewspaper.com

Mob. 8168549436

Sachingoyal8368gmsil.com@gmail.com



हिन्दी आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' में दलित स्त्री

PADMAPRIYA.V

शोध छात्र, हिन्दी विभाग, सरकारी आर्ट्स वा साईंस कालेज, कालिकट।

कालिकट विश्वविद्यालय, केरल

हिन्दी गद्य साहित्य में स्वतंत्र और महत्वपूर्ण विधा है आत्मकथा। आत्मकथा अंग्रेजी के Auto-Biography का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ Auto का अर्थ 'आत्मा' और Biography का 'जीवनी' है। इस प्रकार आत्मकथा का अर्थ—व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना। आत्मकथा में लेखक का उद्देश्य अपनी कथा का वर्णन करना है। आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपने सुख—दुख, गुण—दोष सब कुछ पाठक के सामने रखता है। जिससे कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है। लेखक स्वयं को ही प्रस्तुत करता है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि (जूठन), सूरजपाल चौहान (तिरस्कृत), मोहनदास नेमिशराय (अपने अपने पिंजरे), सुशीला टाकभौरे (शिकंजे का दर्द), कौशल्या बैसंत्री आदि हिन्दी दलित साहित्य के प्रमुख आत्मकथाकार हैं। कौशल्या बैसंत्री जी की आत्मकथा 'दोहरा अभिशाप' हिन्दी की पहली दलित स्त्री आत्मकथा है।

भारतीय समाज व्यवस्था में दलितों के जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। लेकिन दलित स्त्री की जीवन ही दोहरा अभिशाप है। दोहरा अभिशाप का यहाँ तात्पर्य है, दोहरी पीडा, अतः दलित होना शाप है, तो दलित स्त्री होना दोहरा अभिशाप है।

दलित पुरुष जातिभेद का शिकार है, जबकि स्त्रियों की अपेक्षा दोहरा शोषण होता है। साथ ही स्त्री होने के कारण घर के भीतर पुरुषों के द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित होना पड़ता है।

दलित स्त्री होने के कारण सवर्ण—पुरुषों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। कौशल्या बैसंत्री अपनी आत्मकथा के माध्यम से एक स्त्री, जब दलित होती है, उसे किन—किन कठिन मार्ग से गुज़रना पड़ता है, उसका यथार्थ विवरण करता है।

बैसंत्री जी पुस्तक की भूमिका में घोषणा करती है "पुत्र, भाई, पति सब मुझ पर नाराज़ हो सकते हैं, परंतु मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए कि मैं अपनी बात समाज के सामने रख सकूँ। मेरे जैसे अनुभव और भी महिलाओं के सामने आए होंगे। परंतु समाज और परिवार के भय से अपने अनुभव समाज के सामने उजागर करने से डरती। समाज की आँखें खोलने के लिए ऐसे अनुभव सामने आने की ज़रूरत है।"¹

लेखिका अपने अनुभव बाँटते हुए कहती है "मैं लेखिका नहीं हूँ, ना साहित्यिक, लेकिन अस्पृश्य समाज में पैदा होने से जातीयता के नाम पर जो मानसिक यातनाएँ सहनी पड़ी। इसका मेरा संवेदनशील मन पर असर

पड़ा है। मैंने अपने अनुभव खुले मन से लिखे हैं। पुरुष प्रधान समाज औरतों का खुलापन बरदाश्त नहीं करता पति तो इस ताक में रहता है कि पत्नी पर अपने पक्ष को उजागर करने के लिए चरित्रहीनता का ठप्पा लगा दें।”²

आत्मकथा में सामाजिक असमानता एवं जातीय नफरत से बच्चें, स्त्रियों और विशेषकर दलित बालिकाओं के मानसिक स्तर पर पड़ रहे प्रभावों के धार्मिक वर्णन किया है।

स्कूल शिक्षा के दौरान एक घटना के बारे में कौसल्या जी कहती है – “कोई मुझे, मेरे जाति न पूछ बैठे, इसका मुझे सदैव डर रहता था। इसलिए मैं अकेली चुपचाप खाने की छुट्टी में या स्कूल शुरू होने के पहले एक और बैठी रही थी।”³

कौसल्या जी अपनी आत्मकथा ‘दोहरा अभिशाप’ में अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए कहती है कि – “स्कूल से आते वक्त मैं या मेरी बहन गाय का गोबर इकट्ठा करती थी। कभी मैं गोबर उठाती तो बहन इधर-उधर देखती, कोई आता दीखता तो मुझे झट इशारा करती थी। मैं गोबर उठाना छोड़कर खड़ी हो जाती थी।”⁴

एक बार पाँचवीं कक्षा में पढ़ते समय, तंगहाली के कारण उनके माता-पिता फीस देने में असमर्थ थे। “बाबा ने हेड मिस्टरस को आश्वासन दिया और उनके चरणों के पास अपना सिर झुकाया दूर से, क्योंकि वे अछूत थे, स्पर्श नहीं कर सकते थे। बाबा का चेहरा कितना मायूस लग रहा था। मेरी आँखें भर आई थीं। अब भी इस बात की याद आते ही बहुत व्यथित हो जाती हूँ। अपमान महसूस करती हूँ। जाति-पाँति बनाने वालों का मुँह नोचने का मन करता है। अपमान का बदला लेने का मन करता है।”⁵

दलित अस्पृश्य लड़की होने के कारण शिक्षक भी गलत व्यवहार करते थे, भेदभाव की दृष्टि से देखते थे। इसलिए भी दलितों के शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी।

एक बार कौसल्या जी के मोहल्ले की ईसाई औरत ने उन्हें बीसी (चिट्फंड) डालने की सलाह दी। कौसल्या बैसंत्री ने बीसी डाली। उसमें अधिकतर ब्राह्मण औरतें थीं, एक मराठा और कायस्थ थे। मराठी स्त्री द्वारा उनकी जाति पता लगने पर बाकी औरतों ने ऐतराज किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया – “आपने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। क्या मैं अपनी जाति का पोस्टर पीठ पर चिका कर रखूँ? सभ्य आदमी जाति-पाँति का विचार अपने मन में नहीं रखते और जाति-पाँति माननेवालों से मैं अपना संपर्क नहीं रखती। आपकी जाति के लोगों ने हमारे बाप-दादा और हमारी जाति के लोगों को सदियों से सताया-पीने को पानी नहीं, पढाई नहीं, संपत्ति नहीं गाँव के बाहर चीथड़ों में रहने को मजबूर किया। और भी अमानुश अत्याचार किए। फिर भी हमने यह सब सहकर अपने पाँव पर खड़े रहकर उन्नति की और आपसे आगे बढ़कर दिखाया है। अब आपसे दबकर नहीं रहेंगे। फिर मैं आपसे कसों डरूँ?”⁶

समाज में दलित महिलाओं के स्थान नीचे है। सामाजिक हिंसा और घरेलू हिंसा एक साथ अपने ऊपर झेलती है। सखाराम की बीबी द्वारा लेखिका ने दलित स्त्रियों की स्थिति का यथार्थवादी चित्रण किया है। यह औरत दिहाड़ी मजदूरी थी। ठेकेदार ने उस औरत से अपमान जनक व्यवहार करता था।

“एक दिन ठेकेदार ने सीमेंट का गोला बनाकर उसकी छाती पर मारा। उस औरत ने उसे गालियाँ ही परंतु वह बेशर्मी हँसता रहा। साथ में मजदूर भी यह देखकर हँस रहे थे।”⁷

“पति ने औरत को ही डांटता शुरू किया, मारा और कहने लगा कि और औरतें भी वहाँ काम करती हैं, उन्हें वह कुछ नहीं कहता और तुम्हें ही क्यों छेड़ता है? तुम ही बदलचलन हो, यह कहकर उसे रात भर बाहर रखा सबेरे उसे गधे पर बैठाया था। बस्ती से बाहर निकालने के बाद वह बेचारी झाड़ी में छिपी रही, क्योंकि उसके बदल पर पूरे कपड़े नहीं थे। रात में वह बस्ती कुँ में कूद गई। उसके माँ-बाप आए और कहने लगे कि अच्छा ही हुआ कि यह कुटला मर गई। उसकी पति ने छह महीने के बाद दूसरी औरत से शादी कर ली।”⁸

पति ने उस ठेकेदार को कुछ कहने के बजाए अपनी स्त्री को ही दोषी माना। ‘स्त्री’ होने को जाहिर करती है।

समाज में दलित स्त्रियों की दुर्दशा के जिम्मेदार सामाजिक कुप्रथाएँ हैं, जिसमें अनमेल विवाह, बाल विवाह और विधवा विवाह पर कौशल्या जी अपनी आत्मकथा में कड़े प्रहार किए हैं।

दलित विधुर और दलित विधवा के दूसरे विवाह में अंतर है। दलित विधुर को कुँआरी लड़की से विवाह कर सकता था पर दलित विधवा को कुँआरे लड़के से शादी नहीं हो सकती थी। वह किसी विवाहित पुरुष की दूसरी, तीसरी पत्नी बन सकती थी।

विधवा विवाह पर टिप्पणी करते हुए लेखिका कहती है – “अस्पृश्य समाज में अगर कोई विधवा द्वारा शादी करना चाहे तो – दूसरी शादी की विधि अलग थी और इसे विवाह न कहकर ‘पार’ कहते थे इस विधि में विधवा को सारे सौभाग्यवती के चिह्न मंगलसूत्र, बिछुए, बिन्दी बगैरा लगाकर सिंदूरी रंग की साड़ी पहनाकर रात के अंधेरे में उसका पति अपने घर लाता था। विधवा का मुँह सधवा न देखे, इसलिए रात में उसे लाते होंगे। जबकि विधुर पुरुष तो धूम्रपान से अपनी शादी कर सकता था। पूरी विधि के साथ, और किसी कुमारी के साथ, परंतु विधवा औरत को किसी कुँवारे आदमी के साथ शादी वह कर सकती थी।”⁹

इस तरह समाज में जातिवाद का जहर इतना भयानक रूप में फैला था कि दलित स्त्री का जीवन जीना दुभर हो गया। स्त्री का विवाह के बाद उसकी मालिक पति पुरुष बन जाता है। स्त्री का काम है बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना बड़ा करना और पुरुष के आज्ञा को मानना। स्त्रियों को समाज में मौलिक अधिकार न देना, न ही सामाजिक न्याय। इस तरह स्त्रियों को समाज में अधिकार नहीं दिया है। स्त्री के वास्तविक जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है।

‘दोहरा अभिशाप’ आत्मकथा में जातिगत नफरत के कारण दलित बच्चों, स्त्रियों व पूरे दलित समाज की दुर्दशा के चित्रण किया है। कौशल्या बैसंत्री जी एक स्त्री और वह भी दलित स्त्री, जो समाज की सब वर्जनाओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है।

कौशल्या जी की लड़ाई केवल दलित की लड़ाई नहीं थी, वह एक स्त्री की भी लड़ाई थी। वे दोहरे अभिशापों से लड़ रही थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - भूमिका से।
2. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - भूमिका से।
3. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 41
4. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 55
5. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 47
6. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 116
7. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 72
8. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 73
9. दोहरा अभिशाप, कौसल्या बैसंत्री, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ - 17

मोबाईल- 8086684083

Email: kadalkannaki@gmail.com, padma3pv@gmail.com



हिन्दी सिनेमा का युवाओं पर प्रभाव : अनुराग कश्यप की फिल्मों का अध्ययन

रचना कसाना

विभागाध्यक्ष, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डीएवी शताब्दी कॉलेज, फरीदाबाद।

सारांश :-

फिल्में दृश्य जगत के प्राण हैं। फिल्मों को पर्दे पर उतारते-उतारते आज वे समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में उतर चुकी हैं। आज का मानव जिस तरीके से चलता है, बैठता है, उठता है, बात करता है, ये सब काफी हद तक सिनेमा जगत से प्रभावित होता है। लोग अपने हाव-भाव, वेश-भूषा तथा खान-पान इत्यादि अपने पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं। हिंदी सिनेमा भारतीय सिनेमा जगत का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। बॉलीवुड ही वह शब्द है जो हिंदी सिनेमा के लिए मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। खड़ी बोली के साथ-साथ अन्य प्रांतीय बोलियों को भी संवाद एवं संगीत में शामिल करके हिंदी सिनेमा प्रतिफलित फिल्मों को जन सामान्य के समक्ष परोसता है। आज भारत में हिंदी सिनेमा अपना इतना अधिक वर्चस्व स्थापित कर चुका है जो समाज को सुधारने के साथ-साथ उसे गुमराह करने में भी सक्षम है। हिंदी सिनेमा भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा हिस्सेदार है जो भारतीय सिनेमा के संपूर्ण राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत का साझेदार है। इन आंकड़ों से ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि हिंदी सिनेमा किस कदर भारतीय समाज को प्रभावित किए हुए है। कुछ फिल्में होती हैं जो समाज के दर्पण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं जैसे पिक, छपाक, मर्दानी, किंतु कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें प्रस्तुत की जा रही विषयवस्तु समाज का साक्षात्कार एक नई काल्पनिक दुनिया से करवाती हैं जो समाज और खास कर युवाओं पर बहुत अधिक प्रभावित साबित होती हैं। ऐसी फिल्मों में अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार, हिंसा, नकारात्मकता जैसी प्रस्तुति दी जाती है।

इस प्रकार की फिल्मों का उत्तम उदाहरण हैं फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की फिल्में। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में भर-भर के अभद्रता दिखाई गई है। साथ ही साथ इन फिल्मों में हिंसा को भी बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अनेक फिल्मों का निर्माण किया है किंतु इन्हीं दो फिल्मों के चयन का कारण इनमें दिखाई गई हिंसा तथा हथियारों का इस्तेमाल है। अनुराग कश्यप की ये फिल्में, हिंदी सिनेमा तथा युवाओं पर इनका प्रभाव ही इस शोध पत्र की विषय वस्तु हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य हिंदी सिनेमा द्वारा अभद्रता तथा हिंसा के प्रस्तुतिकरण और युवाओं को गुमराह किए जाने का विरोध है।

महत्वपूर्ण शब्द :- हिंदी सिनेमा, युवा, हिंसा, फिल्मों में अभद्रता, अनुराग कश्यप फिल्मों, कामुकता, सिनेमा, सिनेमा का प्रभाव, युवा मनोविज्ञान।

परिचय :-

एक आम इंसान का जीवन सामान्य रूप से भाग-दौड़ से भरा होता है। प्रतिदिन के कार्य, नौकरी, जिम्मेदारियां, चिंताएं तथा भविष्य को लेकर तनाव जब मनुष्य को मानसिक तथा शारीरिक रूप से थका देते हैं तब वह मनुष्य इस तनाव भरी जिन्दगी से कुछ पल चुरा कर फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में शांति तथा सुख के कुछ लम्हे ढूँढने का प्रयास करता है। वह मनुष्य उस काल्पनिक दुनिया के उन चंद्र लम्हों को वास्तविक समझ कर जीने का प्रयास करता है। जब कोई फिल्म किसी व्यक्ति को बहुत अधिक भा जाती है तो उसके लिए अपने वास्तविक जीवन को उस फिल्म से भिन्न देख पाना कठिन हो जाता है। वह स्वयं को उस फिल्म का हिस्सा या फिल्म को अपने जीवन का हिस्सा मानने लग जाता है, ये है सिनेमा का प्रभाव। सिनेमा न केवल मानव समाज का एक अभिन्न अंग है अपितु यह मानव समाज में रहने वाले मनुष्यों की जीवन शैली का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है।

हिंदी फिल्म सिनेमा की परिभाषा :-

“सिनेमा अनुभूति और संवेदना, व्यक्ति और समष्टि के संबंध का विज्ञान है। विभिन्न नाट्य एवं ललित कलाओं का सम्मिश्रण है। किसी घटना के काल और दीर्घ के आयामों का रूपांकन है।”

फिल्मकार कमलस्वरूप :-

“फिल्म न केवल कला का एक टुकड़ा है बल्कि सामाजिक सुधार का एक उपकरण भी है क्योंकि यह मनुष्यों, उनकी भावनाओं और समकालीन समाज के उनके विचारों को व्यक्त करता है। फिल्में वह आईना होती हैं जो समाज को दर्शाती हैं। साथ ही वे दशकों से बदलते हुए राजनीति और अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को भी दर्शाती हैं। चाहे वह मध्यम वर्ग के उदय की बात हो या भारत के छोटे शहरों का उदय या पुरी सामंती व्यवस्था का धीरे-धीरे टूटना हो या निराशा, क्रोध, अलगाव और विरह या पुनर्जीवन, एक नया पुनरुत्थान और एक नया विश्वास। आप उन्हें बॉलीवुड के पर्दे पर और अन्य क्षेत्रीय उद्योग के पर्दे पर देखेंगे।”

आतिश पालेकर -

युवा मनोविज्ञान :-

युवावस्था, एक बहुत ही सामान्य परिभाषा में, बचपन और वयस्कता के बीच की जीवन अवधि है। युवा किसी भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं क्योंकि समाज का युवा वर्ग ही देश का भविष्य होता है अर्थात् युवा ही किसी राष्ट्र का 'कल' गढ़ते हैं।

मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। “मानव कोई कार्य क्यों करता है? ऐसे कार्य करने के पीछे उसकी मनोदशा एवं उसका व्यवहार कैसा होता है?” ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम मनोविज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं।

1960 के दशक में, मनोवैज्ञानिकों ने अनुकूली प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया और सीखने की एक सामान्य अवधारणा विकसित की जिसका उपयोग कला स्वागत के मॉडलिंग के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने को “व्यक्तिगत मेमोरी स्टोर के गठन या सुधार” के रूप में देखा जा सकता है।

युवा मनोविज्ञान मुख्य रूप से युवाओं के मानसिक, भावनात्मक तथा व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। युवा मनोविज्ञान विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से युवाओं के विकास, कल्याण एवं कामकाज का अध्ययन करता है।

हिंदी सिनेमा :-

हिंदी सिनेमा का प्रारंभ जुलाई 7, 1896 को बम्बई (मुंबई) में लूमियर ब्रदर्स की सिने मैटोग्राफिक प्रदर्शनी से हुआ माना जाता है। ये प्रदर्शनियां बम्बई के वाटसन होटल में प्रस्तुत की गई थीं। इन प्रस्तुतियों ने दो महीने तक भीड़ को आकर्षित किया। भारतीय नाटककारों, फोटोग्राफरों, अभिनेताओं, संगीतकारों, जादूगरों और गायकों ने उनमें भारतीय मिथकों और लोककथाओं को फिर से कहने की एवं प्रस्तुत करने की अपार क्षमता देखी। हरिश्चंद्र सखाराम भटवाड़ेकर और दादासाहेब फाल्के ही वह मशहूर नाम हैं जिन्होंने अपने काम से सिनेमा के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। हिंदी सिनेमा के शुरुआती प्रयासों का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तब से लेकर आज तक हिंदी सिनेमा ने काफी लम्बा एवं यादगार समय तय किया है। किंतु बात चली आ रही है पिछले कुछ दशकों से जिनमें हिंदी सिनेमा के दूषित होने की चर्चाएं काफी तेज हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है कि बहुत से आयामों में हिंदी सिनेमा का स्तर गिरता जा रहा है।

हिंदी सिनेमा के सकारात्मक प्रभाव :-

1. समाज का दर्पण।
2. रचनात्मक विचारपूर्ण कहानियां।
3. जागरूकता का साधन।
4. शिक्षा का माध्यम।
5. मनोरंजन का साधन।
6. तनावपूर्ण जीवन में मानसिक आराम का साधन।
7. रोजगारपूर्ण।

हिंदी सिनेमा की नकारात्मक प्रभाव :-

1. बढ़ती अपराधिक गतिविधियों का एक बड़ा प्रेरक।
2. नशे को बढ़ावा।
3. संस्कृति का लोप।
4. कामुख्ता का बढ़ता प्रदर्शन।
5. विदेशी संस्कृति को निजी संस्कृति से अधिक बढ़ावा।
6. व्यसनीय।
7. अनैतिक विचारधारा को बढ़ावा।

शोध विधि :-

इस शोध पत्रिका में हिंदी सिनेमा, युवाओं पर इसके प्रभाव एवं फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की दो फिल्मों की चर्चा की गई है। इस शोध को लिखने के लिए विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया है।

यह शोध पत्र द्वितीय आंकड़ों द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

शोध की परिकल्पना :-

1. सिनेमा समाज का दर्पण है इसलिए समाज से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सिनेमा जगत का आदर्श होनी चाहिए।
2. "पर्दे पर क्या उतारा जाए?" कृ यह प्रश्न सदैव फिल्म निर्माताओं का मार्गदर्शक होना चाहिए।
3. फिल्में फिल्म बनाने वाले से लेकर उसमें काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होती हैं इसलिए दर्शकों की मांग संबोधित करके सिनेमा का यूं ही कुछ भी नहीं दिखाया जाना चाहिए।
4. मनुष्य के नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रख ही फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. फिल्मों में दिखाई जा रही हिंसा, कामुकता, गाली-गलोच, नशीले पदार्थ इत्यादि पर संज्ञान लेना चाहिए। युवाओं पर सिनेमा का बहुत अधिक प्रभाव होता है इसलिए सिनेमा जगत को भी युवा एवं समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए।

शोध का उद्देश्य :-

1. यह पता लगाना की उस फिल्म का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा?
2. फिल्मी जगत को जागरूक करना की किस प्रकार की फिल्म सिनेमा में ली जाए?
3. इस बात का अध्ययन करना कि क्या यह फिल्म समाज में दिखाने योग्य थी?
4. यह पता लगाना की युवा वर्ग का इस फिल्म के प्रति क्या रुझान रहा?

शोध की सीमा :-

1. सिर्फ अनुराग कश्यप की दो फिल्मों को लिया गया है।
2. शोध सिर्फ हिंदी सिनेमा के इर्द-गिर्द घूमता है।
3. इस शोध में युवाओं पर फिल्म का प्रभाव लिया गया है।
4. इस शोध में केवल युवाओं को शामिल किया गया है।

साहित्यिक समीक्षा :-

मैत्रेयी महाविद्यालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के हिंदी विभाग द्वारा प्रकाशित युवा वर्ग पर बढ़ता सिनेमा का प्रभाव पढ़ा जिसमें मीनू कुमारी, स्नेहलता, प्रिया, नेहा, अपराजिता, शुभ्रा ने युवा वर्ग के जीवन पर पड़ते सिनेमा के प्रभाव पर रोशनी डाली। साथ ही इन्होंने फिल्मी दुनिया में बढ़ती कामुकता, अभद्रता एवं व्यवसायिक होते जा रहे सिनेमा जगत को भी परखा। विदेशी सभ्यता के बढ़ते हस्तक्षेप एवं सिनेमा में देशी संस्कृति की लुप्त होती छवि पर भी इन्होंने चिंता जाहिर की है। युवा ही वह स्तंभ हैं जिनके सहारे देश गर्व से खड़ा रहता है किंतु दूषित होते जा रहे सिनेमा के गहरे प्रभाव उन्हीं युवाओं की चेतना को भी दूषित किए जा रहे हैं। इस अध्ययनात्मक विषय पर भी संबंधित शोध पत्र में बात की गई है।

अनिल कुमार पाण्डेय और डॉ. श्रीकांत सिंह के शोध पत्र 'आधुनिक सिनेमा का युवा वर्ग पर प्रभाव' में उन्होंने कहा है कि फिल्में विशुद्ध हो गई है। इसका मुख्य कारण दर्शकों का मनोरंजन से भरपूर फिल्मों को ज्यादा पसंद करना है। युवाओं का आचार-विचार, सोचन-समझने का तरीका, रहन-सहन सब सिनेमा से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक प्रो० ऐलिजाबेथ न्यूसन तथा उनके सहयोगियों ने एक वैज्ञानिक शोध के जरिए बताया है कि टी०वी० और बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही फिल्मों में हिंसा का बच्चों और युवाओं पर बुरा

प्रभाव पड़ रहा है। आज के सिनेमा का विषय हिंसा और अश्लीलता हो गया है। इस तरह के विषयों पर बनी फिल्में देखकर युवाओं में आक्रामकता की भावना उत्पन्न होती है, जोकि एक देश के लिए चिंता का विषय है।⁸

फिल्म समीक्षा :-

गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 -

गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 अनुराग कश्यप की क्राइम एक्शन फिल्म है जो बिहार के धनबाद जिले में कोयला खदान माफियों के आपसी मतभेद पर आधारित है। इस फिल्म में तीन पीढ़ियों को दिखाया गया है। यह फिल्म परिवार के बीच कलह और राजनीतिक प्रतिशोध पर आधारित है। इस फिल्म के पहले भाग के अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके फिल्म में जान डाली है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने सरदार खान का रोल अदा किया है। साथ ही फिल्म में बाकि कलाकारों ऋचा चड्ढा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, रीमा सेन और पीयूष मिश्रा ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शनी दी। फिल्म की शुरुआत ही बंदूक, गोली, बारूद और हिंसा से होती है। कहानी में कुरैशी डाकुओं का वासेपुर में दबदबा रहा। इस फिल्म के पहले भाग में सरदार खान का मकसद सिर्फ अपने पिता शाहिद खान की मौत का बदला लेना होता है। यह फिल्म बदले की भावना को जागृत करती है। फिल्म में संवाद 'गोली नहीं मारेंगे साले को, कहके लेंगे उसकी' जो सरदार खान अपनी पत्नी से कहता है। इस फिल्म के संवाद में अपशब्दों का अधिक इस्तेमाल किया गया है। अगर देखा जाए तो फिल्म के संवादों में इस तरह गाली-गलौज और अपशब्दों का इस्तेमाल दर्शकों की संस्कृति को क्षति पहुंचाता है।

गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 :-

गैंग्स ऑफ वासेपुर का दूसरा भाग हर तरह से एक आकर्षक बदले की गाथा है। फ़ैजल नाम का किरदार बदला लेने वाला शख्स है। वह कोल्ड ब्लेड किलर है। फिल्म में इस किरदार को इस तरीके से दर्शाया गया है कि मान लीजिए यदि उसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद नहीं आया तो वह आपको गोली मार देगा। वह किरदार अपने पिता के हत्यारों को पीड़ित पागलपन के साथ मारने के लिए इस दबी हुई दुश्मनी का उपयोग करता है। बेशक फिल्म आपको हंसाती है, लेकिन इसे आपको खुश करने के लिए नहीं बनाया गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 एक प्रतिशोधात्मक कहानी है और यकीन मानिए हिंदी फिल्मों की अन्य कहानियों में इस कहानी से ज्यादा हिंसा आपको शायद ही देखने को मिली होगी। अनुराग कश्यप के यह नाटकीय कहानी आपको फिल्म से अंत तक बांधे रखेगी जिसका श्रेय लेखक अनुराग कश्यप को भी जाता है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा द्वारा फिल्म में किया गया प्रदर्शन उल्लेखनीय हैं साथ ही बाकी सभी कलाकारों की प्रस्तुति भी अच्छी हैं। किंतु यदि सीधे शब्दों में कहूं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 कहानी में दर्शाए गए मकसद के कारण बहुत लंबी है और साथ ही ज्यादातर लोगों के लिए खूनी भी।

कुछ संवाद जिनको आम आदमी बोलने में सोचता हैं उन संवादों को इस्तेमाल कर युवा को बरगलाने के कोशिश की हैं।

- इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ।
- जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे चूतिया ही चूतिया को मारे गाना।
- बाप का, दादा का, भाई का। सबका बदला लेगा रे, तेरा फ़ैजल।

- ये वासेपुर है यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, दूसरे पंख से अपना इज्जत बचाता है।
- हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे।

प्रमुख बिंदु :-

- गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 हिंसा एवं यौन विषय वस्तु को बढ़ावा देती है।
- फिल्म के कुछ हिस्सों में दिखाए जा रहे ड्रग्स युवाओं को नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं।
- इस फिल्म में काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
- फिल्म गैंगवॉर के कई सीन दर्शाती है जो युवाओं को काफी प्रभावित कर सकते हैं।
- फिल्म में गैंगस्टर्स के सामने दिखाई गई पुलिस की बेबसी भी समाज को प्रभावित करने वाली है।

निष्कर्ष :-

युवा एक समाज के पलक-पोषक की तरह होते हैं। जिस प्रकार का उनका आचरण होता है, समाज भी वही दिशा ग्रहण करता है। इन्हीं युवाओं की दिनचर्या का एक अभिन्न भाग मीडिया है। खासकर फिल्में एवं सिनेमा जगत। फिल्में भी समाज का मार्गदर्शक होती हैं। एक युवा जैसा पर्दे पर देखता है उसी का हुबहू अनुसरण करने का प्रयास करता है। वह फिल्मों की दुनिया एवं उनमें अभिनय करने वाले व्यक्तित्वों को अपना आदर्श एवं सर्वस्व समझने लगते हैं। क्या हो यदि इन्हीं फिल्मों में नैतिकता के स्थान पर अभद्रता, मारपीट, कामुकता, नशीले पदार्थों एवं हथियारों का प्रचार होने लगे? क्या युवा इन सब का अनुसरण करने का प्रयास नहीं करेगा? क्या वे ऐसे व्यवहार को आदर्श मानने नहीं लगेगा? ऐसा ही कुछ प्रदर्शन हमें पर्दे पर गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 में कूट-कूट के भरे मिलते हैं। इन्हीं कुछ पहलुओं पर पूर्णतया अध्ययन हमने इस शोध पत्र में दिया है। यह शोध पत्र हिंदी सिनेमा, युवाओं पर इसका प्रभाव एवं अनुराग कश्यप की दो फिल्मों कृ गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 पर द्वितीयक स्रोत द्वारा किया गया हमारा शोध प्रदान करता है। इन दोनों फिल्मों को युवाओं ने खूब पसंद भी किया गया।

संदर्भसूची :-

1. केवल जे. कुमार –मास कम्युनिकेशन इन इंडिया।
2. Gangs Of Wasseypur : The Making Of a Modern Classic & Jigna kothari and Supriya madangarli.
3. मीडिया शोध, डॉ. मनोज दयाल, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, हिसार।
4. सिनेमा और समाज, विजय अग्रवाल, सतसाहित्य प्रकाशन, दिल्ली।
5. भारतीय सिनेमा का अन्तःकरण, विनोद दास, मेधा बुक्स, दिल्ली।
6. सिनेमाई भाषा और हिन्दी संवादों का विश्लेषण, डॉ. किशोर वासवानी, हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
7. Bollyworld; Raminder kaur; Ajay Sinha; Sage publication, New Delhi.
8. मीडिया मीमांशा, शोध पत्रिका, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल।
9. <https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%>

A6%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AE%
E0%A4%BE

10. www.shivajicollege.ac.in
11. www.ignutu.ac.in
12. <https://www.1hindi.com/essay-on-impact-of-cinema-in-life-hindi/>
13. <https://www.1hindi.com/essay-on-impact-of-cinema-in-life-hindi/>
14. <http://maitreyi.ac.in>
15. <https://www.mcu.ac.in/media-mimansa/2013-2015/mm-19-24.pdf>
16. www.cambridgescholars.com



21वीं सदी की रोजगारोन्मुखी हिंदी

डॉ. बॉबी यादव

सहायक प्रोफेसर (हिंदी), मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय, नंदग्राम, गाजियाबाद।

21वीं सदी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीक की सदी है। अब जन-जीवन के तमाम पहलू तकनीक आधारित होते जा रहे हैं। तकनीक का प्रवेश और उसका विस्तार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है तथा हजारों सालों से चले आ रहे पारंपरिक आर्थिक व्यवहारों में तीव्र गति से तब्दीली होती जा रही है। हमारे रोजमर्रा के सभी क्रियाकलापों में तकनीक इस कदर हावी हो गई है कि वर्तमान सदी को प्रौद्योगिकी एवं तकनीक आधारित सदी माना जा रहा है। अतः जिस प्रकार जन-जीवन के तमाम पहलुओं और आचार एवं व्यवहार में तब्दीली आई है उसी प्रकार रोजगार के भी तमाम क्षेत्रों में तब्दीली आई है। परंपरागत रोजगार की कार्य पद्धतियों में आमूलचूल परिवर्तन होता जा रहा है तथा सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के पहलुओं के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करते जा रहे हैं और रोजगार के नए-नए अवसर एवं पहलुओं का विकास होता जा रहा है। जहां पहले हस्त कौशल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था वहीं अब बौद्धिक कौशल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है।

युगानुरूप हमारी प्रिय राष्ट्रभाषा हिंदी से संबंधित रोजगार भी नवोन्मेष की ओर अग्रसर हैं। कुछ ही समय पहले तक हिंदी को रोजगार के अवसरों की कमी के कारण यथापेक्षित सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता था परंतु पिछले कुछ समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास, बदलते सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के फलस्वरूप हिंदी से संबंधित रोजगार के अवसरों में भी व्यापक विकास हुआ है तथा इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में सरकारी क्षेत्र में निकलने वाली नौकरियां अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी को अधिक अधिक तरजीह देती हैं वहीं निजी तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी हिंदी से संबंधित रोजगारों में भारी वृद्धि हुई है जिन पर हम निम्नवत विमर्श करेंगे।

हिंदी भाषा न केवल भारतवर्ष के अधिकतर लोगों की मातृभाषा है अपितु यह देश की राजभाषा भी है तथा इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश की राष्ट्रभाषा की भूमिका का निर्वहन भी किया था। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन करने के कारण भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के अधीन अनेक ऐसे पदों का सृजन किया जाने लगा जिनका प्राथमिक दायित्व देश की राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज आरंभ करना था ताकि राजकीय कार्यों तक आम जनमानस की पहुंच सुलभ करवाई जा सके जिस कारण सरकारी क्षेत्र में हिंदीभाषी लोगों के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न हुई।

हिंदी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात किसी भी छात्र के पास सरकारी तथा निजी, दोनों

क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जहां सरकारी नौकरियों में वह शिक्षक, प्रोफेसर, अनुवादक, इंटरप्रेटर, राजभाषा अधिकारी आदि पद प्राप्त कर सकते हैं वहीं निजी क्षेत्र में पत्रकार, संपादक, समाचार वाचक, रेडियो जॉकी, रचनात्मक लेखन आदि के माध्यम से अपना जीवनयापन कर सकते हैं।

हिंदी भाषा के अध्ययन के पश्चात छात्र-वर्ग को निम्नलिखित रोजगार के अवसर सुलभ हो सकते हैं :

1. अध्यापन एवं शोध कार्य :-

हिंदी का अध्ययन करने के पश्चात रोजगार का यह सबसे विस्तृत क्षेत्र है। इसमें व्यापक स्तर पर सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जहां सरकारी क्षेत्र में कोई भी छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षक तथा कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकते हैं वही निजी स्कूलों में भी अध्ययन-अध्यापन कार्य की अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ-साथ हिंदी में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शोध कार्य करने के भी विकल्प खुले रहते हैं। इनके साथ-साथ अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग आदि प्रदान करने के विकल्प भी उपलब्ध रहते हैं।

पदनाम - टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, सहायक प्रोफेसर, शोधार्थी आदि।

रोजगारपरक कोर्स - जेबीटी, डी.एड., बी.एड. आदि (स्कूलों में अध्यापन हेतु) / नेट-जेआरएफ, स्लेट (महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु)।

संस्थान- सभी राज्यों में जेबीटी, डी.एड., बी.एड. आदि डिग्रियां तमाम सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान करवाते हैं। नेट-जेआरएफ की परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष में दो बार आयोजित करवाता है। स्लेट आदि परीक्षाएं अनेक राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करवाते रहते हैं।

पारिश्रमिक/वेतन - सरकारी संस्थानों में आरंभिक वेतन 30,000 से 50,000 के बीच होता है, जो सेवाकाल की लंबाई के अनुसार बढ़ता रहता है। निजी संस्थानों में भी यह सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

2. अनुवादक, दुभाषिया/द्विभाषाविद (इंटरप्रेटर), राजभाषा अधिकारी/हिंदी अधिकारी/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) आदि :-

हिंदी के देश की राजभाषा घोषित होने के पश्चात भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, संस्थानों आदि के अंतर्गत अनुवादकों के पदों का सृजन किया गया जिनका मूल कार्य सरकारी दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना होता है। भारत सरकार के अंतर्गत ऐसे हजारों पद हैं जिनमें प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जिनकी पदोन्नति सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक, एडिटर आदि पदों पर होती है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी टंकक (टाइपिस्ट) और हिंदी आशुलिपिक (शॉर्टहैंड) की भी अच्छी खासी तादाद है।

राज्यसभा तथा लोकसभा में भी तमाम अनुवादकों के साथ-साथ एडिटर, प्रूफ-रीडर एवं दुभाषिया / द्विभाषाविद (इंटरप्रेटर) आदि के पद भी होते हैं। दुभाषिया अर्थात् इंटरप्रेटर के क्षेत्र में सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी काफी अधिक संभावनाएं हैं जो अनेक विदेशी मीडिया संस्थानों, पर्यटन से जुड़े संस्थानों, बड़े-बड़े होटलों, विविध राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं आदि में अपने कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

देश के सभी सरकारी बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विविध सरकारी वित्तीय संस्थानों आदि में सैकड़ों राजभाषा अधिकारियों/हिंदी अधिकारियों/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) के पद होते हैं जिनका मूल कार्य बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

आजकल ऑनलाइन अनुवाद कार्य की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। विदेशी फिल्मों, धारावाहिकों, नाटकों, उपन्यासों, कहानियों आदि के अनुवाद के लिए कुशल, सिद्धहस्त एवं पेशेवर मानव संपदा की मांग सदैव बनी रहती है तथा इसके लिए अच्छा-खासा पारिश्रमिक भी प्राप्त होता है।

पदनाम- अनुवादक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सहायक निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा), संयुक्त निदेशक (राजभाषा), निदेशक (राजभाषा), एडिटर (राजभाषा), प्रूफ-रीडर, हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी आशुलिपिक, दुभाषिया/द्विभाषाविद (इंटरप्रेटर), राजभाषा अधिकारी, हिंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) आदि।

रोजगारपरक कोर्स - अनुवाद डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स, पी.जी.डी.टी. कोर्स, पीएच.डी. आदि।

संस्थान- इग्नू द्वारा पी.जी.डी.टी. कोर्स, भारतीय अनुवाद परिषद द्वारा अनुवाद डिप्लोमा कोर्स तथा देश के अनेक विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों द्वारा अनुवाद संबंधित डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करवाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा सहित अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा इस क्षेत्र में उच्च अध्ययन तथा शोध कार्य भी किए जाते हैं। भारत सरकार में सेवा ग्रहण करने के पश्चात उच्चतर अनुवाद पाठ्यक्रम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा देशभर में फैले अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करवाया जाता है।

पारिश्रमिक/वेतन - सरकारी संस्थानों में आरंभिक वेतन 30,000 से 50,000 के बीच होता है, जो सेवाकाल की लंबाई के अनुसार बढ़ता रहता है। निजी संस्थानों में पारिश्रमिक उम्मीदवार के कौशल के अनुसार निर्धारित होता है।

3. पत्रकार, एंकर, भाषा संपादक, समाचार वाचक, रेडियो जॉकी आदि :-

भारतवर्ष में हिंदी के दर्जनों बड़े समाचार पत्र तथा हजारों छोटे एवं लघु समाचार पत्र नियमित तौर पर प्रकाशित होते हैं। हिंदी के दैनिक समाचार पत्र ही लगभग 10,000 के आसपास हैं जिनके पाठकों की संख्या करोड़ों में है तथा इसी प्रकार लाखों हिंदी पत्रिकाएं भी हैं जो मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित होती हैं। इन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का गहन ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने भाषाई ज्ञान की उत्कृष्टता के आधार पर इन लाखों संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकता है।

आजकल देश में दूरसंचार संस्थानों का व्यापक प्रचार-प्रसार होता जा रहा है। पहले केवल शॉल इंडिया रेडियो और श्रुतदर्शन ही हुआ करता था परंतु आज के समय में देश भर में सैकड़ों टीवी एवं रेडियो चैनल हैं जो लगभग 24 घंटे चलते रहते हैं जिनमें उपयुक्त हिंदी उच्चारण से लैस कार्मिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक छोटे-बड़े शहर में फैले एफएम रेडियो चैनलों में रेडियो जॉकी के कार्य के साथ-साथ टेलीविजन आदि में भी समाचार वाचकों, एंकर, संपादकों आदि की आवश्यकता होती है।

पदनाम- पत्रकार, रिपोर्टर, कॉरस्पॉण्डेंट, संपादक, भाषा संपादक, समाचार वाचक, रेडियो जॉकी, प्रूफ

रीडर, कॉपी एडिटर, एडिटोरियल असिस्टेंट आदि।

रोजगारपरक कोर्स - पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, परास्नातक कोर्स आदि।

संस्थान- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल और आईआईएमसी इस क्षेत्र के अग्रणी संस्थान हैं। इसके साथ-साथ इग्नू तथा अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भी व्यापक स्तर पर पत्रकारिता संबंधित डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्स आदि करवाते हैं।

पारिश्रमिक/वेतन - इस क्षेत्र में पारिश्रमिक 20-25 हजार से आरंभ होकर व्यक्ति विशेष के कौशल एवं विषय ज्ञान के आधार पर बहुत ऊपर तक जाता है।

4. रचनात्मक लेखन :-

वर्तमान में देशभर में मनोरंजन के अनेक साधन हैं। रेडियो और टीवी पर सैकड़ों चैनलों के साथ-साथ फिल्मों में भी रचनात्मक लेखन की अपूर्व संभावनाएं विद्यमान हैं। साथ ही विज्ञापन बनाने वाली अनेक एडवर्टाइजिंग कंपनियों में भी हिन्दी भाषा पर गहरी पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन सभी संचार माध्यमों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को लिखने के लिए स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी एडिटर, संवाद लेखकों, क्रिएटिव हेड, कंटेंट राइटर आदि की आवश्यकता होती है जिनकी अनिवार्य विशेषता यह होती है कि उनकी हिन्दी भाषा पर गहरी एवं व्यापक संदर्भों में पकड़ हो ताकि वे उस कार्यक्रम अथवा कंटेंट के विषय के अनुरूप भाषा को उपयुक्त रूप से ढाल सकें एवं प्रस्तुतकर्ता की आकांक्षाओं के अनुरूप भाषा को उस सीमा तक अपेक्षित लचीला रूप प्रदान कर सकें ताकि उसकी संप्रेषणीयता इष्टतम स्तर तक पहुंच पाए। इन सभी संचार माध्यमों के लिए गीत अथवा गाना लिखने वालों की भी काफी मांग रहती है जिन्हें संगीत के साथ साथ हिन्दी गीत एवं गानों की भी व्यापक समझ हो। देश में हिन्दी से संबंधित अनेक प्रकाशन संस्थान हैं जहां प्रतिवर्ष हजारों किताबें प्रकाशित होती हैं। इन प्रकाशन संस्थानों में हिन्दी संबंधित प्रकाशन की देखरेख के लिए तथा उनके संपादन के लिए हिन्दी भाषा पर अच्छी पकड़ वाले उम्मीदवारों की मांग सदैव बनी रहती है।

पदनाम - स्क्रिप्ट राइटर, कॉपी एडिटर, संवाद लेखक, क्रिएटिव हेड, कंटेंट राइटर, कंटेंट एडिटर, गीतकार, लिरिसिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, स्तंभकार, ब्लॉगर आदि।

रोजगारपरक कोर्स - रचनात्मक लेखन में डिप्लोमा कोर्स या हिन्दी भाषा एवं साहित्य पर गहरी पकड़ सहित उपयुक्त कौशल एवं अनुभव।

संस्थान- माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा रचनात्मक लेखन में उत्कृष्ट कोर्स करवाया जाता है। इसके साथ साथ इग्नू तथा अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों एवं अनेक निजी संस्थानों द्वारा भी रचनात्मक लेखन में कोर्स करवाए जाते हैं।

पारिश्रमिक/वेतन - इस क्षेत्र में पारिश्रमिक 20-25 हजार से आरंभ होकर व्यक्ति विशेष के कौशल एवं विषय ज्ञान के आधार पर बहुत ऊपर तक जा सकता है।

6. तकनीकी क्षेत्र में रोजगार :-

भूमंडलीकृत विश्व में संचार प्रौद्योगिकी के विस्तृत प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप समस्त संसार को एक 'विश्वग्राम' के रूप में बनाए रखने के लिए तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी अनेक वैश्विक कंपनियां दिन-रात इंटरनेट

पर तमाम भाषाओं में सामग्रियां अपलोड करती रहती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारतवर्ष में भी यहां के हिंदी-भाषी समाज तक अपना कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें हिंदी भाषा में रूपांतरित करवाना अपेक्षित होता है। इसके लिए उन्हें ऐसे सिद्धहस्त वेब-डेवलपर तथा इंजीनियरों की आवश्यकता होती है जो हिंदी भाषा के अनुरूप उनके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम विकसित कर सकें। हिंदी भाषा का जानकार, जिसे तकनीकी ज्ञान भी हो, इन सब कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। अनेक बीपीओ तथा कॉल सेंटर आदि में भी कॉल एग्जीक्यूटिव के लिए परिष्कृत हिंदी जानने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

हिंदी भाषा एवं साहित्य के अनेक वेब पोर्टल, ब्लॉग, यूट्यूब पर डाला जाने वाला कंटेंट, ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश एवं विश्व कोश, गूगल ट्रांसलेट, विकिपीडिया और विविध पोर्टलों पर ऑनलाइन कंटेंट विकसित करने, गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल ऐप स्टोर के लिए हिंदी में अनेक ऐप विकसित करने, अनेक समाचार वेबसाइटों पर फ्रीलांसर पत्रकारिता करने, सूचनाएं एकत्र करने, तमाम साहित्यिक-सामाजिक-सांस्कृतिक वेबसाइटों पर कंटेंट अपलोड करने का व्यापक कार्य करने के लिए तकनीकी ज्ञान सहित हिंदी भाषा का भी उत्कृष्ट ज्ञान अपेक्षित होता है।

पदनाम- तकनीकी सहायक, टैक्निकल एग्जीक्यूटिव, वेब डेवलपर, कॉल एग्जीक्यूटिव, ब्लॉगर आदि।

रोजगारपरक कोर्स - हिंदी साहित्य और भाषाविज्ञान में एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी. लिट. आदि के साथ-साथ विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र में अध्ययन तथा अपेक्षित व्यावसायिक कोर्स अथवा डिग्रियां।

संस्थान- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा तथा अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च अध्ययन।

पारिश्रमिक/वेतन - इस क्षेत्र में पारिश्रमिक 35-40 हजार से आरंभ होकर व्यक्ति विशेष के कौशल एवं विषय ज्ञान के आधार पर लाखों तक जा सकता है।

7. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार :-

जैसे-जैसे भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जा रही है तथा वह वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ाता जा रहा है। उसी प्रकार भारत के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी भी वैश्विक पटल पर अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करती जा रही है। जिस प्रकार अपने देश के अनेक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में तमाम विदेशी भाषाएं छात्र-छात्राओं को पढ़ाई जाती हैं। उसी प्रकार अनेक वैश्विक विश्वविद्यालय में भी हिंदी भाषा का पठन-पाठन किया जाता है। वर्तमान में दुनिया के 30 से अधिक देशों और लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन-पाठन किया जाता है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 20 से अधिक केंद्रों (कैलिफोर्निया, टेक्सस, शिकागो, पेंसिलवेनिया, ह्यूस्टन आदि स्थित विश्वविद्यालय) पर हिंदी भाषा का पठन-पाठन होता है। अनेक अमेरिकी तथा यूरोपीय विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन के लिए प्रतिवर्ष भारत से दर्जनों लोग जाते हैं तथा कुछ तो वहीं के होकर रह जाते हैं।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी से अंग्रेजी द्विभाषाविद की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2009 में हिंदी न्यूज़ बुलेटिन आरंभ की गई तथा वर्ष 2019 में हिंदी में एक न्यूज़ वेबसाइट आरंभ की, साथ ही वह हिंदी में अपने ट्विटर संदेश भी भेजता है।

अनेक देशों के भारतीय दूतावासों में हिंदी से शिक्षा प्राप्त किए हुए लोगों को अनुवादक, संस्कृति सचिव, सेकंड सेक्रेटरी, कल्चरल अताशे आदि पदों पर नियुक्त किया जाता है। वैश्विक इंटेलिजेंस एजेंसियों तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ अमेरिकी सेना में भी हिंदी अनुवादक भर्ती किए जाते हैं।

पदनाम- प्रोफेसर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, संस्कृति सचिव, सेकंड सेक्रेटरी, कल्चरल अताशे आदि।

रोजगारपरक कोर्स - हिंदी साहित्य और भाषाविज्ञान में एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी. लिट. आदि।

संस्थान- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा तथा अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उच्च अध्ययन।

पारिश्रमिक/वेतन - इस क्षेत्र में पारिश्रमिक 50 हजार से आरंभ होकर व्यक्ति विशेष के कौशल एवं विषय ज्ञान के आधार पर लाखों तक जा सकता है।

इस प्रकार हमने देखा कि 21वीं सदी में हिंदी से संबंधित रोजगार के क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है। पहले के समय में हिंदी भाषा एवं साहित्य का पठन-पाठन करने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा अध्येताओं आदि को रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ता था परंतु समय ने करवट बदली और अब हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा सर्वाधिक रोजगार उत्पन्न करने वाली भाषा है। इसका लाभ यह होता दिख रहा है कि अब न केवल हिंदीतर भाषी लोगों में हिंदी सीखने के प्रति रुचि विकसित होती जा रही है अपितु विदेशों में भी हिंदी के पठन और पाठन का विकास होता दिख रहा है। अतः यह बात कहने में कोई संशय नहीं है कि वह दिन अब दूर नहीं जब हिंदी भाषा अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनकर अपने समुचित गौरव को प्राप्त करेगी।

मो. 9910629175

drbobbyadavjnu@gmail.com



भूमंडलीकरण और विज्ञापन

डॉ. हरदीप कौर

असिस्टेंट प्रोफेसर, (हिन्दी विभाग), श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, दिल्ली-110005

भूमंडलीकरण दरसल नवपूँजीवाद के तात्कालिक साम्राज्यवाद की उद्घोषणा है। इसी के कारण पूँजीवादी व्यवस्था तीव्र गति से फल-फूल रही है। पूरा विश्व एक बाज़ार के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मनुष्य, मनुष्य की ओर प्रेम स्नेह, आदर और सहिष्णुता से देखने के स्थान पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देख रहा है। पैसा कमाना ही प्रमुख ध्येय रह गया है। सभी रिश्ते-नाते पैसे की धूरी पर सिमटते नज़र आते हैं। पैसा कमाने की ऐसी दौड़-सी लग गई है कि मनुष्य आज मानव मूल्यों को भूलकर मुनाफा कमाने के लालच में दिनों-दिन फंसता जा रहा है। जिस तरह से आज अनियोजित, औद्योगिकीकरण और बाज़ारवाद वाली बहुराष्ट्रीय संस्कृति टेकनोलॉजी के माध्यम से विकसित हो रही है उसमें यंत्रों की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करती जा रही है। इसने संचार क्रांति के द्वारा हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर हमारे हृदय और मस्तिष्क पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य की पुरानी मान्यताएँ, जीवन-मूल्य, सामाजिक सरोकार खंडित होते जा रहे हैं।

डॉ. कुमुद शर्मा ने भूमंडलीकरण को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए कहा है कि – “भूमंडलीकरण की अवधारणा व्यक्ति को अपनी जड़ों से काटकर ‘विश्वमानव’ में बदलने में विश्वास करती है। व्यक्ति को अपने देश का नहीं रहने देती, उसकी राष्ट्रीय चेतना को खत्म कर अंतर्राष्ट्रीयता का जयनाद करवाने की चेष्टा करती है, लेकिन जिस सूचना प्रौद्योगिकी के रथ पर चढ़कर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया गति पकड़ती है, वह सूचना प्रौद्योगिकी व्यक्ति की ‘समाहिकता’ को समाप्त कर उसे ‘समाज निरपेक्ष’ बनाकर ‘निजता’ के खोल में सिकोड़ देती है। इस तरह साम्राज्यवादी ताकतें भूमंडलीकरण के रास्ते मनुष्य को अपने देश, संस्कृति तथा सभ्यता से अलग करके उसे ‘विश्वमानव’ बनाकर अपने व्यापारिक हितों को साधना चाहती है।” इसे भूमंडलीय परिप्रेय से विज्ञापन की दुनिया भी अछूती नहीं रही है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक हितों को साधना है और बाज़ारवाद को बढ़ावा देना है। भूमंडलीकरण के कारण ही पूरा विश्व ग्राम में बदल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंधन धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में विज्ञापन व्यापारिक रणनीति का सहारा लिये हुए है। मनुष्य नागरिक न रहकर उपभोक्ता बन गये हैं। ऐसे उपभोक्ता जो नये समाज और नई संस्कृति का ढाँचा गढ़ रहे हैं। नये समाज और नई संस्कृति को लाने में विज्ञापन प्रमुख हथियार के रूप में कार्य कर रहा है। अतः विज्ञापन की कलात्मकता के द्वारा ही कोई उत्पाद दिन दूनी चार चौगनी तरक्की करता है। भूमंडलीकरण के इस दौर में आज जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती विज्ञापन की भूमिका और प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

ऐसा जान पड़ता है कि व्यक्ति अपनी संस्कृति, सत्य, धर्म, बल, विवेक आदि को खो चुका है बल्कि उसके बदले में वह कलह, अविद्या, आपसी विभाजन जैसी मूढ़ता को प्राप्त कर रहा है। नई उपभोक्तावादी संस्कृति विज्ञापित वस्तुओं के उपभोग के लिए उत्पाद की बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा करती है। झूठे वायदे किये जाते हैं, समाज के साथ छल किया जाता है, समाज को भ्रमित कर ग़लत वस्तुओं का प्रसार किया जाता है। रचनात्मकता के स्थान पर अनैतिकता और अश्लीलता परोसी जाती है। सेल-सेल का नारा लगाकर और एक के साथ एक फ्री के नाम पर उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। भूमण्डलीकरण के दौर में बाज़ार व्यवस्था में मूल्यों का पूरी तरह से विघटन देखा जा सकता है चूँकि बाज़ार का एक ही लक्ष्य रह गया है वह है लाभ कमाना। मानव मूल्यों के बजाय आर्थिक उन्नति प्रमुख हो गई है जिसके लिए समाज या संस्कृति के मूल्यों को भी तोड़-मरोड़ दिया जाता है। भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों का विरोध हिंदी साहित्य के रचनाकारों की रचनाओं में भी दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु लिखते हैं 'परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो।

“अंग्रेज़ राज सुख साज सनै सब भारी
पै धन विदेश चलि जात रहै अति ख्वारी।”²

वस्तुतः भारतेंदु अंग्रेजीराज की सुख-सुविधाओं की तरफ़ संकेत करते हुए, अपने धन के विदेश चले जाने से चिंतित है। वह चाहते हैं कि हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तान में ही रहे, इसक लिए वह भारतीय समाज को नवीन वातावरण से युक्त देखना चाहते हैं। इसका प्रमाण 23 मार्च, 1874 के 'कवि वचन सुधा' में प्रकाशित प्रतिज्ञा पत्र से चलता है— “हम लोग नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी मानकर यह नियम मानते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, और जो कपड़ा की पहिले से मोल ले चुके हैं उसको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे, नव नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे, जिससे हिंदुस्तान का धन और कला दोनों में समृद्धि होगी।”³

भूमंडलीकरण के पक्षधर भी हैं जो इसमें सकारात्मक पहलू देखते हैं। 12 अक्टूबर, 1999 में अमेरिकी विदेशी मंत्री डॉ. हेनरी किसिंगर ने डब्लिन के ट्रिनरी कॉलेज में एक व्याख्यान दिया है — ‘जिसे भूमंडलीकरण कहा जा रहा है वह अमेरिका की वर्चस्व जमाए रखने संबंधी भूमिका का ही दूसरा नाम है, बीते दशक के दौरान अमेरिका ने अभूतपूर्व समृद्धि हासिल की। आर्थिक दृष्टि से बेहतर कुछ और नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतना तक कहा कि भूमंडलीकरण का पिछला चरण ब्रिटेन के नेतृत्व में रहा, लेकिन मौजूदा चरण पर अमेरिका का दबदबा रहेगा, इसलिए अमेरिकी विचारों, मूल्यों और जीवन शैली को स्वीकार करने के अलावा विश्व के समक्ष कोई विकल्प नहीं है।’⁴

ऐसे वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी यूरोपीय देशों का सीधा उद्देश्य भारत पर अपना-अपना कब्ज़ा जमाने के लिए तरह-तरह की मुहिम तैयार करना है। विज्ञापन के माध्यम से नई बाजारवादी और उपभोक्तावादी वैश्विक संस्कृति तैयार करना है। ऐसे में विज्ञापन एजेंसियां इनकी सहायक होती हैं।

भूमंडलीकरण का प्रभाव विज्ञापन की भाषा में भी दृष्टिगोचर होता है, हिंग्लिश अर्थात् अंग्रेज़ी और हिंदी का मिलाजुल रूप विज्ञापनों में नज़र आता है। जैसे ठण्डा मतलब Cool-Cool। अधिकतर स्त्रियाँ भी नई ग्लोबल स्त्री बन गई हैं। अश्लीलता और सेक्स सार्वजनिक हो गया है। नई ब्राण्ड संस्कृति के आने से घर में

अलग-अलग ब्राण्ड की चीजें दिखाई देने लगी हैं। ई-शॉपिंग हो रही है। ऑनलाईन आर्डर बुक हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान दौर भारतीय समाज के लिए बहुत ही चुनौतियों से भरा है, यद्यपि उनके समक्ष चुनौतियाँ पहले भी थीं, किंतु भूमंडलीकरण की कौख से पैदा हुई चुनौतियाँ सबसे भयावह है। इसने विविधता को समाप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति को जन्म दिया है जिसके कारण मानव-मूल्यों का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है। समानता और भाईचारा जैसे विचार केवल नाम के ही रह गये हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में सामाजिक परिवेश में विज्ञापन की उपादेयता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विज्ञापन के सामाजिक परिवेश को नारी, पुरुष, बच्चे, युवा-वर्ग, राजनीतिक विज्ञापन, जनहित में नारी विज्ञापन आदि में बाँटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवेश को बदलने में विज्ञापन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, मनोरंजन का व्यापारीकरण, मानसिक तनाव व रोग, संयुक्त परिवारों का विघटन, नगरीकरण, भूमंडलीकरण आदि आते हैं। अतः विज्ञापन जनसंचार का एक अंग होते हुए भी मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि) में अपना विशेष महत्त्व बनाये हुए है। वह समकालीन दौर में युगबोध का माध्यम है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. भूमंडलीकरण और मीडिया, कुमुद शर्मा, पृष्ठ-28
2. भारतेंदु ग्रंथावली (पहला खण्ड) – संपा. ब्रजरत्नदास, नाटक – भारत दुर्दशा, पृष्ठ-470
3. भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंद नवजागरण की समस्याएँ, डॉ. रामविलास शर्मा, लेख राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या, पृष्ठ-74
4. राष्ट्रीय सहारा, 21 सितंबर, 2003, लेख – भूमंडलीकरण और संस्कृति : कुछ खतरनाक पहलू, गिरिश मिश्र, पृष्ठ-8

फोन नं. 9811137112,

E-mail: hardeepnavya@gmail.com



हिन्दी प्रवासी साहित्य : एक पुनर्मूल्यांकन एवं इतिहास विभाजन

कार्तिक मोहन डोगरा

एम. ए., हिन्दी साहित्य, डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।

‘हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी,
जिसको भी देखना हो कई बार देखना।’¹

जब आज हम उत्तर-आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं। तब यह शेर अपने अलग मायने लेकर प्रस्तुत होता है। क्या है हर इंसान में दस बीस आदमी के होने का मतलब। निदा जी का यह शेर इशारा करता है हमारी अस्मिता की पहचान के तत्वों की ओर है। निदा साहब का एक और शेर है।

‘पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है
अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं।’²

यह दो अलग-अलग घर है कौन से? असल में भारत की चाय की टपरियों पर विश्व के मामलों की चर्चा का घेरा बन जाता है। वहां पर ही मेरे कुछ मित्र चर्चा के दौरान यह शेर लाए और बात हुई हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता के दौर में उठ रहे अस्मिता मुल्क विमर्शों के बारे में। एक व्यक्ति कई नई अस्मिता का अधिकारी बनता जा रहा है। एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग कारणों से यात्रा करना और वहां जाकर बसना कोई नई बात नहीं है ऐसे कई उदाहरण हम सबके सामने मौजूद हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण शायद ब्रिटिशर्स ही होंगे। प्रवासी होना अस्मिता का एक नया हिस्सा है। निदा साहब के शेर का दूसरा मिश्रा इन्हीं दो घरों की ओर संकेत करता है। एक प्रवास से पहले का स्थान एक प्रवास के पश्चात का स्थान रेखांकित करता हैं। इसलिए इस लेख में हम हिंदी साहित्य के भीतर प्रवासी साहित्य एवं उसके इतिहास के काल विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे।

इस दौर के आते-आते प्रवासी साहित्य अपनी पहचान का निर्माण कर चुका है परंतु किस साहित्य को प्रवासी साहित्य कहा जा सकता है? किस लेखक को प्रवासी लेखक मानेंगे? मुंबई से दिल्ली प्रवास करें लेखक के लेखन को क्या प्रवासी साहित्य कह सकते हैं?

प्रश्नों का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ओर से प्रवासी साहित्य को रेखांकित करते हैं। कई बड़े आलोचकों का मानना है, कि, प्रवासी साहित्य की सबसे बड़ी और मुख्य दो विशेषताएं हैं। एक, नॉस्टैल्जिया का होना। दूसरा, दो संस्कृतियों का अंतर्द्वंद इसी बात को अनिल जोशी अपनी पुस्तक ‘प्रवासी लेखन : नई जमीन, नया आसमान’ में इस प्रकार रखते हैं :-

“प्रवासी लेखक यद्यपि भारत में नहीं है, पर उनमें भारत गहरी जड़ें जमा चुका है, उनके फोर्मेटिव वर्ष

इस देश में बीते। उनकी संवेदनाओं के तन्तु यहीं विकसित हुए। उनके मूल्य, मान्यताएँ, अवधारणाएँ, संकल्पनाएँ भारत में ही बीज रूप में पनपी और पल्लवित हुई। भारत प्रवासी साहित्य में एक रेफरेंस प्वाइंट है। उनकी हर तुलना भारत से है। इन नॉस्टैल्जिया को लेकर कई लेखकों को परेशानी है। उनका सोचना है कि यह नॉस्टैल्जिया उन्हें अतीत जीवी बनाता है और समकालीन गन्ध से वंचित करता है। किन्तु यह तो अपनी जड़ों से जुड़ना है। अगर भविष्य हमें संकल्प देता है तो हमारा इतिहास हमें खुद को समझने और विश्लेषित करने की शक्ति देता है। नॉस्टैल्जिया के सन्दर्भ में प्रवासी साहित्य अतीत का नहीं जड़ों की तलाश का साहित्य है। दिल्ली में रह रहे लेखक भी तो अपने करबे गाँव से इसी तरह की शक्ति ग्रहण करते आये हैं।³

इस नॉस्टैल्जिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कृतियों का अंतर्द्वंद मुख्य बात है। जो एक देश से दूसरे देश में प्रवास कर रहे लोगों के लिए चुनौती के रूप में उभर कर आती है। तो इस लेख में हम जब प्रवासी साहित्य की बात करते हैं तब इसी प्रभाव से उपजे द्वंद और उन से निकले साहित्य की चर्चा होगी। यह बात एक है कि हम प्रवासी साहित्य किसको कहें और यह दूसरी कि प्रवासी साहित्यकार कौन है? क्या प्रवास किए गए लोगों के अगली पीढ़ी को हम प्रवासी साहित्यकार मान सकते हैं? इस प्रश्न को उठाना जितना स्वाभाविक है उतना इसका उत्तर प्रतीत होता है। दलित साहित्य की चर्चा करते हैं तो सामान प्रश्न अपने आप उत्पन्न होता है इसका उत्तर यह है कि जिन लोगों ने प्रवास किया उसकी समस्याएं झेली है उन समस्याओं से मुठभेड़ की है उनको ही प्रवासी साहित्यकार कहना ठीक होगा बाकी सब को हम प्रवासी लेखक ना कहकर उनको हम हिंदी साहित्यकार मान सकते हैं जो विदेश में बैठकर हिंदी साहित्य का सर्जन कर रहे हैं। किसी भी अस्मिता विमर्श साहित्य की सब से बड़ी ताकत है, उस पीड़ा या उस अस्मिता से उत्पन्न परिणामों का अनुभव होना।

अब तक की बातचीत के आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि प्रवासी साहित्य क्या है और प्रवासी साहित्यकार किसको कहा जा सकता है। प्रश्न यह उठता है कि प्रवासी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कुल मिलाकर कुछ सौ वर्षों के आसपास का है आरंभ कहां से होता है। इस बात की तहतक जाने से पूर्व मुझे महसूस होता है कि हमको आज के दौर में चल रहे एक विवाद पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य ना कहा जाए पर बात करना महत्वपूर्ण है। एक ऑनलाइन वाख्यान में तेजेंद्र शर्मा वर्णित करते हैं कि हमने कभी खुद को प्रवासी साहित्यकार नहीं कहा है। आप का दिया हुआ नाम है हमने कभी नहीं कहा कि हमें प्रवासी साहित्यकार कहें। इस पूरे विवाद को अनिल जोशी प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य ही कहा जाए के धड़े से देखते हैं।

अनिल जोशी अपनी पुस्तक प्रवासी लेखन के एक अध्याय में इस पूरे विषय पर चर्चा करते हैं। उसमें दूसरे धड़े के व्यक्तियों की पुस्तकों की भूमिका से उद्धरण प्रस्तुत कर इस बात को स्थापित करते हैं कि आप वही लोग हैं जो प्रवासी साहित्य की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आए और अब उसको ही खारिज करने पर तैयार है।

मैं इस बहस की समझ के लिए कुछ उद्धरण उसी अध्याय से नीचे उद्धृत कर रहा हूँ :- आप जानना चाहेंगे कि कौन ऐसे नामी साहित्यकार हैं जो प्रवासी साहित्य को हिन्दुत्ववादी, नॉस्टैल्जिक या अधकचरा कह रहे थे। उत्तर सीधा है—राजेन्द्र यादव जिनके दोनों भक्तों ने उनके वेद वाक्यों को डायसपोरा देशों के साहित्य पर चेप दिया। दुख की बात यह है कि राजेन्द्र यादव के इन सनसनीखेज वक्तव्यों को उषा राजे सच मानती

हैं और मॉरिशस, सूरीनाम, फीजी और दक्षिण अफ्रीका में लिखे साहित्य के साथ चिपका देती हैं। उनके वक्तव्यों से स्पष्ट है कि वे मानती हैं कि प्रवासी साहित्य और साहित्यकारों पर राजेन्द्र यादव द्वारा की गयी टिप्पणी ठीक तो है और वह डायसपोरा देशों के साहित्यकारों पर लागू होती है। अमेरिका और ब्रिटेन के 'आधुनिक साहित्यकारों' पर नहीं। बहरहाल, हिन्दी साहित्य में अपने हंस की चाल चलने के लिए जाने जाने वाले राजेन्द्र यादव के विचारों को वेदवाक्य समझने वाली उषा राजे और तेजेन्द्र शर्मा ने बात यहीं समाप्त नहीं की बल्कि उन्होंने अपने संकलन में मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम आदि देशों के किसी रचनाकार की रचना नहीं ली। उन्हें संकलन में शामिल नहीं किया गया।⁴

हिन्दी साहित्य ने स्वकेन्द्रित साहित्यिक कैरियरिस्ट, अपनी और अपने गुट (विचारधारा, जाति) को केन्द्र में रख मठवादी राजनीति करने की काफी सजा पायी है। इतनी बड़ी हिन्दी पट्टी में चन्द नामों का होना, साहित्य में जनता की भागीदारी के बारे में बताता है। हमें लगा था प्रवासी साहित्य के माध्यम से साहित्य साधना का संकल्प और सेवा करने वाले ओछी और महत्वाकांक्षी राजनीति नहीं करेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं के नाम पर डायसपोरा देशों में रचित साहित्य को हिन्दुत्ववादी, अधकचरा और नॉस्टेल्लिजिया से भरा कहना, उनके समर्पण, भारत भक्ति, अध्यात्म प्रेरणा का उपहास उड़ाना हल्की मानसिकता का प्रतीक है। अगर प्रवासी साहित्य का नेतृत्व ऐसे वैचारिक कन्फ्यूस, तुम मुझे आदमी दिखाओ में तुम्हें सिद्धान्त बताऊँगा, जैसी सोच रखने वाले करेंगे तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। रचनात्मक लेखकों के लिए जरूरी है नारेबाजी और सतही सोच से बचे। जैसे तेजेन्द्र शर्मा और उषा राजे जिसे खॉंचा या शौशा कहते हैं उसे सुषम बेदी और उमेश अग्निहोत्री वर्गीकरण कहते हैं यह शब्द का अन्तर नहीं है। यह सोच का अन्तर है। राजनीतिक सोच और रचनात्मक सोच में यही अन्तर होता है साहित्य के ईमानदार मानदंडों से जुड़ने की आवश्यकता होती है। सच को गिरोह की ज़रूरत नहीं होती। वह अकेला और निहत्था भी काफी हो सकता है।⁵

तेजेन्द्र शर्मा लगातार यह प्रश्न उठाते रहे प्रवासी साहित्य को प्रवासी साहित्य ना कहा जाए। इसलिए सौभाविक रूप से उनसे पलट कर यह सवाल पूछा जा सकता है की फिर उसको क्या कहा जाए तो वह कहते हैं केवल हिन्दी साहित्य ही पुकारा जाए। जोशी जी का उत्तर कुछ इस प्रकार है :-

भाषा की दृष्टि से यह विचार करने में कोई बुराई नहीं कि यदि विदेशों में रचित हिन्दी साहित्य को और क्या कहा जा सकता है? जैसे सुझाव दिया गया है कि इसे हिन्दी साहित्य कहा जाए। इस विचार में ना कोई नवीनता है ना कोई विशिष्टता। इनमें से कुछ महानुभावों ने देशान्तर दिशान्तर जैसे प्रयोग भी किये। पर कोई शब्द लम्बे समय तक प्रचलन में रह अपना स्थान बनाता है और इन शब्दों को आप हिन्दी में अर्थसहित बताते रहें और वर्षों के बाद सरकारी हिन्दी की तरह किताबों में रह जाए क्या कोई ऐसा चाहेगा? कई लोगों ने डायसपोरा लिटरेचर शब्द का भी प्रयोग किया। पर हिन्दी के 10 में से 9 लोग इस शब्द की संकल्पना और प्रयोग से परिचित नहीं हैं। प्रवासी साहित्य की कुछ विशेषताएँ हैं। जैसे विस्थापन, नॉस्टेल्लिजिया, संस्कृतियों का अन्तर्द्वन्द्व यह सब केवल एक शब्द में आता है, जो सरल है, सहज है, सम्प्रेषणीय है, प्रचलन में है, और प्रवासियों का ही दिया हुआ है। इसका एक लम्बा इतिहास है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रचलन में आया।⁶

इस अध्याय में बहुत सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं परंतु यंहा खुद को सीमित करना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि इस विवाद में इस से ज्यादा भीतर जाना हम को केवल दिशांतर ही प्रदान करेगा। इस सारी चर्चा

से दो बातें तो स्पष्ट सामने आती हैं की प्रवासी साहित्य में दो मुख्य तरह का साहित्य मौजूद है। सर्वप्रथम, dysphoria देशों का साहित्य जो मॉरिशस, सूरीनाम, फ़िजी आदि गिरमित्या देशों का साहित्य है तथा दूसरा अमेरिका, कनाडा आदि देशों का साहित्य है। इस से पूर्व हम आगे प्रस्थान करे में यह आवश्यक महसूस करता हूँ कि एक उदहारण द्वारा आपको फ़िजी के साहित्यिक इतिहास का परिचय प्रदान करूँ। संक्षिप्त रहने के लिए विमलेश कान्ति वर्मा की पुस्तक की भूमिका से एक उद्धरण प्रस्तुत है :-

प्रारंभिक रचनाएँ (1789-1920) अवधी या यो कहिए जो गिरमितियों की भाषा 'फ़िजी हिंदी' है उसमें दिखेंगी। ये रचनाएँ प्रायः लोक शैली में हैं जिनमें कोई बनाव-शृंगार नहीं ये सरल मानव की सहज अभिव्यक्ति होने के कारण बड़ी मार्मिक हैं और गिरमित जीवन के मौखिक दस्तावेज़ कही जा सकती हैं जिनका साहित्यिक महत्त्व के साथ ही ऐतिहासिक और समाज-शास्त्रीय महत्त्व भी है।

मध्यकाल (1920-1986) की रचनाओं की भाषा मानक हिंदी है, जिसे प्रयास पूर्वक इन भारतीयों ने सीखा है और जिसका प्रचार-प्रसार वह फ़ीजी में चाहते हैं। अतएव ऐसी सीखी हुई हिंदी में लिखी गई रचनाओं में वचन, लिंग, कारक आदि की अशुद्धियों के साथ ही सीमित शब्द-भंडार की अभिव्यक्ति होने के कारण ये वह प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पातीं जो साहित्यिक श्रेष्ठता की प्रतिमान हैं। पं. कमला प्रसाद मिश्र जैसे लेखक इसके अपवाद हैं जिन्होंने भारत में रहकर हिंदी का दीर्घकाल तक अभ्यास किया है और जिनका भाषा पर अद्भुत अधिकार है।

समकालीन साहित्य (1980 से आज तक) के समय में प्रतिष्ठित साहित्य लेखक मानक हिंदी को छोड़कर फ़िजी हिंदी में लिख रहे हैं। उनका विश्वास है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही प्रभावशाली हो सकती है। इसलिए सुब्रमणी, रेमंड पिल्लई, ब्रज विलास, बाबू राम शर्मा सभी फ़ीजी हिंदी में लिखने के पक्षधर हैं। इतना ही नहीं, इनमें से अनेक लेखक देवनागरी से अपरिचित होने के कारण अपनी रचनाएँ फ़ीजी हिंदी में रोमन लिपि में लिख रहे हैं; क्योंकि फ़ीजी हिंदी तो उनकी अपनी भाषा है किंतु हिंदी की आधार लिपि देवनागरी से उनका परिचय नहीं है।⁷

इसी के साथ अगर एक निगाह फ़िजी के इतिहास पर भी डालें तो एक बात हम को नज़र आएगी की फ़िजी में आजादी के कुछ वर्ष बाद ही वहाँ पर मिलटरी ने सत्ता की भागदौड़ अपने हाथ में लेली थी। भारतिय माह द्वीप से गए लोगों के वंशजों को जिन्होंने ने पूर्ण रूप से फ़िजी के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। उनको यह महसूस कराया गया की वह प्रवासी हैं उनकी असल जमीन कोई और है। फिर इस अस्मिता का आना की हम गिरमित्या मजदूरों के वंशज है स्वभाविक सा ही प्रतीत होता है। साथ ही इस अशान्ति के दौर में कुछ लोग प्रवास कुछ नए देशों की ओर करते नज़र आए थे।

यहाँ एक बात रेखांकित करनी जरूरी है, की उपनिवेशवाद से आजादी हर देश और विश्व के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हुआ है।

अब तक की बात चित के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि प्रवासी साहित्य पर अब तक काफी बातचीत हो चुकी है परंतु अभी मंजिल काफी दूर है। मुख्यतः आपको यह समझ में आया होगा की गिरमित्या या dysphoria देशों का अपना साहित्य है। जो अपनी चुनौतियाँ रखता है। जिस में सबसे महत्वपूर्ण अस्मिता की सुरकाश, संस्कृति का बचाव है। जो अभिमन्यु अंत जैसे कई साहित्यकारों में स्पष्ट नज़र आता है या फ़िजी के

प्रारम्भिक दौर में भी नज़र आया है। परंतु अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में बात बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ प्रवास का कारण भी अंतर है। यहाँ प्रवास इच्छा से किया जा रहा है। कभी भी लौटा जा सकता है परंतु विस्थापन की समस्या, संस्कृतियों का द्वंद यहाँ भी मौजूद है। वो अजनबीपन का एहसास मजबूत है। अनिल जोशी की पुस्तक में से प्रवासी सरोकार वाले अंश पढ़ेंगे तो आपको यह द्वंद स्पष्ट नज़र आएगा। अपनी भूमि को लौटना, अपनी संस्कृति की कमी का महसूस करना। यह दो तरह की समस्या लिए साहित्य हमारे सामने एकदम स्पष्ट रूप से मौजूदगी दर्ज करता है।

अब तक हम प्रवासी साहित्य के बारे काफ़ी बातें स्पष्ट करते आए हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए मानव मस्तिष्क उसका विभाजन करके बेहतर रूप से समझ पाता है। यह प्रश्न अवश्य आता है कि इतिहास को विभाजित करना ही क्यों है? जब वो कोई इसे एयर टाइम विभाजन रखता ही नहीं है। इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि हम इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकें ओर एक विकास कर्म का निर्माण कर सकें। इसलिए अब हम प्रवासी साहित्य के इतिहास के विभाजन का एक प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हमको कमल किशोर गोयनका की पुस्तक 'हिन्दी प्रवासी साहित्य' में उनके लेख हिन्दी का प्रवासी साहित्य : डॉ. कमल किशोर गोयनका जिसमें उन्होंने एक रूप से प्रवासी साहित्य का इतिहास बताने की कोशिश की है। इसी लेख में उन्होंने एक विभाजन प्रस्तुत किया है जो मैं नीचे उदरित कर रहा हूँ :-

हिन्दी के प्रवासी साहित्य के सर्वेक्षण के लिए भारतेतर देशों को निम्नलिमि वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. गिरमिटिया मजदूरों के देशों का हिन्दी साहित्य इन देशों में मॉरिशस, फौजी, सूरीनाम, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिडाड एण्ड टोबेगो आदि देश आते हैं।
2. भारत के पड़ोसी देशों का हिन्दी साहित्य रू इन देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार (बर्मा) आदि देशों की गणना की जाती है।
3. विश्व के अन्य महाद्वीपों का हिन्दी साहित्य इन महाद्वीपों को पाँच भाग में बाँटा जा सकता है :-
 - (क) अमेरिका महाद्वीप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा आदि।
 - (ख) यूरोप महाद्वीप : रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हालैण्ड, नीदरलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, फिनलैण्ड, इटली, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, क्रोएशिया आदि।
 - (ग) मध्य एशिया के देशों का हिन्दी साहित्य रू इनमें अधिकांश मुस्लिम देश हैं— इराक, ईरान, आबूधाबी, टर्की आदि।
 - (घ) एशिया महाद्वीप चीन, जापान, कोरिया, थाईलैण्ड आदि।
 - (ङ) आस्ट्रेलिया : आस्ट्रेलिया आदि।⁸

गोयनका जी का कहना है की यह पुस्तक कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है परंतु इस को पढ़ते वक्त यह ही प्रतीत होता है कि यह अपने आप में एक छोटा सा अनकहा इतिहास ग्रंथ ही है। इसलिए मैंने इस विभाजन को यंहा प्रस्तुत किया है। इस विभाजन का अपना महत्व है परंतु इसके साथ समस्या भी एक है कि इस विभाजन का आधार देश हैं अर्थात् हम को कुछ मालूम नहीं चलता इस बात के सिवा की इन-इन देशों में प्रवासी साहित्य

रचा जाता है। हिन्दी साहित्य में जब भी इतिहास लेखन की बात होती है तो आचार्य राम चंद्र शुक्ल की तरफ पलट कर अवश्य देखा जाता है क्योंकि उनके जैसा साहित्य इतिहास का ढांचा शायद ही कोई निर्मित कर पाया हो। आचार्य शुक्ल की ही पंक्ति है कि "साहित्य किसी देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।"⁹

इस वाक्य को ही हम भरत सूत्र मान कर प्रवासी साहित्य के इतिहास विभाजन का प्रयास करेंगे।

जब बात आती है कि इतिहास विभाजन की तो कुछ प्रश्न अपने आप मेरे समक्ष प्रस्तुती दर्ज करते हैं। सर्वप्रथम की प्रवासी साहित्य का प्रस्थान बिन्दु क्या होना चाहिए?

अगर हिन्दी भाषा का इतिहास देखा जाए तो गिरमिटिया मजदूर एक बड़ी संख्या में अच्छे जीवन की तलाश में प्रवास करते हैं। और साथ ही वो अपने साथ इस विस्थापन की प्रक्रियाँ में 'रामचारित मानस' और 'हनुमान चालीसा' लेकर गए थे। जो नए परिवेश, नई संस्कृत में अपनी अस्मिता की पहचान बनती है। साथ ही यह वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे देशों में रहते हुए भारत से विस्थापित होने के दुःख को अनुभव किया है। भारत की जमीन से जुड़े मोह (नोस्टाल्जिय) के साथ पुरानी ओर नई संस्कृतियों का द्वंद्व नजर आता है। साथ ही उन्न सब कष्टों का चित्रण भी प्राप्त होता है जो कष्ट गिरमित्या मजदूरों ने झेले हैं। इस सब के साथ अधिकतर आलोचक एवं शोध करता इसे ही प्रस्थान बिन्दु मानते हैं। गोयनका जी का विभाजन भी यन्ही से प्रारंभ होता है।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इस काल का शुरुआती वर्ष किस को कहा जाए?

इसका उत्तर दे पाना थोड़ा कठिन कार्य है क्योंकि गिरमिटिया मजदूर अलग अलग वर्ष में अलग अलग देशों में आए। तो किसी एक वर्ष को रेखांकित करना तो कठिन कार्य होगा। परंतु अगर हम कमल किशोर गोयनका जी का लेख पढ़ें तो यह बात समझ आएगी की बीसवीं सदी के पहले दो दशकों को वक्त के नजरिए से रख सकते हैं।

इस से ही तीसरा प्रश्न उठता है तो फिर वह कोण से आधार होंगे जिन पर यह विभाजन संभव हो पाएगा?

अगर हम देश को केंद्र कर के इतिहास विभाजन का प्रयास करेंगे तो हिन्दी साहित्य अर्थात् जहां-जहां भारतवासी प्रवास करेंगे उस देश को मध्य नजर रख कर हमें इतिहास विभाजन करना पड़ेगा। जीतने देश उतने इतिहास और इससे प्रवासी साहित्य अपनी पहचान खोकर विभिन्न देशों का साहित्य बन कर रह जाएगा। इसलिए हम को किसी ऐसे आधार की तलाश करनी होगी जो पूरे विश्व पर लागू हो सके। प्रश्न यह रेखांकित करने का है कि इतिहास में विभाजन का आधार क्या हो। यहीं पर हमारा भारत सूत्र जो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने दिया है कार्यरत दृष्टांत होता है। हम को विश्व इतिहास में ऐसी घटनाओं की निशान देही करनी होगी जिन्होंने अपना पूरा असर विष पर डाल खासकर प्रवास करने के कारणों और उससे उत्पन्न परिणामों पर हो। इसको खोजा कैसे जाए? इसकी तलाश करने के साधारण से दो तरीके हैं।

सर्वप्रथम, हमको भारत को मध्यनजर रखकर केंद्र बिन्दु बनाना होगा और उन तत्वों की तलाश करनी होगी जिन्होंने भारत और विश्व के संबंधों को एक क्रांति के रूप में बदलाव दिया हो। साथ ही हमको यह बात भी मध्यनजर रखनी होगी कि इन तत्वों ने विश्व रूप पर भारतीय प्रवास पर असर डाला हो। दूसरा, हमको उन्न

तत्वों की तलाश करनी होगी जिन्होंने विश्व इतिहास को प्रभावित किया है। तभी हमने प्रवासी साहित्य की शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों द्वारा रचे गए साहित्य से की है। अब सवाल आता है कि इसका विभाजन कहां होता है?

इस प्रश्न का उत्तर भी हमको ऊपर की गई बातचीत के आधार पर प्राप्त होगा। जब हम विश्व इतिहास को देखते हैं तो यह महसूस होता है कि बीसवीं सदी एक ऐसा वक्त है जब उपनिवेश की कमर टूटी नजर आती है। विश्व के कई देश इस उपनिवेशवाद के चक्रव्यूह से आजाद होते हैं। और गिरमिटिया मजदूरों का साहित्य एक नई धार की ओर प्रस्थान करता है। साथ ही 1991 में भारत एक बड़ा आर्थिक निर्णय लेता है। इसको हम सब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के नाम से जानते हैं। इसने प्रवास के कारणों को एक नया कारण ओर नया स्थान प्रदान किया है।

अब युवा अपनी शर्तों पर नौकरी, अच्छी सैलरी के लिए प्रवास करने लगे थे। इसी धार का प्रतिनिधि तेजेन्द्र शर्मा, उषा प्रेम व दया आदि करते हैं। इस विभाजन को हम ऊपर भी रेखांकित करते आए हैं कि dysphoria देश बनाम अमेरिका कनाडा आदि देश। तो हम मान सकते हैं कि यंहा से प्रवास की मुख्य आधार भूत तत्व वहीं रहे पर उनका परिणाम बदल गया। तो पहला युग हिन्दी प्रवासी साहित्य का गिरमिटिया देशों का साहित्य है। ओर दूसरा युग हम 1980 या बीसवीं सदी को मान सकते हैं।

इस सबके लिए हम प्रवासी कहानियों का इतिहास जब देखते हैं तो हम को यह विभाजन साफ रूप से नजर आता है। इस बात को असीम अग्रवाल अपने लेख 'प्रवासी कहानी : पुनरावलोकन की आवश्यकता' में भी दर्शाते हैं। इस लेख में वह dysphoria देश की कहानियों की कोई चर्चा नहीं करते हैं। अनिल जोशी की पुस्तक में से एक उद्धरण नीचे प्रस्तुत है। हम को यह समझना होगा की प्रवासी साहित्य में राजनीति, संस्कृति, समाजिक विभाजन के कारण साहित्यकारों ने अपने धड़हे बने का प्रयास किया है। जिस पर जोशी जी की टिप्पणी इस प्रकार है।

'भारत में जब कभी भी भारतवंशियों या प्रवासी हिन्दी साहित्यकारों की बात की जाती है तो मॉरिशस, सूरीनाम, फीजी और त्रिनिदाद तक सीमित हो जाती है। उनका जहाजों पर लदकर जाना, एक सौ पचास साल कासंघर्ष, गन्ने की मजदूरी अब लगभग रोमांटिक सा असर करने लगे हैं। इस आरक्षण कोटे में आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, खाड़ी देशों और अन्य देशों के लेखकों को भी शामिल कर लिया गया है। अब कभी-कभी उनके लेखन के बारे में चर्चा होने लगी है ले-देकर अभिमन्यु अनत, शबनम या चन्द और नाम लेकर बात समाप्त कर दी जाती है। (इसमें डायसपोरा के देशों में लिखे साहित्य के प्रति उनका नकारात्मक दृष्टिकोण उभर कर आता है)¹⁰

इन्ही आधारों पर हम प्रवासी साहित्य के इतिहास को आज के दौर में दो युग में बाट सकते हैं जो इस प्रकार है :-

1. गिरमित्या देशों का साहित्य।
2. 1980 या 20वीं सदी का प्रवासी साहित्य।

अंत में इतना ही कहना उचित होगा कि प्रवासी साहित्य एक सागर जितना बड़ा है और उसको विभाजित करना सागर को गागर में भरने के समान है।

ग्रंथ सूची :-

1. जोशी, अनिल, प्रवासी लेखन : नयी ज़मीन, नया आसमान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
2. वर्मा, विमलेश कान्ति, फ़िजी का सृजनात्मक हिन्दी साहित्य, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2012
3. गोयनका, कमल किशोर, हिन्दी का प्रवासी साहित्य, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
4. <https://www.hindisamay.com/content/11449/1/>
असीम-अग्रवाल-आलोचना-प्रवासी-कहानी-पुनरावलोकन-की-आवश्यकता।
5. प्रवासी संसार, संपादक -राकेश पाण्डेय, RNI. No. : DELHIN / 2004 / 12377, जनवरी-मार्च 2014,
पृष्ठ संख्या-5-15.
6. <https://www.youtube.com/watch?v/GBC--tNTyTI>

संदर्भ सूची :-

1. <https://www.rekhta.org/couplets/har-aadmii-men-hote-hain-das-biis-aadmii-nida-fazli-couplets-1/lang/hi>
2. <https://www.rekhta.org/couplets/pahle-har-chiiz-thii-apnii-magar-ab-lagtaa-hai-nida-fazli-couplets/lang/hi>
3. जोशी, अनिल, प्रवासी लेखन : नयी ज़मीन, नया आसमान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
पृष्ठ संख्या -274
4. वहीं - 300
5. वहीं - 301
6. वहीं - 296
7. वर्मा, विमलेश कान्ति, फ़िजी का सृजनात्मक हिन्दी साहित्य, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2012
पृष्ठ संख्या -52
8. गोयनका, कमल किशोर, हिन्दी का प्रवासी साहित्य, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017
पृष्ठ 22-23
9. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, कमल प्रकाशन, नवीनतम संस्करण, पृष्ठ -15
10. जोशी, अनिल, प्रवासी लेखन : नयी ज़मीन, नया आसमान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
पृष्ठ संख्या 289-290

164, सेक्टर 20, पॉकेट 14, रोहिणी दिल्ली-110086

8920458350

kartikdogra.18@gmail.com



आर्य समाज का हिंदी के विकास में योगदान

KAMLESH

ASSISTANT PROFESSOR, HISTORY DEPT.

DAV CENTENARY COLLEGE, NH3, FARIDABAD, HARYANA

सारांश :-

हिंदी का इतिहास जितना गौरवपूर्ण है उसका भविष्य भी उतना ही गौरवपूर्ण रहेगा क्योंकि हिंदी एक सरल तथा भावपूर्ण भाषा है। इसलिए आज विश्वभर के लोगों में हिंदी के प्रति लगाव बढ़ रहा है। स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज ने हिंदी को सिरोधारण किया है। आर्य समाज के नींव सत्य पर टिकी है, जो सत्य पर स्थिर रहता है, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य और लक्ष्य से विचलित नहीं होता। आर्य समाज हिंदी का विकास करना अपना कर्तव्य समझता रहा है। आर्य समाज ने अपने व्याख्यानों, भाषणों, सभाओं, प्रतियोगिताओं और शिक्षण संस्थाओं द्वारा हिंदी को जन-जन तक पहुंचाया है। देव दयानंद त्रिकालदर्शी स्वामी दयानंद ने वेदों पर भाषण करके प्राचीन वैदिक ज्ञान की ज्योति जलाईस संस्कृत का प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखीस प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य पाठकों को इस तथ्य से अवगत कराना है कि आर्य समाज ने हिंदी भाषा को अमृत पिला कर उसे नया जीवन दान दिया है। परिणामस्वरूप आज भारत में ही नहीं विश्व भर में हिंदी का डंका बज रहा है। शोध पत्र में विवरणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

भूमिका :-

18वीं सदी में भारत का जन सामान्य अंधविश्वासों कुरीतियों तथा जादू टोनों के मकड़जाल में फंसा हुआ था। मुस्लिम शासकों ने हिंदी की उपेक्षा करके फारसी को राजकाज की भाषा बनाया। मुस्लिम राज की समाप्ति पर अंग्रेजी राज स्थापित हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में भी हिंदी की उपेक्षा ही की गई तथा अंग्रेजी को राजकाज की भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी का समुचित विकास नहीं हो पाया।

सशक्त वाणी, आकर्षक व्यक्तित्व, वर्षों अभ्यास और ब्रह्मचर्य पालन से संग्रहित निर्भयता, धैर्य और स्मृति आदि गुणों से संपन्न स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर, ने विश्व कल्याण की कामना से जिस आर्य समाज की स्थापना की, वह विश्व की एक अद्भुत घटना थी। आर्य समाज ने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महान कार्य किया है। स्वामी जी अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से यह भान हो गया था कि जब तक भारत की एक राष्ट्रभाषा नहीं होगी, तब तक भारत में एकता स्थापित नहीं हो सकती।

गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी सीखी और अपने समस्त ग्रंथ इसी आर्य भाषा में लिखें। आर्य समाज द्वारा प्रवर्तित गुरुकुल शिक्षा आंदोलन भारत को विश्व पटल पर उभारने का सफल प्रयास है। आर्य समाज ने जितना सकारात्मक और गुणात्मक कार्य किया है वह किसी से छिपा नहीं है। देव भाषा संस्कृत को और राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्ध करने में आर्य समाज समाज के मनीषियों के योगदान को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता।

भाषा विषयक व्यवहारिक दृष्टिकोण :-

भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत तथा लोक भाषा हिंदी के प्रचार के इच्छुक होने पर भी स्वामी दयानंद ने व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से तत्कालीन राजभाषा अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं को भी सीखने की संस्तुति की थी। इसलिए आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत और हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती पढ़ाई गई, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र केवल भारत ही नहीं था, बल्कि वे विश्व कल्याण के लिए देश-विदेश में भी आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रेषित करना चाहते थे और प्रेषण के लिए विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक था। इसलिए उनकी व्यवहारिक बुद्धि यह स्वीकार करती थी कि समय सुविधा और उपयोगिता की दृष्टि से अन्य भाषाओं को भी सीखना उचित है। वे स्वयं भी अंग्रेजी सीखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक बंगाली बाबू की सहायता भी ली थी परंतु बहुत व्यस्त होने के कारण उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। अंग्रेजी को व्यवहार में लाने का एक कारण यह भी था जिससे कि आर्य समाज की कार्यवाही का ठीक-ठीक वृत्त गवर्नमेंट और अंग्रेजों को भी विदित होता रहे।

उनका यह भाषा संबंधी व्यवहारिक दृष्टिकोण उनके द्वारा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को लिखी गई एक चिट्ठी से भी ज्ञात होता है, जिसमें उन्होंने जसवंत सिंह अपने पुत्र को संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के साथ-साथ अंग्रेजी का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया था।

संस्कृत से हिंदी की ओर :-

शुरुआत में स्वामी जी अपने सभी व्याख्यान संस्कृत में देते थे। लेकिन संस्कृत समझना आम लोगों के लिए आसान नहीं था। एक बार स्वामी जी कलकत्ता की सभा में संस्कृत में व्याख्यान दे रहे थे। उनके किसी वाक्य का पाठकों ने संस्कृत की अच्छी समझ ना होने के कारण गलत अर्थ निकाला और सभा में बहुत वाद विवाद भी हुआ। उस सभा में ब्रह्म समाज के सूर्य, बाबा केशवचंद्र सेन भी उपस्थित थे। बाबा केशवचंद्र ने स्वामी जी को सलाह दी कि यदि वे संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करेंगे तो बहुमत लोगों तक अपना संदेश पहुंचा पाएंगे। यह एक सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य है कि स्वभाव से विनम्र स्वामी दयानंद ने सेन की सलाह को शिरोधारण किया और उसके बाद उन्होंने न केवल हिंदी को अपनाया, बल्कि समस्त विश्व में हिंदी के प्रचारार्थ अथक प्रयास किया।

समाचार पत्रों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार :-

मुंबई में स्थापित आर्य समाज के 28 नियमों में से पांचवा नियम बताता है कि समाज में संस्कृत और आर्य भाषा अर्थात् हिंदी के पुस्तकालय की आवश्यकता है। यह नियम इस बात की भी आशा दिलाता है कि समाज की ओर से हिंदी में आर्य प्रकाश नाम का साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होगा। आर्य समाज ने हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक समाचार पत्रों का सहारा लिया। जब से आर्य समाज की स्थापना हुई, तब से ही समाज ने अपने कई दैनिक साप्ताहिक तथा मासिक पत्र प्रकाशित करने शुरू कर दिए। सबसे पहला प्रकाशित होने

वाला समाचार पत्र आर्य प्रकाश था। उसके बाद आर्य दर्पण, आर्य समाचार, आर्यपत्र, आर्य भूषण वेदप्रकाश, सिद्धांत, ब्रह्मव्रत, धर्म प्रचारक, सद्धर्म प्रचारक, आर्य सेवक, दयानंद पत्रिका, वेद वाणी, वेदपथ आदि पत्रों ने हिंदी का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया। समाचार पत्रों के अतिरिक्त आर्य समाज ने साहित्य लेखन का कार्य भी हिंदी में ही किया। कई वृहद ग्रंथ हिंदी में लिखे गए जैसे देवेन्द्र शर्मा का वैदिक विनय, स्वाध्याय सुमन का स्वामी वेदानंद, नारायण स्वामी का वैदिक साहित्य, पंडित रघुनंदन शर्मा का वैदिक संपत्ति आर्य, पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति का आर्य समाज का इतिहास आदि।

आर्य समाज का हिंदी से लगाव भक्त रेमल के एक उदाहरण से साबित होता है। भक्त रेमल को एक बार एक ग्रहणी अपने हाथ से भोजन पका कर देती है लेकिन रेमन ने उस ग्रहणी के हाथ का पकाया हुआ भोजन स्वीकार करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस ग्रहणी को हिंदी में हस्ताक्षर करने नहीं आते थे। उस ग्रहणी तथा उसके साथ-साथ हजारों बहनों ने हिंदी सीख ली। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार मंगला प्रसाद पुरस्कार पाने वाले सबसे ज्यादा आर्य समाजी ही थे।

विदेशों में आर्य समाज और हिंदी :-

“आत्मा नित्य और अविनाशी है उसका नाश नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक प्राणी को आत्म-उत्थान में लगना चाहिए” – स्वामी दयानंद।

आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन है और इसी रूप में यह पूरी दुनिया में पहुंचा है। आर्य समाज की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसके सरल सिद्धांत है। आर्य समाज केवल कुछ लोगों के कल्याण की ही बात नहीं करता, बल्कि समस्त विश्व कल्याण की कामना करता है। 19वीं सदी में भारत से अनेकों भारतीय मजदूरों के रूप में मॉरीशस, वेस्टइंडीज, कैरेबियन सागर, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनेम, गयाना आदि देशों में भेजे गए। आर्य समाज ने इन लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ें रखने में एक बेजोड़ कड़ी का काम किया है। स्वामी शंकरानंद जी आर्य समाज के ऐसे ही प्रचारक थे जो, 1960 में दक्षिण अफ्रीका में गए और यहां पर उन्होंने आप्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी की पाठशाला स्थापित की। स्वामी भवानी दयाल ने डरबन में एक आश्रम खोला जिसमें एक हिंदी पाठशाला और पुस्तकालय बनाया गया। स्वामी जी ने यहां पर सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया और हिंदी नामक पत्र का भी प्रकाशन किया। इस कार्य में भाई परमानंद भी उनके सहयोगी रहे। पंडित नरदेव शास्त्री द्वारा 25 अप्रैल 1948 को दक्षिण अफ्रीका में आर्य हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना की गई। जिसमें आर्य समाज के सिद्धांतों से संबंधित वाद विवाद, निबंध लेखन, कविता, अभिनय आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। हरीशचंद्र आर्य और उनके छोटे भाई अरुण विद्यालंकर ने जोहान्सबर्ग में हिंदी विद्या मंदिर की स्थापना की। भवानी जी की आत्मकथा में एक स्थान पर लिखा है कि 5 साल तक मैंने नटाल तथा ट्रांसवाल में लगातार हिंदी का प्रचार किया। 1964 में डरबन में हिंदी शिक्षण के लिए 5 केंद्र स्थापित किए गए जिनमें आज भी निरंतर हिंदी शिक्षण कार्य हो रहा है।

तंजानिया की राजधानी में वहां के आर्य समाज द्वारा प्रतिवर्ष 300 छात्र-छात्राओं को हिंदी परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है। यहां पर कुछ बहने निजी तौर पर हिंदी कक्षाएं लगाती रही हैं। मॉरीशस ने हिंदी के प्रचार प्रसार में विश्व में अग्रणी भूमिका अदा की है। यहां पर श्रद्धानंद नामक हिंदी प्रेस अपने हिंदी पत्रों का प्रकाशन करती है मॉरीशस के लगभग प्रत्येक गांव में आर्य समाज है, और हर रविवार के दिन लोग यज्ञ करते हैं तथा

प्रवचन सुनते हैं। पंडित वेणी माधव और सीताराम आर्यवीर वर्षों से विशुद्ध हिंदी में प्रकाशन करते रहे हैं। यहां महिलाओं के लिए हिंदू गर्ल्स कॉलेज है। आज मॉरीशस में प्रोफेसर विष्णु दयाल, पंडित आत्माराम, अभिमन्यु अनंत, श्री जयनारायण, रामदेव धुरंधर आदि मौलिक लेखक हैं जिनकी कृतियां भारत में भी प्रकाशित होती हैं। स्वतंत्र फिजी संविधान की सैनिक क्रांति से पूर्व हिंदी को मान्यता प्राप्त थी और संविधान की धारा 56 के अनुसार संसद की राजभाषा अंग्रेजी होते हुए भी कोई भी सदस्य इच्छा अनुसार फिजियन या हिंदी में बोल सकता था।

बर्मा में भी आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य युवक जागृति नामक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसमें धर्म, दर्शन और संस्कृति संबंधी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं।

इंग्लैंड में हिंदी उर्दू और पंजाबी भाषा की संख्या बहुत ज्यादा है। यहां पर श्री दरबारी लाल ने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करके हिंदी को विस्तृत किया है। कनाडा के टोरंटो तथा बैंकोंवर क्षेत्रों में भी आर्य समाज ने मंदिरों की स्थापना की है।

अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र में वैदिक सोसाइटी नाम से वैदिक साहित्य पर कार्य करने वाले लेखकों की एक संस्था बनाई गई है जो प्रवचन, शोध पत्र, निबंध, संगोष्ठी आदि का प्रकाशन करती रहती है। इसके अलावा सूरीनेम वेस्टइंडीज, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि में भी आर्य समाज की स्थिति बेहतर है। इंडोनेशिया में हिंदुओं के महाकाव्यों का प्रभाव देखते ही बनता है।

हिंदी और संस्कृत के विकास में डीएवी का योगदान :-

स्वामी जी के परम अनुयायी महात्मा हंसराज का कहना था कि यदि हम अपनी संस्थाओं में हिंदी-संस्कृत नहीं पढ़ाते तो, इन संस्थाओं पर धन खर्च करना सर्वथा व्यर्थ है और समाज के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। हंसराज स्वयं हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान रहे, उनके भाषण से लेकर दीक्षांत समारोह तक के उपदेश सभी हिंदी में होते थे। चंदा मांगने की अपील भी हिंदी में ही होती थी। इसी परंपरा में निरंतरता बनाए रखकर डॉक्टर जीएल दत्ता ने हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग नई दिल्ली में शिक्षा का माध्यम हिंदी घोषित कर दी। और केवल 10 छात्रों के साथ घाटा उठाकर भी 1 वर्ष तक के स्कूल चलाते रहे। डीएवी कॉलेज प्रबंधकृत् समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री वेदव्यास ने हिंदी और संस्कृत के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाया।

हिंदी-संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार में श्री दरबारी लाल की महती भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। वे स्वयं हिंदी में प्रभाकर हैं और अपनी बड़ी पुत्री को भी हिंदी में ही एम.ए. करवाया। उन्होंने 400 पब्लिक स्कूलों की स्थापना की, जिनमें पूरी तरह से अंग्रेजी और अंग्रेजीयत का बहिष्कार किया जाता है।

निष्कर्ष :-

आज भारत को स्वतंत्र हुए कई दशक हो चुके हैं, अंग्रेजी आज भी हमारे बीच पांव पसार बैठी है। यद्यपि ग्लोबलाइजेशन के युग में अंग्रेजी विदेशों तथा प्रदेश में रोजगार प्राप्ति में सहायक भी रही है लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा को भी उतना ही सम्मान मिले, इसलिए डीएवी पब्लिकेशन हर वर्ष हजारों धर्म शिक्षा की पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन करा कर मुफ्त में प्रतियां वितरित करती रहती है। आर्य समाज के शिक्षण संस्थानों में अनेक प्रतियोगिताएं अधिकांशतः हिंदी में ही होती हैं और बाहर से आने वाले विद्वान भी अपने व्याख्यान हिंदी में ही देते

हैं। इसलिए इन संस्थानों में अंग्रेजी की बजाए चारों ओर हिंदी की धूम मची है।

महर्षि दयानंद के चरण चिन्हों पर चलते हुए आर्य समाज ने देश विदेश में हिंदी का शंखनाद फूँका। आर्य समाज को जब तक ऐसे ही त्यागी और निःस्वार्थ विद्वान मिलते रहेंगे, महर्षि का कार्य उसी तीव्र वेग से आगे बढ़ता रहेगा।

अंत में निम्न पंक्तियों के साथ पत्र का समापन करते हैं।

“ए मेरी कलम तो सदा लिखती रहें हिंदी के मीठे बोल।

तुझे अमर बनाने वाले वह दयानंद थे अनमोल।”

संदर्भ सूची :-

1. आर्य समाज का इतिहास प्रथम भाग, इंद्र विद्यावाचस्पति, आर्य प्रकाशन।
2. आर्य समाज का इतिहास, द्वितीय भाग, इंद्र विद्यावाचस्पति, आर्य प्रकाशन।
3. आर्य जगत के भागीरथ श्री दरबारी लाल, डॉक्टर हरगुलाल गुप्त, रीडर, हिंदी विभाग, पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बीएल ग्रोवर अलका मेहता।
5. www.pravkta.com
6. www.aryadabha.com
7. www.facebook.com
8. www.bharatdiscovery.org.com

HOME ADDRESS :

FLAT NO. 602/C2

SRS PEARL HEIGHTS, SECTOR 87, FARIDABAD 121002, HARYANA

MOB 9205003469

EMAIL: kamlesh.history@gmail.com



प्रवासी साहित्य और हिन्दी

मीनू रानी

सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी), राजकीय महाविद्यालय, बरवाला, पंचकुला।

प्रस्तावना :-

आजकल हिन्दी साहित्य में अनेक विमर्श प्रचलित हो रहे हैं दलित विमर्श, स्त्री विमर्श की तरह ही प्रवासी विमर्श भी हिन्दी साहित्य में अपना स्थान निर्धारित कर रहा है। प्रवासी विमर्श की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत रचनात्मक साहित्य अधिक लिखा गया है जबकि आलोचनात्मक पक्ष पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। प्रवासी साहित्य हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रवासी हिन्दी साहित्य, हिन्दी साहित्य में जुड़ती एक नवीन विधा एवं चेतना है जो प्रवासियों के मनोविज्ञान से जुड़ी है, जो न केवल एक नई विचारधारा है बल्कि एक नई अंतर्दृष्टि भी है। जिसे साहित्य में अपन स्थान निर्धारित करने में काफी समय लगा है।

हिन्दी प्रवासी साहित्य :-

हिन्दी प्रवासी साहित्य, हिन्दी साहित्य को मौलिक रूप प्रदान करके हिन्दी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संवेदना, परिवेश और सरोकार की दृष्टि से प्रवासी साहित्य हिन्दी साहित्य से भिन्न है इसलिए हिन्दी प्रवासी साहित्य दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है— एक तो वह अपनी मौलिकता एवं विशिष्टता हेतु तथा दूसरा हिन्दी साहित्य को वैश्विक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय मूल के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और विदेशों को ही अपनी कर्मभूमि मान कर हिन्दी भाषा में लेखन कार्य करते हुए प्रवासी साहित्यकार विदेशों में भी भारतीयता एवं हिन्दी की अस्मिता को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इसी सृजनात्मक लेखन को प्रवासी साहित्य कहा गया है। जो साहित्यकार विदेशों में रहकर भी हिन्दी को आधार बनाकर साहित्य लेखन कर रहे हैं वे प्रवासी हिन्दी साहित्यकार हैं और उनके द्वारा रचित साहित्य समृद्ध प्रवासी साहित्य है। इस साहित्य के अन्तर्गत कविताएँ, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, खंडकाव्य, यात्रा वृत्तांत एवं आत्मकथा आदि का सृजन हुआ है।

भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की लड़ाई महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। हिन्दी प्रवासी साहित्य में मॉरिशस में रचित हिन्दी साहित्य की एक अलग पहचान है। मॉरिशस में हिन्दी साहित्य को उच्च स्थान दिलाने वाले पुरोधारों में अभिमन्यु अनंत का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं कविता, कथा साहित्य, उपन्यास आदि से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है। 'लाल पसीना' इनका बड़ा ही चर्चित उपन्यास रहा है, जिसमें इन्होंने भारतीयों की वेदनाओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। बंगाल के प्रसिद्ध कवि

रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुंदर शब्द अनायास ही मानसपटल पर अंकित हो जाते हैं— “एक वटवृक्ष को जानने के लिए उस मिट्टी को जानना काफी नहीं है जिसमें ये पनपता है, बल्कि इसकी दूरस्थ अधिभूमि में बढ़ती इसकी विशालता को जानना भी जरूरी है तभी इसकी वास्तविक जीजिविषा को समझ सकते हैं। वटवृक्ष की शीतल छाया भी अपनी जन्मभूमि से बहुत आगे तक बढ़ जाती है, भारत भी प्रदेशों में जा सकता है और बढ़ सकता है, राजनीति का भारत नहीं, आदर्श भारत।”¹

यद्यपि प्रवासी साहित्य की परम्परा अधिक प्राचीन नहीं है पर फिर भी ये साहित्य अपनी मौलिकता एवं विशिष्टता के बल पर अपनी जड़ें जमा चुका है। प्रवासी लोग वे लोग हैं जो अपने शौक से या मजबूरी से दूसरे देशों में बसा दिए गए थे या फिर कुछ रोजगार की तलाश में स्वयं विदेशों की तरफ प्रस्थान कर गए। ऐसे लोगों को वहाँ जाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर उन्हें आर्थिक संकटों के साथ-साथ अपने परिवार व अपनी जन्मभूमि से दूरी, शारीरिक और मानसिक गुलामी झेलनी पड़ी थी। तभी उन्हीं पीड़ित लोगों में से कुछ ने अपनी पीड़ा कथा को कलमबद्ध करके ही प्रवासी हिन्दी साहित्य को जन्म दिया। “प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर मॉरिशस के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ‘अंधा-युग’ नाटक एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मोहन महर्षि द्वारा निर्देशित नाटक अंधा युग के दो प्रदर्शन हुए थे, प्रथम प्रदर्शन धनवटे रंगमंदिर नागपुर के सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों के लिए आयोजित किया गया था। दिवस के सत्रों के बाद शाम को नाट्य प्रदर्शन देखने के लिए हॉल दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया था।”²

कुछ वर्षों बाद प्रवासी साहित्य में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि इस पड़ाव के प्रवासी साहित्यकार वे लोग थे जो अपनी स्वेच्छा से विदेशों में प्रवास कर रहे थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए इन प्रवासी साहित्यकारों का लेखन कार्य पहले के प्रवासी साहित्यकारों से भिन्न था। इन साहित्यकारों ने स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए एवं उसे सुरक्षित रखने के लिए लेखन कार्य किया। बहुत से ऐसे लोग भी थे जो भारत में रहते हुए भी प्रवास की समस्याओं और संवेदनाओं से सहज ही जुड़ गए और उन्हीं समस्याओं और संवेदनाओं को अपनी लेखनी का आधार बनाकर प्रवासी साहित्य के पुरोधा बनकर उभरे—

“अपने भाषा में एक बात बोली
तेहसे हम्मे बहुत है प्यार
महतारी भाषा हमार।।”³

विदेशों में बैठे हिन्दी साहित्यकारों ने अपने लेखन का माध्यम हिन्दी चुना क्योंकि हिन्दी में लिखकर वे अपने पीछे छोटे हुए देश के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहते थे। वे जानते थे कि जिस देश में वे रह रहे हैं, उस देश की भाषा में लिखा गया साहित्य उतना संवेदनशील कभी नहीं बन सकता जितना कि अपने देश की भाषा में लिखा गया साहित्य बन सकता है, इसलिए उन्होंने विदेशों में रहते हुए भी हिन्दी भाषा को ही अपनी लेखनी का आधार बनाया जिसमें प्रवासी साहित्यकार प्रवास के दुःख-दर्द की संवेदनाओं के साथ अपने देश के संस्कारों को जोड़कर उनमें व्याप्त विषमताओं को कागज पर उतार देता है और ये संवेदनाएँ ही सबसे जुड़कर सबकी संवेदनाएँ बन जाती हैं और उनका साहित्य संवेदनशील बन जाता है।

“फीजी में माता-पिता अपने बच्चों को हिन्दी इसलिए नहीं पढ़ाते कि इसमें रोजगार की संभावनाएँ हैं,

बल्कि इसलिए कि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे।”⁴

आज फीजी की युवा पीढ़ी में यह सवाल उठने लग गया है कि हिन्दी को लेकर उनका भविष्य क्या है? फीजी में रोजगार के सीमित अवसर और भविष्य में अवसरों की कमी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है। “इसी कारण आज फीजी का युवा हिन्दी बोलने तक ही अपने को सीमित करता जा रहा है और हिन्दी बोल-चाल तक ही सिकुड़ती जा रही है। ये कुछ चुनौतियाँ हैं जिनसे फीजी के समाज, शिक्षा जगत और सरकार को निबटना है।”⁵

प्रवासी हिन्दी साहित्य लेखन की यह परम्परा दीर्घकाल तक यथावत बनी रहे। ताकि आने वाले समय में नई भारतीय पीढ़ी को प्रवास से संबंधित सारी जानकारी सहज ही उपलब्ध हो सके। प्रवासी साहित्यकार अपनी लेखन परम्परा को इसी तरह निभाते रहे और भारतवंशी होने के गर्व को अपनी लेखनी से उद्देलित करते रहे, ऐसा करके प्रवासी साहित्यकार स्वयं को सहज ही परिभाषित कर सकेंगे।

संदर्भ :-

1. प्रवासी भारतीयों में हिन्दी की कहानी, सुरेन्द्र गंभीर, पृ. 61, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण-2017
2. विश्व हिन्दी पत्रिका-2010, संपादक, गंगाधर सिंह सुखलाल, पृ. 183
3. प्रवासी भारतीयों में हिन्दी की कहानी, सुरेन्द्र गंभीर, पृ. 78, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण-2017
4. विश्व हिन्दी पत्रिका 2010, संपादक, गंगाधर सुखलाल, पृ. 29
5. वही

सम्पर्क : 9518028897



प्रिंट पत्रकारिता में हिंदी भाषा के बदलते प्रारूप व स्वरूप : एक समालोचनात्मक अध्ययन

रसीना (विद्यार्थी)

शिवकुमार (सहायक प्रोफेसर)

मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

सारांश :-

पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को नया जीवंत रूप और संस्कार देने का काम किया है। माना जाता है कि भाषा का ज्ञान पत्रकार का सबसे बड़ा गुण है। साफ है, जिस पत्रकार के भाषा जितने पैनी होगी वह उतना ही सफल और सक्षम होगा। किसी भी भाषा की रचना सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती। भाषा परिवर्तनों में जन्म लेती हैं और परिवर्तनों के साथ ही विकसित होती है। नए समाज में विकास की नई परिस्थितियां पैदा होती हैं, नई घटनाएं जन्म लेती हैं। युद्ध, क्रांति या आंदोलन के नए रूप खड़े होते हैं, तब उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए नई भाषा, शैली और शब्दावली की जरूरत महसूस होती है। पत्र-पत्रिकाओं का सीधा रिश्ता सामान्य जनता से होता है, इसलिए भाषा में बदलाव की यह जरूरत सबसे पहले समाचार पत्रों को ही महसूस होती है। ऐसे संक्रमण काल में पत्रों के सामने दो नए काम खड़े होते हैं— नई शब्दावली की रचना और उसका चलन। भाषा की रचना में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं कि कुछ नए शब्द किसी खास घटनाक्रम के संदर्भ में अस्तित्व में तो आते ही हैं, परंतु जैसे ही उस घटनाक्रम की चर्चा थमती है वे शब्द भी धीरे-धीरे लुप्त होने लगते हैं। ऐसे कई शब्द अल्पजीवी होते हैं और कई दीर्घजीवी। कभी-कभी तो लुप्तप्रायः शब्द भी अचानक अस्तित्व में आ जाते हैं। जैसे 'महाभारत' टीवी सीरियल में 'भ्राताश्री', 'माताश्री' आदि। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, विकास और परिमार्जन में पत्र-पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। न केवल साहित्यिक दृष्टि से पत्र-पत्रिकाओं का योगदान हिंदी की समृद्धि में उल्लेखनीय है, बल्कि भाषा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भाषा शास्त्रियों की धारणा है कि प्रयोग के क्षेत्रों के अनुसार भाषा एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित होता है। भाषा अपनी शब्दावली का विकास स्वयं करती है या प्रचलित शब्दावली में से ही शब्दों का चयन कर लेती है। यही कारण है कि मीडिया और समाचार पत्रों में प्रचलित भाषा साहित्यिक भाषा से कुछ अलग सी दिखाई देती है। आधुनिक युग में पत्रकारिता पर व्यापक अनुसंधान कार्य हुए हैं, परंतु समाचार पत्रों की भाषा पर अलग से कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। पत्रकारिता पर व्यापक अनुसंधान कार्य हुए हैं परंतु समाचार पत्रों की भाषा पर अलग से कोई ठोस कार्य नहीं हुए हैं। समाचार पत्रों की भाषा विशुद्ध साहित्यिक नहीं होती, इन दोनों भाषाओं के बीच में ही कहीं पत्रों की भाषा की स्थिति होती है। लेकिन आजकल भाषा के स्वरूप में विकृति आती जा

रही है और व्याकरण के नियमों की घोर उपेक्षा हो रही है। नई परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए मीडिया और समाचार पत्र भाषा के जिस स्वरूप को अपना रहे हैं वह साहित्य में उससे भिन्न है। मीडिया और समाचार पत्रों की भाषा के लिए शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना बुरा नहीं है, किंतु भाषा जनसाधारण के लिए सुबोध होनी चाहिए।

डेनियल देशों का कहना था, 'यदि कोई मुझसे पूछे की भाषा का सर्वोत्तम रूप क्या हो, तो मैं कहूंगा कि वह भाषा, जिसे सामान्य वर्ग के भिन्न-भिन्न क्षमता वाले पांचसौ व्यक्ति (मूर्खों और पागलों को छोड़कर) अच्छी तरह से समझ सके आजकल बोलचाल ठेठ शब्दों के साथ ही पुनरावृत्ति मूलक शब्दों का प्रयोग भी हिंदी समाचार पत्रों में होने लगा है। हिंदी समाचार पत्रों में अनुवाद की जो भाषा घुस रही है, वह छीनता की बात है। यदि बंगाल में कोई घटना घटती है और उसका समाचार बांग्ला में छपता है, तो अंग्रेजी की समाचार एजेंसियां उसे अंग्रेजी में अनुदित कर हिन्दी पत्रों को भेजती है। हिन्दी समाचार पत्र उसका हिन्दी में अनुवाद कर छापते हैं। जिससे अक्सर घटना की प्रस्तुती की मूल भावना ही समाप्त हो जाती है। एक तो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी अंग्रेजी के अनुचर बनकर कान्तिहीन और अवरुद्ध गति वाली हो गई है। दूसरे अनुवाद की जूठन और अंग्रेजी की प्रवृत्ति से तैयार किए गए समाचारों से पत्रकारिता का प्रभाव जनमानस पर सीमित हो रहा है। साथ ही भाषा की दृष्टि से हिन्दी पत्रकारिता अपने मौलिक स्वरूप की स्थापना नहीं कर पा रही है। आधुनिक हिन्दी समाचार पत्रों में इस प्रकार की दोष पूर्ण भाषा के अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं।

अनुवाद में सरल, तद्भव और प्रचलित शब्दों के स्थान पर तत्सम शब्दावली के प्रति आग्रह के कारण समाचारों की भाषा कठिन और बोझिल हो गई है। पाना, लेना, देना की जगह प्राप्त करना, ग्रहण करना और दान देना जैसे प्रयोग की क्या आवश्यकता है? हिंदी समाचार पत्रों में भाषा का विन्यास भी कर्मवाच्य में होता है। यह हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है इसलिए 'द्वारा' शब्द से बार-बार कवायद कराई जाती है और किए जाने, लिए जाने और दिए जाने जैसे शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। मौजूदा हिंदी अखबारों की भाषा में एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। कभी-कभी तो समाचार पत्र के ही पृष्ठ पर, यहां तक कि एक ही खबर में एक शब्द को भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बहुरूपता समाचार पत्र की मर्यादा को कितनी ठेस पहुंचती है, इसका ध्यान अक्सर नहीं किया जाता है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं, अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता। पहले हिंदी के अखबार 'बंद' को 'बन्ध' लिखा करते थे, जैसे 'बंगाल बन्ध' लिखा करते थे। यह अंग्रेजी के अभाव के कारण ही हुआ है। कुछ लोग एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के उपनाम को 'छागला' लिखते रहे हैं, कुछ लोग 'चागला' अब शुद्ध किसे माना जाए? आज का पत्रकार भाषा को गंभीर दृष्टि से नहीं देखता और ना ही शब्दों को लेकर कहीं बहस होती है। भाषा में शब्दों का जंजाल खड़ा करके शाब्दिक सम्मोहन की स्थिति पैदा करना ठीक नहीं। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों और उनके पर्यायों से प्रेड करवाना ठीक नहीं।

लेकिन पाठकों से सस्ती सराहना हासिल करना ठीक नहीं लेकिन पाठकों से सस्ती सराहना हासिल करने के लिए लोग ऐसा ही करने लगे हैं जैसे कदाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्त होने के लिए। इन शब्दों में बड़ा सूक्ष्म भेद है। जब तक यह भेद पाठकों के सामने स्पष्ट नहीं किया जाता, बात पूरी तरह से उनके पल्ले नहीं पड़ सकती। आज प्रचार-प्रसार तथा संवाद स्थापित करने का सबसे सशक्त माध्यम मीडिया ही है। जिससे अनेक तरह की सूचनाएं और ज्ञानवर्धक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है।

लोग पत्र-पत्रिकाओं के शब्दों को प्रामाणिक मानकर ग्रहण करते हैं, चाहे वे अशुद्ध ही क्यों ना हो। किन्तु समाचार पत्र, पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक शब्दों का प्रयोग खुलेआम होता है। इसलिए समाचार पत्रों को अपनी भाषा पर खास ध्यान देना चाहिए। इस शोध अध्ययन में प्रिंट पत्रकारिता के डिजिटल स्वरूप का भी अध्ययन किया गया है। इस शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस शोध अध्ययन के लिए हमने व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया है। इस शोध अध्ययन के अंतर्गत प्रिंट पत्रकारिता के अतीत एवं वर्तमान के स्वरूप का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द :- प्रिंट पत्रकारिता, हिंदी भाषा, समाचार-पत्र, पत्रिका।

शोध के उद्देश्य :-

1. इस अध्ययन में प्रिंट पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा।
2. अतीत की पत्रकारिता एवं वर्तमान की पत्रकारिता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।
3. समाचार पत्र और पत्रिकाओं में हिंदी विषय के साहित्यकारों की भूमिका का पता लगाया जाएगा।

शोध की परिकल्पना :-

1. समाचार पत्रों में हिंदी भाषा के शब्दों के बजाय अंग्रेजी, उर्दू, अरबी भाषा के शब्द अधिक प्रयोग होते हैं।
2. प्रिंट मीडिया में पत्रकारों द्वारा मिश्रित भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है।

शोध की सीमाएं :-

1. शोध अध्ययन में हम केवल समाचार पत्रों पत्रिकाओं को शामिल करेंगे।
2. इस शोध अध्ययन में हम हिंदी विषय से संबंधित विषय वस्तु को अध्ययन में शामिल करेंगे।
3. हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1826 से वर्तमान 2022 की पत्रकारिता को अध्ययन में शामिल करेंगे।

शोध का महत्व :-

भारत की भाषा राष्ट्रभाषा है। आज के समय में हिंदी के समाचार पत्र ज्यादा पढ़े जाते हैं। अन्य भारतीय भाषायी समाचार पत्रों की तुलना में हिंदीभाषी पत्रिका ने पाठक वर्ग तक पहुंच स्थापित की है। इस कारण इस शोध अध्ययन में हिंदी विषय के पत्रकारिता के बदलते आयामों पर शोध कार्य किया जाएगा।

साहित्यिक समीक्षा :-

कैलाश नाथ पांडेय ने अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता : संवाद और विमर्श' में हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास की चर्चा की है। इस पुस्तक में हिंदी पत्रकारिता में गढ़ की भाषा और समाचारों की भाषा शैली बताते हुए हिंदी पत्रकारिता के परंपरा धारा पर प्रकाश डाला है। हिंदी पत्रकारिता के शुरुआती समाचार पत्रों में उर्दू, अरबी, फारसी समाचारों का उसमें उल्लेख किया गया है। समाचार पत्रों के साथ-साथ सप्ताहिक पत्रिकाओं का भी जिक्र इसमें किया है। हिंदी पत्रकारिता के काल विभाजन का उल्लेख भी इसमें किया गया है।

प्रस्तावना :-

30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सन 1826 में हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन शुरू हुआ था। कोलकाता से निकले इस साप्ताहिक समाचार पत्र ने जो

प्रकाश दिखाया उसकी रोशनी में धीरे-धीरे हजारों हिंदी समाचार पत्र निकलने शुरू हुए, पाठकों का विश्वास जीता और आगे बढ़ते रहे। यह वह समय था जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी। सरकार तथा जनता के बीच पुल का काम किया करती थी। हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है।

भारतीय भाषाओं में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ -

हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण (1780-1825) :-

इस काल के अंतर्गत सन 1780 से लेकर 1825 तक के कालका हम अध्ययन करेंगे। भारत में समाचार पत्रों की प्रारंभिक भूमिका होने का श्रेय कोलकाता को है। कोलकाता से अंग्रेज जनरल जेम्स अगतस हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट निकाला बंगाल से निकलने के कारण इसे 'बंगाल गजट' भी कहा जाता है। सरकारी नीतियों के विरोध के चलते बंगाल गजट बंद हो गया लेकिन भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अमर हो गया। इस चरण में निकलने वाले कुछ अन्य समाचार पत्र थे-

1. इंडिया मैजेट 1780 प्रकाशक बी मेंसिक और पीटर रीड
2. बंगाल जनरल 1785 टॉमस जॉन्स
3. मद्रास कुरियर 1785 रिचर्डर्स जॉनस्टन
4. बॉम्बे हेराल्ड 1789
5. बॉम्बे कुरियर 1790
6. मद्रास गजट 1795 हम फ्रिज।

1780 से 1818 ई. तक केवल अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकले। इन सबके प्रकाशक अंग्रेज थे। देसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र को है। इसका प्रकाशन 1918 ई. में हुआ था इसे जोशुआ मार्शमैन ने प्रकाशित किया था। दिग्दर्शन के प्रकाशन के कुछ दिनों बाद दो साप्ताहिक पत्र भी बांग्ला में निकले-बंगाल गजट और समाचार दर्पण। सन 1818 ई. में है कलकत्ता जनरल जेम्स सिल्क बकिंघम के द्वारा प्रकाशित हुआ। इस पत्र को राजा राममोहन राय की सहायता प्राप्त थी। 1919 ई. के आसपास राजा राममोहन राय ने चार समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया जिसमें से तीन भारतीय भाषाओं के थे तथा एक अंग्रेजी का। सन 1922 ई. में फारसी का पहला समाचार पत्र मिरा उत्तल अखबार भी राजा राममोहन राय ने ही निकाला था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में समाचार पत्र निकलने लगे थे हालांकि संपादन के मानकों को पूरा कर पाने के बावजूद हिंदी पत्रकारिता में इनका अपना महत्व था।

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा चरण (1826-1867) :-

हिंदी पत्रकारिता की वास्तविक शुरुआत इसी काल से होती है इसलिए इसे उद्भव काल कहा गया है। हिंदी के प्रथम पत्र की दृष्टि से उदंत मार्तंड की गणना की जाती है। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। 11 दिसंबर 1827 को सरकारी कोप एवं आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद करना पड़ा। उदंत मार्तंड के बाद महत्वपूर्ण समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन भी कलकत्ता से ही 10 मई 1835 ई. को हुआ यह समाचार चार भाषाओं में निकलता था। इस पत्र के मूल प्रेरक

राजा राममोहन राय थे तथा संपादक नील रतन हालदार थे। हिंदी क्षेत्र में निकलने वाले पत्र की दृष्टि से बनारस अखबार (1845 काशी) की गणना की जाती है। इस पत्र के प्रेरक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। यह पत्र श्री गोविंद रघुनाथ थात्ते के संपादन में प्रकाशित होता था। इसके पश्चात् तारामोहन मित्र के संपादकत्व में 1850 ई. सदासुख लाल के संपादकत्व में बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र है जो बाबू श्यामसुंदर सेन के संपादकत्व में कोलकाता से निकला था। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण पत्रों में सर्वहित कारक पत्र तथा क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां के संपादन में पयामे आजादी महत्वपूर्ण है।

हिंदी पत्रकारिता का तीसरा चरण भारतेंदु काल (1867-1899) :-

भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से पूर्व हिंदी पत्रकारिता का केंद्र कोलकाता था उसे उन्होंने हिंदी प्रदेश से जोड़ दिया। 1867 ई. में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी से कविवचन सुधा का प्रकाशन शुरू किया। आधुनिक विषयों से युक्त यह हिंदी की पहली पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र चूंकि खुद साहित्यकार थे इस दृष्टि से साहित्यिक पत्रकारिता के भी जनक कहे जा सकते हैं। कवि वचन सुधा के अतिरिक्त हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र चॉद्रका एवं बालाबोधिनी भारतेंदु काल के पत्रों में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में प्रकाशित हिंदी प्रदीप (1877) का महत्वपूर्ण योगदान है। 17 मई 1818 को कोलकाता से भारत मित्र पाक्षिक का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक छोटू लाल मिश्र थे। पंडित अंबिका प्रसाद बाजपेई के संपादन में यह पत्र हिंदी का शीर्ष पत्र बन गया। 1833 ईसवी में प्रकाशित ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। यह पत्र हिंदुस्तान (1885) का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के कालाकांकर से राजाराम पाल सिंह ने प्रकाशित किया था। मालवीय जी के संपादन में इस पत्र ने ख्याति अर्जित की। इस दौर के पत्रों में हिंदी बंगवासी का महत्वपूर्ण स्थान है। 1890 में प्रकाशित वेंकटेश्वर समाचार मुंबई भी महत्वपूर्ण था। काशी से प्रकाशित नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896 हिंदी पत्रकारिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के विकास में इस पत्रिका का सर्वाधिक योगदान है। इसके संपादक मंडल में श्यामसुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास इत्यादि थे इस काल में निकले अन्य महत्वपूर्ण पत्र हैं :-

अल्मोड़ा अकबर 1871 बिहार बंधु संपादक केशवराम भट्ट, भारत बंधु तोताराम 1871 आनंद कादंबिनी 1883 असली बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इत्यादि।

हिंदी पत्रकारिता का चौथा चरण द्विवेदी काल (1900-1920) :-

हिंदी पत्रकारिता के इस युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित सरस्वती पत्र इस युग में भाषा साहित्य एवं केंद्रीय भूमिका निभाती है। सन 1900 में इलाहाबाद से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है। इस पत्र के संपादक मंडल में बाबू श्यामसुंदर दास, श्री कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथ दास एवं बाबू राधा कृष्ण दास थे। सन् 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्र का संपादन किया। सुदर्शन नामक पत्र का प्रकाशन काशी से 1900 में माधव प्रसाद मिश्र ने किया था। सन 1907 ईसवी में साप्ताहिक अभ्युदय पत्र का प्रकाशन प्रयाग से मालवीय जी ने किया था। मर्यादा नामक मासिक पत्र का संपादन 1910 ईसवी में प्रयाग से पंडित कृष्णकांत मालवीय ने किया था। बाद

में इस पत्र का संपादन संपूर्णानंद प्रेमचंद तथा बनारसीदास चतुर्वेदी जैसे साहित्यकारों ने किया। सम्मेलन पत्रिका 1913 ईसवी में प्रयाग से गिरिजा कुमार घोष के संपादकत्व में निकली थी। श्री शिव मुनि के संपादकत्व में निकली थी। श्री शिव मुनि के संपादकत्व में सन 1915 में प्रकाशित ज्ञान शक्ति इस युग का महत्वपूर्ण पत्र था। सन 1919 में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से गोरखपुर से स्वदेशी हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ था। इसके अतिरिक्त इस युग के अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं :-

प्रभा खंडवा 1913, प्रताप कानपुर 1913, गणेश शंकर विद्यालंकर समालोचक 1902, जयपुर चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंदु 1909, काशी अंबिका प्रसाद गुप्त।

हिंदी पत्रकारिता का पांचवा चरण गांधी युग (1920 से 1947) :-

इस युग की पत्रकारिता पर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा है। द्विवेदी युग की पत्रकारिता के विषय के चयन से लेकर प्रस्तुति तक व्याप्त है। द्विवेदी युग की पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक एवं सुधार से ज्यादा संचालित रहा है। आज दैनिक पत्र का प्रकाशन इस काल की पत्रकारिता में स्थाई महत्व रखता है। इसका प्रकाशन 5 अप्रैल 1920 को शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से किया था। इस पत्र के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर थे।

स्वतंत्र पत्र का प्रकाशन 4 अगस्त 1920 को कोलकाता से पंडित अंबिका प्रसाद बाजपेई ने प्रारंभ किया था। कर्मवीर पत्र का प्रकाशन जबलपुर से 17 जनवरी 1920 ईसवी को माखनलाल चतुर्वेदी के संपादकत्व में हुआ था। समन्वयक पत्र का प्रकाशन 1922 ईसवी में हुआ था। यह पत्र रामकृष्ण मिशन का पत्र था इसके संपादक माधवानंद जी थे। निराला जी की प्रतिभा को निखारने में इस पत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। 23 अगस्त 1923 ईसवी को मतवाला का प्रकाशन हिंदी पत्रकारिता में एक नए मोड़ का सूचक है इस पत्र के निर्माताओं में मुंशी नवजदिक लाल निराला बाबू शिवपूजन सहाय और महादेव प्रसाद सेठ थे।

धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिकाओं में कल्याण का विशिष्ट स्थान है। यह पत्र गोरखपुर से 1826 ईसवी में निकला था। सन 1928 में प्रकाशित विशाल भारत रामानंद चट्टोपाध्याय ने प्रकाशित किया था। विशाल भारत के संपादक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी है। इस समय के साहित्यिक पत्रों में माधुरी (1921) चांद (1922) सुधा (1927) तथा 1930 का विशिष्ट स्थान है माधुरी रूप नारायण पांडे, चांद, महादेवी वर्मा, प्रभा दुलारे लाल भार्गव तथा हंस प्रेमचंद के संपादकत्व में निकली थी। जागरण का प्रकाशन 11 फरवरी 1931 इस के संपादक शिवपूजन सहाय थे। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में इंदौर समाचार, सन्मार्ग, सैनिक, विश्वामित्र इत्यादि रहे।

हिंदी पत्रकारिता का छठा चरण स्वतंत्र्योत्तर युग 1948-1989 :-

गांधी युग स्वतंत्र्योत्तर कालीन पत्रकारिता इस दृष्टि से भिन्न रही है कि जहां पहले का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था वहीं दूसरे का जन्म प्रतिबद्धता।

दिल्ली से दैनिक नवभारत का प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 को प्रारंभ हुआ। 29 जून 1950 को दूसरा नाम नवभारत टाइम्स कर दिया गया। इसके प्रारंभिक संपादक सत्यदेव विद्यालंकार थे।

हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन 2 अक्टूबर 1950 से प्रारंभ हुआ। पहले यह पत्र साप्ताहिक था बाद में दैनिक हो गया। स्वातंत्र्योत्तर काल के पत्रों में खोज पूर्ण पत्रकारिता की दृष्टि से जनसत्ता का महत्वपूर्ण नाम है। अपने संपादकीय लेखों तथा जन प्रतिबद्धताओं के कारण यह पत्र चर्चित रहा है। 5 जून 1947 से इंदौर से कृष्ण चंद्र मुद्गल तथा कृष्णकांत व्यास के प्रयत्नों से नई दुनिया का प्रकाशन आरंभ हुआ। इंदौर समाचार का प्रकाशन 22 मार्च 1946 ईसवी को इंदौर से पुरुषोत्तम विजय के संपादन में प्रारंभ हुआ पूर्णचंद्र गुप्त 1947 से कानपुर जागरण के प्रकाशन का आरंभ किया। सन 1948 में डोरीलाल अग्रवाल तथा मुरारी लाल माहेश्वरी ने आगरा से अमर उजाला का प्रकाशन शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड का यह प्रमुख पत्र है। युग धर्म का नागपुर से 1951 ईसवी में हुआ। हिंदू संस्कृति के प्रचार-प्रसार में यह पत्र अधिक सक्रिय रहा है। पंजाब केसरी का प्रकाशन 1964 में जालंधर से हुआ। लाला जगत नारायण इस पत्र के संपादक थे। धर्म युद्ध का प्रकाशन मुंबई से टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने 1950 में प्रारंभ किया इस पत्र के प्रथम संपादक इलाचंद्र जोशी थे। बाद में इस के संपादक हेमचंद्र जोशी तथा सत्यकाम विद्यालंकार हुए धर्मवीर भारती के संपादन में धर्म युग देश का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र बन गया। राजस्थान पत्रिका का प्रकाशन जयपुर से 7 मार्च 1956 को हुआ यह राजस्थान का प्रमुख पत्र है।

राष्ट्रदूत का प्रकाशन 1 अगस्त 1951 को जयपुर से हजारीलाल शर्मा द्वारा किया गया। 18 अप्रैल 1948 ईसवी को वाराणसी के प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्री जी के आशीर्वाद से सन्मार्ग का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सनातन धर्म के हितों से जुड़ा यह प्रमुख पत्र था। स्वदेश सन 1966 को इंदौर से प्रकाशित हुआ था। दैनिक भास्कर का प्रकाशन 1958 में भोपाल से हुआ इसके आदि संपादक काशी नाथ चतुर्वेदी थे।

पंजाब के महत्वपूर्ण पत्रों में वीर प्रताप 1958 की गणना की जाती है। रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन रांची से हो रहा है दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन दिल्ली से 21 फरवरी 1985 को प्रारंभ हुआ अज्ञेय के संपादन में दिनमान ने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाई दी।

पाँच जन्म का प्रकाशन लखनऊ से 1927 में प्रारंभ हुआ उसके पश्चात 1967 में दिल्ली से यह प्रकाशित हुआ। पाँच जन्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति के पोषक पत्र है। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से 20 जनवरी 1964 को आरंभ हुआ। यह फिल्म जगत से संबंधित पत्रिका है पराग पत्रिका का प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने मार्च 1958 में प्रारंभ किया। यह बच्चों के लोकप्रिय मासिक पत्रिका है कादंबिनी हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड की पत्रिका का प्रकाशन नवंबर 1964 में हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन नई दिल्ली से हो रहा है। यह बाल पत्रिका है सारिका पत्र का प्रकाशन 1970 में आरंभ हुआ कमलेश्वर के संपादन में इस पत्रिका ने विशेष ख्याति अर्जित की चंदामामा बाल साहित्य की प्रमुख पत्रिका है। यह हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य कई भारतीय भाषा में प्रयुक्त होती है। हरिप्रसाद नेवटिया ने मुंबई से 1952 में नवनीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके संपादक सत्यकाम विद्यालंकार थे।

सरिता का प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ सामाजिक व व्यापारिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से इस पत्र का विशेष योगदान रहा है। मुक्ता का प्रकाशन 1960 में नई दिल्ली से हुआ महिला समस्या पर इस पत्रिका ने

महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की है। मनोहर कहानियों का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ सनसनीखेज तथा अंतर्द्वंद प्रधान कहानियों के लिए यह पत्रिका विशेष चर्चित रही है। मनोरमा पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ महिलाओं के लिए इस पत्रिका ने उपयोगी सामग्री का प्रकाशन किया है। गृहशोभा पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से प्रारंभ हुआ गृहशोभा भी महिलाओं की पत्रिका है। ललित लघु पत्रिकाओं में सर्वाधिक बिकने वाला पत्र है। इसके अतिरिक्त आजकल इंडिया टुडे भारतीय पक्ष प्रथम प्रवक्ता जैसे पत्रों ने भी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों को गंभीरता से उठाया है।

हिंदी पत्रकारिता का सातवां चरण समकालीन पत्रकारिता 1991 से वर्तमान तक :-

सन् 1990 के बाद का समय भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण से प्रभावित रहा है। भूमंडलीकरण यंत्र प्रधान दर्शन रहा है इस दर्शन का प्रभाव इस युग की पत्रकारिता पर भी पड़ा है। फलतः पत्रकारिता अधिक लोकतांत्रिक हुई है इस युग की पत्रकारिता ब्लॉग, ट्विटर के माध्यम से चलती है। इसमें केंद्र नहीं है। यह ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें सबके लिए जगह है इसे ई-पत्रकारिता कहा गया है। भारत के समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय भाषाओं में सर्वाधिक पत्रों की संख्या हिंदी भाषा की है, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पत्र हैं। वर्ष 2016-17 की आर. एन. आई. रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या एक 114280 है जिसमें सर्वाधिक 46827 हिंदी भाषा के पत्र हैं एवं दूसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा के 14365 पत्र हैं। इस अवधि तक कुल पंजीकृत प्रकाशनों में 3.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वाधिक हिंदी समाचार पत्र उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होते हैं एवं इसके बाद महाराष्ट्र राज्य से होते हैं।

समय के समाचार पत्रों का ही नहीं बल्कि समाचार लेखन का भी स्वरूप बदला है समाचार और विश्लेषण निष्पक्ष से पक्षकार होते चले गए और अब तो अधिकतर समाचार पत्रों के नाम से लोग पहचानते हैं कि कौन किस पार्टी की ओर झुकाव रखता है। समाचार पत्र उठाएंगे तो विज्ञापन बड़े और खबरें छोटी नजर आएंगी। राष्ट्रीय महत्व और जन सरोकार की खबरों से ज्यादा सनसनीखेज खबरों का महत्व दिखेगा और संपादकीय पृष्ठ की गरिमा का तो अब बहुत ही कम ख्याल देखने को मिलता है। कई समाचार पत्रों ने तो अंग्रेजी भाषा को मान्यता देकर हिंदी भाषा को गहरी ठेस भी पहुंचाई है। महामारी के इस दौर में हमने देखा कि समाचार पत्रों की बिक्री पर काफी असर पड़ा। जब कोरोना आया तो लोग समाचार पत्र को छूने से भी डरने लगे। नतीजा यह हुआ कि समाचार पत्र कम छपने लगे क्योंकि उनका वितरण बंद हो गया था। इसलिए समाचार पत्रों ने इस संस्करणों पर ध्यान देना शुरू किया जो कि इससे पहले तक मुफ्त में पढ़े जा सकते थे पर अब उन पर शुल्क लगा दिया गया। हिंदी समाचार पत्रों की यात्रा भले ही बेहद उतार-चढ़ाव वाली रही हो लेकिन यह कहा जा सकता है कि आज भी सत्य खबर के लिए समाचार पत्रों पर विश्वास कम नहीं हुआ है।

निष्कर्ष :-

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास न केवल समृद्ध है, बल्कि व्यापक भी है। समय-समय पर हिंदी पत्रकारिता ने अपने स्वरूप को बदला है। समाचार पत्र पत्रिकाओं का रिश्ता सामान्य जनता से होता है। प्रिंट पत्रकारिता का लक्ष्य आजादी से पहले लोगों को जागरूक करने हिंदी पत्रकारिता में हिंदी भाषा के शब्दों के साथ-साथ

अंग्रेजी उर्दू व फारसी आदि भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता पर बहुत से अनुसंधान कार्य किए गए हैं लेकिन अब तक समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भाषा पर अलग से कोई भी ठोस काम नहीं किए गए हैं। वर्तमान समय में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भाषा में व्याकरण के नियमों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

इस अध्ययन में पाया गया है कि प्रिंट पत्रकारिता का स्वरूप वर्तमान में डिजिटल रूप में पढ़ा जाता है। अतीत की पत्रकारिता और वर्तमान के पत्रकारिता में यह अंतर पाया गया है कि पहले समाचार 24 घंटे बाद मुद्रित होकर पाठ को तक पहुंचता था। परंतु आज प्रत्येक मिनट के समाचारों और घटनाओं की अपडेट होती रहती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो असमानताएं और समय अंतर था वो आज समाप्त हो गया है। आजादी से पहले भारत के क्रांतिकारियों, राजनेताओं तथा हिंदी साहित्यकारों ने विभिन्न विषयों पर अपनी कलम चलाई और अनेक समाचार पत्र निकाले। इसके अतिरिक्त विभिन्न लेखों के माध्यम से जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन जागरूकता अभियान और देशभक्ति भावना जागृत करने के उद्देश्य से शुरू किया।

संदर्भ सूची :-

1. www.livehindustan.com
2. www.mpgkpdf.com
3. www.prabhasakshi.com

Mob. : 7056865536, Email : jitendersolanki735@gmail.com



हिंदी बाल साहित्य : सामाजिक सरोकार

अन्विता विश्वनाथन पी

शोध छात्रा, सरकारी आर्ट्स व साइन्स कॉलेज, कालिकट, केरला

बाल साहित्य, जो बालोपयोगी साहित्य से जाने जाते हैं। बालोपयोगी सुनकर इसको सिर्फ बालकों के लिए समझना बेवकूफ बात है। मुख्यतः बालकों के लिए लिखते हैं फिर भी बड़े लोगों के लिए भी उपयोगी समझना ही चाहिए। बड़े लोग द्वारा बच्चों के लिए लिखते हुआ साहित्य बालसाहित्य का नाम अपनाते हैं। यह सिर्फ बच्चों को मनोरंजन कराने का दायित्व ही नहीं निभाते हैं, उनके लिए ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन, सर्जनात्मकता, कल्पनाशीलता आदि कई तरह के गुणों को उजागर करने का काम करते हैं।

‘द इंटरनेशनल कम्पेनियन’ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर में ऐसा बताया है कि यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि रचनाएँ वयस्कों के लिए या बच्चों के लिए लिखा गया है। जैसे ‘जेक राउलिंग’ की ‘हैरी पॉटर’ वयस्क एवं बच्चे एक ही तरह स्वीकार किया था। इसी अत्यधिक लोकप्रियता ने ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ को बच्चों की पुस्तकों के लिए एक अलग बेस्टसेलर की सूची बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर हमें समझा पायेगा कि बाल साहित्य की प्रभाव सिर्फ बच्चों पर ही सीमित नहीं है।

बच्चों के जीवन अत्यंत जिज्ञासा भरित होता है, उनके हरेक सवालों को जवाब देते-देते प्रारंभिक काल से ही बालसाहित्य अपनी नींव डाला है। बालसाहित्य के अंतर्गत नाटक, कहानी, कविता, गीत आदि कई तरह की विधाएँ आते हैं। इन सब विधाएँ अपना दायित्व आच्छी तरह से करते हैं।

रंगारंग वस्तुओं से बच्चे मोहक बन जाते हैं, इसलिए उनके लिए लिखी गई रचनाएँ निश्चय उसी तरह की होती है। लेकिन यह सिर्फ बच्चे को मोहक नहीं बल्कि उनका जीवन की क्षितिज तक का कार्य करती है। अर्थात् ये जानकारी पूर्ण बातें बच्चों के निर्माण में महनीय भूमिका निभाती हैं। पंचतंत्र कथाएँ, हितोद्देश कहानियाँ, सोक कथाएँ आदि बच्चों के लिए कितने ज़रूरी है, उतने समाज के लिए भी प्रदेय है। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों ने बच्चों का दिल चुराया है। बच्चों सिर्फ किताब के द्वारा प्राप्त करने वाली जानकारी को अलग रखा है, वह किसी बात को सुनकर निःसंशय इसको ग्राह्य करने से बिल्कुल दूर चला गया है। अंतर्जाल या नई टेक्नोलजी की सहायता से इसका पुनर्मूल्यांकन करने का काम पर वे लगाव रखते हैं। हम बता सकते हैं कि यह कुछ न कुछ बच्चे को समझदार बनाने का काम किया है। समाज की विद्रुपता, विसंगति, वैषम्य आदि विषमताओं पर नज़र डालने के लिए बालसाहित्य बच्चों को मदद करते हैं। उसी साहित्य की विधाओं को नई तकनीकी के साथ मेल करके कार्टून, सिनेमा आदि कई तरह रूपों से प्रदर्शन करने की तरीका भी प्राप्त है आज।

समाज के परिवर्तन का प्रतिबिंब अपना साहित्य में भी ला सकता है। यह तो अच्छी बात है। सिर्फ पौराणिक कथाएँ सुनकर, पढ़कर बच्चों का मन सीमित करने से यह परिवर्तन बचाएंगे। अर्थात् आधुनिक या वर्तमान समाज में साहित्य अधिक वैज्ञानिक बन जाते हैं, इसलिए बच्चे अंधविश्वास, रूढ़ियाँ आदि की खंडन-मंडन करने में प्रभल हो जाता है। संस्कृति गौरव की पुनर्स्थापना करने के लिए पौराणिक विधि-न्यायों का सामने लाना उचित नहीं है, परंतु आधुनिक संदर्भ में रीति-रिवाजों का विवेचन करने से इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। वैज्ञानिक परक सोच-विचार से बच्चों को समाज में एक व्यावहारिक विचारक या तथ्य विश्लेषक का पद पर प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। इस अवसर पर कुछ बालसाहित्य लेखकों को सामने रखना आवश्यक हैं— जकीर अली 'रजनीश', रमाशंकर, राजीव सक्सेना आदि।

ये सब लोग समाज सापेक्षिक महत्व के आगे रखकर बच्चों के लिए वैज्ञानिक रचनाएँ लिखने वाले होते हैं।

बेहतर समाज की स्थापना अच्छी संवेदना से संभव है। लोक कथाएँ, लोक संवेदनाओं से मिश्रित हैं। यह समाज के लिए एक उपहार है। लोक कथाओं से बच्चे समाज की हरेक छोटी-छोटी चीजों की चलचाल को समझेंगे, समाज से अधिक मिलने-जुलने से समाज की गतिविधियों को शीघ्र समझ सकता है। पर्यावरण संरक्षण, पशु-पक्षियों के प्रति सहभाव, प्रेम, समाज के प्रति अवबोध यह सब बच्चों को एक उत्तम नागरिक बनाने की सहायता करता है। वह भविष्य की निर्माता बनता है। इस अवसर पर डॉ. हरिकृष्ण देवसरे के योगदान हम मानना है।

कच्ची बात को बच्चे नहीं समझेगा इसके साथ कुछ फॉन्टसी, काल्पनिकता, साहित्य आदि को मिलना चाहिए।

काव्य में लय और गति का सौंदर्य बच्चों को आह्लादित करता है। साधारणीकरण का तात्पर्य कथा साहित्य से होता है। बच्चे इस अवसर पर पात्रों को साधारणीकरण के माध्यम से समझकर उनके मनोभावों का विवेचन करते हैं। इसी तरह नाटकों के संदर्भ में अनुकरण कौशल को आगे रखना चाहिए। बच्चों को अनुकरण प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति का अवसर नाटकों के साथ संभव है। इसी तरह बाल साहित्य की हरेक विधाएँ बच्चों को समाज से जुड़ाते हैं। बच्चों का मन हमेशा पर्यावरण, समाज, इन सबसे लीन होता है। वह हमेशा समाज की हित के अनुसार काम करने के लिए छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित हो जाता है।

निष्कर्षतः हमें बता सकते हैं कि बाल साहित्य का सामाजिक सरोकार बहुत परिपुष्ट है। बच्चों के जिज्ञासा, ज्ञान, विज्ञान, विकास, मानसिक विकास इन सब बातें समाज से जुड़ाने से संभव हैं। निसंशय हमें कह सकते हैं कि बालसाहित्य में समूहिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्य था।

संदर्भ :-

1. <https://www.hmoob.in/wiki/children's-books>, उद्धृत— स्मिथ, दी नितिया (24 जून 2000)“ द टाइम्स प्लान्स चिल्ड्रन बेस्ट— सेलर लिस्ट”। द न्यूयॉर्क टाइम्स/24 जूलाई 2012 को लिया गया।
2. हिंदी बाल काव्य में प्रतीक एवं कल्पना।
3. हिंदी बाल काव्य में प्रतीक एवं कल्पना, पृ. सं. 227

मो : 8078823356, ई-मेल : panvitha2015@gmail.com



मीडिया की भूमिका और हिन्दी भाषा

डॉ. शशिप्रभा गौतम (हिन्दी विभाग)

माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, इमलिया जौरा, जिला—मुरैना (म. प्र.) 476221

सूचनाओं का आदान-प्रदान तो सदियों से चला आ रहा है पशु-पक्षियों के द्वारा भी सूचनाओं का संप्रेषण होता था। आधुनिक युग में सूचना को सूचना क्रांति की संज्ञा दी गई है। क्योंकि सूचनाओं के आयामों में काफी बदलाव हुआ है। वैसे देखा जाए तो तकनीकी माध्यमों से सूचनाओं की शुरुआत सबसे शक्तिशाली अमेरिका देश से हुई है।

आज हम जिस परिवेश में वास कर रहे हैं उसे यदि मशीनी युग कहें तो शायद गलत नहीं होगा। आज मीडिया ने सारे को समेटकर एक छोटा सा गांव बना दिया है। यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में तीन स्तम्भों को स्थान दिया गया है। न्याय पालिका, कार्य पालिका, तथा व्यवस्थापिका और चौथा स्थान मीडिया को दिया है। मीडिया को लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ माना गया है।

पिछले कुछ दशक से संचार क्रांति की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सूचना के नये-नये तकनीक यंत्रों ने तूफानी गति से विकास किया है। सूचना के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर हुआ है। इन्टरनेट, मोबाइल फोन, मोडेम, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि क्षेत्रों को भी काफी प्रभावित किया है। यहां तक कि मीडिया भी इससे प्रभावित हुआ है। अगर सूचना-क्रांति के इस दौर को यदि 'मीडिया का युग' कहें तो शायद गलत नहीं होगा।

'मीडिया का दखल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रंग-रूप में है। सुबह उठते ही अखबार रूपी मीडिया हमें विश्व-दर्शन कराता है।'¹

मीडिया के अर्थ पर अगर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि मीडिया एक सूचना का माध्यम है। जो सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। सूचना प्राप्त करने वाले के एवं सूचना प्रेषित करने वाले के मध्य लोगों को जोड़ने का कार्य करता है और जब इससे आधिकारिक लोग जुड़ने लगते हैं तो इसे 'मास-मीडिया' का नाम दे दिया जाता है।

भारतीय प्रशासन में मीडिया को चौथा स्तम्भ (खम्भा) कहा गया है। भारतीय प्रशासन के लिए या भारत सरकार के लिए अपने संदेश, योजनाओं या अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी का तो सहारा लेना ही पड़ता है। यह काम पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया के अलावा शायद ही कोई कर पाता। अब बात आती है कि हिंदी भाषी देश में अंग्रेजी या अन्य भाषा का अखबार कैसे कार्य कर सकता था इसलिए भारत में हिंदी भाषा में पत्रकारिता का प्रचलन शुरू हुआ। यदि मुगल काल में हिंदी का प्रचार-प्रसार न होता तो

शायद भारत आज़ाद भी न होता। हिन्दी मीडिया का देश की आज़ादी में बहुत योगदान रहा है। लेकिन 19वीं सदी की हिन्दी मीडिया और 20वीं सदी की हिन्दी मीडिया में काफ़ी फ़र्क है। पहले अखबारों की खबरों को चाव से पढ़ा जाता था या न भी पढ़े तो भी लेखक लिखता अवश्य था लेकिन आज की मीडिया में नए-नए टेक्नोलॉजी के आ जाने से लोगों को अखबार पढ़ने का समय ही नहीं है। चलते-चलते टेलीविजन पर एक नज़र डाली या मोबाइल पर, लैपटॉप या टेबलेट पर सरसरी नज़र से देखकर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं।

आज इस नये युग की मीडिया में कुछ बदलाव उत्पन्न होते जा रहे हैं जो आधुनिक यन्त्रों के माध्यमों से सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक देश की मीडिया अपने देश की जनता के अनुसार मीडिया समाज में भी बदलाव करता है जिस तरह का रूप समाज धारण करता है वैसा ही रूप मीडिया धारण करता है।

हम देखते हैं कि इस आधुनिक युग में कई भाषाएं मीडिया का हिस्सा बनती जा रही हैं। जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया के संसाधनों की मांग बढ़ती है वैसे ही समाज में सूचनाओं की मांग बढ़ती है। किसी भी प्रकार की मीडिया सूचना को यदि समाज तक पहुंचाना है तो भाषा का बहुत महत्व होता है।

अखबार में प्रकाशित एक लेख के अनुसार :- 'मीडिया माध्यम है समाज में हो रहे हर प्रकार के घटनाक्रम का जिसे लोगों तक पहुंचाना मीडिया का संवैधानिक दायित्व है। और जब हिन्दी भाषी देश या प्रांत हो, तो भाषा के अनुसार संदेशों को पहुंचाने का दायित्व मीडिया बखूबी निभा रहा है।'²

तकनीकी के इस दौर में मीडिया का जितना विस्तार हुआ है उतना ही हिन्दी भाषा को भी विकास के नये-नये माध्यमों में विकसित होने में सहायता मिली है। हमारे भारत देश में कई भाषाएँ, बोलियाँ तथा उप बोलियाँ बोली जाती हैं। कई भाषाओं में फिल्मों का निर्माण किया जाता है।

फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे भाषा को विकसित होने में पूरी सहायता मिलती है आज के इस युग में टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम तथा कार्यक्रमों के बीच में प्रसारित होने वाले विज्ञापन हिन्दी भाषा या अन्य कोई भी भाषा हो प्रचार-प्रसार करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो रहे हैं। भारतीय सिनेमा में हिन्दी भाषा में सबसे अधिक फिल्मों को बनाया जाता है। यहां तक कि हमारे यहां विदेशी फिल्मों को भी हिन्दी में अनुवाद करके प्रसारित किया जाता रहा है और किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी माध्यमों की तुलना में हिन्दी के क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से काम करता है। 1970 के दशक में हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं में तो हिन्दी भाषा का बहुत विकास हुआ है, लेकिन आज के तकनीकी युग में हर इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में हिन्दी की बढ़ती लोकप्रियता से आज मीडिया आमजन की आवाज उठाती स्पष्ट नज़र आ रही है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक क्षेत्र या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार- 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जैसा विकराल रूप धारण किया है वैसे ही हिन्दी से जुड़ी समस्याओं का, हिन्दी के प्रचार-प्रसार का तथा जन-चेतना का निर्माण हुआ है।'³

आज के मीडिया में अधिकांश हम देखते हैं कि भाषा पर कई सवाल उठाये जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में अंग्रेजी भाषा का टंकन अधिक होता है। विश्व में हमारी हिन्दी भाषा का तीसरा स्थान है। यदि इन तकनीकी संसाधनों में प्रत्येक स्तर तक हिन्दी का टंकन शुरू हो रहा है। तो हिन्दी भाषा भी विश्व स्तर पर शीर्ष

पर होगी।

मीडिया समाज में इन दिनों भाषाओं पर कई सवाल उठ रहे हैं। आज की मीडिया में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उसे हम एक मिश्रित भाषा का नाम तो दे सकते हैं लेकिन उस भाषा को साहित्यिक या मानक भाषा नहीं बना सकते हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा ऊल-जुलूल भाषा का प्रयोग करके देश में साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न करके देश को तोड़ने का काम करते हैं। यदि कोई नेता अपने भाषण में जनता के हित में बोले तो तकनीकी माध्यमों से उसे तोड़-मरोड़कर जनता के सामने परोसा जाता है। और यदि कोई अन्य नेता किसी दूसरी पार्टी के विरोध में कितना भी गलत या कटु क्यों न बोले लेकिन उसे तकनीकी माध्यमों के जरिये से मीठा और अच्छा बना दिया जाता है। हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी मिला जाता है कभी-कभी मीडिया भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाती है।

मीडिया देश की जनता तथा युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा का वो माध्यम है जिससे देश के युवा वर्ग सही दिशा में एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

आज देश में तरह-तरह के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम हिन्दी भाषा के विकास में रोड़ा बनते जा रहे हैं। यह समस्या हिन्दी साहित्य प्रेमियों के सामने खड़ी हो गई कि हिन्दी भाषा को विश्व में उच्च स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए।

लेकिन आज हिन्दी के कई पोर्टलों के कारण हिन्दी को साकार रूप में लाया जा रहा है। आज इसी मीडिया के माध्यम से हिन्दी को सूचना के यन्त्रों पर हिन्दी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है।

‘मीडिया और मनोरंजन पूरी दुनिया में आज हिन्दी का विस्तार कर रहे हैं। विज्ञापन व मनोरंजन के क्षेत्र में आज हिन्दी में ही स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। मनोरंजन के साधन भी आज हिन्दी के विकास में सहायक है।’⁴

मीडिया ने हिन्दी भाषा को वो आयाम दिया है जो हिन्दी भाषा का होना चाहिए था। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के विषय में कई विद्वानों का यह मानना है कि हिन्दी की दुर्दशा का श्रेय हिन्दी के ही समाचार पत्र-पत्रिकाओं को जाता है। चलिए कुछ हद तक हम यह मान भी लेते हैं, लेकिन यह अधूरा सच कहा जाएगा। क्योंकि समाचार-पत्रों से ही कई हिन्दी सीखने वाले और कई हिन्दी भाषा का अच्छी तरह से वाचन करने वाले भी पैदा हो गए हैं। हाँ यह सच है कि कहीं-कहीं वर्तनी गलत होने की वजह से संदेश गलत पहुंच जाता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शिक्षा प्रणाली के द्वारा हिन्दी भाषा की उपेक्षा की जा रही है। आज के युग में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना एक फैशन सा बन गया है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में अंग्रेजी को शामिल करके स्वयं पर गर्व महसूस करता है। यदि किसी हिन्दी भाषी को अंग्रेजी नहीं आती तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है।

एक लेखिका के लेख में— ‘अंग्रेजी बनाम हिन्दी’ शीर्षक में मैंने पाया कि बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाकर लोग स्वयं को बहुत ऊँचा महसूस करते हैं। उस लेख में एक स्त्री के द्वारा अपनी बच्ची की घटना को स्पष्ट किया गया। ‘उस स्त्री ने अपनी छः वर्षीय बच्ची की कक्षा का वाक्या बताया कि उसकी बेटी की कक्षा अध्यापिका ने उसे कक्षा में यदि कोई छात्र/छात्रा हिन्दी में बात करते हैं तो उन्हें पीटने का अधिकार दिया है।’ 5 क्या एक अबोध और मासूम से यह कराना उचित है? हिन्दी इतनी हीन नहीं है कि किसी छात्र या शिक्षक को हिन्दी में बात करने की अनुमति नहीं है। एक छोटे, नन्हे कोमल मन पर क्या असर होगा? उस नन्हे से मन पर हिन्दी के प्रति इतनी घृणा और नफरत के बीज बोये जा रहे हैं। नवजात शिशु के मुख से सर्वप्रथम

‘माँ’ शब्द निकलता है। ‘माँ’ शब्द एक शुद्ध मानक हिंदी का शब्द है।

यह एक केवल घटना नहीं है ऐसी कई पीढ़ियां विकसित हो रही हैं जो (वह-डॉंग) से शुरू होकर अंग्रेजी भाषा के खान-पान के संस्कार को ओढ़कर अंग्रेजी के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत का युवा वर्ग रोजगार में पीछे की कतार में खड़ा है लेकिन हिन्दी भाषा में आज रोजगारों के कई विज्ञापन प्रकाशित होते हैं कंप्यूटर, इन्टरनेट पर कई रोजगारों के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कई विदेशी पुस्तकों का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया जाता है।

अतः सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और सबसे अधिक प्रमाणित भी है। हिंदी भाषा जितनी प्रमाणित है उतनी ही सरल, सहज और लचीली भी है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो प्रत्येक अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वयं में आत्मसात किए हुये हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई शब्द हिन्दी का नहीं, अन्य भाषा का है। सच कहा जाए तो हिन्दी को अन्य भाषाओं को शरण देने वाली भाषा कहा जाना चाहिए। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट, T.V. तथा इन्टरनेट के आने से पत्र-पत्रिकाओं के आने से हिंदी ने अपने विकास की रफ्तार बढ़ा ली है। अब वह दिन दूर नहीं है जब हिंदी विश्व की प्रथम भाषा बन जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मुझे गर्व है कि हमारे युवा हिन्दी को मीडिया के माध्यम से विश्व के शिखर तक पहुँचाने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत हिन्दी के विद्वानों तथा हिंदी भाषियों को भी करनी होगी। हिन्दी का विकास और अधिक तेजी से हो, ताकि अंग्रेजी व अन्य भाषाओं को पछाड़कर हिन्दी विश्व के शिखर पर आसीन हो।

संदर्भ सूची :-

1. मीडिया और समाज-संजय गुलाटी-सन्मार्ग प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ क्रमांक – फलेप
2. कितना खरा मीडिया-अशोक टण्डन (पत्रकार) – दैनिक भास्कर – समाचार पत्र 2012, पृष्ठ क्रमांक 05
3. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और हिन्दी-एक लेख-प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ क्रमांक, 80
4. मीडिया की हिन्दी और हिन्दी की मीडिया-संजय द्विवेदी, हिन्दी वेब दुनिया, 2011, पृष्ठ क्रमांक इन्टरनेट
5. अंग्रेजी बनाम हिन्दी (हिन्दी दिवस पर विशेष लेख) – कमला दत्त कांड पाड, लेख, इन्टरनेट।

पता – जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुरजौरा (जिला-मुरैना) म. प्र.

E-mail : spgoutam05@gmail.com

Mobile Number- 8319202805



नई शिक्षा नीति और हिन्दी

सुप्रिया

शोधार्थी, हिन्दी विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक।

प्रस्तावना :-

किसी की देश की उन्नति के साथ-साथ उसके नागरिकों के समग्र विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत निर्माण में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते शिक्षा व्यवस्था को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने तथा वर्तमान समय की जरूरतों व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों की आधार शिला रखेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विकास यात्रा :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने से पहले इस नीति से पूर्व आई नीतियों के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 :-

हमारे देश में शिक्षा पर बनी यह पहली नीति थी जो कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी। इसमें पहली बार शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। इस नीति में 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया तथा शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर बल दिया गया। इसमें माध्यमिक स्तर पर "त्रिभाषा सूत्र" लागू करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 :-

इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना था, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों की बराबरी पर जोर दिया गया था। साथ ही प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए "आपेशन ब्लैकबोर्ड" लान्च किया। इस नीति ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन युनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992 :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन करने का उद्देश्य देश में तकनीकी एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों में

प्रवेश पाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (AIEEE) निर्धारित की। इस नीति ने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्या को हल किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 :-

इस नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के 0 कस्तूररंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा तक सबकी पहुंच, समता, वहनीयता और गुणवत्ता के आधार भूत स्तंभों पर आधारित है।

प्रमुख बिन्दु :-

नया शैक्षिक ढांचा :- वर्तमान में सक्रिय 102 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल के तहत शैक्षिक ढांचे तथा पाठ्यक्रम को बांटा गया है। जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया है।

- 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल/बाल-वाटिका के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और खेल-खेल में पढ़ना सीखें सुनिश्चित की जाएगी।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 2 तक शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- 8 से 11 वर्ष के बच्चे कक्षा 3, 4, 5 तथा 11 से 14 वर्ष के बच्चे कक्षा 6, 7, 8 तथा 4 वर्ष तक का उच्च माध्यमिक चरण होना जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 तक शिक्षा दी जाएगी।

उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री/प्रमाण पत्र प्रदान किये जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भाषायी विविधता को संरक्षण :-

NEP-2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन का माध्यम अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा परंतु बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार :-

इस नीति में प्रस्ताविक सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों को पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के मध्य बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव करने के साथ छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारक के रूप में 'परख' नामक एक 'राष्ट्रीय आंकलन

केन्द्र' की स्थापना की जाएगी।

शिक्षण व्यवस्था संबंधी सुधार :-

शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने के साथ ही समय-समय पर किये गए कार्य प्रदर्शन आंकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) तथा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूप रेखा (NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय सूचीकृत बी0एड0 डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

अन्य प्रावधान :-

- विद्यालयों के सभी स्तरों पर बच्चों को व्यायाम व शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विकलांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण, संसाधन केन्द्र, आवास, प्रशिक्षण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- डिजीटल शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- S.C., S.T., OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से सम्बंधित मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- भारतीय पारम्परिक, स्वदेशी ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिन्दी का महत्व :-

नई शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा के सवाल को मुख्य रूप से उठाया गया है तथा मातृभाषाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बनता जब कि उसकी जमीन अर्थात् उसका जन समूह मजबूत नहीं होगा। हमारी मातृभाषाएं ही इसी व्यापक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब तक यह जनसमूह मजबूत हो तो अवश्य ही उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिन्दी भाषा भी मजबूत होगी क्योंकि हिन्दी का शब्द भण्डार उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों के शब्द भण्डार से निर्मित है। ऐसे में हमारी बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी विशेषता है और हमारी इसी बहुभाषिकता को आधार बनाकर नई शिक्षा नीति में भाषा सम्बंधी प्रावधान किए गए हैं। जैसे पांचो उंगलियाँ मिलकर एक मुट्ठी बनाती हैं उसी प्रकार हमारी बहुभाषिकता में एक भाषा के रूप में हिन्दी की पहचान उसी मुट्ठी के समान है जो अलग-अलग उंगलियों अर्थात् क्षेत्रीय भाषाओं के होने के बावजूद हिन्दी के रूप में शक्ति का अहसास कराती है। बिना भाषा के सीखना, समझना और जानना असंभव है।

आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा का महत्व बताते हुए लिखा भी है कि "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल।।" यहां निज भाषा से भारतेंदु जी का तात्पर्य हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं से है। आगे चलकर वे लिखते हैं कि "अंग्रेजी पढ़के जदपि, सब गुण होत प्रवीन, पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन।" यानी अंग्रेजी जैसी अन्य विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिक्षा से हम प्रवीण तो हो जाएंगे किन्तु व्यावहारिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से हीन ही रहेंगे।

इसी तरह हमारे देश के सांस्कृतिक, सामाजिक वैभव की स्थापना का प्रथम पायदान हमारी निजभाषा

यानी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने में निहित है। ये बात सोचने लायक है कि हमारे देश में हमारी ही राष्ट्रभाषा जानने, समझने के बावजूद अंग्रेजी का इतना दबाव क्यों है। हमारे यहां लोगों को यह लगने लगा है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर कोई शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो बगैर अंग्रेजी के ऐसा नहीं कर सकते। जैसे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई को बिना अंग्रेजी जाने कर ही नहीं सकते। नौकरी प्राप्त करने के लिए भी अंग्रेजी की जरूरत है और इसी तरह की सोच पूरे राष्ट्र के अंदर घर कर गई है जो हमें अवसादग्रस्त कर रही है।

इस प्रकार का गहन चिंतन-विश्लेषण कहीं सुनाई नहीं पड़ता कि आज भी अंग्रेजी भाषा का दबाव किस कदर भारत की नई पीढ़ी को प्रताड़ित कर रहा है। सच तो यह है कि आजादी के बाद हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान का जो सपना देखा गया था वह सपना दस्तावेजों में दबकर रह गया लेकिन नई शिक्षा नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि भारतीय भाषाओं को न केवल बढ़ावा दिया जाए बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर विकसित भी किया जाए। इसमें इस बात का प्रावधान है कि प्राइमरी से लेकर आठवीं तक बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी चाहें तो आगे की पढ़ाई भी उसी भाषा में पठन-पाठन कर सकते हैं। वर्तमान में कई राज्यों में मैडिकल और इंजीनियरिंग की किताबें हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। यह एक अच्छी पहल है। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय भाषाओं को एक पहचान मिलेगी।

निष्कर्ष :-

नई शिक्षा नीति 2020 भाषा के विकास के सवालों उठाती है जो उससे पूर्व 1968 के कोठारी आयोग व 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मुखर होकर नहीं उठाए गए थे। भारत सरकार द्वारा जारी इस शिक्षा नीति में भारत की भावी शिक्षा व्यवस्था और राष्ट्र उन्नयन के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति है। यदि यह नीति ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन में नहीं लाई जाती है तो यह अपने पूर्व की नीतियों के समान महत दस्तावेज बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इससे न केवल हमारी भाषा समृद्ध होगी बल्कि हमारी युवा पीढ़ी की भाषाई बंधनों से आजाद होकर अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा व हिन्दी के माध्यम से ज्ञान के नए रास्तों को तलाश कर सकेगी व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकेगी।

सुप्रिया

शोधार्थी, हिन्दी विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक

M. 9466612987

Email id: Supriyapilania05@gmail.com



हिंदी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप व प्रवृत्तियां : एक अध्ययन

आशु (विद्यार्थी) द्वितीय वर्ष

शिवकुमार (सहायक प्राध्यापक)

मीडिया एवं कम्प्युनिकेशन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी (हरियाणा)

सारांश :-

हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप का जिम्मेदार केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि पाठक वर्ग भी है इस शोध अध्ययन में हम पत्रकारिता के बदलते स्वरूप भाषा और प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान में पाठक वर्ग इतना बदल गया है कि उसने समाचार पत्र के पत्रकारों का शब्द कोश में प्रत्येक दिन एक नया शब्द जुड़ जाता है। इसी का परिणाम है कि आज पत्रकार अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं लिख सकता है क्योंकि वह अपने पाठक का गुलाम बन गया है। पत्रकार को पाठक की रुचि को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा आज कोई भी पत्रकार किसी सच्ची घटना को दिखाते हुए खबर से तत्व को उजागर करने का प्रयास करते भी हैं तो वह खबर समाचार पत्र समूह के उसूलों और विज्ञापनों की बोली बोली में समाहित हो जाती है। वर्तमान की पत्रकारिता पर बाजारवाद और व्यवसाय हावी हो गया है। जिस कारण लोगों में सामाजिक जागरूकता लाने की आधारशिला से मीडिया भटक चुका है। वर्तमान में पत्रकारिता पेड़ न्यूज़ रूप में पाठक वर्ग के सामने आ रही है। जो समाज और देश के लिए खतरा बन गया है।

पत्रकारिता समय के बदलने के साथ ही अपना स्वरूप बदल रही है। आज समाचार पत्र हो या टीवी समाचार चैनल हो सब आपस में टीआरपी बढ़ाने की जंग छिड़ी हुई है। जिसके चलते सामाजिक सरोकारों की भावना लोप हो गई हैं। मीडिया की खबरों के पाठकों का नजरिया बदल दिया है। आप पाठक को मीडिया सूचना देने के बजाय अपने विचारों को परोसने में लगी हुई है। इस शोध के अध्ययन में हम विवेक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए डाटा एकत्रित करेंगे। इस अध्ययन में हम व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग करते हुए हिंदी पत्रकारिता के सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। व्याख्यात्मक अनुसंधान और समस्या को खोजने में हमारी मदद करने के लिए आयोजित किया जाता है जिसका गहराई से अध्ययन नहीं किया गया था। अनुसंधान का संचालन करते समय शोधकर्ता को नए डाटा और नई अंतर्दृष्टि के लिए खुद को अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए जिससे वह विषय का अध्ययन करते समय खोजता है।

मूलशब्द :- समाचार पत्र, पत्रकारिता, हिंदी, डिजिटल मीडिया, समाचार, पत्रकार।

शोध का उद्देश्य :-

1. हिंदी पत्रकारिता के अतीत व वर्तमान के बदलते स्वरूप व प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. हिंदी पत्रकारिता में साहित्यिक पत्रकारिता का अध्ययन करना।
3. डिजीटल युग के आने से प्रिंट पत्रकारिता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तावना :-

30 मई के दिन भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी थी 23 मई 1826 को 'उदंत मार्तंड' नाम से पहला हिंदी भाषा का अखबार प्रकाशित हुआ। जिसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। हालांकि आर्थिक समस्याओं के कारण इस समाचार पत्र लंबेसमय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका लेकिन इसने देश की हिंदी भाषा में पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया और देश के कोन-कोने में राष्ट्रवाद की धारणा पहुंचाने में सहायता की। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के आगमन से पहले हिंदी पत्रकारिता का केंद्र कोलकाता था उन्होंने हिंदी को आमजन की भाषा में जोड़ दिया। 1867 उन्होंने काशी से 'वचन सुधा' का प्रकाशन शुरू हुआ। आधुनिक विषय से युक्त यह पहली हिंदी पत्रिका थी। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का सपना देखा। इसे भारतेंदु युग में पत्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है। भारतेंदु युग ने हिंदी भाषा में लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ इसने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रतिकार किया। 1903 में 'सरस्वती' के संपादक का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और इसके साथ ही हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण शुरू हो गया।

इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं मुखर हुई जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता मिली। 1907 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से 'साप्ताहिक साहित्य' का प्रकाशन शुरू किया इसी वर्ष माधवराव सप्रे ने नागपुर से 'हिंदी केसरी' निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से 'जोशीला' और 'क्रांतिकारी' साप्ताहिक प्रताप शुरू को प्रकाशित किया जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था। 1913 में 'प्रभा' का प्रकाशन किया गया जैसे पहले कालूराम गंगराड़े, माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे। लेकिन बाद में 1919 में कानपुर की 'प्रताप' प्रेस से प्रभा का प्रकाशन किया जाने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए का एक समर्पित समाचार पत्र था। इसके साथ 'चांद' भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। जिसने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 अगस्त 1919 को गांधी जी ने 'नवजीवन' का हिंदी संस्करण आरंभ किया।

स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता के लिए 1920 में शिव प्रकाश गुप्त ने काशी से 'आज' का प्रकाशन शुरू किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका 'आदर्श' का संपादन करना शुरू किया। कोलकाता से 26 अगस्त 1923 से हिंदी साप्ताहिक 'मतवाला' की शुरुआत हुई जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, बेचौन शर्मा नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को आकर्षित किया। 1928 से कोलकाता से ही बनवारीलाल चतुर्वेदी ने विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। 1933 में गांधी जी ने 'हरिजन सेवक' निकाला जो अस्पृश्यता और गरीबी से से उनकी लड़ाई का मुख्य साधन बना। स्वतंत्रता के साथ ही पत्रकारिता का नया संघर्षमय दौर शुरू हो गया आजादी मिलने के बाद नई चुनौतियां आईं जिनका सामना पत्रकारिता को भी करना पड़ा। भारतीय संविधान ने सबको अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे सूचना पाने और देने का अधिकार सबको मिल गया। इन परिस्थितियों में हिंदी पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ। हिंदी प्रदेशों में साक्षरता दर बढ़ी और इस वजह से समाचार पत्रों की प्रसार संख्या भी बढ़ी। समाचार पत्र तकनीक की दृष्टि से भी उन्नत हुए और मुद्रण की स्थिति भी पहले से अच्छी हुई। कुछ पूंजीपति पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आए। इससे हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इमरजेंसी के दौर में एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा।

1977 में इमरजेंसी खत्म होते ही फिर से पूंजीपतियों और राजनीति का खेल शुरू हो गया। सनसनी खेज खबरों की वजह से विश्लेषणात्मक खबरें कम लिखी जाने लगी। बीसवें दशक तक आते-आते अफसर और मंत्रियों के बीच लेन देन की खबरें आने लगी। लेकिन इसी दौर में धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, राजेंद्र माथुर, सुरेन्द्र प्रतासिंह और कमलेश्वर जैसे संपादक भी आए जिन्होंने पूंजी नियंत्रित समाचार पत्रों को विकृत होने से बचाया। उन्हें सत्ता का खिलौना नहीं बनने दिया।

इस दौर का एक और सकारात्मक पहलू यह भी है कि टैक्नोलॉजी के जरिए समाचार पत्रों का रंग-रूप ही बदल गया। खबरें पहले से ज्यादा तेजी से आकर्षक और कलात्मक तरीके से प्रस्तुत की जाने लगी। कम्प्यूटर के उपयोग ने पत्रकारिता की दुनिया में क्रांति ला दी। साज-सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज की पत्रकारिता पाठकों के भरोसे न चलकर विज्ञापन के भरोसे चल रही है। विषय की दृष्टि से भी काफी बदलाव आ गया है। प्रत्येक कार्य व्यावसायिकता से संचालित होने लगा है। पीत पत्रकारिता भी अपना सिर उठाने लगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। समाचार संकलन से लेकर समाचारों के प्रस्तुतीकरण, मुद्रण तथा साज-सज्जा आदि सभी क्षेत्रों में आधुनिकता का समावेश हुआ है। कोरोना काल के बाद समाचार पत्र का डिजिटल रूप का आगमन हुआ। डिजिटल रूप में समाचार पत्र को किसी गुप या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

समाचार पत्र के सॉफ्ट रूप में प्राप्त होने के बाद भी हार्ड स्वरूप का पतन नहीं हो पाया है आज भी प्रिंट की उतनी ही प्रतियां बिकती है जितनी पहले बिक रही थी और इन पत्रिकाओं की बिक्री में इजाफा भी हुआ है। डिजिटल मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया का लोप नहीं हुआ है। हिंदी पत्रकारिता स्वरूप की बात करें तो प्रिंट मीडिया में जो असमानताएं थी, भेदभाव था, समाप्त हो गया है। डिजिटल युग में हर मिनट, हर एक सेकंड में समाचार में अपडेट उपलब्ध होते रहते हैं। इसमें कुछ सैकंडों में ही दुनिया में घटित किसी भी घटना पर तुरंत रिपोर्टिंग संभव है और उसका प्रसारण भी सारा का सारा सारांश के तौर पर ही होता है। जबकि प्रिंट पत्रकारिता में इसे 24 घंटे के समय के बाद पाठक तक पहुंचता है। डिजिटल पत्रकारिता में लेखक और पाठक के पास तुरंत सुधार के विवरण भी उपलब्ध होते हैं। कई समाचार पत्र और समाचार चैनलों ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी हैं। वे रिपोर्टिंग के तौर पर किसी भी समाचार की वेबसाइट पर तुरंत ही प्रसारण करते हैं और उसका बदलाव भी करते रहते हैं। डिजिटल पत्रकारिता में खबरों को तोड़-मरोड़कर रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। डिजिटल पत्रकारिता, वेब आधारित पत्रिका है।

डिजिटल पत्रकारिता में सभी प्रकार की न्यूज, फीचर एवं रिपोर्ट संपादकीय सामग्री आदि को इंटरनेट के जरिए वितरित किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी समाचार पत्र के हार्ड स्वरूप का पतन नहीं हुआ

हैं। डिजिटल पत्रकारिता ने काफी हद तक असमानताओं को खत्म कर दिया है।

परिकल्पना :-

1. डिजिटल पत्रकारिता के आने के बावजूद भी मुद्रण पत्रकारिता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज भी हिंदी समाचार पत्र की प्रतियों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी और अब तो इन प्रतियों को संख्या में इजाफा भी हुआ है।
2. आज की पत्रकारिता के आने से व्यवसायवाद और बाजारवाद का आगमन हुआ है। आज पत्रकारिता अपने नैतिक मूल्य को भूलकर पीत पत्रकारिता का प्रयोग करने में लगी हुई है।

शोध की सीमाएं :-

1. इस अध्ययन में हम केवल प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र या पत्रिका को अध्ययन में शामिल करेंगे।
2. इस अध्ययन में हम केवल हिंदी भाषी पत्रकारिता का ही अध्ययन करेंगे।
3. इस शोध में हम हिंदी पत्रकारिता के अतीत व वर्तमान में स्थिति पर प्रकाश डालेंगे।
4. इस शोध अध्ययन में हम समाचार पत्र के बदलते स्वरूप का अध्ययन करें।

साहित्य अवलोकन :-

अरुण कुमार भगत (2019) ने साहित्य अवलोकन में हमने पाया कि पत्रकारिता का स्वरूप ही नहीं बदला बल्कि उसके अर्थ और मायने बदल गए हैं। इतिहास की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले पत्रकारिता का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध के रखा था। इंटरनेट और सूचना के अधिकार ने आज की पत्रकारिता को बहु आयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच और आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी-कभार इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। विज्ञापनों से होने वाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है।

मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक धन कमाना हो गया है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। आज पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के साथ ही उसके नैतिक मूल्य भी बदल गए हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के आगमन के बाद भी इसके स्वरूप, भाषा, साज-सज्जा, पृष्ठभूमि आदि के बदलने के बावजूद भी समाचार मुद्रण के पाठकों की संख्या में कमी नहीं हुई है। कोरोना काल के दौरान लोगों के पास डिजिटल समाचार पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही कोरोना दौर की समाप्ति हुई वैसे ही समाचार का आगमन पुनः शुरू हुआ।

निष्कर्ष :-

हिन्दी पत्रकारिता का क्षेत्र समृद्ध के साथ-साथ व्यापक भी है। जहाँ पहले के दौर में मुद्रण प्रणाली पर अधिक जोर दिया जाता था क्योंकि पहले के समय में डिजिटल मीडिया का प्रचलन इतना नहीं था परंतु आज का दौर 'डिजिटल युग' में बदल चुका है। इसके साथ ही आधुनिक पत्रकारिता ने भी डिजिटल रूप धारण कर लिया है। आज समाचार पत्र-पत्रिकाओं का स्वरूप भी पहले से बदल गया है। अब लोग इसको कही भी कभी भी अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता में हुए अनगिनत बदलाव के बावजूद इसके

पाठक वर्ग की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि अलग-अलग माध्यमों में इसकी उपलब्धता के कारण इसको पढ़ने वालों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://www.samajkaryshiksha.com/2021/06/indian-journalism-before-independence.html>\m/1
2. <https://www.samajkaryshiksha.com/2021/06/journalism-in-india-after-independence.html>\m/1
3. <https://www.mpgkpdf.com/2022/04/history-of-hindi-journalism-27.html>\m/1
4. <https://technicaltoday.in>
5. <https://brainly.in/question/41931601>
6. हिंदी की आधुनिक पत्रकारिता : अरुण कुमार भगत, प्रकाशन का वर्ष 2019 हिंदी भाषा।



वसुधैव कुटुंबकम् और हिंदी भाषा

डॉ. नेमीचन्द्र कुमावत

सहायक आचार्य (हिन्दी), राजकीय महाविद्यालय, रायपुर, भीलवाड़ा (राजस्थान)
(कार्य व्यवस्थार्थ— राजकीय कन्या महाविद्यालय, मॉडल, भीलवाड़ा, राजस्थान)

विश्व के भाषा परिवार में हिंदी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज शिक्षा, फिल्म, साहित्य, पत्रकारिता, अध्ययन—अध्यापन, शोध—कार्य, राजकार्य और वैचारिक आदान—प्रदान का मुख्य माध्यम यही हिंदी भाषा है, जो भारतीय संघ की राजभाषा है और उत्तरी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा भी है। विश्व के भाषाई मानचित्र में हिंदी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थान बना लिया है। हमारी सांस्कृतिक एकता की परिचायक एवं सूत्रधार हिंदी भाषा में, जो स्नेह और अपनापन झलकता है, वह विश्व की किसी अन्य भाषा में देखने को नहीं मिलता है। हिंदी में स्पष्टता और वैज्ञानिकता है, जो दुनियाभर को जोड़ने की मजबूत कड़ी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है, सभी राष्ट्रों की दूरियाँ मिटाकर, उन्हें एक—दूसरे के निकट ला रही हैं। 'वसुधैव कुटुंबकम्' आज एक बहुप्रचलित अवधारणा बन चुकी है। इसमें 'परिवार' का ही व्यापक रूप समाविष्ट है। हर समस्या, घटना, विषय आदि को वैश्विक—परिवार के परिदृश्य में देखना ही इसका लक्ष्य कह सकते हैं। इसकी परिधि के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की घटनाएँ, समस्याएँ, विषय—वस्तु आदि आ जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'आर्ट ऑफ लिविंग' द्वारा आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव में एक भाषण, जो यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ था, में कहा है कि 'भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है और हम में से प्रत्येक में महान् मूल्यों के साथ पैदा हुई है, हम लोग हैं, जो यहाँ से आए हैं। अहम् ब्रह्मास्मि से 'वसुधैव कुटुंबकम्', हम लोग हैं, जो उपनिषदों से उपग्रह तक आए हैं।' हिंदी भाषा के इस सौंदर्य और माधुर्य को दृष्टिगत रखकर कह सकते हैं कि 'हिंदी शक्कर की रोटी है, जिधर से इसे उपयोग में लो, उधर से मीठी है'।

'वसुधैव कुटुंबकम्' संस्कृत की एक सूक्ति है, जिसका प्रयोग महा—उपनिषद् जैसे हिंदू—ग्रंथों में भी हुआ है। यह एक शाश्वत मानव मूल्य है। इस वाक्यांश में 'वसुधा' का अर्थ—'पृथ्वी' और 'कुटुंब' का अर्थ—'परिवार' है। सामान्यतः इसका यह अर्थ हुआ कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर जीवनयापन करने वाले सभी मनुष्य और जीव—जंतु एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस अवधारणा की स्रोत भाषा संस्कृत है और इसी संस्कृत की बेटी हिंदी भाषा है, जो इस महान् परिकल्पना को साकार रूप देने में समर्पित है। वस्तुतः 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है' और समाज से जुड़ने का प्रथम चरण 'परिवार' होता है। पारिवारिक सदस्य विभिन्न रिश्तों में भावनात्मक रूप से एक—दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा दुःख—दर्द में सहयोगी बन जाते हैं। अपनेपन, स्नेह, सौहार्द की यह प्रबल भावना जब वैश्विक स्तर पर दृष्टिगोचर होने लगती है, तभी वह रूप 'वसुधैव कुटुंबकम्'

कहलाता है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति और विचारों के संप्रेषण का माध्यम है। हिंदी भाषा ही तो मनुष्य को एक सूत्र में पिराने का काम कर रही है। पिछले लगभग 150 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर हिंदी भाषा ने अपनी व्यापकता का परिचय दिया है। हिंदी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सेतु और सांस्कृतिक अस्मिता की परिचायक है।

हिंदी-साहित्यकारों ने अनेक देशों की यात्राएँ करके वहाँ पर 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना को चरितार्थ किया है। यहाँ कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि कर रहा हूँ कि उन्होंने मॉरीशस, रूस, लेनिनग्रैंड, ताशकंद, समरकंद, मंगोलिया, स्कॉटलैण्ड, एडिनबरा, फ्रांस, रोम, इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड आदि कई देशों की यात्राएँ की हैं, जिनमें सर्वत्र कवि ने सांस्कृतिक समन्वय और विश्व-मैत्री की कामना की है। कवि 'सुमन' ने विश्व शांति को लक्षित कर कहा है कि "आज मैं मानता हूँ कि राजनीतिक संबंधों की अपेक्षा यदि सांस्कृतिक स्तर पर रिश्ते कायम किए जाएँ तो विश्व में तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है।"¹ यहाँ उदाहरण के लिए उनकी 'मॉरीशस' की यात्रा (9 मार्च, 1971) पर रचित कविता का अंश दृष्टव्य है; यथा—

“गूँजें सांस्कृतियों के समन्वय की सामध्वनियाँ/स्नेह सौहार्द की फुहारें मुक्त बरसे
सिद्ध वसुधैव कुटुंबकम् की साधना हो/मारीशस में मानवता, फले-फूले सरसे।”²

भौगोलिक विभिन्नता के बावजूद वैश्विक स्तर पर सभी प्राणियों की आवश्यकताएँ, भावनाएँ और संवेदनाएँ प्रायः एक जैसी ही होती हैं। हिंदी के रचनाकार वैश्विक स्तर पर व्याप्त वैषम्य को मिटाने और सभी को मूलभूत सुविधाएँ देने के आकांशी हैं। इस संदर्भ में कवि 'सुमन' की चंद्र पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं; यथा—

“चाहता हूँ ध्वंस कर देना विषमता की यह कहानी/हो सुलभ सबको जगत् में वस्त्र-भोजन-अन्न-पानी।”³
यहाँ स्पष्ट है कि हिंदी में रचित साहित्य 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। इसी थीम के माध्यम से साहित्यकारों ने यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य समान हैं, सभी का कर्तव्य है कि हम सभी की उन्नति में सहायक बनें, जिससे मानवता फलती-फूलती रहे। सभी लोग वैर-भाव भुलाकर आपसी सहयोग करें। जिस दिन पृथ्वी के सभी लोग अपने विभेद भुलाकर एक परिवार की तरह आचरण करने लगेंगे, उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और 'वसुधैव कुटुंबकम्' का सपना साकार होगा। कवि 'सुमन' विश्व-समाज को एक ऐसा स्वरूप देने की ओर तत्पर हैं, जिसमें शांति, प्रेम, ममता, करुणा, समता आदि मानवीय मूल्य फलीभूत हो सके; यथा :—

“मानव ममता के स्रोतों के/नये बाँध अब बाँधों.../गाँधी सागर का जल
नेहरू की नहरों में ढालों/शांति-प्रेम संबोधि वृक्ष/फिर भारत में पनपा लो
इनकी कलमें देश-विदेशों को भेजी जाएगी।”⁴

आज सहिष्णुता और समानता के लिए मानवीय एकजुटता की आवश्यकता है। हमें सर्वधर्म समभाव की थीम पर सभी धर्मों को स्वीकारना और सम्मान करना चाहिए, ताकि प्रेम, स्नेह, सौहार्द, करुणा की भावना विकसित हो सके। चूँकि आज के भौतिकवादी युग में लोगों में नैतिक संवेनाएँ प्रायः समाप्त हो रही हैं। लोग अपने स्वार्थ और फायदों के बारे में चिंतन करते हैं, इसलिए विश्व में स्वस्थ और सशक्त मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु कवि 'सुमन' आमजन को सावधान कर रहे हैं; यथा—

“बहबूदी अगर चाहते हो/अपनी या मेरी नहीं/पीढ़ियों की पीड़ित मानवता की

तो मिल-जुलकर कोई ऐसी/एटमी शक्ति ईजाद करो/जिससे नफरत, फिरकेबंदी
मज़हबी फ़सादों का/जहरीला मूल बीज/बिहरे-बिहरे।”⁵

आज हम आधुनिकीकरण और वैश्विकरण के युग में जी रहे हैं। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति जैसे मिश्रित आबादी वाले समाज में रह रहे हैं। आधुनिक भौतिकवादी युग में आमजन भय, असुरक्षा, अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जहाँ इंसान की पहचान और मानवता का अस्तित्व भी दाँव पर लगा हुआ है। आज की इन भयावह परिस्थितियों में अमन-चैन स्थापित करने हेतु ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की संकल्पना को चरितार्थ करने की जरूरत है। ताकि आमजन अनेकता में एक होने का एहसास कर सके। अस्तित्व-रक्षा हेतु कवि ‘सुमन’ ने साम्प्रदायिकता पर कई प्रश्न उठाते हुए सर्वधर्म-समभाव और विश्व-बंधुत्व का सरोकार करके धर्म के ठेकेदारों को भी चेताया है; यथा—

“तुम राग अलापो मज़हब का/पैगंबर को बदनाम करो/नापाक हरकतों से अपनी
नस्लों का कत्ले आम करो/हम प्रजातंत्र में मनुष्यता के/मंगल-कलश संवार रहे
हर जाति धर्म के लिए/खुला आकाश-प्रकाश प्रसार रहे।”⁶

समसामयिक देश-विदेश घटनाओं पर भारतीय साहित्यकारों ने मानवीय संवेदना से आपूरित होकर बहुत लिखा है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है, जिसमें ‘खाड़ी युद्ध’ के महाविनाश से कवि-हृदय चीत्कार उठा है। यहाँ एक झलक दृष्टव्य है, जिसमें मानव स्वार्थों के वशीभूत होकर आँसू और मुस्कान का अंतर ही भूला बैठा है; यथा—

“वर्षों से खाइयाँ/पाटी जा रही है लाशों से खाड़ी के युद्ध में.....
नये जमाने की आतिशबाजी.....कोई सुन पाता नहीं
बेवाओं की सिसकियाँ/बच्चों की चीखें/दहाड़ें माताओं की
बहरी हो गई है मानवता..... सृष्टि के विधान का सर्वोच्चमान
इंसान/आँसू और मुस्कान का अंतर ही भूल गया।”⁷

आज सारा संसार आतंकवाद की दहशत से ग्रस्त है। यह समस्या विश्व-रंगमंच पर दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हिंदी कवि इससे चिंतित हैं कि समय रहते इसका समाधान करने में ही हमारी समझदारी है; यथा —

“समय है अब भी/कला के नये ठेकेदार/सौर मंडल में सजाने के प्रथम बारात
समझ ले अपनी असल औकात/विश्व मानवता की नई परिकल्पना
पहचानने में ही हमारी खैर/बुजदिले आतंक के होते नहीं पैर।”⁸

हिंदी रचनाकारों ने देश-विदेश के महापुरुषों पर भी अपनी लेखनी से प्रेम-सौहार्द का परिचय दिया है। कवि ‘सुमन’ ने लेनिन की समाधि और गाँधी जी के प्रति समान भाव से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उक्त दृश्य विश्व-मैत्री और ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की संकल्पना को चरितार्थ कर मानवीय संवेदनाओं का अद्वितीय मानचित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ ‘लेनिन की समाधि’ पर रचित कविता की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं; यथा—

“यहाँ कोई मंदिर नहीं/मस्जिद नहीं, गिरजा नहीं/फिर भी अपार भीड़ भक्तों की
देश-जाति-धर्म-वर्ग-रंग/भेदभाव भूल/मनु की संतानें खड़ी
श्रद्धानत, सजल नयन...../यह समाधि है/विश्व के प्रेम पुजारी की।”⁹

01 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक भारत के G20 प्रेसीडेंसी के लिए थीम और लोगों में

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य का उल्लेख हुआ है। इसी कड़ी में आज हिंदी भाषा संपूर्ण विश्व को आपसी दूरियाँ मिटाकर एक वृहद् परिवार के रूप में जोड़ने में सक्रिय है। वस्तुतः पूरी मानव जाति एक ही जीवन ऊर्जा से बनी है। यदि परमात्मा एक है तो हम कैसे अलग-अलग हो सकते हैं? यदि समुद्र एक है तो उसकी बूँदें कैसे अलग-अलग हो सकती हैं? हम सबको बनाने वाला एक ही परमात्मा है, हम सभी उसी परमात्मा की संतानें हैं। इसी दार्शनिक मान्यतानुसार जब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो फिर एशिया, अफ्रिका या यूरोप का कोई भी देश क्यों न हो, भेदभाव की परंपरा की कोई अहमियत नहीं है। संत कबीर ने इस संदर्भ में ठीक ही लिखा है कि—

“जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तत कथौ गियानी।”¹⁰

पूरा विश्व एक परिवार है, जिसे हम भौतिक दृष्टि से देखे या आध्यात्मिक दृष्टि से। दुनियाँ के सभी मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। जिस तरह से परिवार के सदस्य एक-दूसरे की सहयोग-भावना पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी देश एक ही परिवार के रूप में अपनी आवश्यकताओं हेतु एक-दूसरे पर निर्भर हैं। कालजयी कृति ‘कामायनी’ के रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने ‘आनंद-सर्ग’ में समग्र मानव जाति को एक ही आदिम पुरुष की संतानें हैं, की अभिव्यक्ति में समग्र विश्व को ‘एक कुटुंब’ के रूप में चरितार्थ किया, जिसमें हिंदी की मिटास भी है, जो सबको नजदीक ला रही है; यथा—

“मनु ने कुछ-कुछ मुसक्या कर कैलास ओर दिखलाया,

बोले, “देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया”.....

जीवन-वसुधा समतल है, समरस है, जो कि जहाँ है...

सब भेदभाव भुलाकर दुःख-सुख को दृश्य बनाता,

मानव कह रे! यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता है..

सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से।”¹¹

प्रस्तुत पंक्तियों में ‘जीवन-वसुधा’, ‘विश्व-नीड़’ जैसे शब्दों में गंभीर अर्थ की व्यंजना है। इसी तरह से अंतिम पंक्ति की संवेदना में यहाँ ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की सशक्त झलक है। हिंदी वस्तुतः भारत की अन्य भाषाओं से सामर्थ्यवान, व्यावहारिक, सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा है, इसी कारण विश्व पटल पर छा रही है।

आज विश्व के अनेक देशों में भारतीय प्रवासी निवास कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय हिंदी का प्रयोग करते ही हैं, इसलिए अनेक देशों में हिंदी ने अपना परचम लहराया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज दुनिया के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्ययन-अध्यापन का कार्य हो रहा है। जैसे- इंडोनेशिया, मलेशिया, भूटान, बंगला देश, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरीशस आदि अनेक देशों में हिंदी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की परिकल्पना को साकार कर रही है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति अत्यंत मजबूत है। विदेशों में निवास कर रहे, भारतीय मूल के लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिनको अपनी मातृभाषा से विशेष लगाव है ही, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। आज भूमंडलीकरण से वैश्विक स्तर पर देशों की दूरियाँ कम हो गई हैं। व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी बढ़ोत्तरी हुई है। यही कारण है कि आज हिंदी समग्र पृथ्वी को एक परिवार बनाने की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में ‘राजभाषा भारती’ पत्रिका में छपे एक लेख का अंश उल्लेखनीय

है—“विश्व के 150 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है, जो मातृभाषा या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी जानते हैं। इन विभिन्न भाषा-भाषी प्रवासी भारतीयों में से अधिकांश आपस में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं।...हिंदी का जितना प्रचार-प्रसार पिछले दो दशकों में हुआ, उतना उससे पहले के कई सौ वर्षों में नहीं हो पाया।”¹²

विश्व के 132 देशों के करीब 1.10 अरब लोग आज हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन हिंदी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विश्व हिंदी दिवस (प्रतिवर्ष 10 जनवरी) और विश्व हिंदी सम्मेलनों ने विश्व पटल पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में अहम् भूमिका निभाई है। अब तक ग्यारह विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहला नागपुर-भारत (1975 ई.), दूसरा पोर्टलुइस-मॉरीशस (1976 ई.), तीसरा नई दिल्ली-भारत (1983 ई.), चौथा पोर्टलुइस-मॉरीशस (1993 ई.), पाँचवाँ पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टुबैगो (1996 ई.), छठा लंदन-इंग्लैण्ड (1999 ई.), सातवाँ पारामारिबो-सूरीनाम (2003 ई.), आठवाँ न्यूयार्क-अमेरिका (2007 ई.), नवाँ जॉहान्सबर्ग-दक्षिण अफ्रीका (2012 ई.), दसवाँ भोपाल भारत (2015 ई.), ग्यारहवाँ पोर्टलुइस-मॉरीशस (2018 ई.) आदि आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों के द्वारा हिंदी ने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की परिकल्पना को चरितार्थ किया ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस संदर्भ में श्री सुखदेव सिंह मिन्हास लिखते हैं कि “विश्व के अनेक देशों में विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन सफलतापूर्वक हो चुका है। इन सम्मेलनों से प्रभावित होकर व हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता को देखकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दे दिया है।”¹³

आज वैश्विक पटल पर हिंदी ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। आज तमाम विश्व में चीन और अंग्रेजी भाषा के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का ही नाम आता है। आज हिंदी समग्र विश्व को अपने माधुर्य और संवेदनशीलता से अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। आज के तकनीकी युग में कम्प्यूटर और मोबाईल ने हिंदी को विश्व पटल पर लोकप्रियता दर्ज कराई है। प्रायः सभी मोबाईल कंपनियों ने स्मार्टफोन में अंग्रेजी के साथ हिंदी का विकल्प दिया है, जिससे हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है। अनेक देशों में हिंदी-अनुवाद कार्य भी हो रहा है। इस संदर्भ में डॉ. अनीता जी ने ठीक ही लिखा है कि “भारत की सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली भाषा हिंदी-फिजी, सूरीनाम और मॉरीशस में बहुतायत से बोली जाती है। नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, केनेडा, रूस, चीन, थाईलैंड आदि देशों में ऐसी इकाइयाँ हैं, जहाँ हिंदी का प्रयोग होता है।...मॉस्को में रूसी भाषा से हिंदी में अनुवाद कार्य का एक बहुत बड़ा केंद्र है।...इसी प्रकार जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी-विभाग है, जिनमें हिंदी शिक्षण-प्रशिक्षण के अलावा शोध-कार्य भी किया जाता है।”¹⁴

विश्वभर में अपने द्वारा रचित साहित्य के माध्यम से भारतीय मूल के अनेक साहित्यकारों ने हिंदी को लोकप्रियता हाँसिल करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुषमा बेदी और उषा प्रियवंदा ने अमेरिका में रहकर अपनी हिंदी रचनाएँ, वहाँ की जनता के सम्मुख रखीं। इसी तरह मॉरीशस में अभिमन्यु अनंत ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया है। ब्रिटेन में उषा राजे और तेजेंद्र शर्मा ने अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी का व्यापक प्रचार किया है। इसी क्रम में सुनीता जैन, उमेश अग्निहोत्री, सुरेश राय, स्वदेश राणा जैसे अनेक साहित्यकारों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। आज के तकनीकी युग में मोबाईल-स्मार्टफोन जैसे

उपकरण देश-विदेश की दूरियों को मिटाने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। आज सामान्य से सामान्य वर्ग के बच्चे भी फेसबुक, ईस्टाग्राम, वाट्सएप, विडियो कॉल आदि माध्यमों से आमने-सामने रूबरू हो रहे हैं। मोबाईल-इंटरनेट ने ऑनलाईन कार्यकलापों- ई-सेमीनार, वेबिनार, वी.सी. आदि के माध्यम से 'वसुधैव कुटुंबकम्' की परिकल्पना को साकार कर दिया है। इन्हीं माध्यमों से विश्व पटल पर हिंदी एक लोकप्रिय भाषा के रूप में उभरी है। हिंदी भारत की आधिकारिक राष्ट्र एवं राजभाषा तो है ही, साथ ही जनसंख्या के आधार पर विश्व में तृतीय स्थान पर बोली जाने वाली भाषा के रूप उभरकर लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गई है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज 'मॉरीशस' हिंदी के प्रचार-प्रसार का प्रमुख केंद्र बन गया है। मॉरीशस में हिंदी का पहला अंतरराष्ट्रीय पत्र 'विश्व हिंदी समाचार' के नाम से प्रकाशित हुआ है, साथ ही यहीं से 15 मार्च, 1909 ई. से 'हिंदुस्तानी' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरीशस यात्रा के दौरान 'विश्व हिंदी सचिवालय भवन' का शिलान्यास किया। 13 फरवरी, 2018 को मॉरीशस में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर-कमलों से 'विश्व हिंदी सचिवालय भवन' का उद्घाटन-लोकार्पण कार्य सम्पन्न हुआ। इससे यह शुभ संकेत मिल रहा है कि हिंदी 'वसुधैव कुटुंबकम्' की संकल्पना को चरितार्थ करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है। बहुत जल्दी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी। फरवरी, 2019 में आबूधाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में विश्व भाषा बनने के सभी गुण मौजूद हैं। वह दिन दूर नहीं है, जिस दिन हिंदी अपनी मधुरता, मिठास और क्षमता से विश्व भाषा का सम्मान प्राप्त करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने बहुआयामी रंगों-संवेदनाओं से हिंदी निश्चित तौर पर समग्र विश्व को एक नई दृष्टि देगी।

संदर्भ-ग्रंथ-सूची :-

1. बातचीत आलेख, साक्षात्कार पत्रिका, जनवरी-मार्च-2003 (संयुक्तांक)-277-279, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद, भोपाल, पृष्ठ-71
 2. मिट्टी की बारात (मॉरीशस), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-188
 3. विश्वास बढ़ता ही गया (मैं बढ़ा ही जा रहा हूँ) सुमन समग्र-1, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वि. सं.-1997 ई., पृष्ठ-219
 4. विंध्य-हिमालय (नया मोड़), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-65
 5. मिट्टी की बारात (नया कल्प), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-205
 6. वही, (नया-कल्प), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-204
 7. कटे अंगूठों की बंदनवारें (वहशत), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय सं.-1997 ई., पृष्ठ-289-290
 8. वही, (और कब तक?), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-285
 9. मिट्टी की बारात (लेनिन की समाधि पर), सुमन समग्र-2, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, द्वि. संस्करण-1997 ई., पृष्ठ-182
 10. कबीर ग्रंथावली, सं. व भाष्यकार-डॉ. भगवत स्वरूप मिश्र, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2, पंचम सं. 2005, पृष्ठ-19
 11. कामायनी : जयशंकर प्रसाद, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, संस्करण- 1995, पृष्ठ-121-124
 12. वैश्विक धरातल पर हिंदी, आलेख : डॉ. मीनाक्षी जोली, राजभाषा भारती (पत्रिका), नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, अंक-162, सितंबर, 2022, पृष्ठ-9-10
 13. वैश्विकरण के दौर में हिंदी : सुखदेव सिंह मिन्हास, उमेश प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2022, पृष्ठ-102
 14. डॉ. अमरसिंह वधान का भाषा और संस्कृति चिंतन : डॉ. अनीता, अभिषेक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण-2016, पृष्ठ-87
- डॉ. नेमीचंद कुमावत, H. No. 16/3307, 100 फिट रोड, शारदा चौराहा के पास, हरि ओम नगर, भीलवाड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राजस्थान) पिन कोड नं. 311001, मो. नं. 92522-78880 E-mail ID- nemichandkum1977@gmail.com



हिंदी पत्रकारिता में समाज सुधारकों के योगदान का ऐतिहासिक अध्ययन

अंशु (विद्यार्थी), एम.ए. अंतिम वर्ष

शिव कुमार (सहायक प्रोफेसर)

मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

सारांश :-

हिंदी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। मैं इसमें व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग करूंगी इस शोध अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। शोध की अध्ययन में हम स्वतंत्रता संग्राम के समय की पत्रकारिता को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित करेंगे। प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का अखबार उदंत मार्तंड था। जो कि 30 मई 1826 को शुरू हुआ। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिह्नित किया था। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को धूमिल कर दिया था। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा चारों ओर लहरा रहा है। हिंदी पत्रकारिता में कई ऐसे उतार-चढ़ाव देखें। एक और ऐसा दौर भी आया जब पत्रकारिता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अंग्रेजी भाषा का बोलबाला बढ़ा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ भले ही 1857 के विद्रोह से हुआ हो पर इसके बीज अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से 19वीं सदी के पूर्वार्ध से ही डल गए थे। समाज को जागृत करके एवं स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में हिन्दी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मूल शब्द :-

हिंदी पत्रकारिता, भारतीय राष्ट्रीयता, समाज सुधारक, प्रिंट पत्रकारिता, स्वतंत्रता संग्राम।

उद्देश्य :-

- आजादी से पहले की पत्रकारिता का अध्ययन करना।
- भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा संचालित समाचार पत्र व पत्रिकाओं को उजागर करना।
- पत्रकारिता के साहित्य को संदर्भित करना।

प्रस्तावना :-

हिंदी पत्रकारिता की राह शुरू से ही बहुत संघर्षों से भरी रही है। जुगल किशोर शुक्ल की ओर से की गई नई पहल को ना ही तो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार की ओर से सहयोग मिला और पाठकों की कमी के चलते उन्हें इसे डेढ़ साल बाद दिसंबर 1827 को बंद करना पड़ा। हिंदी पत्रकारिता में अपने इतिहास में अनेक

उतार-चढ़ाव को देखा गया। यह समाचार पत्र पूर्ण रूप से भारत में अछूतों की स्थिति को समर्पित था। इसके बाद महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने हिंदी पत्रकारिता को नई पहचान दिलवाई और इससे सामाजिक उद्देश्य से जोड़कर आम जनता के बीच पहुंचाया। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई। भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब जन-जन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कई सामाजिक कुरीतियों का खात्मा किया। राजा राममोहन राय शुरुआत से हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ थे। 1816 में उनके घर में ऐसी हृदय को झंझोल देने वाली घटना हुई। राममोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु होने पर उनकी भाभी को भी उनके भाई की चिता पर जलाकर सती कर दिया गया। जिसके बाद से उन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ घूम-घूम कर प्रचार करना शुरू कर दिया। राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन तथा प्रकाशन का कार्य किया। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी; बांग्ला तथा उर्दू में अखबार निकालें। राजा राममोहन राय को आधुनिक में रूप के जनक भी माना जाता है। गांधी जी ने भी राजा राममोहन राय के तरह समाज सुधारक के रूप में पूरा सहयोग दिया। गांधीजी लोगों के विचारों को बदलना चाहते थे। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच मौजूद गलत-फहमियों को दूर करना चाहते थे। गांधी जी समझ गए थे कि अखबार उनके विचारों को फैलाने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकता है वह एक सफल पत्रकार थे। गांधीजी जेल में रहते हुए उन्होंने एक और साप्ताहिक पत्रकार हरिजन का प्रकाशन शुरू कर दिया यह अछूतों को समर्पित था। उनके खबरों में कभी कोई भी सनसनीखेज समाचार नहीं होते थे। वे बिना थके सत्याग्रह; अहिंसा; खानपान; प्राकृतिक चिकित्सा; हिंदू मुस्लिम एकता; छुआछूत; सूत काटने खादी; स्वदेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और निषेध पर लिखते थे। वे शिक्षा व्यवस्था के बदलाव और खानपान की आदतों पर जोर देते थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, भारतीय समाज कई सारी सामाजिक बुराईयों से घिरा हुआ था जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास आदि। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी अमानवीय प्रथाओं को पहचाना और इनके खिलाफ लड़ने का प्रण किया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का शिल्पकार और आधुनिक भारत का पिता माना जाता है।

1. कबीरदास :-

कबीरदास वह संत थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्मसमाज विचार से मेल खाने के कारण कबीर की वाणी का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उससे आजीवन प्रभावित भी रहे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था उनका एक विशेष संदेश था कि चाहे आप हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जाप करें किंतु सत्य यह है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता है। कबीरदास एक बहुत ही महान और जबरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे।

2. बाल गंगाधर तिलक :-

इन्होंने दर्पण नामक प्रथम मराठी पत्रिका आरंभ की। उन्होंने इतिहास और गणित से संबंधित विषय पर अनेक पुस्तकें लिखें। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक; समाज सुधारक; वकील और

एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। उन्होंने पूरे भारत के लिए सामान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की और कहां की समान ली थी कि समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुनाई जा सकती उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई।

3. सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले :-

भारत की प्रथम महिला शिक्षिका समाज सुधारी का एवं मराठी कवयित्री थी उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। महिलाओं को समान शिक्षा देने के लिए सावित्री बाई फुले ने प्रयास किया।

4. बाबा आमटे :-

डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे बाबा आमटे के नाम से ख्यात है। भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी थे। जिससे परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रम और समुदायों की स्थापना की इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक अन्य सामाजिक कार्यों वन्य जीवन संरक्षण नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख कार्य भी किए।

5. महात्मा बुद्ध :-

महान समाज सुधारक और दार्शनिक गौतम बुद्ध दुनिया को अपने विचारों से नए रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक वैज्ञानिक धर्मगुरु एक महान समाज सुधारक थे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुःख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु-बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है महात्मा बुद्ध ने सनातन धरम के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे :-

अग्निहोत्र तथा गायत्री मन्त्र, ध्यान तथा अन्तर्दृष्टि, मध्यमार्ग का अनुसरण, चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग

6. मदर टेरेसा :-

मदर टेरेसा जिन्होंने गरीब बीमार अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की, वे गरीबों और असहाय के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गईं। मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं है कि मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा के जीवनकाल में मिशनरीज़ ऑफ चौरिटी का कार्य लगातार किया।

7. महावीर :-

जैन ग्रन्थों के अनुसार समय-समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तीर्थकरों की संख्या चौबीस ही कही गयी है। भगवान महावीर वर्तमान अवसर्पिणी काल की चौबीसी के अंतिम तीर्थकर थे और ऋषभदेव पहले। हिंसा, पशुबलि, जात-पात का भेद-भाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो हैं :- अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य (अस्तेय), ब्रह्मचर्य। उन्होंने

अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धान्त दिए। महावीर के सर्वोदयी तीर्थों में क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएँ नहीं थीं। भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक-सी हैं इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसन्द हो। यही महावीर का 'जियो और जीने दो' का सिद्धान्त है।

8. महात्मा गाँधी :-

महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता का पहले उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना, उनमें वांछनीय उद्देश्यों को जागृत करना और सार्वजनिक दोषों को निर्भीकतापूर्वक प्रकट करना है। अर्थात् समाज को बदलना ही पत्रकारिता का दायित्व है। इन् उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता अपने दायित्वबोध से भावी पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित कर पायेगी।

9. स्वामी दयानंद सरस्वती :-

वेदों के अध्यापन में बहुत भरोसा रखते थे; इन्होंने एक नारा दिया थारू 'वेदों की लौटों'। मूर्तिपूजा और दूसरे अंधविश्वासों को फँलाने के लिये इन्होंने हिन्दू धर्म की विषय-वस्तु 'पूरन' की खिलाफत की है। वो हिन्दू धर्म के नाम पर जारी सभी गलत चीजों के खिलाफ बहस करते थे तथा हिन्दू दर्शन को पुनः प्रचारित करने का प्रयास करते थे। वो बेहद आक्रमकता से सभी सामाजिक बुराईयों जैसे जाति प्रथा आदि का विरोध करते थे लेकिन उनका मानना था कि ये पेशे और कार्य के आधार पर होना चाहिये। वो महिलाओं की शिक्षा के अधिकार तथा समान सामाजिक स्थिति के समर्थक और हिमायती थे साथ ही उन्होंने अस्पृश्यता और बाल विवाह आदि के खिलाफ अभियान भी चलाया। वो अंतर्जातिय विवाह और विधवा विवाह के समर्थक थे साथ ही शूद्रों और महिलाओं को वेदों को पढ़ने तथा उच्च शिक्षा की आजादी के भी समर्थक थे। अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की।

नका मुख्य लक्ष्य हिन्दू धर्म को प्रचारित करना और उनमें सुधार करना तथा सच्चे रूप में वैदिक धर्मों की पुर्नस्थापना करना था। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर एक समान करना तथा भारतीय सभ्यताओं और संस्कृति पर पश्चिमी प्रभाव पड़ने से रोकना। हालाँकि आर्य समाज के सभी अच्छे कार्यों के बावजूद वो अपने शुद्धी आंदोलन को लेकर विवादित भी हो गये थे जिसके तहत जो व्यक्ति दूसरे धर्मों में चला गया है वो हिन्दू धर्म में फिर से लौट सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी भारत की सामाजिक बुराईयों खासतौर से हिन्दू धर्म के अन्दर की बुराई को हटाने में इनका बहुमूल्य योगदान है; ये भारतियों को गर्व का अनुभव कराते हैं, एनीबेसेंट ने कहा था कि स्वामी जी एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह घोषणा की थी कि "भारत भारतियों के लिये है"।

10. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर :-

इनका मुख्य योगदान महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने में था; ये विधवा विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे; उन दिनों विधवाओं की स्थिति हिन्दूओं में बहुत दयनीय थी, महिलाओं के सम्मान के लिये विद्यासागर ने लगातार कार्य किया। इसके लिये इन्होंने विधवा पुर्नविवाह के लिये कानून बनाने की बात की; इस वजह से विधवा पुर्नविवाह एक्ट 1856 पास हुआ जिसने विधवाओं को दोबारा शादी करने की आजादी दी साथ ही उनसे होने वाले बच्चे को सही ठहराया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठायी और

कहा कि हिन्दू धर्म ग्रंथों में कहीं भी ये उल्लिखित नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यासागर का योगदान विशाल है; अपनी प्रसिद्ध किताब 'बर्नो पौरिचय' (अक्षरों का परिचय) को आसान बनाने के द्वारा आमजन के लिये बंगाली भाषा को शुद्ध किया और इसकी पहुँच बनायी। ये किताब आज भी बंगाली भाषा में उत्कृष्ट मानी जाती है। विद्यासागर अपनी दयालुता के लिये भी प्रसिद्ध थे; वो हमेशा गरीब लोगों की मदद के लिये तैयार रहते थे जो सड़कों के किनारे रहते थे। विद्यासागर जी ने राजा राम मोहन रॉय के शुरु किये गये समाज सुधार को जारी रखा तथा ब्रह्म समाज की गतिविधियों के साथ बनाये रखा।

परिकल्पना :-

- स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी पत्रकारिता बहुत महती रही है।
- हिंदी समाचार पत्र व पत्रकार भारतीयों द्वारा संचालित की गई थी।

सीमाएं :-

- इस शोध के अंतर्गत हम हिंदी समाचार पत्र व पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे।
- इस शोध अध्ययन में हम 1947 से पहले की पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे।

निष्कर्ष :-

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास न केवल समृद्ध है। बल्कि समय के साथ-साथ इन समाज सुधार को ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेक्नोलॉजी के अत्यधिक विकास और प्रयोग के बावजूद मुद्रित माध्यमों की मेहता तनिक भी कम नहीं हुई है प्रत्येक सामाजिक नीमच में साहित्यिक हिंदी पत्रकारिता की भूमिका और महत्व सदैव रहेगी।

संदर्भ सूची :-

1. <https://www.prabhasakshi.com/personality/raja-ram-mohan-rai-profile>
2. <https://www.hindikiduniya.com/general-awareness/social-reformers-of-india/amp/>



अतीत वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में हिंदी पत्रकारिता का अवलोकन : एक समालोचनात्मक अध्ययन

शिवकुमार, पीएच.डी. शोधार्थी

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

भूमिका :-

हिंदी पत्रकारिता भारत में सबसे अधिक प्रसारित होने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की पत्रकारिता को हम पत्रकारिता मिशन के रूप में व व्यवसाय के रूप में अध्ययन करेंगे। भारत में पत्रकारिता के आरंभ व वर्तमान समयके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस शोध अध्ययन के वर्णनात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हुए द्वितीय प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में हम प्रिंट पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के इतिहास का अध्ययन करके अवलोकन प्रस्तुत करेंगे। इस शोध अध्ययन में हिंदी पत्रकारिता के काल खंडों का अध्ययन करके हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। हिंदी पत्रकारिता वर्तमान में अन्य भाषाई पत्रकारिता में किस स्थान पर अपना अंक दर्ज कर रही है इसका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। हिंदी पत्रकारिता अब डिजिटल रूप में हमारे सामने है। अतीत में केवल मुद्रण पत्रकारिता का रूप हमने देखा, परंतु आज मुद्रण के साथ-साथ हम डिजिटल पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार न्यूज़ पोर्टल को भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व सुन रहे हैं। इस शोध अध्ययन में हम पत्रकारिता के काल को दो चरणों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला भाग आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की पत्रकारिता तथा दूसरा भाग स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया के आगमन से प्रिंट मीडिया के अस्तित्व पर तथा इसके स्वरूप में क्या-क्या बदलाव आए इस पर विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की गई है।

मूल शब्द- प्रिंट मीडिया, हिंदी पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता।

प्रस्तावना :-

भारत में पत्रकारिता का उदय ब्रिटिश कालीन समय में हुआ। पत्रकारिता समाज सेवा के रूप में अस्तित्व में आई। भारत में हिंदी पत्रकारिता की अनेक परंपराएं प्रचलित थीं। बनारस से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार था। जिसका प्रकाशन शिवप्रसाद सिंह के द्वारा 1845 में बनारस से प्रकाशित किया गया। इसे हिंदीभाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कह सकते हैं। श्री बृजेंद्र नाथ उपाध्याय ने अपने लेख हिंदी समाचार पत्रों की आरंभिक कथा में खुलासा किया कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार नहीं बल्कि कोलकाता से 30 मई 1826 ईसवी में शुरू हुआ उदंत मार्तंड है जो कि पंडित जुगल किशोर

शुक्ल के संपादन में संपादित किया गया। अतीत की पत्रकारिता सामाजिक सरोकार और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। परंतु जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो देश की पत्रकारिता के स्वरूप में भी परिवर्तन नजर आने लगे। आजादी प्राप्त होने के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम के मिशन पूरा होने पर देश की पत्रकारिता दिशाहीन दिखाई देने लगी। अब पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है पत्रकारिता को मीडिया हाउस के मालिकों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए व्यवसाय के रूप में इसे तब्दील कर दिया है। आजादी के बाद पत्रकारिता ने देश सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा देशभक्ति की भावना से अलग व्यवसायिक स्वरूप को अपना लिया है। वर्तमान में मीडिया मालिकों का उद्देश्य अधिक से अधिक पत्रकारिता के क्षेत्र में धनउपमार्जन करना है। इसी व्यवसायिक उद्देश्य के साथ मीडिया के क्षेत्र में टीआरपी को लेकर प्रतिस्पर्धा प्रत्येक समाचार पत्र तथा टेलीविजन चैनलों में नजर आने लगी। इसी प्रतिस्पर्धा ने प्रिंट मीडिया के स्वरूप को डिजिटल रूप में हमारे सामने खड़ा कर दिया। आज मुद्रण पत्रकारिता का डिजिटल स्वरूप यानी हार्ड कॉपी के साथ-साथ समाचार पत्र की सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी डिजिटल स्वरूप में संचालित किया जाता है।

शोध के उद्देश्य :-

- डिजिटल पत्रकारिता के मुद्रण पत्रकारिता पर प्रभावों का अध्ययन करना।
- भारत में हिंदीभाषी पत्रकारिता के कालक्रम विकास व इसके साहित्य का अध्ययन करना।
- स्वतंत्रता से पहले तथा स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता के स्वरूपों का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत करना है।

उपकल्पना :-

- वर्तमान समय में पत्रकारिता का स्वरूप पूर्ण रूप से बदल गया है।
- मुद्रण पत्रकारिता का स्वरूप डिजिटल रूप में हमारे सामने हैं।
- भविष्य में पत्रकारिता के मुद्रण स्वरूप का पतन निश्चित है।

शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में हमने शोध की वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया है। इस विधि के द्वारा हम शोध विषय की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस विधि में हम विषय से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं। बिना किसी बदलाव के हम जानकारियों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह विधि हमें क्या और कैसे का उत्तर प्रदान करती है। इसको हम परिणानात्मक प्रकृति का भी कह सकते हैं क्योंकि यह हमें निष्कर्ष प्रदान करती है।

रोबसन के अनुसार – वर्णनात्मक शोध विधि किसी भी विषय की, घटना की, स्थिति की छवि बना देती है।

यिन के अनुसार— वर्णनात्मक शोध विधि हमें निष्कर्ष या अंत तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है ना कि यह किए शोध का अंत होती है।

शोध सीमाएं :-

- इस अध्ययन में केवल हिंदी के समाचार पत्र व पत्रिकाओं को शामिल किया गया है।
- भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों के अतीत का, वर्तमान का व भविष्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

— इस शोध अध्ययन में हम आजादी से पहले तथा आजादी के बाद की पत्रकारिता का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे।

अतीत की पत्रकारिता :-

प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होने से पहले कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र मुद्रित होते थे। हिंदी भाषा के पाठक सर्वाधिक होने के पश्चात भी हिंदी का कोई अपना समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। हिंदी भाषा की भारत में लोकप्रियता, अत्याधुनिक ज्ञान, वर्तमान संदर्भ तथा सूचनाओं से जोड़ने की महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप ही पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र का मूल उद्देश्य था कि हिंदी भाषी समाज में स्वतंत्र चिंतन जैसी दिव्य दृष्टि प्रदान करके राष्ट्र को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस समाचार पत्र में इसकी प्रतिज्ञा प्रकाशित करते हुए कहा गया कि यह समाचार पत्र हिंदुस्तानियों के हित हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक लॉर्ड हेस्टिंग्स का भारत के समाचार पत्रों के प्रति तौर तरीका नरम व मानवीय था। इसके बाद जब एडम को वायसराय बनाया गया। जिसने भारतीय प्रेस की स्वायत्तता खत्म करने के उद्देश्य से लाइसेंस प्राप्त करना प्रत्येक समाचार पत्र व पत्रिकाओं के लिए आवश्यक कर दिया। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पंडित जुगल किशोर ने हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया। ऐडम्स ने सभी सरकारी दफ्तरों को लिखित आदेश जारी किया कि अंग्रेजी, फारसी एवं बांग्ला भाषा के समाचार पत्रों को वार्षिक मूल्य देकर खरीद लिया जाए। इसके पश्चात पंडित जुगल किशोर ने ब्रिटिश शासक ऐडम्स को पत्र व्यवहार द्वारा लिखा कि आप हिंदी भाषा के इस एकमात्र समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करके इसके निरंतर प्रकाशन में सहयोग करें। भारत सरकार ने इस समाचार पत्र की स्मृति में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाने की घोषणा की ताकि इस दिन हिंदी पत्रकारिता के प्रख्यात पत्रकारों के योगदान एवं त्याग को समृद्ध किया जाए जा सके।

वर्तमान पत्रकारिता ने समय-समय पर जनता की निरंतर बढ़ती बदहाली, साम्राज्यवादी, पाखंड, रंगभेद, नस्ल तथा राक्षसी चरित्र से जनता को चेताया। 19वीं सदी में बंगाल में आंख खोलने के कुछ समय में पत्रकारिता स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार, धर्म प्रचार व राजनीति का मुख्य साधन बन गई। इस समय की पत्रकारिता को जनकल्याण, देश भक्ति, राष्ट्रवाद, स्वराज और जनकल्याण से ओत-प्रोत कह सकते हैं। उस समय की पत्रकारिता ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाने और उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जनता में राष्ट्रवाद व देशभक्ति की भावना जगाने वाली भावना से ओतप्रोत थी। पत्रकारिता का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के मिशन को आगे बढ़ाना था। हिंदी पत्रकारिता ने अपने उद्भव काल से ही जन जागरण का संदेश देना शुरू किया। इस काल में गरीबी, दहेज समस्या आदि पर पत्रकारिता का मुख्य फोकस रहता था। इस काल में पत्रकारिता आंदोलनों व अभियानों के वाहन के रूप में थी। भारतेंदु हरीश चंद्र ने पत्रकारिता के माध्यम से भारतवासियों को निज भाषा और स्वदेशी के प्रति आकर्षण पैदा किया। भारतीय प्रेस ने आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में तो बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जागरण में भी अहम भूमिका निभाई।

भारत में अंग्रेज अधिकारियों ने प्रथम समाचार पत्र कोलकाता गजट जोकि हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता था। कोलकाता से प्रकाशित इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश सरकार की भ्रष्टाचार व घोटाले की नीतियों को उजागर करने का बेहतरीन काम किया था। अतः यह भी कहा जा सकता है कि अपने जन्म काल से ही

भारतीय पत्रकारिता ने सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए जन्म लिया है। भारत में 19वीं सदी के प्रारंभ से इसे नवजागरण काल भी कह सकते हैं। कुछ समय पूर्व इसे पत्रकारिता का पुनर्जागरण काल नाम भी दिया जाता रहा है। पत्रकारिता का नवजागरण काल अठारह सौ सत्तावन के बाद रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती के कार्यकलापों से जुड़ा कालखंड था। जिसे सैयद अहमद, राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने बीसवीं सदी में प्रवेश के लायक बनाया था। अपने शिखर काल में यह देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्र केशवचंद्र, अरविंद्र गोखले और तिलक आदि से होते हुए आखिरी महामानव महात्मा गांधी तक पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे जैसे व्यक्तित्व के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर, कृपलानी, जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तित्व भी किसी न किसी रूप में पत्रकारिता क्षेत्र में समाहित दिखाई देते हैं।

डॉ. संजीव भानावत का हिंदी काल विभाजन :-

- भारत में पत्रकारिता का ऐतिहासिक विकास 1820—1900
- भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका 1900—1941
- स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पत्रकारिता 1947 से अब तक।

आजादी के बाद की पत्रकारिता :-

पत्रकारिता को मिशन मानने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाली तमाम गिरावट के लिए प्रोफेशनवादियों को जिम्मेदार मानते हैं। पत्रकारिता को व्यवसाय मानने वालों ने पत्रकारिता को पूंजीपति और नेताओं का दलाल बना दिया है। वर्तमान में पत्रकारिता ने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवा भावना को भूलकर पैसों के लिए एवं मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पत्रकारिता को व्यवसाय मानने वाले मिशनवादी पत्रकारिता को आधुनिक पत्रकारिता के विकास में बाधक मानते हैं। आज कोई भी समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए व्यवसायीकरण के नाम पर अपसंस्कृति को बढ़ावा देने वाले उदाहरण मिल जाएंगे। खबरों को मिर्च मसाला लगाकर, तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके पाठकों के समक्ष परोसा जा रहा है। व्यवसाय के नाम पर पत्रकारिता किसी पार्टी या नेता की प्रवक्ता बन गई है। आजादी से पहले की पत्रकारिता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली राष्ट्रवादी विचारधारा जो कि एक मिशन के रूप में देश को आजाद कराना चाहती थी। दूसरी एंग्लो सेक्शन प्रेस यह विदेशी कंपनियां थी। जो कि सत्ता समर्थक थी।

आजादी के बाद एंग्लोसेक्शन विचारधारा के पत्र सत्तारूढ़ सरकार के नजदीक होने लगे। आज पत्रकारिता में सरकार के किसी कार्यक्रम की प्रशंसा को चाटुकारिता माना जाता है। आज प्रेस के आलोचनात्मक पक्ष को ही निष्पक्ष प्रेस माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप वह विकास इसके अतीत और उसके परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत विकासशील देश है और विकसित देश बनने की डगर पर दौड़ रहा है। वह भविष्य में भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप भी इसकी विकसित अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है। आजादी के पश्चात दोनों विचारधाराओं के व्यक्ति अब प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं समान धर्म प्रतिष्ठान के रूप में आमने-सामने खड़े थे। अब राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए कि समाचारों में निष्पक्षता होने अनिवार्य है। इसके लिए व्यवसायीकरण स्वरूप जरूरी है। इधर व्यवसायीकरण विचारधारा वालों ने प्रोफेशन का मतलब अपने दायित्वों से बचने की आजादी, सत्ता की चापलूसी करने की आजादी, बिना उद्देश्य

की पत्रकारिता, बिना सामाजिक उत्तरदायित्व की पत्रकारिता आदि के द्वारा जनता से जुड़ने की कोशिश की।

निष्कर्ष :-

अतीत की पत्रकारिता सामाजिक उत्तरदायित्व तथा देश सेवा की भावना से ओतप्रोत एक मिशन के रूप में कार्य करती थी। परंतु भारत की आजादी के पश्चात विकास एवं तकनीकी क्रांति के कारण इसने अपना स्वरूप बदलकर डिजिटल करके व्यवसायिक उद्देश्य एवं मुनाफे के रूप में कार्य किया। आज पत्रकारिता का स्वरूप भारत में तकनीकी क्रांति के साथ ही डिजिटल तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में तब्दील हो गया है। भारतीय पत्रकारिता के हिंदी भाषी स्वरूप को अनेक मीडिया विद्वानों ने अपनी सुविधा अनुसार अनेक काल खंडों में विभाजित किया। जैसे भारतेंदु युग पुनर्जागरण योग स्वतंत्रता से पहले की पत्रकारिता स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता आदि हिंदी के गद्य लेखकों, पद लेखकों, साहित्यकारों तथा समाज सुधारकों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में जन जागरण तथा देशभक्ति की भावना के लिए जनता को जागरूक करने के लिए अनेक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशन किया।

भारतीय पत्रकारिता हिंदी साहित्य के गर्भ में पली-बढ़ी और वर्तमान में एक स्वतंत्र विषय के रूप में आज महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन की जाती है। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप मुद्रण से आज डिजिटल स्वरूप में हमारे सामने मौजूद है। अतः यह परिकल्पना हमारी सत्यसिद्ध होती है कि वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप अतीत की पत्रकारिता से बिल्कुल भिन्न है। अतीत में पत्रकारिता का स्वरूप मुद्रण के रूप में विकसित था, परंतु आज मुद्रण के साथ-साथ यह डिजिटल रूप में भी हम तक पहुंच स्थापित कर चुका है। जो कि इस परिकल्पना को सार्थक सिद्ध करता है कि मुद्रण पत्रकारिता का स्वरूप डिजिटल स्वरूप में बदल गया है।

सुझाव :-

इस विषय पर प्राथमिक रूप से अर्थ साक्षात्कार आयोजित करके तथा प्रश्नावली टूल्स का प्रयोग करके प्राथमिक आंकड़ों के माध्यम से भी भविष्य में अध्ययन किया जा सकता है।

भारतीय पत्रकारिता में हिंदी भाषी पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं बंगला, अवधि, कन्नड़, तमिल आदि भाषाई पत्र-पत्रिकाओं को भी अध्ययन के रूप में शामिल किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. हिंदी पत्रकारिता : संवाद एवं विमर्श (2017) कैलाश नाथ पांडे, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद।
2. मीडिया के पचास वर्ष, प्रेमचंद पतंजलि, विजेंद्र कुमार, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. कम्युनिकेशन टुडे (त्रैमासिक पत्रिका) संपादक संजीव भानावत राजस्थान।
संचार माध्यम, संपादक संजय द्विवेदी आई.आई.एम.सी नई दिल्ली।

ईमेल— Shivkumar8536@gmail.com

दूरभाष सम्पर्क— 9034502160



असम में हिंदी शिक्षण : एक अनुशीलन

दिगंत बोर

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, जे.डी.एस.जी. महाविद्यालय, बोकाखात।

शोध सारांशिका :-

भाषा शिक्षण अपने आपमें एक कठिन कार्य है। किसी भी भाषा को सीखना आसान नहीं होता है। विशेष रूप से उस भाषा को सीखना आसान नहीं है, जो मातृभाषा से अलग होती है। पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्य हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्य हिंदीतर भाषी हैं। सभी की मातृभाषाएँ अलग अलग हैं। इसी तरह असम राज्य की मातृभाषा असमिया है। जिस कारण से असम में हिंदी भाषा शिक्षण में अनेक समस्याएँ आती हैं। जैसे- उच्चारण की समस्या, प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर अच्छे शिक्षकों की कमी, मातृभाषा का प्रभाव, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और मातृभाषा होना, अभ्यास की कमी आदि। यदि समस्या है, तो उन समस्याओं के समाधान भी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना अत्यावश्यक है। हिंदी भाषा को प्राथमिक स्तर से ही एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को हिन्दी भाषा एक बोझ नहीं बल्कि एक आवश्यक भाषा के रूप में सीखने में सहायता मिले। हिंदी के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न करने से हिंदी भाषा शिक्षण की समस्या का समाधान हो सकता है। हिंदी भाषा बोलने-सीखने के लिए एक उपयुक्त परिवेश तैयार करने से असम में हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याओं का समाधान हो सकता है।

बीज शब्द :- असम, मातृभाषा, शिक्षा, अभ्यास, प्रशिक्षण, सामाजिक, द्विभाषी, ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, भाषिक आदि।

प्रस्तावना :-

भाषा इस धरती पर होने वाला सबसे बड़ा आविष्कार और सामाजिक उपलब्धि है। एक मानवीय उपलब्धि होने पर भी वह हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन को अद्भुत ढंग से रचाती है और हमें शक्ति सम्पन्न बनाती है। भाषा संचार का साधन है तथा सूचना एवं ज्ञान के संरक्षण का उत्कृष्ट माध्यम है। वह ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना सम्भव बनाती है। भाषा प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी होती है और उस समाज के अस्तित्व के साथ जुड़ चुकी है। भाषा किसी भी समाज की पहचान होती है। आज कई भाषाएँ मर रही हैं क्योंकि उनके बोलनेवाले मर रहे हैं। वस्तुतः भाषाएँ एक पदानुक्रम में जीती हैं और एक शक्ति सम्पन्न भाषा दूसरी कम शक्ति सम्पन्न भाषा को दबा देती है। समाज में भाषा की शक्ति के साथ जुड़ना उसे सीधे-सीधे सामाजिक न्याय के प्रश्न के साथ जोड़ देता है। अक्सर भाषाओं के प्रयोक्ता का हैसियत और प्रतिष्ठा भाषा की हैसियत और प्रतिष्ठा बन जाती है। कुछ बिरले अपवाद हो जाते हैं- जैसे तुलसी

दास ने रामचरित मानस को अवधी में लिखा और अभिजात्य से न जुड़कर भी वह ऊँची प्रतिष्ठा पा सकी। आज के जमाने में आमतौर पर भाषा का भविष्य और क्षमता उसके प्रयोक्ता पर ही निर्भर करता है। भारत में प्रायः लोग एक से अधिक भाषाएँ बोलते हैं या कहे द्विभाषी या बहु भाषा-भाषी हैं। लोग भिन्न-भिन्न भाषाओं का उपयोग अलग अलग मौकों पर करते हैं।

भाषा शिक्षण अपने आपमें एक कठिन कार्य है। किसी भी भाषा को सीखना आसान नहीं होते हैं। विशेष रूप से उस भाषा को सीखना आसान नहीं जो मातृभाषा से अलग होती है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य हिंदीतर भाषी हैं। सभी की मातृभाषाएँ अलग अलग हैं। असम राज्य की मातृभाषा असमिया है। जिस कारण से असम में भी हिंदी भाषा शिक्षण में अनेक समस्याएँ सामने आती हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

उच्चारण की समस्या :- असम में हिंदी भाषा शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है – उच्चारण की समस्या। असम अहिंदी भाषी राज्य है। जिस कारण से हिंदी और असम की भाषाओं के उच्चारण शैली में भिन्नता आती है। असम की मातृभाषा अलग होने के कारण यहाँ के लोगों द्वारा हिंदी बोलने पर हिन्दी शब्दों के उच्चारण में अपनी मातृभाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदी के अनेक व्यंजनों के उच्चारण असम की भाषाओं से भिन्न है। असम की मातृभाषा असमिया है। इसी कारण असमिया भाषा के शब्द और हिंदी शब्दों के उच्चारण में भिन्नता आती है। असम में 'च' का उच्चारण 'स' किया जाता है। जैसे – 'चाय' शब्द का उच्चारण असम की असमिया भाषा में 'साय' होता है। 'स', 'छ', 'श', 'ष', 'क्ष' शब्दों का उच्चारण असमिया भाषा में क्रमशः इस प्रकार है— 'ह', 'स', 'ह', 'ह', 'ख'। जिस कारण से हिन्दी के शब्दों को उच्चारण करने में भिन्नता आती है। वे क्षेत्र शब्द का उच्चारण खेत्र के रूप में करते हैं। इस तरह उच्चारण में अनेक भिन्नता दिखाई पड़ती है। जिस कारण से यहाँ के छात्रों को शुद्ध हिंदी भाषा शिक्षण में समस्या का सामना करना पड़ता है।

शिक्षकों की कमी :- असम में हिंदी भाषा शिक्षण की एक समस्या है अच्छे शिक्षक का अभाव। असम में हिंदी शिक्षण के लिए अच्छे शिक्षक का अभाव या यँ कहे कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। जिस कारण से असम के छात्र सही-सही सीख नहीं पाते हैं। यदि शिक्षक ही त्रुटिपूर्ण उच्चारण करेंगे तो छात्र भी सुनकर शिक्षक का अनुकरण कर वैसा ही परिणाम देंगे। शिक्षक को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक के लिखने में शुद्धता है और बोलने में अशुद्ध है। इससे छात्र इन्हीं अशुद्ध रूप को लिखित रूप देते हैं। इसी कारण अच्छे और प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव असम में हिंदी भाषा शिक्षण में एक समस्या के रूप में आती है।

मातृभाषा का प्रभाव :- असम में हिंदी शिक्षण की एक चुनौती यह है कि हिंदी असम की मातृभाषा नहीं है। जिस कारण हिंदी शिक्षण में छात्र-छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मातृभाषा से इतर भाषा सुनकर समझी जाती है और बोली जाती है। इसके लिए प्रयास एवं चेष्टा की आवश्यकता होती है। मातृभाषा से इतर भाषा का अर्जन एवं अधिगम 'एक कृतिम एवं प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है'। मातृभाषा से इतर भाषा के कौशलों को प्रयासपूर्वक सीखना पड़ता है। मातृभाषा से इतर भाषा में पहले पढ़ने का अभ्यास होता है फिर बोलने का। जबकि मातृभाषा के प्रति ऐसा नहीं। हिंदी इतर भाषा होने के कारण छात्र हिंदी की उच्चारण शैली, बोलने की शैली आदि अनुकरण नहीं कर पाते हैं। मातृभाषा के गठन का प्रभाव अन्य भाषा के अध्ययन में भी पड़ता है। जिस कारण से असम की हिन्दी में असमिया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है।

शिक्षा का माध्यम :- शिक्षा का माध्यम भी असम में हिंदी भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। असम में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जितनी अंग्रेजी को दी जाती है। ऐसे कई विद्यालय हैं जहाँ पर केवल अंग्रेजी में ही बात कर सकते हैं, हिंदी में बात करना मना है। जिस कारण से छात्र हिंदी सीख नहीं पाते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में बात करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक छात्र उस भाषा में बात नहीं करेंगे, उस भाषा से सम्बंधित ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तब तक छात्र उस भाषा को सीख नहीं पायेंगे। असम में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने के कारण स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई एक अनिवार्य विषय नहीं है।

अभ्यास की कमी :- अभ्यास की कमी किसी भी भाषा शिक्षण के लिए एक चुनौती है। असम में छात्र हिंदी पढ़ तो लेते हैं परंतु बोलने में संकोच करते हैं या एक ऐसा माहौल ही नहीं मिलता है जिस कारण से छात्र बोलने का अभ्यास नहीं कर पाता है। विशेष रूप से असम में एक ऐसा परिवेश नहीं है जहाँ पर छात्र एक दूसरे से हिंदी में बात कर सकें। हिंदी बोलने का अभ्यास कर सकें। असम की असमिया भाषा और हिंदी की उच्चारण शैली अलग अलग होने के कारण छात्र हिंदी में बात करने में संकोच करता है। किसी भी भाषा शिक्षण के लिए बोलने का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी भाषा सीखना असम्भव है।

अंग्रेजी का महत्व :- आज अंग्रेजी भाषा को उच्च और अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को हीन समझी जाती है। इसी भावना के कारण लोग हिंदी बोलने में भी संकोच करते हैं। क्योंकि हिंदी बोलने पर उसे भी हिंदी की तरह ही हीन या गँवार समझे जायेंगे। इस कारण से हिंदी शिक्षण में समस्या आ रही है। जब तक लोगों के मन में यह भावना बनी रहेगी तब तक अंग्रेजी का महत्व हिंदी शिक्षण के लिए एक चुनौती है।

पाठ्य-पुस्तक की समस्या :- असम में हिंदी शिक्षण की एक बड़ी समस्या है पाठ्य-पुस्तक का अभाव। असम में हिंदी पुस्तकों का मिल पाना बहुत ही कठिन है। वैसे हिंदी पुस्तक तो मिल जाती है, जो विषय पुस्तक है वे नहीं मिलती है। ऐसे कई छात्र हैं जो हिंदी को स्नातक के स्तर पर मुख्य विषय के रूप में पढ़ना तो चाहते हैं। परंतु पुस्तकों की अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं।

बोलने में संकोच :- भाषा ऐसी होती है, जिसे बोलने का जितना प्रयास किया जाय उतनी ही अच्छी तरह से बोल सकते हैं। असम के सभी लोग अपनी मातृभाषा ही बोलते हैं। जिस कारण से वे हिंदी बोलने में संकोच करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उच्च शिक्षित हैं परंतु संकोच की वजह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। कई लोग यह भी सोचते हैं कि गलत बोलने पर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे आदि। जब तक हिंदी बोलेंगे नहीं हिंदी सीखेंगे कैसे। इसी संकोच के कारण हिंदी शिक्षण में समस्याएँ आती हैं।

समाधान :-

असम राज्य में हिन्दी भाषा शिक्षण में अनेक समस्याएँ सामने आती हैं। परंतु उन समस्याओं का समाधान भी है। असम में हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित हैं :-

अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण :-

असम में हिंदी शिक्षण की चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। ताकि शिक्षक भाषा सम्बंधी अशुद्धियों को दूर कर सकें और हिंदी को अच्छी तरह से उच्चारित कर सकें। हिन्दी भाषा में अपनी अच्छी पकड़ बना सकें।

हिंदी के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना :-

जब तक असम में हिंदी के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार नहीं होगा तब तक चुनौतियाँ आती ही रहेगी। जब तक छात्रों को हिंदी में बात करने के लिए माहौल नहीं मिलेगा तब तक छात्र हिंदी को अच्छी तरह से सीख नहीं पायेंगे। बोलने से ही हिंदी बोलने की झिझक दूर हो सकेगी।

हिंदी को आवश्यक विषय बनाना :-

हिंदी को कम से कम स्कूलों में एक आवश्यक विषय बनाना चाहिए ताकि हर कोई हिंदी पढ़ सके। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही हिंदी के स्वर-व्यंजन की शिक्षा देना आवश्यक है। जब प्राथमिक स्तर से ही हिंदी की शिक्षा दिये जायेंगे तब छात्र हिंदी को सही और शुद्ध रूप में सीख पायेंगे।

व्याकरण की शिक्षा :-

शिक्षक और छात्रों को व्याकरण के शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। ताकि वह हिंदी के व्याकरण को शुद्ध रूप में सीख पाये। व्याकरण के ज्ञान न होने से न तो शिक्षक शुद्ध पढ़ा पायेंगे और न ही छात्र पढ़ सकेंगे।

हिंदी को रूचिकर बनाना :-

हिंदी को रूचिकर बनाना चाहिए ताकि बच्चों की रूचि बढ़े और हिंदी शिक्षण में आग्रह दिखाए। इसके लिए प्राथमिक स्तर के हिंदी पाठ्य-क्रम को रंग-बिरंगी बनाने के साथ साथ उदाहरण के लिए कार्टूनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे रूचि के साथ पढ़ें। विद्यालयों की पाठ्य सामग्री परिवेश की प्रकृति, सभ्यता-संस्कृति और भाषिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। मानक उच्चारण का ज्ञान देनेवाला कैसेट हर शिक्षण संस्था में उपलब्ध करना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि असम में हिंदी शिक्षण की अनेक चुनौतियाँ हैं। जिसमें उच्चारण की अशुद्धियाँ, मातृभाषा के प्रति अधिक लगाव, अंग्रेजी का महत्व आदि। इन चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षक को अपने त्रुटिपूर्ण उच्चारण के लिए सावधान रहना होगा। शिक्षक सही बोलेंगे, सही सुनेंगे, छात्रों को बातचीत के समय आपस में एक-दूसरे की त्रुटियों को प्रेमपूर्वक बताने लिए प्रोत्साहित करेंगे तो शीघ्र ही निर्दोषता बढ़ेगी और भाषा शिक्षण सफलता की ओर बढ़ सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरुणाचल प्रदेश में हिंदी अध्ययन के नए आयाम, डॉ. श्याम शंकर सिंह, साहित्य सहकार- नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, २०१२
2. पूर्वोत्तरीय राज्यों में हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास, डॉ. हरेराम पाठक, अनंग प्रकाशन- नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२
3. हिंदी साहित्य को हिंदीतर प्रदेशों की देन, सं. मलिक मोहम्मद , राजपाल एंड संस-नई दिल्ली, संस्करण १९६७
4. अरुणाचल प्रदेश में हिंदी अध्ययन के नये आयाम, डॉ. श्याम शंकर सिंह, पृष्ठ 37
5. अरुणाचल प्रदेश में हिंदी अध्ययन के नये आयाम, डॉ. श्याम शंकर सिंह, पृष्ठ 40
6. वही, पृष्ठ 40

मेल: borahd52@gmail.com



भूमंडलीकरण और हिंदी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का कथेतर लेखन

ज्योति सिंह

पीएचडी शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

शोध लेख सार :-

हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन का दौर बहुत देर से आया। 1990 में जब भूमंडलीकरण का समय आया तब एक साथ बहुत सारी स्त्रियों ने चाहें वह मध्य वर्ग से हो या निम्न या उच्च सभी ने अपनी जगह से उखड़कर महानगर की तरफ अपना रुख किया और अपनी पहचान की तरफ एक दौड़ में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया। कभी डिग्री के लिए कभी रोजगार के लिए, कभी अपने परिवार के साथ या कभी अपने परिवार को छोड़ रोजगार-काम और अपनी पहचान की तलाश, कई स्त्रियों ने अपने पति के साथ ये सफ़र तय किया तो किसी ने बिना किसी हमसफ़र के। इस लेख के अंतर्गत भूमंडलीकरण का दौर कैसे भारत और विश्व में प्रवेश करता है और उस भूमंडलीकरण के दौर में प्रत्येक वर्ग, नस्ल, जाति-धर्म की स्त्रियों का क्या संघर्ष रहा है, इस पर संक्षिप्त चर्चा है इसके अतिरिक्त विशेष लेख इस विचार पर आधारित है कि भूमंडलीकरण का दौर आने पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी स्त्री रचनाकारों ने किन-किन विधाओं में हस्तक्षेप किया और अपने लेखन को एक नया आयाम और दिशा प्रदान की, अपनी एक भाषा-शैली को जन्म दिया, और स्त्री दृष्टि को समाज के सामने रखने की हिम्मत दिखाई।

लेख :-

यह कहना गलत नहीं होगा कि बीसवीं शताब्दी से साहित्य में और समाज स्त्रियों की स्थिति पर सदैव विचार हुआ है और इसकी पहल 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने कर दी थी। समाज में कोई भी क्रांति एक दिन में ही नहीं आती, उसकी भूमिका और उसके प्रति विचार-विमर्श धीरे धीरे समाज, साहित्य और प्रत्येक क्षेत्र में चलते रहते हैं, तब जाकर एक सफल क्रांति और परिवर्तन आने वाले समाज और पीढ़ी को दिखाई देता है। राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले आदि ने महिला शिक्षा और महिला उत्थान का समर्थन किया और महिला पक्षधरता के लिए सकारात्मक धरातल तैयार किया। 1909 में इलाहाबाद में पहली बार रामेश्वरी नेहरू में प्रयाग महिला समिति का गठन किया और इसी के साथ एक गंभीर पत्रिका 'स्त्री दर्पण' निकालना शुरू किया। यह पत्रिका हिंदी प्रदेश में स्त्री-आन्दोलन की सबसे मुख्य पत्रिका बनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसान आन्दोलन साहित्य की तरह स्त्री साहित्य की भी रचना होनी प्रारंभ हो गयी। स्त्रियों ने आगे बढ़ कर अपनी समस्याओं पर बहस चलायी व साहित्य लिखा। पूरे भारत स्तर पर नहीं तो स्थानीय स्तर पर

संगठन बने और स्त्रियों से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य प्रकाशित होने लगा। जिसके फलस्वरूप 20वीं शताब्दी का अधिकांश साहित्य दूसरी तरह से लिखा गया, साहित्य में स्त्री पात्र को भी उजागर किया गया, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र की धनिया, निर्मला, जैनेंद्र की मृगाल और सुनीता, यशपाल की तारा और कनक, अज्ञेय की शशि और रेखा, भगवतीचरण वर्मा की चित्रलेखा, अमृतलाल नगर की माधवी और प्रेमचंद्र युगीन साहित्यकारों के कहानी, नाटकों, काव्य रचनाओं और उपन्यासों में स्त्री पात्रों का महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया। लेकिन स्त्री को महज पात्र या विषय वस्तु बन कर रहना स्वीकार न रहा, और शिक्षा के माध्यम से उसकी चेतना का विकास हुआ, अपने अस्तित्व और स्वाभिमान और सहानुभूति पर उसने स्वयं विचार करना प्रारम्भ किया। और उसके लिए कलम उठाना आवश्यक हो गया, जब स्त्री को लगा कि उसकी आज़ादी संकट में है, उसने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का बीड़ा स्वयं उठाया इसलिए स्त्री-लेखन का मूल स्वर प्रतिरोध ही रहा। स्त्री लेखन एक विस्फोट की तरह आरम्भ हुआ।

स्त्री वर्तमान समय और समाज के साथ अपने सम और विषम संबंधों को समझने की भरपूर कोशिश करती रही है और इसी कोशिश और सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने की छटपटाहट स्त्री के अन्दर युगों से चली आ रही है। जो समय-समय पर साहित्य में भी दिखाई देता प्रतीत होती रही है, चाहे वह वर्तमान का समय रहा हो या आज़ादी से पूर्व का या हमारे भारत वर्ष के प्राचीन साहित्य। प्राचीन काल की 'थेरी गाथाएं', फिर एक लम्बे समय के पुरुष रचनाकारों के लेखन में स्त्री पात्रों की गिनती, फिर उसी साहित्य में पुरुष लेखकों द्वारा स्त्री संवेदना और सहानुभूति व पीड़ा को व्यक्त करना और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी पुण्य की भागिदारी वही स्त्रियाँ बनी जो पुरुषों के पीछे रही। किन्तु बीसवीं सदी के अंत होते-होते जब पूरा विश्व एक होने के बिंदु पर आ मिला तब स्त्रियों की एक टुकड़ी सामने आई, और साहित्य यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सुभद्रा कुमारी जिन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति को स्थान दिया, महादेवी वर्मा जिन्होंने स्त्री-संवेदना और पीड़ा को व्यक्त किया फिर मन्नू भंडारी जिनके सम्पूर्ण साहित्य में स्त्री-विमर्श दिखाई देता है और इसके बाद महाश्वेता देवी, तसलीमा नसरिन, प्रभा खेतान, रमणिका गुप्ता, ममता कालिया सभी ने स्त्री-जीवन के संघर्ष का वृत्तांत लिखा। और इन सभी स्त्री रचनाकारों ने एक समृद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के सामने रख दिया। इन सभी सकारात्मक साहित्य रचनाओं के कारण अन्य स्त्री रचनाकारों के अन्दर अस्तित्व की चेतना जगाई। और स्त्री जाग्रति की चेतना की भूमिका बनने का पहला चरण यही समय रहा, जिसका परिणाम धीरे धीरे पनपते हुए 1990 में आये भूमंडलीकरण के दौर में दिखाई देता है, जब स्त्री लेखन हर विधा में दिखाई देता है जिसमें कथा साहित्य के साथ-साथ कथेतर में भी हस्तक्षेप हुआ। जहाँ स्त्री रचनाकारों ने उपन्यास, कहानी, कविता के साथ-साथ जीवनी, पात्र-साहित्य, साक्षात्कार, आत्मकथा, यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण जैसी सभी कथेतर विधायों को स्त्री-लेखन से समृद्ध किया, यहाँ इन सभी स्त्री-रचनाकारों ने पाठकों को स्त्री-लेखन के साथ-साथ स्त्री-दृष्टि से भी अवगत कराया।

हजारों वर्ष पहले जब गृहस्थी में उत्पीड़न, उपेक्षा और उपालम्भ से तंग आकर स्त्रियां पिंजरा तोड़ कर बौद्ध भिक्षुणी बनने को तत्पर हुईं तब उन्होंने अपना विरोध और प्रतिरोध तरह-तरह की अस्फुट तुक बंदियों में प्रकट किया था। कितनी भी शताब्दियों के पीछे झांककर देखें, स्त्री की जुबान तब खुली जब प्रतिरोध के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। स्त्री का अपनी स्थिति, उपस्थिति और परिस्थिति पर विचार और अभिव्यक्ति ने लेखन

में नारीवाद को जन्म दिया। पहली बार उसके उठाए सवालों पर लोगों की नजर पड़ी। बहुत से प्रगतिशील उदारवादी लेखकों ने आगे बढ़ कर स्त्री का पक्ष सामने रखते हुए रचनाएं दीं जिनमें प्रेमचंद्र, यशपाल, भीष्म साहनी प्रमुख थे। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ स्त्रियों में आजादी की चेतना और अभिव्यक्ति का साहस जागा। वे स्वयं अपनी बात करने को आतुर हुईं। मौलिक रूप से नारीवाद कोई ज्वलनशील विषय नहीं है। स्त्री सदैव से यही चाहती रही है कि स्त्री-पुरुष के बीच समाज में समानता हो। घर में दोनों का स्थान बराबर हो। रोजगार के हम सबको बराबर अवसर मिलें। प्रायः इस आदर्श स्थिति को अर्जित करना आसान नहीं होता। आदर्श और यथार्थ के फासले से ही सारे गम के फसाने जन्म लेते हैं। सामाजिक विसंगतियों पर, संबंधों की विषमताओं पर सीमाओं पर बीसवीं शताब्दी में विपुल लेखन हुआ।

महादेवी वर्मा से लेकर मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मधु कांकरिया तक और सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर चंद्रकिरण सोनरेक्सा, उषा प्रियंवदा, नमिता सिंह, मृणाल पाण्डे और गीतांजलि श्री तक एक सशक्त श्रृंखला बनती गई। आज के लेखन में व्यक्तिगत हिसाब किताब चुकता करने की गरज से आक्रोश का कैप्सूल खिलाया जा रहा है, दफ्तरों के काइयां समीकरणों का निपटारा पारिवारिक संतुलन समाप्त करके किया जा रहा है। हैरानी तब बढ़ जाती है जब अनुभवी लेखिकाएं अल्हड़ लड़कियों की तरह देह प्रधान विषय उठा कर स्त्री-प्रश्नों की मौलिक गंभीरता को नष्ट करती हैं। वे ऊपर से स्त्री के पक्ष किंतु अंतर्मन से स्त्री के विपक्ष में खड़ी दिखती हैं। जख्मी औरत फिल्म की नायिका की तरह वे समाज को पुरुष-विहीन देखने का मकड़जाल फैलाती हैं। इस रुष्ट, दुष्ट नारीवाद में मूल समस्याओं का समाधान नजर नहीं आता। स्त्री लेखन को देहवाद के गटरहोल में फंसाना उसकी हत्या करने के समान है। विचार में जब प्रचार मिल जाए और विमर्श में अमर्ष, तब अतिचार शुरू होता है। इस कोष्ठक को तोड़ कर आज स्त्री लेखन में जन, जीवन और रोजगार के जरूरी सवालों पर गहरी नजर रखी जाए। सही स्त्री लेखन के स्वस्थ स्वर कम नहीं हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वंदना राग, आकांक्षा काशिव, निर्मला पुतुल, जेसिंटा केरकट्टा, रोहिणी अग्रवाल, सारा राय, नीलाक्षी सिंह, नीलेश रघुवंशी, गगन गिल, उषा किरण खान, प्रत्यक्षा, तेजी ग्रोवर, शम्पा शाह, गीताश्री, राजुला, निधि अग्रवाल, सुनीता और लक्ष्मी शर्मा से हिंदी साहित्य को बहुत उम्मीदें हैं। बहुत नाम छूट रहें होंगे।.....

कथेतर गद्य साहित्य का प्रारम्भ आधुनिक काल से देखा जा रहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की गद्य विधा ने जब अपना स्थान स्थापित कर लिया तब उसके साथ ही ये कथेतर गद्य विधाएं (संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा साहित्य, निबंध इत्यादि) भी विकसित हो रहीं थी और हिंदी साहित्य-संसार में अभिव्यक्ति-व्यापार की एक जरूरत के तौर पर अपनी अलग पहचान के साथ स्थापित हुई। इन कथेतर गद्य विधाओं को हिंदी के रचना संसार ने जिस तत्परता, उत्साह और गंभीरता से अपनाया, इनके प्रयोग और उपयोग के प्रतिमान स्थापित किये और इन कथेतर गद्य विधाओं ने साहित्यिक ही नहीं सामाजिक जीवन में भी जिस तरह की वैचारिक हलचलों को जन्म दिया है, उससे जाहिर है कि आलोचना के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकारों से कई तरह की और नयी तरह की अपेक्षाएं जाग गयी हैं।

आलोचना के लिए अब कविता-कहानी जैसे पारम्परिक साहित्य-विधानों में फुरसत नहीं पाने के बहाने, तय है कि अब बहुत दूर तक बहुत देर तक चलने वाले नहीं हैं। इसके साथ यह भी सच है कि कथात्मक गद्य की आलोचना-पद्धति अगर भली-भांति विकसित नहीं हो पाई है तो कथेतर गद्य की आलोचना की दशा के

विषय में सहज ही अनुमान किया जा सकता है। कथेतर गद्य विधाओं की आलोचना भी प्रायः पुस्तक समीक्षा या संक्षिप्त टिप्पणी तक ही सीमित है। जिसके फलस्वरूप हिंदी कथेतर गद्य विधाओं को आरम्भ से ही कमतर समझा गया। संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ट, डायरी जैसी विधाएं एक दूसरे से जितनी अलग हैं उससे कहीं ज्यादा लगी हुई हैं। कथा से इतर कही जाने वाली ये विधाएं बहुधा कथा के भीतर भी अपनी और अपने भीतर भी कथा की पैठ बनाती है।

21वीं सदी में हिंदी साहित्य ने अभिव्यक्ति की नई-नई राहों को खोजा और अपनाया है। हिंदी साहित्य में कहानी उपन्यास और कवितायें लिखने का प्रचलन और चहल-पहल हमेशा बनी रही है लेकिन कथेतर गद्य जिसके अंतर्गत संस्मरण, यात्रा साहित्य, जीवनी, रिपोर्ट, साक्षात्कार, डायरी, पत्र शामिल होते हैं, इनका अपना वजूद भी है और ये सभी वास्तविक घटनाओं पर आधारित होते हैं अब इनमें एक सशक्त लेखन धारा प्रवाहित हो रही है। 1990 के दशक के बाद से तो कितनी यादगार पुस्तकें हमारे समक्ष आती हैं, गगन गिल के यात्रा साहित्य 'आवक' और 'दिल्ली में उनीदें', पद्मा सचदेवा का संस्मरण 'इन बिन' और 'मितवाघर', कृष्णा सोबती का यात्रा साहित्य 'बुद्ध का कमंडल' और संस्मरण 'दिल्ली मार्फत', ममता कालिया का संस्मरण 'जीते जी इलाहबाद', निर्मला जैन का 'दिल्ली शहर-दर-शहर', कृष्णा सोबती का साक्षात्कार 'कृष्णा वैद्य संवाद', पत्र साहित्य में पुष्पा भारती द्वारा सम्पादित पत्र संकलन- 'धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम' और नासिरा शर्मा का यात्रा साहित्य - 'जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं' ये सभी कृतियाँ अपनी एक अलग पहचान व भाषा शैली को पाठको के सामने रखती है।

संस्मरण या आत्मकथा में कहीं-कहीं हमें यह जरूर लगता है कि इसकी भाषा कहानी या उपन्यास की शैली में लिखी जा रही है लेकिन कथेतर साहित्य पढ़ते समय हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कहानी और उपन्यास काल्पनिक सोच की उत्पत्ति है लेकिन सम्पूर्ण कथेतर वास्तविकता पर आधारित होता है, इसलिए कथेतर साहित्य मौलिक और भाषा की सहजता लिए लिखा जाता है, और इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमें कथेतर को पढ़ना और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इन सभी कथेतर साहित्य में हम स्त्री लेखन को अधिकाधिक देखते हैं। 1990 के बाद कथा साहित्य के साथ-साथ स्त्री रचनाकारों ने कथेतर में भी एक सशक्त और सफल हस्तक्षेप किया है। पद्मा सचदेवा के संस्मरण से : "माँ बताती थी-लबू भैया को गठिया हो गया था। पिता जी ने लाहौर के किसी अस्पताल में दाखिला करवाकर अंग्रेज डॉक्टर से लबू भैया का इलाज करवाया था, लबू भैया पिता जी का ये एहसान कभी न भूले।" यहाँ लेखिका वही बता रही है जो उनके जीवन से घटी घटनाओं से सम्बंधित एक घटना है। बताने की शैली में कहानी जैसी लग सकती है लेकिन कहानी की काल्पनिकता नहीं है ये, ये कृति सच्ची घटना पर लिखी हुई कृति है। 'इन बिन' कृति में पद्मा सचदेवा ने उन सभी लोगों का जिक्र किया है जो ज़िन्दगी के सफ़र में साथ तो चलते हैं लेकिन जीवन अपनी-अपनी परिस्थितियों के कारण हमेशा साथ नहीं रह पाते।

कथा साहित्य की आत्मा में कथा को कहने का ढंग कल्पना, यथार्थ से सम्बंधित रहता है तथा कथा से इतर लिखे जाने वाला साहित्य कथेतर साहित्य की आत्मा व्यक्ति आधारित, वास्तविकता और अनुभवों पर निर्भर करती है। कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरण 'दिल्ली मार्फत' में दिल्ली की उन सभी यादों का जिक्र किया है जब दिल्ली को उन्होंने आज़ादी से पहले देखा था और आज़ादी के बाद कितना दिल्ली में परिवर्तन पाती हैं और

कहती हैं 'इस शहर का जो खिताब था उसे अंग्रेजों ने मिटा दिया'। और इसके आगे वे लिखती हैं :-

'दिल्ली वाले अपनी निगाहशनासी के लिए मशहूर रहे होंगे : क्योंकि इस पर फ़िदा रहे हैं :
देखो निगाह-ए-शौक से, दिल्ली के नज़ारे,
तहजीब कि जन्नत है, यह जमुना किनारे।

इस पूरी कृति में कृष्णा सोबती ने दिल्ली के इतिहास और भूगोल दोनों ही बातों को उजागर किया है, दिल्ली के रहन-सहन, पहनावा, सड़कें, इमारतें सभी को बड़ी गहराई से जाना और इस कृति के माध्यम से दर्शकों के सामने रख दिया। इसके साथ इस कृति में कृष्णा सोबती ने आज़ादी के बाद की कुछ सामाजिक, राजनितिक और साहित्यिक छवियों को भी अंकित किया है। इसी तरह ममता कालिया ने भी 'जीते जी इलाहबाद' में इलाहाबाद की यादों को समेटा है, जब वो इलाहाबाद में थी। इस कृति में ममता कालिया ने उन लोगों के शब्दचित्रों को लिखा है जिनके बिना आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता और जो उस समय के इलाहबाद के मन-प्राण होते थे। वे लिखती हैं- "लोकभारती का इतिहास वास्तव में इलाहबाद की साहित्यिक जलवायु का इतिहास है। कभी यहाँ सुमित्रानानाद पन्त के दर्शन हो जाते तो कभी अमृत राय के। महिलाएं कम ही नज़र आती। पता नहीं वे किताबों की ज़रूरत कैसे पूरा करती होंगी। महादेवी वर्मा एक-दो बार ही दिखी होंगी वहां"।

आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात् भी कथेतर साहित्य लगातार लिखा जा रहा था किन्तु 1990 में भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री रचनाकारों द्वारा अधिकाधिक लिखा गया। कथा साहित्य व कथेतर साहित्य मुख्यतः रूप से नज़र आते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि स्त्री रचनाकारों का हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान के रूप में प्रवेश या हस्तक्षेप हुआ, जिसमें इन स्त्री रचनाकारों ने अपने अनुभव, अपनी आत्मकथा, अपनी यात्रा, वास्तविकता को लेखनी के माध्यम से कहना व लिखना शुरू किया और लगातार कथेतर साहित्य के द्वारा स्त्री रचनाकारों ने अपनी बात कहने का उसे माध्यम बनाया। यह माध्यम, यह प्रयास भूमंडलीकरण के दौर से प्रारम्भ हुआ। स्त्री रचनाकारों ने अपनी जगह बनायीं और आज वर्तमान में भी अपनी जगह बनाये रखने की जद्दोजहद में हैं। इसका परिणाम यह भी निकल रहा है कि साहित्य लेखन करने वाली सभी स्त्री रचनाकारों को कथेतर साहित्य में वही बल प्राप्त हुआ जो कथा साहित्य में हो रहा है। अपनी वास्तविकता, अपने अनुभव के आधार पर कथेतर साहित्य को नयी-नयी लेखनी स्त्री रचनाकारों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साहित्य में कथेतर साहित्य का अस्तित्व पहले से देखा गया था किन्तु भूमंडलीकरण में आने के पश्चात् इसकी गति में तेजी आई है। स्त्री रचनाकारों ने खुले रूप में कथेतर साहित्य को आत्मसात किया है जिसका प्रमाण आज हमारे समक्ष कई स्त्री रचनाकार का कथेतर साहित्य मौजूद है जिसकी अपनी एक अलग दिशा निर्धारित है जो स्त्री रचनाकारों के कथेतर साहित्य में योगदान से आंकी जा सकती है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है हिंदी साहित्य में भूमंडलीकरण के बाद लेखिकाओं ने खूब कथा साहित्य के साथ-साथ कथेतर साहित्य में भी अपनी लेखनी को प्रशस्त बनाया। देश-विदेश की यात्रायें की, आत्मकथाएं, यात्रा-वृतांत, संस्मरण लिखे। अपनी राह को प्रशस्त किया, आकाश अनंत है, दिशाएं अनगिनत हैं। 20वीं शताब्दी के महिला लेखन को एक उत्कर्ष बिंदु तक ले जाना 21वीं शताब्दी का स्वप्न व संकल्प होना चाहिए जो भूमंडलीकरण के बाद हिंदी साहित्य के महिला रचनाकारों के लेखन में दिखाई भी देता है। स्त्री

रचनाकारों का कथेतर साहित्य आज के दौर का परिपक्व साहित्य है। जैसे कथा साहित्य में स्त्री विमर्शों के केंद्र में स्त्री अस्मिता, सहानुभूति, पितृसत्तात्मक समाज, धर्म, जाति, वर्ग, प्रेम, स्त्री संघर्ष, विद्रोह और स्त्री मुक्ति के मुद्दे उठाये गये हैं और इनके माध्यम से ही स्त्री जीवन के विविध पक्ष भी उजागर हुए जैसे ही हिंदी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का कथेतर साहित्य आज लगभग सभी कथेतर विधाओं में स्त्री दृष्टि और स्त्री भाषा-शैली को दिखाता नज़र आता है। और मुख्यतः सारे विमर्शों और विधाओं के केंद्र में मुख्य चिंता यही रही कि आखिर स्त्री का वजूद उसका अस्तित्व क्या है। क्या कोई रास्ता है जिस पर वह आज़ादी से चल सके। इसलिए साहित्य के माध्यम से स्त्री सामाजिक काल्पनिकताओं से बाहर आने के लिए छटपटा रही है। और यही छटपटाहट 1990 में भूमंडलीकरण के आने के बाद हिंदी कथेतर साहित्य में भी दिखाई देता है जब कथेतर में पुरुष रचनाकारों के साथ स्त्री रचनाकारों का भी साहित्य जगत में हस्तक्षेप होता है। 1990 के दशक में भारतीय जीवन में प्रत्येक स्तर पर जो भी घटित हुआ उसे हिंदी के लगभग सभी रचनाकारों ने संवेदना और बुद्धि दोनों स्तर पर ग्रहण किया है।

आज के जो लेखक-लेखिकाएँ हैं उनके लेखन में भूमंडलीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात आज का साहित्य समय और समाज का सच और उससे भी बड़ी बात कि आज हिंदी साहित्य में महिलाओं की अभिव्यक्ति बढ़ी है। इसलिए पहले जो भारतीय नारी लेखन के क्षेत्र में गिनी चुनी होती थी आज भूमंडलीकरण के प्रभाव के कारण पहले की संख्या में कई गुना बढ़ चुकी है, जैसे तो पहले भी महिलाओं में अभिव्यक्ति की आकांक्षा विद्यमान थी पर लेखन का साधन और साहस उनके पास न होने के कारण उनका साहस कहीं कोई गिनती में नहीं था। लेकिन आज हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन बड़ी बेबाकी से लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। इन सभी लेखिकाओं ने साहित्य जगत में विस्तार पाया है और आत्मविश्वास के साथ अपने लेखन में परिपक्वता को अपना कर अपने लेखन को सशक्त और सटीक बिंदु/आयाम तक पहुँचाया है।

सन्दर्भ :-

1. ममता कालिया : जीते जी इलाहाबाद।
2. कृष्णा सोबती : दिल्ली मार्फत।
3. पद्मा सचदेवा : इन बिन।
4. प्रभा खेतान – भूमंडलीकरणरूब्रान्ड संस्कृति और राष्ट्र, सामायिक प्रकाशन।
5. अनामिका (संपादक) : बीसवीं सदी का हिंदी महिला लेखन (खंड – 2)
6. ममता कालिया (संपादक) : बीसवीं सदी का हिंदी महिला लेखन (खंड – 3)
7. डॉ. गोपीराम शर्मा और घनश्याम बैरवा (संपादक) : स्त्री चिंतन : सामाजिक : साहित्यिक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशक।
8. दयानाथ मिश्र : हिंदी की अन्य कथेतर विधाएँ : परम्परा और प्रयोग।
9. मनोहर श्याम जोशी : 21वीं सदी, वाणी प्रकाशन।
10. राजेन्द्र यादव : हंस पत्रिका जून-2007
11. डॉ. उषा यादव : हिंदी की महिला उपन्यासकार, तक्षिला प्रकाशन।
12. पुष्पपाल सिंह : भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास, राधाकृष्ण प्रकाशन।

7827353807 Jyoti.dpl1954@gmail.com



हिंदी भाषा कल, आज और कल

प्रो. अनिता किसन पाटोळे

हिंदी विभाग प्रमुख एवं सहाय्यक प्राध्यापक,

दादापाटील राजळे कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आदिनाथ नगर, तह. पाथर्डी जि. अहमदनगर।

प्रस्तावना :-

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

हिंदी का इतिहास तकरीबन 1300 वर्ष पुराना है। हिंदी वह भाषा है जो संस्कृत प्राकृत पाली के सहज एवं सरलतम रूप में आम जनजीवन में घुली मिली हुई है। हिंदी में भारतीय संविधान में वर्णित अन्य 21 भाषाओं के शब्दों का समावेश है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश को एकता एवं अखंडता के सूत्र में बांध सकती है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी को राजभाषा बनाना जरूरी है। 'वही वस्तुतः उन्नति का मूल स्रोत है', ऐसा विचार उस दौरान कई नेता गण तथा विचारकों का था। इस दृष्टि से हिंदी को यह सन्मान प्राप्त हुआ है। आजादी के साथ महात्मा गांधी जी ने कहा था, कि राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रभाषा भी अनिवार्य है। जिस प्रकार राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रध्वज को संपूर्ण राष्ट्र सम्मान देता है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा को भी गौरव का स्थान देना होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया।

1980 के बाद हिंदी का स्वरूप धीमी गति से बदलने लगता है। वैश्वीकरण के बाद (1992 के बाद) यह गति तेज हो गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी केवल राजभाषा न रहकर इस देश की संपर्क भाषा हो गई। अतीत में भी वह संपर्क भाषा थी, वर्तमान में भी संपर्क भाषा है और भविष्य में तो वह न केवल भारत की, बल्कि एशिया महाद्वीप की संपर्क भाषा बनने जा रही है। वर्तमान में भी हिंदी वैश्वीकरण के बाजार की भाषा के रूप में सामने आई है। इसी कारण बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने उत्पादित वस्तुओं के विज्ञापन के लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह हिंदी भाषा केवल संपर्क भाषा न रहकर वह उपेक्षितों, दलितों, पतितों अर्थात् लोकसमूह

के अभिव्यक्ति की भाषा बन चुकी हैं। आज की हिंदी ने बदलती परिस्थितियों अपने को परिवर्तित किया है। हिंदी भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है जबकि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल Second Language के तौर पर करते हैं। यानी जो संवाद हम हिंदी में करते हैं..वो भारत के करीब 48 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचता है। इतना ही नहीं, दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं।

“आज विश्व में हिंदी की बढ़ती प्रतिष्ठा के कारण अनेक विदेशी भी हिंदी में रूचि ले रहे हैं। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से हिंदी पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया है। और वे हिंदी भाषा में मौलिक साहित्य सृजन भी कर रहे हैं।”

अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगज़ीन रोज़ हिंदी में निकलते हैं। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं।

दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है..जिनमें जर्मनी, मॉरीशस, नेपाल, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स संचार माध्यमों में आकाशवाणी, सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, विज्ञापन आदि का समावेश होता है। इन संचार माध्यमों ने हिंदी को घर-घर पहुंचाने का काम किया है। भारत देश की प्राचीन परंपरा से जुड़ी हिंदी भाषा आज विश्व भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा से विश्व भाषा तक का संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण सफर हिंदी भाषा में सफलता पूर्वक तय किया है। सूचना क्रांति के आगमन के बाद अनेक लोग हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं के जीवित रहने के संदर्भ में चिंता व्यक्त करते थे, लेकिन इस माध्यम से हिंदी में अपनी क्षमता और संभावनाओं को सिद्ध करते हुए उन चिंताओं को दूर किया और 1 सबसे बड़े गणतंत्र की प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान निश्चित किया। यहां तक का हिंदी का सफर इतना आसान नहीं, हिंदी ने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने आप को विश्व भाषा के काबिल साबित किया। जिसके कारण आज हिंदी भाषा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषा में गिनी जाती है।

हिंदी ही भारत की एक मात्र ऐसी भाषा है जिसमें हमें एकता के सूत्र में पिरोया है। हिंदी इस देश की बिंदी है। हमारा गौरव और अभिमान हिंदी से प्राप्त है। हिंदी भाषा अपने कई रूपों से लगातार उन्नतशील है। मातृभाषा से लेकर संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राज भाषा, राष्ट्रभाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक के सफर में वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति साबित की है। वैश्वीकरण के इस युग में हिंदी इंटरनेट की भाषा बन गई है। और आज हिंदी की व्यापकता पहले की अपेक्षा बड़ी है। सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो चुकी। कंप्यूटर पर हिंदी में आसानी से कार्य किया जा सकता है। टीवी चैनलों से प्रसारित कार्यक्रमों से भी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है।

“अब स्टार प्लस, जी.टीवी, एंड टीवी, जी न्यूज़, आज तक, स्टार न्यूज़, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आदि कई टीवी चैनल अपने कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित कर रहे हैं। प्रो. आनंद प्रधान के

अनुसार "जिस तेजी से हिंदी वेबसाइट्स को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसी तीव्रता से इसमें प्रशिक्षित लोगों की मांग भी बढ़ रही है। अधिकांश समाचार पत्रों एवं चैनलों ने अपना हिंदी संस्करण प्रकाशित किया है।"²

आज हिंदी साहित्य और भाषा के विस्तार की कहानी हिंदी की किताबों या पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया की सीमाओं को लांघ रहा है। हिंदी आज नई या शौकिया वेबसाइटों पर ही नहीं बड़े व्यवसायिक पोर्टलों पर भी व्यापक रूप से सामने आ रही है। हिंदी की कई प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं जैसे हंस कथादेश, वागर्थ नया ज्ञानोदय आदि आज दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती हैं। आज हम अपने मनचाहे लेखकों या उनकी किताबों को इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं।

भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 Apps होते हैं, जिनमें से 8 या 9 हिंदी के हैं। भारतीय युवा YouTube पर 93 प्रतिशत हिंदी वीडियो देखते हैं।

Digital World यानी इंटरनेट की दुनिया में हिंदी को बढ़ाने में Unicode ने अहम भूमिका अदा की है। Unicode एक ऐसी तकनीक होती है, जो कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है। इससे इंटरनेट पर हिंदी के इस्तेमाल में आसानी होती है।

इंटरनेट पर हिंदी में अनेक पोर्टल भी प्रारंभ हो गई है। पोर्टल के माध्यम से देश विदेश की खबरें वर्गीकृत विज्ञापन कारोबार संबंधी सूचनाएं शेयर बाजार शिक्षा मौसम खेलकूद पर्यटन साहित्य आदि के संबंध में जानकारी पाई जा सकती है। कई कार्यालय में हिंदी पोर्टल के अतिरिक्त द्विभाषी और बहुभाषी सॉफ्टवेयर भी है।

21वीं सदी में संचार माध्यम के विविध रूपों में हिंदी के विकास की अनेक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज गूगल याहू एम.एस.एन. जैसे प्रमुख सर्च इंजन तथा

1. <https://www.superprof.com>
2. <https://www.lingohut.com>
3. <https://www.duolingo.com>
4. <https://www.udemy.com>
5. <https://www.dictionary.com>
6. <https://www.myhinditricks.com>
7. <https://usehindi.com>

जैसी अनगिनत वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध है। आनंद प्रधान के अनुसार "जिस तेजी से हिंदी वेबसाइट को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसे तीव्रता से इसमें प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ रही है। अधिकांश समाचार पत्रों एवं चैनलों ने अपना हिंदी संस्करण प्रकाशित किया है।"³

आज दुनिया में 10 लाख से भी अधिक ब्लॉग हिंदी सहित 40 भाषाओं में उपलब्ध है। लिंक्स टू आंधी रिसोर्सज ऑल हिंदी रिसोर्सज ऑल अबाउट हिंदी सॉंग्स एवं इम्टी पोस्ट एंड आर्ट्स इससे हमें हिंदी व्याकरण

के साथ-साथ हिंदी गीतकारों के गाने तथा हिंदी लेखकों के तथा उनके साहित्य की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैश्वकरण के इस दौर में विश्व की दस भाषाएँ ही जीवित रहेगी, जिसमें हिंदी भी एक होगी। जिस भाषा के बोलने वाले विश्व के कोने-कोने में फैले हो, ऐसी हिंदी का भविष्य तो उज्ज्वल होगा ही।”⁴

सारांश :-

सारांश रूप में कहा जा सकता है, वैज्ञानिक युग तथा वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसी हिंदी ने आज 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को साकार करते हुए सभी विश्व पर अपना अस्तित्व सिद्ध किया है।

संदर्भ :-

1. भूमंडलीकरण और हिंदी कविता – सपादक डॉ. बाबु जोसेफ – पृष्ठ. क्र. ५२
2. भारतीय भाषाओं में हिंदी – डॉ. धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह – पृष्ठ क्र. १४८
3. लिपि, माध्यम और साहित्य – डॉ. शिव प्रसाद शुक्ल – पृष्ठ. क्र. ४१
4. भूमंडलीकरण और हिंदी कविता – सपादक डॉ. बाबु जोसेफ – पृष्ठ. क्र. ११५

मोबाईल नंबर ८८३०१६०६१०

इमेल – anitapatole71@gmail.com



हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका

डॉ. पारुल ए. परमार

असि. प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, श्री के.आर. आंजना आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज, धानेरा, जिला बनासकांठा।

सारांश :-

हिन्दी आज जन-जन की बोली है, हिन्दी को यह सफलता दिलाने में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया यानी कि 'संचार माध्यम'। "संचार का अर्थ : आगे बढ़ना, फैलना है और हिन्दी का विस्तार व बढ़ाने का काम मीडिया ने किया है। मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और इन्टरनेट के कारण कंप्यूटर व मोबाइल आदि का समावेश होता है। इसी से हिन्दी का विस्तार करने में आरंभ में लोग हिन्दी भाषा को पत्रिका में आते हुए लेख से जानकारी के लिए हिन्दी सीखते समाचार पत्र आगे जिससे हिन्दी को अधिक विकसित करने का श्रेय समाचार पत्र को है। फिर श्राव्य माध्यम का रेडियो से हिन्दी के भिन्न-भिन्न व पहले समाचार, गीतो, मनोरंजक कहानियों आदि सुनने के लिए लोग हिन्दी सीखने लगे, फिर टेलीविज़न जो दृश्य-श्राव्य साधन के रूप में विकसित हुआ है। जिससे लोग समाचार, फिल्में, धारावाहिक आदि के साथ लोग मनोरंजन के लिए हिन्दी सीखने के लिए लोग प्रेरित हुए फिर इन्टरनेट जो सबसे उत्तम व बहुत ही सरल रूप था इसमें सभी साधन आ जाते हैं। इस तरह हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। आज इन्टरनेट व अलग-अलग एप्स के जरिये में लोगों को हिन्दी बोलने व सुनने में काफी सरलता होती है।

शब्दार्थ :- मीडिया-संचार माध्यम, इन्टरनेट।

प्रस्तावना :-

हिन्दी का प्रचार प्रसार करने में मीडिया की अहम भूमिका निभाई है। 'मीडिया' का हिन्दी अर्थ है 'संचार माध्यम' सूचना की व्याख्या देखे। एन० बलकिन के अनुसार-" किसी विषय से संबन्धित तथ्यों को सूचना कहते हैं।" इस तरह सूचना के माध्यम से सब जगह प्रसार करता है। मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और इन्टरनेट के जरिये कंप्यूटर, मोबाइल का समावेश होता है। अब संचार माध्यम में दिन-बदिन इन्टरनेट के विभिन्न एप्स - यूट्यूब, फेस-बुक, ट्वीटर, वोटसप, टेलीग्राम, ब्लॉग, वेबसाइट, समाचार आदि ने अब हिन्दी के प्रचार-प्रसार को तीव्र गति दी है।

मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्र की है। समाचार पत्र आरंभ से हिन्दी के प्रचार का आरंभ कराने वाला माध्यम है। समाचार पत्र बहुत ही शीघ्र लिखा जाने वाला साहित्य है। जिसे नये-नये समाचार देश- दुनिया में अलग-अलग विस्तारों में रहते हुए लोग भिन्न-भिन्न जगहों के समाचार प्राप्त करने हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु हिन्दी भाषा सीखने लगे थे। इसी तरह पत्र-पत्रिकाओं से हिन्दी का प्रचार-प्रसार करवाया है। पत्रिकाओं ने

हिन्दी का फैलाव करने में अविस्मरणीय योगदान दिया है इसमें महावीर सिंह चौहान ने 'सरस्वती' का प्रकाशन करके हिन्दी का प्रचार करवाया है हिन्दी के प्रसिद्ध कविताएं, लेख, कहानियां आदि को छापते थे। जिससे लोग हिन्दी भाषा को सीखने में लिए करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह हिन्दी की दूसरी पत्रिकाओं ने भी योगदान दिया है, धीरे-धीरे ये स्थान अब ई-पत्रिकाओं ने ले लिया है। पत्रिकाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की पत्रिकाएं होती थी जिसमें अनुसंधानात्मक पत्रकारिता, धर्म-दर्शन, वाणिज्य और उद्योग, औषधि और स्वास्थ्य, फिल्म, समाज-कल्याण शिक्षा, कानून और सार्वजनिक प्रशासन, श्रम, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, कृषि और पशु-चिकित्सा, बालकोपयोगी, यातायात एवं संवाद वाहन, बीमा बेकिंग और सहकारिता विज्ञान, महिलापयोगी, वित्त एवं अर्थशास्त्र रेडियो व संगीत, कला व खेल-कूद।² इस तरह अलग-अलग प्रकार की पत्रिकाओं ने अपने विषयों के अनुरूप सामान्य जनता को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे, पत्रिकाओं ने हिन्दी के विकास में अहम भूमिका निभाई है।

रेडियो भी एक प्रकार का श्रव्य माध्यम है जिसने हिन्दी का प्रसार करने में सबसे अविस्मरणीय योगदान दिया है। रेडियो ने अपने प्रसारण से हिन्दी को बढ़ावा दिया था। रेडियो ने हमारी आजादी के योगदान में अति महत्वपूर्ण साथ था क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार जो पत्र-समाचार पत्रों में नहीं छपती थी वह रेडियो में प्रसारित होती थी। रेडियो पर आजादी की क्रान्ति की खबरे जो हिन्दी में प्रसारित होती थी जिससे सुनकर लोग हिन्दी को सीखने समझने के प्रयासों में लगे थे। रेडियो पर भिन्न-भिन्न जैसे कि आरोग्य, कृषि, बाल मनोविनोद, विज्ञान, सुगम-संगीत आदि के कार्यक्रम आते थे जिससे लोगों को कृषि व मनोरंजन के सुनने के लिए हिन्दी का प्राधान्य बढ़ता गया और लोग हिन्दी को सुनने, बोलने, सीखने लगे रेडियो का प्रसारण अब वर्तमान में एफ० एम. ने ले लिया है। जिसके माध्यम से लोग संगीत का मनोरंजन प्राप्त करते हैं साथ में हिन्दी का विस्तार बढ़ता रहता है।

हिन्दी के विस्तार में टेलीविज़न ने अभूतपूर्व योगदान दिया है "श्रव्य-दृश्य कैसेट और वीडियो टेप रिकॉर्डर सर्किट, टीवी केबल टेलीविज़न थे टेलीविज़न और डीटीएच और डिजिटल कम्प्रेसन प्रौद्योगिक से चैनलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।"³ इस तरह टेलीविज़न हिन्दी के प्रसार का सबसे बेहतरीन व उत्तम माध्यम है क्योंकि टेलीविज़न देखने वाले दृष्टा सभी प्रकार के होते हैं। जिसमें अबाल-वृद्ध, पढ़े-लिखे, निरक्षर, महिलाएं और पुरुष सभी अपनी-अपनी इच्छा की अनुसार-कार्यक्रम देखते हैं आनंद-प्राप्त करते हैं। टेलीविज़न एसा सक्षम माध्यम है। जो सभी मानस को संकृत करता है- "राष्ट्रीय एकता अछूताद्वार, नारी-जागरण, अन्याय, शोषण, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद जैसे राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर जन-जन को जागृत करनेवाला माध्यम फिल्म ही है। ललित कलाओं के संगम के रूप में प्रस्तुत फिल्मों सामाजिक राजनीति के चेतना का सावन तो है ही इनमें जनता को प्रशिक्षित करने की अदभूत क्षमता है।"⁴ टी० वी० में कृषि के कार्यक्रम, विज्ञान के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, पौराणिक कार्यक्रम के साथ-साथ सब की मनपसंद धारावाहिक के लोगों को भाषाज्ञान बढ़ाने में अति महत्वपूर्ण है।

आरंभ के समय में आने वाली रामायण-महाभारत जैसी धारावाहिकों ने लोगों में हिन्दी का प्रचार अधिक करवाया धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु लोग हिन्दी भाषा सीखने लगे थे। इसके साथ-साथ भजन-सत्संग वृद्धों को आकर्षित करते हैं। ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जैसे- कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम से लोगों को हिन्दी जानने

की उत्सुकता और बढ़ा दी। देवी अहिल्या, शिवाजी जैसी धारावाहिक के ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ाती है। जो लोगो का हिन्दी का ज्ञान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते है। इस तरह टेलीविज़न फिल्मों-समाचारों में विज्ञापन आते है।

विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध, पत्रकार एन०एन० पेल्ले का विचार है-“ भारत में विज्ञापन केवल आर्थिक विकास का एक तीव्र तथा प्रभावशाली माध्यम ही नहीं है। बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी यह एक सशक्त उपकरण है। विज्ञापनों के द्वारा लाखों-करोड़ो लोगों में नये-नये विचारों तथा आदतों का प्रचार होता है। विज्ञापन ने परिवार नियोजन, कृषि तथा स्वास्थ्य आंदोलनों के द्वारा लोगों की उन्नति तथा देश की प्रगति में नये विचार, आदतों तथा दृष्टि की जो अपनाने में विशेष योगदान दिया है। इसके साथ ही विज्ञापन समाचार पत्रों के लिए आय का भी एक बड़ा स्रोत है।”⁵ विज्ञापन-प्रत्येक क्षेत्र में एक बदलाव लाने में अग्रसर व महत्वपूर्ण कार्य कराते है। विज्ञापन समाचार पत्रों में आते है। जो भी भाषा का होता है, उसी भाषा में विज्ञापन छपते है। जोकि भाषा का फैलाव कराते है। विज्ञापन के जरिये हिन्दी को प्रचार को वेग मिला है। गुजरात के राज्यों में हिन्दी में विज्ञापन आते है जो विज्ञापन उनकी चीजों का प्रचार तो करते ही साथ में इसी वजह से हिन्दी का फैलाव भी होता है। जैसे घड़ी डिटरजेंट के लिए कहा जाता है। ‘पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करे’ फिर अधिक बिक्री के लिए अन्य ग्राहक को का नाम जाड़े देते है जैसे नीमा, हेमा, जया और सुष्मा सबकी पसंद है निरमा ऐसा कहकर निरमा पावडर का इस्तेमाल कराते है।

ये बताते हुए अपनी चीज की बिक्री का फैलाव कराते हुए सामान्य जनता में हिन्दी का प्रसार कराते है। साथ में विज्ञापनों से हिन्दी का प्रचार होता है। “इन विज्ञापनों में शेम्पू, जूते, चूड़ियां,, लोशन, हेरडाई चित्र के रंग, बिछाने का कारपेट, एन्टीसेफटिक क्रीम, कस्टर्ड और फूड पाउडर, मैदा, चाय, फेस क्रीम, टूथपेस्ट, होमकुक, सिरप, कपड़े के रंग, खान-पान के मसाले घी कपड़े धोने का साबुन, रैफ्रिजरेटर किताबें, शरबत, बिस्किट, बच्चों के आहार, इस्स्टन्ट कॉफी, नहाने के साबुन, आयुर्वेदिक औषधि, होटल, मोबाइल, लेपटोप, अगरबत्ती, कैमिकल्स, स्त्रे, यात्रा-पर्यटन, खिलौने, हरेरिमुवर, सेविंग क्रीम ये सब विज्ञापन टी० वी०, रेडियो व अखबार को घेर लेते है।”⁶ विज्ञापन से चीज वाले की कंपनी को भी फायदा साथ में हिन्दी का प्रचार भी करते टी०वी० में इन सबके विज्ञापन से हिन्दी के प्रचार का अद्वितीय योगदान दिया है। इसके साथ टेलीविज़न में चलचित्रों के जरिये हिन्दी का प्रचार व प्रसार अति महत्वपूर्ण रूप में हुआ है। पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक चलचित्र लोग इस की जानकारी हेतु चलचित्र देखते है साथ में भाषा का प्रसार भी करते है। साथ में चलचित्र देखने की मनुष्य की मूलतः वृत्त भी इसे भाषा सीखने व समझने के लिए मजबूर करती है और व्यक्ति मनोरंजन को प्राप्त करने हेतु इसे सिखता है। साथ में इसकी कथा की बात अन्य व्यक्ति से करता है, वह व्यक्ति को चलचित्र के लिए भाषा सीखने-जानने का प्रयास करेगा। इस तरह टेलीविज़न का चलचित्र भी हिन्दी प्रचार का महत्वपूर्ण साधन है।

हिन्दी के प्रसार में इन्टरनेट के जरिये कंप्यूटर व मोबाइल की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इसमें इन्टरनेट से मोबाइल के अलग-अलग एप्स जो अधिक व्याप्त करने में मदद कराते है। इसमें यू ट्यूब, ईमेल, ट्विटर, वोटसेप,, टेलीग्राम, ब्लॉग, फेसबुक वेबसाइट से हिन्दी के सीखनेवालो का बड़ा वर्ग मिला है। यूट्यूब में दुनिया भर की ज्ञान की बाते आप को बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। यू ट्यूब में आप भोजन बनाने के भिन्न-भिन्न तरीके के की रीत हमें बताते है, जो की कोई भी व्यक्ति इसे सुनकर-देखकर बनाने का प्रयत्न करता है, इससे

वह हिन्दी भाषा सिखता है। यू ट्यूब में आपकी पसंद का चलचित्र, उपदेशात्मक कहानियां, मनोरंजन प्रदान कहानियां, ज्ञान देनेवाली व प्रेरणात्मक बातें आदि सब हम इस एप्स के जरिये बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। और इस तरह महत्वपूर्ण भूमिका रखनेवाला माध्यम है। 'कंप्यूटर इससे हिन्दी के प्रचार में बहुत कार्य किया है। कंप्यूटर के जरिये यूट्यूब तो जरूर साथ देता है। कंप्यूटर में एक-दूसरे को ई-मेल भेजकर भी माहिती की आप ले हिन्दी को प्रचार में अहम योगदान दे रही है। कंप्यूटर एक ऐसा सशक्त व सबसे प्रचलित माध्यम है। कंप्यूटर सब सुविधाएं व भाषा का प्रचार सरलता से दे रहा है। अब मोबाइल मीडिया के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहा है। मोबाइल ने अब कंप्यूटर की जगह ली है। जो मीडिया का सबसे सशक्त व श्रेष्ठ माध्यम है। अब समाचारपत्र भी मोबाइल पर आसानी से बिना कागज से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यू ट्यूब पर आपको समाचार भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें दुनिया के कोई भी देश के जगह चीजें आदि भी जानकारी आप यूट्यूब में ले सकते हैं। इसमें आप अन्य देश की जानकारी हमें हिन्दी में प्राप्त हो तब हम हिन्दी को सीखते हैं साथ में प्रचार भी होता है। अब तो यूट्यूब में हमें पसन्दिदा पुस्तक व उपन्यासों की जानकारी भी हमें मिल सकती है। इसके साथ भी हमें आधुनिक युग में मीडिया से पुस्तक की ख्याति से भी हिन्दी का प्रचार होता है। अभी वर्तमान में गीतांजली श्री का उपन्यास 'रेत-समाधी' जिसे बुकर-प्राइज़ से सम्मानित किया गया और इस तरह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करनेवाले पुस्तक को पढ़ने के लिए लोग बर्बस ही आकर्षित होते हैं। और हिन्दी के प्रचार में योगदान देते हैं।

ट्वीटर भी हिन्दी भाषा प्रचार करने का श्रेष्ठ माध्यम है। ट्वीटर में ट्वीट करके लोग अपनी माहिती, अपना ज्ञान अपना लक्ष्य व ध्येय आदि को ट्वीट करके रखते हैं। लोग ट्वीट से भी भाषा सीखते हैं। हिन्दी के प्रचार में अब वेबसाइट भी अपना योगदान देती हैं। क्योंकि—“साइट के पाठको के विचारों से अवगत होना इस कारण से भी आवश्यक होता है। साइट द्वारा किसी भी समाचार, लेख, फीचर या अन्य सामग्री की प्रस्तुति के गुणो-अवगुणो की बेवाज समीक्षा प्रबुद्ध पाठको द्वारा की जाती है। इससे लाभान्वित होने के लिए सामग्री के अंत में यदि वे वेबसाइट का लिंक दिया जाता है तो पाठक अपना विचार वेबसाइट तक क्लिक करके पहुंचाता है। इससे जनमत की मांग और अभी रुचि की जानकारी वेबसाइट को मुफ्त में मिल जाती है। पाठक और वेबसाइट के बीच विचारों का पारस्परिक आदान-प्रदान समय-समय पर होते रहना लाभदायक सिद्ध होता है। यानी की लोग वेबसाइट पर से भी लोगों के विचार जानने समझने के लिए हिन्दी सीखते हैं और हिन्दी की वेबसाइट की संख्या आज दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वर्धा जैसी संस्थाएं अपनी वेबसाइट पर हिन्दी की अपनी ई-पुस्तकें रखकर काफी लोगों को हिन्दी जानने के लिए उत्सुक करते हैं। हिन्दी इस तरह वेबसाइट के जरिये देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित हो रही है। और इस तरह “आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का बड़ा प्रचलन है। ये हर नगरों एवं महानगरों में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कम से कम मूल्य या मात्र लागत मूल्य पर भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कनाडा के टोरंटो शहर से 'भारती' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन हो रहा है यहीं पर भी रघुवीर सिंह के संपादक में विश्व-भारती पाक्षिक-पत्र का भी प्रकाशन होता है। यह पाक्षिक-पत्र राष्ट्रभाषा हिन्दी भारतीय संस्कृत की संवाहिकों के रूप में विख्यात है।”⁸ इस तरह वेबसाइट के साथ-साथ अब हिन्दी मीडिया के माध्यम से विदेशों में भी इसका महात्म्य फला-फुला है।

इस तरह ब्लॉग भी हिन्दी भाषा के फैलाव में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है ब्लॉग में लोग अपनी भावनाये, विचार लिखते हैं, आरंभ में कठिनाई थी किन्तु धीरे-धीरे हिन्दी में सफल हो गया। अब इक्कीसवीं सदी के तृतीय दशक में हिन्दी ब्लॉगर बनाकर हिन्दी भाषा के प्रचार के साथ-साथ के अच्छी ख़ासी कमाई भी कर लेते हैं, और उन्हें आसानी से ऑनलाइन कमाई भी मिल सकती है। इस तरह इन्टरनेट के जरिये अब इस तरह फेसबुक भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का सबसे उत्तम व आसान तरीका है, और आसानी से लोगों को नयी भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। इस तरह वोटसेप भी हिन्दी भाषा के प्रचार का उत्तम माध्यम है। जिससे भारत का व्यक्ति जो अन्य राज्य व अन्य देश में रहता है। वे अपने आसपास के लोगो को भी अपने बातचीत व विशेषताएं बताकर इन्हे हिन्दी सीखने को तैयार करते हैं। इस तरह हिन्दी के प्रसार में इन्टरनेट के जरिये कंप्यूटर व मोबाइल के एप्स के जरिये इसका विकास करते हैं, यह बहुत ही अविस्मरणीय है।

इस तरह हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका का अतुलनीय योगदान है। हिन्दी के विस्तार में समाचार पत्र, पत्रिकायें के साथ-साथ दृश्य-श्राव्य माध्यम, रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीविज़न के साथ-साथ पत्रिकाएं के साथ इन्टरनेट के जरिये कंप्यूटर व मोबाइल के कारण उनमें रहे विभिन्न एप्स यू ट्यूब, ट्विटर, फेस बुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ब्लॉग एवं वेबसाइट आदि के जरिये आज मीडिया ने हिन्दी को देश ही नहीं विदेशों में भी अपना विस्तार फैलाने में हिन्दी सफल रही है।

अतः हिन्दी के विस्तार में मीडिया का अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. सूचना संचार – डा० प्रज्ञा श्रीवास्तव – पृष्ठ –13 प्रकाशन– पराग प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2014
2. हिन्दी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम डा० जितेंद्र वत्स पृष्ठ –9, प्रकाशक – निर्मल पब्लिकेशन दिल्ली 94, संस्करण –2008
3. सूचना संचार – डा० प्रज्ञा श्रीवास्तव – पृष्ठ –100 प्रकाशन – पराग प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2014
4. हिन्दी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम डा० जितेंद्र वत्स, पृष्ठ –31 प्रकाशक – निर्मल पब्लिकेशन दिल्ली 94, संस्करण –2008
5. पत्रकारिता और न्यू मीडिया डा० सुजाता वर्मा विकास प्रकाशन, कानपुर, प्रथम 2016, पृष्ठ –173
6. जन संचार माध्यम में हिन्दी की स्थिति और दिशा डा० कीर्तिकुमार जादव, डा० विनोदचन्द चौधरी संपादक प्रकाशक –साथ पब्लिकेशन, आणद, प्रथम आवृत्ती –2012
7. हिन्दी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम, डा० जितेंद्र वत्स पृष्ठ –205 प्रकाशक–निर्मल पब्लिकेशन, दिल्ली 94, संस्करण–2008
8. वैश्विक परिप्रेक्ष में हिन्दी डा० मालती दुबे, प्रकाशक डा० मालती दुबे –पाश्व प्रकाशक, अहमदाबाद संस्करण –2017 पृष्ठ –76

मो. ६६२५३४४२५९

Email–Parulben82@gmail.com



हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रों की दशा/दिशा का विस्तृत अध्ययन : आजादी से पहले और आजादी के बाद

राखी (विद्यार्थी)

शिव कुमार (सहायक प्राध्यापक)

मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, (भिवानी)—हरियाणा

सारांश :-

हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ-साथ मातृभाषा भी है। तो वही समाचार पत्र एक लोकप्रिय संचार माध्यम है। लोगो के सामने अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम है। स्वतंत्रता से पहले जहाँ ये क्रांतिकारियों व समाज सुधारकों के लिए अपनी बात कहने का प्रमुख साधन था। तो वही लोगों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक भूमिका निभाता था। समाचार पत्र लोगों के सामने अपनी बात रखने का एक सस्ता और कारगर जनसंचार माध्यम है। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें काफी बदलाव देखने को मिले। आज पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना जाता है। इस शोध अध्ययन का विषय 'हिन्दी पत्रकारिता में समाचार पत्रों की दशा/दिशा का विस्तृत अध्ययन : आजादी से पहले और आजादी के बाद' है। जिसमें व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया गया है और द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में हम आजादी से पहले और आजादी के बाद पत्रकारिता के बदलते आयाम व स्वरूप पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आजादी से पहले समाचार पत्र स्वतंत्रता संग्राम के मिशन के रूप में कार्य करते थे। आजादी के पश्चात हिंदी पत्रकारिता दिशाहीन हो गई। पत्रकारिता का स्वरूप भी व्यवसायिक हो गया। हिंदी पत्रकारिता के लिए 30 मई का दिन बहुत ही अहम है। इस दिन हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड' प्रकाशित हुआ जोकि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कोलकाता से इसको साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में आरंभ किया। इसलिए 30 मई को 'हिंदी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ने का काम किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया।

मूल शब्द :- हिंदी पत्रकारिता, प्रिंट पत्रकारिता, समाचार पत्र, हिंदी भाषा।

उद्देश्य :-

1. हिंदी भाषी समाचार पत्रों के इतिहास का अध्ययन करना।
2. इसमें हम हिंदी पत्रकारिता और प्रिंट मीडिया का अध्ययन करेंगे।

3. आजादी से पहले व आजादी के बाद समाचार पत्रों की दशा/दिशा में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
4. हिन्दी पत्रकारिता में व्यवसायीकरण के कारण समाचार पत्र उद्योग में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना शामिल हैं।

परिचय :-

भारत में हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत लगभग 2 शताब्दी पूर्व मानी जाती है और भारत में इसका श्रेय भी एक अंग्रेज अधिकारी को दिया जाता है। जिसने अपने अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। पत्रकारिता का आरम्भ जेम्स अगस्टस हिक्की के अखबार 'बंगाल गजट' और 'कलकत्ता एडवरटाइजर' से माना जाता है जोकि 1780 में प्रकाशित हुए। इसके बाद अठारहवीं सदी के अंत में क्रमशः 'बंगाल जनरल' और 'कलकत्ता कार्निक्ल' आए। इन पत्रों का प्रकाशन स्थल कलकत्ता रहा। इसीलिए कलकत्ता को 'भारतीय पत्रकारिता का मुख्य द्वार' भी कहा जाता है। इन अखबारों का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश उत्पादों का प्रचार-प्रसार करना था। आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों को भी यह अंदाजा हो गया था कि इन अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के सहारे उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते अतः यह बात सभी लोगों ने महसूस की कि बगैर हिन्दी भाषा को अपनाये आजादी की राह प्राप्त करना आसान नहीं है क्योंकि हिन्दी उस समय अधिकांश प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा थी।

इसलिए हिन्दी में समाचार पत्र निकाले जाने की बात सोची जाने लगी और सबसे पहला अखबार 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' के रूप में सामने आया जो साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद राममोहन राय का 'बंगदूत' जोकि वर्ष 1829 में प्रकाशित हुआ और 'भारत मित्र' जो वर्ष 1878 में प्रकाशित हुआ।

स्पष्ट है कि हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी शैशवावस्था में ही स्वाधीनता आन्दोलन की विस्तृत धरातल को पा लिया था। अतः उसे फलने-फूलने के अनुकूल अवसर अधिक मिले। वास्तव में आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों के लिए अखबार एक कारगर हथियार बन चुका था।

सन् 1947 तक जितने भी हिन्दी अखबार निकले, उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की आजादी तथा हिन्दुस्तानी समाज में फैली बुराइयों को दूर करना और एक नये हिन्दुस्तान का निर्माण करना था। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि 1826 से लेकर 1947 तक जो भी हिन्दी दैनिक पत्र आए (साहित्यिक पत्रों को छोड़कर) उनकी भाषा हिन्दी ही थी। इनमें संस्कृतनिष्ठ और विशुद्ध हिन्दी की जगह सरल हिन्दी का प्रयोग होता था, जिसमें उर्दू के शब्द भी मिश्रित हुआ करते हुए थे क्योंकि इन समाचार पत्रों का काम जन-जन तक अपनी बात पहुंचाना था।

बीसवीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता ने राजनीतिक पत्रकारिता को एक दिशा देकर अपने को अलग कर लिया और तब विशुद्ध राजनीतिक पत्रिकाओं का अस्तित्व सामने आया। इस श्रेणी में पहली पत्रिका 1907 की 'नृसिंह' थी, जिसके संपादक अंबिका प्रसाद बाजपेयी थे।

इस दौर के कलम के धनी राजनीतिक पत्रकारों का उल्लेख इस प्रकार हैं: मदनमोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माधवराव सप्रे, बाबूराव विष्णु पराडकर, सम्पूर्णानन्द, पुरुषोत्तमदास टंडन, आचार्य नरेन्द्रदेव, राममनोहर लोहिया, श्रीप्रकाश और कमलापति त्रिपाठी आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता को न सिर्फ दिशा प्रदान की बल्कि उनकी दशा में परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्तरीय संवाद—पत्रिका के रूप में 'दिनमान' हिन्दी पत्रकारिता में प्रथम सुरुचिपूर्ण प्रयोग थी, जिसके सम्पादक सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' थे। उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'आज' में उनके उत्कृष्ट लेखन ने सभी पाठकवर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पं. विष्णु पराङ्कर के सम्पादन और नेतृत्व में इसका स्वरूप अत्यधिक विस्तारित और विशिष्ट हो गया।

इसी तरह डॉ. धर्मवीर भारती ने 'धर्मयुग' को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को धर्मयुग में स्थान देकर साहित्यिक वर्ग—भेद को मिटाया यह इसके साथ ही शिवपूजन सहाय और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी बहुत सारी पत्रिकाओं का सम्पादन किया।

आज समाचार पत्रों ने व्यवसायीकरण का रूप धारण कर लिया है। आज निजी स्वार्थ और लाभ कमाने के लिए इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। समाचार पत्रों के नैतिक मूल्य भी धूमिल हो चुके हैं क्योंकि आज बड़े—बड़े उद्योगपतियों द्वारा समाचार पत्रों का संचालन किया जाता है। समाचार पत्रों में समाचार से अधिक विज्ञापन छपने लगे हैं जो उस संस्थान की कमाई का जरिया बनते हैं। आज की पत्रकारिता में लाभदायकता ही खबरों और विज्ञापन का अनुपात तय करती है।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय पत्रकारिता सामाजिक दायित्व से शून्य है। प्रकाशित सामग्री में चटकारे और चापलूसी की ही प्रमुखता होती है। राजनीतिक खबरों के नाम पर सत्ताधारी दल के नेताओं, राजनेताओं के भाषणों और वक्तव्यों से अखबार भरे होते हैं। इसके साथ बीच में उन विरोधी दलों के नेताओं के आलाप प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी सत्ता में आने की संभावना होती है। चूंकि अभी पत्र—पत्रिकाओं की आवाज बहुत कुछ उनके मालिकों की आवाज बन गई है, कभी—कभी मालिक और राजनेताओं के समीकरण के हिसाब से भी यह तय किया जाता है कि किस नेता के बारे में कितना या क्या प्रकाशित किया जाए। राजनीति विश्लेषण के नाम पर नेताओं के निजी संबंधों के विवरणों और उनके घोटालों की प्रचुरता होती है।

आजादी के बाद निश्चित रूप से पत्रकारिता की चौतरफा उन्नति हुई है। इस उन्नति को पाठक—संख्या में बढ़ोतरी हुई है और नई—नई जगहों से पत्रों का निकलना और उनको जारी रहने के रूप में समझा जा सकता है। एक पत्र के अनेक संस्करण भी इसी दिशा में एक कड़ी हैं। हिन्दी पत्र—पत्रिकाएँ अपने वृहत् उद्देश्य को पूरा करने में जुटी हैं। सभी के सम्मिलित प्रयास से ही हिन्दी का स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो सकता है और इसके लिए राजनेताओं, साहित्यकारों, पाठकों सभी का सहयोग अपेक्षित है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिन्दी अभी भी अपने विकास के लिए सारी संभव कोशिशें कर रही है। इस दिशा में उन हिन्दी पत्र—पत्रिकाओं का उल्लेख आवश्यक है जिनकी सहायता से यह कार्य हो रहा है प्रमुख हिन्दी पत्रिकाओं में धर्मयुग, रविवार दिनमान, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, सरिता, माया, विज्ञान प्रगति, इंडिया टुडे, मुक्ता आदि हैं। इनके अतिरिक्त मनोहर कहानियाँ, नूतन कहानियाँ और महिलाओं की पत्रिकाओं में गृहशोभा, मनोरमा, मेरी सहेली, माधुरी, वनिता आदि हैं जो हिन्दी की प्रतिस्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अलग—अलग स्वरूपों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। परिणामस्वरूप आज हिन्दी में बाल पत्रिकाएँ हैं, तो फिल्मी पत्रिकाएँ भी हैं। विज्ञान पत्रिकाएँ भी हैं तो प्रतियोगिता सम्बन्धी पत्रिकाएँ भी हैं। हिन्दी में ज्योतिष और आयुर्वेद से सम्बन्धित पत्रिकाएँ निकल रही हैं, तो राजनीतिक विचारधाराओं के मुखपत्र भी निकल रहे हैं। हास्य और व्यंग्य की पत्रकारिता सक्रिय है, तो वही यौन समस्याओं पर केन्द्रित

पत्रिकाएँ भी छप रही हैं। विषयों की यह विविधता हिन्दी पत्रकारिता की विविध दशाओं की परिचायक कही जा सकती है।

हिन्दी पत्रकारिता का क्षेत्र जितना विशाल है उस दृष्टि से आज तक की स्थिति केवल संतोषजनक कही जा सकती है। आज एक हिन्दी अखबार को औसतन 10-15 पाठक तो नसीब होते ही हैं और अंग्रेजी अभी तक इस सुख से वंचित है। लेकिन यह भी एक कटु वास्तविकता है कि हिन्दी पत्रकारिता में जो चुनौतियाँ तीन-चार दशक पहले थीं, वहीं स्थिति आज भी बरकरार है। अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो वह किया जाए, कड़े कानूनी उपाय किए जायें ताकि हमारी अपनी भाषा वह स्थान पा सके जिसे गलत फहमी वश हमने अंग्रेजी को सौंप दिया है।

आज के काम्प्यूटर युग में चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, वीडियो पत्रिकाओं का प्रचलन बढ़ गया है, आज के बच्चे बाल साहित्य की जगह वीडियो गेम्स और रिमोट कंट्रोल के खिलौनों को ज्यादा तहजीब दे रहे हों, परन्तु यह सारा कुछ क्षणिक है। स्मरणीय है कि यह हमारे देश में प्रोजेक्टर और पर्दे से हटकर वीडियो फिल्मों का दौर आया तो सभी ने सोचा कि अब सिनेमा हॉल में लगी फिल्म को देखने में लोग रुचि नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थोड़े अन्तराल के बाद समय बदलते ही फिल्मों ने पुनः उसी लोकप्रियता को पा लिया, जहाँ पहले वह थी। मूल बात यह है कि लाख संचार क्रांतियाँ होती रहें परन्तु पत्र-पत्रिकाओं का सार्वजनिक महत्व कम नहीं होना चाहिए। बीच-बीच में थोड़े-बहुत व्यवधान तो आते ही रहते हैं, जिनका हल भी समय के साथ अपने आप निकलता जाता है। एक दूसरी बात विश्वसनीयता की है और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों का पत्रकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की भाषा पर से विश्वास उठ गया है। इस विखंडित लोक विश्वास को पुनः वापस पाकर ही सांस्कृतिक चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। आज हिन्दी पत्रकारिता में कुछ नये प्रयोगों की भी आवश्यकता है ताकि लोग हिन्दी पत्रकारिता की ओर उन्मुख हो।

परिकल्पना :-

1. हिन्दी पत्रकारिता लोगों को सूचना उलपद्ध कराने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
2. हिन्दी समाचार पत्र लोगों को जागरूक और प्रेरित करने का काम किया करते है।
3. हिन्दी पत्रकारिता की विषय वस्तु मुख्य रूप से समाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए व समाज सुधार के लिए होती हैं।

शोध की सीमाएं :-

1. इस शोध में केवल हिन्दी भाषी पत्रकारिता से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन किया गया है।
2. इस शोध में केवल मुद्रित माध्यम के आयामों और उसके स्वरूपों का अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन :-

1. मीडिया के पचास वर्ष (प्रभाष जोशी), पत्रकारिता रू मिशन या प्रोफेशन (बाल मुकुंद सिन्हा) के साहित्य अवलोकन में हमने पाया कि आज के परिवेश में पत्रकारिता में आई तमाम गिरावट की वजह प्रोफेशनवादियों को माना गया है क्योंकि आज पत्रकारिता मिशन की अपेक्षा प्रोफेशन पर अधिक बल देती हैं।
2. आज की पत्रकारिता ने व्यवसायीकरण की भूमिका को अपना लिया है। पहले के समय में पत्र पत्रिकाओं पर कुछ ही व्यक्तियों का अधिकार था तो वही आज के समय में एक ही घराना बैंकिंग का कारोबार भी करता

है और समाचार पत्र भी निकलता हैं। महज लाभ के उद्देश्य से पत्रकारिता का संचालन किया जा रहा हैं। आज की पत्रकारिता कही भी लोकतंत्र और लोगों की भागीदारी की बात नहीं करती। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप से पत्रकारिता नैतिकता और व्यवहारिक रूप भी परिवर्तित हो गया है।

निष्कर्ष :-

हिंदी पत्रकारिता में आजादी से पहले और आजादी के बाद में अनेक परिवर्तन देखने को मिले इसके बावजूद भी हिंदी पत्रकारिता की महत्वता में कोई फर्क नहीं पड़ा हैं। इतनी सारी तकनीक और डिजिटल स्वरूप जहाँ युवाओं को अधिक आकर्षित करती है तो वही समाचार पत्र/पत्रिकाओं के शौकीन व बड़े और उम्रदराज लोग आज भी चाय की चुस्कियों के साथ समाचार पत्र/पत्रिकाओं पढ़ना अधिक पसंद करते है। इतने सारे परिवर्तन व व्यवसायीकरण के कारण हिंदी पत्रकारिता व उसको पढ़ने वालों की संख्या भी बड़ी है। हिन्दी पत्रकारिता के आयाम और स्वरूप भले ही बदल गए हो। लेकिन इसके नियमित पाठक वर्गों की नजरों में इसका स्थान आज भी वही जो पहले था।

संदर्भ सूची :-

1. <https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%80&%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE>
2. <http://newswriters.in/against-commercialism/>
3. <https://www.hindikunj.com/2014/06/hindi-dasha-ewam-disha.html/m/1>
4. मीडिया के पचास वर्ष – प्रेमचंद पातंजलि (संपादक), बिजेन्द्र कुमार (सह-संपादक), राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली-110002

Mob- 8295436543

Email ID : rs8560935@gmail.com



हिन्दी कल आज और कल

सुनिता, एम.ए. हिन्दी, नेट व जे.आर.एफ.

गांव बागनवाला, तहसील व डाकखाना तोशाम, जिला भिवानी-127040

संसार की उत्पत्ति से भाषा का संबन्ध मानव जीवन से रहा है। मानव बोलचाल के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता आ रहा है। मानव जीवन में भाषा एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना मानव गूंगा है। इस विश्व में कई महाद्वीप राष्ट्र प्रांत है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का कथन :-

‘चार कोस पर पानी बदल, आठ कोस पर वाणी।’

यह कथन आज भी चरितार्थ हो रहा है। हिन्दी प्राचीन और समृद्ध भाषा है इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त भारत के लोकगायक नल दयमन्ती, राजा भर्तृहरि, आल्हा-उदल आदि के प्रेम, शौर्य की गाथायें जमाने से चली आ रही हैं, जो इस बात की और सकेत करती हैं कि हिन्दी का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। भारत जैसे विशाल देश व परम्परा में समृद्ध होने के बावजूद भी हमारे देश में विविधता होते हुए भी हर प्राणी अपने हिन्दी में विचार प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को समझ सकता है। हिन्दी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा कहते हैं। हिन्दी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। भारत में संस्कृत 1500 ई०पू० से 100 ई० पूर्व तक रही है ये भाषा दो भागों में विभक्त हुई— वैदिक और लौकिक। मूलरूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई, उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है।

संस्कृत के बाद जो भाषा आती है, वह पालि है, पालि भाषा 500 ई०पू० से पहली शताब्दी तक रही और इस भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। पालि के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। यह पहली ईसवी से लेकर 500 ई० तक रही। इस भाषा में जैन साहित्य का काफी विकास हुआ था। पहली ईसवी तक आते-आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। उस दौरान जो बोलचाल की आम भाषा थी वह सहज ही बोली व समझी जात थी, वह प्राकृत भाषा कहलाई। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण से अपभ्रंश का विकास हुआ और इसी अपभ्रंश भाषा से हिन्दी का उद्भव हुआ। अतः हमारी हिन्दी परंपरा में प्राचीन व समृद्ध भाषा है। पूरे देश के कवियों ने अपनी वाणी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया है।

हिन्दी के प्रचार प्रसार में आधुनिक साहित्यकारों ने एक स्वर से हिन्दी के गौरव का बयान किया है। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। आजादी के साथ ही महात्मा गांधी

ने कहा था कि— राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। 14 सितम्बर 1949 को संवैधानिक दृष्टि से हिन्दी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था लेकिन हमारे देश की विडम्बना तो देखिए आज आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं, पर हिन्दी को आज तक राष्ट्रभाषा लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता की दृष्टि से देखा जाए तो हिन्दी को राजभाषा बनना अत्यंत आवश्यक है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत होता है, वैसे ही राष्ट्र गौरव के लिए राजभाषा का होना भी जरूरी होता है। किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी भाषा पर ही निर्भर होता है, जितनी भाषा समृद्ध व व्यापक होगी, उसका विकास भी उतना ही होगा।

नागपुर में हुए प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को विश्वव्यापी मान्यता प्रदान की जाए। उस समय हमारे देश के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने उस समय हिन्दी में ही अपना भाषण दिया था, जो अपने आप में एक मिशाल है। ऐसे ही अफ्रीका से लौटने पर जो गांधी जी ने अपना हिन्दी में भाषा देना शुरू किया तो उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा था कि मैं हिन्दी में नहीं 'भारत की भाषा' में बोल रहा हूँ। हिन्दी भारत के लोगों के संवाद व एकात्मकता के लिए अनिवार्य है।

स्वाधीनता के बाद से ही हिन्दी के लिए विशेष कदम नहीं उठाये गए हैं, तभी तो आज तक हिन्दी अपना अनिवार्य ऐतिहासिक स्थान नहीं पा सकी। स्वाधीनता के प्रारंभिक नाजुक व भावनापूर्ण काल में हम भयानक चूक कर बैठे हैं, तब क्या पता था कि हिन्दी के साथ 15 वर्षों तक अंग्रेजी जारी करने का निर्णय हिन्दी को अपदस्थ करने के भूमिका साबित होगा।

दूसरी और आधुनिक समाज में ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अंग्रेजों से भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी परतन्त्रता आज भी बनी हुई। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी अंग्रेजी का काफी प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी स्तर के सामने हिन्दी बोलने वाले या हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों का निम्न स्तर का समझा जाता है। हालांकि इसके पीछे भी एक कारण है विभिन्न शासकीय संस्थाओं में अधिकारियों के चमन में अंग्रेजी माध्यम को वरीयता दी है। हमारी व्यवस्था ने समाज के अन्दर यह बात स्थापित कर दी है कि अंग्रेजी जानने वाली ज्ञानी ही उच्च स्तर के पढ़े-हुए लिखे होने का प्रमाण है। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज ने अपने बच्चों के प्रवेश की दिशा हिन्दी माध्यमों के विद्यालयों की ओर से हटाकर अंग्रेजी माध्यमों की तरफ कर दिया है।

हमारा समाज भी पाश्चात्य की नकल करने लगा है। जिसको कम स्तर की अंग्रेजी का ज्ञान है वह भी अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगता है। ऐसा तो नहीं था हमारे महापुरुषों का भारत उन्होंने तो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए हिन्दी भाषा का सर्वोच्च स्थान दिया था, लेकिन आजादी के बाद भी हमारी हिन्दी अपनी सही स्थान पर विराजमान नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति जितना अपनी भाषा में सरलता से सीखा सकता है वह अन्य भाषा में नहीं सीख सकता है। शासन एवं प्रशासन तंत्र को हिन्दी के विकास के लिए अपने स्तर ठोस कदम उठाने चाहिए।

हिन्दी हमारी भाषा की जननी है, साहित्य की गरिमा है, जन-जन की भाषा है। अतः ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिन्दी भविष्य की भाषा है। अपने जीवन में इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद भी हमारे भारत में सवार्धिक बोले जाने वाली भाषा है। आने वाले समय में हमारे युवा भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। इसलिए हिन्दी के प्रति विश्व स्तर पर लोकप्रियता में निरंतर बढ़ौतरी होगी। इस प्रवृत्ति से सहज ही यह

अनुमान लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में हिन्दी को संयुक्त संघ की भाषा में भी अधिकृत किया जाएगा और यह 'विश्व भाषा' के पद पर भी आसीन होगी।

वर्तमान समय में भारतीय के दिल और आत्मा में इसको स्वीकार्यता मिल चुकी है। 'हिन्दी विरोध' बीते कल की बात हो चुकी है। समस्त दक्षिण भारत में भी हिन्दी धीरे-धीरे सम्पर्क भाषा का ध्वज धारण किए आगे बढ़ती जा रही है। यह आने वाले समय का संकेत है। धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों पर तो हिन्दी पहले से ही लोकप्रिय थी। अब हिन्दी उद्योग: व्यापार, शिक्षा व मनोरंजन के क्षेत्र में स्थान ले रही है। भारत के युवा पीढ़ी की पसंदीदा भाषा हिन्दी ही है। आज भारत की युवा पीढ़ी भाषा के मामले में व्यापारिक, दृष्टिकोण अपनाती है। यह दृष्टिकोण हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने में और भी अधिक सहायक होगा। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है।

10 जनवरी संसार के विभिन्न देशों में विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और हिन्दी दोनो वर्चस्व विश्व स्तर पर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। 'हिन्दी विश्व में लोकप्रिय भाषा है'— यह तथ्य भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विश्व के अनेक देशों में अपना व्याख्यान हिन्दी में ही दिया, यह व्याख्यान सम्पूर्ण विश्व में लोगों ने बड़े चाव से सुना व समझा। हिन्दी भाषा की लोकप्रियता और उसका प्रभा मण्डल केवल भारत या भारत के पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सुदूर कैबियाई राष्ट्रों तक फैला है। मॉरीशस, फीजी, गुयाना सूरीनाम, टोबेगा जैसे देशों में यह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इतना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, अमेरिका ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हिन्दी लोकप्रिय है। विश्व की 18 प्रतिशत जनता हिन्दी जानती है। इसलिए अनेक देश अपने प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में हिन्दी को स्थान दे रहे।

दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दृष्टि हमारे देश पर है। आज इंटरनेट एवं ब्लांग सभी में हिन्दी भाषा का उपयोग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है। हिन्दी की एक बड़ी खासियत यह भी है कि हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही लिखते हैं, ऐसा केवल हिन्दी भाषा में ही सम्भव है। आज के युग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में हिन्दी विज्ञापनों की भरमार है। हिन्दी का व्यावसायिक रूप खूब निखर रहा है। विश्व में हिन्दी की लोकप्रियता का एक उदाहरण यह भी है कि आज विश्व के अनेक देशों में रेडियों व दूरदर्शन के माध्यम से हिन्दी में विभिन्न कार्यक्रम एवं समाचार आदि प्रस्तुत किये जा रहे हैं। भारतीय लगभग दो करोड़ लोग विश्व के 132 देशों में रहते हैं, जो कि संबन्धित देशों में भारत का ही नहीं, बल्कि हिन्दी भाषा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज इंटरनेट हिन्दी को अपनाने वाला नया बाजार है। यह हर क्षेत्र में अनिवार्य सा हो गया है। इसके बगैर कामयाबी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है यही नहीं, इंटरनेट पर आज हिन्दी में लिखी सामग्री का आसानी से अपलोड व डाउनलोड भी किया जा सकता है। अतः आज हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है तथा यह विश्व की एक सशक्त भाषा है।

अतः भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है। यह रुकना नहीं जानती, यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हिन्दी भाषा सबसे अहम हैं, क्योंकि इसमें हमारा मान है।



मैत्रेयी पुष्पा के कथा-साहित्य में विधि और हिंदी

अनु, शोधार्थी, पी.एच.-डी –(हिन्दी)

ज्ञानी देवी गुप्ता, शोध निर्देशक

सहायक प्रोफेसर हिन्दी-विभाग गुरुकाशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, बटिंडा (पंजाब)

शोध सारांश :-

बुंदेलखंड की धरती से डॉ. वृंदावन लाल वर्मा के बाद अगर हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षितिज पर किसी ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है तो वह नाम है बुंदेलखंड की बेटे मैत्रेयी पुष्पा का। डॉ. वृंदावन लाल ने खड़ी बोली में लिखे उपन्यासों में बुंदेलखंड के पात्र और विषयवस्तु का खूब प्रयोग किया पर बुंदेली बोली का प्रयोग नहीं किया। मैत्रेयी पुष्पा ने खड़ी बोली के साथ हिंदी का अभिनव प्रयोग कर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बुंदेली बोली की सौभाग्य की बिंदी हिंदी के माथे पर रखकर जहां राष्ट्रभाषा को एक नई ऊंचाई दी है, वहीं अपने घर और गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू को देश और दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए तो बुंदेलखंड के लोग उनके साहित्य के बारे में कहते हैं, हिंदी के माथे पर बिंदी बुंदेली की धरदई। हिंदी के उत्थान और बुंदेली बोली को व्यापक बनाने के लिए क्या सोचती हैं मैत्रेयी पुष्पा इसी मुद्दे पर उनसे टेलीफोन पर बातचीत की गई।

चलेंगे हम भी हिंदी साहित्य को बनाने,

खड़ी, बुंदेली और हिंदी को साहित्य में अजमाने।

बीज शब्द :- हिंदी जनभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी साहित्यिक भाषा, हिंदी औपन्यासिक भाषा आदि।

विषय-विश्लेषण :-

‘इदन्नमम’ उपन्यास में पाठकों ने हिंदी के साथ बुंदेली को लिया हाथों हाथ, मैत्रेयी जी ने बताया कि देश के कई बड़े पुरस्कार पाने वाले उनके उपन्यास इदन्नमम में साहित्य की भाषा कही जाने वाली खड़ी बोली से अधिक प्रयोग की गई हिंदी खूब चर्चा में रही। वृंदावन लाल वर्मा व मैथिलीशरण गुप्त ने खड़ी बोली में तो खूब लिखा पर बुंदेली से परहेज करते रहे। मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं कि उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में हिंदी पात्र लिए हैं, उन पात्रों के मुंह से खड़ी बोली के संवाद की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। हां मैंने इतना जरूर किया है कि पूरा संवाद हिंदी में होने के बाद भी उसकी तृषा को सरल हिंदी में कर दिया है, जिससे देश के दूसरे हिस्सों के लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसी का परिणाम रहा कि कर्नाटक जैसे गैर हिंदी भाषी प्रदेश में भी ‘इदन्नमम’ की हिंदी और बुंदेली की जुगलबंदी को खूब चर्चा मिली। बुंदेली एक रौबदार बोली है, दादी को बुंदेलखंड में लोग बरू कहते हैं। जब लोग पूछते हैं बरू का कर रई तो वह रौबदार जवाब

देती हैं, न कछू। बुंदेलखंड के किसान और महिलाओं के संवादों को मैंने हिंदी के उपन्यासों में भी बुंदेली में ही प्रयोग किया है। गांव के पथनवारे, पनघट महिलाओं के सुखदुख की व्यथा साझा करने के माध्यम रहे हैं, इनकी तस्वीर भी मैंने अपने लेखन में खींची है।

रेणुजी ने भी हिंदी के साथ आंचलिक बोली का सफल प्रयोग किया है।

मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं कि उनके द्वारा हिंदी का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है, इसके पहले फणीश्वरनाथ रेणु भी खड़ी बोली के साथ आंचलिक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। इसके लिए जरूरत होती है प्रबल इच्छाशक्ति की, क्योंकि अंचल के साहित्यकार जब दिल्ली की गोष्ठियों में पहुंचते हैं तो वे उसी साहित्यिक भाषा में बह जाते हैं और भूल जाते हैं अपनी मिट्टी की भाषा और संस्कृति को।

अंग्रेजी की गुलामी से उबरे बिना हिंदी को जनभाषा बनाना संभव नहीं हिंदी को जनभाषा बनाने के सवाल पर मैत्रेयी कहती हैं कि जब तक माता-पिता बच्चों को बिल्ली से कैटी और कुत्ते से डॉगी कहलवाना बंद नहीं करेंगे तब तक हिंदी को जन-जन की भाषा बनाना संभव नहीं है। देश आजाद हो गया पर हम अंग्रेजियत की भाषायी गुलामी से अब तक आजाद नहीं हो सके हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जिसके बूते हम दूसरों की भाषा और संस्कृति को न अपनाएं बल्कि दूसरे लोग हमारी भाषा और संस्कृति को स्वीकार करने को मजबूर हो जाएं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और मैंने कभी सीखने का प्रयास भी नहीं किया। मंचों पर अंग्रेजी में व्याख्यान देने वालों को मैं टोक देती हूँ कि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती कृपया आप हिंदी में बोलें। जब हम इस स्तर पर अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करेंगे तब हिंदी का उत्थान कोई रोक नहीं सकता।

मैत्रेयी पुष्पा का कहना है अपनी भाषा और अपनी मिट्टी की महक को कायम रखने के लिए साहित्यकार, कवि और पत्रकारों को आगे आना होगा। भाषा से ही व्यक्ति का सांस्कृतिक अस्तित्व है। अगर साहित्य में हिंदी का प्रयोग न करती तो शायद आज मैत्रेयी पुष्पा इस मुकाम पर न होती।

मैत्रेयी जी को हिंदी लेखिका के रूप में पहचान दिलाने में राजेंद्र यादव ने सहायता की है। उनकी लेखन प्रतिभा को निखारने का और उसे हंस पत्रिका के माध्यम से पाठक तक पहुँचाकर प्रसिद्धि दिलाने का पूरा श्रेय राजेंद्र यादव जी को ही जाता है। मैत्रेयी पुष्पा के इस हौसले के कारण उनका आत्मकथ्यात्मक उपन्यास हिन्दी में उपलब्ध आत्मकथाओं में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल हुआ है। 'चाक', 'इदन्नमम' और 'अल्मा कबूतरी' जैसे उपन्यासों की बहुपठित लेखिका मैत्रेयी पुष्पा की इस औपन्यासिक कृति के कुछ अंश यत्र-तत्र प्रकाशित होकर पहले ही चर्चित हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि 'कस्तूरी कुण्डल बसै' हिन्दी के आत्मकथात्मक लेखन को एक नई दिशा देने में समर्थ है।

मैत्रेयी जी कई बार साहित्यिक हलकों में विवाद का केंद्र बन चुकी हैं। एक बार 'हंस' के संपादक राजेंद्र यादव ने उनकी तुलना 'मरी हुई गाय' से की तो पूरे देश में जमकर बात का बतंगड़ हुआ था। वह कहती भी हैं कि लोग तरह-तरह के कमेंट देते हैं, अपनी समझदारी से देते हैं, सहमति-असहमति प्रकट करते हैं। उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सन 2010 में एक बार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के तत्कालीन कुलपति और लेखक विभूति नारायण राय की हिंदी लेखिकाओं पर दो अखबारों में एक टिप्पणी छपी, जिसमें विभूति राय की ओर से कहा गया कि— 'हिंदी लेखिकाओं में एक वर्ग ऐसा है, जो अपने आप को बड़ा

‘छिनाल’ साबित करने में लगा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ महिला लेखिकाएं ये मान के चल रही हैं कि स्त्री मुक्ति का मतलब स्त्री के देह की मुक्ति है। हाल में कुछ आत्मकथाएं भी आई हैं, जिनमें होड़ लगी है कि कौन सबसे बड़ा इन्फेडेल है। यह गलत है।’

इस पर मैत्रेयी पुष्पा का वक्तव्य आया था कि ‘हम महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर यहां पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह के पुरुष हमें गालियां देते हैं, एक पत्थर मारते हैं और सब पर कीचड़ फैला देते हैं। इसमें क्या संकीर्ण है कि अगर औरतें अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम क्या करें, पर आप क्या गाली देंगे?’ मैत्रेयी जी पहली ऐसी महिला लेखिका मानी जाती हैं जिसने अपनी कृतियों में गांव की स्त्री की व्यथा को पूरी गहराई से जाना, समझा और व्यक्त किया।

मैत्रेयी पुष्पा को साहित्य के प्रति रुझान तो लगभग बचपन से ही था। उन्हें तीसरी कक्षा से ही कविता पढ़ना अच्छा लगता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ऐसे पत्र लेखन आरंभ कर दिये थे। जिससे उधार वाले लोग पत्र पढ़कर उनकी माँ को स्वयं ही लगान के पैसे दे जाया करते थे। मैत्रेयी जी ने वास्तविक रूप से हिंदी साहित्यिक लेखन का आरंभ विवाह के उपरांत ही किया। मैत्रेयी जी का प्रथम काव्य संग्रह ‘लकीरे’ हैं। उस काव्य संग्रह को छपवाने का प्रयास किया।

मैत्रेयी पुष्पा जी जब इंटर में पढ़ रही थी उस वक्त ‘बाड़े की औरतों के लिए’ नामक कविता हिंदी में लिखकर निम्न वर्ग की महिलाओं के प्रतिहीन भावनाओं और उच्च वर्गों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाली कुप्रथा का पर्दाफाश किया। कविता अखबार में क्या छपी, मकान मालिक ने लेखिका को घर से बाहर निकाल दिया। बाड़े के सभी लोग मैत्रेयी से मानहानि की बातें करने लगे। लेखिका ने जब भी ईमानदारी से अपनी कलम को रफ्तार देने की कोशिश की तभी बदनामी का सामना करना पड़ा।

मैत्रेयी के हिंदी काव्य से हिंदी कथा के सफर में बेटे नम्रता का हाथ नजर आता है। कविताएँ पढ़ने के उपरांत बेटे नम्रता ने कहा, “हिंदी कहानी लिखो मम्मी, कविता में आप खुद को विस्तार से व्यक्त नहीं कर पाती। याद है, हमारी स्कूल मैगजीन के लिए आपने हिंदी में एक कहानी लिखी थी ‘हबेली’।”

लेखिका ने अपने हिंदी साहित्यिक यात्रा का शुभारंभ इस प्रकार किया और आज हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशेष पहचान बना चुकी हैं। 1990 में ‘स्मृति दंश’ नामक उपन्यास से लेखिका मैत्रेयी ने हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। लघु उपन्यास ‘स्मृति दंश’ को अगनपाखी नाम से फिर से लिखा गया।

मैत्रेयी पुष्पा को अब तक हिंदी साहित्य के कई सम्मान हासिल हो चुके हैं, जिनमें ‘सुधा स्मृति सम्मान’, ‘कथा पुरस्कार’, ‘साहित्य कृति सम्मान’, ‘प्रेमचंद सम्मान’, ‘वीरसिंह जू देव पुरस्कार’, ‘कथाक्रम सम्मान’, ‘हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान’, ‘सरोजिनी नायडू पुरस्कार’ और ‘सार्क लिटरेरी अवार्ड’ प्रमुख हैं।

मैत्रेयी जी कई बार साहित्यिक हलकों में विवाद का केंद्र बन चुकी हैं। एक बार ‘हंस’ के संपादक राजेंद्र यादव ने उनकी तुलना ‘मरी हुई गाय’ से की तो पूरे देश में जमकर बात का बतंगड़ हुआ था। वह कहती भी हैं कि लोग तरह-तरह के कमेंट देते हैं, अपनी समझदारी से देते हैं, सहमति-असहमति प्रकट करते हैं। उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सन 2010 में एक बार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के तत्कालीन कुलपति और लेखक विभूति नारायण राय की हिंदी लेखिकाओं पर दो अखबारों में एक टिप्पणी छपी

जिसमें विभूति राय की ओर से कहा गया कि— 'हिंदी लेखिकाओं में एक वर्ग ऐसा है, जो अपने आप को बड़ा 'छिनाल' साबित करने में लगा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ महिला लेखिकाएं ये मान के चल रही हैं कि स्त्री मुक्ति का मतलब स्त्री के देह की मुक्ति है। हाल में कुछ आत्मकथाएं भी आई हैं, जिनमें होड़ लगी है कि कौन सबसे बड़ा इन्फेडेल है। यह गलत है।'

इस पर मैत्रेयी पुष्पा का वक्तव्य आया था कि 'हम महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर यहां पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह के पुरुष हमें गालियां देते हैं, एक पत्थर मारते हैं और सब पर कीचड़ फैला देते हैं। इसमें क्या संकीर्ण है कि अगर औरतें अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो हम क्या करें, पर आप क्या गाली देंगे?' मैत्रेयी जी पहली ऐसी महिला लेखिका मानी जाती हैं जिसने अपनी कृतियों में गांव की स्त्री की व्यथा को पूरी गहराई से जाना, समझा और व्यक्त किया।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. बुंदेलखंड की झाँसी, मैत्रेयी पुष्पा, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 71
2. हंस पत्रिका, संपादक राजेद्र यादव।
3. आगनपाखी, मैत्रेयी पुष्पा, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 77
4. अल्मा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 75
5. कस्तूरी कुंडल कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, सन् 2002, पृष्ठ 3030
6. इन्टरनेट से संबंधित तथ्य।

ANU, D/O Sushil kumar

Bhadra Bazar, Fariya wali Gali, Gali No.-4, Sirsa, Haryana-125055

email-anurana02929@gmail.com.

Mobile n.-9354709797



भूमण्डलीकरण और हिन्दी

डॉ० शारदा कुमारी

मकान नं० 358 विकास नगर, भिवानी हरियाणा 127021

भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण से अभिप्राय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी अवधारणा से है जिसका तात्पर्य सम्पूर्ण विश्व के मनुष्यों का अपने क्षेत्र, धर्म, संस्कृति तथा राष्ट्र के दायरे से निकलकर विश्व मानव के रूप में विस्तार करना है। यह एक राजनैतिक सामाजिक चेतना है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित होती है। भूमण्डलीकरण को अन्तर्राष्ट्रीयकरण भी कहा जा सकता है। इससे एक राष्ट्र के लोगों का मेलजोल अन्य राष्ट्र के लोगों के साथ होने से उनकी भाषा, साहित्य कला, संस्कृतियों शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी आदि का ज्ञान होता है तथा एक दूसरे को जानने व समझने से उनके बीच की दूरियाँ कम हो जाती है। पूरा विश्व एक कुटुम्ब की भाँति लगने लगता है। इसी से आज सूचना तकनीकी के युग में विश्व को 'वैश्विक ग्राम' की संज्ञा दी जाती है।

भूमण्डलीकरण के उद्भव का मूल कारण विश्व की आर्थिक व्यवस्था की कल्पना है। जिससे दुनिया के देशों के मध्य व्यापार को अत्यधिक विस्तार प्रदान कर उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य निवेश के लिए तैयार करना है। शिक्षा व रोजगार के लिए मुक्त आवागमन तथा परिवहन व तकनीकी विकास के चलते दुनिया को एकीकृत करना है। 'वैश्विक' शब्द भारतीय संस्कृति के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की उत्तर आधुनिक सोच है। भारतीय अवधारणा मानवता पर आधारित है। जबकि 'वैश्विक' नवान्मेष अर्थ पर अवलम्बित है। इस प्रकार इनके चिन्तन में विभेद है। वैश्वीकरण के विस्तार में मानवता के साथ शिष्टता जोड़ने, उनके भाव संसार और आचार विचार के साथ वैश्विक चेतना को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

"वैश्वीकरण से तात्पर्य आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा उदारीकरण आदि ऐसे सकारात्मक शब्द हैं, जो विश्व के नए विधान की पैरवी में बार-बार इस्तेमाल हो रहे हैं। इन शब्दों से लगातार यह अहसास दिलाया जाता है कि वैश्वीकरण एक जरूरी आर्थिक प्रक्रिया है। जिसके बिना इक्कीसवीं सदी में मानव जाति का कल्याण संभव नहीं है। आर्थिक उदारीकरण से सीधा तात्पर्य है, 'मुक्त बाजार' मुक्त अर्थव्यवस्था तथा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था। यहाँ स्वतन्त्रता का अर्थ बाजार की स्वतन्त्रता से है।"¹

नाएम चोमस्की का तर्क है— "सैद्धांतिक रूप में वैश्वीकरण शब्द का उपयोग आर्थिक वैश्वीकरण के नवउदार का वर्णन करने के लिए किया जाता है।"

हर्मन इ डेली का तर्क है— कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण शब्दों का उपयोग एक दूसरे के

स्थान पर किया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से इनमें मामूली अंतर है। अन्तर्राष्ट्रीयकरण शब्द का उपयोग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संबंध तथा संधियों आदि के महत्व का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय का अर्थ है। राष्ट्रों के बीच।²

वैश्वीकरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसी की चिंता डॉ० राधेश्याम शुक्ल के काव्य 'कैसे बुने चदरिया साधो' की कविताओं 'चूल्हे तक बाजार आ गया,' 'भूमण्डलीकरण ले आया', 'मल्टीनेशनल प्लेटों में हम' भी साफ दिखाई देती है।

"चूल्हे तक बाजार आ गया
अम्मा, घर संभाल कर रखना
कल भी था बाजार यहाँ पर
किन्तु नहीं था निर्मम इतना
खड़े बीच बाजार,
कबीरों का न डिगा था संयम इतना।
सबकी खैर माँगते सब थे,
बैर दोस्ती के असूल थे
जेब नहीं काटी जाती थी
कारोबारी भी 'रसूल' थे"।³

इसी प्रकार :

"भूमण्डलीकरण ले आया"
मेरे गाँव उजास
सभी अर्ध बेहोश
किसी को नहीं खबर है।
पश्चिम से उगते सूरज की
कहाँ नजर है
छाँव आग बरसाएगी
है इसका नही कयास"।⁴

वैश्वीकरण के कारण पूँजीवादी साम्राज्य तथा बाजारवाद का उदय हुआ है। इसे ही उदारीकरण भी कहा जाता है परन्तु यह आमजन के लिए बिल्कुल भी उदार नहीं हो पाई। स्थानीय बाजारों का अधिग्रहण करने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का तंत्र सभी तरह के छल-छद्म का प्रयोग कर रहा है। "बाजार पर अंकुश जितने कम होंगे आर्थिक निर्णय उतने ही बेहतर होंगे। क्योंकि स्वतन्त्रता हर व्यक्ति को यह अवसर देती है कि वह अपने सर्वोत्तम हित में फैसला कर सकें मुक्त व्यापार की अर्थव्यवस्था पर चलकर अमेरिका तथा अन्य देशों ने सम्पन्नता हासिल की है। इसीलिए अन्य देशों को भी लगता है, अमेरिका की राह पर चलकर ही सम्पन्नता प्राप्त की जा

सकती है।

वैश्वीकरण का सबसे सशक्त अंग भाषा है। जो सम्पूर्ण विश्व को जोड़ने में सेतू का कार्य करती है। हम परस्पर संवाद स्थापित करके ही अपने कार्य व्यापार का निष्पादन कर सकते हैं। भाषा ही किसी समाज, व्यक्ति अथवा राष्ट्र की अस्मिता का निकष है। भाषा हृदय के भावों एवं विचारों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ सभ्यता एवं संस्कृति की संवाहक होती है। हमारी हिन्दी भाषा विश्व भाषा की क्षमताओं से समपन्न भाषा है। वैसे तो वैश्विक फलक पर अंग्रेजी, फ्रांसिसी, चीनी और स्पेनिश आदि भाषाओं का वर्चस्व है किन्तु किसी भी भाषा के वैश्विक होने का प्रमुख आधार प्रयोक्ता वर्ग की संख्या और भाषा में होने वाले साहित्यिक कार्य को माना जाता है। विकसित देशों की इन भाषाओं ने 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद के आधार पर प्रचार प्रसार कर विश्व भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उस समय हमारा देश पिछली शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक गुलाम था तथा इसने भाषायी दबाव को झेला है। लेकिन उन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हिन्दी की अस्मिता दबावों में भी प्रखर रही। वैश्विक धरातल पर कोई भाषा ऐसे ही अनायास उभर कर अपना वर्चस्व नहीं बना सकती। इसके पीछे भाषा की सनातनता का भी महत्वपूर्ण हाथ रहता है। भाषा की वैश्विकता के प्रमुख दो आधार हैं। प्रथम यह कि आलोच्य भाषा कितने बड़े भू-भाग में बोली जाती है। और उस पर कितना साहित्य रचा जा रहा है। दूसरी अहम् बात यह है कि वह भाषा कितने लोगो द्वारा व्यवहृत हो रही है। उसी विचार के साथ हमें हिन्दी को विश्व में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं की कसौटी पर परखना होगा।

सम्पूर्ण विश्व में अनेकानेक भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। परन्तु कुछ ही भाषाओं के साहित्य का स्तर इतना उन्नत व विशाल है कि उस भाषा की रचनाओं का अनुवाद विश्व की अन्यान्य भाषाओं में अनुदित किये जाने की एक निरंतर प्रक्रिया व परम्परा हो। निश्चित रूप से उसी भाषा की प्रयोजनीयता प्रमाणिक मानी जाती है और तभी विश्व स्तर पर भाषा की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनी रह सकती है।

आज हम इस कसौटी पर हिन्दी भाषा को परखते हे तो पाते हैं कि हिन्दी भाषा व साहित्य में वह क्षमता व दायित्वबोध है। जो उसे विश्व मंच पर न केवल स्थापित कर सकता है अपितु सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी बखूबी निभा सकती है। हिंदी जिस गति व उर्जा के साथ विश्व मंच पर अग्रसर हो रही है उसके अनुसार जल्दी ही हिन्दी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली व समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। अभी तक हिन्दी भाषा चीनी अर्थात् मेंडेरिन के पश्चात् संसार में दूसरे स्थान पर कही जा सकती है। इसको समझने व बोलने वालों का बहुत ही बड़ा वर्ग है। हिन्दी भाषा का प्रयोग लगभग दुनिया के 120 देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की सन् 2016 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 308 मिलियन प्रवासी भारतीय दुनिया में फैले हुए हैं। युनाईटेड नेशन्स की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 'प्रवासी भारतीय वर्ग' दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी वर्ग है। उन्होंने अपना साहित्य भी अत्यधिक मात्रा में लिखा है। हिन्दी के इस प्रवासी साहित्य के सर्वेक्षण से हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। इस प्रवासी साहित्य ने हिन्दी भाषा को वैश्विक स्तर पर उभारा है। हिन्दी भाषा का प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का एक सेतू तो बनता है जिसके मूल में भारतवासियों का स्वदेश प्रेम, संस्कृति प्रेम के साथ सहभागिता एवं सहयोग अटूट

रूप से प्रदर्शित होता है।

वर्तमान समय में हिन्दी भाषा का साहित्य फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी तथा चीनी आदि भाषाओं के लगभग समकक्ष है। गुण एवं परिणाम दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी भाषा का साहित्य वैश्विक एवं बहुस्तरीयता में संसार की सभी भाषाओं से अत्यन्त समृद्ध एवं उच्चकोटि का है। कामायनी, रामचरितमानस, पद्मावत तथा प्रेमचन्द का साहित्य विश्व के अधिकांश देशों में बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। हिन्दी भाषा में लिखित रामकथा को पूरे विश्व में सभी भाषाओं में अनुदित किया जा चुका है। हिन्दी के विदेशी साहित्यकार देश तथा विदेशों में हिन्दी भाषा को विश्व फलक पर अग्रणी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रो० उषा शुक्ला, डॉ० कविता वाचक्नवी, नीलू गुप्ता, डॉ० इन्दुप्रकाश, प्रो० शिवकुमार सिंह, इन्द्रदेव भोला, इन्द्रनाथ, सुश्री स्नेह ठाकुर आदि अनेक प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्होंने विदेशों में हिन्दी साहित्य का परचम लहराया है। इस दिशा में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं ने भी अहम् योगदान दिया है। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं—‘भारत दर्शन’ (न्यूजीलैंड), ‘प्रवासी और सरस्वती पत्र’ (कनाडा), अभिव्यक्ति (संयुक्त अरब अमीरात) ‘कर्मभूमि’ (अमेरिका), —‘शांतिदूत’ (नॉर्वे), —‘प्रवासी टाइम्स’ (ब्रिटेन), —‘मैत्री’ (बुल्गारिया), —‘हिन्दी निधिस्वर’ (त्रिनिडाड एवं टोबैगो),—‘विविध भारत’ (नेपाल)।

इसके अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ तथा विदेश मंत्रालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन का कार्य रहा है। विदेश मंत्रालय की हिन्दी वेबसाइट (www.mea.gov.in) भी हिन्दी भाषा के उपयोग व प्रयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्व हिन्दी सचिवालय मॉरीशस भी हिन्दी साहित्य को वैश्विक स्तर स्थापित करने में अहम् योगदान दे रहा है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनों में सबसे प्रमुख विश्व हिन्दी सम्मेलनों को गिना जाता है। जिसकी शुरुआत 1975 में नागपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से हुई थी। हर वर्ष विश्व हिन्दी सम्मेलनों के अंत में कुछ मतव्य अथवा उद्देश्य पारित किए जाते हैं जिनका अक्षरस पालन करने की कोशिश भी जारी है।

“डॉ० जयंती प्रसाद नौटियाल द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर विश्वास करे तो विश्व में हिन्दी समझने वालों की संख्या 18.9 प्रतिशत है। जो विश्व की किसी अन्य भाषा से अधिक है। भारत ही नहीं भारत से बाहर मॉरीशस, फीजी, त्रिनिडाड, टोबैगो, सूरीनाम तथा दक्षिण अफ्रीका में भारत मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। जो हिन्दी समझते एवं बोलते हैं साथ ही नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तथा दुबई जैसे देशों में भी हिन्दी व्यापक रूप में समझी और बोली जाती है। आज कई वैश्विक कम्पनी हिन्दी भाषा के महत्व को जानते हुए दर्शकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने लगी है। कम्पनियाँ ही क्यों आजकल मोबाईल में भी अंग्रेजी की जगह हिन्दी भाषा का प्रयोग होने लगा है। सोशल मीडिया पर भी आज ज्यादातर हिन्दी भाषा का चयन किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मीडिया जगत में भी हिन्दी की प्रांसगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मॉरीशस में हिन्दी भाषा चैनलों के माध्यम से धूम मचाएँ हुए हैं।

भूमण्डलीकरण के इस दौर में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वर्तमान में हिन्दी भाषा भी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्वीकरण अथवा भूमण्डलीकरण का हमारी हिन्दी भाषा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। “खुले बाजार

के दौर में लगी होड़ में कोई भी उत्पादक, उद्यमी या कम्पनियाँ अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उन्हें अपना माल बेचना है। जितना जल्दी और जैसे भी हो सके वे उन सभी उपायो का सहारा लेना चाहते हैं जो उसके उत्पाद को ग्राहकों में लोकप्रिय बना सकें। इसलिए जो भी विदेशी कम्पनियाँ भारत में व्यापार करना चाहती हैं, उन्होंने अपने प्रबन्धको को हिन्दी सिखलाना आरंभ कर दिया है।⁷

“हिन्दी भाषा आज भारत के बाहर करीब 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। दुनिया के तमाम विकसित तथा विकासशील देशों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। केवल ज्ञान के लिए ही हिन्दी का अध्ययन नहीं हो रहा, वरन इसके पीछे वह आर्थिक पहलू भी है, जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। इसलिए कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अपने उत्पाद के लिए हिन्दी के इस विस्तृत बाजार की उपेक्षा नहीं कर सकती।⁸”

“वैश्विक बाजार के कारण हमारी हिन्दी भाषाओं में नित नए शब्द भी आ रहे हैं। जीवत भाषाएं अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करती ही रहती हैं। कबीर ने भाषा को ‘बहता नीर’ कहकर इसकी प्रकृति को ठीक ही रेखांकित किया था। किन्तु जब सुर-सरिता के बहते नीर में गंदे नालों का पानी आने लगे तो उस नीर का ओर सरिता का क्या होगा। बाजार के वैश्वीकरण से जहाँ हिन्दी और भारतीय भाषाओं के दिन फिरते नजर आ रहे हैं, वही इनकी प्रकृति में विकृति के लक्षण भी तेजी से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मनोरंजन के नाम पर उत्तेजक फुहड़पन से भरपूर और अश्लीलता युक्त भाषा का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है, जो सब खुले बाजार में उपभोक्ताओं के रिझाने के नाम पर किया जा रहा है। भाषा में अंग्रेजी शब्दों की अंधाधुंध भरमार हिन्दी के स्वरूप को ही बिगाड़ रही है। इसे भाषा का प्रदूषण ही कहा जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय चैनलों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ऐसी भाषा को जन्म दे रहे हैं, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी की खिचड़ी होती है। इन चैनलों द्वारा मानो विशेष लटकों-झटकों के साथ अंग्रेजी शब्दों के मायाजाल में पिरोई गई हिन्दी को समाज में स्वीकृत कराए जाने का अभियान चल रहा है। हिन्दी में उपलब्ध सरल शब्दों के बदले अंग्रेजी शब्दों का अनावश्यक प्रयोग अटपटा तो लगता ही है। हास्यास्पद भी लगता है।⁹”

“बाजारवाद के सिद्धांत से जो भाषा समाने आ रही है, वह संस्कारित भाषा नहीं है। इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। भूमण्डलीकरण की इस आंधी से प्रभावित कुछ शब्द तो हमारी भाषा में आएंगे ही उन्हें बचाने की क्षमता हिन्दी में है, किन्तु जब भाषा का मूल स्वरूप ही बिगाड़ जाए तो वह हिन्दी कहाँ रह जाएगी? हिन्दी और भारतीय भाषाओं के सामने एक बड़ी कठिनाई इसका बढ़ता हुआ रोमनीकरण है। सिनेमा और विज्ञापनों में हिन्दी को रोमन लिपि में लिखने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। जो अशुभ लक्षण है। इस प्रवृत्ति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सूचना क्रान्ति और वैश्विक बाजारवाद के इस युग में जहाँ हिन्दी और भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकृति मिल रही है, नए शब्द और प्रयुक्तियाँ भाषा में आ रहे हैं, हमें इन भाषाओं की मूल प्रकृति को बनाए रखने के प्रति भी सचेष्ट रहना होगा।¹⁰ क्योंकि यह किसी की सोची समझी हुई साजिश भी हो सकती है। कहा भी गया है कि किसी राष्ट्र को यदि गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा खत्म की जाती है। उसकी जड़े काटी जाती हैं। अगर हम स्वयं अपनी भाषा के महत्व को नहीं समझेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे और अपनी जड़े अपने आप काटने के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे।”

अंत में हम कह सकते हैं कि समय और गति महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और बाजार भाषा ही व्यापार जगत का मापदंड होती जा रही है तो हिन्दी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को इन चुनौतियों का सामना करना होगा और वास्तविकता से जूझना होगा। इन्हें जनभाषा के रूप में ही नहीं, अपितु बाजार भाषा के रूप में भी अपने को स्थापित और सिद्ध करना होगा। हिन्दी विश्व की प्रधान भाषाओं में से एक ही नहीं विश्व के सबसे बड़े गणराज्य की राजभाषा भी है। इसे भूमण्डलीकरण के वर्तमान परिवेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रख कर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्मसामयिक हिन्दी साहित्य विविध आयाम— डॉ० बालशौरी रेड्डी।
2. साभार— विकीपीडिया।
3. कैसे बुने चदरिया साधों — डॉ० राधेश्याम शुक्ल।
4. कैसे बुने चदरिया साधों — डॉ० राधेश्याम शुक्ल।
5. स्मसामयिक हिन्दी साहित्य विविध आयाम— डॉ० बालशौरी रेड्डी।
6. हिन्दी भाषा विविध आयाम— डॉ० परमानंद पांचाल।
7. हिन्दी भाषा विविध आयाम— डॉ० परमानंद पांचाल।
8. हिन्दी भाषा विविध आयाम— डॉ० परमानंद पांचाल।
9. हिन्दी भाषा विविध आयाम— डॉ० परमानंद पांचाल।
10. हिन्दी भाषा विविध आयाम— डॉ० परमानंद पांचाल।

मो०— 9728102886



जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी भाषा के विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन

निलेश नाथ, (पीएच.डी. शोधार्थी, हिंदी विभाग)

डॉ. वीणा छंगाणी, शोध निर्देशिका

(अधिष्ठात्री, मानविकी एवं कला संकाय), अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर।

शोध-आलेख :-

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सामान्य मनुष्य की सारी गतिविधियों का क्षेत्र समाज ही होता है। समाज में परस्पर विचारों के आदान-प्रदान या संप्रेषण के लिए मनुष्य के पास सबसे सशक्त साधन भाषा ही है। भाषा व्यक्ति के विचार, प्रतिक्रियाओं तथा भावनाओं का सशक्त माध्यम है, इसी के आधार पर उसके जीवन की गतिविधियां निर्भर है। किसी भी समाज के निर्माण में संचार की विशेष भूमिका होती है। मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक परम्पराओं के स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया में संचार प्रणाली का विशेष योगदान होता है। जैसे भारत देश विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ का खान-पान, रहन-सहन, त्यौहार, पर्व, धर्म, जाति अनेक होते हुए भी भारत देश की सामाजिक संस्कृति एक है। सम्पूर्ण संस्कृतियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन सब को भाषा के माध्यम से ही एकता के सूत्र में समाहित किया जाता है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है।

भाषा का विकास ही संप्रेषण और संवाद के लिए हुआ है। यही कारण है कि जिन माध्यमों के द्वारा संप्रेषण का कार्य संपन्न होता है उसको भाषा कहने का चलन है। आदिकाल से ही मानव ने संचार के लिए नए-नए तरीके खोजने का प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त की है। जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ था वह संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषित करता रहता था, लेकिन जब भाषा का उद्भव हुआ तो विचारों और भावनाओं के संप्रेषण के लिए मनुष्य ने पत्रों एवं दूतों का सहारा लिया। विज्ञान के आविष्कार से और नवीन तकनीकी ज्ञान से संप्रेषण के नए-नए मार्ग खोजे गए।

संप्रेषण के माध्यमों के द्वारा विकास में पहला कार्य समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया फिर रेडियो एवं दूरदर्शन के आगमन से संप्रेषण को नया रूप मिला। हिंदी भाषा के प्रसार में दूरदर्शन ने एक अहम भूमिका निभाई। इससे सूचनाएं एवं मनोरंजन देश के प्रत्येक हिस्से में फैलने लगा। इसी प्रकार जैसे-जैसे आधुनिक युग में तकनीकी विकास में तेजी से क्रांति आई है, उसके कारण आम जन-जीवन की गतिविधियों में तीव्रता से बदलाव आया है। इंटरनेट के विकास के बाद तो संप्रेषण प्रणाली सोशल मीडिया के नाम से नवीनतम साधन के रूप में विकसित हुई है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मोबाइल फोन और कम्प्यूटर के जरिये

सोशल मीडिया के रूप में इस तकनीक का प्रयोग कर रही है। इस तकनीक का भारतीय समाज पर भी गहरा असर हुआ है। आज भारतीय समाज में फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सऐप, यू-ट्यूब, लिंक्डइन, स्नेपचैट, टेलीग्राम, ब्लॉगिंग एवं वी चैट जैसी अनगिनत एवं अनेकों सॉफ्टवेयर प्रणालियों के माध्यम से कई सोशल मीडिया प्रचलन में है और इन सोशल मीडिया में हिंदी भाषा में कार्य करने की सुविधा आ जाने से हिंदी भाषा का विकास भी हुआ है।

प्रत्येक देश की अपनी एक विशेष पहचान होती है जिसमें उस देश के खान-पान, वेशभूषा, संस्कृति, रिति-रिवाज, परम्पराओं और क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसार के सभी देश अपनी इन सभी विशेषताओं के कारण एक-दूसरे देश से अलग पहचान रखते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश की अपनी एक खास भाषा होती है जिसमें सभी देशवासी संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अपने दैनिक क्रियाकलापों को सम्पन्न करते हैं। भाषा में, सम्बन्धित देश की विशिष्ट पहचान होती है। इस दिशा में विश्व के अनेक विकसित देशों में भाषायी प्रयोग के स्वरूप को देखा-समझा जा सकता है। भारत भी उन्हीं विकसित देशों में से एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ की संस्कृति आज भी पूर्ण विकसित देशों से सर्वोच्च स्थान पर है। परन्तु भाषायी प्रयोग की दृष्टि से आजादी के 72 वर्ष बाद भी आज तक हम इस देश की प्रमुख भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त और ज्यादा कुछ स्थान प्रदान नहीं करवा पाये हैं।

आज भी हमारे देश के प्रमुख उत्सवों पर आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों, सभापतियों के भाषण की भाषा अंग्रेजी ही बनी हुई है। व्यवहारिक नजरिये से देखा जाए तो भारत देश में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा हिंदी ही है परन्तु राजनीतिक एवं राजकीय पृष्ठभूमि में इसके प्रयोग का दोहरापन रूप दिखाई देता है। संसद में पुछे जाने वाले प्रश्न और अन्य राजकीय सभाओं में होने वाली संगोष्ठियों की भाषा अधिकांशतः आज भी हिंदी की जगह अंग्रेजी ही है। इन सब के बावजूद भी आज भारत की भाषा हिंदी विस्तृत हो रही है, फैल रही है। इसके पूर्व रूप और वर्तमान स्वरूप में आये परिवर्तन को भी आसानी से देखा समझा जा सकता है। न केवल भारत देश में अपितु संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव छोड़ा है। विश्व की चर्चित भाषाओं में हिंदी आज तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है।

लम्बे समय तक विभिन्न विदेशी शासकों के प्रभाव से भारत की भूमि अपनी मूल संस्कृति के साथ-साथ अपनी पहचान के कई मार्ग भी प्रभावित होने से नहीं रोक पाई। हजारो किलोमीटर की दूरी से आये अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी का प्रभाव, वर्षों तक हम सभी पर हावी रहा है और आज भी इसका स्वरूप देखने को मिल ही जाता है। स्वाधीनता के बाद कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित भाषा हिंदी उपेक्षित जीवन को सहती रही। राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर हिंदी भाषा को केवल तिरस्कार और विरोध ही मिला। परन्तु आज जनसंचार माध्यमों के विकास के कारण हिंदी भाषा का विकास न केवल देश में हुआ है बल्कि संपूर्ण विश्व में इसके विकास के स्वरूप को देखा जा सकता है।

जनसंचार माध्यमों ने अपने प्रारम्भ से ही लोकशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपना कार्य जारी रखा है। आज 21वीं सदी का जनसंचार हमारे जीवन तथा राष्ट्रीय विकास और उसकी दिशा निर्धारण का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रातःकाल होते ही अधिकांश लोग समाचार पत्र पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, तो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग रेडियो से समाचारों को सुनते हैं वहीं कुछ अन्य लोग दूरदर्शन पर अपनी नजर

दौडाते हैं और देख-सुनकर देश-दुनिया की खबर लेते हैं। इन विविध माध्यमों से हम राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद आदि से सम्बन्धित गतिविधियों के समाचारों के अतिरिक्त विविध प्रकार के मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। जनसंचार माध्यमों में मुख्य रूप से प्रिन्ट, दृश्य एवं श्रव्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रिन्ट मीडिया के रूप में हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है साथ ही हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में भी अपना अहम योगदान दिया है। पत्र-पत्रिकाओं ने, साहित्यकारों ने, लेखकों ने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं जन-जन तक पहुंचाई और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आज हिंदी भाषा में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, हिन्दूस्तान, स्वतंत्र भारत आदि जैसे अनेकों चर्चित समाचार पत्र हैं जो हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वाधीनता काल में प्रकाशित सरस्वती, मार्तण्डय आदि का सक्रिय योगदान हिंदी के विकास की कहानी को प्रकट करता है। इसी प्रकार साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं से भी हिंदी के विकास की भूमिका प्रकट हो रही है। नया सवेरा, जलते दीप, हिंदी मिलाप, लोकमत, गृहलक्ष्मी आदि ऐसी प्रमुख रूप से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाएं हैं जिनसे सम्पूर्ण देश में हिंदी भाषा में संवाद स्थापित हो रहा है। इन सभी जनसंचार माध्यमों से आज विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व कम होता दिखाई दे रहा है और हिंदी भाषा की प्रगति सबसे सामने आ रही है।

इसी प्रकार जनसंचार के श्रव्य-दृश्य माध्यम भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ से ही निभा रहे हैं। आकाशवाणी व अन्य रेडियो चैनलों में प्रसारित होने वाले गीत-संगीत के कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम, समाचार वाचन, नाटक, कहानियों का उम्दा प्रस्तुतिकरण आदि से आम जन-जीवन का जुड़ाव हिंदी से इस कदर हो गया है कि आज का भारत हिंदी के बिना अपने आपको अधुरा मानता है। ऐसे ही दूरदर्शन पर आने वाले समस्त हिंदी कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्वरूप हमारे सामने आता है। आज दूरदर्शन के अनेको चैनलों द्वारा हिंदी भाषा में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन, धारावाहिक, फिल्में, चित्रहार, आत्मकथायें, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतें, ऐतिहासिक जीवनगाथाएं आदि ने हिंदी भाषी दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और इसका परिणाम यह निकला है कि आज का दर्शक वर्ग अपनी हिंदी सुधारने लगा है। जो कथन या वाक्य उसे आम जन जीवन में बोझिल या कठिनाई देते थे वही कथन वह बड़े सहज ढंग से दोहरा लेता है।

हमारे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसे-ऐसे धर्मग्रंथ और वीरगाथाओं का भण्डार छिपा है जो केवल इसलिए रहस्यमयी बनी रही क्योंकि उनकी भाषा आम जनजीवन की भाषा नहीं थी। लेकिन आज उन सभी धर्मग्रंथों और ऐतिहासिक गाथाओं को भारत का बच्चा बच्चा जानता है और और अधिक जानना चाहता है क्योंकि आज उनका प्रस्तुतिकरण उनकी मूल भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित होकर किया जा रहा है। यह सब प्रभाव जनसंचार के माध्यमों का हिंदी भाषा के प्रति अपना सहयोगपूर्ण भाव होने के कारण है। जनसंचार के माध्यमों से हिंदी के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्तर पर हिंदी या अन्य भाषा में दिये गये भाषणों को आज जन-जन तक पहुँचाने का कार्य भी जनसंचार माध्यम बखुबी निभा रहे हैं। इन सभी कारणों से आज हिंदी जन-जन की भाषा बनती दिखाई देने लगी है। आज जनसंचार माध्यमों के प्रभाव से ही हिंदी पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वरूप धारण करते हुए भारतीयता का प्रतीक बन गई है। यह परिवर्तन निश्चित तौर पर हिंदी के विकास में जनसंचार माध्यमों की

भूमिका का स्पष्ट उदाहरण है।

आज जनसंचार माध्यमों ने जो तरक्की की है उसका प्रभाव भाषाओं पर आसानी से देखा जा सकता है। तकनीकी क्षेत्र में जनसंचार के क्षेत्र में जैसे जैसे नवीन साधनों का प्रयोग बढ़ता जा रही है वैसे ही इन सभी संसाधनों में हिंदी भाषा के फीचर या सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं। आज आधुनिक स्मार्ट टी.वी, स्मार्ट मोबाईल और अन्य यंत्र बाजार में बहुतायात रूप से प्रयुक्त किये जा रहे हैं। आज इन सभी उपकरणों में जो भाषा पर आधारित होते हैं उन सभी में अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिंदी भाषा में कार्य करने, समझने और सुनने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हिंदी के विकास का इतना विशाल रूप केवल भारतीयों का हिंदी के प्रति प्रेम और जनसंचार माध्यमों द्वारा इस भाषा को दिया गया महत्व और उसका सहयोग ही है।

सोशल मीडिया एक ऐसी उन्नत तकनीक है जो कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अपने उपयोगकर्ता को संवाद स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। उपयोगकर्ता आमतौर पर इस माध्यम का प्रयोग करने के लिए पर्सनल कम्प्यूटर (डेस्कटॉप), लैपटॉप, टैबलेट एवं मोबाईल फोन पर आधारित प्रचलित आधुनिक प्रौद्योगिकियों के द्वारा सोशल मीडिया की सेवाओं का उपयोग करते हैं। आज भारतीय समाज में विद्यार्थी, गृहणी, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ एवं सभी क्षेत्रों में कार्यरत हर श्रेणी का व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष सभी सोशल मीडिया का हर कदम पर प्रयोग कर रहे हैं। इस श्रेणी के भारतीय समाज में डिजिटल मीडिया रूपी संचार की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवयूवकों के साथ-साथ प्रौढ़ एवं बुजुर्ग व्यक्ति भी इस सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में इंटरनेट के सार्वजनिक प्रयोग से पहले सोशल मीडिया का दायरा सीमित था क्योंकि इसमें भाषा संबंधित तकनीक का अभाव था। लेकिन आज प्रत्येक सोशल मीडिया ऐप में सभी राष्ट्रों की प्रमुख भाषाओं का प्रयोग करने की तकनीक का विकास हुआ है जिसके फलस्वरूप इसका न केवल दायरा बढ़ा है बल्कि इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या में भी कई गुना वृद्धि भी हुई है।

जहाँ पहले दुनिया में हिंदी और उसके जैसी अन्य भाषाओं को अंग्रेजी भाषा की तुलना में महत्वहीन माना जाता था आज इसी सोशल मीडिया के कारण उसका वर्चस्व भी बढ़ा है और विकास भी हुआ है। यही कारण है कि आज इस मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषी लोग फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सऐप, यू-ट्यूब, स्नेपचैट, टेलीग्राम, ब्लॉगिंग एवं वी चैट जैसी ऐप्लिकेशन के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं।

इनके माध्यम से सोशल मीडिया के कारण हिंदी का प्रचार एवं प्रसार अनेक पाठकों तक हो रहा है। हिंदी का विशाल साहित्य भंडार कबीर, मीरा, दादू से लेकर आधुनिक रचनाकारों तक जो की सामान्य रूप से उपलब्ध होना आसान नहीं था आज संपूर्ण साहित्य इंटरनेट के माध्यम से पाठकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहा है। हिंदी साहित्य सीमाओं को पार कर अपना प्रचार-प्रसार कर रही है। वह कहानी, उपन्यास से आगे बढ़कर अनेकानेक साहित्यिक तथा साहित्येत्तर विधाओं में विश्व की अन्य भाषाओं से कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से भी सोशल मीडिया की विशेषताओं के कारण इसकी मांग में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।

आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते

हैं। हमारी जीवनशैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त प्रभाव है। समाचार-पत्र पढ़े बिना हमारी दिनचर्या का आरम्भ नहीं होता है। मनोरंजन के साथ-साथ दैनिक खबरों एवं समाचारों के लिए हम रेडियो अथवा टेलीविजन निर्भर हो चुके हैं। इंटरनेट की खोज ने महानगरीय जीवन को पुरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा से महानगरों के साथ-साथ भारत के अधिकांशतः शहर, छोटे-छोटे कस्बे एवं नगर भी डिजिटल मीडिया से जुड़ रहे हैं और आज भी इनकी संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। यह डिजिटल इंडिया की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज डिजिटल मीडिया का प्रभाव इतना हो गया है कि व्यापार, विज्ञापन, शादी-ब्याह, यात्रा टिकट और आवश्यक सामग्रियों की खरीद-फरोख्त के लिए इंटरनेट ने अपनी भूमिका का वर्चस्व स्थापित किया है। आज भारतीय समाज इस डिजिटल मीडिया की सहायता से अपने सभी कार्य आसानी से घर बैठे कर रहा है।

साहित्य, कला, भाषा विज्ञान, स्वास्थ्य, धर्म, आध्यात्म, सांस्कृतिक, विज्ञान, खेल एवं अन्य सभी क्षेत्रों में नवीन जनसंचार माध्यमों अथवा डिजिटल मीडिया से जो विकास हो रहा है और जो असीमित जानकारी आज तीव्र गति से प्राप्त हो रही है वह अदभूत है। डिजिटल मीडिया रूपी जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को पहले के जीवन से और ज्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज्यादा समर्थ और हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है साथ ही इन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान-प्रदान से लेकर लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार-विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में डिजिटल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है।

डिजिटल मीडिया न केवल सरकार के कामकाज की निगरानी रखते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए भ्रष्टाचार, मानवाधिकार-हनन और सांप्रदायिकता, अपराध जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। जनसंचार माध्यमों के रूप में डिजिटल मीडिया ने भारतीय समाज को सच का सामना करने की ताकत दी है तथा आवश्यकता पड़ने पर एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना भी सीखाया है। डिजिटल मीडिया एवं जनसंचार माध्यमों का विकास भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हुआ है। बीसवीं सदी के बाद ही रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में निजी पूँजी का प्रवेश आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप सभी जनसंचार माध्यमों के विकास को बढ़ावा मिला।

इसके कारण डिजिटल मीडिया के रूप में टेलीविजन प्रसारण में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने आप को सक्रिय कर दिया है। सिनेमा का क्षेत्र भी आज जनसंचार के रूप में मनोरंजन के साथ-साथ अपना योगदान प्रदान कर रहा है। डिजिटल इंडिया की संकल्पना ने तो भारत के इस सपने को साकार करने में पूर्ण सहयोग किया है। आज भारत का प्रत्येक कोना-कोना डिजिटल हो रहा है। छोटे से लेकर बड़ा कार्य आज डिजिटल मीडिया के द्वारा सम्पन्न होने लगा है।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी के नवीन डिजिटल मीडिया की सहायता से

हिंदी भाषा का विकास हो रहा है, उसका प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। जनसंचार माध्यमों ने भारतीय समाज के महानगरों के साथ-साथ ग्रामीण एवं छोटे-छोटे नगरों, कस्बों एवं शहरों के सभी लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। डिजिटल मीडिया के रूप में जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाए उसे सक्रिय तरीके से सोच-विचार करके और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार किया जाये। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के रूप में हमें अपनी आँखें, कान और दिमाग हमेशा सजग रखने चाहिए। इस प्रकार डिजिटल मीडिया रूपी जनसंचार माध्यम ज्ञान का आदान-प्रदान करने का प्रमुख माध्यम बन चुका है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी (2001), हिंदी भाषा की लिपि संरचना, साहित्य सहकार, नई दिल्ली।
2. ओमप्रकाश जोशी (2008), हिंदी भाषा साहित्य शिक्षण, रॉयल पब्लिकेशन, जयपुर।
3. निरंजन कुमार सिंह (2006), माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
4. डॉ. हरिवंश तरुण (2005), मानक हिंदी व्याकरण और रचना, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
5. डॉ. जयनारायण कौशिक (2006), हिंदी शिक्षण, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकुला।
6. आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा (2005), हिंदी व्याकरण और रचना, तरुण प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
7. डॉ. राधाकिशन सोनी (2014), हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
8. डॉ. एम.के. शर्मा (2008), मातृभाषा हिंदी शिक्षण, सीमा पब्लिकेशन, जयपुर
9. एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटैनिका।
10. डॉ. भोलानाथ तिवारी (2014), (हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर एवं राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर)
11. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (2014) (हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर)
12. डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', (2005), राष्ट्रभाषा हिंदी और शिक्षा, माया प्रकाशन मंदिर, जयपुर।
13. डॉ. सुभाष चन्द्र गुप्ता (2007), हिंदी शिक्षण, के.एस.के. पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
14. डॉ. महेन्द्र कुमार मिश्रा,(2007), हिंदी रचना विकास, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
15. राजभाषा भारती (2018), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
16. डॉ. मंजु रानी (2017), हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, मानसरोवर प्रकाशन, नोएडा।
17. विश्व हिंदी पत्रिका (2012), विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस।
18. www.en.wikipedia.org

Email : nileshnathpawnar@gmail.com, veenachhangani@apexedu.org



प्रवासी साहित्य और हिंदी

वि. अमृधा

शोधार्थी, हिंदी विभाग, वेल्स विश्वविद्यालय, चेन्नई।

‘प्रवास’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है, प्रदेश में जाकर रहना, विदेश जाना और प्रवासी का अर्थ है विदेश में रहने वाले। आर्थिक स्तर को ऊँचा बनाने के लिए, आजीविका के लिए अनेक भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंग उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है— प्रिय प्रवास। इसमें राधा के प्रिय श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा जाकर बस जाते हैं, तो उस समय ब्रज वासियों के लिए, कृष्ण प्रवासी हो जाते हैं। श्री कृष्ण के वियोग में राधा और ब्रज भूमि के लोगों की अवस्था का वर्णन कवि ने बहुत ही सुन्दर तरीके से किया है।

प्रवासी साहित्य से तात्पर्य है, वह साहित्य जो विदेश में रह रहे भारतीयों के जीवन को आधार बनाकर लिखा जा रहा है। उसे लिखने वाले साहित्यकार भी विदेश में रह रहे हैं, या विदेश में रहकर भारत वापस आ गए हैं। अपने देश से दूर रह रहे भारतीयों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भाषा की समस्या, खान-पान की समस्या, अपनी संस्कृति से काट जाने की समस्या, रिश्तों से दूर हो जाने का समस्या आदि। इन्हीं समस्याओं को केंद्र में रखकर यह साहित्य सृजित किया जा रहा है, क्योंकि साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार अनेक साहित्यकार प्रवासी साहित्य का सृजन कर रहे हैं और निरंतर हिंदी की सेवा में लगे हैं। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हिंदी का विकास कर रहे हैं।

अमेरिका, लंदन, कनाडा, रशिया तथा खाड़ी देशों में निवास करने वाले साहित्यकार वहाँ रहकर साहित्य का सर्जना कर रहे हैं और हिंदी की उन्नति में अपनी योगदान देते हैं। इनमें अनिल प्रभा कुमार, अशोक कुमार सिन्हा, इला प्रसाद, उषा प्रियंवदा, कमल दत्त, देवी नागरानी, सुधा ओम ढींगरा, सुषम बेदी, हरिशंकर आदेश, तेजेन्द्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि अनेक नाम हैं। विदेशों में ये भारतीय साहित्यकार हिंदी की गरिमा और पहचान को बनाए हुए हैं। चालीस-पैंतालीस साल पहले लिखे गए प्रवासी साहित्य और आज के साहित्य में पर्याप्त परिवर्तन आया है। अब तकनीक के विकास के कारण इस साहित्य को पढ़ना और भी आसान हो गया है। तकनीक ने इस साहित्य को घर-घर पहुँच दिया है। इन जन माध्यमों का लाभ पाठक और लेखक दोनों को हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अधिक निकट आ गए हैं।

साहित्य के क्षेत्र में उनका अप्रतिम योगदान है। उन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास, निबंध आदि साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। हवं, लौटना, गाथा अमर बेल की, चिड़िया और चील, हिंदी भाषा के भूमंडलीकरण आदि अनेक प्रमुख रचनाएँ हैं। कंप्यूटर द्वारा भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी वे कार्य कर रही हैं। भाषा

शिक्षा से जुड़ी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी रचनओं में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के भंवर में फंसे भारतीयों की मानसिक अवस्था का यथार्थ चित्रण होता है।

सुषम बेदी का एक अन्य कहानी है 'अवसान'। यह गहरी संवेदना और पीड़ा से युक्त कहानी है। विदेश में जाकर बस गए भारतीय अंतिम समय के रीति-रिवाजों को निभा पाने में कितने असमर्थ हैं, किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। दिवाकर और शंकर दो दोस्त हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों ने अमेरिका में जाकर अपना घर परिवार बसा लिया है। दोनों की पत्नियां भी विदेशी हैं। दिवाकर की मृत्यु की अंतिम क्रिया से कहानी शुरू होती है। विदेश में रह रहे भारतीय अमेरिकी समाज में रच-बस गए हैं। दिवाकर हिन्दू है पर उसकी मृत्यु पर अंतिम क्रिया पादरी बाइबिल के वचनों से करता है क्योंकि उसके माता-पिता व रिश्तेदार अमेरिका में नहीं रहते और पत्नी अमेरिकन है। शंकर के अलावा दिवाकर के अंतिम क्रिया में अन्य कोई भी भारतीय नहीं है। यह देखकर ही शंकर को अहसास होता है की हमें अपनों से कितना दूर कर दिया है। शंकर को लगता है कि जब तक दिवाकर को गीता के श्लोक नहीं सुनाया जाएगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसके संस्कार भारतीय हैं, तो उसकी अंतिम क्रिया भी भारतीय संस्कारों से सम्पन्न होनी चाहिए। शंकर हिम्मत करके उनके मित्र दिवाकर के लिए गीता के श्लोक पढ़ता है। तभी उसे रहत महसूस होती है।

'काला-लिबास' कहानी में सुषम बेदी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों के प्रति हो रहे नस्ल भेद के दर्द को बयां किया है। उस रंग भेद के कारण युवा वर्ग में आने वाले एकाकीपन को लेखिका ने रेखांकित किया है। अनन्य अमेरिका में जन्मी और पली-बढ़ी भारतीय माता-पिता की बेटी है। माता-पिता दोनों ही डॉक्टर हैं और अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अनन्य ने वस्त्र अमेरिकन पहने हैं, लेकिन उसका मन भारतीय है। शुरू में ही उसके मन में भारत के प्रति एक लगाव रहा है। एक बार किसी प्रोजेक्ट के तहत वह इंडिया आती है और भारत की संस्कृति से प्रभावित होती है।

उसके बाद भी वह लिबास भी भारतीय पहनने लगती है। उसका विचार है कि अमेरिका में रहकर केवल वहाँ की नक़ल करना ठीक नहीं है। अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति से दूर हो जाना ठीक नहीं। लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं है हम जो नहीं हैं, वो बनना चाहते हैं। वह लेखिका से कहती है – वहाँ जाकर मैं वहीं की हो जाती हूँ कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कहीं से हूँ? मैं किसी को विदेशी नहीं लगती और यहाँ जहाँ कि मैं पैदा हुई हूँ, वहाँ हर नया मिलने वाला सबसे पहले यह पूछता है कि मैं किस देश से हूँ। जैसे मैं अमेरिकी हो ही नहीं सकती।

लेकिन अमेरिका में रह रही अनन्या कोशिश करके भी भारतीय संस्कृति को अपना नहीं पाती और वापस अमेरिकी 'काला लिबास' पहन लेती है क्योंकि वहीं पर चटक रंगों का फैशन नहीं जैसा भारतीय पहनते हैं। इस प्रकार यह कहानी अमेरिका में भारतीय वर्ग के प्रति नस्ल भेद और युवा वर्ग के एकाकीपन को दिखती है।

मॉरिशस के लेखक अभिमन्यू अनंत द्वारा रचित 'लाल पसीना' उपन्यास उन श्रमिक वर्ग के प्रवासियों की पीड़ाओं, शोषण व संघर्षों का दहकता इस्पाती दस्तावेज है जो वैश्वीकरण के तहत नहीं वरन उपनिवेशवाद के तहत भारत से गए थे। 'लाल पसीना' उपन्यास यातना शिविर बने राजहंसों के द्वीप तथा श्वेत द्वीप की संज्ञा पाने वाले मॉरिशस के एक काल खंड विशेष (1834 से 1900) के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है जिसके

रचयिता अभिमन्यू अनंत 'मॉरिशस के प्रेमचंद' कहलाते हैं, जो कि प्रवासी न होकर अनिवासी भारतीय हैं अर्थात् उन्होंने अपने स्वदेश मॉरिशस में स्वयं किसानों जीवन तो जिया और अपने हाथ में गंडासा लेकर गन्ने काटे किन्तु वहाँ प्रवास का वास्तविक दशा तथा वहाँ की तत्कालीन समस्याओं को सीधे तौर पर नहीं झेला।

अभिमन्यू अनंत ने अपनी दर्जनों पुस्तकों के माध्यम से मॉरिशस में गए और रह रहे, भारतीयों के जीवन का विशद वर्णन किया है। गिरमिटिया मजदूरों के लिए प्रवास में जीवन-मरण के संस्कारों को न निभा पाने की समस्या भी बहुत बड़ी बन गई थी। इसका प्रारंभ उसी क्षण से हो गया था जब उन्होंने भारत से जहाजों में बैठकर मॉरिशस की यात्रा प्रारंभ की थी। वे भूखे-प्यास-बीमारी के कारण दम तोड़ देने वाले साथियों को देखते और उन्हें आरकाटियों द्वारा समुद्र में विसर्जित करते कह उठते- 'के कहत बानी कुदरत का खेला, हियाँ आदमी को मरने, पर पानी में दफनावल जाता। अहोभाग हम लोग का'।

'लाल पसीना' उपन्यास में अभिव्यक्त इस स्थिति इस हद तक कारुणिक थी कि हैजा, स्वाइन फ्लू जैसी महामारियों से सैकड़ों लोगों की मृत्यु के बाद भी दाह संस्कार के लिए लकड़ी काटने पर भी प्रतिबन्ध था और रीती निभाने पर भी। उदाहरणार्थ - 'पूरे देश में' पूरे देश में उस समय एक सप्तार्थ के भीतर सैकड़ों लोग मरे थे। एक-एक गाड़ी में पचासों लाशों लादी गई थीं। पचासों व्यक्तियों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया था।'

हिंदी प्रवासी साहित्यकारों की सूची में तेजेन्द्र शर्मा जी का नाम प्रथम श्रेणी के कथाकारों में माना जाता है। तेजेन्द्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के कथाकारों में माना जाता है। तेजेन्द्र शर्मा एक कवि और रंगकर्मी भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तेजेन्द्र शर्मा जी समकालीन कथा संसार के चर्चित नाम हैं। तेजेन्द्र शर्मा के कहानी संसार में आपको इंसानों का दर्द, इंसानों की लड़ाइयाँ, इंसानों की जंग, सभ नज़र आएगा। तेजेन्द्र शर्मा एक कामयाब कहानीकार हैं।

तेजेन्द्र शर्मा के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं - काला सागर, डिबरी राईट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, बेघर आँखें आदि।

यह सत्य है कि मनुष्य जब अलग-अलग स्थानों पर जाता है तो उसकी संवेदना का विस्तार भी होता है। साहित्यकार पर थो इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। वह नई अनुभूतियाँ, नई संवेदनाओं, नए परिवेश को साहित्य की शकल में प्रस्तुत करता है। हावर्ड फ़ास्ट के अनुसार 'बाह्य यथार्थ के संपर्क में आने के साथ-साथ रचनाकार सम्पूर्ण बाह्य यथार्थ को अपने मानस का अंग नहीं बनाता। वह चुनाव करता है। दूसरे यथार्थ ज्यों के त्यों उसके मानस में अंकित नहीं होते, रचनाकार का सजग मानस उसे अपने अनुरूप नई शकल देता है। रचना बाह्य यथार्थ के चुने गए तथा नवीन आकृति में ढाले गए अंशों, अनुभवों तथा संवेदनाओं का चुनाव हुआ रूप है। उसमें मनुष्य के संपूर्ण अर्जित संस्कारों, परंपराओं एवं विवेक का योगदान होता है।'

वास्तव में प्रवासी साहित्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का साहित्य है। कहीं पले हुए भरम टूटते हैं तो कहीं कुछ नए भरम बनते हैं। कहीं निराशा है तो कहीं घृणा। भीतर ही भीतर इन रचनाओं में एक प्रतिरोध सा पकता रहता है। प्रवासी हिंदी लेखक एक तरह की दोहरी ज़िम्मेदारी में रहता है। प्रवासी होना दायित्व का दुगुना होना है। क्योंकि एक स्थान से विस्थापन और दूसरे स्थान पर बसना उसके लिए दोहरी चुनौती होती है। साहित्यकार होने के नाते उनके भीतर यह बेचौनी कुछ ज्यादा होती है।

निष्कर्ष :-

इस प्रकार यह देख पाते हैं कि प्रवासी साहित्य जिस बिंदु से शुरू हुआ था आज उससे आगे उसकी गतिशीलता जारी है। विदेशी परिवेश, जन-जीवन, कार्य-शैली, रहन-सहनप्रवासी साहित्य में विभिन्न रंगों में मुखरित हुआ है। यह मुखरता हिंदी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने में कारगर तो सिद्ध होती है साथ ही साथ हिंदी साहित्य में भी वृद्धि करती है जिससे पाठक वर्ग को भारतीय परिवेश से अलग विदेशी परिवेश की झलक और रसास्वादन भी प्राप्त होता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रवासी साहित्य-भाव और विचार, साहित्य संचय, नई दिल्ली, 2017, पृ. 49, 153, 193
2. लाल पसीना, राजकमल प्रकाशन, 2010, पृ. 63, 153, 290
3. कौन देश की वासी-वेणु की डायरी, राजकमल प्रकाशन, पृ. 43, 73, 151

मोबाइल 9840824531

Email amudhav-79@yahoo.com



अभिमन्यु अनत के उपन्यास – ‘लाल पसीना’ में चित्रित गिरमिटिया भारतीय मजदूरों का जीवन

सजिता पी सी

शोध छात्रा, राजकीय कला एवं विज्ञान कॉलेज, कोझिकोड।

प्रवास एक व्यक्तिया समूह का पक्के तौर पर देश परिवर्तन है। बेगानी धरती पर रोजगार की तलाश या आर्थिक साधनों को प्राप्त करने की लालसा में अस्थाई तौर पर आए व्यक्तियों को प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी मनुष्य वह होता है जो अनिश्चित समय के लिए रोजी-रोटी की तलाश में बेगानी धरती पर भ्रमण करता है, इस प्रकार प्रवासी वह व्यक्ति है जो रोजी-रोटी, सुरक्षा नवीन अवसरों की तलाश में आर्थिक साधनों को प्राप्त करने के लिए बढ़िया जिंदगी व्यतीत करने के लिए और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी धरती को छोड़कर किसी दूसरे देश की धरती पर स्थाई तौर पर वास करने के इरादे से जाता है और वही स्थापित हो जाता है।

प्रवासी साहित्य की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, फिर भी प्रवासी साहित्य अपनी संवेदनात्मक रचना धार्मिकता से साहित्य के क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा चुका है। भारत से दूर अन्य देशों में बसे भारतीयों के अथक प्रयासों से ही आज प्रवासी साहित्य समृद्ध और सशक्त बन पाया है। सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां से लोग दूसरे देश में पलायन करते हैं। प्रवासी लोगों की 3 श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। एक श्रेणी में वे लोग हैं, जो गिरमिटिया मजदूरों के रूप में फिजी, मॉरीशस, त्रिनिडाड, गुआना, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भेजे गए थे। दूसरी श्रेणी में 80 के दशक में खाड़ी देशों में गए अशिक्षित-अर्द्ध शिक्षित, कुशल अथवा अर्द्ध कुशल मजदूर आते हैं। तीसरी श्रेणी में 80-90 के दशक में गए सुशिक्षित मध्यवर्गीय लोग हैं जिन्होंने बेहतर भौतिक जीवन के लिए प्रवास किया। विदेशी भारतीयों के सृजनात्मक लेखन को ‘प्रवासी साहित्य’ कहा जाता है। जिन्होंने हिन्दी के केंद्र या माध्यम बनाकर हिन्दी में लिखा है, वे प्रवासी हिन्दी साहित्य कहा जाता है। प्रवासी हिन्दी साहित्य के अंतर्गत कविताएँ, उपन्यास, कहानियों, नाटक, एकाँकी, महाकाव्य, खंडकाव्य, अनूदित साहित्य यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि का सृजन हुआ है। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित किया है। भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की लड़ाई महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका से आरम्भ की। हिन्दी साहित्य में मॉरिशस में रचित हिन्दी साहित्य की एक अलग

पहचान है। इसके पुरोधाओं में मॉरिशस के अभिमन्यू अनत का नाम सर्पोपरि आता है। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाएँ कविता, कथा—साहित्य आदि की रचनाओं से प्रवासी साहित्य को समृद्ध किया है।

अभिमन्यू अनत का बहुचर्चित उपन्यास है— 'लाल पसीना' है। इसमें भारतवंशी की वेदनाओं का चित्रण बहुत मर्म स्पर्शी है। 'लाल पसीना' गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के शोषण तथा संघर्ष की कथा है, जिन्होंने अपना खून—पसीना बहाकर इस द्वीप को समृद्ध किया है। उपन्यास का मुख्य पात्र कुन्दन है। कुन्दन की स्मृतियों से उपन्यास का आरंभ होता है। वह मॉरीशस की जेल से एक सूरंग के माध्यम से भागकर पर्वतों में छिपकर रहता है। नदी के तट पर किसन सिंह से उसकी भेंट होती है। किसन सिंह से भेंट होने के बाद कुन्दन देवननके नाम से गाँव में रहता है।

गाँव में भी श्रमिकों के शोषण को देखकर वह दुखी होता है, वह श्रमिकों में नई चेतना जगाना चाहता है। कुन्दन श्रमिकों को एकता का मंत्र दिया। युवा वर्ग पर उसका प्रभाव होने लगा। किसन, गोतम, गोपाल उसकी बात मानने लगते हैं। किसन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विचार मंच गठित करता है जिसे 'बैठका' कहता है। इसी 'बैठका' में सारे श्रमिक एक साथ यह संकल्प लेते हैं कि उन्हें एक होकर उन पर होने वाले अन्याय का विरोध करना है। गाँव के लोग अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त हैं। स्त्रियों गाँव की एक युवती पुष्पा की माँ तथा गोपाल की माँ बच्चों को भूत—प्रेतों की कहानियाँ सुनाती है परन्तु बच्चे देवनन्द के प्रभाव के कारण इन कहानियों का उपहास करते हैं। किसन सिंह पुष्पा के प्रति आकर्षित है, पर उसकी रुचि राम जी सरदार की बेटी सत्या में भी है। पुष्पा ने किसन को समझाया था कि यदि वह सत्या से निकटता बढ़ाएगा तो अपने श्रमिक मित्रों से कट जाएगा। परन्तु हुआ कुछ ऐसा कि किसन और सत्या में कुछ हो गया। सत्या की ओर से विवाह का संकेत मिला, पर किसन ने सत्या से कहा कि वह अपने बाप को श्रमिकों का शोषण करने से रोके, ऐसा हो नहीं सकता था।

अभिमन्यू अनत ने गोरे मालिकों द्वारा मजदूर लड़कियों के यौन शोषण को भी चित्रित किया है। बस्ती की लड़की रेखा गोरे मालिकों की वासना की भेंट चढ़ने वाली थी कि एक श्रमिक लक्ष्मण सिंह ने उसे बचाया और कुन्दन की बस्ती में छिपा दिया। किन्तु राम जी सरदार की बेटी सत्या ने अपने पिता को यह बात बता दी। रामजी गोरों का चमचा था, वह लक्ष्मण सिंह को मारने बस्ती में जाता है पर कुन्दन राम जी की हत्या कर जेल जाता है। मजदूर आन्दोलन करते हैं और अन्त में मालिकों को उनकी माँगें मान ली जाती हैं। बस्ती में बुखार फैलता है, किसन के माता—पिता इस बुखार की चपेट में मारे जाते हैं। किसन को दुःखी होना ही था उस पर यह और कि मालिक फिर से दमन करने लगे। सरकार की ओर से मजदूरों की स्थिति जानने के लिए कुछ लोग आते हैं पर लीपापोती करके चले जाते हैं। मजदूर फिर संघर्ष करते हैं, काम बंद कर देते हैं। मालिकों को काम में नुकसान होता है। अपने काम के लिए वे भारत से फिर नये मजदूर लाते हैं।

अभिमन्यू अनत ने विवेक और गोरे मालिक की पत्नी आन्द्रेआ के यौन संबंधों को भी लिखा है। विवेक आन्द्रेआ के पीछे ऐसा लगा है कि उसे न पत्नी की चिंता है और न ही अपने साथी श्रमिकों की विवेक लौटता

है अपनी पत्नी सीता के पास किन्तु अब उसका पौरुष नष्ट हो चुका है। सीता परेशान है क्योंकि विवेक उसके साथ पति जैसा व्यवहार न कर, भाई जैसा व्यवहार करता है। सीता उसका उपचार कराती है पर विवेक उसे बहुत पीटता है क्योंकि सीता ने मदन को यह बात बता दी थी।

किसन सिंह सरदारों की गोली से मारा जाता है। किसन सिंह का बेटा मदन सिंह अपने पिता के सिद्धान्तों को अपनाता है और वह मजदूर नेता बन जाता है। अपने पिता के द्वारा लिखी हुई पुस्तक से उसे ज्ञात होता है कि भारतीय श्रमिक मॉरीशस द्वीप पर कैसे आए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। मदन एक बार फिर मालिकों के अत्याचारों का विरोध करने का फैसला लेता है। वह अपने देश, अपने धर्म, जाति और संस्कृति सबको सम्मान देना और दिलाना चाहता है।

समुद्री तूफान में हरे-भरे खेत नष्ट हो जाते हैं साथ ही मजदूरों की आशाएँ भी नष्ट हो जाती हैं। मीरा से मिलने पर मदन बोला, 'इस देश में अकाल नहीं, अभाव नहीं, फिर भी क्या कारण है कि इस तरह मुहताज और अभाव ग्रस्त रहें? यहाँ सरकार है, पुलिस मीर..... है, फिर भी न्याय नहीं हो पाता। मुझे अपने बाप की एक बात याद आ रही है एक बार बैठका के आँगन में उसने सभी से कहा था— हमारे अपने लोगों ने इस देश के जंगल को काटकर इसे हरे-भरे खेतों में परिवर्तित किया, लेकिन इसके बावजूद यह एक भयानक जंगल है। यहाँ आज भी जंगल का कानून है। दबोचकर चबा जाने का कानून। अगर ऐसा ही रहा तो इस देश में मेहनतकश मजदूरों के पंजर ही होंगे जो चलते-फिरते दिखायी मीरा, मदन और अन्य श्रमिक बहुत दुखी होती हैं पेट की भूख से व्याकुल हैं। विवेक मालिक की कोठी से अनाज चुराते समय पकड़ा जाता है। मालिक के सिपाही उसे पीटते हैं और मदन उसे छुड़ाने के लिए जाता है। सिपाहीयों को धक्का देने पर वह अचानक सेंहुड के वृक्ष पर जा गिरता है। सेंहुड का कांटा दुर्भाग्यवश मदन की आँखों में चुभ जाता है। फलस्वरूप वह अंधा हो जाता है। मीरा बहुत ही दुःखी होती है। मीरा फिर भी उससे विवाह करना चाहती है पर मदन नहीं मानता, तब भी मीरा उसकी हर तरह सहायता करती है। होली के पर्व पर मदन एक श्रमिक फरिद के साथ दूसरी बस्ती में श्रमिकों को संगठित करने के लिए जाता है, मीरा उसे जाते देखती रहती है और यहीं उपन्यास समाप्त हो जाता है।

कुन्दन का किसन से मिलना, जेल की यातनाएँ, उसका गाँव में आकर मजदूरों के साथ गोरे मालिकों का विरोध करना, पुनः जेल जाना। इसी प्रकार किसन सिंह का अपने साथियों से मिलकर मजदूरों के हित में काम करना, मालिकों के प्रति विद्रोह की भावना फैलाना, किसन की मृत्यु, उसके पुत्र मदन का पिता के सिद्धान्तों और विचारों को अपनाते हुए मजदूरों की और से संघर्ष करना आदिकथाएँ वर्णित है। यह अधिकारिक कथा है। इन्हीं के साथ विविध प्रेम प्रकरण एवं गौण कथाएँ भी जुड़ी हुई है। किसन, सत्या, पुष्पा, आन्द्रेआ, विवेक, मदन, मीरा, सीता आदि की कथाएँ सरसता से गूँथी गई है। किसन की हस्तलिखित पुस्तक के रूप में पीढी दर पीढी मजदूरों की यातनाओं की कथा को भी प्रस्तुत किया गया है।

मॉरिशस के यशस्वी कथाकार अभिमन्यु अनत का यह उपन्यास उनके लेखन में एक नए दौर की शुरुआत है। इस उपन्यास में वे देश और काल की सीमाओं में बँधी मानवीय पीड़ा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मॉरिशस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस उपन्यास में उन भारतीय मजदूरों के जीवन-संघर्षों की कहानी है, जिन्हें चालाक फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशवादी सोना मिलने के सब्जबाग दिखाकर मॉरिशस ले गए थे।

‘लाल पसीना’ उपन्यास श्रमिकों पर गोरे मालिकों के अत्याचारों का लेखा-जोखा है। अभिमन्यु जी ने कुन्दन, किसन, मदन आदि पात्रों के माध्यम से आधिकारिक कथा को प्रस्तुत किया है। विवेक-सीता, मदन-मीरा आदि की प्रासंगिक कथाओं ने इस कथा को गति प्रदान की है। प्रस्तुत उपन्यास में गिरमिटिया मजदूरों का जीवन चित्रित किया है। अभिमन्यु अनत ने इस उपन्यास में दो पीढ़ियों के माध्यम से एक विशाल समय को समेटा है और प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लाल पसीना, अभिमन्यु अनत।
2. समकालीन हिंदी साहित्य विमर्श, डॉ. प्रदीप श्रीधर।
3. प्रवासी साहित्य का इतिहास, डॉ. बापुराव देसाई।
4. साहित्य कुंज।
5. प्रवासी हिंदी साहित्य लेखन डॉ. सुशीलकुमार शर्मा (अंक 166, अक्टूबर प्रथम, 2020 में प्रकाशित)



इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता के प्रमुख स्वर

लवली

शोध छात्रा, हिन्दी-विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

साहित्य व्यक्ति और समाज का दर्पण होता है। हमारे समाज और जीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जिसकी अभिव्यक्ति साहित्य में न हुई हो। कवि एक अति संवेदनशील व्यक्ति होता है जो अपने समाज, जीवन, परिस्थितियों और मूल्यों की सुंदर अभिव्यक्ति अपनी कविता में करता है। हिंदी कविता साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदी कविता में समय-समय पर अपने समाज और युग की अभिव्यक्ति होती रही है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिककाल की कविता अपनी युगीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों से प्रभावित रही है। हिंदी की आधुनिककालीन कविता में भारतेन्दुयुग, द्विवेदीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि दौर आए जो अपने युग परिवेश से प्रभावित रहे। प्रत्येक दौर की कविता अपने प्रधान स्वरों और सरोकारों के साथ सामने आती है।

वर्तमान दौर में समय की तेज़ रफ्तार से न केवल व्यक्ति के जीवन बल्कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अतिआधुनिकता के इस दौर में कविता के क्षेत्र में कई नये स्वर और सरोकार देखने को मिलते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में मनुष्य एक मशीन बनकर रह गया है। व्यक्तिगत संवेदनाओं, रिशतों, संबंधों और अनुभूतियों में तेज़ी से परिवर्तन आया है। ऐसे में इक्कीसवीं सदी की कविता कैसे अछूती रह सकती थी। इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता में हमें नई संवेदनाएँ, विलक्षणताएँ, स्वर, विमर्श, विचारधाराएँ देखने को मिलती हैं। इक्कीसवीं सदी की कविता के विषय में डॉ. मायाप्रकाश पाण्डेय अपने आलेख 'इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता और अष्टभुजा शुक्ल' में लिखते हैं "21वीं सदी की कविता उस पुरानी घिसी-पिटी लकीरों पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता चुनती है, नये तेवर अपनाती है, नवीनतम विषय वस्तुओं को अपनाती है। बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्याभिचार, अनाचार, दुराचार आदि तमाम विषयों को इस युग की कविता में स्वीकार कर लिया है। समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि देखते ही देखते स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। 21वीं सदी की कविता की खाशियत यह है कि इसमें अतिआधुनिकता दृष्टिगत होती है।"¹

इक्कीसवीं सदी की हिंदी कविता बहु आयामी है। जो अपनी विविधताओं के साथ सामने आती है। ये कविता कई नये स्वरों को लेकर सामने आती है। इस नई सदी में हिंदी कविता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवियों में प्रमुख हैं अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, कुमार अम्बुज, लीलाधर मंडलोई, अनामिका, कात्यायनी, चंद्रकांत देवताले, एकांत श्रीवास्तव, राजेश जोशी, मनमोहन, उदय प्रकाश, गीत चतुर्वेदी, नीलेश रघुवंशी, मलय, बोधिसत्त्व, अष्टभुजा शुक्ल, आलोक श्रीवास्तव, ओमप्रकाश वाल्मीकि आदि। ये कवि हिंदी कविता

में प्रत्येक पक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पर कविता लिखकर हिंदी कविता साहित्य को समृद्ध बना रहे हैं। वर्तमान दौर की हिंदी कविता में जो प्रमुख स्वर उभरकर सामने आए हैं उनका विवरण इस प्रकार है।

1. मानवताहीन समाज का चित्रण :-

मानवतावादी मूल्यों का त्याग इस सदी की मुख्य समस्या के रूप में सामने आता है। आपसी प्रेम, भाईचारा, ईमानदारी, सद्भावना, सहानुभूति आदि मूल्यों का पतन इस सदी की विशेषता बन गया है। विभिन्न देश आपस में बेवजह लड़ रहे हैं। संवेदनशून्यता इसी सदी के लोगों की विशेष प्रवृत्ति बन गई है। हमारे वेदों, उपनिषदों और धार्मिक ग्रंथों ने हमें आपसी प्रेम और कल्याण का पाठ पढ़ाया। गाँधी जी जैसे महान समाज सुधारकों ने हमें अहिंसा का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। मानव कल्याण और मानवता की सुरक्षा ही हमारे देश के समाज सुधारकों का मुख्य नारा रहा।

इक्कीसवीं सदी का कवि अपनी कविता के माध्यम से मूल्यों की स्थापना का पाठ जनता को पढ़ाता है। मानवताहीन समाज की चर्चा करते हुए कवि ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जहाँ मानवता की प्रधानता हो। अपनी आवश्यकताओं से पहले लोग दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति चिंतित हो। कवि एकांत श्रीवास्तव अपने कविता संग्रह 'मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद' में मानवीयता के गुणों से संपन्न समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। कवि कहते हैं :-

“इस तपते भूखण्ड पर
उड़ती गरम रेत के बीच
जब मैं झुकूँ नल पर
तब ओ मेरी प्यास
मुझे मत करना कमजोर
पियूँ तो एक चुल्लू कम
कि याद रहे दूसरों की प्यास भी
ओ मेरी भूख
मुझे देना ताकत
खाऊँ तो एक कौर कम
कि याद रहे दूसरों की भूख भी।”²

2. मूल्यहीनता या मूल्यक्षरण प्रति चिंता :-

इक्कीसवीं सदी का कवि अपनी कविता में मूल्यहीनता प्रति चिंतित प्रतीत होता है। मूल्यों पर चर्चा करें तो हमें ज्ञात होता है कि व्यक्ति के जीवन में पारम्परिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य हैं, जो मानव जीवन निर्वाह में सहायक सिद्ध होते हैं। एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज की कल्पना मूल्यों के बिना संभव नहीं है। भातृत्व, राष्ट्रप्रेम, त्याग, ममता, बसुधैव कुटुम्बकम्, कर्तव्य कर्म, मर्यादा, सहानुभूति, विश्वास आदि ऐसे जीवन मूल्य हैं जिसके आधार पर एक आदर्श व्यक्ति और आदर्श समाज की नींव टिकी हुई होती है। इक्कीसवीं सदी के कवि में मूल्यों प्रति सजगता देखने को मिलती है। वह अपनी कविता में मूल्यों का

जिक्र बार-बार करता है। तांकि उसकी महत्ता प्रति समाज को सजग कर सके। कवि एकांत श्रीवास्तव अपने कविता संग्रह 'धरती अधखिला फूल है' में ऐसी सड़क या रोड का निर्माण करना चाहता है जो व्यक्तियों के दिलों से होकर गुज़रे अर्थात् जो आपसी प्रेम और भाईचारे को बनाए रखे। कवि कहते हैं :-

“इक्बाल अहमद’ की शायद यह अंतिम इच्छा रही होगी
कि बनाई जाए कोई ऐसी ग्राण्ड ट्रंक रोड
जिसके किनारे पड़ते हों दुनिया के सारे देश
जो केवल नगरों से नहीं
लोगों के दिलों से होकर भी गुज़रती हो।”³

इक्कीसवीं सदी में विज्ञान के अंधानुकरण के साथ मूल्यहीनता जैसी समस्या देखने को मिलती है। न केवल मशीनीकरण बल्कि पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने मूल्यहीनता जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। भूमंडलीकरण का मूल्यक्षरणता में संपूर्ण योगदान रहा है। मशीनी युग में मशीनों का प्रयोग करते-करते आज व्यक्ति स्वयं मशीन बन गया है। उसमें मूल्य और संवेदनाएँ शून्य रह गई हैं। इक्कीसवीं सदी का कवि इस समस्या से भली-भाँति परिचित है। यही कारण है कि उसकी कविता में मूल्यहीनता की समस्या प्रति चिंता दिखाई देती है। कवि समाज को मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं का पाठ पढ़ाता है और मूल्यों की पुनः स्थापना करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण करते हुए समाज के लिए मूल्यों की अनिवार्यता को घोषित करते हुए कवि मूल्यों की पुनः स्थापना पर बल देता है। लोगों में बढ़ते अविश्वास को खत्म करके आपसी प्रेम विश्वास और सहानुभूति की स्थापना कवि का नई सदी के लिए संदेश है। कवि अष्टभुजा शुक्ल वर्तमान दौर की मूल्यक्षरणता का चित्रण करते हुए लिखते हैं :-

“हम और तुम
आए थे इसलिए
कि प्यार करें
पर जाने क्या हुआ
कि हमने शुरू की तू-तू मैं-मैं रार
फिर तकरार
फिर हाथापाई
फिर पटका-पटकी
फिर लाठी-बल्लम
फिर खंजर-गोली
फिर किसी ने किसी को मार दिया
X X X X
कोई तो रोको
लाल झंडा दिखाओ
या उड़ाओ सफेद कबूतर।”⁴

3. महानगरीय जीवन की बिडम्बना :-

महानगरीय जीवन वर्तमान दौर में आकर्षक का केन्द्र माना जाता है। गाँव से लोग नौकरी पेशा या बेहतर जीवन सुविधाओं के लालच में महानगरों की ओर जा रहे हैं। जिससे दिन प्रति दिन गाँव खाली हो रहे हैं और महानगरों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। औद्योगिक क्रांति के आगमन से शहरों में फैक्ट्रियों और मल्टी नैशनल कंपनियों की भरमार आ गई। लोग रोजगार की तलाश में ग्रामीण जीवन छोड़ शहरों में जा बसे। किंतु वर्तमान दौर में यह विस्थापन किसी विवशता वश न होकर अर्थ की अंधी दौड़ के कारण हो रहा है। गाँव का अभावग्रस्त जीवन छोड़ शहरों की चकाचौंध और बेहतर जीवन जीने के ढंगों और सुख सुविधाओं की ओर लोगों की दौड़ निरंतर जारी है। जिससे ग्रामीण संस्कृति का बोलबाला बढ़ गया है। महानगरों में विस्थापित होकर पहुँचे लोग वहाँ अपनों से दूर होकर अकेला और अजनबी महसूस करते हैं। कवि एकांत श्रीवास्तव कहते हैं :-

“जैसे दूर से आती हैं समुद्री हवाएँ
दूर से आते हैं प्रवासी पक्षी
सुदूर अरण्य से आती है गंध
प्राचीन पुष्प की
मैं दूर से उड़कर आया हुआ पत्ता हूँ।”⁵

महानगरीय जीवन की यही बिडम्बना है कि इतनी भीड़ होते हुए भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। क्योंकि महानगरों में रिशतों के मापदण्ड बदल गए हैं। महानगरों का जीवन आसान नहीं है। इसने व्यक्ति को मशीन में बदल दिया है। व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास विश्राम करने के लिए भी वक्त नहीं है। कवि अरूण कमल अपनी कविता में ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो गाँव छोड़ महानगरों में रहने आया है। जिसके सिर पर किराए की झोपड़ी है। दिन भर की व्यस्तता के कारण उसके पास आराम के लिए भी वक्त नहीं है। कवि कहते हैं :-

“रात भर जूट फैक्ट्री की रखवाली से थककर
तुम्हारा पति सो रहा है शिवालय के ओटे पर
और बच्चे ढोंगा बना रहे है नाले की मुँडेर पर
मैं भी इसी तरह गिरता पड़ता चला आया यहाँ
अब कभी भी जीवन में न वैशाख दोपहर की नींद मिलेगी।
न शरद पूर्णिमा का जागरण
खम्भे में रस्सी से बाँधकर देह सो जाऊँगा खड़े-खड़े।”⁶

4. सत्ता प्रति आक्रोश :-

सत्ताधारियों और नेताओं का चुनाव समाज और जनता की सेवा हेतु किया जाता है। किंतु उनकी कर्तव्य विमुखता समाज और जनता को निराश कर देती है। इन सत्ताधारियों ने भोली-भाली जनता का केवल शिकार करना ही जाना है। आए दिन हमें सत्ताधारियों द्वारा किए जाने वाले घोटालों की खबरें सुनने को मिलती हैं। जनता की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं को व्यावहारिक धरातल नहीं प्राप्त हो पाता। राजनीति में लोभ और रिश्वतखोरी के कारण भ्रष्ट सत्ता से जनता का भरोसा उठ गया है। संविधान और व्यवस्था द्वारा जिस आदर्श

समाज का सपना जनता के सामने रखा गया था वह टूट कर चूर-चूर हो गया। सरकार द्वारा जनता से किए वायदे झूठे साबित हुए। समाज एवं जन कल्याण संबंधी बनाई गई योजनाएँ असफल साबित हुईं। घर-घर तक पहुँचाई जाने वाली सुविधाओं प्रति बनाई योजनाएँ केवल टी.वी चैनलों और अखबारों तक ही सीमित रह गई, उसका आम जनता को कोई लाभ न मिल सका। ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति के लिए उसकी स्वस्थता से अधिक महत्त्वपूर्ण और कुछ न था। नेताओं के झूठे वादों से तंग आम जनता को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की चिंता होने लगी। इक्कीसवीं सदी का कवि आमजनता की इस बेचैनी को भली-भाँति महसूस करता है। इसलिए कवि कुमार अंबुज अपनी कविता में लिखते हैं :-

“अनगिनत मुश्किलें हो गई हैं चारों तरफ
देशव्यापी वीरताओं की नृशंसताओं से
पटे हुए हैं अखबार
मुझे सिरदर्द है, दुख रहा है बदन, चढ़ आया है बुखार
इस हालत में मुझे नागरिक को
किसी का वक्तव्य नहीं चाहिए
पैरासिटामॉल चाहिए।”⁷

सत्ताधारियों की स्वार्थी नीति का ही परिणाम है कि आज समाज में जातिवाद, साम्प्रदायिकता, वर्ग भेद जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। देश की अर्थ व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों में से जो विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए उद्योग स्थापना के लिए आमंत्रित करना था, वह भी असफल प्रयास साबित हुआ। इस नीति का अधिकांश लाभ पूँजीपतियों को हुआ। इससे पूँजी सीमित व्यक्तियों के हाथों में चली गई। बढ़ रही बेरोजगारी और मँहगाई प्रति कोई विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सामाजिक अन्याय का शिकार हो रही जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा जिससे उनका न्यायधीशों पर से भरोसा उठ गया है। कवि कुमार अंबुज लिखते हैं :-

“फिर हमने नाविकों, यात्रियों, खिलाड़ियों
कलाकारों और न्यायधीशों की तरफ उम्मीद से देखा
धर्म, राजनीति, खान-पान
योग, रति आदि क्रियाओं के आदर्शों के
उत्तरीयों पर दिखे
क्रूरताओं, समझौता और स्खलनों के दाग।”⁸

5. पर्यावरण प्रति सजगता :-

मानव जीवन की कल्पना पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय हैं। साँस लेने से लेकर भोजन तक के लिए मनुष्य की निर्भरता पर्यावरण पर है। पर्यावरण की सुरक्षा आज चिंता का विषय बन गया है। हमारे वेदों में भी हमें पर्यावरण की महत्ता का पाठ पढ़ाया गया है। इक्कीसवीं सदी का कवि भी अपनी कविता में पर्यावरण की बात करता है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, जीव-जंतु, वृक्ष

पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। जिस पर मनुष्य की निर्भरता सदैव बनी रहती है। इक्कीसवीं सदी का कवि पर्यावरण की महत्ता को समझते हुए अपनी कविता के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा प्रति सजग करने का प्रयास करता है। कवि एकांत श्रीवास्तव अपनी कविता में अपनी सबसे प्रिय वस्तु पृथ्वी को बताते हैं। वह पृथ्वी जिसकी कोख में गिरने वाला बीज अनाज बनकर बाहर निकलता है और समस्त मानव जाति का पेट भरता है। कवि कहते हैं :-

“अपनी किसी प्रिय वस्तु का नाम लो
किसी प्रिय जन का नाम
हम धरती कहते हैं
किसी प्रिय रंग का नाम लो
किसी प्रिय देव का नाम
हम धरती कहते हैं”।⁹

वर्तमान जीवन की कई चुनौतियों में पर्यावरण सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभकर सामने आती है। पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ प्रति इक्कीसवीं सदी का कवि आक्रोश व्यक्त करता है। औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएँ के कारण वायु साँस लेने योग्य नहीं रह गई है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पदार्थों (waste) को जब नदियों में छोड़ दिया जाता है तो इससे जल प्रदूषण तो होता ही है साथ ही साथ जलीय जीव-जंतुओं का जीवन भी नष्ट हो जाता है। कूड़े और प्लास्टिक के ढेरों को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उससे पृथ्वी की प्राकृतिक उर्वरता नष्ट हो जाती है। फसलों की पैदावार को बढ़ाने में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों और खादों के कारण अनाज को भी जहरीला कर दिया जाता है साथ ही जहरीले कीटनाशकों से धरती का प्राकृतिक उपजाऊपन खत्म करके उसको जहरीला बना दिया जाता है। इन जहरीली खादों का प्रयोग करके मनुष्य धरती की और अपनी दोनों की स्वस्थता के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ आज की अन्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं में से एक है। पृथ्वी पर बढ़ रही गर्मी के कारण हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लगातार ताप प्रदूषण के कारण ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ के साथ-साथ ‘अम्ल वर्षा’ जैसी समस्याएँ भी सामने आ रही हैं। जापान, अमेरिका, फ्रांस, एशिया जैसे देश ऐसी पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पृथ्वी के बचाव के लिए पृथ्वी बचाओ सम्मेलन करवाए जा रहे हैं। इक्कीसवीं सदी का कवि अष्टभुजा शुक्ल ऐसे खोखले सम्मेलनों का विरोध करता है जिसका केवल आयोजन लोक दिखावा मानता है। कवि का मानना है कि पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में ली गई कसमों और रखे गए सुझावों की पूर्ति की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कवि इन सम्मेलनों में शामिल होने वालों की चिंता और संवेदनाओं को नकली करार देता है। कवि का मानना है कि उनकी पर्यावरण प्रति चिंता वास्तविकता नहीं बल्कि ढोंग है। कवि लिखते हैं :-

“कि इस पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में
हिस्सा लेने वालों के माथे पर
दिखाई देनी चाहिए चिंता की लकीरें
थोड़ा पसीने का प्रबन्ध हो जाए तो और अच्छा

चेहरों पर चेचक जैसे दुख
और दुरात्माओं को भगाने के लिए
सुलगती रहे चाँदी की अँगीठी में लोहबान।¹⁰

6. सामाजिक असुरक्षा का चित्रण :-

मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है। मनुष्य से ही समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का होना अतिआवश्यक है। किंतु वर्तमान समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा को पल-प्रतिपल खतरा है, वह बाहर तो क्या अपने घर में सुरक्षित नहीं है। इसका कारण प्रतिदिन बढ़ती हत्याएँ और वारदातें हैं। सुबह घर से निकला व्यक्ति शाम को सुरक्षित घर लौटेगा भी या नहीं इसका आश्वासन देना मुश्किल है। आए दिन हमें किसी पुल के नीचे या सड़क पर किसी की लाश पड़ी मिल जाती है। ऐसे असुरक्षा के माहौल में इक्कीसवीं सदी का कवि और चेतन हो गया है। वह अपनी कविता के माध्यम से जनता को इस असुरक्षा के वातावरण प्रति सचेत करता चलता है। कवि अरुण कमल लिखते हैं :-

“रुक कर देख लूँ पीछे
कोई पीछा तो नहीं कर रहा
क्यों लगा कोई साँस कंधे पर
कोई हरकत पुल के नीचे
कोई उस दरख्त के पीछे—
लौट जाऊँ वापस?
लेकिन अब वहाँ हूँ, जहाँ से घर भी उतनी ही दूर
जितना कब्रिस्तान।”¹¹

पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भी सामाजिक असुरक्षा का एक मात्र कारण है। पश्चिमी सभ्यता से हमारे समाज में ‘गन कल्चर’ या ‘गैंगवार’ (Gang wars) जैसी गतिविधियों ने जन्म लिया है। आए दिन हमें अखबारों में टी.वी. चैनलों में ऐसी खबरें देखने को मिल जाती हैं जिसमें किसी को ‘गैंगवार’ के चलते चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाता है। इक्कीसवीं सदी का कवि वर्तमान दौर की संवेदनशून्यता की बात करता है जहाँ हत्यारा कहीं बाहर नहीं हमारे बीच हमारे परिवारों में और परिवार के जशनों में ही मौजूद होता है। जो मौका मिलते ही पीठ पर वार करने से नहीं चूकता। ऐसी मौकाप्रस्त मानवीयता की बात वर्तमान कवि अपनी कविता में करता है। कवि ऐसे दो मुँहों लोगों से बचकर रहने की बात करता है जो मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुँचाने से नहीं चूकते। कवि कुमार अम्बुज लिखते हैं :-

“जबकि रोज़ सब तरफ मुजरिम ही जश्न मना रहे हैं
और एक दिन उनके जश्न में
हम सब शामिल होते जाते हैं और वे भी
जो उनकी हत्या की सुपारी ले चुके हैं उसी जश्न में नाचते-गाते हैं
कि जल्दी क्या है खा-पीकर, नाच गाकर मार देंगे।”¹²

निष्कर्षत :-

हम कह सकते हैं कि इक्कीसवीं सदी की कविता कई नये प्रधान स्वरों को लिए हुए सामने आती है। “इक्कीसवीं सदी का हिंदी साहित्य अवसाद, निराशा, घुटन और पीड़ा की अनुगूँज को मुखरित करता हुआ आम आदमी की व्यथा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिवेश में लोगों ने अनुभव किया है कि उनका रामराज्य का सपना धूल में मिल गया है। लोकतंत्र पर राजतंत्र हावी हो गया है। परिणामतः आम जनता की अभिलाषाओं एवं अकांक्षाओं की लाशे गिरने लगी हैं। महँगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, शोषण ने मिलकर लोगों की हालत खस्ता कर दी है।”¹³

इक्कीसवीं सदी की कविता अनेक प्रश्नों, विमर्शों, सरोकारों, स्वरों और विलक्षणताओं के साथ सामने आती है। अति आधुनिकता के दौर ने यहाँ हमारे जीवन जीने के ढंगों को आसान बना दिया है। वहीं हमारी सामाजिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता और शांति को छीन लिया है। यही कारण है कि भौतिक पक्ष से हम बेशक विकास की राह पर हो सकते हैं किंतु सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक पक्ष से हम पतन की राह पर चल रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सं. डॉ. शैलजा भारद्वाज, इक्कीसवीं सदी की कविता : संवेदना के नये स्वर, कानपुर : चिंतन प्रकाशन, 2012, पृ. 120
2. एकान्त श्रीवास्तव, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नयी दिल्ली : प्रकाशन संस्थान, 2016, पृ. 46
3. एकांत श्रीवास्तव, धरती अधखिला फूल है, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2013, पृ. 25
4. अष्टभुजा शुक्ल, रस की लाठी, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2019, पृ. 49-50
5. एकांत श्रीवास्तव, बीज से फूल तक, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 18
6. अरुण कमल, मैं वो शंख महाशंख, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2014, पृ. 26
7. कुमार अम्बुज, अतिक्रमण, दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन, 2022, पृ. 22
8. कुमार अम्बुज, उपशीर्षक, दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2002, पृ. 79
9. एकांत श्रीवास्तव, बीज से फूल तक, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2003, पृ. 20
10. अष्टभुजा शुक्ल, इसी हवा में अपनी भी दो चार साँस हैं, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2010, पृ. 47
11. अरुण कमल, योगफल, नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन, 2019, पृ. 28
12. कुमार अम्बुज, अमीरी रेखा, दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2011, पृ. 93
13. डॉ. माधवी जाधव, इक्कीसवीं सदी का हिन्दी काव्य, कानपुर : विद्या प्रकाशन, 2013, पृ. 9

मो. 81463-15512

ई.मेल : lovelykaur605@gmail.com

Postal Address :

Lovely D/o Jatinder Kumar, VPO. Kamam, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar

Teh. NawanShahr, Pin Code- 144513, Phone No. 9872436347



हिन्दी भाषा का वैश्विक परिदृश्य और प्रवासी साहित्य

डॉ. सफ़ाम्मा

सहायक प्रोफेसर और अध्यक्ष, दि अमेरिकन कॉलेज, मदुरै।

भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा सिर्फ विचारों को ही नहीं संस्कृति जानने का माध्यम भी है। इसलिए भाषा को सामाजिक परिचायक कह सकते हैं। हमारा देश बहुभाषित होने पर भी हिन्दी अधिकतर लोगों से बोली जाने वाली और समझने वाली भाषा है।

इस इक्कीसवीं सदी परिवर्तन का समय है। इस नवीन युग में भाषा, समाज और संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन तो विकास का मांग है। परिवर्तन का एक अंग है वैश्वीकरण। वर्तमान सदी में धूम मचानेवाला एक शब्द है वैश्वीकरण। यह आज मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। मानव जीवन के सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखाई देता है। भाषा और संस्कृति भी इसमें नहीं छूटा। हमारा भारत देश तो बहुभाषी देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृति और संसकार होने पर भी सारे देश को एकता में बांधने की कड़ी है हिन्दी।

डेविट क्रिस्टल का विचार है कि, "एक भाषा किसी भी देश की भाषा वास्तव में वैश्विक भूमिका निभाती है तो वह भाषा वास्तव में वैश्विक स्थिति प्राप्त करती है। अंग्रेजी भाषा विज्ञान के विद्वान डेविड क्रिस्टल वैश्विक भाषा की परिभाषा इसप्रकार देते हैं कि, एक भाषा वास्तव में जब विकसित होती है तो वह हर एक देश में मान्यता और विशेष भूमिका प्राप्त करती है तब भाषा वैश्विक स्थिति प्राप्त करती है। यह स्पष्ट है कि इस धारणा के लिए विशेष भूमिका के कई पहलू हैं। इसकी भूमिका में यह बात स्पष्ट है कि बहुत सारे देशों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों से मातृभाषा के रूप में बोली जाती है।"

जो भाषा आर्थिक तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में मुख्य भाग लेती है वही विश्व भाषा बनने योग्य है। हिन्दी को आज वैश्विक भाषा के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक भाषा के रूप में हिन्दी की मान्यताएँ इस प्रकार हैं।

- इस भाषा को बोलने और पसंद करनेवालों की संख्या अधिक है।
- संसार के अधिकतर देशों में इस भाषा अधिक बोली जाती है।
- इस भाषा विश्व स्तर पर अपना स्थान पाने में सफल हो।
- इस भाषा का साहित्य अन्य भाषाओं में अनुवाद की जाए।
- विज्ञान और तकनीक युग में भाषा का उपयोग सफल हो।
- इस भाषा देश और विदेशों में प्रयोग की जानेवाली जन संचार की भाषा बने।

— उदयोग, व्यापार और औद्योगीकरण के द्रो, में प्रयोग की जाए।

उपर्युक्त मान्यताओं के अनुसार हिन्दी भाषा को वैश्विक भाषा के रूप में और सफल भाषा के रूप में मान सकते हैं। आज हिन्दी भाषा ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, वाहटस अप, गूगसल, स्काईप जैसे विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम, संवाद के टूल्स के रूप में उपयोग की जाती है। इसप्रकार विश्व के समृद्ध भाषाओं में हिन्दी भी एक है।

विश्व में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा और साहित्य का पठन और पाठन हो रहा है। ये विश्वविद्यालय और संस्थाएँ यूरोप, अमरीका, एशिया, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका में हैं। हिन्दी भाषा और साहित्य भारत के बाहर भी कई देशों में लोक प्रिय है। “भारत के साहित्य का वैश्विकरण करने में प्रवासी साहित्यकारों की अहम भूमिका है। भारत और भारतीयों के द्वारा जो रचा जा रहा है आज वह वैश्विक मंचों पर भी अपनी अपनी व्याख्या के साथ प्रस्तुत है।”² — भूटान, मारीशस, फीजी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, केनडा, रूस, फ्रांस, हालैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, इटली, पोलैण्ड, हंगेरी, दक्षिण अफ्रीका तथा जापान आदि देशों के अनेक विद्यालय व विश्वविद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों में हिन्दी का पठन पाठन हो रहा है।

विश्व में जहाँ भारतीय रहते हैं, उनके साथ-साथ हिन्दी भी विद्यमान है। हिन्दी को वैश्विक पटल पर ले आने में हमारे देश के बहुत सारे विद्वानों का मुख्य हाथ है। महात्मा गांधी, लोक मान्य तिलक, डॉ. राधाकृष्ण, विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि ने हिन्दी के लिए बहुत सारे काम किये हैं।

हिन्दी को वैश्विक स्तर पर ले आने में प्रवासी साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी संख्या में भारत के लोग संपूर्ण विश्व में अनेक देशों में बसे हैं। मॉरिशस, इंगलैंड, अमेरिका, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, डुबई, थाईलैंड, मस्कट, जिंबावे, जर्मनी, कीनिया, नीदरलैंड, कनेडा, श्रीलंका, ग्रीस, क्यूबा, यूनान, जावा, मलाया, चीन, तुरफान, बर्मा, तिब्बत, सुभत्रा, कम्बोडिया, मेडागासकर, दक्षिण अफ्रिका, सूरीनाम, जाबीया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में हिन्दी प्रचार प्रसार कार्य प्रवासियों द्वारा हो रहा है। आज हिन्दी साहित्य को सच्चे रूप में वैश्वीकरण करने का श्रेय प्रवासी लेखकों को सबसे अधिक जाता है। “आज विश्वभर के अनुभवों से हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने वाले प्रवासी हिन्दी लेखक ही तो हैं।”³

प्रवासियों को हम दो श्रेणी में बाँट सकते हैं। आरम्भ काल में भारत से विदेश गये भारतीय अधिक्त गिरमिटिया मजदूर थे। 1980 के बाद में सुशिक्षित सुकुशल मध्यवर्गीय लोग अपने आर्थिक जीवन सुधारने के लिए विदेश गये थे। पहले तो विदेश जाना आसान काम नहीं था। लेकिन आजकल तो वो आम बात बन गयी है।

संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से लोग भारी संख्या में दूसरे देशों के लिए पलायन करते हैं। यह प्रक्रिया लगभग चार सौ वर्ष पुरानी है। आज भूमंडल के विभिन्न देशों में भारतवासी बसे हैं। सुशिक्षित लोग विदेश जाकर कुछ ही समय में अपने परिवारों को विदेश ले जाते हैं।

साहित्य उसी भाषा में लिखा जाता है जिस भाषा के संस्कार व्यक्ति को बचपन से मिलते हैं। उन लोगों का तन से विदेश में रहने पर भी मन से भारतीय हैं। प्रवासी लोगों ने अपना लेखन कार्य संवेदनशील रूप में व्यक्त करने के लिए अपने बचपन की मातृ भाषा में लिखना चाहते हैं। इसका और एक कारण भी है कि विदेशों में रहनेवाले हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी मातृ भूमि से आंतरिक संबध बनाए रखना चाहते हैं। साथ में अपनी भाषा

को भी विश्व भाषा बनाना चाहते हैं।

मॉरिशस में 1909 में महात्मा गाँधी के भक्त मणिलाल डॉक्टर ने हिन्दुस्तानी प्रेस द्वारा हिन्दुस्तानी पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। इस पत्र के संवादक आत्माराम विश्वनाथ थे। वे मॉरिशस आर्य पत्रिका, आर्यवीर, आर्यवीर जागृति और आर्योदय आदि पत्रिकाओं द्वारा हिन्दी का प्रसार किया। मॉरिशस इंडियन टाइम्स, दुर्गा, वर्तमान, मजदूर, समाजवाद, कांग्रेस आदि पत्रिकाएँ प्रमुख हैं। इसके अलावा अनुराग और दर्पण जैसे साहित्य पत्रिकाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

इंग्लैंड में 1865 में ही हिन्दी के जानेमाने लोग मौजूद थे। इसी कारण से ही 1865 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र से देशी भाषाओं के सभी मुद्रित समाचार पत्र और पत्रकारों की सूची लंदन भेजी। डॉ. जगदीश मित्र कौशल द्वारा लंदन में हिन्दी का प्रचार-प्रसार शुरू किया गया। आयरलैंड के ग्रियर्सन से हिन्दी की पहचान इंग्लैंड में की गयी। हिन्दी के प्रचार-प्रसार में माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है।

चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व स्तर पर अधिक बोली जानेवाली भाषा हिन्दी है। विश्व में मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, फ़िजी, संयुक्त अरब, पाकिस्तान, कनडा, अमरिका, आदि देशों में हिन्दी भाषी लोग बसे हैं। विश्व भाषा बनने के सभी गुण हिन्दी में हैं। इस सदी में हिन्दी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विदेशी देश अपना व्यापारिक जगत में हिन्दी के संग ही आगे बढ़ते हैं।

कनाडा में पन्द्रह वर्षों से अधिक हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। आज मैक्सिको, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, और ब्रिटेन जैसे 48 देशों में प्रवासी भारतीय बसे हैं।

आजकल तो विदेशों में हिन्दी खुले तौर पर आ चुकी है। संसार के विभिन्न देशों में कोई न कोई कार्यक्रम तो प्रतिदिन होते रहते हैं। प्रवासियों ने विदेशों में बहुत सी संस्थाएँ स्थापित की हैं। इन सभी संस्थाएँ निस्वार्थ भाव से हिन्दी सेवा कार्य में लगी हुई हैं।

“भारत की भाषा हिन्दी को अब दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में देखने वाले देश के रूप में चीन का नाम शुमार करना होगा, इसका कारण कोई कोई औपचारिक मजबूरी का नहीं है अपितु भविष्य की जरूरतों का है। इसी कारण पिछले 10 वर्षों में चीनी समाज के भीतर से जागरूक समूहों में भारत को लेकर जिन गम्भीर विषयों को देखा जा रहा है उसमें हिन्दी अध्ययन एक प्रमुख मुद्दा है।”⁴

भारतीय उच्च आयोग भारतीय विद्याभवन नेहरू केन्द्र आदि हिन्दी भाषा और संस्कृति प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है और विश्व के हिन्दी संसार में यानी पहचानी जाती हैं इसके अलावा यू.के. हिन्दी समिति, गीतांजलि बहुभाषीय समुदाय, कला ज्योति, भारतीय भाषा संगम हिन्दी भाषा समिति, वातायन आदि संस्थाएँ भी हिन्दी वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद की है। ये संस्थाएँ हिन्दी को विश्व भाषा बनाने में प्रयास कर रही है। इसी तरह और बहुत सारी संस्थाएँ हैं। “पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में एक छोटा सा भारत बसता है। जिसकी बदौलत पौराणिक और नूतन साहित्य पढ़ा जाता है। सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सेमिनार आदि के द्वारा हिंदी साहित्य विदेशों में खूब फल फूल रहा है।”⁵

निष्कर्ष के रूप में समझने की बात है कि आज समस्त विश्व, वैश्वीकरण की त्रासदी से भयभीत है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हिन्दी वैश्विक स्तर पर पहुँचकर विश्व भाषा का रूप धारण कर ली है। प्रवासी लोग ने पराये देश में भी अपनेपन की खोज में साहित्य का सहारा लेते हैं। प्रवासी साहित्यकार द्वारा पद्य और

गद्य में अधिकतर हिन्दी रचनाएँ लिखी जा रही हैं। मौलिक रचनाओं के अलावा अन्य भाषाओं में हिन्दी रचनाओं का अनुवाद तीव्रगति से चल रहे हैं। भक्तिकालीन के रचनाओं से लेकर आधुनिक काल के रचनाएँ तक अधिकतर रचनाएँ बहुत सारें विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। हिन्दी को वैश्विक स्तर पर ले आने में प्रवासी साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवासियों की संस्थाओं द्वारा जिस प्रकार हिन्दी-प्रचार कार्य हो रहा है यह जान सकते हैं। वह दिन दूर नहीं है कि हिन्दी वैश्विक स्तर पर प्रथम भाषा बने।

संदर्भ :-

- 1 David Crystal, English as a global language Second Edition, Cambridge University Press, 2003, (Page No. 3) U.K.
- 2 <https://www.jansatta.com/rajya/foreigner-author-are-doing-globalization-of-indian-literature-padmesh-gupta> मृणाल वल्लरी, नई दिल्ली, जून 2017
- 3 <https://hindi.webdunia.com/nri-activities/overseas-world-language-and-culture-118092000027-1.html> 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन, मॉरीशस में डॉ. पद्मेश गुप्त, यूके के प्रतिनिधि का संबोधन।
- 4 प्रो. प्रदीप श्रीधर, प्रवासी हिन्दी साहित्य अवधारणा एवं चिंतन, पृ. 18, सं. 2018, विद्या प्रकाशन, कानपुर
- 5 प्रदीप श्रीधर, प्रवासी हिन्दी साहित्य दशा एवं दिशा, पृ. 179, सं. 2018, तक्षशीला प्रकाशन।



वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका

रीतू

शोधार्थी, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक।

आज हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है, विश्व की भाषा बन चुकी है कारण हिंदी प्रेम और शांति की भाषा, है और हिंदी भाषा को वैश्विक स्तर तक बढ़ाने के लिए सदैव अभियान चलते रहे हैं, ताकि पूरे विश्व में प्रेम और शांति को बल मिलें हिंदी के शुद्ध व सात्विक विचार आज विश्व की परंपरा का भाग बन रहे हैं। आज विश्व में हिंदी का द्वितीय स्थान है और धीरे-धीरे हिंदी प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेगी। विश्व-कल्याण और एकता की भावना को बढ़ाने के लिए हिंदी का उत्तरदायित्व बढ गया है। "लल्लन प्रसाद व्यास" ने 'विश्व हिंदी की यात्रा' में हिंदी भाषा की बढ़ती महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है-"विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में हिंदी का विश्वव्यापी विराट रूप आकाश में घूमकेतु के समान एक तेजोमय प्रकाश पुंज की भाँति प्रकट हुआ है जो भारत के सांस्कृतिक जीवन में एक अद्वितीय घटना बनकर रह गयी। इस अद्वितीय घटनाका क्रम इतनी तेजी से चला कि देखते ही देखते कुछ महीनों में एक स्वप्न की तरह निकल गया।"

वैश्विककरण के इस युग में हिंदी का प्रयोग व महत्त्व और भी बढ़ गया है। हिंदी के प्रचार-प्रसार में आज अनेक भारतीय प्रवासी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में स्कूलों, कॉलेजों तथा यहाँ तक की विश्वविद्यालय में भी हिंदी का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। ज्ञान-विज्ञान के इस युग में हर विषय से संबंधित पुस्तकें हिंदी में लिखी जा रही हैं, तथा इस कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तर पर सरकार पुरस्कार को भी प्रदान कर रही है।

विश्व हिंदी सचिवालय भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने और विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए कार्यरत है। हिंदी विज्ञान सम्मत भाषा है आज विश्व स्तर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदी भाषा अपनी लिपि और ध्वन्यात्मकता के लिहाज से सबसे शुद्ध और विज्ञान सम्मत भाषा है जिसमें प्रत्येक उच्चारण के लिए अलग चिह्न निर्धारित है। वैसे तो हिंदी को विश्व की तीसरी बड़ी भाषा माना जाता है परंतु हकीकत यह है कि हिंदी दूसरी बड़ी भाषा है क्योंकि चीनी (जिससे दूसरी बड़ी भाषा माना जाता है) भाषा अर्थात् शुद्ध चीनी भाषा जानने वालों की संख्या हिंदी जानने वाले और बोलने वालों से काफी कम है। 'डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय' ने 'हिंदी का विश्व संदर्भ' में लिखा है-"हिंदी को वैश्विक संदर्भ प्रदान करने में विश्व-भर में फैले हुए साढ़े चार करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीयों का विशेष प्रदेय है। वे हिंदी के द्वारा अन्य भाषा-भाषियों के साथ सांस्कृतिक संवाद कायम करते हैं।

अब हिंदी विश्व के सभी महाद्वीपों तथा राष्ट्रों जिनकी संख्या एक सौ साठ से भी अधिक है में

किसी-न-किसी रूप में प्रयुक्त हो रही है। इस समय वह विश्व की तीन सबसे बड़ी भाषाओं में से है। वह विश्व के विराट फलक पर नवलचित्र के समान प्रकट हो रही है। वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर मंदारिन (चीनी) के भी ऊपर आकर विश्व की पहली सबसे बड़ी भाषा बन गई है। जबकि वह जिन राष्ट्रों में प्रयुक्त हो रही है उनके संख्या बल की दृष्टि से वह अंग्रेजी के बराबर पहले स्थान पर है। अब विश्व स्तर पर उसकी स्वीकार्यता अनुभव की जा सकती है और उसका सर्वतोन्मुखी जागतिक उन्नयन देखा जा सकता है।²

आज के बढ़ते वैज्ञानिक युग में विश्व के सभी लोग परंपराओं और अफवाहों को न मानकर हर बात का एक वैज्ञानिक कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं, और रही बात भाषा की तो हिंदी का महत्व, और प्रचार-प्रसार तथा हिंदी जानने और बोलने वालों का आंकड़ा इसी कारण से तेजी से बढ़ रहा है कि हिंदी भाषा का विज्ञान सिद्ध हो चुका है, हिंदी को विश्व स्तर पर विज्ञान सम्मत भाषा माना जा चुका है। 'डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय' ने 'हिंदी का विश्व संदर्भ' में लिखा है— "वह अपनी विपुल शब्द सम्पदा तथा प्रयोग वैविध्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भों, सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक चिंताओं तथा आर्थिक विनिमय का संवाहक बनकर विश्व मन की आकांक्षाओं को प्रतिबन्धित करने के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है।"³

जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है वहाँ भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है। ब्रिटेन की लंदन यूनिवर्सिटी, केंब्रिज और यार्क यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनामा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एवं संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी अल्पसंख्यक भाषा भारत को बेहतर ढंग से जानने के लिए दुनिया के करीब 115 शिक्षण संस्थाओं में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन होता है। यहाँ तक की चीन में भी 1942 में हिंदी अध्ययन शुरू कर दिया था। और 1957 से हिंदी रचनाओं का अनुवाद चीनी भाषा में शुरू हुआ था। 'डॉ० जोगेन्द्र सिंह' ने 'हिंदी की विश्व व्याप्ति' में लिखा है— "हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी भाषा भाषियों की कुल संख्या लगभग 46 करोड़ थी, जिनमें लगभग 19 करोड़ वे लोग थे, जिनकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उसे उसी प्रकार व्यवहार में लाने की क्षमता रखते हैं जैसे मूल हिंदी भाषी। एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं। जिनमें आधे से अधिक हिंदी से परिचित ही नहीं उसे व्यवहार में भी लाते हैं।"⁴

आधुनिकता की ओर तेजी से अग्रसर कुछ भारतीय आज भले ही अंग्रेजी बोलने में अपनी शान मानते हो परंतु सच यही है कि हिंदी ऐसी भाषा है जो प्रत्येक भारतवासी को वैश्विक स्तर पर मान-सम्मान दिलाती है। सही मायनों में विश्व की प्राचीन समृद्ध एवं सरल भाषा है भारत की राजभाषा हिंदी जो न केवल अब भारत ही की भाषा रह गयी है बल्कि विश्व के अनेक देशों की भाषा बन गयी है। विश्व स्तर पर हिंदी की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सकारात्मकता पक्ष यही है कि आज विश्वभर में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं और दुनियाभर के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और दुनिया भर में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप प्रदान करने के लिए पिछले कई वर्षों से 10 जनवरी को 'विश्व हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'हिंदी की विश्व व्याप्ति' में 'डॉ० जोगेन्द्र सिंह' ने लिखा है— "आधुनिक युग में वैश्वीकरण को सिद्धांत एवं प्राचीन युग से चली आ रही भारत की वसुधैव कुटुंबकम् की चिन्तन धारा ने हिंदी को विश्व जनमानस की भाषा बनाने के लिए नया भौगोलिक विस्तार दिया है। इस और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् और अन्य गैर सरकारी संगठनों हिंदी विद्वानों एवं हिंदी लेखकों को अत्यधिक गंभीरता एवं सावधानी से ध्यान देना

चाहिए ताकि विश्व भर में हिंदी के विद्वानों की संख्या बढ़ सके।⁵

इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रचलन दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल द्वारा कुछ वर्षों पूर्व तक जहाँ अंग्रेजी सामग्री को ही महत्त्व दिया जाता था वही अब गूगल द्वारा भारत में हिंदी तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ समय पहले इंटरनेट पर हिंदी का दायरा कुछ ब्लॉगो और चंद वेबसाइटों तक ही सीमित था, अब हिंदी अखबारों की वेबसाइटों ने करोड़ों नए पाठको को अपने साथ जोड़कर हिंदी को और समृद्ध तथा जन-जन की भाषा बनाने में बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात् बाजारवाद दौर भूमंडलीकरण के इस युग में हिंदी का महत्त्व और भी बढ़ गया है। “डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय’ ‘हिंदी का विश्व संदर्भ’ में लिखते हैं—“इसमें किंचित संदेह की गुंजाइश भी नहीं है कि जो भाषाएँ उत्तरोत्तर तकनीकी आविष्कृतियों के अनुरूप अपने आपको पूरी तरह ढाल नहीं पाएंगी अथवा उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचाहट का अनुभव करेंगी, उनका भविष्य अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो भाषाएँ बहुभाषिक कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी की एकदम नवीनतम न्यूनट आविष्कृतियों में अपने सम्पूर्ण शब्दकोष, व्याकरण, साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्र की तमाम उपलब्धियों के साथ दर्ज होंगी और कम्प्यूटर, लाइब्रेरी में अपनी उपस्थिति का गहरा अहसास कराएंगी उनकी प्रगति निर्विवाद है। हिंदी इस दिशा में अपेक्षित गति से बढ़ रही है।”⁶

भारत के आकाशवाणी और दूरदर्शन हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में निरंतर कार्यरत है है। विश्व के टी० वी० चैनलों से हिंदी के कार्यक्रमों के प्रसारण ने भी हिंदी को विश्व भाषा बनने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

विश्व की अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया जाता है जो हिंदी को विश्व भाषा बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान रखती है। ‘डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय’ ने ‘हिंदी का विश्व संदर्भ’ में लिखा है—वर्तमान दौर में वेब लिंक्स और गूगल सर्च का बोल बाला है। इस समय हिंदी में भी एक लाख से ज्यादा ब्लॉग्स सक्रिय हैं। अब तक सैकड़ों पत्रिकाएँ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी में इस समय जो वेब लिंक्स उपलब्ध है उनमें राष्ट्रीय पोर्टल, साहित्य कोष एवं शब्द कोष सम्बंधी पोर्टल, शिक्षा एवं हिंदी शिक्षा सम्बंधी पोर्टल, धर्म एवं खेल सम्बंधी पोर्टल तथा पत्र-पत्रिकाओं के पोर्टल का समावेश है। इनकी अनुमानित संख्या हजारों में है जो हिंदी को सही मायने में वैश्विक भाषा का सम्मान दे रहे है।⁷

हिंदी को विश्व भाषा बनाने का एक और सकारात्मक कार्य है हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विश्व स्तर पर हो रहे अनेक सम्मेलन तथा संगोष्ठियों तथा विदेशी साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद जो इस बात का प्रतीक है कि विश्व में आज हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार और महत्त्व कितना बढ़ गया है। ‘डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय’ ‘हिंदी का विश्व संदर्भ’ में विश्व स्तर पर हो रहे अनेक सराहनीय सम्मेलनों का वर्णन करते हुए लिखते हैं— “विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के विराटतम उत्सव की तरह रहे है। यह सम्मेलन नागपुर से आरंभ होकर नई दिल्ली, पोर्ट लर्ड, मॉरिशस, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनीडाड एवं टोबैको, लंदन यू० के०, पारामारिबो सूरीनाम, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए अपने नये पड़ाव पर जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रिका पहुँचा। इस तरह विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में विश्व हिंदी सम्मेलन सम्पन्न हो चुका है।”⁸

इस प्रकार हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए विश्व स्तर पर हो रहे अनेक सम्मेलन, संगोष्ठियाँ,

पत्र-पत्रिकाओं का हिंदी में प्रकाशन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का हिंदी में रूपान्तरण, विश्व हिंदी दिवस आदि अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण योगदान हिंदी के लिए शुभ संकेत हैं, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रेम एकता तथा शांति की भावना को बनाए रखने के लिए भी महत्त्वपूर्ण हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्व हिंदी की यात्रा, लल्लन प्रसाद व्यास, वाणी प्रकाशन, पृ० सं० 9
2. हिंदी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय, राधा कृष्ण प्रकाशन, पृ० सं० 5, 6
3. हिंदी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन पृ० सं० 6
4. हिंदी को विश्व व्याप्ति, डॉ० जोगिन्द्र सिंह, अनंग प्रकाशन, पृ० सं० 15
5. डॉ० जोगिन्द्र सिंह कृत हिंदी की विश्व व्याप्ति की भूमिका से।
6. हिंदी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ० सं० 66-67
7. हिंदी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ० सं० 173-174
8. हिंदी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ० सं० 175

मेल-riturohaj1998@gmail.com

मो०- 9541913210



बदलते वैश्विक में हिन्दी भाषा

सिम्पी

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।

हिन्दी भाषा सिर्फ साहित्य की भाषा ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की भाषा है। हिन्दी भाषा विश्व की भाषा होने के साथ-साथ बाजार की भाषा भी है।

आज का समय भूमण्डलीकरण का है। जिस प्रकार तेजी से हमारे खानपान, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि को प्रभावित किया है, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। आज विश्व में साठ हजार भाषाएँ बोली और समझी जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में नब्बे प्रतिशत भाषाओं का भविष्य खतरे में है लेकिन हिन्दी भाषा अपने आप को न केवल बचाने में सफल हो रही है बल्कि हिन्दी भाषा का उपयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।

अगर हिन्दी भाषा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो जापान में पहले नौ विदेशी भाषाएँ पढ़ाई जाती थी, जबकि आज इनकी संख्या छब्बीस हो चुकी है, जिसमें हिन्दी भी शामिल है। ये सब हिन्दी से प्रेम के कारण सम्भव हो सका है। इसलिए हिन्दी विश्व में द्वितीय स्थान पर है, धीरे-धीरे प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लेगी।

'डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय' ने "हिन्दी का विश्व संदर्भ" ने हिन्दी भाषा की बढ़ती महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है— "जब किसी राष्ट्र को विश्व बिरादरी अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व और स्वीकृति देती है तथा उसके प्रति अपनी निर्भरता में इजाफा पाती है, तो उस राष्ट्र की तमाम चीजें स्वतः महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में भारत की विकासमान तमाम चीजें स्वतः महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में भारत की विकासमान अन्तर्राष्ट्रीय हैसियत हिन्दी के लिए वरदान-सदृश है।"¹

हिन्दी भाषा लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुरानी है और इसमें लगभग डेढ़ लाख शब्दावली शामिल हैं। इसलिए हिन्दी भाषा को अन्तर-राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हिन्दी भाषा अनेक विदेशी भाषाओं को स्वीकार करती है। बाजार के कारण भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार व्यापक हो रहा है। आज वैश्विक स्तर पर हिन्दी भाषा अपने आपको एक संपर्क भाषा, प्रचार भाषा, राज भाषा के साथ-2 वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करती जा रही है। देखा जाए तो विश्व में चीनी भाषा के बाद हिन्दी का दूसरा स्थान है।

दूसरे देश से निकलने वाली पत्रिकाओं ने भी हिन्दी को वैश्विक स्तर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके कारण हिन्दी का वैश्विक स्तर पर महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोगो में हिन्दी के प्रति रुचि है और उसे सीखने की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो हिन्दी इसलिए सीख रहे हैं कि हिन्दी को निकट भविष्य में विश्व भाषा का स्वरूप मिलने वाला है।

यह बात सत्य है कि हिन्दी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित पुस्तकें, बहुत कम मिलती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस विषय पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया और पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ता जा रहा है।

‘डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय’ ने “हिन्दी का विश्व सन्दर्भ” में विश्व में हिन्दी भाषा मीडिया और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से बढ़ते हुए महत्व का वर्णन किया है। “आज भुमण्डलीकरण की प्रायोजक शक्तियों को कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सेलफोन तथा अन्य नवीनतम बहु माध्यम ऐसे औजार के रूप में मिल गए हैं कि जिनके द्वारा उनकी सारी गतिविधियाँ विश्वव्यापी हो जाती हैं।”²

आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में आधे से अधिक हिन्दी के हैं इसका मतलब यह है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी हिन्दी के महत्व को समझ रहा है। आज भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरीशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, खाड़ी देशों, अफ्रिका, यूरोप, कनाडा, अमेरिका तक हिन्दी कार्यक्रम उपग्रह चैनलों के जरिये प्रसारित हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि आज मॉरीशस में हिन्दी सात चैनलों के माध्यम कार्यक्रम प्रसारण कर रही है और उन कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या भी काफी है।

माइक्रोसॉफ्ट, गुगल, याहू, ओरेकल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियां, व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए हिन्दी भाषा को बढ़ावा दे रही हैं।

हिन्दी को वैश्विक संदर्भ और व्याप्ति प्रदान करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा विदेशों में स्थापित भारतीय विद्यापीठों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेशों में हिन्दी भाषा की महत्ता का वर्णन करते हुए-‘डॉ० जोगेन्द्र सिंह’, ने ‘हिन्दी की विश्व व्याप्ति’ में हिन्दी का विश्व में बढ़ते प्रचार-प्रसार को उजागर करने का प्रयास किया है।

“हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में हिन्दी भाषा भाषियों की कुल संख्या लगभग 46 करोड़ थी, जिनमें लगभग 19 करोड़ वे लोग थे जिनकी मातृभाषा हिन्दी न होती हुए भी उसे उसी प्रकार व्यवहार में लाने की क्षमता रखते हैं जैसे मूल हिन्दी भाषी। एक करोड़ बीस लाख भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं जिनमें आधे से अधिक हिन्दी से परिचित ही नहीं उसे व्यवहार में भी लाते हैं।”³

हिन्दी विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का कार्य हिन्दी में किया जाता है। हिन्दी पढ़ाई जाती है। अकेले अमेरिका में लगभग एक सौ पचास शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी का अध्ययन अध्यापन किया जाता है। हिन्दी विश्व में मनुष्य को निकट लाने के लिए एक सेतु का कार्य कर रही है। देखा जाए तो विश्व के लगभग 46 देशों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। जिस प्रकार भारत की भाषा हिन्दी होने के कारण सभी भारतीय हिन्दी भाषा नहीं जानते वही स्थिति अन्य देशों की भी है। अंग्रेजी विश्व के कुल पाँच देशों की भाषा है। इंग्लैण्ड में अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य भाषाएँ भी बोली जाती हैं।

विश्व के विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत में हिन्दी जानने वालों की संख्या कुल संख्या का पचास प्रतिशत है और अंग्रेजी भाषा केवल 0.58 प्रतिशत मात्र है वह एक प्रतिशत भी नहीं है।

पिछले कुछ सालों में हिन्दी भाषा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विस्तार विश्व में किसी भी भाषा का

नहीं हुआ है। आज शब्द की दृष्टि से हिन्दी विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक भाषा मानी जाती है। भारत के पड़ोसी देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार का वर्णन करते हुए 'डॉ० जोगेन्द्र सिंह' ने "हिन्दी की विश्व व्याप्ति" में भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ते हिन्दी के प्रयोग का वर्णन किया है "पाकिस्तान में हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या काफी है। इनमें हिन्दी के कार्यक्रम देखने सुनने वाले साहित्यिक स्तर पर हिन्दी पढ़ने लिखने वाले लोग शामिल हैं जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। पाकिस्तान में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे हिन्दी सीखने में रुचि उसके लिए उचित प्रोत्साहन तथा इसकी उपयोगिता के अवसरों की कमी आदि। दोनों देशों के बीच उचित व्यापारिक संबंध न होने के कारण भी हिन्दी की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती तथापि हिन्दी और उर्दू में काफी समानता है। पाकिस्तान के बड़े-2 शहरों में हिन्दी पढ़ने व बोलने वालों की संख्या काफी है। बहुत-से लोगो ने हिन्दी फिल्मों तथा धारावाहिकों द्वारा काफी हिन्दी सीख ली है।"⁴ हिन्दी भाषा बोलने वालों में भारत के पड़ोसी देशों की संख्या काफी है। जिनमें पाकिस्तान, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, न्यूजीलैण्ड, चीन आदि देश प्रमुख हैं।

जापान में तो भारतीय भाषाओं के अध्ययन का कार्य पालि, संस्कृत भाषा से सम्भव हुआ था जापान में हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए हिन्दी भाषी लोगो भारतीयों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जापान से हिन्दी के समाचार ही नहीं अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिन्दी को विशेष महत्व दिया गया है। महासभाओं को हिन्दी में सम्बोधित किया जाता है। 'डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय' ने "हिन्दी का विश्व संदर्भ" में महासभाओं का हिन्दी में भाषण को प्रस्तुत करते हुए बताया है।

"अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा को दो बार हिन्दी में सम्बोधित किया बल्कि वे देश-विदेश में सर्वत्र हिन्दी का प्रयोग करके एक नया दृष्टान्त उपस्थित कर रहे हैं।"⁵ विश्व में हिन्दी सम्मेलन सभाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से दुनिया-भर में फैले लाखों प्रवासी भारतीयों से भारत का संबंध कायम होता है। सम्मेलन सभाओं का आयोजन अगर हिन्दी में होता है, तो इनकी बातों को आम आदमी तक पहुँचाया जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व हिन्दी का स्तर काफी ठीक है और आगे भी प्रयास जारी है, जो हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ० सं०-11
2. हिन्दी का विश्व संदर्भ, डॉ० करुणाशंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ० सं०- 62
3. हिन्दी की विश्व व्याप्ति, डॉ० जोगेन्द्र सिंह, अनंग प्रकाशन, पृ० सं० 15
4. हिन्दी की विश्व व्याप्ति, डॉ० जोगेन्द्र सिंह, अनंग प्रकाशन, पृ० सं० 34
5. हिन्दी की विश्व व्याप्ति, डॉ० जोगेन्द्र सिंह, अनंग प्रकाशन, पृ० सं० 73

Mail- simpypunia663@gmail.com

मो० - 7404829844



नारी मन की अंतर्व्यथा का दस्तावेज : गाथा अमरबेल की

डॉ. देव्यानी महिड़ा

विभागाध्यक्षा, एम.पी.आर्ट्स एण्ड एम.एच.कॉमर्स कॉलेज फॉर विमेन, रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद, गुजरात।

हिन्दी साहित्य में प्रवासी एक ऐसा शब्द है, जो प्र + वासी से मिलकर बना हुआ है। प्र का अर्थ उत्कृष्ट रीति और वासी का अर्थात् निवासी होता है। हिन्दी साहित्य में प्रवासी का मूल उत्कृष्ट रूप से निवास करने वाला व्यक्ति होता है, जो अन्यत्र भारत भूमि को छोड़कर किसी अन्य विदेशों में रहकर जीवन यापन करता है; जिसे प्रवासी साहित्य कहा जाता है।

प्रवासी साहित्य और प्रवासी साहित्यकारों की पहचान के रूप में यह कहा जा सकता है कि— “हिन्दी साहित्य भारत के अतिरिक्त मॉरीशस, अमरिका जैसे देशों में अपना पाँव पसारे हुए हैं। ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि भारत के मूल निवासी हिन्दी लेखकों को वहाँ जाकर राष्ट्रभाषा में हिन्दी में विविध प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। ऐसे साहित्य को प्रवासी साहित्य और ऐसे साहित्यकारों को प्रवासी साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे की वजह यह थी कि कोई अपने शौख के खातिर गए तो कोई रचनाकार मजबूरी में वहाँ गए। लेकिन वे अपनी भारतीय परम्परा एवं भाषाप्रियता को छोड़ नहीं सके।”

प्रवासी साहित्य की परंपरा बहुत पुरानी है, परंतु फिर भी प्रवासी साहित्य अपनी संवेदनात्मक रचनाधर्मिता के कारण साहित्य के क्षेत्र में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। भारत से दूर कहीं अन्य देशों में बसे भारतीयों के अथक प्रयासों से ही आज प्रवासी साहित्य समृद्ध एवं सशक्त बन पाया है। प्रवासी साहित्य की रचना निरूपण के कारण चाहे जो भी रहे हों, उनमें प्रस्तुत परिस्थितियाँ भी चाहे जैसी रही हों, परंतु आज सत्य यह है कि प्रवासी साहित्य भारतीय हिन्दी साहित्य का अभिन्न अंग बन गया है।

प्रवासी साहित्य के अंतर्गत कविताएँ, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, खंडकाव्य, अनूदित साहित्य, यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि का सृजन हुआ है। अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा नीतिमूल्यों, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित, प्रवाहित एवं जिंदा रखा है। प्रवासी हिंदी साहित्यकार ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद आदि स्थानों को अपनी कर्मभूमि स्वीकार कर साहित्य सृजन करते आए हैं। प्रवासी महिला कथाकारों में अमेरिका की सुधा ओम ढिंगरा, रचना श्रीवास्तव, सुषम बेदी, जाकिया जुबैरी, उषा वर्मा, लंदन की उषा राजे, जया वर्मा, नीना पाल, दिव्या माथुर, ब्रिटेन की शैल अग्रवाल और केनेडा की सुदर्शन प्रियदर्शिनी का समावेश होता है।

डॉ. सुषम बेदी का जन्म 9 जुलाई 1948 में पंजाब के फीरोजपुर नामक शहर में हुआ था। आज वे न्यूयार्क में रहती हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाती हैं। सुषम जी का लेखन कार्य स्कूली जीवन से ही प्रारंभ

हो गया था और कॉलेज तक चलता रहा। समकालीन हिन्दी कथा साहित्य में सुषम बेदी का नाम सुप्रसिद्ध है। उनकी पहली कहानी १९७८ में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका 'कहानी' में प्रकाशित हुई और १९८४ से नियमित रूप से होती रही है। सुषम जी की रचनाओं में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच झूलते प्रवासी भारतीयों के मानसिक आंदोलन का सुंदर चित्रण किया गया है।

उनकी प्रारंभिक रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रहण की। बाद में उन्होंने सन् १९४७ से १९७० तक 'टाईम्स ऑफ़ इंडिया' समाचार पत्र की 'संवाददाता' भी थीं। उन्होंने बी.बी.सी. के साप्ताहिक कार्यक्रम 'लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड' में अपना सहयोग दिया। सुषम बेदी सन् १९७० में अमेरिका चली गईं, क्योंकि उनके पति वहाँ 'इंडियन टी बोर्ड' में 'डायरेक्टर' के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान समय में सुषम बेदी कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिन्दी और उर्दू विभाग की 'डायरेक्टर' हैं। सन् १९६३ से सन् १९६८ तक वे न्यूयार्क विश्वविद्यालय में 'व्हिजिटिंग प्रोफेसर' के तौर पर जाती रही थीं। रंगमंच आकाशवाणी और दूरदर्शन की अभिनेत्री सुषम बेदी ने दिल्ली दूरदर्शन और रेडियो पर नाटकों तथा दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में १९६२ से १९७२ तक काम किया। सन् १९५७-१९६० तक लखनऊ रेडियो से बचपन में जुड़ी रहीं। सन् १९७६ में वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जा बसीं। कंप्यूटर द्वारा भाषा शिक्षण के क्षेत्र में भी वे काम कर रही हैं। उनकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी तथा उर्दू में अनुवाद हुआ है। उन्होंने भाषा शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकों की रचना की है— जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध संग्रह, कविता संग्रह, आलोचनात्मक कृतियाँ आदि। सुषम जी वर्तमान काल की ख्याति प्राप्त लेखिका हैं।

'गाथा अमरबेल की' सुषम बेदी जी द्वारा लिखित पाँचवा उपन्यास है। इस उपन्यास में भारतीय एवं पाश्चात्य परिवेश के चार पात्रों की कथा—व्यथा है। परंतु इसमें सुषम बेदी ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक असुरक्षित पात्र की जकड़ में दम तोड़ते सामान्यतर मध्यमवर्गीय पात्रों की गाथा कही है। उपन्यास की नायिका शन्नो का विवाह बहुत ही कम आयु में विश्वा के साथ हो जाता है। शहर में आना—जाना कम ही रहता है। शन्नो को एक दिन विश्वा का पत्र मिलता है। जिसमें लिखा होता है कि उसे उसकी सहपाठी अनुसूइया से प्रेम हो गया है और उससे विवाह करना चाहती है। शन्नो क्रोधित होने की जगह अपनी सौतन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। इस त्याग की भावना को देखकर विश्वा और अनुसूइया अपने—अपने रास्ते अलग—अलग कर लेते हैं और विश्वा अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आता है। शन्नो को एक आधुनिक नारी के रूप में विश्वा देखना चाहता है। शन्नो को नृत्य का शौक है। इसलिए इस शौक को आगे बढ़ाने का कार्य विश्वा करता है। विश्वा जब अपाहिज हो जाता है तो घर की सारी जिम्मेदारी शन्नो पर आ जाती है। शन्नो अपने बेटे गौतम की पढाई और घर का सारा खर्च नृत्य और ड्रामा करके चलाती है।

इस उपन्यास में शन्नो इसी मानसिकता का पात्र है। शन्नो विश्वा की पत्नी और गौतम की माँ है। इन्हीं दोनों पुरुष पात्रों के नाम से उपन्यास को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। शन्नो, पत्नी तथा माँ के रूप में इन दोनों खण्डों में प्रमुख पात्र है। यदि कहा जाए कि वहीं इस उपन्यास की केन्द्रीय पात्र है तथा वही अमरबेल है जो अपने पति तथा बेटे के जीवन को ध्वस्त करने का मूलभूत कारण भी है। तो गलत नहीं है। असुरक्षित शन्नो अनजाने ही इस स्थिति को रूप दे रही है — प्रकट रूप से अपने पति से भी प्रेम करती है और अपने बेटे से भी, किन्तु वास्तविकता यह है कि उसका मूल लगाव अपनी सुरक्षा से है, निरंतर असुरक्षा के भय से

आतंकित व्यक्ति सही मायने में किसी को प्रेम नहीं कर सकता, केवल क्षणिक सुख तथा मनोरंजन उसके जीवन के आधार बन जाते हैं; उन्हीं की तलाश में भटकता और व्याकुल होता है।

गौतम ने दिव्या के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके साथ प्रेम विवाह किया था। परंतु बहू के रूप में दिव्या जैसी सुशील कन्या को शन्नो की हीन भावना स्वीकार नहीं करती। गौतम और दिव्या पेरिस में सेटल हो चुके हैं। शन्नो जब अपने बेटे और बहू के साथ विदेशी जिंदगी में 'ताल-मेल' नहीं बिठा पाती तब वह भारत वापस लौट आती है। यहाँ अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अपने बेटे से भी छोटी उम्र के लड़के की ओर आकर्षित होती है। उसका यह व्यवहार उसके जीवन के खालीपन को दर्शाता है। एक दिन दिव्या गौतम को बताती है कि, "तुम तो हमेशा काम में रहते थे। मुझे मालूम है मैं कैसे निभाती थी। वो हमेशा से ही ऐसी है हर बात को बार-बार कहना, बढ़ा-चढ़ाकर कहना, नाटकीय बनाना। अब तुम्हें वास्ता पड़ा है, तो पता लग रहा है। अब समझ में आया मैं क्यों कहती थी कि उनके रहते मैं कुछ भी सर्जनात्मक नहीं कर सकती। वे खुद हर बार केन्द्र में रहती हैं पर न रहने दो तो किसी-न-किसी हरकत से जाहिर कर देती हैं।"²

शन्नो अपनी 'असामान्यता' के कारण बेटे और बहू के साथ अपने संबंध सामान्य नहीं कर पाती। शन्नो सामाजिक भूमिकाओं में असफल हो गई है और 'विभक्त मानसिकता' की भी वह शिकार हो गई है। वह हर समय अपने 'असामान्य बर्ताव' और 'भाषा' के कारण दिव्या की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अवसर ढूँढ़ती रहती है। शन्नो की आवाज सातवीं मंजिल पर खड़ी दिव्या को सुनाई रही थी, 'मुझे पता है तू नहीं चाहती मैं तेरे पास रहूँ। पर सुन ले, तेरा दिया नहीं खाती मैं। मेरा बेटा कमाता है, उसका घर है। तू लाख चाह ले... तेरी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ। ये तो मेरे बेटे की शराफत है, जो तेरी बात सुनता है वर्ना तू है किस खेत की मूली?'"³ बुजुर्ग औरतें कई बार पश्चिमी समाज से ताल-मेल नहीं बिठा पातीं। जो उनका स्थान भारत में रहते परिवार में होता है, उसे वह विदेश में जाकर भी खोना नहीं चाहती हैं। ऐसा न होने पर वह असामान्य व्यवहार करके परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दिव्या की कुंठा व अधूरापन उसे 'असामान्य' और 'असमायोजित' बनाता है। अपने इस 'असामान्य व्यवहार' के कारण वह अपने बेटे और बहू का सुख नहीं ले पाती। अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ स्वयं उसने निर्माण की है। कई बार 'कुंठा' के कारण वह दिव्या से गाली-गलौज तक करती है।

गौतम तथा दिव्या के संबंध में शन्नो के कारण एक 'झिनी सी दीवार खड़ी थी।' इसी वजह से जो आत्मीनयता उसके आपसी रिश्ते की सहज नियति थी, उसमें व्यवधान पड़ गया था। गौतम दिव्या के व्यक्तित्व के विकास के लिए हर तरह से अवसर भी देना चाहता है किन्तु माँ शन्नो के प्रति अपने कर्तव्य के बोझ से दबा जा रहा है। दिव्या के मन में एक डर सा बैठ गया था कि गौतम पूरी तरह कभी उसका नहीं हो सकेगा। यही मानसिकता इस उपन्यास की अंतिम परिणति का कारण है।

'गाथा अमरबेल की' उपन्यास में शन्नो का अपने बेटे गौतम के प्रति प्रेम उसकी बर्बादी का कारण क्यों कर बन गया? वस्तुतः माँ का प्रेम कभी भी बच्चों की बर्बादी का कारण नहीं बनता। शन्नो का असुरक्षा मिश्रित मोह ही गौतम के विनाश का कारण है। यदि माँ का प्रेम होता तो निरंतर उसके तनाव को देखकर उससे मुक्त करने के लिए कोई साधन अपनाती। मोह से गौतम को जकड़ती शन्नो भूल गई कि डाल की जड़ों पर चोट कर रही है – डाल सूख जाएगी। वास्तविकता यही है कि असुरक्षित व्यक्ति सम्पूर्णता से किसी भी संबंध में प्रेम

नहीं कर सकता। शन्नो जिसे प्रेम कहती है वह पात्र आत्म रक्षा की जकड़न है; जिसमें कोई भी व्यक्ति सहज रूप से जी नहीं सकता।

निष्कर्षतः सुषम बेदी का 'गाथा अमरबेल की' आज की जटिल मानसिकता तथा जीवन-स्थितियों के प्रति समझ पैदा करने वाला सार्थक और महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रवासी भारतवासियों के जीवन की विसंगतियों, अन्तर्विरोधों का जैसा यथार्थ निरूपण उनके उपन्यासों में हुआ है, वैसा हिन्दी में अन्यत्र नहीं मिलता। इतना ही नहीं, अपने पात्रों के अन्तर्मन की स्थितियों तथा बदलती मानसिकताओं का ऐसा यथार्थ और तथ्या भास देने वाला निरूपण बहुत कम देखने को मिलता है।

संदर्भ सूची :-

1. हिन्दी प्रवासी कथा साहित्य, (भाग-२), कल्पना गवली, माया प्रकाशन, कानपुर, प्र.सं. २०१८, पृ. १६
2. सुषम बेदी, गाथा अमरबेल की, १९६६, पृ. ३१७
3. वहीं, पृ. ३३४



आधुनिक हिन्दी उपन्यास : किसान विमर्श (‘अकाल में उत्सव’ उपन्यास के संदर्भ में)

रचना

शोधार्थी, पीएच.डी., हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

हिन्दी साहित्य की उपन्यास विधा किसी भी समाज की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। उपन्यास को समाज का दर्पण कहा जा सकता है क्योंकि इसमें विस्तृत तथ्य वर्णित होते हैं। हिन्दी उपन्यासकारों ने विभिन्न प्रसंगों को आधार बनाकर उपन्यासों की सृजना की है। हिन्दी में ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित अनेक उपन्यास उपलब्ध होते हैं, जिनमें किसान जीवन का व्यापक चित्रण प्राप्त होता है। सर्वप्रथम शिवपूजन सहाय के ‘देहाती दुनिया’ उपन्यास में कृषक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। इसके बाद निराला का ‘बिलेसुर बकरिहा’ उपन्यास आता है जिसमें किसान जीवन को आधार बनाया गया। निराला के पश्चात ग्राम्य जीवन के चितरे मुंशी प्रेमचंद का ‘गोदान’ उपन्यास किसान विमर्श को उभारने वाला एक प्रौढ़ कृति साबित होता है। गोदान उपन्यास के बाद किसानों का चित्रण करने वाले अनेक उपन्यास आते हैं। नागार्जुन कृत ‘बलचनमा’, ‘बाबा बटेसरनाथ’ फणिश्वरनाथ रेणू कृत ‘परती परिकथा’, ‘मैला आँचल’ रामदरश मिश्र कृत ‘सूखता हुआ तालाब’, ‘पानी के प्राचीर’, ‘जल टूटता हुआ’ विवेकी राय कृत ‘लोक ऋण’, ‘बबूल’, ‘सोनामाटी’ जगदीश चन्द्र कृत ‘कभी न छोड़े खेत’, ‘धरती धन न अपना’ भैरव प्रसाद गुप्त कृत ‘गंगा मैया’ संजीव कृत ‘फांस’, मिथिलेश्वर कृत ‘तेरा संगी कोई नहीं’ काशीनाथ सिंह कृत ‘रेहन पर रघू’ सुनील चतुर्वेदी कृत ‘कालीचाट’, राजकुमार राकेश कृत ‘कंदील’ रामधारी सिंह दिवाकर कृत ‘अकाल सन्ध्या’ एम. एम. चन्द्रा कृत ‘यह गाँव बिकाऊ है’ पंकज सुबीर कृत ‘अकाल में उत्सव’ आदि उपन्यास किसान विमर्श की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रवाहित होते हैं।

पूरे विश्व के लिए लिए अन्न का उत्पादन करना किसान अपना कर्तव्य समझता है। “कोरोना काल में यदि आज हम और हमारी संतानें अकाल या दुर्भिक्ष का शिकार नहीं हुए हैं तो इसके पीछे हमारे यही किसान हैं, जो ठण्ड, गर्मी, बरसात में अपने स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा की परवाह किए बिना, सीमित साधनों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी ध्यानस्थ होकर कृषि कर्म में लगे रहें।”¹

आधुनिक हिन्दी उपन्यास ‘अकाल में उत्सव’ पंकज सुबीर की महत्वपूर्ण कृति है। यह उपन्यास भारतीय किसानों की दयनीय दशा से अवगत करवाता है। इस उपन्यास में भी गोदान उपन्यास की तरह ग्रामीण और नगरीय दो कथाएं एक साथ चलती हैं। जिससे किसानों पर नगरीय समाज का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें प्रमुख पात्र रामप्रसाद और कमला हैं जिनके माध्यम से लेखक ने किसान जीवन के परिदृश्य सजीव किए हैं। वर्तमान समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक सहयोग करने वाले किसानों का जीवन कठिनाइयों से

घिरा हुआ है। किसान की खेती प्रकृति पर अधिक निर्भर होने के कारण समय-समय पर उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़, अकाल, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि समस्याओं का सामना किसान करता है। खेतों में लहलहाती फसल तहस-नहस हो जाती है। "जैसे भादो की रात गरजते और बरसते हैं, वैसे ही गरज-बरस रहे हैं बादल। हवा, पानी, ओले। गेहूँ की फसल के तीनों बड़े दुश्मन अपने विकराल रूप में सूखा पानी के खेतों में तौंडव कर रहे हैं। ओलों की मार खाकर वह बालियाँ टूट-टूटकर ज़मीन पर गिर रही हैं, जो कुछ घंटों पहले तक अपने गर्भ में कुछ होने का अहसास लिए, हवाओं के स्पर्श पर झूल रही थी, झूम रही थी। ओले गेहूँ के पौधे पर जहाँ जाकर टकराते हैं, वहीं से उसे तोड़ कर गिरा देते हैं। जो पौधे हवा के कारण ज़मीन पर पहले ही गिर चुके थे, अब ओलों में दब कर उनकी कब्र बन रही है। जिंदा कब्र। या शायद यह सफ़ेद कफ़न है, जो पूरे खेत पर बिछा दिया गया है। कफ़न फ़सल का और कब्र किसान की।"²

आर्थिक स्तर पर किसान की स्थिति निम्न होती जा रही है। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात कुछ समय के लिए किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था। देश के किसान आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हुए थे। परंतु समय के साथ किसान की पारम्परिक कृषि का पतन और आधुनिक कृषि तकनीकों के कारण किसान के लिए खेती करना महंगा हो गया। आज के दौर में कृषि में लागत अधिक और बचत कम होने के कारण युवा कृषि से पलायन कर रहा है। कृषि को छोड़कर अन्य आजीविका स्रोतों की तलाश में भटक रहा है। पंकज सुबीर अपने उपन्यास 'अकाल में उत्सव' में कृषि में आने वाली लागत और उत्पादन की जानकारी देते हैं। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। "सब चीज़ों के भाव बढ़े लेकिन, उस हिसाब से किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। 1975 में सोना 540 रुपये का दस ग्राम आता था जो अब 2015 में 30 हजार के आस-पास झूल रहा है, कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। 1975 में किसान को गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की ओर से तय था लगभग सौ रुपये और आज 2015 में मिल रहा है लगभग 1500। यदि सोने को ही मुद्रा मानें, तो 1975 में किसान पाँच क्विंटल गेहूँ बेच कर दस ग्राम सोना ख़रीद सकता था। आज उसे दस ग्राम सोना ख़रीदने के लिए लगभग 20 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ेगा। सोना तो किसान क्या ख़रीदेगा, उसके काम की तो चाँदी होती है, चाँदी 1975 में लगभग 1200 रुपये प्रति किलो थी और आज 38 हजार रुपये प्रति किलो है। 1990 में डीज़ल का भाव था साढ़े तीन रुपये प्रति लीटर और गेहूँ का 225 रुपये प्रति क्विंटल। मतलब किसान को खेती के लिए यदि डीज़ल ख़रीदना है तो एक क्विंटल गेहूँ बेच कर वह लगभग पैंसठ लीटर डीज़ल ख़रीद लेता था। आज डीज़ल लगभग साठ रुपये हैं और गेहूँ 1500 रुपये, मतलब एक क्विंटल गेहूँ के बदले केवल 25 लीटर डीज़ल आयेगा।"³

किसान को खेती-किसानी के कार्यों में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में लेखक ने बीज, खाद, पानी, ऋण, अशिक्षा आदि समस्याओं से जुझते हुए किसानों का यथार्थ वर्णन किया है। इन समस्याओं के कारण किसान के हालात आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। देश का किसान जब गरीब एवं शोषित होता है तब देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर स्थिति में दिखाई देती है। बढ़ती हुई महंगाई और बाज़ारवाद के कारण खेती के मूलभूत साधन उपलब्ध कर पाना किसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। "असलियत में क्या होता है यह केवल वही जानता है जो किसान कर रहा है। बीज समय पर नहीं मिलता, मिल जाए तो पता चले कि ख़राब निकल गया, अंकुरित ही नहीं हुआ। बीज ख़राब न हो और किसान

की किस्मत से अंकुरित हो जाए तो खाद नहीं मिलेगा। खाद जैसे-तैसे करके ले आए, तो पता चलता है कि बिजली नहीं है, पानी किस प्रकार से फेरा जाए खेत में। ऐसा लगता है जैसे सरकारें खुद ही किसानों को खेती करने से रोकना चाह रही हैं, मल्टीनेशनल के इशारों पर। कभी यूरिया का संकट, कभी बिजली का संकट, कभी बीज का संकट। सारे संकट किसान के सामने ही क्यों पैदा किए जा रहे हैं? ताकि वह घबरा कर अपने खेत बेच दे मल्टीनेशनल्स को...लेकिन नहीं, हमें तो वह समय देखना है जब मल्टीनेशनल कंपनियाँ खेती करेंगी और किसान अपने ही उन खेतों में मज़दूरी करेंगे, किसानों के बच्चे इन मल्टीनेशनल्स की फेक्ट्रियों में श्रमिक बन कर काम कर रहे होंगे। हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं।⁴

किसान समाज में सामाजिक नियम-कानून के बंधन अत्यधिक कठोर होते हैं। समाज में रहते हुए इन नियम-कानूनों, रीति-रिवाज़ों का पालन करना किसान के लिए अनिवार्य हो जाता है। कृषि में कम बचत के कारण किसान रीति-रिवाज़ों को निभाने के लिए ऋण लेने के लिए विवश हो जाता है। बैंक से कम ब्याज़ पर ऋण लेने का प्रावधान किया गया है लेकिन भूमि सीमित होने के कारण किसान को बैंक से ऋण भी कम मिलता है। जिस कारण किसान को महाजनों, साहूकारों से दोगुने ब्याज़ पर ऋण लेना पड़ता है। जब किसान इस ऋण को नहीं चुका पाता तो कुर्की की युक्ति द्वारा ऋण वसूला जाता है। किसान के लिए उसकी मान-मर्यादा सबसे बढ़कर होती है परंतु कुर्की के समय किसान असहाय एवं दयनीय स्थिति का सामना करना करता है। इसका अंकन 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में मार्मिकता के साथ लेखक ने किया है। "वसूली कितना खौफनाक शब्द है, यह कोई कर्जदार ही बता सकता है। वसूली के ठीक बाद की प्रक्रिया है कुर्की। यह जो कुर्की है यह अपने नाम से ही किसान को डराती है। कुर्की में वसूली से ज्यादा डर इज्जत उतरने का होता है। किसान, कर्जा, कलेक्टर और कुर्की चारों नामों को लेने में भले ही अनुप्रास अलंकार बनता है, लेकिन यह किसान ही जानता है। इस अनुप्रास में जीवन का कितना बड़ा संत्रास छिपा हुआ है।"⁵

आधुनिक समय में किसानों का शोषण चारों तरफ से हो रहा है। महाजन एवं अन्य धनिक सरकारी अधिकारी, बीज, खाद एवं कीटनाशक कम्पनियां मिलकर किसानों का शोषण करते हैं। अनपढ़ता एवं भोलेपन के कारण किसान निरंतर शोषकों की नीतियों का शिकार हो रहा है। 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में रामप्रसाद की जमीन के नाम से कोई अन्य व्यक्ति बैंक से लोन ले लेता है परंतु बैंक की ओर से नोटिस रामप्रसाद को मिलता है। रामप्रसाद परेशान होकर जब कलेक्टर के पास इस समस्या के समाधान के लिए याचना लेकर पहुंचता है तब कलेक्टर केवल उसे उत्सव तक आश्वासन देता है। कलेक्टर नहीं चाहता कि सरकारी उत्सव में कोई विघ्न पड़े, रामप्रसाद की उसे कोई चिंता नहीं होती। कलेक्टर एवं सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से लेखक ने किसान का सरकारी अफसरों द्वारा किए जा रहे राजनीतिक शोषण का चित्रण किया है। "इस प्रकार के जो किसान आ रहे हैं, उनको उत्सव तक थोड़ा मैनेज करो, अपने लोगों को ब्रीफ कर दो जाकर थोड़ा कि ऐसे मामले में नरमाई से काम लें उत्सव हो जाने तक। उत्सव के बाद इस प्रकार के आवेदन लेना भी बंद करो और कोई सहयोग मत करो। सीधे-सीधे कह दो कि आप जानो और बैंक जाने, हमें उससे मतलब नहीं है।"⁶

वर्तमान समय में भ्रष्टाचार देश में गहरी जड़े फैलाए हुए हैं। किसानों की फसल की हानि होने पर सरकार द्वारा मुआवजे जैसी योजनाएं लागू की जाती हैं। परंतु जमीनी धरातल के यथार्थ पर सरकारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। किसानों को मुआवजा देते समय भी यह देखा जाता है कि कौन-सा किसान किस

राजनीतिक दल का समर्थक है। 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में भ्रष्ट तंत्र का शिकार होते किसानों की स्थिति से अवगत हुआ जा सकता है। "मुआवजे तक में राजनीति करते हैं आपके नेता लोग और आरोप लगता है हमारे रेवेन्यू के कर्मचारियों पर कि वह लोग भ्रष्टाचार करते हैं मुआवजा बाँटने में। स्पष्ट कहा जाता है हमारे कर्मचारियों से कि फलाना किसान अपोज़िशन का समर्थक है, उसका नाम मुआवजे की लिस्ट में से काट दिया जाए। कभी-कभी तो पूरे गाँव को ही कटवा दिया जाता है वोटों की राजनीति के चक्कर में।"⁷

प्राकृतिक प्रकोप, ऋणग्रस्तता, बाज़ारवाद, खेती में कम बचत आदि कारणों के कारण किसान अका अपने जीवन के प्रति मोह भंग हो जाता है। 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में रामप्रसाद और उसकी पत्नी कमला निम्न आर्थिक हालातों की मार को झेलते हैं। उन्हें अपनी फसल के आने का इंतजार रहता है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है। रामप्रसाद मुआवजे के लिए पटवारी के पास जाकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गिड़गिड़ाता है। परंतु पटवारी को उस किसान पर कोई दया नहीं आती और वह उससे दो हजार रुपए की रिश्वत मांगता है। रामप्रसाद के घर पेट भरने का अनाज तक नहीं है। अंत में सभी परिस्थितियां रामप्रसाद के विपरीत हो जाती हैं और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। उसकी मौत पर भी राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने में लग जाते हैं। लेखक ने बेबाकी के साथ इसका चित्रांकन उपन्यास में किया है। "राकेश पांडे ने अपनी, एसडीएम और डीएसपी की गाड़ियाँ भेज-भेज कर रामप्रसाद की बहनों को रात को ही बुलवा लिया था। असल में यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि मीडिया के लोगों के आने से पहले ही अंतिम संस्कार हो जाए। अपोज़िशन के लीडर को कोई भी मौका नहीं मिले। लाशें राजनीति करने का सबसे अच्छा ज़रिया होती हैं। लाशों को रखकर राजनीति बहुत अच्छी की जा सकती है।"⁸

इस प्रकार 'अकाल में उत्सव' उपन्यास में किसान विमर्श के महत्वपूर्ण पहलूओं पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो हमारे देश के अन्नदाता की दयनीय और हृदय विदारक स्थिति से अवगत करवाते हैं।

संदर्भ :-

1. अंकिता जैन, ओह रे! किसान, वाणी प्रकाशन, संस्करण-2020, भूमिका से।
2. पंकजसुबीर, अकाल में उत्सव, शिवना प्रकाशन, संस्करण-2020, पृष्ठ-209
3. वही, पृष्ठ-47
4. वही, पृष्ठ-199
5. वही, पृष्ठ-30
6. वही, पृष्ठ-171
7. वही, पृष्ठ-195
8. वही, पृष्ठ-252



वसुधैव कुटुंबकम् और हिंदी

अनीता शर्मा

शोधार्थी, हिंदी विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, (राजस्थान)

सहायक आचार्य, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, गुरुग्राम, हरियाणा।

साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसी भाषा से एक महान विचार की उत्पत्ति हुई है। वसुधैव कुटुंबकम्—वसुधा का अर्थ है "पृथ्वी" और—कुटुंब का अर्थ है "परिवार"। पूरी पृथ्वी ही परिवार है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु—पक्षी, जीव—जंतु, मनुष्य ही एक परिवार का हिस्सा है। पूरी वसुधा हमारी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में बांध देता है। भगवान् ने इस इच्छा से हम मनुष्यों का निर्माण किया है कि हम सब उसकी इस सृष्टि को अधिक सुन्दर, अधिक सुखी, अधिक समृद्ध और अधिक समुचित बनाने में उसका हाथ बंटायें। अपनी बुद्धि, क्षमता और विशेषता से अन्य पिछड़े हुये जीवों की सुविधा का सृजन करें और परस्पर इस तरह का सद्व्यवहार बरतें जिससे इस संसार में सर्वत्र स्वर्गीय वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। ये वो संस्कृति है जो अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पालन पर बल देती है भारत देश और यहाँ की संस्कृति अनेक धर्मों को और उनकी शिक्षाओं को न केवल अपने में संजोय हुए है, अपितु इस देश ने या संस्कृति ने किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या निम्न नहीं आंका भारतीय संस्कृति यथार्थ के बहुआयामी पक्ष को स्वीकार करती है तथा दृष्टिकोणों, व्यवहारों, प्रथाओं एवं संस्थाओं की विविधता का स्वागत करती है। यह एकरूपता के विस्तार के लिए विविधता के दमन की कोशिश नहीं करती।

भारतीय संस्कृति का आदर्श—वाक्य अनेकता में एकता एवं एकता में अनेकता दोनों है। भारत एवं भारतीय संस्कृति 'वसुधैव कुटुंबकम्' का भाव रखने वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ने न केवल भारत को अपितु समूची धरा को सदैव एक कुटुंब (परिवार) माना है जबकि अन्य देशों ने भारत को केवल बाज़ार माना है। लेकिन ये संस्कृति और इस संस्कृति में रचे बसे लोग इतने उदार है की हमने सदैव अन्य देशों की संस्कृतियों का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया है। भारतीय संस्कृति के उपासकों की महान यात्रा अनादि काल से आरम्भ हुई है। इस संस्कृति में व्यास, वाल्मीकि, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नानक, कबीर एवं महर्षि अरविन्द जैसी महान् विभूतियां हुई जिन्होंने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया और समृद्ध बनाया।

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध संस्कृति है। भारत विश्व का सबसे पुराना सभ्यता वाला देश है। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएँ और मूल्य आदि है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होता है "परिवार"। परिवार एक ऐसे

समूह का नाम है जहाँ लोग विभिन्न रिश्ते—नाते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई—झगड़ा नहीं होता है या फिर कोई वैचारिक मतभेद नहीं होता है। इन सबके बावजूद भी परिवार एक ऐसे समूह का नाम है जहाँ लोग विभिन्न रिश्ते—नातो से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन सबके बावजूद भी लोग एक दूसरे के सुख—दुःख के साथी होते हैं।

एक परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे परिवार के रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाएगा तो वह 'वसुधैव कुटुम्बकम्' कहलाएगा। मनुष्य जाति इस धरती पर उच्चतम विकास करने वाली जाति है। बौद्धिक रूप से वह अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण यह पुरे पृथ्वी की स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भू-भाग पर उसका निवास है।

वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा की संकल्पना भारत वर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी। जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। हमारे विचारकों और ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही क्यों वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा को जनमानस के संस्कार में डालने की कोशिश की गई है। कारण यही है कि अलग—अलग भूखंडों पर अलग परिस्थितियों से मानव रंग—रूप, खान—पान और वेशभूषा की प्राकृतिक भिन्नता के कारण अलग से ही कहलाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य उत्थान के लिए भिन्नता में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है।

यह विश्व शांति के लिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य अपनी भिन्नता के कारण हमेशा से ही एक दूसरे से युद्ध करता आया है। आज भी वसुधैव कुटुम्बकम् भारत की विदेश नीति की नींव है। हमारी इस पृथ्वी ने अपने ऊपर अंबर का चादर ओढ़ रखा है, वह तो हर तरफ से समान ही दिखता है। इस धरती पर चाँद और सूरज भी एक जैसे दिखते हैं। पूरा विश्व एक अलग समूहों में बंटा हुआ है, जो अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है।

मानव जाति इस वक्त, विशाल सामाजिक और पारिस्थितिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। इस वक्त मन सिर्फ अपने अस्तित्व और स्थूल लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि साथ में एक ऐसी लड़ाई भी चल रही है जहाँ इंसान की पहचान, मानवता भी दांव पर लगी है। आज इंसान तमाम तरह की परेशानी झेल रहा है। रिश्तों का मूल्य कम हो गया है। पूरे विश्व को अपने परिवार की नजर से देखना तो दूर है लोग अपने लोभ के कारण अपने ही परिवार का अहित करने से नहीं डरते।

लोगों में नैतिकता खत्म होती जा रही है, दिलों में संवेदना का स्तर अब कम हो गया है। लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते रहते हैं भले ही उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। दुनियाँ में शांति की पुनःस्थापना के लिए एक बार फिर वसुधैव कुटुम्बकम् की आवश्यकता है ताकि लोग विभिन्न भिन्नताओं को मानते हुए भी एक होने का एहसास कर सकें। सह अस्तित्व के लिए ऐसी भावना होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा एक दिन मानव जाति समाप्ति की कगार पर पहुँच जाएगी। सामाजिक प्रमुखों, युवा अग्रदूतों, धार्मिक अग्रदूतों और शिक्षाप्रद अग्रदूतों में से प्रत्येक के लिए वसुधैव कुटुम्बकम् एक परिवार के रूप में दुनिया के दृष्टिकोण के लिए एक साथ सोचने का आदर्श अवसर है और सद्भाव के निर्माण के लिए इस दृष्टि को सही में बदलने के लिए सबको मिलकर काम करना है।

हमने एक आम जनता को इकट्ठा किया है, जो चालाक और अस्थिर है। आज हम बहुत खतरनाक स्थिति

में रह रहे हैं जहां मानव अस्तित्व को चुनौती खुद मान रही दे रहे हैं। परिस्थितियां हर पल बदल रही हैं। हमारी आम जनता परेशान है। विनाश की लक्षण लगातार जीवन शैली पर नियंत्रण कर रहे हैं। जैविक आपातकाल, बढ़ती हुई गरीबी के साथ जनसंख्या वृद्धि, भूखमरी और क्रूरता, आर्थिक रूप से असमान दुनिया, हथियारों की दौड़ और लड़ाकू स्वभाव मनुष्य को मानव जाति के विनाश के वास्तविक कारक आज मनुष्यों को सोचने पर विवश कर रहे हैं कि क्या वो खुद अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं?

भारत अतीत में भी सद्भाव का एक वाहक रहा है क्योंकि वह भारत ही था जिसने "वसुधैव कुटुम्बकम्" की सामान्य अवधारणा को बताया था, जिसका अर्थ है, 'पूरी दुनिया एक परिवार है'। आम जनता का पूरा धेय वसुधैव कुटुम्बकम् की सोच को चरितार्थ करना है। जब तक आम जनता एकता की भावना से निहित नहीं होगी तब तक जनता में विश्वासघात और सद्भाव की गिरावट देखने को मिलेगी।

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने और एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए हमें इन 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

एकता का पहला सिद्धांत :-

सभी व्यक्ति एक विशिष्ट तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं संपूर्णता में पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। सभी का अस्तित्व दूसरे के बिना संभव नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

स्वीकृति और सहिष्णुता का दूसरा सिद्धांत :-

सहिष्णुता व्यक्तियों के बीच और सामाजिक व्यवस्थाओं और देशों के बीच अंतर-धार्मिक सहमति और संबंध पर काम करती है। सहिष्णुता व्यक्तियों के बीच और सामाजिक व्यवस्थाओं और देशों के बीच अंतर-धार्मिक सहमति और संबंध पर काम करती है।

सहयोग और सम्मान का तीसरा सिद्धांत :-

मानवीय एकजुटता एक दूसरे के भागीदारी और सम्मान पर टिकी है। "सभी धर्मों को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें जैसा कि हम अपने धर्म को मानते हैं"।

प्रेम का चौथा सिद्धांत :-

"दूसरों के लिए प्यार और करुणा, व्यक्तियों की एकजुटता और धर्मों की एकजुटता के लिए प्रवेश द्वार खोलते हैं।"

समझ और करुणा का पाँचवाँ सिद्धांत :-

वसुधैव कुटुम्बकम् का तीसरा दिशा निर्देश—दुनिया एक परिवार है जिसका सार यह निकालकर आता है कि— मैं कौन हूँ? इसके अलावा, शांति से जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों और विभिन्न समाजों को के बारे में हम अपनी समझ विकसित करें। सभी परिस्थितियों में सभी जीवित चीजों के लिए सहानुभूति। सहानुभूति एकजुटता और विश्व सद्भाव की स्थापना है। —बौद्ध धर्म

अहिंसा का छठा सिद्धांत (अहिंसक) :-

शांति पूर्ण व्यक्ति के लिए, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वहन किसी से डरेगा, न दूसरे उससे डरेंगे।
—महात्मा गांधी

विनिमय का सातवां सिद्धांत :-

सातवां दिशा निर्देश प्रवचन का सिद्धांत है। संवाद के माध्यम से सद्भाव हासिल किया जा सकता है। धर्मों के बीच संवाद, सामान्य संबंध और विश्वासों की अधिक गहन समझ पैदा करता है। आस्थाओं और धर्मों की समझ, सद्भाव और सौहार्द की संस्कृति को आगे बढ़ाती है और ईश्वर के अधीन एक परिवार के रूप में रहने में हमारी सहायता करती है।

आइए, हम सब अपने आपसी मतभेदों को दरकिनार कर इस पावन-यात्रा में सम्मिलित हों। आज भारतीय संस्कृति के ये सारे सत्पुत्र हम सबको पुकार रहे हैं। यह पुकार जिसके हृदय तक पहुँचेगी और जो अपने राष्ट्र और उसकी संस्कृति की सेवा के लिए सजग हो जायेगा उसी का जीवन धन्य और सार्थक होगा।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. हजारी प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क, पृष्ठ संख्या 193
2. श्री नवल जी नालंदा विशाल शब्द सागर, पृष्ठ संख्या 1388
3. प्रोफेसर हरिशंकर, भारतीय संस्कृति तथा हिंदी, पृष्ठ संख्या 27
4. साहित्य शिक्षा और संस्कृति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पृष्ठ संख्या 185
5. भारत की आध्यात्मिक संस्कृति विरासत की अमूर्त पहलू राजदूत भस्वती मुखर्जी, 9 सितंबर 1914
6. हमारी धरोहर हमारा उत्तरदायित्व दृष्टि, पत्रिका 2 सितंबर 2020
7. भाषा पत्रिका, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली, मार्च-अप्रैल 2020, पृष्ठ संख्या 68
8. हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, निबंध, पृष्ठ संख्या 75



वैश्वीकरण : राजभाषा हिन्दी का अवदान

डॉ. मो. माजिद मियाँ

प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), श्री अग्रसेन महाविद्यालय, दालखोला, उत्तर दिनाजपुर।

सारांश :-

साहित्यकार उस भाषा रूपी सेतु का निर्माता है, जो व्यक्ति और समाज का यथार्थ जीवन से रिश्ता कायम करता है तथा उचित-अनुचित का ज्ञान एवं रिश्ते की ओर ले जाता है। इसके साथ ही अपने मूर्त रूप में यह विचार विनिमय का साधन भी होता है। भोलानाथ तिवारी ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, "भाषा मानव-उच्चारनावयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि-प्रतिकों की वह संरचना है, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार-विनिमय करते हैं और साथ ही लेखक, कवि या वक्ता रूप वे में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व विशिष्टता तथा अस्मिता के सम्बंध में जाने-अंजाने जानकारी भी देते हैं।" हिन्दी के वर्तमान स्वरूप को आत्मसात करने पर सर्वेश्वरदयाल सक्सेना के कविताओं में व्यक्त चिंता को मजबूत आधार प्रदान हो जाता है, जिससे एक तरफ लोक बोली से भाषा बनकर वैश्विक राह पर व्यावहारिक हिन्दी के प्रति आभारी ही सही लेकिन यथार्थ का नया चेहरा उजागर होता है, तो दूसरी तरफ धूमिल होते रूप के प्रति आकर्षक शक्ति को महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार हिन्दी भक्तों के लिए इसके स्वरूप का पुनः निर्धारण एक आवश्यक पहलू बन जाता है।

इसी कारण यथा स्थितिवाद से गुजरते हुए हिन्दी की वास्तविक खोज एवं जानकारी संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अपने ही घर में बेगानी बनी हिन्दी के प्रति साधारण दृष्टिकोण की परख के बाद ही अन्तराष्ट्रीय लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान समय में आज भी देखे तो हिन्दी की छाती पर अँग्रेजी को जबरन लादा जाता है। नागार्जुन ने 25 नवंबर 1982 को 'धर्मयुग' में प्रकाशित अपने लेख में भी लिखा था कि, "अँग्रेजी का मोह हमारी रग-रग में भरा हुआ है। हम अँग्रेजी को ही देश की एकता और केन्द्रीय प्रशासन के साथ-साथ विश्व मानव संपर्क साधन का एकमात्र माध्यम मान बैठे हैं। लार्ड मेकाले के अनुयाईओ में अँग्रेजी के प्रति इतना उत्साह नहीं रहा होगा जितना स्वाधीनता हासिल कर लेने के बाद हमारा यह उत्साह उफान खाने लगा है"।²

इतना ही नहीं वह भाषा समस्या को जन-सामान्य के संकटों से जोड़कर सटीक विश्लेषण करते हुए आगे लिखते हैं कि- 'वस्तुतः यह संकट अमुक या अमुक भाषा के हटाने या रखने का संकट नहीं है। यह संकट है जन-सामान्य को हमेशा के लिए 'अछूत एवं नीच' मानकर शासन के मंदिरों में जमे हुए उच्च वर्ग के स्पर्श-दोष से बचाने और संजोने का है'। जिनका संस्कार अँग्रेजी के माध्यम से ही गढा है और जिनको हुकूमत का चस्का

लग चुका है। वे क्या चाहेंगे कि अँग्रेजी हटे? उनका मानना है कि अँग्रेजी जैसी अखिल भारतीय भाषा को हटाकर हम क्या फिर से प्राकृत-अपभ्रंश की गुफाओं में लौट जाएंगे? हमारे झगरे अँग्रेजी में, गालियां भी अँग्रेजी में, हमने खड़े होकर दुश्मन को ललकारा हमने अँग्रेजी में, हम जूझे अँग्रेजी से और हमे आजादी भी अँग्रेजी से मिली। विकट एवं दुख के घरी में जिस अँग्रेजी ने हमें जीने नहीं दिया, आज सुख में अब वही अँग्रेजी अखिल विश्व का रसायन हमें पीला रही है। कभी-कभी लगता है कि वाकई अँग्रेज़ यहाँ से चले गए! हमने तो ऐसा कोई कसूर नहीं किया था यदि वे चले गए तो इसमें उनकी समझदारी नहीं, उनकी कमजोरी ही मानेंगे कि वे हमें छोड़कर चले गए।³

बीज शब्द :- परिचय, स्थिति, फैलाव, यथार्थ तथा भविष्य।

प्रस्तावना :-

प्रो. सुधीश पचौरी का कथन न केवल हिन्दी के वर्तमान कालिक यथार्थ को सिद्ध करता है अपितु इससे आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी उपर्युक्त विचार की जीवनतता प्रमाणित होती है। उन्होंने हिन्दी दिवस के अवसर पर 'हिन्दी को खतरा हिन्दी वालों से है' शीर्षक अपने लेख में स्पष्ट कहा कि "हिन्दी के उद्धार के नाम पर हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए। सरकार और रचनाकार जो हिन्दी के लिए रोना-धोना करते हैं उनसे मैं कभी सहमत था और ना ही सहमत हूँ। सरकार भाषाओं को नहीं बचाती बल्कि साधारण प्रयोग करने वाली जनता ही बचाती है। हमारे हिन्दी के बुद्धिजीवी सामाजिक विषयों पर तो खूब बोलते हैं लेकिन भाषा को बढ़ाने के लिए उनके हलक से एक आवाज तक नहीं निकलती है, वे हमेशा न जाने क्यों मौन रहते हैं? आज भूमण्डलीकरण के दौड़ में हिन्दी कमाई की भाषा बन गई है लेकिन इसकी कमाई खाती अँग्रेजी है। आज हमारे देश में ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो खाती हिन्दी की है पर गाती अँग्रेजी की है।"⁴

अतः 21वीं सदी में भारत एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संवृद्धि की चरमावस्था को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अस्मिता की जन-भाषा हिन्दी को स्थायित्व प्रदान करने में भरपूर सहयोग नहीं कर पा रहा है। हिन्दी के सर्वव्यापी अस्तित्व और सर्वेश्वर चरित्र को हितग्राही बनाने में सबसे प्रमुख बाधा है, अँग्रेजी का बढ़ता प्रकोप। यहाँ तक कि 'अँग्रेजी' के द्वारा नए-नए तर्क-वितर्कों एवं दृष्टिकोणों का जन्म, अपने आप में अशुभ संकेत का घोटक है। संसार की निगाहों में हमारी यह अँग्रेजी भक्ति भारतीय जनता की मानसिक पंगुता का चटकीला विज्ञापन साबित हो रहा है।⁵ यहाँ स्वामी रामदेव महाराज का कथन सठिक प्रतीत होता है कि – 'विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना उत्तम बात है, क्योंकि संवाद, संपर्क, व्यापार एवं व्यवहार के लिए यह आवश्यक है परन्तु अन्य देश की भाषा का हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करना, घोर अपमान और शर्म की बात है'। विश्व का कोई भी सभ्य देश अपने नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता। हम राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं जैसे- बंगला, उर्दू, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी इत्यादि को कामकाज की भाषा बनाएँगे। विज्ञान-तकनीकी एवं प्रबंधन आदि की शिक्षा भारतीय भाषाओं एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी में देकर देश के गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को भी प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होने का हक दिलाएँगे।

साधारणतः देखा जाए तो राष्ट्रिय स्तर पर हिन्दी को अक्षुण्ण बनाने का श्रेय भारतीय जन को जाता है क्योंकि भाषा साधारण जन से ऐसा रस ग्रहण करता है, जिससे वह वर्तमान की जटिलताओं और चुनौतियों का

सामना सहज ही कर सके। साधारण जन की इसी शक्ति के कारण ही आज वर्तमान समय में उदारीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति से हिन्दी का अंतरसंबंध स्थापित हुआ है। बकुल सुधीश पचौरी के शब्दों में— “आज हिन्दी, मनोरंजन, सूचना और उपभोग का जबर्दस्त माध्यम बन गया है और इसने बाजार में ऐसा गुर्वाकर्षण केंद्र अपने आस-पास बनाया है कि बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता कम्पनी ब्रांड व्यापार के लिए, हिन्दी को अपना रहा है। हिन्दी की ताकत यह भी रही है कि उसे साहित्यकारों, पत्रकारों के अलावा हिन्दी फिल्मी गानों, विज्ञापनों ने बाजार में मजबूती दिलाई है”।⁶ परंतु इन सभी के बावजूद सदियों से मान्य राष्ट्रवानी हिंदी आज भी संघर्षरत स्थिति में है? आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी—राजभाषा, संपर्कभाषा या मात्र अनुवाद की भाषा बनकर रह गया है! पर आज हतभाग्य हिन्दी के अस्तित्व और उसके भविष्य के स्वरूप में सबसे बड़ी चुनौती आठवीं अनुसूची में सम्मिलित होने को अधीर उसकी प्राण बोलियाँ ही खड़ी कर सकती है।

डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव का कथन सटीक है कि — ‘हिन्दी का प्रश्न हम हार चुके हैं’। इसी क्रम में कहते हैं कि, “आज जिस यथार्थ का सामना करना कठिन है और एक हद तक त्रासद भी, वह यह कि हिन्दी का प्रश्न जिसे हम स्वाधीनता आंदोलन और स्वाधीन भारत के नए स्वप्न से जोड़ कर देखते थे, हार चुके हैं”। क्योंकि वर्तमान और भावी पीढ़ी, राजसत्ता, बाजारवाद उत्तरोत्तर अँग्रेजी के चपेटाघात से हिन्दी के समसामयिक बोध के स्वरूप को छिन्न-भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद आज रचनाधर्मिता के स्तर पर हिन्दी भारतीय संस्कृति की संवाहक बनकर हमारे समक्ष खड़ी है। क्योंकि किसी भी रचनाधर्मिता की प्रथम और सर्वमान्य शर्त होती है, संवेदनशीलता। अपने देशकाल, समाज एवं परिवेश से अन्तः क्रिया करते हुए उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, यह जीवन अनुभव भाषा निरपेक्ष नहीं होता है। हर मानव समाज के दृश्य अनुभूत एवं सृजित जगत की अपनी भाषा होती है। शब्दों की यह रगड़ किसी भी राष्ट्र की भाषिक संरचना का केन्द्रीय तत्व है। इन सभी विवेचनाओं के बाद भी आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि संसार की उन्नत भाषाओं में हिन्दी सबसे अधिक व्यवस्थित, सरल, लचीली, नवीन शब्द रचना में समर्थ एवं आम जनता से जुड़ी भाषा है।

हिन्दी आज विश्व भाषा बन चुकी है क्योंकि दुनिया के हर देश में हिन्दी भाषी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वह उपस्थिति चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो अथवा सामाजिक क्षेत्र में। भारतीयों ने आज अपने को कमोबेश ही सही मेम की माया (अँग्रेजी) के मकदजाल से मुक्त कर अपना एक अलग मुकाम बनाया है, जिसकी अनुगूँज दुनिया में हर जगह सुनी जा सकती है। भारतीय जनमानस अभिव्यक्ति जननी हिन्दी, पवित्र सलिल गंगा की तरह है जिसे हजारों लोग पाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति और वास्तविकता है। दुनिया के विकास के केंद्र में मनुष्य होता है और यदि हम हिन्दी साहित्य में अवगाहन करें तो उसके केंद्र में भी हमें ‘मानुष-सत्य’ ही दिखाई देता है।⁷ लेकिन सम्पूर्ण भारत में भाषा-विवाद एवं इसके नवीन राजनैतिक गतिशीलता ने हिन्दी की स्वाभाविकता पर अनूठे प्रश्नों को जन्म दिया है। आजादी के बाद भी भाषा का सवाल आखिर सुलझा क्यों नहीं? हिन्दी त्योहार की औपचारिकताएँ भी आग में घी का काम करती हैं और अमली जामा पहनाने को मजबूर करती हैं। अस्मिताओं की राजनीति ने उसे और उभार दिया है, पर पिछले एक दशक से इस प्रश्न का एक नया आवाम जुड़ गया है। गैर हिन्दी प्रदेशों में खासकर महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में, हिन्दी को लेकर विरोध तेज हुए हैं, पहले विरोध दक्षिण तक सीमित थी। हिन्दी भाषी राज्यों में तेजी

से हो रहे बेरोजगारी के प्रश्न ने हिन्दी विरोध को तेज कर दिया है। परिणामस्वरूप आपसी कटुता, द्वेष, विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। इसकी परिणति वस्तुतः एकता और अखंडता के सर्वमान्य सिद्धान्त की क्षणभंगुरता में निहित हो सकती है। भले ही भाषायी अल्पसंख्यक, बंगला, उर्दू, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, आसामी, मणिपुरी इत्यादि भाषाओं के द्वारा हिन्दी विरोध को स्वर देने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु इसका गंभीर दुष्परिणाम होगा।

संदर्भतः महात्मा गांधी का कथन उचित प्रतीत होता है कि – “दक्षिण भारत की भाषा द्रविड मानी जाती है। मैं तो यह मानता हूँ कि वह संस्कृति से पैदा हुई है। अगर वे सच्चे हैं तो द्रविड लोगों का कथन है कि पहले वे अनार्य थे, पीछे से आर्य बनाए गए परन्तु शिक्षित लोगों का कथन है कि हम जंगली नहीं हैं। हममें आर्यता और संस्कृति मौजूद थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएँ संस्कृत से भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत से परिपूर्ण है”। दक्षिण भारत के राजनेता हिन्दी को राजनीति का अमली जामा पहनाकर भले ही कूटनीतिक जीत हासिल कर ली हो लेकिन राष्ट्रिय स्तर पर दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति इत्यादि ने हिन्दी को अन्तराष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दी को हिंदीतर आत्माओं ने बहुत पहले पहचान लिया था इसी कारण स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोसे ने मुक्त कंठ से हिन्दी की वकालत की।

इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री श्री एक. डी० देवगौड़ा ने 14 सितंबर 1996 को हिन्दी दिवस के अवसर पर कहा था कि – “विदेशी भाषा केवल सेठों-पूँजीपतियों एवम बड़े-बड़े लोगों और अफसरों को जोड़ती है लेकिन क्या राष्ट्र यही समाप्त हो जाता है? क्या कृषक, श्रमिक, ग्राम्य जन, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक भारत के अभिन्न अंग नहीं हैं? क्या ये भारत माँ के संताने नहीं हैं? इन्हे जोड़ने की जरूरत नहीं है? इन करोड़ों लोगों को आखिर कौन जोड़ेगा? क्या इन्हे विदेशी भाषा जोड़ सकती है? इन्हे जोड़ने वाली भाषा तो एक ही है और उसका नाम है, राष्ट्रभाषा हिन्दी जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है”।^{१०} अतः ‘संस्कृत है कूप जल बहता नीर’ पर कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि भाषा समृद्ध होती है— सचेत, सृजनशील योग से, जिसमें न शास्त्र का अंधानुकरण है न लोक का। भाषा का समृद्धिकरण और परिष्करण एक कालसाध्य, श्रमसाध्य, चिंतनसाध्य प्रक्रिया है। इस साध्यावासना की कसौटी पर हिन्दी को कसने पर वह पीढ़ी दर पीढ़ी खरी उतरती रहेगी।

यदि महादेवी वर्मा के शब्दों में कहें तो— “हिन्दी अपना भविष्य किसी में नहीं चाहती। जिस नियम से नदी की गति रोकने के लिए शीला नहीं बन सकती, उसी नियम से हिन्दी भी किसी सहयोगिनी का पाठ अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह आकस्मिक संयोग ना होकर भारतीय आत्मा की सहज चेतना ही है, जिसके कारण हिन्दी के भावी कर्तव्य को जिन्होंने पहले पहचाना वे हिन्दी भाषा-भाषी नहीं थे”। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत संघ को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उसे दोहरे संबल में बांधने की आवश्यकता है। एक तो आंतरिक जो मन के द्वारों को उन्मुक्त कर सके और दूसरा बाह्य जो आकार को संबल और परिचित बना सके। अतः हिन्दी केवल कंठ व्यायाम न होकर हृदय की प्रेरणा बन सके तभी उसका संदेश सार्थक होगा। हम माता से जो क्षीर पाते हैं, वह उसके पार्थिव शरीर का सारमात्र ही नहीं आत्मा का दान भी होता है। इसी से वह हमारे शरीर का रक्तमात्र बनाकर निःशेष नहीं हो जाता, वरन आत्मा से मिलकर अंतर स्वप्न-संकल्पों में फलता-फूलता रहता है।

संदर्भतः भविष्य में इन अन्तः स्वप्नों की कल्पना भारतीय सिनेमा, मीडिया और जन संचार माध्यमों विशेषतः अंतर्जाल से करना अतिशयोक्ति नहीं है। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हिन्दी को गति प्रदान करने में हिन्दी सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है, संचार माध्यमों विशेषकर इन्टरनेट पर हिन्दी का प्रसार साहित्यिक परिदृश्य को नवीन आयाम प्रस्तुत करती है। इसके समर्थन में सिनेमा को उद्योग मानने पर जीविकोपार्जन हेतु किए जा रहे प्रयासों को आत्मसात किया जा सकता है। बकौल टेरी इगल्टन 'साहित्य एक कला की वस्तु हो सकता है, सामाजिक चेतना का उत्पादन हो सकता है, एक विश्व दृष्टि हो सकता है, लेकिन इसी के साथ-साथ यह उद्योग भी है। किताबे सिर्फ अर्थ की संरचनाएँ नहीं हैं, वे एक उत्पाद भी हैं, जिनहे प्रकाशक लाभ के लिए बाजार में बेचता है। नाटक सिर्फ एक साहित्यिक पाठ का समुच्चय नहीं है, वह एक पूंजीवादी व्यापार भी है, जिसमें कई तरह के आदमी लगे होते हैं। वह भी एक उत्पाद है, जिसे दर्शकों द्वारा देखा जाता है और इस प्रक्रिया में लाभ कमाया जाता है"।¹⁰ लेकिन फिल्मों के संदर्भ में ऐसे विमर्श उचित प्रतीत नहीं होते।

साक्ष्य स्वरूप महाप्राण निराला का कथन प्रस्तुत कर सकते हैं— "हमें फिल्मों में इतने उपदेश मिलते हैं कि जी ऊब जाता है। यह काम हम केवल हितरण तथा भाषण-कौशल से निकाल सकते हैं। इतनी मारपी होती है कि यथार्थ शौर्य का भाव दूर होता है। प्रेम में कामुकता इतनी होती है कि सुमुमारता नष्ट हो जाती है। कथोपकथन ऐसे गिरे हुए होते हैं कि इनमें मुश्किल से कहीं साहित्यिक छटा मिलती है"। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भले ही भारतीय सिनेमा हिन्दी के अस्तित्व को बचाए रखे हैं लेकिन प्रत्यक्ष का चाक्षुष संवेदन साहित्यिक हिन्दी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देगा। वस्तुतः अभी भी नाटक और रंगमंच से हिन्दी आश्वस्त है जिसका उदाहरण महानगरों एवं छोटे-छोटे कस्बों में नियमित तौर पर हो रहे रंगमंच की प्रस्तुति से सहज ही मिल जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने सम्पूर्ण जनजीवन को मशीन बनाने को बाध्य किया है, जिससे हिन्दी भाषा अछूती नहीं है।

अशोक चक्रधर यह मानते हैं कि — "विश्व भाष के समक्ष हताश हो रही हिन्दी के घटाटोप को हटाने की एकमात्र समर्थ शक्ति है— इन्टरनेट। यह निर्विवाद है कि इन्टरनेट ने हिंदी वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। ओम निश्चल के कथन को उधार लेकर प्रस्तुत करने की हिम्मत जुटाता हूँ तो उपर्युक्त कथन स्वतः सिद्ध हो जाता है। बकौल ओम निश्चल — आधुनिक युग में इन्टरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। बटन दबाते ही हम विश्व की सारी जनकरियाँ पा सकते हैं एक दौर था जब हमारे देश का युवा प्रधानमंत्री इस देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात करता था तो हम आश्चर्य और कुतूहल से भर उठते थे। वह 21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर देखता था। कम्प्यूटर से जोड़कर देखता था। लोग सोंचते थे, यह किसी शेख-चिल्ली का सपना भर है। किन्तु आज जब हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में दूसरे राष्ट्रों के हम कदम हैं, हम देखते हैं कि देखते ही देखते उस शख्स का सपना साकार ही नहीं हुआ है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है"।¹¹ ऐसी परिस्थिति में हुई भाषिक क्रान्ति महत्वपूर्ण है, जिसमें सोशल मीडिया के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसमें प्रयुक्त भाषा को ओम निश्चल जी ने सैथेटिक भाषा की संज्ञा दी है।

प्रसंगतः प्रश्न स्वाभाविक है कि— सोशल मीडिया पर हिन्दी का दबदबा कितना कारगर है? क्या हिन्दी के इस वैश्विक स्वरूप का अस्तित्व सचमुच खतरे में है? प्रथम प्रश्न का निर्बल एवं सबल पक्ष की पहचान करते

हुए अनंत विजयजी लिखते हैं कि – “अगर साहित्य के लिहाज से देखें तो सोशल मीडिया का श्वेत और श्याम पक्ष दोनों है। इसकी तात्कालिकता और सतहीपन इसकी खास कमिया है। मनगढ़ंत और काल्पनिक भ्रम, अफवाह, विकृति और विद्रूपता फैलाने में भी इसकी नकारात्मक भूमिका बहुधा उजागर होती है। सोशल मीडिया खासकर फेसबुक ने डोकाम किए हैं। एक तो महत्वपूर्ण है कि— इसने तमाम हिन्दी जानने वालों को रचनाकार बना दिया है”। लेकिन इसका सबल पक्ष हिन्दी के प्रसार में ही देखा जा सकता है। इसे मानने वाले तो यह तर्क देते हैं कि—सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का बेहतर माध्यम है। यह अपने आपको उद्घाटित करने का एक बेहतर मंच है। इसी की वजह से हिन्दी वृहत्तर पाठक वर्ग तक पहुँच रही है। साथ इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि—अनेक ऐसे ब्लॉग भी हैं, जिसमें स्तरीय साहित्यिक रचनाएँ हो रही हैं।

अनंत विजय मानते हैं कि— कोई भी चीज पक्का होने के पहले कच्चा ही होता है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर साहित्य इस वक्त अपने कच्चेपन के साथ मौजूद है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल हमेशा से भाषा के हित में रहा है। इसका एक और उज्ज्वल पक्ष है— विमर्श और संवाद का बेहतरीन मंच। इससे निःसंदेह हिन्दी भाषा को नई पचान मिल रही है। परन्तु गैर मानकीकृत टेक्स्ट इनपुट हिन्दी के लिए एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी भरपाई समय की मांग है। रोमन के तरीके में हिन्दी लिखना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोजन की सिद्धि में सहायक तो हो ही सकता है। अतः बालेंदु दाधीच का कथन उचित है कि— “तकनीकी शक्ति एक दुधारी तलवार है। अगर आम उपयोगकर्ता अपनी—अपनी युक्तियों पर गैर—मानकीकृत भाषा, गैर—मानकीकृत चिन्हों, की—बोर्डों आदि का प्रयोग करेंगे तो इस इन्टरनेट—दूरसंचार—सक्षम युग में उसका प्रसार भी इस रफ्तार से होगा कि उस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाएगा। धीरे—धीरे ये विकृतियाँ भाषा के मूल रूप को भी प्रदूषित करेंगी। सच तो यह है कि वे ऐसा करने लगेंगी”।¹³ ऐसी विषम परिस्थिति में मानक भाषा हेतु क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक पहलू बन जाता है, जिससे अपनी भाषा की वैश्विक पहचान संभव हो पाएगा।

हिन्दी के वैश्विक स्वरूप को समझे बिना अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँच पाना बेमानी है। भले ही आज के कुछेक बिलियमों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैश्वीकरण, उत्तर आधुनिकता एवं ज्ञान—विज्ञान से युक्त तकनीकी के दौर में हिन्दी के द्वारा विकास नहीं हो सकता। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि— आधुनिक संचार ने हिन्दी का स्वरूप बदल दिया है। वर्तमान युग में आज हिन्दी घूँघट से बाहर आ चुकी है। इसने नए सौंदर्यशास्त्र को अपनाया है। इसने विश्व को उसी भाषा में जवाब देने के लिए, नए रूप में तैयारी की है।

वरिष्ठ आलोचक शम्भूनाथ का स्पष्ट अभिमत है कि – “मैं एक ऐसा विश्वग्राम देख रहा हूँ जिसमें होरी की गोशाला की जगह सुपरसोनिक विमान कंकार्ड खड़ा है। चौपाल पर डालर की दुकान है, जहाँ पान—सिगरेट भी उपलब्ध है। विश्व बैंक में झींगुरी सिंह बैठा है। दुलारी सहुआइन ने सुपर बाजार खोल रखा है, जिसमें सब कुछ बिकता है। दाताजी भव्य राम मंदिर के निर्माण में लगे हैं और पंद्रह मिनट की दूरी पर विज्ञान भवन में हरखू अपनी जाति का विश्व सम्मेलन कर रहा है। विश्वविद्यालय विश्व व्यापार संगठन के क्लब में बदल गए हैं, राय साहब ने इस बार मेडोना को बुलाया है। अब प्रहसन नहीं होता। गन्ना और मटर के खेत में आलू के चिप्स बनाए जा रहे हैं। टमाटर के एक समान पौधों पर सौंस की बोतले लटक रही हैं। किनारे के खड़े आम के पेड़ों पर अरब देशों के छोकड़े चढ़े हुए हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बेलारी की चौड़ी सड़क पर हाथ में कुदाल लिए बेकार बैठे होरी को देखकर ‘हाय’ किया है और कुछ की जेब में कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी है अपनी नागरिकता

भुलाकर सुन्न पड़े हैं। टीवी के कुछ केमरे उन पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं”¹⁴

निष्कर्ष :-

इस तरह निःसंदेह समाज में आए परिवर्तन को हिन्दी भाषा से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे मूर्धन्य आलोचक विजय बहादुर सिंह ने “समाज के चौराहे पर खड़ी हिन्दी” के रूप में आत्मसात करते हुए चिंता जाहीर की है, “हिन्दी के सामने आज चुनौती है कि वह अपने समाज की प्रतिभा को कैसे अपनी ओर आकृष्ट करे। हमारा जन-समाज, लोकतान्त्रिक सरकार, विद्या-संस्थान परस्पर मिल-बैठकर इस चुनौती से धीरे-धीरे निकल सकते हैं। ध्यान बस इतना रखना होगा कि हमे इसके लिए अपने परिचित शब्द खोजने के लिए उस अवरुद्ध विद्याक्षेत्र और लोकविज्ञान क्षेत्र से मार्गदर्शन लेना होगा, जो सामाजिक जीवन को समझने और उससे आगे का संकेत पाने में हमारी मदद करे”¹⁵ साथ ही जैसे आज विश्व की सारी बड़ी भाषाओं के पास इन्टरनेट पर ई-लर्निंग के एक से एक बेहतर कार्यक्रम है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की भाषाओं में एकरूपता है वैसी एकरूपता हिन्दी में भी आवश्यक है तभी हिन्दी का परिपक्व स्वरूप सामने आ सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसके परिपक्व स्वरूप हेतु ठोस कदम उठाया जाए। इसके निमित्त एक राय यह भी हो सकती है कि भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की ओर से ई-लर्निंग का अंतरसंबंधित पाठ बनाया जाए तथा भविष्य में हिन्दी के स्वरूप का निर्धारण नए-नए विकसित सॉफ्टवेयरों से किया जाए। उपर्युक्त माध्यम में सबसे बड़ा कारगर हथियार है- मौलिकता। इसके अभाव में हिन्दी भाषा का वास्तविक पुनर्मूल्यांकन कठिन हो जाएगा। चाहे लेख हो, आलेख हो, या ग्रंथ, उसकी सहज स्वाभाविक स्थिति इसी पर आधारित है। इस प्रकार हिन्दी अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में और अंततः सम्पूर्ण विश्व में अपने यथार्थवादी नजरियों से आकर्षित करने में सक्षम होगी। यही हिन्दी का अभिष्ट है, जिसके निमित्त जनभागीदारी जरूरी कदम हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ :-

- 1) भोलानाथ तिवारी-भाषा विज्ञान, किटबमहलेजेंसी, इलाहबाद, छतीसवा संस्कारण, पृष्ठ-5
- 2) क्षोभकन-नागार्जुन रचनावली-6, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पेपरबाइक संस्करण, पृष्ठ-216
- 3) शोभाकांत-नागार्जुन रचनावली-6, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली पेपरबाइक संस्करण, पृष्ठ-296
- 4) पत्रिका, डाइनिका समाचार पत्र, संपादकीय, दिनांक-14 | / 09 / 2015
- 5) नागार्जुन की चुनी हुई रचनाएँ-1, सं.-शोभाकांत, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.-1995
- 6) भारतीय भाषाएँ और हिन्दी, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में 2002 में आयोजित परिसंवाद से साभार
- 7) जय श्री शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी-हिन्दी : संघर्ष और आयाम, विकास पब्लिकेशन, कानपुर, प्रथम संस्करण; 2012, पृष्ठ-106
- 8) जय श्री शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी-हिन्दी : संघर्ष और आयाम, विकास पब्लिकेशन, कानपुर, प्रथम संस्करण; 2012, पृष्ठ-106
- 9) जय श्री शुक्ला, राजेश चतुर्वेदी-हिन्दी : संघर्ष और आयाम, विकास पब्लिकेशन, कानपुर, प्रथम संस्करण; 2012, पृष्ठ-106
- 10) आजकल, सितंबर 2010, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ-10
- 11) ओम निश्चल-साक्षात्कार का विश्व हिन्दी सम्मेलन अंक 2015 से साभार
- 12) नया ज्ञानोदय, अन-सितंबर 2015, संपादक-लीलाधार मंडलोई, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ-67
- 13) नया ज्ञानोदय, अंक-सितंबर 2015, संपादक-लीलाधार मंडलोई, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, पृष्ठ-57
- 14) शम्भूनाथ-संस्कृति की आत्मकथा, पृष्ठ-57
- 15) नयी दुनिया, दैनिक समाचार पत्र, संपादकिया, 12 सितंबर 2015, पृष्ठ-04

khan.mazid1340@gmail.com,
Mobile 9851722459



हिन्दी : कल, आज और कल

डॉ. संगीता चौहान

३२-ए सोहमनगर सोसाइटी, बाकरोल, जि. आणंद, गुजरात।

वैसे देखा जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश माना जाता है। लेकिन यह तो प्रत्यक्ष विशेषता है भारत की। परोक्ष रूप में देखें तो सामाजिकता की तुलना में भारत की बराबरी कोई भी देश नहीं कर सकता। सामाजिकता यानि समाज में विविधभाषी लोगों के बीच में पनपता वह भाव जो समाज को एकसूत्रता में बांधे रखता है। यह काम भाषा के माध्यम से संभव हो पाया है। क्योंकि मनुष्य-मनुष्य के बीच विचारों के आदान-प्रदान का जरिया है – भाषा। भारतीय समाज का पर्याय है, उसकी बहुआयामी भाषाएँ। और उन्हीं आयामों में एक बहुप्रचलित और बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जानेवाली भाषा है— हिन्दी।

भारत में हिन्दी की वर्तमान दशा और दिशा को स्पष्ट करते हुए डॉ. विनयकुमार पाठक ने लिखा है – 'हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में अभिहित होने के कारण जहाँ देश में बहुसंख्यक जन की भाषा है, वहीं राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण कार्यालयी व्यवहार की लोकप्रिय कड़ी भी है। इसके अतिरिक्त विविध प्रदेशों में इसके प्रांतीय भाषा, बोली रूप का प्रचलन उसे विविध रंग प्रदान कर स्थानीय व प्रादेशिक सांस्कृतिक रूप से संयुक्त करते हैं। वातावरण के रूप में प्राप्त अरबी, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं को आत्मसात् कर हिन्दी एक ओर समृद्ध हुई है तो दूसरी ओर मारीशस, सूरीनाम, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इन्लैंड आदि देशों में विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार के अन्य प्रयास उसे नई सामाजिकता प्रदान करते हैं।'

हिन्दी भाषा के प्रमुखतः दो रूप होते हैं – (१) बोलचाल का रूप (२) साहित्यिक रूप। सामान्य जन द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए प्रयुक्त की जानेवाली भाषा का रूप बोलचाल का रूप है; वहीं जब साहित्यकार या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप में दूसरों तक पहुँचाता है तब भाषा का साहित्यिक रूप का सामने आता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी भाषा का एक गौण रूप व्यावसायिक रूप है; जिसके अंतर्गत, मीडिया, फिल्मजगत, पत्रकारिता आदि क्षेत्र जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हिन्दी भाषा के उपर्युक्त तीनों रूपों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी भाषा की भूतकाल की स्थिति क्या थी; वर्तमान में क्या है और भविष्य में स्थिति क्या होगी – इस पर यथासंभव प्रकाश डाला गया है।

बोलचाल के रूप में हिन्दी : कल, आज और कल :-

हिन्दी को बोलचाल के रूप में प्रयोग में कब लाया गया यह कहना कष्टकारक है लेकिन जबसे भारत देश में संचार का अस्तित्व आया तबसे ही हिन्दी का अस्तित्व माना जाना चाहिए। हिन्दी भाषा बोलचाल के रूप में कब अस्तित्व में आई उसे शब्दबद्ध करना हो तो यह कथन सटीक प्रतीत होता है – अपभ्रंश के अंतिम काल

में भारतीय आर्य भाषाओं की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आदिकाल या वीरगाथा काल में इसीलिए अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव है। डिंगल उस समय महत्वपूर्ण भाषा थी तथा हिन्दी की अन्य विभाषाओं व बोलियों का विकास नहीं हो सका था। इस समय की हिन्दी बोलचाल तक सीमित थी। इसमें कृषि व्यापार के साथ उपयोगी कलाओं; यथा बढ़ई, कुम्हार, लुहार आदि से संबद्ध जन उसका व्यवहार करते थे।¹²

वर्तमान में हिन्दी भाषा बोलचाल के रूप में अपना अडिग स्थान बना चुकी है। इसका प्रमाण है कि विदेश से आने वाले सैलानी भी इस भाषा में बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा हिन्दी सीखने पर बल देते हैं।

भविष्य में हिन्दी भाषा की स्थिति की कल्पना करनी हो तो कहा जा सकता है कि उसका भविष्य उज्ज्वल है। आज उत्तर आधुनिक युग में चारों ओर हिन्दी की बोलबाला को देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में विश्व का प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी में अपने विचारों का आदान-प्रदान करेगा तो कोई आश्चर्य नहीं।

साहित्यिक रूप में हिन्दी : कल, आज और कल :-

साहित्य की कोई भी विधा चाहे वह पद्य हो या गद्य हिन्दी भाषा का प्रयोग उसमें प्रचुर मात्रा में होता था, होता है और होता रहेगा। हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में ब्रजभाषा का प्रभुत्व साहित्यिक रूप में हिन्दी के प्रतिस्थापित होने का फल माना जा सकता है। खड़ी बोली के आने से ब्रजभाषा का प्रभाव कम होने लगा। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में बाबू श्यामसुन्दर दास ने नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से हिन्दी की अद्वितीय सेवा की। हिन्दी का विस्तार बृहद बनाने के लिए उन्होंने 'हिन्दी शब्द सागर', 'हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' तथा 'हिन्दी भाषा का व्याकरण' नामक पुस्तकों को इस सभा के द्वारा व्यवहार में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कहा जा सकता है कि 'कोश, इतिहास और व्याकरण लेखन ने हिन्दी को उसके स्वरूप का अभिज्ञान दिया, जिस प्रक्रिया में तीन अपने ढंग के विशिष्ट व्यक्तियों का उदय हुआ— कोशकार रामचन्द्र वर्मा, इतिहासकार रामचन्द्र शुक्ल और वैयाकरण पं. कामताप्रसाद गुरु। इतने बड़े आयोजन के सूत्रधार रूप में बाबू श्यामसुन्दर दास का व्यक्तित्व युग निर्माता के रूप में हमारे सामने आता है।'¹³

यह तो हुई साहित्यिक रूप में हिन्दी के प्रतिष्ठित होने की भूतकाल की बात। वर्तमान समय में हिन्दी और भी निखरकर सामने आ रही है। उसका प्रमाण है — वर्तमान में हिन्दी की सभी गद्य एवं पद्य विधाओं में बहुआयामी लेखन। 'गजल' और नवगीत की रचना इसके उदाहरण हैं।

भविष्य में भी साहित्यिक रूप में हिन्दी श्री बाबू श्यामसुन्दर दास के प्रयासों को शिखरीय ऊँचाई तक ले जाएगी यह कहना निर्विवाद है। संस्कृत धर्मग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद ताकि पाठकवर्ग उसे आसानी से पढ़ सके हिन्दी के साहित्यिक रूपी इमारत जो कि भविष्य में बननेवाली है उसकी नींव इस प्रकार के अनुवाद को माना जा सकता है। साथ ही कई मातृभाषाओं की रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद होना भी भविष्य में हिन्दी को समृद्ध बनने की राह दिखाता है।

व्यावसायिक रूप में हिन्दी : कल, आज और कल :-

पत्र-पत्रिकाएँ और समाचार-पत्र व्यवसाय की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये दोनों हिन्दी भाषा से जुड़े हुए ऐसे माध्यम हैं जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है। हिन्दी भाषा का सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र 'सुधावर्षण सन् 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। हिन्दी के प्रमुख समाचार-पत्रों में 'नवभारत टाइम्स', 'दैनिक जागरण', 'दैनिक हिन्दुस्तान', 'दैनिक भास्कर', 'नई दुनिया', 'प्रदीप', 'अमर उजाला', 'पंजाब

केसरी', 'जनसत्ता' आदि हैं।

'सारिका', 'हंस', 'धर्मयुग', 'मनोरमा' आदि साहित्यिक पत्रिकाएँ हैं। ये सब पत्र-पत्रिकाएँ भूतकाल में हिन्दी के क्षेत्र में प्रख्यात थीं। वर्तमान हिन्दी पत्रिकाओं में 'साहित्य परिवार', 'साहित्य वीथिका', 'नवनिकष', 'आश्वस्त', 'अनुसंधान' आदि हिन्दी भाषा की वर्तमान लोकप्रियता की परिचायक हैं। समाचारपत्र और साहित्यिक पत्रिकाएँ भविष्य में भी अपनी राह प्रशस्त करेंगी क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कहा गया है कि साहित्य नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाकर शांति प्रदान करता है। व्यक्ति आज जीवन की आपाधापी में शांति तलाश रहा है और उसकी आपूर्ति मुद्रित माध्यमों से ही संभव है।

विज्ञापन के व्यवसाय की वर्तमान स्थिति को उजागर करते हुए डॉ. सौ अरुणा राजेन्द्र शुक्ल ने लिखा है – 'आज का युग विज्ञापन का है। नए संचार माध्यमों की क्रांति ने हिन्दी की एक नई भूमिका निर्धारित की है। इन संचार माध्यमों में प्रयुक्त हिन्दी की वर्तनी चिंता का विषय रही है। विज्ञापन चाहे समाचार पत्र में हो या आकाशवाणी में या दूरदर्शन में हिन्दी विज्ञापनों का भाषिक स्तर चिंतनीय है। इसका कारण यह है कि अधिकांश विज्ञापन मूल अंग्रेजी विज्ञापनों के अनुवाद और भाषिक चिंतन बहुत कम है। परिणामतः अशुद्ध हिन्दी प्रकाशित प्रसारित होती है।'^४

उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए कहा जा सकता है कि पहले के समय में जहाँ दूरदर्शन नामक एक ही चैनल से विज्ञापनों की संख्या सीमित थी, वह अब चैनलों के बढ़ने से कई गुना ज्यादा हो गयी है इसलिए भविष्य में विज्ञापनों में हिन्दी भाषा की शुद्धता को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। नहीं तो हिन्दी भाषा स्तर में गिरावट आ सकती है।

'फिल्म' के व्यवसाय से तो सभी लोग परिचित हैं। सन् १९१३ में दादा साहब फालके द्वारा निर्मित 'राजा हरिश्चंद्र' नामक फिल्म ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार का जो श्रीगणेश किया था, वह वर्तमान समय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर ही रहा है। फिल्मों में हिन्दी भाषा के वर्चस्व का भविष्य सुरक्षित है ऐसा इस आधार पर कहा सकता है कि व्यक्ति की मातृभाषा चाहे कोई भी हो; हर भारतीय की पहली पसंद हिन्दी भाषा की फिल्में ही हैं। आज फिल्में केवल भारत में ही नहीं देश-दिदेश में भी फैलती जा रही हैं। फिल्मों की असाधारण लोकप्रियता हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

डॉ. रामगोपाल सिंह जादौन के मतानुसार— "स्वतंत्रता से पहले जहाँ हमारे यहाँ कुछ गिने-चुने व्यवसाय थे, अतः उन्हीं गिने-चुने व्यवसायों से संबंधित शब्द हमारी भाषाओं के पास थे और भाषा-प्रयुक्तियाँ भी सीमित ही थीं। लेकिन ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट ने आज भाषा के विविध स्तर उजागर किये हैं। आज हिंदी के अनेकानेक प्रयुक्तिस्तर हैं जो कि बोलचाल तथा साहित्यिक हिंदी से सर्वथा हटकर हैं।"^५

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व में दूसरे स्थान की गरिमा बढ़ा रही हिन्दी भाषा की लोकप्रियता जितनी भूतकाल में थी; उतनी ही वर्तमानकाल में है और यह आशा की जाए कि भविष्य में उससे भी बढ़कर हो। जनसंचार के सभी क्षेत्रों में हिन्दी का आगे आना उसके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि हिन्दी भाषा के प्रेमियों द्वारा इस प्रकार के प्रयास हमेशा होते रहें जिससे हिन्दी संसार की अनन्य, अप्रतिम, लोकप्रिय। सर्वहितकारी और कल्याणकारी रूप में अपना परचम लहराती रहे।

संदर्भ सूची :-

१. राजभाषा एवं प्रयोजनमूलक हिन्दी, सं. डॉ. रामगोपाल सिंह जादौन, आकाश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, गाजियाबाद प्र.सं. २०१६, पृ. ८४
२. वही, पृ. ८६
३. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, बाईसवां संस्करण, २०११, पृ. १०६
४. नव निकष, मासिक पत्रिका, सं. डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय, वर्ष-८, अंक-५ नवम्बर, २०१४, पृ. ४६
५. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ. रामगोपाल सिंह जादौन, लता साहित्य सदन, गाजियाबाद, प्र.सं २०१३, पृ. २१

मो. 7698209813



दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता

डॉ. प्रेम चन्द भार्गव

सहायक प्राध्यापक, एस. आर. एम. आई. एस. टी. केटीआर चेन्नई।

भूमिका :-

भाषा की सार्थकता उसकी उपयोगिता में है जो भाषा निरंतर उपयोग में होती है वह लंबे समय तक जीवंत रहती है तथा जो भाषा उपयोग में नहीं होती है वह लगभग मरने के कगार पर पहुंच जाती है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ना केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर इसकी लोकप्रियता देखी जा सकती है। साहित्य सृजन से लेकर आम बोलचाल की भाषा का ग्राफ दक्षिण भारत में निरंतर बढ़ा है। बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जनता के बीच हिन्दी की लोकप्रियता। दक्षिण भारत की जनता ने हिन्दी को हृदय में जगह देने का काम किया है। साहित्य से लेकर पत्र-पत्रिकाएँ तथा सिनेमा ने अपनी भूमिका प्रमुख रूप से निभाने का काम किया है।

बीज शब्द :- लोकप्रियता, कर्तव्यनिष्ठ, पत्रकारिता, अभिनय, अनुवाद, पठन-पाठन, हिन्दी सिनेमा, साहित्य एवं साहित्य सृजन, पर्यटन आदि।

मूल शोध :-

हिंदी भाषा को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए कई संस्थाएं स्वतंत्रता से पूर्व ही स्थापित की गईं और आज भी अपने कार्य का निर्वहन यह संस्थाएं बड़ी ही निष्ठा पूर्वक कर रही हैं। इन संस्थाओं में प्रत्येक वर्ष हजारों प्रचारक एवं शोधकर्ता निकलते हैं और हिंदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस लोकप्रियता को देखते हुए कहना पड़ता है कि :-

“सजाया चमन जिसने आजादी का वह हिंदी है,
हृदय को जोड़ा जिसने महकाया गुलशन व हिंदी है,
खेत से लेकर शहर तक गूंजी जिसकी गूंज वह हिंदी है,
एकता अखंडता को जिसने बरकरार रखा वह हिंदी है।

वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दक्षिण भारत में हिंदी आम बोलचाल की भाषा का रूप धारण करती जा रही है। चाट वाला, खोमचे वाला, पंसारी की दुकान चलाने वाला, कपड़े बेचने वाला छोटे व्यापारी से लेकर बड़े मॉल में हिंदी भाषा में बातचीत करके आसानी के साथ खरीदारी करते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार हमें कहने में संकोच नहीं है कि हिंदी भाषा दक्षिण भारत में अपनी लोकप्रियता को निरंतर बढ़ाते हुए चलती है, इस लोकप्रियता में आम जनमानस का विशेष हाथ है। दक्षिण भारत के आनेकानेक विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में

हिंदी भाषा का पठन-पाठन बड़े ही सुचारु रूप से किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में जो प्राध्यापक हैं उसमें से अधिकतर दक्षिण भारत के प्रांतों से हैं या अहिंदी भाषी प्रांतों से हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण है हिन्दी भाषा की सहज और सरल व्याकरण पद्धति इस संदर्भ में तहलका हिन्दी चैनल पर हिन्दी की लोकप्रियता के कारण को दर्शाते हुए सुनील कुमार लिखते हैं कि, 'हिंदी की व्याकरण क्षमता और हिंदी की आवश्यकता ने अधिकतर दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखने की ओर अग्रसर किया है। आज दक्षिण भारत में हिंदी सीखने वालों की ही नहीं हिंदी बोलने वालों की यहां तक की हिंदी परीक्षाओं में शामिल होने वालों छात्रों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।'¹ जो भाषा जनप्रिय भाषा बन जाती है उसके राह में भले ही रोड़े अटकाए जाए वह अबाध गति से प्रवाहित होती चली जाती है। मेरे हिसाब से हिंदी भाषा दक्षिण में अबाध गति से प्रवाहित हो रही है। भाषा के विकास में, उसे परिष्कृत करने में उसका साहित्य प्रचुर मात्रा में अपनी भूमिका अदा करता है। दक्षिण भारत में अनेक साहित्यकार अपनी कलम लेखनी से हिन्दी की लोकप्रियता को आगे बढ़ाने में विशेषतया योगदान रहा है। आरिगपूडि, डॉ. बालशौरी रेड्डी, प्रो. सुंदर रेड्डी, प्रो. आदेश्वर राव, प्रो. रमा नायडू, डॉ. शेषण, नरसिंम्हाराव, भीमसेन निर्मल, सूर्यनारायण भानू आदि। इन साहित्यकारों ने अपनी अनेकानेक कृतियों के द्वारा हिन्दी के विकास में अपनी अहम भूमिका दक्षिण भारत में विशेष रूप से निभाई है।

इस संदर्भ में डॉ. भीमसेन निर्मल लिखते हैं कि "दक्षिण भारत में हिन्दी को समृद्ध एवं उन्नत बनाने के लिए मध्य युग में ही आंध्र प्रदेश के रचनाकार हिन्दी भाषा में साहित्यिक सृजन का काम करने लगे थे। मध्य युगीन इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि हिन्दी लेखन की परंपरा आंध्र के लिए नई नहीं है। इस दिशा में हिन्दी के राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली के मूल श्रोत दक्खिनी हिन्दी साहित्य का संबंध पुराने हैदराबाद राज्य तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में अधिक रहा है।"² साहित्य के साथ-साथ हिन्दी सिनेमा ने हिन्दी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचाने में अपनी भूमिका सफलता पूर्वक निभाई है। हिन्दी सिनेमा जनमानस की धड़कन अपने आरंभिक काल से ही रहा है। जैसे-जैसे इसका विकास होता गया इससे अहिन्दी भाषी क्षेत्र के अभिनेता हिन्दी सिनेमा से जुड़कर बहुत लोकप्रिय बना दिये हैं इस संदर्भ में हिंदी फिल्मों में हिन्दी बेवदुनिया में लिखा जाता है कि "हिंदी भाषा कलाकारों के योगदान के कारण भी हिंदी को हिंदी भाषी प्रांतों में हमेशा बढ़ावा मिला है। सुबह लक्ष्मी बालसुब्रमण्यम, पद्मिनी, वैजयंती माला, रेखा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, कमल हसन, चिरंजीवी, ए.आर. रहमान, रजनीकांत आदि।"³

हिंदी को लोकप्रिय बनाने में हिंदी सिनेमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्या दक्षिण में हिंदी अधिक लोकप्रिय हो रही है? इस शीर्षक से स्नेहा सिकेदर लिखती हैं कि "दक्षिण में हिंदी फिल्मों से संबंधित खोजों की बढ़ती आवृत्ति से पता चलता है कि बॉलीवुड अधिक लोकप्रिय हो रहा है और हिंदी दक्षिण भारत में मुख्यधारा की भाषा के रूप में प्रवेश कर रही है।"⁴

वर्तमान संदर्भ में युवा वर्ग फिल्मों एवं एक्टिंग का दीवाना है जिसके चलते हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जब से इंटरनेट की पहुंच आम जनता तक हुई है, तब से हिंदी के विकास एवं लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अथवा इंटरनेट की सुविधाएं इसको लोकप्रिय होने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इस संदर्भ में दीपक भालचंद्र कार्ये हिन्दी बेवदुनिया में लिखते हैं कि 'ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय भाषा की फिल्में चलती ही नहीं लेकिन असमी फिल्म असम में, तेलुगु फिल्म आंध्र में ही

लोकप्रिय होती हैं। इसके विपरीत हिंदी फिल्म सारे भारत में चलती है। जिस उत्साह में वह उत्तरी भारत में दिखाई जाती है उसी उत्साह में वह दक्षिण भारत में भी दिखाई जाती है।⁵

हिंदी डबिंग ने तो दक्षिण एवं उत्तर को बड़े ही अनुठे अंदाज में जोड़ने का कार्य किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो गंगा जमुना तहजीब की तरह जोड़ दिया है, जिसकी वजह से निरंतर दक्षिण भारत में अपनी ख्याति हिंदी भाषा बढ़ाते हुए चली आ रही है। इस संदर्भ में कहे बिना रूका नहीं जा सकता है :-

“उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के संस्कारों से सबको जोड़ दिया,
दखिनी, मुंबईया, जबाने उर्दू रूप अनेक संपर्क सूत्र में मोड़ दिया,
गणतंत्र विविध भारत में है कई जुबाने पली-बढ़ी फिर भी,
हिंदी एक हृदय जननी बन सबके दिलों में मिश्री घोल दिया।”

हिंदुस्तान की धड़कन हिंदी भाषा धीरे-धीरे ही सही बनती जा रही है। हिंदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि वर्तमान समय में एक हिंदी भाषा भाषी उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यात्रा बिना भाषा की समस्या सहे अपनी कर सकता है क्योंकि पूरे देश की जनता ने हिंदी भाषा को अपनाया है। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा भी बनेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको भारत का हर नागरिक प्रयोग करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है।

खासतौर पर दक्षिण भारत में हिंदी पठन-पाठन के साथ साथ पर्यटन में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उदाहरण स्वरूप चेन्नई के समुद्र के किनारे देख सकते हैं जहां पर छोटी-छोटी रेवड़ियां लगाकर अपने व्यापार में मशगूल लोग हिंदी बोलते नजर आ जाते हैं। अपने ग्राहकों को हिंदी में बोलकर क्रय-विक्रय करते हैं। इस हिसाब से व्यापार की भाषा के रूप में भी हिंदी की लोकप्रियता दक्षिणी राज्यों में सहज ही देखने को मिलने लगी है। आज भले सरकारी बसों के बोर्ड के ऊपर अन्य प्रांतीय भाषाएं और इंग्लिश भाषा में पथ मार्ग लिखे जाते हैं लेकिन बस के अंदर बैठे कंडक्टर को इतनी हिंदी जरूर आती है कि वह एक हिंदी भाषी व्यक्ति को हिंदी में बोलकर बस टिकट दे सकता है। यह हिंदी की लोकप्रियता ही है।

दक्षिण में जितने सेमिनार तथा वेमिनार तथा कवि सम्मेलन हिन्दी होते हैं उतने उत्तर भारतीय राज्यों में देखने को नहीं मिलता है। इस संदर्भ में हिंदी की लोकप्रियता देखी जा सकती है। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को स्पोकन हिंदी का कोर्स करवाने लगे हैं। इतनाही नहीं राज्य स्तरी विद्यालयों में भी हिन्दी की माँग बढ़ने लगी है। इस प्रकार दिन पर दिन हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं चलाई जाती हैं जिन से प्रभावित होकर अहिन्दी भाषी व्यक्ति भी हिंदी की उपयोगिता में भाग लेने के लिए हिंदी को सीखता है। यह हिंदी की लोकप्रियता नहीं तो और क्या है कहने का तात्पर्य है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता धड़ल्ले से बढ़ती जा रही है। दक्षिण के राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का विशेष योगदान है।

मीडिया देश के समाचारों से अवगत करवाने का काम अपने आरंभिक काल से ही करता आ रहा है। हिन्दी भाषा के विकास में हिन्दी पत्रकारिता का विशेष योगदान रहा है। हिन्दी पत्रकारिता का आरंभ ही अहिन्दी भाषी राज्य से होता है इससे बड़ी लोकप्रियता हिन्दी के लिए दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। दक्षिण भारतीय राज्यों में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ उतनी ही सिद्ध से कार्य कर रही हैं।

“अटकाओ चाहे जितने रोड़े अबाध गति से बह जाऊंगी,
देश का मान सदा रखा है, आज भी रख जाऊँगी।
वैसे तो है मेरे रूप अनेक, जोड़ने में प्रबल सुख पाती हूँ,
हर भाषा में हूँ मैं, हर भाषा-भाषी की अनमोल थाती हूँ”।

इस प्रकार कहने में संकोच नहीं कि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिन्दी भाषा का विकास निरंतर बढ़ता जा रहा है। सिनेमा से लेकर पठन-पाठन और साहित्य सृजन की कड़ी हिन्दी को विशेष मजबूती प्रदान किया है। पत्र पत्रिकाएँ अपनी पहुँच आमजन तक पहुँचाने लगीं हैं। खास तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों में मीडिया ने उल्लेखनीय कार्य किया है। दक्षिण भारतीय जनता ने हिन्दी भाषा को आगे बढ़कर हृदय तल में जगह देने का काम किया है। बस चालक से लेकर, ट्रक, आटो रिक्सा चालक आदि हिन्दी को विशेष रूप से सीखकर अपने रोजी-रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कहने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत में निरंतर लोकप्रिय हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://tehelkahindi.com>
2. डॉ. भीमसेन निर्मल, आंध्र में हिन्दी लेखन की परंपरा, पृ. सं. 76
3. <https://hindi.webdunia.com>
4. <https://www.livemint.com>
5. <https://hindi.webdunia.com>

Dr. Prem Chand Bhargaw

Assistant professor, SRM IST, Faculty of Management Kattankulthur,

Chengalpett Tamil Nadu Chennai 603203

Mail- chandprem583@gmail.com

Mob 7845458894



विश्व पटल पर हिंदी भाषा का विकास

बबीता

शोधार्थी, गुरु जंभेश्वर धार्मिक अध्ययन संस्थान, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा

भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता बढ़ी है। सभी राष्ट्र आर्थिक तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के करीब आ गए हैं। भारत देश भी इनसे अछूता नहीं है। वर्तमान में हमारा देश भी विश्व की सर्वाधिक तीव्रता से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विपुल प्राकृतिक संपदा तथा अपार मानवीय संसाधनों के कारण वैश्विक पटल पर इसका अपना महत्व है। अन्य भौतिक संसाधनों की तरह हिंदी भाषा भी वैश्विक स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही है। जिन राष्ट्रों में पहले हिंदी के महत्व को नगण्य करके अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व प्राप्त था वहां भी आज हिंदी भाषा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। किसी भी राष्ट्र को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में उस देश की राष्ट्रभाषा की अहम भूमिका होती है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ एक विश्व भाषा भी है। आज संसार के अनेक देशों में करोड़ों लोगों द्वारा बोली वह समझे जाने वाली भाषा है। वर्तमान में हिंदी बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी विश्व की द्वितीय बड़ी भाषा के रूप में सामने आई है। प्रथम स्थान चीनी भाषा का है। रवींद्रनाथ ठाकुर ने हिंदी का महत्व बताते हुए कहा "आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल के समान है जिसका एक-एक दल एक-एक प्रांतीय भाषा और उसका साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने अपने घर में रानी बन कर रहे, आधुनिक भाषाओं के हार के मध्य मणि हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे।"

विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी भाषा का लोगों की एक बड़ी मात्रा के द्वारा प्रयोग किया जाना अनिवार्य है ऐसे में हिंदी भाषा को प्रयोग करने वाले लोगों का आंकड़ा भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ही बढ़ा है। डॉ. सुरेश माहेश्वरी ने हिंदी के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "आज विश्व में भारत ने अपनी पहचान बना ली है। भारत एक स्वतंत्र जनतांत्रिक राष्ट्र है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का मुखिया भारत है। सार्क परिषद का प्रणेता और संस्कृति की दृष्टि से भी वह विश्व का पथ प्रदर्शक और अगुआ है ऐसे भारत की भाषा हिंदी है। इसलिए यदि भारत से निकटतम बनानी है तो हमें हिंदी के अध्ययन अध्यापन को महत्व देना चाहिए ऐसा विश्व के सभी राष्ट्रों ने सोचा। दूसरे भारतवंशी लोग रोजगार हेतु पश्चिम के राष्ट्रों में गए हैं और पूर्व के राष्ट्रों में भाईचारा, स्नेह, संस्कृति को लेकर अपना स्थान बनाया, इस कारण से भी हिंदी का अपना वैश्विक दायरा निर्मित हुआ।"

आज बोलने, लिखने व संचार माध्यम के रूप में व जनसंपर्क के लिए भी हिंदी का प्रयोग बहुतायत में

किया जाने लगा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार के लिए 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना करना हिंदी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर (1975) में अध्यक्ष शिवसागर रामगुलाम (मॉरीशस) ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 2001 को मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' का शिलान्यास किया गया। इसकी स्थापना के उद्देश्यों में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करना तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, हिंदी साहित्यकारों को पुरस्कृत करना, पुस्तक मेलों का आयोजन करना आदि सम्मिलित है।

विश्व के दूसरे राष्ट्रों जैसे मॉरीशस फिजी, त्रिनिदाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल तथा दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत है। नेपाल में लगभग आधी से अधिक जनसंख्या द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिजी देश में हिंदी को संविधान द्वारा मान्यता दी गई ठे फिजी में प्रवासी भारतीय अपनी मातृभाषा हिंदी को 'भारतीय फिजी' कह कर बुलाते हैं तथा सूरीनाम में इसे 'सरनामी' हिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में समृद्ध बनाने के लिए कुछ देशों में ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी का पठन-पाठन किया जाता है जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया आदि। जबकि कुछ देशों में प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मातृभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनमें मॉरीशस, सूरीनाम, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका आदि है। यह लोग वहां रहकर अपनी मातृभाषा द्वारा अपनी संस्कृति को विदेशों में प्रसारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूचना व प्रौद्योगिकी द्वारा भी हिंदी भाषा का प्रचार किया जा रहा है। वैश्विक भाषा के रूप में खरा उतरने के लिए किसी भी भाषा में साहित्य सृजन की क्षमता होना आवश्यक है।

ऐसे में हिंदी भाषा में रचित साहित्य न केवल भारत अपितु विश्व में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केवल भारत ही नहीं अपितु दूसरे देशों में भी हिंदी साहित्य की रचना की गई। विस्तृत शब्द भंडार, समृद्ध साहित्य परंपरा के साथ हिंदी भाषा ने विश्व की अन्य भाषाओं को प्रभावित किया। डॉ० करुणा शंकर उपाध्याय ने कहा, "हिंदी में साहित्य सृजन की परंपरा बारह सौ साल पुरानी है। यह आठवीं शताब्दी से लेकर वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी तक गंगा की अविरल धारा की भांति प्रवाहमान है। उसका काव्य साहित्य तो संस्कृत के बाद विश्व की श्रेष्ठतम साहित्य की क्षमता रखता है। उसमें लिखित उपन्यास एवं समालोचना भी विश्वस्तरीय है। उसकी शब्द संपदा विपुल है उसके पास पच्चीस लाख से ज्यादा शब्दों की सेना है उसके पास विश्व की सबसे बड़ी कृषि विषयक शब्दावली है उसने अन्यान्य भाषाओं के बहु प्रयुक्त शब्दों को उदारता पूर्वक ग्रहण किया है। उसके साहित्य का उत्तमांश आज भी विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जा रहा है।"²

जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है उसका साहित्यिक क्षेत्र भी समृद्ध होता जा रहा है। वर्तमान में हिंदी भाषा ने पुरातन विचारधारा को त्यागते हुए दूसरी भाषाओं के अनेकों शब्दों को स्वयं में समाहित किया जिससे हिंदी की जटिलताओं को दूर कर उसको सुबोध व सफल बनाने में सहायता मिली। डॉ. राममनोहर लोहिया के अनुसार, "विदेशी शब्दों का हिंदी में प्रयोग देखकर नाक भौंह सिकोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बहु प्रचलित विदेशी शब्द हैं उनका प्रयोग हिंदी में धड़ल्ले से किया जाना चाहिए जैसे स्टेशन, सिगरेट, वगैरह। उनके स्थान पर नए शब्दों को तलाशना यथा लोहपथगामिनी, विश्राम स्थल

या धूम्र दंडिका आदि का प्रयोग अनावश्यक ही नहीं हास्यास्पद भी है।¹³ इसी प्रकार विदेशों में भी हिंदी भाषा के शब्दों को आवश्यकतानुसार अपनाया गया है। भाषा को सशक्त बनाने के लिए भी इस बदलाव की अत्यंत आवश्यकता थी। हिंदी साहित्य के महत्व के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, “भारतवर्ष के पड़ोसी देशों में आजकल हिंदी साहित्य पढ़ने और समझने की तीव्र लालसा जागृत हुई है। चीन, मलय, सुमात्रा, जावा समस्त एशिया से मांग आ रही है। एशिया के देश अब अंग्रेजी पुस्तकों में प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। विदेशी दृष्टि से देसी भाषा में लिखा हुआ साहित्य खोजने में लगे हैं। आगे यह जिज्ञासा और भी तीव्र होगी।”¹⁴

हिंदी साहित्य सृजन में मॉरीशस के लेखकों द्वारा किया गया प्रयास सराहनीय है। इन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक रचनाओं पर अपनी लेखनी चलाई। मॉरीशस के अभिमन्यु अनंत ने लगभग दो सौ कहानियों की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में भी इनको विशेष स्थान प्राप्त है। इन के उपन्यासों में ‘लाल पसीना’ नामक उपन्यास उत्कृष्ट श्रेणी का है। मधुकर द्वारा रचित ‘मधुपर्क’ काव्य संग्रह, मुनीश्वर लाल चिंतामणि द्वारा रचित ‘शांति निकेतन की ओर’ तथा सोमदत्त बखारी द्वारा रचित ‘आकाश गंगा’ और ‘तरंगिणी’ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कहानीकारों में दीपचंद, बिहारी, प्रेमचंद मूली, भानुमति नागदान तथा जयनारायण राय को नाटककार के रूप में जाना जाता है। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को ‘फिजी का प्रेमचंद’ कहा गया है। इन्होंने ‘सवेरा’, ‘धरती मेरी माता’, ‘करवट’ आदि उपन्यासों के अलावा ‘इंसान जाग उठा’, ‘देखो वे दीप’, ‘आजादी की किरणें’ आदि नाटकों की रचना की। इंग्लैंड में साहित्य सेवाएं देने वालों में दिव्या माथुर, मोहन राणा, उषा वर्मा, के० जी० खंडेलवाल आदि लेखक भी साहित्यिक रचना में निपुण हैं। साहित्य के क्षेत्र में नेपाल के जगत ज्योतिर्मल्ल तथा जयस्थिति मल का नाम भी उल्लेखनीय है। मानवीर कछिपति ने ‘श्री कृष्ण चरित्र प्यास’ शीर्षक नाम से हिंदी नाटक की रचना की। इसके अतिरिक्त हिंदी की अनेक रचनाओं के दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुए जिससे हिंदी भाषा को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। जापानी प्रोफेसर दोई द्वारा मुंशी प्रेमचंद के ‘गोदान’ उपन्यास का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा चीनी प्रोफेसर जिन डिंगहेन द्वारा ‘रामचरितमानस’ का चीनी अनुवाद, प्रोफेसर ल्यूको नान द्वारा रेणु के मैला आंचल का चीनी अनुवाद भी इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य है। रूसी प्रोफेसर योगेंद्र नागपाल ने हिंदी व्याकरण की रचना की तथा सोवियत संघ द्वारा तुलसीदास कृत ‘रामचरितमानस’ का रूसी भाषा में अनुवाद किया गया जिससे हिंदी का विस्तार हुआ।¹⁵

हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में पत्र-पत्रिकाओं व मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मॉरीशस, नेपाल व सूरीनाम से अनेक पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाता है। भारत से बाहर हिंदी में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संख्या लगभग पच्चीस से भी अधिक है। मॉरीशस से सर्वप्रथम हिंदुस्तानी पत्र प्रकाशित हुआ जो एक साहित्यिक पत्र था। इसके अतिरिक्त डॉक्टर मणिलाल द्वारा संपादित ‘मॉरीशस आर्य पत्रिका’, गजाधर राजकुमार द्वारा संपादित, ‘मॉरीशस मित्र’ पं० काशीनाथ किष्टो के आर्यवीर आदि पत्र प्रकाशित हुए। इंडियन कल्चर रिव्यू, वसंत आभा, रणभेरी दर्पण आदि पत्र पत्रिकाएं भी यहीं से संपादित हुए हैं। म्यांमार में प्रकाशित ब्रह्मदेश नामक पत्रिका फिजी के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘शंख’ पत्रिका वहां नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं। “अमेरिका से ‘विश्वा’ ‘हिंदी जगत’, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक पत्रिका ‘विज्ञान प्रकाश’ हिंदी की दीपशिखा को जलाए हुए हैं तो मॉरीशस के ‘विश्व हिंदी समाचार’, ‘सौरव बसंत’ जैसी पत्रिकाएं हिंदी के सार्वभौम

विस्तार को प्रमाणिकता प्रदान कर रही हैं।⁶

इससे भिन्न ऑनलाइन वेब पत्रिकाएं जिनमें साहित्य, विज्ञान, सिनेमा आधारित पत्रिकाएं शामिल हैं इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। इंग्लैंड विश्व का पहला राष्ट्र है जहां से 1883 में कालाकांकर नरेश के संपादकत्व में 'हिंदोस्थान' पत्र का प्रकाशन हुआ।⁷ अमरदीप और प्रवासिनी पत्र भी यहीं से प्रकाशित हुए इसके अलावा कनाडा के चर्चित पत्रिकाओं में विश्व भारती जीवन ज्योति का नाम उल्लेखनीय है जापान से ज्वालामुखी नामक पत्र प्रकाशित हुआ जिसका प्रकाशन टोक्यो से होता था 'अंक' व 'सर्वोदय पत्र' भी उल्लेखनीय है।⁸

हिन्दी भाषा के संगीत, फिल्मों तथा विज्ञापनों को विदेशों में भी अत्यधिक रुचि के साथ पसंद किया जाता है। जापान, चीन, कोरिया, कनाडा, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरीशस आदि में हिंदी के चैनल प्रसारित किए जाते हैं। इंटरनेट और मीडिया द्वारा भी हिन्दी भाषा का प्रचलन बढ़ा है। गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा भी तेजी से हिंदी भाषा का प्रचार किया जा रहा है। सुधीर पचौरी के शब्दों में "हिंदी मनोरंजन, सूचना और उपभोग का जबरदस्त माध्यम बनी है और उसने बाजार में ऐसा गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपने आसपास बनाया है कि बड़ी से बड़ी बहु-राष्ट्रीय उपभोक्ता कंपनी ब्रांड कैंपेन के लिए हिंदी बाजार में आने के लिए हिंदी को ही अपनाती हैं। हिंदी की ताकत यह भी रही है कि उसे साहित्यकारों, पत्रकारों के अलावा और उनसे ज्यादा हिंदी फिल्मी गानों ने विज्ञापनों ने और बाजार ने बदला है।"⁹

विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए हिंदी में अध्ययन-अध्यापन करवाया जाता है। जापान, श्रीलंका, कनाडा आदि देशों में हिंदी का पाठ्यक्रम कराया जाता है। मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद व सूरीनाम जैसे देशों में हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की गई है। एशिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां हिंदी को उच्चतम शिक्षा तक स्थान मिला है¹⁰ कोलंबो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग स्थापित किया गया है तथा टोक्यो जापान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है। ऐसे ही हमारी मातृभाषा हिंदी तकनीकी क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। कंप्यूटर जैसे यांत्रिक उपकरणों पर हिंदी शब्दावली व देवनागरी लिपि द्वारा तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं। विनय छजलानी ने प्रथम हिंदी पोर्टल वेब दुनिया डॉट काम का विकास करके देवनागरी लिपि को सशक्त किया। उनके द्वारा किया गया यह प्रयास प्रवासी भारतीयों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ। कंप्यूटर के लिए अनेक शब्द संसाधन पैकेज जिनमें देवनागरी सी बेसिक कंप्लीट कम्पाइलर सुलिपी डी० बेस द्विभाषिक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली देवबस आई०बी०एम० हिंदी पी०सी० डॉस, अक्षर विंडोस आदि सुविधाएं हैं भी बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा अनुवादक सॉफ्टवेयर द्वारा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना सरल कार्य हो गया है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आज हिंदी ने केवल भारत अपितु विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया के विभिन्न देशों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ा है। विश्व के अन्य राष्ट्रों में भारतीय संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा एक प्राणदायिनी शक्ति की भांति है जो वैश्विक धरातल पर दिन प्रतिदिन अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करती जा रही है।

संदर्भ सूची :-

1. डॉ० सुरेश माहेश्वरी (सं०) हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर, पृष्ठ—100
2. हिंदी का वैश्विक परिदृश्य (लेख), करुणा शंकर उपाध्याय।
3. डॉ० गोपीकृष्ण राठी 'मधुकर' (सं०) राष्ट्रभाषा हिंदी।
4. हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्व भाषा हिंदी, संस्कृति और समाज, पृष्ठ— 51
5. रामकुमार गुप्त, साहित्य भक्ति और दर्शन का वैभव, पृष्ठ —1231
6. हिंदी का वैश्विक परिदृश्य करुणा शंकर उपाध्याय
7. सिद्धेश्वर प्रसाद, विश्व हिंदी, पृष्ठ— 174
8. वहीं, पृष्ठ 197
9. डॉ० कामराज सिंधु (संपादक), वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की भूमिका, पृष्ठ— 34
10. सिद्धेश्वर प्रसाद, विश्व हिंदी पृष्ठ— 197



प्रवासी भारतीय साहित्य और हिंदी

पूजा
विद्यार्थी,

प्रस्तावना :-

प्रवासी का अर्थ है –प्रदेश में रहने वाला जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर बसे हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में विभिन्न देशों के नागरिक विभिन्न देशों में प्रवास करते हैं। अलग-अलग देशों में रहते-रहते अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन को महसूस करते हैं तथा अपनी विचारधारा को विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य के विशाल वटवृक्ष की विभिन्न शाखाओं में से एक समृद्ध तथा सशक्त शाखा प्रवासी भारतीय शाखा है। हिंदी में प्रवासी साहित्य एक नवयुगीन साहित्यक विमर्श है। हिंदी में इसका प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से माना जा सकता है। 'शुद्रा', 'यही मातृभूमि है' 'मुंशी प्रेमचंद की कहानी हैं। इन कहानियों में मॉरिशस ले जाए गए बंधुआ मजदूरों तथा अमेरिका से लौटे भारतीयों की त्रासदी का वर्णन है।

विस्तार :-

भारत से दूर विभिन्न देशों में बसे भारतीयों के अथक प्रयास से आज भारतीय प्रवासी साहित्य और भी समृद्ध तथा सशक्त हो गया है। यह साहित्य प्राचीन साहित्य से सर्वथा अलग है। प्रौद्योगिकी के इस दौर में प्रवासी भारतीय साहित्य दूर होते हुए भी हमारे बहुत निकट हो गया है। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाधर्मिता के द्वारा हिंदी को विश्व पटल पर प्रफुल्लित तथा पल्लवित किया है। प्रवासी भारतीय साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएं आती हैं यथा उपन्यास, कहानी, कविता एकांकी, यात्रा साहित्य आदि। यह साहित्य वटवृक्ष की एक शाखा की भांति फैला है जिसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार :- ' "एक वटवृक्ष को जानने के लिए केवल उस मिट्टी को ही जानना ही काफी नहीं जिसमें यह पनपता है बल्कि इसकी दूरस्थ की अधिभूमि में इसकी बढ़ती विशालता को जानना भी जरूरी है। तभी इसकी वास्तविक जिजीविषा को समझ सकते हैं। वटवृक्ष की शीतल छाया भी अपनी जन्मभूमि से बहुत आगे तक जाती है.....भारत परदेशों में भी जी सकता है और बढ़ सकता है..... राजनीति के भारत नहीं बल्कि आदर्श भारत।" रविंद्रनाथ टैगोर के कहने का अभिप्राय है कि हम राजनीति से दूर साहित्य के माध्यम से विभिन्न देशों के निकट जा सकते हैं। उनकी संस्कृति और स्वयं की सांस्कृतिक आदान-प्रदान कर सकते हैं।

हिंदी का प्रवासी साहित्य :-

भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले साहित्यकार जिन्होंने हिंदी को ध्यान में रखकर साहित्य का सृजन

किया उन्हें प्रवासी भारतीय साहित्यकार कहते हैं। ये साहित्यकार अमेरिका, मॉरीशस, ब्रिटेन, कनाडा, सूरीनाम आदि अलग-अलग देशों में बसे हुए हैं। प्रमुख प्रवासी साहित्यकार जिन्होंने हिंदी को पल्लवित किया है — सुधा ओम ढींगरा, रचना श्रीवास्तव, हरिशंकर आदेश, अचला शर्मा, उषा राजे सक्सेना, शैल अग्रवाल, उषा प्रियंवदा, कृष्ण बिहारी आदि।

डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार “ हिंदी के प्रवासी साहित्य का रूप-रंग उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए नई वस्तु है, एक नए भावबोध का साहित्य है जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत-प्रेम तथा स्वदेश प्रदेश के द्वंद्व पर टिकी है। तथा बार-बार हिंदू जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उनके प्रति श्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है।”² हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रवासी भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रवासी भारतीय साहित्यकारों ने प्रदेश में धूम मचा दी है। आज हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है।

“अपने भाषा में एक बात बोली,
तेहसे हम्मे बहुत है प्यार,
महतारी भाषा हमार।”³

हिंदी के प्रचार-प्रसार में सबसे अग्रणी नाम ‘हरिशंकर आदेश’ का है। इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। इन्होंने वेस्टइंडीज में भारतीय विद्या संस्थान की स्थापना की है। ये संस्था बी.ए. तक हिंदी पाठ्यक्रम सिखाती है। हरिशंकर आदेश ने हिंदी तथा भारत से संबंधित गीत भी लिखे हैं। इन गीतों को वे स्वयं सिखाते हैं। संगीत के माध्यम से इन्होंने भारतीय हिंदी साहित्य को जिंदा रखा है। इनकी 300 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें खंड काव्य, महाकाव्य, तीस नाटक, एकांकी, जीवनियां तथा भगवतगीता का हिंदी और अंग्रेजी पद्यानुवाद भी शामिल हैं।

उषा प्रियंवदा प्रवासी हिंदी साहित्यकार है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय कथा साहित्य को समृद्ध किया है। इनके कथा साहित्य में छठे और सातवें दशक के शहरी परिवारों को संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है। वह अमेरिका में रहती है। उन्होंने दर्जनों कहानियों तथा उपन्यासों के माध्यम से हिंदी साहित्य को प्रफुल्लित किया है। ‘जिंदगी और गुलाब के फूल’, ‘वनवास’, ‘इतना बड़ा झूठ’, ‘एक कोई दूसरा’, उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ‘पचपन खंभे लाल दीवार’, ‘रुकोगी नहीं राधिका’, ‘शेष यात्रा’ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उषा प्रियंवदा की कहानियां तथा उपन्यास मध्यमवर्गीय समाज के आशा-निराशा, सुख-दुख तथा जीवन संघर्ष पर आधारित है। इनका अधिकांश लेखन नारी विमर्श पर है। इन्होंने भारतीय नारी के त्याग और प्रेम को उजागर किया है। नारी अपने पति तथा परिवार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। मछलियां कहानी की विजी कहती है” नटराजन मुनिष कहा करता था कि प्यार झुक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं, अक्सर मैं सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं क्यों निर्मम कठोर नहीं हो पाती हूँ। ‘पचपन खंभे लाल दीवारें’, मैं उन्होंने सुषमा के माध्यम से भारतीय नारी की छटपटाहट को बखूबी उद्घाटित किया है। मध्यम वर्गीय समाज में परिवार के लिए पढ़ी-लिखी सुषमा नौकरी करते हुए पल-पल बुढ़ी हो जाती है। “सुषमा के जीवन में नील नामक एक पुरुष आता है। अपने जीवन में उसके प्रेम की स्निग्धता और आत्मीयता पाकर सुषमा पुलकित हो उठती है। अपने

प्रेमी की बाहों के मजबूत घेरे में सुषमा अपने सारे पीड़ा और चोट भूल जाती है। क्योंकि नील उसे एक कवच के समान उसकी समस्त आपत्तियों और समस्याओं से बचाए रखता है। अपने ऐसे प्रेमी को भी वह यह कहकर निष्कासित करने के लिए विवश हो उठती है कि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुमसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। पक्षाघात नहीं है। पक्षाघात से पीड़ित बाबू, दो बहने और भाई सब कुछ मुझे करना है।”

प्रवासी लेखकों ने देश-विदेश में समन्वय स्थापित किया है “लेखक संस्कृतियों को निकट लाकर समन्वयवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे सकता है। आर्थिक जगत में वैश्वीकरण की धारणा जिस प्रकार फलीभूत हो रही है और विश्व गांव का स्वप्न देखा जा रहा है। सूचना क्रांति स्वप्न को साकार करती दिखाई पड़ रही है, साहित्य जगत भी विश्व में इस प्रकार का नैकटय लाया जा सकता है। समन्वय सदा से साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गुण रहा है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व भक्ति काल के शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने वर्ग में बंटे समाज के संप्रदायों और विचारधाराओं को समन्वित करने का युग परिवर्तनकारी कार्य किया था। अपनी इस विशिष्टता के कारण ‘रामचरितमानस’ एक सर्वकालीन और सार्वजनिक ग्रंथ बन गया है। आधुनिक युग के महान घुमक्कड़ और विराट व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने देश-विदेश अगम्य क्षेत्रों का न केवल अन्वेषण किया अपितु गंगा और वोल्गा नदियों पर अपनी दार्शनिक दार्शनिक दृष्टि से समन्वयकारी विचारधारा को संतुष्ट किया है। आज प्रवासी साहित्य से जुड़ी बड़ी अपेक्षा समन्वय की है।”⁴

अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट हैं। उनका मॉरिशस में ही जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी लेखनी द्वारा हिंदी को समृद्ध किया है तथा विभिन्न उपन्यासों द्वारा इन्होंने भारतवंशियों की पीड़ा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। मॉरिशस तथा फीजी में हिंदी खूब पढ़ी-लिखी जाती है। “फिजी में माता-पिता अपने बच्चों को हिंदी इसलिए नहीं पढ़ाते कि इसमें रोजगार की संभावनाएं हैं बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे।”⁵

सुधा ओम ढींगरा ने भी हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया है। अमेरिका में मस्त भारतीय पीढ़ी के बीच त्रस्त चित्र उनकी कहानियों में दिखाई देते हैं। ‘कौन सी जमीन अपनी’, ‘सूरज क्यों निकलता है’, ‘टारनेडो’ उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ‘टारनेडो’ कहानी भारत की याद और खुशबू की कहानी है। इनकी कहानी ‘सूरज क्यों निकलता है’ प्रेमचंद की कहानी ‘कफन’ की याद दिलाती है। इस कहानी के पुरुष पात्रों जेम्स व पीटर को लेखिका ने मिट्टी में वैसे ही गढ़ा दिया था जैसे घीसू और माधव को गढ़ा दिया था।

उषा राजे सक्सेना प्रवासी हिंदी रचनाकार हैं इनकी हिंदी संबंधित रचना विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में छपती रही है। उनकी कर्मभूमि इंग्लैंड हैं। उषा राजे सक्सेना याक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हैं। इनके लेखन में लंदन में बसे भारतीयों की कहानी हैं। ‘वह रात’ इनकी बहुत चर्चित कहानी है। यह एक मां तथा उसके छोटे बच्चे की कहानी है। कल्याणकारी राज्य की भूमिका पर केंद्रित यह कहानी इंसान की मर्मस्पर्शी संवेदना को निचोड़ कर रख देती है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति इनके साहित्य में खूब रची-बसी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दिया है। निःसंदेह ये एक प्रख्यात भारतीय मूल की परदेशी लेखिका हैं।

डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी लंदन में भारतीय उच्चायुक्त थी। हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से हिंदी के प्रति सजगता हुई है। पुरवाई पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। रचना श्रीवास्तव भारतीय मूल की

अमेरिका में बसी साहित्यकार है। उनकी लेखन, अभिनय और संगीत में गहरी रुचि है। उनके लेख अनुभूति, हिंदी पुष्प, स्वर्ग विभा, हिंदी मीडिया में प्रकाशित होते रहते हैं। वे डैलेस में रेडियो संचालक भी रह चुकी हैं। उनकी 'पार्किंग' कहानी बहुत प्रसिद्ध है। 'पार्किंग' कहानी के माध्यम से उन्होंने रिश्ते के प्रति सोच आत्मीयता तथा त्याग को दर्शाया है। तथा पुरुष की स्वार्थी मानसिकता को उजागर किया है।

कृष्ण बिहारी भी प्रवासी हिंदी साहित्यकार है। ये अबूधाबी में वरिष्ठ हिंदी अध्यापक है। इन्होंने नाटक उपन्यास लिखने के साथ-साथ निर्देशन का कार्य भी किया है। इनके तीन उपन्यास तथा तीन गीतों का संकलन हुआ है। मॉरीशस में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ कृष्ण बिहारी द्वारा रचित उपन्यास 'पहला कदम' से माना जाता है। जोगिंदर सिंह कंवल ने फिजी में भारतीय उपन्यासों को प्रफुल्लित किया है। उन्होंने भारतीयों के जीवन को आधार बनाकर चार उपन्यास लिखे हैं— 'सात समुंदर पार', 'धरती मेरी माता', 'करवट' तथा 'सवेरा'। 'सात समुंदर पार' निर्मला के जीवन की दर्दनाक कहानी है। 'सवेरा' उपन्यास फीजी में गन्ने के खेतों में तथा चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों की कथा है।

सुषम बेदी की रचनाएं हिंदी की अनेक विधाओं में रचित हैं। वह अमेरिका के न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर है। 'मैंने नाता तोड़ा' और 'हवन' इनके प्रमुख उपन्यास हैं। 'चिड़िया और चील' तथा 'सड़क की लय' इनके दो कहानी संग्रह हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति तथा पश्चिमी संस्कृति के बीच प्रवासी भारतीयों के मानसिक अंतर्द्वंद को चित्रित किया है। वे कहती हैं "लिखने के मूल में मेरा भारत छोड़कर चले आना ही था। यहां के अलग तरह के अनुभव, नए तरह का रहन-सहन, नए तरह के लोग भाषा संस्कृति, भारत की स्मृतियां और नॉस्टेल्लिज्या सभी मेरे अंतर्मन को आंदोलित करते रहते थे। मुझे मानवीय रिश्ते के बीच व्यक्ति की पहचान, मानव मन की गुत्थियां, उलझनों को समझने की, उनकी पड़ताल में गहरे उतरते चले जाने में हमेशा रुचि रही है। लोगों को उन विसंगतियों को जीते देखा है, उन विडंबनाओं को देखा है, उन्हीं में से चरित्र उठाए हैं और पहचानी स्थितियों में उतरकर चरित्रों का विकास किया है। जितना नजदीक जाती हूं उतना ही उसकी विसंगतियां देखती हूं और उन्हीं के जरिए मैं हिंदी के यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करती हूं।"⁶

"आज अमेरिका में हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों में एक विशेष प्रेम दिखाई देता है जो 60 और 70 के दशक में नहीं था।"⁷

प्रौद्योगिकी के इस दौर में भारतीय प्रवासी साहित्यकारों की रचना तथा हिंदी भाषा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से विकास हुआ है। "1990 के दशक के बाद भारतीयों का हिंदी के प्रति उत्साह कई कारणों से यकीनन बढ़ा है। एक तो भारतीयों का भारत से तथा उसकी भाषाओं से इंटरनेट व्हाट्सएप और फोन के कारण नाता गहरा हो गया।"⁸

निष्कर्ष :-

इस प्रकार प्रवासी भारतीय साहित्य और हिंदी का आपस में गहरा संबंध है। हिंदी भाषा तथा साहित्य को विश्व स्तर पर सशक्त बनाने में प्रवासी भारतीय लेखकों का अथक प्रयास जारी है। आज हिंदी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है तथा विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हरिशंकर आदेश, सुधा ओम ढींगरा, अचला शर्मा, उषा प्रियंवदा, डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, उषा राजे सक्सेना, रचना श्रीवास्तव आदि प्रमुख साहित्यकार हैं।

जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को विश्व पटल पर सुरक्षित रखा हैं। प्रवासी भारतीय साहित्य लेखन की परंपरा लंबे समय तक बनी रहे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति तथा विदेशी संस्कृति की जानकारी सहज ही मिलती रहे।

संदर्भ-सूची :-

1. प्रवासी भारतीयों में हिंदी की कहानी, सुरेंद्र गंभीर पृष्ठ- 61, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण -2017
2. कमल किशोर गोयनका, विश्व हिंदी रचना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली 2003
3. प्रवासी भारतीयों में हिंदी की कहानी, सुरेंद्र गंभीर, प्रकाशन ज्ञानपीठ, संस्करण-2017, पृष्ठ- 78
4. वर्तमान साहित्य संपादक-कुंवरपाल सिंह, नमिता सिंह प्रवासी हिंदी लेखन तथा भारतीय हिंदी लेखन, उषा राजे सक्सेना (जनवरी-फरवरी 2006) पृष्ठ-62
5. विश्व हिंदी पत्रिका 2010, संपादक- गंगाधर सिंह सुखलाल, पृष्ठ- 29
6. सुषम बेदी, प्रवासी भारतीयों का साहित्यिक उपनिवेशवाद, हंस, अक्टूबर- 2001
7. प्रवासी भारतीयों में हिंदी की कहानी, सुरेंद्र गंभीर, प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 2017, पृष्ठ -158
8. वही पृष्ठ- 159



हिंदी भाषी पत्रकारिता में रोजगार के अवसर : एक अध्ययन

सीमा, विद्यार्थी, एम.ए. अंतिम वर्ष

शिवकुमार, सहायक प्रोफेसर,

मीडिया एवं संचार अध्ययन विभाग, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

सारांश :-

भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार 'उदंत मार्तंड द राइजिंग' सन् 5 मई 1826 को शुरू हुआ। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिन्हित किया था। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था लेकिन आज हिंदी भाषा का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हिंदी भाषी पत्रकारिता में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और उभरते अंतरराष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी ज्यादा उपलब्ध है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूज रीडर्स, उप संपादकों, आदि की बहुत आवश्यकता है। इस शोध अध्ययन में हमने द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया है। इस शोध अध्ययन में हमने व्याख्यात्मक विधि का प्रयोग किया है। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। विविध क्षेत्रों में इसकी स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से हिंदी को नई दृष्टि से देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन् 1949 में इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था।

इसी कारण हम हर साल आज के दिन हिंदी को कुछ ज्यादा ही याद करते हैं। चूंकि हिंदी दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा, मातृभाषा है, इसलिए ऐसी भाषा के लिए केवल एक दिन कैसे हो सकता है! जिस तरह एक घर में मां के बिना घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा और वह भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसे दिल से जोड़ना होगा। आज के समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे-धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है। अंग्रेजी के अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा

कारण व्यवसाय है। शौकिया रूप से किसी भाषा को सीखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है।

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग एक सौ सैंतीस देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः सौ करोड़ है। नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक बृहतर भारत के अंग थे। यहां हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही हैं। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित हैं। उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसे देवनागरी में लिखा जाए तो वह हिंदी ही है। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है, बल्कि बोलती भी है। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदमताल करती दिखाई दे रही है। जब भी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती है और वह है रोजगार की संभावना। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से नई दृष्टि से हिंदी को देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत स्वरूप और अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती हैं, उसकी प्रयोजनीयता की भी संभावनाएं होती हैं। यह संभावनाएं हिंदी में भी हैं।

हिंदी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों को दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस-विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उपविभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप-प्रबंधकों के रूप में रखे जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद बनाए गए हैं। हिंदी भाषा और रोजगार : आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है।

हिंदी भाषा और रोजगार :-

आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। विविध क्षेत्रों में इसकी स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से हिंदी को नई दृष्टि से देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। देशभर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में इसी दिन हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी कारण हम हर साल आज के दिन हिंदी को कुछ ज्यादा ही याद करते हैं। चूंकि हिंदी दिल की भाषा है, संवेदना की भाषा है, जीने की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा, मातृभाषा है, इसलिए ऐसी भाषा के लिए केवल एक दिन कैसे हो सकता है! जिस तरह एक घर में मां के बिना घर, परिवार और उस घर के बच्चे अधूरे हैं, उसी

तरह हिंदी भाषा के बिना भारत और भारतीयता अधूरी है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा और वह भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसे दिल से जोड़ना होगा। आज के समय में किसी भाषा या बोली के जीवित रहने के लिए मात्र साहित्य की नहीं, बल्कि उसे व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार की भाषा बनाने की भी जरूरत होती है। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती, वह धीरे-धीरे एक संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है। अंग्रेजी के अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का सबसे बड़ा कारण व्यवसाय है। शौकिया रूप से किसी भाषा को सीखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग किसी न किसी व्यावसायिक कारण से ही किसी अन्य भाषा को सीखते हैं। आज हिंदी भाषा और साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है।

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग एक सौ सैंतीस देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की कुल संख्या अनुमानतः सौ करोड़ है। नेपाल, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं, जिनमें से अनेक बृहतर भारत के अंग थे। यहां हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। नेपाल की भाषाएं हिंदी की विभाषाएं ही हैं। बर्मा और भूटान की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उर्दू और बांग्ला प्रचलित हैं। उन्हें यदि देवनागरी में लिख दिया जाए तो वे हिंदी से भिन्न प्रतीत नहीं होंगी। जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में जो उर्दू बोली जाती है, उसे देवनागरी में लिखा जाए तो वह हिंदी ही है। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी समझती है, बल्कि बोलती भी है। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी कदमताल करती दिखाई दे रही है। जब भी भाषा का विस्तार और विकास होता है, तब उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती है और वह है रोजगार की संभावना। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन और वैश्विक रूप ने रोजगार की अनेक संभावनाओं को उजागर किया है। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रयोजनीयता बढ़ने से नई दृष्टि से हिंदी को देखा जा रहा है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है।

भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ हिंदी का परंपरागत स्वरूप और अध्ययन व्यावहारिक हो गया है। हर जीवित भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमिता की संभावनाएं होती हैं, उसकी प्रयोजनीयता की भी संभावनाएं होती हैं। यह संभावनाएं हिंदी में भी हैं। हिंदी में आज कई तरह से रोजगार के मौके सामने आए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों को दफ्तरों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया गया है। आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस-विज्ञप्ति, निविदा, अनुबंध व विभिन्न प्रारूपों को हिंदी में बनाना और जारी करना अनिवार्य है। इसका सीधा-सा अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के सभी विभागों, उपविभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप-प्रबंधकों के रूप में रखे जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद बनाए गए हैं।

निजी क्षेत्र में भी बैंकिंग कारोबार बढ़ाने के लिए उपनगरों व ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों को भर्ती कर उन्हें स्थानीय भाषा में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा अनुवाद आज सबसे बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। न केवल साहित्यिक किताबों बल्कि मीडिया, फिल्म, जनसंपर्क, बैंकिंग क्षेत्र, विज्ञापन आदि सभी जगहों पर अनुवाद करने वालों की काफी मांग है। टीवी पर तमाम चैनलों के मूल अंग्रेजी कार्यक्रम हम रोज हिंदी में देखते हैं। दर्शकों और पाठकों को यह सुविधा अनुवाद के जरिए ही मिलती है।

इसीलिए आज अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की बहुत मांग है।

विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा कर दी है, जिसका बोध हमें विगत वर्षों में विज्ञापन पर लगातार बढ़ते जा रहे भारी-भरकम खर्च से पता चलता है। भारत में विज्ञापन का कारोबार हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें भी हिंदी में विज्ञापनों का बाजार तेजी से बढ़ा है। खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों जो पूरी तरह से हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं, विज्ञापन बाजार पर हिंदी का ही कब्जा है। कारोबार के हिसाब से देखें तो देश भर में आठ सौ से ज्यादा मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां हैं। आज भारतीय विज्ञापन उद्योग ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है, भले ही यहां तक पहुंचने में उसे एक लंबा सफर तय करना पड़ा हो। इसलिए विज्ञापन की दुनिया में ही कई क्षेत्र हैं जिसमें हमेशा ही रोजगार के नए अवसर बनते रहते हैं और अब हिंदी भाषियों के लिए काफी संभावनाएं सामने आई हैं।

हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोजगार के एक आकर्षक विकल्प के रूप में सामने आया है। इस समय सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले समाचार चैनलों में दो तिहाई से अधिक हिंदी भाषा के ही हैं। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र-पत्रिकाएं हैं जो योग्य उम्मीदवारों को मौका दे रहे हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों आदि में रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं। फील्ड में रिपोर्टर, प्रेस फोटोग्राफर, संपादकीय विभाग में उपसंपादक, कॉपी राइटर, उदघोषक के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो जॉकी एक ऐसा कैरियर है जिसमें आपकी आवाज देश-दुनिया में सुनी जाती है। ब्लॉग लेखन भी इन्हीं विकल्पों का एक शानदार उदाहरण है।

ऑनलाइन हिंदी शिक्षण के कई निजी पाठ्यक्रम स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयासों के रूप में देखे जा रहे हैं। संचार-सूचना प्रौद्योगिकी में दिनों-दिन बढ़ रही हिंदी की उपयोगिता और अनिवार्यता अधिक से अधिक कार्य-सक्षम युवाओं को रोजगार दिला रही है। ऑनलाइन खरीद और मार्केटिंग और विकीपीडिया के लिए हिंदी में लेखन सृजनात्मक संतुष्टि के साथ वित्तीय लाभ का अवसर भी दे रहा है।

बड़े-बड़े उद्योग समूहों का कामकाज भले ही अंग्रेजी में चलता हो, लेकिन इन कारपोरेट दफ्तरों में हिंदी भी पूरे सम्मान के साथ मौजूद है। अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, लेकिन हिंदी जानने वालों के लिए खास जगह और तरक्की के सुनहरे मौके हैं। ज्यादातर जनसंपर्क कंपनियां ही कारपोरेट म्युनिकेशन यानी जनसंपर्क का काम करती हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि 2016 में देश में जनसंपर्क कंपनियों का कारोबार 1120 करोड़ का रहा है और 2020 तक बढ़ कर 2100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जाहिर है, हिंदी वालों के लिए यह एक सुनहरा क्षेत्र है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं कि हिंदी में है दम और इस हिंदी के दम पर हम दुनिया में परचम लहरा सकते हैं।

मूल शब्द :- हिंदी पत्रकारिता, समाचार पत्र, रोजगार, प्रिंट मीडिया, पत्रिका।

शोध के उद्देश्य :-

1. हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर का अध्ययन करना।
2. ब्लॉग वेबसाइट और मोबाइल ऐप में हिंदी भाषा के बढ़ते चलन का अध्ययन करना।

3. हिंदी पत्रकारिता द्वारा मीडिया के विभिन्न माध्यमों में रोजगार की चर्चा करना।

शोध की परिकल्पना :-

1. समाचार पत्र व पत्रिकाओं में शिक्षण की अपेक्षा रोजगार के अधिक अवसर होते हैं।
2. जनसंपर्क, प्रिंट शिक्षण के क्षेत्र में रोजगार के समान अवसर होते हैं।

शोध की सीमाएं :-

1. इस शोध के अंतर्गत हम हिंदी समाचार पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे।
2. इस शोध के अंतर्गत हम हिंदी विषय से संबंधित विषय वस्तु को अध्ययन में शामिल करेंगे।

प्रस्तावना :-

आज के समय में हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है, यह हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी वजह से आज के समय में कई लोगों को रोजगार भी मिला है। हिंदी भाषा और रोजगार का काफी गहरा संबंध है। आज के समय में जिन लोगों को अच्छी हिंदी आती है। इनके पास रोजगार के कई अवसर होते हैं। आज हम देखे तो गूगल और यूट्यूब में भी हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हिंदी भाषा में आपको यूट्यूब पर अंशारी वीडियो भी देखने को मिलेंगे एवं कई सारी वेबसाइट आपको हिंदी भाषा में पढ़ने को मिलेंगी। कई सारे लोग इस अपनी मातृभाषा हिंदी में वीडियो बनाकर रोजगार प्राप्त करते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते है कई सारे लोग हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं।

वास्तव में हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो तेजी से लोगों के बीच में लोकप्रिय होती जा रही है यह भारत देश के ज्यादातर लोगों को पसंदीदा भाषा बन चुकी है। हिंदी भाषा के जरिए बहुत से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत में यदि आप किसी शहर या राज्य में जाते हैं तो आपको हिंदी भाषा आना जरूरी है क्योंकि हिंदी स्कूलों की भी मातृभाषा है यह स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आप हिंदी भाषा के जरिए लोगों की समझ अपनी बात रख सकती हैं।

हिंदी भाषा लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफार्म पर हिंदी का बोलबाला है। इसके साथ ही हिंदी में रोजगार या करियर बनाने के विकल्पों में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वर्तमान में युवा पीढ़ी इससे दूर अंग्रेजी की ओर रुख करने लगी है। हिंदी भाषा का ज्ञान वर्तमान में युवाओं और बेरोजगारों के लिए रोजगार के कई द्वार खोलता है। बस वहां तक पहुंचने की जिज्ञासा और रुचि जगाना जरूरी है। हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या 55 करोड़ से ज्यादा है, वही हिंदी समझ सकने वाले लोगों की संख्या करीब एक अरब से भी ज्यादा है।

प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच और संस्थाओं में हिंदी के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्म पर अब हिंदी का ही दबदबा है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी में कैरियर की भी बहुत संभावना है।

केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो अपने यहां हर प्रकार

से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी में कामकाज को सुगम बनाते हैं। यदि आप हिंदी विषय में स्नातक है और एक विषय के रूप में अंग्रेजी भी पढ़ी है तो राजभाषा अधिकारी के रूप में करियर बनाया जा सकता है। हिंदी का अध्ययन करने वालों के बीच अध्यापन एक पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में लोकप्रिय है। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के अवसर योग्यता अनुसार उपलब्ध रहते हैं। समय-समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं इस में अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल सकते हैं जिसके माध्यम से शोध कार्य करने वाले शोधार्थियों को हर महीने 30,000 छात्रवृत्ति दी जाती है। परीक्षा पास करने वालों को महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक और व्याख्या दाता के रूप में नियुक्ति के अवसर मिल सकते हैं।

निष्कर्ष :-

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास न केवल समृद्ध है बल्कि व्यापक भी है। समय-समय पर हिंदी पत्रकारिता ने अपने स्वरूप को बदला है। समाचार चौनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चौनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जो योग्य उम्मीदवारों को मौका दे रहे हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चौनलों आदि में रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं।

संदर्भ सूची :-

1. <https://www.jagran.com/haryana/rohtak-16201187.html>.



हिन्दी भाषा में रोजगार के खुलते द्वार

डॉ. सीमा कुमारी

सहायक प्राध्यापिका (हिन्दी विभाग), राजकीय महाविद्यालय, बादली, झज्जर, हरियाणा।

14 सितम्बर 1949 को हिन्दी भाषा ने संविधान में अपनी जगह बना ली थी। लगभग हमारी भाषा में 2 करोड़, 1 लाख और 50 हजार शब्द हैं। इसी दम पर आज यह हमारी मात्र राजभाषा न होकर रोजगार देने वाली भी बन गई है और प्रतिदिन अपना वर्चस्व भारत से लेकर विश्व भर में साबित कर रही है। क्योंकि वर्तमान के वैश्वीकरण और निजीकरण के समय में अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने एक-दूसरे देशों की भाषाओं को सीखने की आवश्यकता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। एक-दूसरे देश के साथ सहयोग एवं विकास की भावना के कारण हिंदी की लोकप्रियता अन्य देशों में बहुत अधिक बढ़ी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका के कुछ स्कूलों में फ्रेंच, स्पैनिश और जर्मन के साथ एक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को शुरू करने का फैसला है। इससे भी हिंदी की वैश्विक प्रतिष्ठा बनी है। हिंदी के तकनीकी विकास ने भी पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान बना दी है।

भारतीय भाषा हिंदी के तकनीकी भाषा के रूप में विकास की शुरुआत 1991 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग मिशन टी.डी.आई.एल. के साथ शुरू हुई। भारतीय भाषाओं की समृद्धि को देखते हुए इसे मिशन मानते हुए कई गतिविधियाँ शुरू हो गईं। इसके बाद 1991 में यह निश्चित किया गया कि संवैधानिक रूप से हिंदी सहित प्रत्येक स्वीकृत भाषाओं के लिए तीन मिलियन शब्द का संग्रह विकसित किया जाएगा। इसके बाद हिंदी कार्रपोरेशन का विकास आई.आई.टी. दिल्ली को सौंपा गया। 1981-1991 के दौरान हिंदी से संबंधित स्रोत किताबों, पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र और सरकारी दस्तावेजों में प्रकाशित किए गए थे। इसमें छह मुख्य विभाग, सौंदर्यशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, वाणिज्य, आधिकारिक और मीडिया भाषा और अनुवादित सामग्री शामिल हैं। शब्द स्तरीय टैगिंग के लिए सॉफ्टवेयर उपकरण, शब्द गणना, पत्र गणना, आवृत्ति गणना भी विकसित की गई है। विभिन्न संस्थानों द्वारा हिंदी में पठनीय मशीन के लगभग 30 लाख शब्द विकसित किए गए हैं। हिंदी के इस तकनीकी विकास में हिंदी वर्ड प्रोसेसर की भी बहुमूल्य भूमिका है।

कई संस्थानों ने हिंदी वर्ड प्रोसेसर का निर्माण कर हिंदी के विकास को गति प्रदान की है। इसके साथ-साथ 1991 में सरकार द्वारा जी.आई.एस.टी., शेलिपी, सुलीपी, ए.पी.एस., अक्षर विकास कार्यक्रम के तहत कई संस्थानों (सिद्धार्थ 1983 में डी.सी.एम.), लिपी (हिंदीट्रॉनिक्स 1983), आई.एम.एम., लिपी ऑफिस (सी.डी.ए. सी., पुणे) के साथ कई अन्य संस्थानों ने भी हिंदी वर्ड प्रोसेसर का भी निर्माण किया है। पुणे स्थित सी.डी.ए.सी. संस्थान ने जी.आई.एस.टी. प्रौद्योगिकी की शुरुआत की, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का

प्रयोग किया जा सके। यह इनफॉर्मेशन इंटरचेंज, स्क्रीन पर उसका प्रदर्शन एवं विशेष फॉन्ट (आई.एस.एफ.ओ.सी.) के लिए भारतीय स्क्रिप्ट कोड का प्रयोग करता है। इसके साथ ही यह विभिन्न स्क्रिप्ट्स (आई.एन.एस.सी. आर.आई.पी.टी.) आदि के लिए कुंजीपटल ले-आउट का इस्तेमाल करता है।

विश्व-भर में जिस तरह हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उसी तरह हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारों (हिंदी भाषी राज्यों) के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों और केंद्रीय-राज्य सरकारों की इकाईयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, प्रबंधक (आधिकारिक भाषा) जैसे कई पद होते हैं, जहाँ नियुक्तियाँ की जाती हैं। विदेशों में भी ऐसे बहुत से हिंदी संबंधी अनेक कार्य हैं जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं। हाल ही में भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की इस वैश्विक स्थिति पर गहन विचार-विमर्श हुए हैं। सम्मेलन के समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा—एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह भाषा हमारे जीवन-मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। जब विश्व के 177 देशों की मान्यता के साथ 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया जा सकता है तो हिंदी भाषा को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की सूची में शामिल क्यों नहीं किया सकता, जबकि इसके लिए तो सिर्फ 127 देशों के समर्थन की ही आवश्यकता है।

तीन दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते उनके उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी भाषा वैश्विक पटल पर भी तकनीक और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में विस्तार और बड़े बाजार की अनंत संभावनाएँ समेटे हुए हैं। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियाँ इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गूगल के आंकड़ों के मुताबिक आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा मौलिक विषय वस्तु (कंटेंट) हिंदी भाषा में रचे जा रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे अपने उत्पादों के नाम सहित अन्य विवरण हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने के बारे में विचार करें। श्री सिंह ने कहा कि बहुत सरल, सहज, और सुगम भाषा होने के साथ दुनियाभर में भली प्रकार समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी आज मात्र भाषा ही नहीं है वो एक रोजगार का नया माध्यम बनके हमारे समक्ष अपने आधुनिक रूप में विराजमान है। हिंदी जिसका जन्म ही विश्व कल्याण की भावना से हुआ है, भूमंडलीकरण के इस दौर में हिंदी भारत की सीमा तोड़ विश्व के हर कोने में पहुँच किसी-न-किसी रूप से प्रयुक्त हो रही है।

आज हिंदी की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसमें रोजगार के अनेक अवसरों को भारतीय व वैश्विक निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत आँका जा सकता है :-

1. शिक्षा की हिंदी
2. साहित्य की हिंदी
3. मीडिया और जनसंचार की हिंदी
4. फिल्मों और टेलीविजन की हिंदी।

सर्वप्रथम यदि शिक्षा की बात की जाए संपूर्ण विश्व में आज हिंदी सीखने का उत्साह देखा जा सकता है। हिंदी आज विदेशों में रहने वाले भारतीयों के गौरव की भाषा है वे अपनी सभ्यता और संस्कृति, रीति रिवाज

और परंपराएँ विदेशों में रहकर भी भूलना नहीं चाहते, वे जानते हैं कि भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस इतिहास को वे अपने बच्चों को हिंदी भाषा सीखने के साथ समझाना चाहते हैं। हर वह भारतीय जो पूरे विश्व के किसी भी कोने में जीविकोपार्जन के लिए रह रहा है अपनी भाषा के प्रति उसका रुझान खत्म नहीं हुआ है बल्कि समय के साथ और हिंदी की उपयोगिता को देखते हुए बढ़ता ही गया है। यही कारण है कि विदेशों में हिंदी अध्यापकों की व हिंदी पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, इससे एक ओर जहाँ हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी में अध्यापकों व प्राध्यापकों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। हिंदी भाषा में स्नातकोत्तर की योग्यता रखने वाले लोगों को विदेशी देशों में भी नौकरी का अवसर मिल सकता है। खासकर उन लोगो ने जिन्होंने अपनी पी.एच.डी. पूरी कर रखी है। विदेशी विश्वविद्यालय व स्कूलों में हिंदी पढ़ाना व विदेशी भाषाओं के साथ-साथ दूसरी भाषा के रूप में स्थित भारतीय दूतावासों में भी हिंदी के दम पर रोजगार पाया जा सकता है। भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक शिक्षक और प्रोफेसर के रूप में हिंदी पढ़ाने का कार्य शुरू से चल ही रहा है।

साहित्य की दृष्टि से यदि देखें तो हिंदी आज पूरे विश्व में बसे भारतीय लेखकों के कारण साहित्य की साधना भी बन चुकी है। इतना ही नहीं विदेशी लेखकों के बीच भी अपनी पुस्तक को हिंदी में लिखा हुआ पाना खुद में एक गौरव की अनुभूति करवाता है। वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाने वाले किताबों के प्रकाशन भी हिंदी भाषी लोगो के बीच पैठ बनाने की कौशिश कर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रमुख बहुराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थानों ने न सिर्फ हिंदी भाषा में किताबों का प्रकाशन करना शुरू किया है बल्कि पुरानी और लोकप्रिय किताबों को बड़े पैमाने पर हिंदी अनुवादित कर प्रकाशित भी किया है। एक विचारक के अनुसार हिंदी साहित्य के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण साहित्यकारों की गरीबी और साहित्य मुद्रण में होने वाला अत्यधिक खर्च रहा है, परंतु आज स्थिति बदल गई है।

प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ली है और आज साहित्य का प्रकाशन इ-बुक और इ-मैगजीन के रूप में हो रहा है जिससे साहित्य रचना का लाभ साहित्यकारों से लेकर पाठकों को आसानी से मिल पा रहा है। भारत के बाहर विदेशों में भी हिंदी साहित्य रचना का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दो सौ से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय हैं जिनकी पुस्तकें छप चुकी हैं। अमेरिका से विश्व हिंदी जगत प्रयास साहित्यकुंज तथा वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रकाश, हिंदी की दीपशिखा को जलाए हुए हैं तो मॉरीशस से विश्व हिंदी समाचार, सौरभ वसंत जैसी पत्रिकाएँ हिंदी के सार्वभौम विस्तार को प्रमाणिकता प्रदान कर रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात से वेब पर प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रिकाएँ अभिव्यक्ति और अनुभूति पिछले कई वर्षों से लोकमानस को तृप्त कर रही हैं। फिजी सरकार सूचना-मंत्रालय के माध्यम से नवज्योति नामक त्रैमासिक हिंदी-पत्रिका का भी प्रकाशन करती है, जिसका विषय सरकारी कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित होता है। आस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स से मासिक पत्रिका हिंदी समाचार पत्रिका, ब्रिटेन से प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी-पत्रिका प्रवासिनी पुरवाई, बर्मा से मासिक पत्रिका ब्रह्मभूमि, गुयाना से मासिक पत्रिका ज्ञानदा, सूरीनाम से आर्य दिवाकर और मासिक पत्रिका सरस्वती आदि का प्रकाशन हिंदी के विश्वव्यापी विस्तार का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

विदेशों में हिंदी के बढ़ते साहित्य प्रयोग ने इसके लिए रोजगार के मार्ग भी खोल दिये हैं। विदेशों में

विदेशी लेखक अपनी भाषा में अपने लेख लिखते हैं उन लेखों का अनुवाद भी हिंदी में किया जा सकता है। हिंदी/अंग्रेजी में फिल्मों/विज्ञापन के लिये का अनुवाद भी ऐसा ही कार्य है। इसी तरह द्विभाषी दक्षता रखकर कोई भी फ्रीलांस अनुवादक के रूप में अपनी आजीविका अर्जित कर सकता है और अपनी अनुवाद कम्पनी भी स्थापित कर सकता है। ऐसी कम्पनी अनुबंध के आधार पर काम करती है और कई पेशेवर अनुवादकों को रोजगार प्रदान करती है। विदेशी एजेन्सियों के पास अनुवाद परियोजनाओं के बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं। यह काम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। पूरी दुनिया में सीस्ट्रान, एस.डी.एल., इंटरनेशनल डेट्राइट ट्रांसलेशन ब्यूरो, प्रोज इत्यादि कई कंपनियाँ कई भाषाओं में अनेक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं। जिनमें से एक भाषा हिंदी है। अन्य कम्पनियाँ इन कंपनियों से अनुबंध के आधार पर भाषाएँ सेवाएँ मांगती हैं। आमतौर पर इन कंपनियों में कैरियर के अवसर स्थायी या फ्रीलांस अनुवादकों और दुभाषियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। किसी भी साहित्य प्रेमी और हिंदी के ज्ञानी व्यक्ति के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि उसको उसकी भाषा के माध्यम से विदेश में रोजगार प्राप्त हो।

भूमंडलीकरण के दौर में मीडिया की भूमिका किसी से छुपी नहीं है आज का युग सुचना और क्रांति का युग है। ऐसे में एक दुनिया की खबर दूसरी दुनिया तक पहुँचाने का काम मीडिया ही कर रहा है। विश्व-भर में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भाषा के रूप में हिंदी का वर्चस्व स्थापित है। मेरे विचार ब्लॉग पर सुस्मित सौरभ अपने एक लेख में लिखते हैं कि यदि बात जनसंचार के माध्यमों में भागीदारी की करें तो हिंदी का स्थान भारत में ही नहीं विश्व में भी सर्वोपरि है। फिर बात समाचार पत्र की हो या रेडियो की, या उपग्रह चैनल, गुगल, टिवटर, व्हाट्सएप, सोशल साइट्स और ब्लाग की। आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार-पत्रों में आधे से अधिक हिंदी के हैं। यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक समाचार-पत्र हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होते हैं। इसका आशय यही है कि पढ़ा-लिखा वर्ग भी हिंदी के महत्व को समझ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, मॉरीशस, चीन, जापान, कोरिया, मध्य एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, तथा अमेरिका तक में हिंदी कार्यक्रम उपग्रह चैनलों के जरिए प्रसारित हो रहे हैं और भारी तादाद में उन्हे दर्शक भी मिल रहे हैं। आज मॉरीशस में हिंदी सात चैनलों के माध्यम से धूम मचाए हुये है।

विगत दो दशकों में एफ.एम. रेडियो के विकास से हिंदी कार्यक्रमों का नया श्रोता वर्ग पैदा हो गया है। बी बी सी लंदन, रेडियो रूस, रेडियो डायचेवेल जैसे कई महत्वपूर्ण रेडियो चैनल हैं जो कई दशकों से हिंदी में कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जिससे हिंदी के विस्तार को काफी बढ़ावा मिला है। फिजी में रेडियो नवरंग ऐसा रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे हिंदी कार्यक्रम पेश कर रहा है। भारत में टेलीविजन के समाचार के चैनल की बात की जाये तो अधिकतर चैनल हिंदी भाषा में ही समाचार प्रस्तुत करते हैं। दिन-प्रतिदिन इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इंटरनेट पर हिंदी के अनेक पोर्टल हैं। फेसबुक, व्हाट्स एप्प, टिवटर, ब्लाग आदि पर हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में भी लिखी जाने लगी है। जो कुछ वर्ष पूर्व रोमन में लिखी जाती रही थी। इंटरनेट पर हिंदी ब्लाग की बाढ़ सी आ रखी है। देश ही नहीं विदेशों से भी ब्लाग लेखन का काम हिंदी में हो रहा है और साथ ही साथ लोग विदेशों में इन्हे बड़ी सजगता से पढ़ भी रहे हैं। इस प्रकार इंटरनेट जैसे वैश्विक माध्यम पर हिंदी में सोशल साइट्स ब्लाग इत्यादि की उपस्थिति हिंदी भाषा के विस्तार को सहजता से अभिलक्षित करती

हैं।

निजी टीवी और रेडियो चैनलों के आगमन और स्थापित पत्रिकाओं समाचार-पत्रों के हिंदी संस्करणों के विकास के कारण इन क्षेत्रों में भी नौकरियों के अवसर में कई गुणा इजाफा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी संपादकों, पत्रकारों, संवाददाताओं, उप-संपादकों, प्रुफ रीडर, रेडियो जॉकी, एंकर आदि की आवश्यकता होती है। जो पूरे विश्व में कहीं भी रहकर अपने देश व उस देश की एजेन्सियों से जुड़े हुये होते हैं। इन लोगों का अधिकांश कार्य भी हिंदी में ही होता है। हिंदी में शैक्षणिक योग्यता रखने के साथ साथ पत्रकारिता/जनसंचार में डिग्री/ डिप्लोमा की योग्यता के साथ अभ्यर्थी एक से अधिक स्थानों पर नौकरी का अवसर पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी रेडियो/टीवी/सिनेमा के क्षेत्र में स्क्रिप्ट लेखक/संवाद लेखक/गीतकार के रूप में उपलब्ध अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इन क्षेत्रों में रचनात्मक, कलात्मक लेखन की माँग होती है, जो अभ्यर्थी इन क्षेत्रों की डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर स्वयं में विकसित कर सकते हैं।

फिल्म व टेलिविजन क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान युग में हिंदी भाषा-भाषी विश्व के हर कोने में विराजमान है ऐसे में अपने देश और संस्कृति से जुड़े रहने का एकमात्र साधन टेलिविजन व फिल्में ही होती है जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ वह अपने देश व उसमें होने वाली हलचलों से अवगत होना चाहते हैं। आज हिंदी फिल्मों का बाजार स्वयं में किसी उद्योग से कम नहीं है। एक तरफ जहाँ हिंदी फिल्में व चैनल विदेशों में प्रसारित हो रहे हैं वही दूसरी तरफ विदेशी चैनल भारत में हिंदी में ही अपना प्रसारण करना चाहते हैं। वे हिंदी भाषा वर्ग से परिचित हैं। आज हालीवुड के फिल्म निर्माता भी भारत में अपनी विपणन नीति बदल चुके हैं।

वे जानते हैं कि यदि उनकी फिल्में हिंदी में रूपांतरित की जायेगी तो यहाँ से वे अपनी मूल अंग्रेजी में निर्मित चित्रों के प्रदर्शन से कहीं अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। हालीवुड की आज की वैश्विक बाजार की परिभाषा में हिंदी जानने वालों का महत्व सहसा बढ़ गया है। यही नहीं पिछले कुछ वर्षों में कई भारतीय फिल्में आस्कर पुरस्कार के लिये नामित हो चुकी हैं और उनमें से कई आस्कर जीत भी चुकी हैं। हिंदी संगीतकारों को आस्कर से नवाजा जा चुका है। शुरुआत में स्टार, सोनी वगैरह दूसरे चैनल अंग्रेजी कार्यक्रम लेकर भारत में आए। मगर इन सबको विवश होकर हिंदी का रूख करना पड़ा क्योंकि इन्हे अपनी दर्शक संख्या बढ़ानी थी। यही नहीं टेलिविजन के क्षेत्र में अनेक विदेशी चैनल जैसे- डिस्कवरी, बीबीसी नेशनल ज्योग्राफिक, निक डिज्नी, हिंदी में अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा खेल-कूद जगत के चैनल भी हिंदी में प्रसारित हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ हिंदी के बढ़ते कदमों से भारत की विश्व प्रसिद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर इसके बाजार की अनेकों संभावनाएँ भी इस मनोरंजन के जगत में उत्पन्न हुई हैं। हिंदी जानने व इसमें काम करने वालों के लिए इस जगत में रोजगार के अनेक द्वार खोल दिए हैं जो पूरे विश्व में उपलब्ध हैं। ये हिंदी का वर्चस्व नहीं तो और क्या है?

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी आज मात्र संप्रेषण का माध्यम ही नहीं रह गई है वरन् उससे जुड़ी अनेकों अनेक संभावनाएँ आधुनिक युग में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की दशा और दिशा पर चिंतन-मंथन के साथ विमर्श का केंद्रीय विषय भी इस बार भारतीय संस्कृति और हिंदी था। हिंदी किस प्रकार भारतीय संस्कृति की सबसे प्रभावी संवाहक के रूप में अतीत में काम करती रही है और भविष्य में कर सकती है, इन सवालों पर प्रतिभागियों ने विचार उत्पन्न किए हैं। शिक्षा, साहित्य,

मीडिया, जनसंचार, फिल्म, जगत व तकनीकी विकास ने ना सिर्फ भारत में हिंदी को उसका खोया अधिकार दिलवाया वरन वैश्विक पटल पर भी उससे जुडी अनेक संभावनाएँ व रोजगार के मार्ग खोल दिए।

आज हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं है बल्कि उसकी स्थिति उद्योग के रूप में निरंतर बढ़ते हुए देखी जा सकती है। आने वाले समय में हिंदी का उद्योग सबसे सशक्त व सक्षम उद्योग माना जाएगा।

संदर्भ :-

1. मेरे विचार ब्लाग के हिंदी विस्तार और संभावनाएँ लेख से।
2. वही।
3. भारत –दर्शन ऑनलाईन साहित्यिक पत्रिका से दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के व्यक्तव से संकतिल।
4. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपे वैश्विक हिंदी से संबंधित लेख इत्यादि।

फोन न0 9466114488

ई0मेल. :- seemadeepak01@gmail.com



वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी का स्वरूप

डॉ. सरोजबाला श्याम विहारी

सहा. प्राध्यापक/प्राचार्य (अति. प्रभार), शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़।

सारांश :-

भारत की मूल संस्कृति "वसुधैव कुटुम्बकम्" पर आधारित है। भाषा किसी भी देश की संस्कृति का अक्षयकोष होती है। भाषा परम्परा, संस्कृति, आधुनिकता के पथ पर गतिमान होकर परिवर्तनशील होती है। हिन्दी भाषा में समाज, परम्परा को जोड़े रखने का अटूट सामर्थ्य है। विश्व धरातल पर ज्ञान एवं व्यवहार के नये-नये खुलते क्षितिजों से जन्मी अपेक्षाओं के संदर्भ में, आधुनिक हिन्दी भाषा ने अर्थव्यवस्था का एहसास कराया है। हिन्दी भाषा की उपादेयता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह हमारे बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। साहित्यकार एवं कवियों की भाषा है, लोकप्रिय फिल्मों की भाषा है इसमें विज्ञान और व्यापार की अद्यतन जानकारियां भी हैं। हिन्दी ने राष्ट्र की सरहदों को भी लांघ लिया है। विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कराने में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। यह बाजार की मुख्य भाषा बनकर उभरी है। भारतीय संस्कृति एवं भाषा का प्रभाव और वर्चस्व सम्पूर्ण विश्व में है। बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिन्दी का विकास और प्रयोग बहुत तेजी से विज्ञापन, कला, संगीत, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रसारित हुआ।

आज विश्व की सशक्त भाषा के रूप में विश्व के 200 विश्वविद्यालयों एवं हजारों शिक्षण केन्द्र में हिन्दी लोक व्यवहार, प्रशासन, राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र, शिक्षण, दर्शन, अध्यापन, कम्प्यूटर, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रकाशन की बड़ी भाषा है। जुरासिक पार्क एवं अन्य अंग्रेजी फिल्मों का हिन्दी रूपांतरण हिन्दी की लोकप्रियता का प्रमाण है। इसी प्रकार कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के क्षेत्र में भी हिन्दी अग्रणी है। आज हिन्दी की लगभग 500 से अधिक वेबसाइट्स हैं। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति की उज्ज्वल परंपरा को यथारूप वरण करते हुए वर्तमान आधुनिक परिवेश में प्रत्येक क्षेत्रों में अपने उपयोगितामूलक सामर्थ्य को अभिव्यक्त किया है। हिन्दी ने जनसमूह की शक्ति और क्षमता से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और इसी की समन्वयशीलता और समरसता ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया।

हिन्दी को वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक और प्रादेशिक भाषा से आंचलिक बोलियों तक जहां प्राचीन संस्कार का प्रवाह मिला है। हिन्दी की उत्पत्ति सिंधु-सिंध-हिंद से हुई है। "सिंधु" पुराने भारत की एक मुख्य नदी का नाम है। फारसी में सिंधु को हिंद उच्चारण करते हैं। "सिंधु" (हिंदु) नदी का देश "हिंद या हिन्दुस्तान" या

हिन्दी कहलाया। फारसी भाषा के अनुसार “हिंद” देश के निवासी हिन्दी कहलाये। यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। हिंदी पर अमीर खुसरों लिखते हैं “यह हिंद की भाषा है”।

भारतीय संविधान की धारा 341(1) एवं 345, 346, 347 के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा एवं अन्य भाषाओं को राज्यीय भाषा के रूप में स्वीकृत एवं अंगिकृत किया था। वैश्विक भाव रखने वाली अंग्रेजी से हिंदी को पग-पग पर सामना करना पड़ता है। अंग्रेजों का राज कायम होने से पहले भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार और प्रसार सर्वथा था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने अफसरों के लिए हिन्दुस्तानी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था। दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट मेल्कॉफ ने 29 अगस्त 1906 को हिंदी के अपने शिक्षक गिलक्रिस्ट के नाम एक पत्र में लिखा था कि, “भारत में जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ता है कलकत्ता से लाहौर तक, कुमाऊँ के पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिक्खों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहाँ मैंने यात्रा की है, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है, जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। अपने अनुभव से और दूसरों से सुनी हुई बातों के बल पर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या आवा से सिंध के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जायेंगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे। हिंदी के विकास के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा प्रचलित और प्रतिष्ठित रही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकासक्रम ईसा की दसवीं शताब्दी के समीप अनेक कारणों से परिलक्षित है जिसके कारण भिन्न-भिन्न भाषा-प्रदेशों से संघर्ष या एकता स्थापित करने की अन्तर्धारा के रूप में हिंदी भाषा का कोई न कोई रूप व्यवहार में रहा है।” हिंदी इस बात पर गर्व कर सकती है कि उसने दक्षिण भारत के सन्तों के चिन्तन को, वैचारिक दर्शन को जनसामान्य तक पहुँचाकर राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ नींव रखी। भक्तिकाल के बाद आधुनिक काल में हिंदी के छायावादी कवियों ने भाषा को ही नहीं सँवारा बल्कि उन विषयों पर भी दृष्टि केन्द्रित की जिसने मानव सभ्यता, भौतिक जगत को युद्ध की भयावता के प्रति सावधान भी किया। जयशंकर प्रसाद का “कामायनी” इसका अच्छा उदाहरण है।

डॉ. धर्मवीर भारती के “अंधायुग” का भी उल्लेख करना समीचीन होगा। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया और इसी भाषा के माध्यम से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का उस दरमियान प्रचलन था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी के शिक्षण एवं शिक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन हिंदी को प्रेम करने वाले ने हिंदी का परचम वैश्विक स्तर पर लहराया। वर्तमान में विज्ञान जैसे जटिल विषयों पर भी हिंदी में किताबें उपलब्ध होने लगी हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा अनेक राजनैतिक आंदोलनों की मुख्य भाषा हिंदी थी और अब भारत की राजनैतिक संचालन की मुख्य भाषा हिंदी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में हिंदी की भूमिका राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने वाली, राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने वाली, परतंत्रता के तिमिर में प्रकाशकूज की भांति जन-जन के हृदय, मानस पटल पर छाकर परतंत्रता की बेड़ी से भारत माँ को आजाद कराने में अहम भूमिका रही। हिंदी हमें आपस में जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रीय चेतना, भावनात्मक एकता के बिना संभव नहीं है और भावनात्मक एकता की दृष्टि से राष्ट्र भाषा का सुदृढ़ सूत्र आज हमारी अपरिहार्य आवश्यकता है। हिंदी भाषा ने ही हम सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से आज का हिंदी जाति, प्रदेश, भारतीय संस्कृति का अत्यन्त प्राचीन केन्द्र है। वैदिक ऋचाएं गंगा और सरस्वती के कछारों पर रची गई। वैदिक संहिताओं, आर्ष ग्रंथों तथा उपनिषदों की रचना भी यही पर हुई। रामायण और महाभारत के नायक राम और कृष्ण की लीला भूमि अयोध्या और मथुरा हिंदी जातिय प्रदेश में है। शिव की लीला भूमि काशी है। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के महावीर स्वामी की जन्म स्थलियां हिंदी भाषी प्रदेश में ही है। कालीदास और भवभूति जैसे कवि, बाणभट्ट जैसे गद्यकार, नागार्जुन जैसे बौद्ध दार्शनिक, आचार्य चाणक्य जैसे कालातीत राजनेता, आर्यभट्ट, वराह, मिहिर और ब्रह्म गुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिशाचार्य, चरक, सुश्रुत, धन्वन्तरी जैसे आयुर्वेदाचार्य ने हिंदी के गौरव एवं महत्ता को बढ़ाया है। 21वीं सदी के दस्तक से यह धारणा भी दृढ़ हुई कि राष्ट्र भाषा हिंदी कम्प्यूटर के अनुप्रयोगों की दृष्टि से अपरिहार्य है। हिंदी भाषा के सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी देवनागरी के कम्प्यूटर अनुप्रयोग समझने लगी हैं। विश्व की सबसे लोकप्रिय गूगल सर्च ने हिंदी संस्करण उपलब्ध है जो निश्चित रूप से हिंदी के संवर्धन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। साथ ही लोक साहित्य, कोष ज्ञान एवं विज्ञान के अनेक पक्ष सम्पूर्ण विश्व में पहुंचेंगे जिससे हिंदी को और मजबूती मिलेगी। बाजारीकरण एवं वैश्वीकरण के इस काल में हिंदी बोलना, सीखना, समझना एक अनिवार्यता है। क्योंकि उपभोक्ताओं की बहुसंख्या हिंदी समझने वालों की है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक तीव्र विकास समूचे विश्व में परिलक्षित हो रहा है। मनुष्य की संस्कृति को जानने का एक सशक्त माध्यम सम्प्रेषण है। विश्व की विभिन्न भाषाओं के माध्यम से संस्कृति के दर्शन होते हैं। हिंदी जो हमारी राष्ट्र भाषा है जिसका विश्व में लगभग 200 विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन कराया जाना हमारे लिए तथा हिंदी के स्वर्णिम भविष्य के लिए गौरव की बात है। मॉरिसस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद, श्रीलंका, चीन, हंगरी, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, चैकोस्लावाकिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रिका, गियाना, स्विटजरलैंड, फ्रांस, इटली तथा आरेबिक देशों में भी हिंदी का अध्ययन-अध्यापन अनुसंधान उच्च स्तर पर शोध कार्य एवं विदेशी भाषाओं में हिंदी के ग्रंथों का अनुवाद कार्य प्रचुरता से होना दर्शाता है कि ज्ञान एवं संस्कृति के आदान-प्रदान की दृष्टि से भी विश्व भाषा के रूप में हिंदी का संतोषजनक विकास हो रहा है। हिंदी विश्व की आठ प्रमुख भाषाओं में से एक है। 10 से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हिंदी सम्मेलन में हिंदी को विश्व भाषा बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में उन प्रवासी भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान है जिन्हें अंग्रेज मजदूर बनाकर अपने साथ विभिन्न देशों में ले गये थे। संभवतः प्रवासी भारतीयों के लिए भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति एवं हिंदी का महत्व नगण्य रहा हो परन्तु विदेशों में जाकर उन्हें अपने देश की गरिमा, भारतीय संस्कृति व हिंदी भाषा के महत्व को समझा और वे संकल्पबद्ध रहे कि हिंदी के वर्चस्व को कायम रखेंगे। दूसरे वे प्रवासी भारतीय जो स्वयं अजीविका के लिए विदेशों में गये और वहीं बस गये इन मध्यमवर्गीय लोगों के माध्यम से अगली पीढ़ियों को रामचरितमानस, तुलसी, भारतीय लोकगीत, लोककथाओं तथा मातृभाषा हिंदी का हस्तांतरण हुआ। तीसरे वे समृद्ध, सम्पन्नवर्गीय भारतीय

जो विदेशों से आकर्षित होकर स्वप्रेरणा से मॉरिसस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में जा बसे एवं हिंदी की पत्र-पत्रिकायें, पुस्तकें, साहित्य प्रकाशित करने एवं कराने लगे।

मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकायें, हिंदी पत्रकारिता एवं साहित्य, श्रव्य मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेपरिकार्डर, टेलीफोन, तथा दृश्य मीडिया के अंतर्गत टी.वी., यूट्यूब, इंटरनेट, कम्प्यूटर क्रांति एवं सिनेमा का भी अभूतपूर्व योगदान है। साहित्य की दृष्टि से वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी का गौरवशाली समृद्ध भविष्य दिखाई पड़ता है जिसमें हमारे भारतीय संतों का सराहनीय योगदान रहा है जिसमें उल्लेखनीय है कि – सूरदास, कबीर, तुलसी, जायसी, मीरा, अमीर खुसरो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मैथलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद निराला, पं. श्रीराम शर्मा आचार्य आदि ने हिंदी के गौरव को बढ़ाया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशी अंग्रेजी भाषी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर भारतीय बाजार पर है। वे चाहती हैं कि उनका वर्चस्व भारत के बाजार में छा जाये और वे भारत के प्रत्येक घर में अपने उत्पाद के प्रति ललक बढ़ाने के लिए हिंदी विज्ञापनों का सहारा ले रही हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी की ताकत एवं सामर्थ्य को बढ़ा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा भाषा के पहले कार्यक्रम में हिंदी से शुरुआत हुई।

भारतीय संविधान की धारा 341(1) एवं 345, 346, 347 के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा एवं अन्य भाषाओं को राज्यीय भाषा के रूप में स्वीकृत एवं अंगिकृत किया था। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार विद्वान संविधान निर्माताओं ने हिंदी का शत-प्रतिशत प्रयोग के लिए 15 वर्ष का समय निर्धारित किया था, परन्तु अब तक के लिए अनुच्छेद 343(2) के प्रावधान के अनुसार अंग्रेजी को दूसरे सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने का प्रावधान था, परन्तु यह अंग्रेजी परस्त नौकरशाहों के लिए ब्रह्मस्त्र के रूप में हिंदी से दूर रहने का बहाना मिल गया। भारत एक बहुभाषीय देश है। यहां एक सहस्र से अधिक मातृभाषाएँ बोली जाती हैं एवं सभी सहकुटुम्ब, सहअस्तित्व को संजोती हैं एवं भाषायी सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। भारतवासी अपनी भाव अभिव्यक्ति क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी में करते हैं, जो यह दर्शाता है कि हिंदी सबके लिए आसान है। हिंदी भारत की राजभाषा है, राजभाषा की भूमिका में हिंदी केन्द्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधान मंडलों और संसद को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश की कानून की भाषा और उच्चतम न्यायालयों तथा अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है।

वर्तमान सामाजिक, आर्थिक संदर्भों में देखा जाये तो हिंदी के समक्ष दक्षिण भारत में भी कठिन चुनौतियां हैं। हिंदी को भावनात्मक दृष्टि से जुड़ाव होने के कारण भारतीय अन्य भाषाओं से अधिक सम्मान देते हैं पर भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व परतंत्र भारत से चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में एक बड़े वर्ग में यह धारणा विद्यमान है कि अंग्रेजी का कोई विकल्प नहीं है। बहुदा देखने में आता है कि भारतवर्ष में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास आदि के निकट आते ही कार्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, त्वरित भाषण प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा हिंदी प्रेमियों का भाषायी प्रेम परवान चढ़ता है, इन सब प्रतियोगिताओं का मनोवैज्ञानिक असर अवश्य ही जनमानस पर पड़ता

है। हिंदी अनुष्ठान का ऐसा प्रशस्तिगान अनायास ही लोगों को आकर्षित करता है। आज वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने का अर्थ यह है कि हिंदी के साथ ही हम उसकी सहोदर भाषाओं को भी विकसित और प्रतिष्ठित करें जिससे हिंदी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी एक अलग पहचान बनाकर प्रतिष्ठित हो सके। हिंदी को अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणिकता उसके बोलने, उपयोग करने वालों की संख्या से मिली है। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी एवं भूमण्डलीयकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का भविष्य वैश्विक स्तर पर प्रमाणिकता प्राप्त कर चुका है। आज बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में दूसरा स्थान है। इस तरह हिंदी का फैलाव वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से हुआ है। निरंतर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी विषय पर संगोष्ठी आयोजनों से राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए व्यापक संभावनायें बढ़ी हैं।

संदर्भ सूची :-

1. राजभाषा हिन्दी डॉ. भोलानाथ तिवारी, प्रभात प्रकाशन दिल्ली।
2. राजभाषा हिन्दी – विकास के विविध आयाम, डॉ. मलिक मोहम्मद, पृष्ठ संख्या 18
3. राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण डॉ. विनय कुमार पाठक – पृष्ठ भूमिका के अंतर्गत।
4. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास– सायकेतु विद्या अलंकार, पृष्ठ संख्या 701–702
5. डॉ. ओमनागपाल, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास, पृष्ठ संख्या 35
6. आजकल, सितंबर 2010 प्रकाशन विभाग सूचना भवन, लोदी रोड़, नई दिल्ली पृष्ठ 18



हिंदी में रोजगार के अवसर

डॉ. मञ्जु तोमर

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, एमडीएसडी गर्ल्स कॉलेज, अंबाला शहर, हरियाणा

जिस प्रकार एक घर में मां के बिना घर परिवार व बच्चे अधूरे हैं उसी प्रकार हिंदी के बिना भारत व भारतीयता अधूरी हैं। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हमें हिंदी में जीना होगा। वह भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि हिंदी को दिल से जोड़ना होगा। हिंदी के पास भी देने को बहुत कुछ है। वैसे उसे जानने की जरूरत है। किसी भाषा को, बोली को जीवित रहने के लिए साहित्य की ही नहीं बल्कि उसको व्यवसाय की, विज्ञान की, रोजगार की भाषा बनाने की जरूरत है। जो भाषा सामान्य मनुष्य को रोजगार नहीं दे पाती वह धीरे-धीरे संकुचित दायरे में सिमटकर मिट जाती है। आज अंग्रेजी का अंतरराष्ट्रीय भाषा होना इसलिए है कि इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।

शौकिया तौर पर किसी भाषा को सीखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग किसी भाषा को व्यवसाय के कारण ही सिखते व सिखाते हैं। आज हिंदी भाषा व साहित्य को वैश्विक रूप प्राप्त हुआ है। विज्ञान और तकनीकी युग के साथ हिंदी कदमताल मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। जब भी किसी भाषा का विकास व विस्तार होता है तो उसमें एक दृष्टि और जुड़ जाती हैं और वह है रोजगार की संभावनाएं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम बताना चाहेंगे कि हिंदी में रोजगार के नवीन संभावनाएं किस प्रकार हो सकते हैं। आज हिंदी भाषा के बढ़ते चलन व विकसित वैश्विक रूप ने हिंदी भाषा में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। इसकी विविध क्षेत्रों में स्वीकृति और प्रीमियता बढ़ने से नई दृष्टि हिंदी में देखी जाती है। निश्चित ही इस दृष्टि में बाजार का बहुत बड़ा योगदान है। ज्ञानार्जन की अभिलाषा के कारण अनुवाद, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। भारतीय संविधान द्वारा खड़ी बोली को राजभाषा के रूप में अपनाना, हिंदी का जो अध्ययन व अध्यापन का जो रूप था वह ओर अधिक व्यावहारिक हो गया है। जोकि भाषा में वैज्ञानिक, तकनीकी, और उधमियता की संभावनाएं होती हैं। और यह संभावनाएं हिंदी में अपार है। बस उसे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज हिंदी वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 137 देशों में हिंदी भाषा विद्यमान है। हिंदी भाषियों की संख्या अनुमान 100 करोड़ है। भारत की प्रतिवेशी राष्ट्रों जैसे नेपाल, चीन, सिंगापुर, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव आदि ऐसे देश हैं जिनमें अधिक तम हिंदी भाषी लोग रहते हैं। अमेरिका के 37 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी में अभ्यास की सुविधा रखी गई है। आज हिंदी भाषा में कई तरह के रोजगार के अवसर प्राप्त है। अर्थव्यवस्था में आए व्यापक परिवर्तन जो भूमंडलीकरण के द्वारा

पदार्पण व भारत के सबसे बड़े बाजार के रूप में प्रतिष्ठित होने की वजह से हिंदी जोकि प्रबंधन, विपणन, वाणिज्य, व्यापार, अनुवाद व मीडिया आदि के रूप में स्थापित हुई है। अन्य देशों के साहित्य एवं संस्कृति को जानकर उससे प्रेरणा लेना अच्छा है। परंतु मातृभाषा, नैतिक मूल्यों का परिचायक होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार अंग्रेजी के विषय में लोगों की कुछ भावना हो पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता।

हिंदी की पुस्तकें लिखकर और हिंदी बोलकर भारत के अधिकांश भाग को निश्चय ही लाभ हो सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या का पता चले तो हमेशा प्रकट हो जाएगा कि वह कितनी न्यून है। यदि हम प्राथमिक स्तर से ही है मातृभाषा के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो एक दिन अपनी संस्कृति को खो बैठेंगे। वर्तमान परिपेक्ष्य में हिंदी की महत्ता दिनों में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आवश्यक है हिंदी की बढ़ती महत्ता और भविष्य में होने वाले रोजगार के अवसरों के विषय में युवा पीढ़ी को बताया जाए और उनके मन में पल रही हीन भावना को निकाला जाए। हिंदी में रोजगार के उच्च अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते व करवाते रहे।

1. अध्यापन के क्षेत्र में :-

हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में रोजगार हमेशा से ही बेहतरीन विकल्प के रूप में रहता है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अध्यापन का रोजगार योग्यता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। स्नातक करने के पश्चात् बी.एड. करके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एचटेट, सीटेट, डीएलएंड को उत्तीर्ण करने के पश्चात् सरकारी विद्यालयों या किसी निजी विद्यालय में रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। स्नातकोत्तर के पश्चात् एचटेट के उच्च स्तर अर्थात् पीजीटी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च कक्षाओं में रोजगार संभव है। इसके अतिरिक्त हिंदी के स्नातकोत्तर करने के पश्चात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रवक्ता के रूप में रोजगार प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पश्चात् शोध कार्य के लिए अर्थात् पीएचडी के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि दिए जाने का प्रावधान होता है। जिसके द्वारा विद्यार्थी आर्थिक रूप से संपन्न होकर शोध कार्य कर सकता है। इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात् सहायक प्रवक्ता के पद के लिए विद्यार्थी योग्य हो जाता है। उच्च कक्षाओं के अध्यापन हेतु स्नातकोत्तर के पश्चात् एम.एड. करके भी प्रवक्ता बना जा सकता है। साथ ही आर्थिक स्तर अनुसार विद्यार्थी निजी शिक्षा संस्थान अर्थात् कोचिंग सेंटर भी खोल सकता है।

2. पत्रकारिता में रोजगार :-

पत्रकारिता का क्षेत्र जितना व्यापक और विस्तृत है उतना ही आकर्षक, रोचक और चुनौती पूर्ण है। वाक्चातुर्य एवं प्रश्न कौशल की प्रतिभा के लिए युवा यदि भाषा पर पकड़ मजबूत बना ले तो निश्चय ही वे सफल पत्रकार बन सकता है। अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा पत्रकारिता में कोर्स करवाए जाते हैं। भारत जैसे विशाल हिंदी भाषी राष्ट्र में ज्यादातर समाचार पत्र पत्रिका समाचार चैनल हिंदी भाषा के हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र की व्यापकता इतनी अधिक है कि किसी भी क्षेत्र में पकड़ बना ली जाए तो स्थानीय पत्रकार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के पत्रकार के पद को प्राप्त किया जा सकता है।

3. हिंदी में अनुवादक :-

पत्रकारिता के समान ही अनुवाद का क्षेत्र वर्तमान में और सीमित हो गया है। वैश्विक स्तर पर आजकल

जिस तेजी से हिंदी की मांग बढ़ रही ई है। अनेक राजनीतिक संस्थाएं, पर्यटन संस्थान, देशी-विदेशी मीडिया संस्थान और न जाने कितने ही होटलों में खासकर विदेशों में तो हिंदी अनुवादक की भारी मांग है। साहित्य लेखन में अनुवादक को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न कवि सम्मेलनों, संगोष्ठीओं तथा कार्यशालाओं में अनुवादको को आर्थिक व सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं अनेक विश्वविद्यालयों में भी अनुवादक की मांग हमेशा बनी रहती है।

4. टाइपिंग के क्षेत्र में रोजगार :-

अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में कंप्यूटर पर टाइपिंग करने वालों की संख्या काफी कम है। क्योंकि हिंदी दिनों दिन मांग में है। अतः विद्यार्थी कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान और अभ्यास द्वारा हिंदी टाइपिंग सीखकर स्वयं को कोई छोटा सा संस्थान भी खोलकर सकता है या फिर किसी अन्य संस्थान में अपनी पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार भी कर सकता है।

5. संपादन के क्षेत्र में रोजगार :-

भारत में अधिकांश समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी भाषा में छपते हैं और विषय क्षेत्र के कारण संपादक अकेला सभी कार्य नहीं कर सकता। अतः हिंदी में विशेष पकड़ रखने वाले प्रशिक्षण लेकर प्रधान संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, वरिष्ठ सहायक संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक, समाचार संपादक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है।

6. तकनीक के क्षेत्र में रोजगार :-

जिस प्रकार से आज इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिंदी को विशेष महत्व देना प्रारंभ कर दिया है। इंटरनेट से हिंदी की अनेकानेक वेबसाइट और असीमित सुविधाएं उपलब्ध है। यूनिकोड द्वारा हिंदी का क्षेत्र का स्वरूप बदल रहा है। अमेरिका सरकार के साथ-साथ कंप्यूटर किंग कहे जाने वाले बिल गेट्स भी हिंदी के उपयोग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गूगल के मुख्य अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में केवल एक ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में चीनी भाषा के साथ हिंदी ही इंटरनेट की प्रमुख भाषा होगी। तकनीकी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर 2019 को राजभाषा विज्ञान भवन नई दिल्ली में ई-महाशब्द कोष ऐप एवं ई-सरल हिंदी वाक्य कोष का विमोचन किया गया। केंद्र सरकार के कार्मिक हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाकर अपना कार्य हिंदी में करने में अधिक सक्षम होंगे। इन तकनीकी टूल्स का विस्तार व परिष्कार आगे भी जारी रहेगा।

7. राजभाषा अधिकारी :-

1981 में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के पदाधिकारियों को वेतन, सेवा, पदोन्नति की दृष्टि से समता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा को गठित किया गया। इसके अंतर्गत केवल अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से स्नातकोत्तर किए हुए और हिंदी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त किए विद्यार्थी सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं।

8. रचनात्मक लेखन में रोजगार -

विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार लेखन कार्य में भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। वर्तमान समय में विद्यार्थी सोशल साइट के माध्यम से अपने लेखन के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। किसी साहित्यिक विद्या में

निपुणता आने पर प्रकाशक आपको धन राशि भी देता है। इसके अतिरिक्त भारतीय हिंदी सिनेमा जगत में टीवी धारावाहिक, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट्स लिखना, गीत लिखना, संवाद लिखना इत्यादि लेखन हिंदी में करके बहुत अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं।

9. वैश्विक स्तर पर हिंदी में रोजगार :-

विदेशों में हिंदी की मांग काफी बढ़ रही है। इसके लिए विदेशों में अनेक हिंदी अध्ययन के केंद्र स्थापित हो चुके हैं। भारत तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। अतः भारत से अन्य देशों के साथ संबंधों में हिंदी के प्रति विदेशों में रुचि जागृत कर दी है। अमेरिका के कुछ विद्यालयों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी को अध्ययन का विषय बनाया गया है। हिंदी से स्नातकोत्तर और पीएचडी के पश्चात विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। वैश्विक स्तर की प्रकाशित हिंदी भाषा की किताबों के प्रकाशन को अत्यधिक महत्व देते हैं। ऐसे में संपादक, लेखक, अनुवादक, प्रूफरीडर, संशोधक इत्यादि क्षेत्र में रोजगार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं।

10. अन्य रोजगार के क्षेत्र :-

इसके अंतर्गत रेलवे विभाग, न्यायालय विभाग के लेखाधिकारी, सरकारी बैंक तथा अन्य सरकारी व निजी संस्थाओं में हिंदी भाषी व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी कक्षा 12 के पश्चात स्नातक स्नातकोत्तर करने के पश्चात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। निजी संस्थानों व सरकारी संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। आवश्यक है विद्यार्थी स्वयं को इस विषय में जागरूक रखें और अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहे।

संदर्भ सूची :-

1. भाषाभारती, जनवरी 2017, ISSN 2322-5704
2. राजभाषा भारती, भारत सरकार गृह मंत्रालय।
3. www.tv9hindi.com
4. हिन्दी भाषा में रोजगार के अवसर, विकास पाटिल।



सिनेमा और हिन्दी

डॉ. सपना शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी-विभाग, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

भाषा अपने भाषा-भाषी समुदाय की वाणी और जिस राष्ट्र की वह राष्ट्र भाषा होती है उसकी आत्मा को मुखर करती है। भारत संसार के सभी देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके विभिन्न राज्य हैं और इन राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली तथा सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा 'हिन्दी' है। भारत की आजादी की लड़ाई में 'हिन्दी' को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि हिन्दी की स्वतन्त्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका थी।

स्वतन्त्रता संघर्ष में हिन्दी की विशेष भूमिका को नज़र में रखते हुए भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण भारत में ही नहीं सारे विश्व में अत्यधिक हुआ। हिन्दी को उभारने, मुखर करने तथा महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज मीडिया के लगभग सभी चैनलों पर हिन्दी कार्यक्रम दिखाने की होड़ लगी हुई है। एक ओर तो डिस्कवरी जैसे वैज्ञानिक कार्यक्रम हिन्दी में दिए जा रहे हैं तो दूसरी ओर अंग्रेजी फिल्मों को डब करके हिन्दी में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हिन्दी विश्व की भाषा बन गई है।

हिन्दी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है और भारत में राजभाषा, सर्जनात्मक भाषा, सम्पर्क भाषा, माध्यम भाषा आदि के रूप में प्रतिष्ठित है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है। एक सीमा तक पूरे भारत में बोली एवं समझी जाने वाली भाषा है।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यम आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन है। इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो सबसे प्राचीन माध्यम है। कभी रेडियों का प्रयोग केवल समाचार सुनने के लिए ही किया जाता था। पर आज रेडियों व्यावसायिक, औद्योगिक कार्यक्रमों के साथ-साथ मनोरंजन से भी जुड़ा है। रेडियो के कई चैनलों पर समाचार, संगीत, नाटक, विज्ञापन आदि हिन्दी भाषा में प्रकाशित होते हैं। भारत के अतिरिक्त विदेशी रेडियो चैनल जैसे बी.बी.सी लन्दन आदि हिन्दी में समाचार प्रसारित करता है।

हिन्दी के साथ-साथ हिन्दी की बोलियों-ब्रज, भोजपुरी, अवधी राजस्थानी में भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आजकल रेडियो के स्थानीय चैनल एफ.एम, रेडियो मिर्ची आदि काफी लोकप्रिय हैं। ये चैनल मनोरंजन के साथ-साथ नवीन सूचनाएँ हिन्दी में उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो का श्रोता आम आदमी भी है। इसलिए रेडियो या आकाशवाणी की भाषा में सहजता, सरलता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है।

आकाशवाणी में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जहाँ शब्द चित्रों का निर्माण करते हो। श्रोताओं को

भावों एवं विचारों के प्रति आकृष्ट करते हो। ऐसी भाषा पर आधारित रचनाएँ जब रेडियो आकाशवाणी पर प्रकाशित की जाती हैं तो उनका जनमानस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।¹

आकाशवाणी में प्रयुक्त हिन्दी भाषा साहित्यिक एवं मानक हिन्दी से भिन्न हो सकती है बल्कि होती भी है। यह जड़ता से व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं करती है।

टेलीविजन जनसंचार का दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम है। आजकल केवल डिश द्वारा टेलीविजन पर चौबीस घंटे प्रोग्राम चलते हैं। पहले दूरदर्शन द्वारा सीमित समय के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे पर आजकल चैनलों की भरमार है। बहुत से ऐसे चैनल हैं, जो हिन्दी में ही कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं—जी.टी.वी., स्टार टी.वी., सोनी, संस्कार चैनल आदि। इन चैनलों पर हिन्दी में प्रसारित होने वाले धारावाहिक ही इनकी लोकप्रियता का आधार है।

पहले पहल निजी चैनल जैसे स्टार न्यूज आदि अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करते थे। पर आज स्टार न्यूज के साथ-साथ अन्य चैनल यहाँ तक कि विदेशी चैनल बी.बी.सी. आदि चौबीस घंटे हिन्दी में समाचार प्रसारित करते हैं। यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल, नैशनल ज्योग्राफिकल चैनल आदि जैसे विज्ञान और पर्यावरण से सम्बन्धित चैनलों में भी हिन्दी में कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं।

टेलीविजन की भाषा की बात करे तो दूरदर्शन की भाषा आज देश-विदेश का शब्दकोष अपने में समाहित कर मिली-जुली भाषा का स्वरूप धारण कर चुकी है। टेलीविजन की हिन्दी भी अन्य संचार माध्यमों की तरह मानक हिन्दी का प्रयोग छोड़कर राष्ट्रीय प्रसारण में प्रसारित होने वाली हिन्दी जिसे अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी, जिसे आजकल खिचड़ी भाषा का नाम दिया गया है प्रचलित हो गई है।²

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार हो रहा है पर हिन्दी विदेशी भाषा के शब्दों को ग्रहण कर भी अपनी गरिमा बनाए हुए है। प्रमुख चैनलों (स्टार न्यूज, आज तक आदि) के संवाददाता चाहे भारत में हो या विदेश में वे स्क्रीन पर हिन्दी में ही बात करते सुनाई दिखाई पड़ते हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी हिन्दी कार्यक्रम लोकप्रिय है। अनेक विदेशी ज्ञान-विज्ञान के कार्यक्रम हिन्दी कमेन्टरी के साथ दिए जा रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है हिन्दी मात्र राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि अन्तरराष्ट्रीय भाषा बन गई है। किसी समय हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में जो भूमिका हिन्दी फिल्मों ने निभायी थी, वही भूमिका आज हिन्दी धारावाहिक निभा रहे हैं।

धारावाहिकों के बीच-बीच में विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। विज्ञापन प्रस्तुत करना कला आधारित व्यवसाय है। आजकल आकाशवाणी एवं टेलीविजन के अनेक चैनलों पर आने वाले अधिकांश विज्ञापनों की भाषा हिन्दी ही है। विज्ञापन में भी शुद्ध मानक भाषा का प्रयोग सम्भव नहीं है। विज्ञापन की भाषा स्वाभाविक, सरल, संक्षिप्त, त्वरित प्रभाव, आत्मीयतापूर्ण, गतिशील, बिम्बघर्मी और सृजनात्मक होती है।³ विज्ञापनों की भाषा सरल, मुहावरेदार, जनमानस की भाषा होने के कारण यह शीघ्र ही लोगों की ज़बान पर चढ़ जाती है और विज्ञापन को लोकप्रिय भी बना देती है। ऐसे विज्ञापन बच्चों के ही नहीं बड़ों के मुख से भी सुने जा सकते हैं जैसे — ठण्डा-ठण्डा Cool-Cool, 'जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी', डर के आगे जीत, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे आदि। विज्ञापनों की भाषा का आधार हिन्दी है पर विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इनमें हो रहा है।

स्वतन्त्रता के बाद की अधिकांश हिन्दी फिल्में फिल्मी लाभ के मसौदे से तैयार न होकर जन सरोकार और

जन पक्षधर मूल्यों को समर्पित थी। “जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे जहन में भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और भाषा पहले आती है, क्योंकि भारतीय सिनेमा का इन सबसे गहरा नाता है। जैसे-जैसे वक्त बदल रहा है वैसे-वैसे सिनेमा का रूप बदल रहा है, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और इतिहास को सिनेमा जगत में बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। रिश्तों की खूबसूरती तो कभी उनकी उलझन फिल्मों में देखने को मिलते हैं, जो कहीं-न-कहीं हमारी निजी जिन्दगी पर आधारित होते हैं जिनकी कहानी हमें हमारी जिन्दगी से जुड़ी लगती है। बदलते हुए समाज का रूप-रंग और स्वरूप हमें भारतीय सिनेमा में बखूबी देखने को मिलता है।”⁴

विशाल भारद्वाज का मानना है कि समझदार निर्देशक को साहित्यिक कृति से बहुत मदद मिलती है, लेकिन यदि कोई कृति के कंटेन्ट को नहीं समझ पाया, तो उसे फिल्म को हेंडल कर पाना काफी कठिन हो जाता है।⁵ ऐसे तो रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचन्द्र, प्रेमचन्द, विमल मित्र, आर.के.नारायण, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, महाश्वेता देवी और खुशवंत सिंह जैसे साहित्यकारों की कृतियों पर प्रसिद्ध फिल्में बन चुकी हैं। भीष्म साहनी का ‘तमस’, मन्नू भण्डारी का ‘यही सच है’ (रजनीगंधा) धर्मवीर भारती का ‘सूरज का सातवां घोड़ा’, फणीश्वर नाथ रेणु का ‘मारे गए गुलफाम’ उर्फ ‘तीसरी कसम’, राजेन्द्र यादव का ‘सारा आकाश’ आदि के साथ-साथ प्रेमचन्द की अनेक साहित्यिक कृतियों के सिनेमाई रूपान्तरण होने का परिणाम था कि इन कृतियों के पात्र और इनकी कथा अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँच सकी।

जवरीमल्ल पारख का मानना है कि “किसी साधारण रचना पर बेहतर फिल्म तो बनाई जा सकती है, परन्तु किसी श्रेष्ठ रचना पर उतनी ही श्रेष्ठ फिल्म बनाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण काम है। यह काम तभी किया जा सकता है जब रचना के मूल अर्थ को व्यक्त करने वाले दृश्य बिम्बों की कल्पना फिल्मकार करे। इसके लिए जरूरी नहीं कि फिल्मकार मूल रचना के विवरणों को यथावत इस्तेमाल करें। आवश्यकता इस बात की है कि मूल अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए रचना की अन्तर्वस्तु में परिवर्तन करें और उसे दृश्यों के संयोजन का ऐसा रूप दें कि फिल्म देखते हुए मूल रचना का ही अर्थ प्राप्त हो।”⁶

भारतीय हिन्दी सिनेमा ने सौ वर्षों से भी ऊपर का लम्बा समय तय किया है। इस लम्बे सफर में हिन्दी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जन संचार के माध्यमों, सोशल मीडिया, टैलीविज़न के धारावाहिकों, मोबाइल के नेटवर्क चैनलों के तीव्र विकास ने हिन्दी के प्रचार प्रसार में अत्यधिक गतिशीलता से कार्य किया है।

हिन्दी के आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल के अनुसार भूमण्डलीकरण ने भारतीय जीवन को गहरे से प्रभावित किया है। आभासी दुनिया की नागरिकता के धरातल पर किसी कस्बे या महानगर के युवा में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं और रियल टाइम में चैट कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है टी. वी. में दिखाए जाने वाले विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक धारावाहिकों, रियलिटी शो जैसे नृत्य अथवा गायन में समान रूप में पूरे भारत के कोने-कोने से प्रतिभागियों का अपनी कला कौशल का प्रदर्शन है।

यह वास्तव में ही हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार का स्वर्ण काल है जब मनोरंजन के माध्यम से हिन्दी भाषा वैश्विक रूप से आकर्षण का केन्द्र बनी है। इनमें हिन्दी फिल्मों का योगदान सबसे ऊपर है। सिनेमा, मीडिया और हिन्दी का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत में हिन्दी के बिना सिनेमा और मीडिया की कल्पना करना मुश्किल है।

हिन्दी के प्रचार प्रसार में सिनेमा और मीडिया का योगदान अप्रतिम है। हिन्दीतर भाषा क्षेत्रों में भी सिनेमा

और मीडिया ने हिन्दी को नया मोड़ प्रदान किया है। आज हम भारत के किसी भी कोने में चले जाए वहाँ हिन्दी समझी जाती है क्योंकि मीडिया धारावाहिकों एवं फिल्मों में वे हिन्दी सुनते समझते हैं। विदेशों में भी हिन्दी सिनेमा के प्रशंसक हैं।

हिन्दी उत्तर से लेकर कश्मीर तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में कामाख्या से लेकर पश्चिम में कच्छ तक बोली और समझी जाती है। हिन्दी भारत की सीमाओं को पार कर विश्व में लगभग 192 देशों में पढायी जाती है एवं बोली, समझी जाती है। हिन्दी के इस व्यापक धरातल के पीछे सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की गौरवशाली परम्पराएँ, उसका स्वर्णिम इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक अनुगूँज हिन्दी के माध्यम से विश्व में प्रसारित प्रचारित हो रहे हैं।

सिनेमा अपने आरम्भिक दौर से ही भारतीय समाज का दर्पण रहा है। इसने न केवल शहरी वातावरण को बल्कि भारतीय ग्रामीण परिवेश को भी प्रभावित किया है। मनोरंजन और फिल्म की दुनिया ने इसे व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया है। जन-जन में सम्पर्क स्थापित करने वाली हिन्दी का महत्वाकंन जहाँ एक ओर बढ़ा है वहीं संचार माध्यमों की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी समस्त ज्ञान-विज्ञान एवं आधुनिक विषयों से भी जुड़ी है। टेलीविजन के माध्यम से हिन्दी फिल्मों एवं हिन्दी गानों ने धमाल मचायी है। तो दूसरी तरफ आदलत प्रशासन, बुद्धिजीवी वर्ग एवं जनता के विचारों के प्रकटीकरण का स्रोत भी हिन्दी ही है। देश-विदेश के घटनाचक्रों एवं विचारों का विश्लेषण करती, उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन उपलब्ध कराती हिन्दी आज संचार माध्यमों द्वारा अपनी सम्प्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास कर रही है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सिनेमा हमेशा से ही गतिशील रहा है। जब हम भारतीय सिनेमा की ओर देखते हैं, तो साहित्यिक कृतियों का फिल्मी रूपान्तरण, हिन्दी फिल्मों, गीतों आदि की लोकप्रियता में सिनेमा का योगदान विशिष्ट रूप से उभरता है। भारतीय सिनेमा ने भारतीय संस्कृति की महक को फैलाया है।

भारतीय दृश्य कला की शुरुआत स्वं श्री फालके जी द्वारा की गई थी। फालके जी फिल्म निर्माण के लिए उपकरण खरीदने के लिए इंग्लैण्ड गए थे और मुम्बई लौटने के बाद उन्होंने अपनी फालके फिल्म कम्पनी शुरू की और फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' बनायी जो 1913 में रिलीज हुई। उसे भारत की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। आज भारतीय सिनेमा में जीवन भर की उपलब्धियों पर जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह दादा साहिब फालके पुरस्कार ही है और यह भारत रत्न जैसा है। फिल्मों का निर्माण आज भी हो रहा है पर आज फिल्मों पर पश्चिमी प्रभाव की वर्चस्वता है। आधुनिक फिल्मी दुनिया चकाचौंध की दुनिया है। एक फिल्म पर अरबों-खरबों का खर्चा होता है और उस फिल्म ने कितने करोड़ कमाए इस पर ही ध्यान दिया जाता है। पर आज भी हिन्दी फिल्मों के माध्यम से वैश्विक धरातल पर सम्मान प्राप्त कर रही है। हमारी फिल्में यूरोप अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, खाड़ी आदि देशों में देखी जाती है फिल्मों में मनोरंजन अर्थोपार्जन के साथ-साथ इनकी सार्थकता को भी दृष्टिगत किया जाए तो हिन्दी सिनेमा सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम के रूप में सामने आ सकता है। सिनेमा ने हिन्दी की लोकप्रियता को जहाँ बढ़ाया है वही व्यावहारिकता को भी आगे लाने में अहम् भूमिका निभायी है। मोबाइल और कम्प्यूटर की दुनिया ने जन संचार की क्रान्ति में हिन्दी को विश्व में सर्वोपरि भाषा बना दिया है।

सिनेमा की सार्थकता उस बदलाव से जुड़ी है, जो उसके प्रभाव से व्यक्ति, परिवार और समाज में दिखाई देता है। भारतीय सिनेमा विशेषकर हिन्दी सिनेमा इस कसौटी पर खरा उतरा है। वॉलिवुड ने हमें ही नहीं हमारे

देश व समाज को अपने समय के हिसाब से सामाजिक बदलाव को स्वीकार करने की समझ दी, जोर-जुल्म के खिलाफ इन्कलाब का जज्बा दिया और हमारी भावनाओं को दृश्य शब्द दिए।⁷ हिन्दी साहित्य का हिन्दी सिनेमा से अन्तः सम्बन्ध है। हिन्दी साहित्य के अनेकों रचनाओं को हिन्दी सिनेमा द्वारा दृश्यात्मकता प्रदान कर उसे अधिकांश जन तक पहुँचाया गया है। जहाँ सिनेमा ने हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया, वहीं हिन्दी की लोकप्रियता ने भी हिन्दी सिनेमा की अनुगूज को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर स्थापित किया है।

सन्दर्भ-सूची :-

1. डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय, संचार माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग, कानपुर : साहित्य रत्नालय, 2000 पृ. 47
2. डॉ. कृष्ण कुमार रतु, दूरदर्शन हिन्दी के प्रयोजनमूलक विविध प्रयोग, जयपुर, इना श्री पब्लिशर्स, 1997, पृ. 58
3. डॉ. मीना शर्मा, हिन्दी भाषा मीडिया और सर्जनात्मक लेखन, गाजियाबाद, तरुण प्रकाशन, 2007, पृ. 101
4. जिन्दगी में भी डाला असर, खुशनुमा परवीन (मीडिया विमर्श, सिनेमा विशेषांक, 2 मार्च 2013) पृ-30
5. विष्णु खरे, सिनेमा से संवाद, पृ-17
6. जवरीमल्ल पारख, लोकप्रिय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ, पृ-112
7. तो क्यों न देखें फिल्में बार-बार, धनंजय चोपड़ा, (मीडिया विमर्श सिनेमा विशेषांक, मार्च 2013) पृ-13

पत्र व्यवहार के लिए पता –

–17–बी, मजीठा रोड़

अमृतसर – 143001, पंजाब।

मोबाइल नं. 9872580935

ई-मेल—dr.sapnasharma15@yahoo.com



जनसंचार : विज्ञापन और हिन्दी

डॉ. कुमारी कोमल

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, ति. माँ. भा. वि. वि. भागलपुर, बिहार।

समाज में विकास एवम् परिवर्तन की प्रक्रिया सतत् चलती रहती है। कभी इसका नियामक आंतरिक द्वंद्व होता है तो कभी बाह्य दबाव। इन नियामकों को लोकसम्पर्क, जनसंपर्क या जनसंचार कहा जाता है। किसी भी बड़े जनसमूह तक सूचनाओं अथवा विचारों का आदान-प्रदान जनसंचार कहलाता है। समाज की बौद्धिक संपदाओं के हस्तांतरण में जनसंचार की महती भूमिका है। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अद्यतन सूचनाओं को विशाल जनसमूह तक बड़ी सहजता से सम्प्रेषित किया जाता है। कह सकते हैं कि जनसंचार का तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवम् विवेचन से है जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यह Mass Communication का हिन्दी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को सम्प्रेषण द्वारा सूचना, जानकारी, ज्ञान आदि का आदान-प्रदान करना ही संचार कहा जाता है। अर्थात् सूचनाओं को सम्प्रेषित करने की प्रक्रिया संचार है। संचार की प्रक्रिया की पूर्णता के लिये सम्प्रेषण आवश्यक है। सम्प्रेषण तभी संभव है जब सम्प्रेषण के सभी घटक उपस्थित हो।

1. प्रेषक 2. चयनित सूचना 3. माध्यम या संचार साधन 4. ग्राहक

1. **प्रेषक या सम्प्रेषक** :- यह सम्प्रेषण का प्रथम तत्व है। यही से चयनित सूचना के संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

2. **चयनित सूचना** :- सम्प्रेषण के लिये किसी एक जानकारी या सूचना की जरूरत होती है। सूचना का चयन सम्प्रेषण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। इस चयनित सूचना का सम्प्रेषण या संचार होता है।

3. **माध्यम या संचार साधन** :- सूचना के प्रसार या संचार के लिये माध्यम की जरूरत होती है। जिसके द्वारा सूचना एक व्यक्ति या जनसमुदाय तक पहुँचती है इसके अनेक माध्यम हैं। जैसे मुद्रित और electronic माध्यम।

4. **ग्राहक** :- किसी भी सूचना का लक्ष उसे ग्रहण करने वाला होता है। अर्थात् वह निर्धारित व्यक्ति या जनसमूह जहाँ तक सूचना को प्रेषित किया जाता है। जब कोई सूचना अपने निर्धारित गंतव्य तक संचरित हो जाती है तब संचार या संचरण की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है।

स्पष्ट है कि जब भावों, विचारों अथवा सूचनाओं का सामूहिक सम्प्रेषण होता है तब उसे जनसंचार कहा जाता है। वास्तव में संचार व्यक्ति और समाज की सहज प्रवृत्ति है। मानव अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का विनिमय आरंभ साई ही करता है अथवा करने की चेष्टा करता है। भाषा के आविष्कार और सांस्कृतिक

विकास के साथ ही सम्प्रेषण और प्रभावी हो गया। चाहे मुद्रित माध्यम हो या Electronic माध्यम दोनों में लंबे समय से विज्ञापन द्वारा सम्प्रेषण को सशक्त बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो विज्ञापन जनसंचार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है।

विज्ञापन वर्तमान बाजार व्यवस्था की संजीवनी है। अंग्रेजी के Advertisement को हिन्दी में विज्ञापन कहते हैं। संक्षेप में इसे एड भी कहा जाता है। विज्ञापन शब्द ज्ञापन के साथ वि उपसर्ग के योग से बना है। जिसका अर्थ है विशेष रूप से सूचित करना या ज्ञान कराना। Advertisement का शब्दिक अर्थ है – To Advert (ध्यान दिलाना)। इस आलोक में Ad का अर्थ माना जा सकता है कि – किसी वस्तु की ओर ध्यान दिलाना या उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी देना।

विज्ञापन मूल रूप से व्यावसायिक होता है। विज्ञापन वह कला है जिससे उत्पादित वस्तुओं की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो और उपभोक्ताओं के मध्य इसकी माँग बढ़ सके। क्रय-विक्रय में वृद्धि विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन के कार्य और स्वरूप के अनुसार इसे परिभाषित किया गया है।

टोलडन – विज्ञापन एक व्यापारिक शक्ति है जो मुद्रित शब्द के द्वारा विक्रय कराती है। तथा विक्रय कराने में सहायता कराती है। कीर्ति का निर्माण करती है और साख बढ़ाती है।

फ्रैंक प्रेंसबेने – विज्ञापन लिखित मुद्रित शब्दों द्वारा व्यक्त या चित्रित विक्रय कला है। विज्ञापन का कार्य विज्ञापित वस्तु को बेचना या जनता के मस्तिष्क को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विज्ञापन के हित में प्रभावित करना होता है।

डॉ बर्डन – विज्ञापन में वे सभी क्रियाएँ सम्मिलित हैं जिसके अनुसार दृश्य या मौखिक संदेश जनता को सूचना देने के उद्देश्य से तथा उन्हें या तो किसी वस्तु को खरीदने के लिये प्रभावित करने हेतु या पूर्वनिश्चित विचारों संस्थाओं या व्यक्ति के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से सम्बोधित किये जाते हैं।

संक्षेप में उत्पाद की जानकारी देना नवीन वस्तु का आधार तैयार करना माँग उत्पन्न करना एवम् बढ़ाना प्रसिद्धि बनाना एवम् बाजार में स्वयम् को बनाये रखने के लिये जो मुद्रित या शाब्दिक सूचनाये दी जाती है, उसे ही विज्ञापन या एड कहा जाता है। वस्तु विशेष या सूचना विशेष की ओर ग्राहक का ध्यान आकृष्ट कर उसके विक्रय का मार्ग प्रशस्त करना विज्ञापन का उद्देश्य है। जनसंचार माध्यम के आधार पर विज्ञापन के तीन रूप हैं।

1. **मुद्रित या लिखित रूप** :- इस श्रेणी में समाचारपत्र या पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन इतिहास या सूचिपत्र आते हैं। पम्पलेट का प्रकाशन भी इसी श्रेणी में आता है।
2. **श्रव्य विज्ञापन** :- ये विज्ञापन ध्वनि रूप में हमारे सामने आते हैं। अर्थात् रेडियो द्वारा प्रसारित विज्ञापन।
3. **दृश्य-श्रव्य विज्ञापन** :- दूरदर्शन फिल्म, स्लाइडर इंटरनेट इत्यादि पर जाने वाले विज्ञापन दृश्य श्रव्य विज्ञापन के अन्तर्गत आते हैं। इसमें सबसे आकर्षक रूप से उत्पाद का प्रदर्शन एवम् वर्णन किया जाता है।

आज सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिये हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञापन का प्रसारण बहुसंख्यक जनता के लिये किया जाता है, जिनमें शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं। इसलिये विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि सभी आसानी से उसे समझ पाये। भाषा सर्वजनग्राह्य होनी चाहिये।

इसलिये विज्ञापन के लिये सरल, सुबोध, स्पष्ट और आम बोलचाल की भाषा आदर्श मानी जाती है। इस कसौटी पर हिन्दी बिल्कुल खड़ी उतरती है। विभिन्न संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग भिन्न-भिन्न रूप से किया जाता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो थोड़ी-बहुत या पूरी तरह से बोली एवम् समझी जाती है। प्रयोगगत भिन्नता के भार को वहन करने में हिन्दी पूर्ण रूप से सक्षम है।

विज्ञापन की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के लिये हिन्दी भाषा की महत्वपूर्ण एवम् उल्लेख्य विशेषता उसका लचीलापन है। हिन्दी भाषा इतनी दुराग्रही नहीं है कि उसमें सिर्फ हिन्दी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। हिन्दी का शब्द भण्डार तो देशज और विदेशज शब्दों के मिलने से ही समृद्ध हुआ है। हिन्दी की समृद्धि का आधार स्तंभ उसका लचीलापन ही है। भाषायी समृद्धि आज के समय में विज्ञापन की विशेषता ही नहीं वरन् आवश्यकता भी है। विज्ञापन में अँग्रेजी के शब्दों का जितना प्रयोग किया जा रहा है क्षेत्रीय शब्दों का भी उसी प्रकार उपयोग हो रहा है। इन दोनों दो ध्रुवीय शब्दों को एक साथ लेकर चलना हिन्दी की ही क्षमता है। हिन्दी व्यापक जनसंपर्क की भाषा है। इसलिये भारत में विज्ञापन में हिन्दी (जिसे हम प्रयोजनमूलक या व्यावहारिक हिन्दी भी कहते हैं) व्यवहृत हो रही है। विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी जनमानस द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली हिन्दी होती है न कि साहित्यिक हिन्दी या मानक हिन्दी। वैसे भी भाषा की परिवर्तनशीलता जगजाहिर है। अधिक समय तक इसका कोई एक रूप निश्चित नहीं रहता है।

विज्ञापन में प्रयुक्त हिन्दी शुद्धतावादी ना होकर विविधतामूलक जन भाषा हिंदी है। इसमें जन प्रचलित शब्दों का प्रयोग कलात्मक रूप से किया जाता है। आज की हिन्दी बहुभाषी शब्दों द्वारा निर्मित हिन्दी हो चुकी है। भाषा मिश्रण की यह प्रकृति मौखिक हिन्दी का अभिन्न अंग है। विज्ञापन के सभी रूपों में हिन्दी का यही स्वरूप प्रचलित है और वर्तमान संदर्भ में यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि शुद्धतावादी दृष्टिकोण विज्ञापन के उद्देश्य पूर्ति में बाधक ही बनेगा साधक कभी भी नहीं।

सहायक पुस्तकें :-

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी — कमल कुमार बोस
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी — डॉ. माधव सोनटक्के
3. राजभाषा हिन्दी — प्रकाशन विभाग
4. प्रयोजनमूलक हिन्दी संरचना एवम् अनुप्रयोग — डॉ रामप्रकाश, डॉ दिनेश गुप्त

ईमेल – komalzhs@gmail.com

मोबाइल नंबर – 7488259826



प्रवासी जीवन का संकट-कीर्ति चौधरी की कहानी “जहाँनारा” और रमा जोशी की कहानी “करमा” के संदर्भ में

बिंदु. आर

शोध छात्रा, हिंदी विभाग, कोच्चिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि- 682022, केरल

प्रवासी साहित्य के माध्यम हिंदी भाषा का पाठन पश्चिमी समाज की देन और जीवन शैली से परिचित होता है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श के साथ-साथ प्रवासी विमर्श के मुद्दे भी उठाना आज बहुत ही आवश्यक हो गया है। डॉ. सुधा ओम ढींगरा के शब्दों में विदेश में लिखे जा रहे साहित्य को प्रवासी साहित्य कहा जाता है हर देश के साहित्य की भिन्नता परिवेश, जीवन मूल्य मानसिकता और सामाजिक सरोकारों से होता है।

प्रवासी साहित्य का मतलब प्रवासी लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य है। 'प्रवास' शब्द का अर्थ है, विदेश भ्रमण गमन या विदेश यात्रा। हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रवासी हिंदी साहित्यकारों के योगदान को हम नकार नहीं सकते बल्कि उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में हमें एक अलग प्रकार की संवेदना प्रकट होती है।

तीसरा सप्तक के एक मात्र कवयित्री कीर्ति चौधरी की कहानी “जहाँनारा” में लंदन में काम करने वाली दो लड़कियों की कहानी है। हमारे देश में सभी लोगों को काम मिलना मुश्किल है। वह पढ़े हो या अनपढ़। काम मिले तो तनखाह उसकी प्रतीक्षा के अनुसार नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में लोग विदेश में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि तनखाह भी ज्यादा हैं। प्रस्तुत कहानी में उषा को लंदन में काम मिला। उसको वहाँ के एक ऑफिस के लाइब्रेरी में ही काम मिला है। उसका काम अखबारों की मॉनिटरिंग का था। सुबह-सुबह उसे सारे अखबार पढ़ कर उन सारी खबरों को इकट्ठा करना होगा जो ऑफिस के काम से संबंधित हो, फिर उनकी एक समरी लिखकर बोर्ड पर लगानी होगी ताकि लोगों को पूरा खबर पढ़े बिना सारी जानकारी हो जाए। नौकरी में दिलचस्प है फिर भी उषा को लंदन आकर बहुत अकेलापन महसूस होती है। अपनी भाषा सुनने के लिए उषा कीमन तरस रही है। जब उषा की मुलाकात जहाँनारा से होती है, वह बहुत खुश होती है कि जहाँनारा भी भारत की है। जब ऑफिस के बारे में जहाँनारा उषा से बताना शुरू किया तो वह बताती है कि-

“इस ऑफिस में हिंदुस्तानी लोग बहुत कम है, जो हैंवे भी प्रिंट रूम में मशीन पर काम करते हैं। मेरा मतलब पढ़े-लिखे लोगों में एक मैंही थी, अगर अब आप आ गईं, अच्छा साथ रहेगा।”

जहाँनारा के इन बातों से यह वक्त होता है कि वाहाँ भारत के अनपढ़ लोग भी काम करते हैं। जहाँनारा हैदराबाद से है। उसके परिवार दुबई में रहता है। दिल्ली में उसकी पढ़ाई हुई और वहीं से आगे पढ़ने के लिए

लंदन आई। हम कितने ही पढ़े लिखे हो, स्वतंत्र चिंतन का हो फिर भी पूरी तरह विदेश की संस्कृति को हमसे अपनाना नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी संस्कृति का जड़ हमारे अंदर जरूर रहेगा। उषा जहाँनारा के बारे में सोचती है कि—

“मैं सोचती रही कि जहानारा के पहनावे में तो बदलाव आ गया था, वे साड़ी, सलवार कमीज के अलावा ट्राउज़र भी पहन लेती थीं, पर उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। अकेली औरत का मर्दों से मेलजोल उन्हें कतई पसंद न था।”²

प्रवासी लोगों को हमारे देश की खाना, रहन-सहन, प्यार, त्योहार लगाव इन सभी की याद सताती रहेगी। इसलिए वहाँ की जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार करना मुश्किल पड़ जाता है। जहाँनारा पहले जिस तीन मंजिले मकान में किराए पर रहती थी, उसके नीचे किराए पर स्टूडेंट रहते थे। एक बार वे लोग जहाँनारा को पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया। लेकिन जहाँनारा न दरवाजा खुला न पार्टी में गई। खुलेआम लड़के लड़कियों को बेरोकटोक घूमना लंदन में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति में पले जहानारा को यह बिल्कुल पसंद और स्वीकार नहीं है। इसके बारे में वह उषा से यों बताती है कि—

“लोगों से मैंने तरह-तरह की बातें सुन रखी थी। यहाँ के लोगों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, लड़के-लड़कियों में कोई आपस में लिहाज-शर्म नहीं। पार्टियाँ, नाच गाना, सिगरेट, शराब यही सब चलता रहता है, माँ-बाप कोई रोक टोक नहीं करते सुन-सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगता। कैसी होगी वह दुनिया जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं।”³

जहाँनारा अकेली है। कई लोगों ने उससे प्रेम निवेदन की, शादी का प्रस्ताव किया। लेकिन वह इन सब का इनकार किया। वह किराए पर रहते मकान के नीचे रहने वाले स्टूडेंट के कमरे में पार्टी चलते समय वह खिड़की और दरवाजा बंद करके कमरे में ही रहा। यह बहुत दिन पहले की बात है। इन पुरानी बातों को कहते वक्त उसकी आवाज में निराशा है। इस पुरानी कहानी को कई बार उसने उषा से कह दिया। एक बार उस कहानी के साथ उसने बताया कि—

“सोचती हूँ यदि उस दिन दरवाजा खोल कर उन लोगों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता तो आज मेरा जीवन कैसा होता?”⁴

यहाँ लेखिका यह प्रश्न पाठकों पर छोड़ता है कि, यदि जहाँनारा को लंदन की संस्कृति को स्वीकार कर वहाँ की संस्कृति के अनुसार जीना है या वह अपनी संस्कृति के अनुसार ही विदेश में भी जीती है यही सही है। उस दिन उन लड़का लड़कियों के निमंत्रण को स्वीकार कर वह उस पार्टी में गई हो तो शायद उसको आज अकेली खोई हुई नहीं महसूस होगी। लेखिका हमें इस प्रकार सोचने को विवश करता है कि, हम जिस देश में जीते हैं उस देश की संस्कृति को अपनाकर वहाँ के रहन-सहन के अनुसार जीना है। नहीं तो हम वहाँ अकेला पड़ जाएगा। यहाँ जहाँनारा भी इसलिए अकेली हो गई है कि उसे लंदन की संस्कृति कभी भी स्वीकार नहीं थी। लाहौर में जन्मे और शादी के बाद इंग्लैंड में रहने वाली रमा जोशी की कहानी है “करमा”। विलायत जाकर काम करना करमा का सपना था। जब उसके चारों ओर के लोग उससे मिले तो वे कहने लगेंगे कि —

“भैया विलायत कब जा रहे हो? भाई भाग वाले हो, वहाँ तो सोना ही सोना है।”⁵

लोगों की बातें सुनकर उसका तन मन पुलक से भर जाता। उसकी भाभी के रिश्तेदार ने रु. 3000

उसकी राहदारी के खर्च के लिए भेजे थे तो करमा सोचता है कि—

“कितने लोगों ने इस जन्म में इतने रूपए इकट्ठे देखे होंगे?”⁶

करमा दसवीं पास करके 2 साल से बेकार बैठा है। उसे कोई काम ठीक से नहीं मिला या उन्होंने नहीं किया। विलायत जाने में ही उसका मन लगा है। इसलिए माँ भी खेती में ज्यादा काम नहीं करने देती।

करमा विलायत पहुँचता है। विलायत आकर 10 दिन के बाद ही वह पहली बार फैक्ट्री में नौकरी करने जाता है। उसके रिश्तेदार उसे रास्ता दिखाया और वह उसे ढेरों नसीहतें दी थीं—

“ज्यादा मुँह न खोले, ध्यान से सुने और बात-बात पर थैक-यू कहना न भूले, बाकी ईश्वर पर छोड़ दे।”⁷

विलायत जाकर काम करना करमा का बहुत बड़ा आग्रह था। नये देश की मौसम और वातावरण उसको एक नया अनुभव देता है। करमा घर से चला तो सुबह के 7.30 बजे थे। उसने देखा, उस समय वहाँ का वातावरण ऐसा था—

“बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी जिसे अपने यहाँ बूँदा-बूँदी कहते हैं, ऐसा नहीं कि पांच-दस मिनट में साराबोर हो जाओ, वहाँ पर सब कुछ हर समय में भीगा भीगा-सा रहता था। सुबह के अंधेरे में लैंप-पोस्टों की बतियाँ कारों की बतियाँ और बसों की बतियाँ टिम टिम रही थीं, धुंध में यह टिमटिमाहट बड़ी भली सी लगती थी।”⁸

यहाँ हमें विलायत के मौसम के बारे में एक छोटा सा चित्र मिलते हैं।

यहाँ करमा को सड़क पार करना भी मुश्किल काम बन जाता है। क्योंकि सड़क पार करते वक्त वहाँ के नियमों का जानना जरूरी है। उसने देखा कि जेब्रा क्रॉसिंग पर एक आदमी वर्दी सी पहने बच्चों को सड़क पार करवा रहा था। करमा भी बच्चों के साथ सड़क पार किया। जब हम एक अपरिचित देश में जाते हैं, तो वहाँ के रहन-सहन और कानून यह सब जानने में समय लगेगा।

हमारा देश कितना अच्छा है, यहाँ रहकर हम यहनहीं जान जायेगा। यहाँ रहते वक्त विलायती चीजों और वहाँ की धरती की ओर आकर्षित होता है। देश के बाहर जाकर क्या-क्या कष्टताएँ भोगना पड़ेगा वह बाद में ही पता चलेगा। प्रवासी साहित्यकार अच्छी तरह जानते हैं कि, हमारा देश और यहाँ की जिंदगी, यहाँ की मौसम तक कितना अच्छा है। पढ़ाई, नौकरी और भी कोई कारण से प्रवासी लोग वहाँ रहने के लिए विवश बन जाते हैं।

करमा बस में यात्रा करते वक्त देखता है कि :-

“बस पर कपड़ों में दबे-घुटे लोग शून्य में देखे जा रहे थे या अखबार पर नजरें गड़ाये बैठे थे। बस में एकदम चुप्पी थी और काफी गर्मी। अपने ओवरकोट में करमा को गर्मी महसूस होने लगी और उसका जी घबराने लगा। अजीब बात थी, बाहर ठंड लगने लगती है और अंदर गर्मी। देखा —बस में भी हीटर थे।”⁹

इन वाक्यों से यह हमें यह जान सकते हैं कि विदेश का मौसम, वातावरण, रहन-सहन हमारे देश से भिन्न है। प्रवासी लोगों को इन सारी बदलाव को स्वीकार करना पड़ता है। बस में यात्रा करते वक्त कंडक्टर करमा को टिकट देता है उस पर Ta-love लिखा था। करमा को यह समझने में कुछ देर लगी। इसका मतलब थैंक्यू है तो उसने सोचता है कि—

“थैंक्यू को क्या टा कहते हैं। यह भी भला कोई बात हुई।”¹⁰

विलायत जाकर काम करना करमा का सपना था। लेकिन यहां आकर उसका दिल डूबता सा लगता है। वह सोचता है कि—

“जाने कैसे देश में आ गए हैं— इतना जोर लगाकर कैसा देश है— न यहां की भाषा समझ आए न यहां का खाना अच्छा लगे और अंधेरा अंधेरा मौसम।इस जगह ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि लोग—बाग भागे चले आते हैं।”¹¹

ऐसा सोचकर उसकी आंखों में पानी आया। फैक्ट्री में उसका काम था कि मशीनों को झाड़ना—पोंछना, फर्श साफ करना आदि। उसे काम बहुत मुश्किल नहीं लगा पर बेहद ऊबने वाला लगा। लेकिन उसे इस बात पर खुशी हुई कि पैसा जमा कर जितनी जल्दी हो सके गांव के परिवार के लिए भेजने हैं। करमा अपने घरवालों को भेजे खत में लिखता है कि—

“अपने चाचा के बीरे को कहो कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, यहां आकर पौडों की कमाई करे।”¹²
खत पोस्ट करके करमा सोचने लगा—

“कोई अपना यहां हो तो वक्त तो बीते। देखो—(शायद बीरा आ ही जाए) बीरा को आने में कितनी देर लगती है।”¹³

करमा का सपनाथा विलायत आकर काम करना। यह सफल हुआ लेकिन यहां आकर वह उतना खुश नहीं है उसे अकेलापन महसूस होता है। यहां का काम और जिंदगी ऊबने वाला है। उसे तनखाह के रूप में मिला पैसा ज्यादा है या कम यह भी वह नहीं जानता। वह बिल्कुल विदेश के बातों के बारे में अज्ञान है।

‘कारमा’, ‘जहानारा’, और ‘उषा’ इन तीनों पात्र विलायत में काम करना पसंद करते हैं फिर भी उनको अकेलापन महसूस होते हैं। यह अकेलापन हर प्रवासियों को महसूस हुआ होगा। अपने देश, घर, परिवार, सगे—संबंधी, यहां के मौसम, खाना यहां के सब कुछ वहां नहीं होगा। इन सबकी यादें प्रवासियों के मन में कौंधता ही रहेगा।

निष्कर्ष :-

हर प्रवासी का यही हाल है। विदेश पसंद करते हैं, वहां की स्वतंत्र जीवन भी पसंद है पूरी तरह न सही। जितने भी साल विदेश में रहे फिर भी हमारे देश की धरती, गांव, वातावरण, प्यार, लगाव प्रवासियों के याद में कौंधता ही रहेगा। इसका ठोस प्रमाण है प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्यकार विदेश में रहकर भी हमारी धरती और भाषा को नहीं भूलते। अपने साहित्य द्वारा हमारी भाषा और देश को समृद्ध बनाते हैं।

संदर्भ :-

1. प्रभास में पहली कहानी— सं. उषा वर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली—110002, प्रथम सं. 2008, पृष्ठ 55
2. वहीं, पृष्ठ 58
3. वहीं, पृष्ठ 57
4. वहीं, पृष्ठ 59
5. वहीं, पृष्ठ 81
6. वहीं, पृष्ठ 81

7. वहीं, पृष्ठ 82
8. वहीं, पृष्ठ 82
9. वहीं, पृष्ठ 82
10. वहीं, पृष्ठ 83
11. वहीं, पृष्ठ 83
12. वहीं, पृष्ठ 83
13. वहीं, पृष्ठ 83

सहायक ग्रंथ :-

1. प्रवास में पहली कहानी— सं. उषा वर्मा, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली— 110002, प्रथम सं. 2008
2. <https://bhawanaonkasansar.com>— हिंदी का प्रवासी साहित्य : डॉ. वर्षा गुप्ता ।
3. प्रवासी साहित्य और हिंदी भाषा का महत्व —सं. डॉ. मधुछंदा चक्रवर्ती, डॉ. कमल हरनाल, अमन प्रकाशन, कानपुर —208012, प्रथम सं. 2019

Home Address

Bindu. R, Ravi Nivas, Athikuzhi, Chittur (po), Palakkad

Mob. 9747902254

Email- Id.br94962@gmail.com



हिन्दी भाषा का वर्तमान और भविष्य

Dr. PUSHPAKUMARI

Assistant Professor, Department of Hindi, S. M. College Bhagalpur, (T. M. B. U.), Bihar Pin Code 812001

विरोधों और संघर्षों से जूझती अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हिन्दी आज सम्पूर्ण भारतवर्ष की वाणी बन चुकी है। यह सर्वत्र समान रूप से व्यवहृत हो रही है। राजनीतिक दौंवपेंच से उबरकर हिन्दी निश्चित तौर पर निरंतर लोकप्रियता को प्राप्त करने में समर्थ होती जा रही है। हिन्दी किसी क्षेत्र, जाति, धर्म तथा वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, अपितु समूची भारतीय संरचना में समायी राष्ट्रीय एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की अद्वितीय कड़ी है। हिन्दी भारतेन्दु, हरिऔध, निराला, प्रेमचंद, अज्ञेय और मुक्तिबोध की रचनाधर्मिता का ही भंडार नहीं है बल्कि रहीम, रसखान और जायसी की अंतरात्मा की पुकार भी है। इस प्रकार परम वैशिष्ट्य को प्राप्त करनेवाली इस भाषा को समय और सीमा के भीतर बाँध पाना कठिन ही नहीं असंभव भी है। समुद्रों, पर्वतों, वनों को पार कर हिन्दी ने भारतेतर देशों में भी अपनी विजय दुदुंभी का निनाद किया है और वहाँ समुचित सम्मान भी प्राप्त किया है। भारत में सिकंदर लोदी के समय से लेकर मुगल शासन के अंत तक फारसी राजभाषा के पद पर आसीन रही। फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी राजभाषा बनी। सन् 1947 ई० में देश स्वतंत्र हुआ। 14 सितम्बर 1949 ई० को संविधान की भाषा समिति ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन किया था क्योंकि यह भारत की बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रयोग में लायी जाती थी। स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी भाषा में रचित पत्र-पत्रिकाओं ने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी, 1950 ई० में देश का नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 343 में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संविधान में देश की राजभाषा हिन्दी का तो उल्लेख है, किन्तु 'राष्ट्रभाषा' का कोई उल्लेख नहीं है। यह सही है कि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की स्वाभाविक जनभाषा होती है, वह बनायी नहीं जाती, बल्कि राष्ट्रभाषा सरकार द्वारा निश्चित की जाती है।

पिछले एक हजार वर्ष के अपने इतिहास में हिन्दी का निरन्तर किसी-न-किसी रूप में विकास होता रहा है। हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ और सशक्त संवाहिका भी है, जो देश के ही नहीं विदेशों में करोड़ों की संख्या में प्रवासी भारतीयों और भारत मूल के लोगों के बीच आत्मीयता के मधुर सम्बन्ध स्थापित करने और भारतीय संस्कृति से निरंतर जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम का काम करती हैं। इसी में वे अपनी अस्मिता की पहचान भी पाते हैं। हिन्दी बोली तो खूब जा रही है और विश्व में इसके बोलने वाले पहले स्थान पर नहीं, तो दूसरे स्थान पर अवश्य हैं। राष्ट्र की राजभाषा हिन्दी अभी भी हिन्दी भाषी राज्यों में सभी उच्च न्यायालयों और देश के सर्वोच्च न्यायालय की भाषा नहीं बन पायी है, जो कि सबसे बड़ी

आवश्यकता है। भारत की लगभग आधे से अधिक आबादी हिन्दी बोलते समझते हैं।

यूनेस्को के अनुसार विश्व के 137 देशों में हिन्दी भाषा किसी-न-किसी रूप में जीवंत तरीके से मौजूद है। विश्व के 153 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग के तहत या भारतीय विद्या (इंडोलॉजी) विभाग के अंग के रूप में हिन्दी की पढ़ाई होती है। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के द्वारा 30 देशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षक का विशिष्ट पद सृजित किया गया है। अर्थात् व्यवहार में हिन्दी विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। हिन्दी की इस विश्वव्यापी भूमिका को मद्दे नजर रखते हुए अबतक 11 विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं और 12वां विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन 15-17 फरवरी, 2023 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से फिजी में किया जा रहा है। हमें गर्व है कि हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए सर्वप्रथम 4 अक्टूबर 1976 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना मूल भाषण हिन्दी में देकर विश्व के सामने हिन्दी के गौरव को बढ़ाया था। 13 जुलाई, 2007 को तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वानकी मून ने आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था—“हिन्दी एक मीठी भाषा है, जो दुनिया भर के लोगों को पास लाने का काम कर रही है। यह एक ऐसी भाषा है जो दुनियाँ भर की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करती है।” इस प्रकार आज हिन्दी का स्वरूप राष्ट्रभाषा से ऊपर उठकर एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का भी है और इसके खुशहाल भविष्य पर भी हमें इसी दृष्टि से विचार करना होगा।

वर्ष 2006 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी, को प्रतिवर्ष विश्व हिन्दी दिवस मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक प्रयास करना और इसे अन्तराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया जाना है। जबकि सम्पूर्ण भारतवर्ष में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हिन्दी भाषा विश्व में अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं में से एक है। भारत के अतिरिक्त हिन्दी भाषा नेपाल, मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, टोबैगो और त्रिनिदाद जैसे अन्य देशों में भी बोली जाती है। वैश्विक स्तर पर तो हिन्दी भाषा अत्यंत समृद्ध होती जा रही है किन्तु अपने ही देश भारत में हिन्दी की वर्तमान स्थिति दयनीय हो गयी है। हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिले वर्षों बीतने के बाद भी अभी तक यह पूर्णतः राजभाषा नहीं बन सकी। संविधान के अनुसार इसे 1965 ई0 में ही पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले लेना चाहिए था। संविधान आज भी यही कहता है और उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। हिन्दी की इस बेचारगी पर ध्यान केन्द्रित करने पर जो तथ्यगत सच्चाई सामने आती है उस पर संशोधनपरक अमल किये जाने की आवश्यकता है।

पहली सच्चाई तो यह है कि हम हिन्दी को रोजगार के साथ अब तक नहीं जोड़ पाये। जब तक कोई भाषा रोजगार की भाषा नहीं बन जाती, तब तक वर्तमान पीढ़ी के आकर्षण की केन्द्र बिन्दु नहीं हो पाती है। संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य तकनीकी नौकरियों में ज्यादा पुस्तकें एवं पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में मिलते हैं। दूसरी ओर निजी क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बना हुआ है और इससे अनेक विदेशी कम्पनियों, उद्यम, निगम आदि भारत में अंग्रेजी भाषा में ही काम करते हैं। यदि हमें हिन्दी को प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूरसंचार और राजनीति की भाषा बनानी है तो हमें निश्चित रूप से हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। मानविकी, ज्ञान-विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा, जब तक हिन्दी माध्यम से नहीं दी जायेगी, तब तक हिन्दी का सम्पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता। इसे मात्र कहानी, कविता और उपन्यास की भाषा से ऊपर

उठाकर नवीनतम ज्ञान—विज्ञान की भाषा भी बनाना होगा। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन—प्रतिदिन हो रही उपलब्धियों के समानान्तर चलना होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय 'अनुवाद संस्थान' की स्थापना करनी होगी, जहाँ विश्व की किसी भी विकसित भाषा में प्रकाशित नवीनतम उच्च ज्ञान और शोध के साहित्य को तत्काल हिन्दी में उपलब्ध कराया जा सके। इससे हिन्दी माध्यम के शोधार्थियों को नवीनतम ज्ञान के लिए अंग्रेजी का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा। उन्हें नवीनतम उच्च ज्ञान का साहित्य सहज और तत्काल ही अपनी भाषा में मिल जायेगा। आज हम अपने देश के साहित्य और भाषा के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गये हैं। यहाँ बहुत सावधानी और साहस की आवश्यकता है। यहाँ से गलत कदम उठाने का मतलब है दीर्घकाल तक के लिए भटकने को बाध्य होना। आज हिन्दी भाषा के वर्तमान एवं भविष्य पर एक सकारात्मक दृष्टि डालने और उसे क्रियान्वित करने का समय आ गया है। आज नित नवीन तकनीकी विकासों एवं प्रयोगों के कारण हिन्दी भाषा के प्रयोग में दैनंदिन प्रगति संभव हो सकी है। यह सच है कि भारतवर्ष में भाषाओं की विविधता के बावजूद हिन्दी में राष्ट्रभाषा के उच्च शिखर पर गौरवान्वित हो रही है। अनुवाद प्रक्रिया के द्वारा इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है। आगामी दशकों में हिन्दी भाषा के नवीन, अग्रगामी भविष्य का सुनहला रूप प्राप्त होने की गुंजाईश संभव प्रतीत हो रही है। इसके लिए आन्दोलनात्मक प्रचार निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा के निरंतर बढ़ते प्रयोग से हिन्दी भाषा के प्रति अस्वस्थ मनोवृत्ति पैदा हो रही है। परिणाम यह है कि हममें हिन्दी भाषा के प्रति सहजता न होकर कृत्रिम और बोझिल मानसिकता का संचार होने लगा है। इसके लिए विश्वविद्यालयी स्तर पर हिन्दी भाषा के ज्यादा—से—ज्यादा प्रयोग के लिए अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसके अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य को, अन्यान्य भाषाओं की तुलना में अधिक महत्व मिलना चाहिए क्योंकि इससे हिन्दी भाषा के विकास को बल मिलेगा।

इन दिनों नाना कारणों से हिन्दी की ओर लोगों की दृष्टि आकृष्ट हुई है और इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयों के शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। हिन्दीतर प्रान्तों के अनेक शिक्षार्थी, छात्र हमारे विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं और विभिन्न विषयों में शोध—कार्य में भी जुटे हुए हैं। यद्यपि इस ओर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को भी सकारात्मक सहयोग देने की आवश्यकता बढ़ गयी है लेकिन सरकार के बढ़ते सहयोगात्मक रवैये से अधिकाधिक प्रेरसाहन मिला है। आज अन्य भाषाओं की तुलना में हिन्दी भाषा में अनुवाद कार्य अत्यधिक होने लगे हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी भाषा परिष्कृत, अधिक उदार और अधिक परिमार्जित होती जा रही है। यह इसकी शुभता के लक्षण हैं।

हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में निचली कक्षाओं से ही पढ़ाया जाये तो अंग्रेजी का वर्चस्व कम होगा और हिन्दी भाषा जन—जन की भाषा बन पायेगी। आज भी जबकि बोलने के तौर पर हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है, विडम्बना यह है कि उसी समान अनुपात में लिखी नहीं जा रही है। हमें इसके लिए रोमण लिपि का ही सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी टंककों की अपेक्षा हिन्दी टंकक कम ही मिलते हैं। आज के कम्प्यूटर प्रधान युग में ई—मेल, ई—फॉर्म, ई—कामर्स, ई—गवर्नेंस, ई—टेंडर आदि का जमाना है। ऐसे में हिन्दी भाषा में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार कर इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसी के तहत भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने फरवरी, 2012 के एक आदेश में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों को 'यूनिकोड' कम्पलाएंस फॉन्ट्स एवं यूनिकोड के अनुरूप सॉफ्टवेयर तथा इन—स्क्रिप्ट कुंजीपटल का ही प्रयोग करने की

हिदायत दी है, जो सरकार का मानक की-बोर्ड है। इसका यह भी लाभ है कि एक भाषा में इन-स्क्रिप्ट की-बोर्ड सीख लेने पर सभी भारतीय भाषाओं में आसानी से टंकन किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि दो वर्ष बाद रेमिगटन की-बोर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। नई भर्तियों के लिए टाइपिंग परीक्षा केवल इन-स्क्रिप्ट कुंजी-पटल पर ही ली जायेगी।

हम देखते हैं कि हिन्दी भाषा का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आवश्यकता है तो बस इनके प्रयोग की। हिन्दी का यह सौभाग्य ही है कि इसे देवनागरी लिपि के रूप में विश्व की एक सर्वाधिक वैज्ञानिक और ध्वनि-प्रधान लिपि विरासत में मिली है, जो हिन्दी के लिए एक वरदान है। हम जानते हैं कि इसका उद्भव भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है, जिससे भारत की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ विकसित हुई हैं। इसलिए कम्प्यूटर का देवनागरी की-बोर्ड सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान ही है। फलस्वरूप भारत की विभिन्न भारतीय भाषाओं में सहज आदान-प्रदान और लेखन के लिए इसका समुचित उपयोग किया जा सकता है।

भाषा प्रबंधन में सरलीकरण, मशीनीकरण, अप्रचलित शब्दों का लोप, नई शब्द रचना, सार्थकता वृद्धि, शब्दों में निखार, संक्षेपण की प्रवृत्ति, प्रभावी व्यंजना, पारिभाषिक शब्दों की वृद्धि, गोपनीयता, संवेदनशीलता, अनुवादीय भाषा और लोकभाषा आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान में धड़ल्ले से चल रहे हिंग्लिस को छोड़कर हिन्दी भाषा में सोशल मीडिया का उपयोग करना होगा जिससे हिन्दी भाषा का भविष्य उन्नत हो सके।

निष्कर्ष :-

आज आवश्यकता है कि मैकाले द्वारा रोपित इस मानसिकता को जड़ों से उखाड़ फेंके और भारतीयता के महान आदर्शों को आत्मसात् करते हुए पूरी दुनिया को भारतीयता के मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत करें ताकि वे वास्तविक भारत को पहचान सकें और कहे कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। यह कार्य तभी संभव हो पायेगा जब भारत का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपना दैनिक कामकाज, चिंतन और आपसी संवाद हमारे देश की भाषा हिन्दी में करे। यदि भारतीय को हीन भावना से मुक्त होना है तो उसे अपना कार्य व्यापार हिन्दी भाषा में अधिकाधिक करना होगा। अभी स्थिति इतनी जटिल नहीं हुई है कि उसे सुधारा नहीं जा सके। बस आवश्यकता एक पहल की है। अपनी मानसिक सोच बदलने की। यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है कि आज हम सबको राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास व प्रयोग को लेकर आत्मचिंतन करते हुए सभी की वैचारिकता तक इसे पहुँचाना है ताकि राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हो सके तथा हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भारतीय कहने में गर्व महसूस कर सकें। हमें इस संकल्प को दृढ़तापूर्वक कारगर करना होगा जिससे हिन्दी भाषा को विश्व के भाषाई क्षितिज के शीर्ष पर स्थापित किया जा सके।

EMail Id : pushpa201073@gmail.com

Mobile 7004531201



एशिया के देशों में हिंदी पत्रकारिता

डॉ. राखी. के. शाह

सहायक आचार्या, हिन्दी विभाग, जैन (अभिमत पात्र विश्वविद्यालय),
एस.ओ.एस, जे.सी.रोड, बेंगलोर, कर्नाटक, भारत।

“हिन्द देश की बेटि है हिन्दी,
है भारत माँ के माथे की बिन्दी।
है ये जन जन को प्यारी।
है ये राजभाषा हमारी।।”

हिन्दी, मात्र भारत देश की ही नहीं अपितु बहुदेशीय भाषा का रूप धारण कर चुकी है जिसके कारण हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इसे देखकर हम भारतीयों को गर्व का अनुभव होता है। बीस वर्षों के विश्व भ्रमण से डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल जी यह जान पाए कि विश्व में सब से अधिक बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है। वर्तमान में भारत से बाहर सौ से अधिक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन, इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी मात्र साहित्य की भाषा नहीं वरन् वह हृदयों को जोड़ने वाली ऊर्जा भी है और प्रेम की गंगा भी। आज भूमंडलीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हिन्दी का वैश्विक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विज्ञापन, वेब, संगीत, सिनेमा, पत्रकारिता, बाजार आदि क्षेत्रों में हिन्दी की माँग जिस तेजी से बढ़ रही है वैसी किसी अन्य भाषा के लिए नहीं। भाषा और साहित्य की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। इसीलिए हिन्दी भारतीय संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को लक्ष्य करके प्रसारित हो रही है। विश्व की इस महान् भाषा के विकास के लिए विभिन्न भारतेतर देशों में संचार साधन के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का भी खुलकर सहयोग लिया जा रहा है।

पत्रकारिता के बारे में डॉ. अर्जुन तिवारी अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं— “ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है।” मानव जीवन में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण स्थान और उच्च आदर्शों के पालन के लिए सदैव अपनी पहचान बनाती आ रही है। शताब्दियों पूर्व भारतीय विश्व के विविध देशों में जाकर बस गये थे और उनके वंशज आज भी वहाँ निवास कर रहे हैं। वे आज भी अपने धर्म, संस्कृति और भाषा से भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा समय-समय पर हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया गया था, जो विविध रूपों में आज भी जारी है। भारत एशिया का एक प्रमुख देश है। अतः सबसे पहले इसके पड़ोसी अन्य एशियाई देशों में हिन्दी पत्रकारिता का अवलोकन करना उचित होगा। एशिया में पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल,

बर्मा, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान और चीन प्रमुख देश हैं।

पाकिस्तान :-

स्वतंत्रता के साथ ही भारत के विभाजन का दंश सभी को पीड़ित कर गया। यह सर्वविदित है कि अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में बाँट दिया और 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण से पहले लाहौर हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता का केंद्र था। "पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही वहाँ हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की खोज के रास्ते बंद हो गए।" संभव है, कोई शोधार्थी लाहौर, कराची जाकर वहाँ के पुराने पुस्तकालयों को खोजे और कुछ नई जानकारी मिले।

बँगलादेश :-

इसी प्रकार 17 दिसंबर, 1971 को बँगलादेश का निर्माण हुआ। ढाका हिंदी पत्रकारिता का केंद्र था। यहाँ से 'धर्मनीति तत्त्व' (1880), 'विद्याधर्म दीपिका' (1888), 'द्विज' (1989), 'नागरी हितैषी' (1905), 'तत्त्व दर्शन' (1911), 'मेल-मिलाप' (1939) तथा 'बिहार बंधु' (1979) के प्रकाशन का प्रमाण मिलता है। इसी क्रम में 'मौजी' तथा 'साहित्य' त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

नेपाल :-

यह हमारे भारत का सबसे निकटतम देश है। इस की राष्ट्र भाषा तो नेपाली है किन्तु लिपि देवनागरी ही है। नेपाल में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ मोतीराम भट्ट ने किया। वे पत्रकार एवं साहित्यकार दोनों थे। "नेपाल नरेश ने भी हिंदी पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान किया।" इन पत्रिकाओं में 'रमझम' (1916) उल्लेखनीय है। नेपाल के दैनिक पत्रों में 'समाज' और 'गोरखा पत्र' पाक्षिक पत्रों में 'प्रतिध्वनि' और 'कंचनजंघाशय मासिक पत्रिकाओं में 'बालक', 'महिला बोल्छिन', 'पंचायत', 'मजदूर', 'रूपरेखा', 'विद्वान्श्य द्वैमासिक में 'कल्पना' और 'रत्नश्री' तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं में 'मानु' एवं 'नेपाली' उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त 'जनचेतना', 'हिमालय', 'हिमोक्त संस्कृत' आदि पत्र-पत्रिकाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण चंद्र मिश्र के सम्पादन में सन् 1980 से 'साहित्य लोक' त्रैमासिक पत्रिका निकल रही थी अब उनके देहांत के बाद कृष्ण चंद्र मिश्र साहित्य अकादमी 'हिमालिनी' त्रैमासिक पत्रिका निकाल रही है। हिन्दी पत्रों की प्रकाशन की दृष्टि से नेपाल में वर्तमान स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। फिर भी उपर्युक्त पत्र हिन्दी की विश्वजनीनता को बनाए हुए हैं।

बर्मा :-

बर्मा कभी भारत का ही अंग था किंतु अब यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यहां भी प्रचुर मात्रा में प्रवासी भारतीय रहते हैं। यहां हिन्दी के विकास में पं. हरिवदन शर्मा एवं श्री एल. बी. लाठिया का योगदान अद्वितीय है। यहां श्री लाठिया ने 'बर्मा समाचार' के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता की नींव रखी। इसके बाद 'प्राची कलश' मासिक पत्र भी कुछ वर्ष तक प्रकाशित होकर बंद हो गया। सन् 1934 में 'प्राची कलश' हिन्दी दैनिक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे श्री अनंतराम मिश्र एवं श्यामाचारण मिश्र। इसके बाद 1953 में 'ब्रह्मभूमि' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ जो अभी तक निकल रहा है, जिसके कारण बर्मा में हिन्दी पत्रकारिता की ज्योति आज भी जल रही है।

श्रीलंका :-

श्रीलंका में 'सुगृहिणी' (1881) मासिक पत्रिका के निकलने का प्रमाण मिलता है जिसकी संपादक श्रीमती हेमंत कुमारी थीं।

सिंगापुर :-

सिंगापुर से निकलने वाली पहली हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका 'सिंगापुर संगम' है जिसकी संपादिका डॉ. संध्या सिंह हैं।

जापान :-

"संसार में सर्वप्रथम सूर्योदय के दर्शन करने वाला ज्वालामुखियों का देश जापान अपनी वैज्ञानिक कुशलता के लिए जग प्रसिद्ध है।³ यहां हिन्दी का पठन-पाठन अन्य देशों की ही भांति होता है। जापान एवं भारत का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संबंध बहुत प्राचीन है। बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण जापानियों का भारत से भावात्मक लगाव है। इसीलिए यहां के लोग हिन्दी सीखते हैं। सन् 1964 में यहां से एक 'अंक' नाम का पत्र प्रकाशित हुआ। जिसके अब तक 21 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जापान भारत मित्रता संघ का मासिक पत्र 'सर्वोदय' भी प्रकाशित होता है। वस्तुतः यह धार्मिक पत्र है किंतु इसमें हिन्दी संबंधी सामग्री रहती है। यथार्थ रूप में ये सभी पत्र जापानी से अनूदित होकर प्रकाशित होते हैं। जापान का प्रथम हिन्दी पत्र 'ज्वालामुखी' है जिसका प्रथम अंक सितंबर, 1980 में टोक्यो से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक हैं श्री योशिकाकि सुजुकि। इसके अब तक दो अंक ही प्रकाशित हुए हैं। प्रकाशन के बारे में संपादक का प्रथम अंक में मत है कि हिन्दी के माध्यम से जापानी साहित्य का परिचय, जापानी साहित्य का अनुवाद, जापानी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, जापानी संस्कृति का परिचय आदि करने से भारत के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। पत्रिका का नामकरण फुजि पर्वत की भव्यता को लेकर किया गया है। ज्वालामुखी की तरह सदैव हम भी क्रियाशील रहें यही इस शीर्षक का उद्देश्य है।

चीन :-

चीन संसार में सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यहां हिन्दी का प्रचार प्रसार तो नहीं किंतु चीन संबंधी जानकारी विभिन्न देशों को देने के लिए वहां की सरकार 'चीन सचित्र' निकालती है जो मासिक रूप में प्रकाशित होता है। इसके अभी तक लगभग पाँच सौ अंक निकल चुके हैं। यह विश्व की 19 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता है। इसका मुद्रण एवं प्रकाशन बीजिंग से होता है। तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर सन् 1988 में धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) से 'तिब्बत बुलेटिन' का प्रकाशन हो रहा है। यद्यपि इसका प्रकाशन भारत से हो रहा है, परंतु यह तिब्बत की स्वतंत्रता और अस्मिता के प्रश्नों को उठाने के कारण हिंदी पाठकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस पत्रिका के संपादक हैं— अर्नेस्ट एल्बर्ट तथा प्रकाशन सोनमतोदग्याल करते हैं।

विदेशों में बसे भारतीयों की मुख्य आवश्यकता अपने हिंदू धर्म, संस्कृति, दर्शन, जीवनपद्धति और उसके द्वारा अपनी अस्मिता को जीवित रखने की है और इसके लिए हिंदी भाषा संवाहक बनती है। इस संदर्भ में सुशीला कुमार वर्मा जी की कविता की ये पंक्तियाँ स्मरणीय हैं :-

“भारतीय संस्कृति जीवन की विधि हैं,
संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि हैं।”

“समेटे सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषा की विविधता,
शिष्टाचार, संवाद, धार्मिक संस्कारों की परिशुद्धता।”

“इंसानियत, उदारता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, अपनाएंगे,
समता, समन्वय, सदाचार से इसे अक्षुण्य बनाएंगे।।”

इस संकल्प को लेकर एशियाई भारत के पड़ोसी देशों में बसे भारतीय, हिंदी भाषा के द्वारा अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा, उन देशों में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं को शुरू कर यथाशक्ति उन्हें जीवित रखने का प्रयास करते हुए कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी पत्रकारिता—कल आज और कल—सुरेश गौतम. वीणा गौतम, सत्साहित्य प्रकाश, दिल्ली, 2001, पृ. सं—429
2. हिन्दी पत्रकारिता—कल आज और कल—सुरेश गौतम. वीणा गौतम, सत्साहित्य प्रकाश, दिल्ली, 2001, पृ सं—429
3. https://bharatdiscovery-org/india/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5_%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0&%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%81%E0%A4%A1%E0%A5%89-_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B6



हिन्दी साहित्य : मीडिया व पत्रकारिकता के लेखन कौशल का प्रभाव

डॉ० पूनम आर्या

असिस्टेंट प्रोफसर हिन्दी, श्री राम सिंह धौनी, राजकीय महाविद्यालय, जैती अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।

शोध सार :-

प्राचीन भारत में पर्यटन, और व्यापार—व्यवसाय के लिए सभी लोग, अपनी बात को, दूसरे तक पहुंचाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग ही किया करते थे। यहां तक की साहित्यिकार भी; साहित्य रचना संस्कृत भाषा के माध्यम से ही किया करते थे। किन्तु आधुनिक युग में यह काम हिन्दी भाषा के द्वारा ही सम्पन्न किया जा रहा है। क्योंकि पूरे भारत में हिन्दी बहुमत से बोली जाती है, और भारतीयों की सबसे पहली पसंद हैं। स्वतंत्र भारत में सभी प्रांतीय भाषाओं का विकास भी हिन्दी भाषा के साथ—साथ ही बढ़ता जा रहा है। बीसवीं शताब्दी में हिन्दी भाषा हमें एक नया आयाम दिखा रही हैं। इस कंप्यूटर युग में हिन्दी और भारतीय भाषाओं का नया आयाम डिजिटलीकरण से होता हैं, जिसका आधार मीडिया लेखन कौशल हैं। आधुनिक युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा—मीडिया और पत्रकारिकता लेखन कौशल है; जो आधुनिक मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य अंग है। मीडिया प्रारम्भ से ही जन रुचि और हिन्दी भाषाई लोगों की पहली पसंद है और जो हिन्दी भाषा को परिष्कृत करने का कार्य भी करती हैं। मीडिया कौशल से हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कौशल है। जो बहुत बड़ा मास मीडिया है। जैसे—गूगल, याहू, एंड्रायड में इंटरनेट, फेसबुक ट्विटर आदि। इन सभी के साथ सभी भाषाएँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही इनके साथ हिन्दी साहित्यिक रचनाएँ जैसे—कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व इंटरनेट, से आम जनता तक; बड़ी सरलता और सुगमता से, क्षण भर की देरी किये बिना पहुंचाया जा रहा है, जिससे हिन्दी साहित्य और भारत की अन्य भाषाओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौशल और इंटरनेट के द्वारा एक नया आयाम, भारत के अतिरिक्त विश्व तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा हैं।

मूल शब्द :- मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकारिकता, तकनीक, और इंटरनेट, जनसंचार माध्यम।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही पत्रकारिकता जनचेतना के वाहक के रूप में काम करती है। पत्रकारिकता और हिन्दी साहित्य का अभिन्न सम्बन्ध है। पत्रकारिकता और साहित्य दोनों का उद्देश्य समाज का ही हित करना हैं। समाज और हिन्दी साहित्य के अन्तः सम्बन्धों एवं सरोकारों पर आज विचार—विमर्श, मीडिया और

पत्रकारिकता लेखन कौशल के माध्यम से ही होता है। पत्रकारिकता मीडिया का ही, एक अभिन्न अंग है। विशेष रूप से कहे तो; पत्रकारिकता मीडिया की नींव है। मुद्रणालय की स्थापना होते ही हिन्दी साहित्य में, हिन्दी पत्रकारिकता का प्रारम्भ हुआ। हिन्दी पत्रकारिकता का उद्भव एवं विकास कठिनाइयों, प्रहरों तथा संघर्षों की लम्बी कहानी है। भारत भाषाओं में प्रिंट मीडिया का उदय वर्षों की गुलामी के विरुद्ध भारतीय चेतना का शंखनाद था। हिन्दी के पहले साप्ताहिक पत्र 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन कानपुर में रहने वाले सम्पादक तथा बहुभाषिद् पं० युगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। साथ ही पं० युगल किशोर शुक्ल जी का नाम प्रथम पत्रकार के रूप में बड़े सम्मान से लिया जाता है। और 'उदंत मार्तंड' पत्र को हिन्दी का पहला समाचार पत्र माना गया। इस समाचार पत्र में साहित्यिक पत्रकारिकता और साहित्यकार से सम्बन्धित रचनाएं, लेख और उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाएं और समाचार निहित होते हैं।

एक अच्छा पत्रकार, साहित्य को सही दृष्टिकोण से समाज तक पहुँचाने का कार्य करता है— "प्रत्येक पत्रकार अंशतः साहित्यकार हो सकता है और प्रत्येक साहित्यकार अंशतः पत्रकार भी हो सकता है। लेखन की कसौटी पर पत्रकार का धर्म और साहित्यकार का धर्म स्वतः भिन्न हो जाता है। भले एक साहित्यकार पत्रकारिकता कर रहा है या एक पत्रकार साहित्य सृजन कर रहा है इतना तो निश्चित है कि साहित्यकार पत्रकारिता के दीप को सदैव जलाये रखने की कोशिश करता है।" समाज में मीडिया की भूमिका संवादवहन की होती है। वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। इससे स्पष्ट होता है कि; मीडिया का सामान्य अभिप्रायः समाचारपत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। ये आधुनिक मीडिया के चर्चित और प्रभावशाली रूप है, जो सूचनाओं के संग्रहण एवं संप्रेषण का दायित्व बाखूबी से निभाते हैं लेकिन जिसे हम मीडिया यानी संवादवाहन की युक्ति मानते आए हैं। पुराने जमाने इन्हें नौटंकी, नाटक, पोस्टर, संभाषण, लोकगायन, सेमिनार, चित्रकला आदि के रूप में देखा जा सकता है, किन्तु वर्तमान युग में मीडिया के प्रचलित व विविध रूप माने जाते हैं।

साहित्य के इतिहास और आधुनिक गद्य के निर्माण में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। रचनाधर्मिता और मीडिया एक सिक्के के दो पहलु हैं। दोनों का ही आपस में अटूट संबंध है। साहित्य विधा में होने वाले सभी परिवर्तन जैसे— नयी प्रकाशित रचनाएं, आलोचनाएं, साक्षात्कार तथा अन्य साहित्यिक गतिविधियों को जन-जन तक पहुँचाने को प्रयास पत्रकारिकता और मीडिया के माध्यम से किया जाता है। साहित्य शब्दों की विधा है। साहित्य की सत्ता शब्दों में बाँधकर साकार होती है उसे अपनी सार्थकता के लिए मीडिया या पत्रकारिकता की जरूरत होती है— "मीडिया अपने आप में एक परिपूर्ण संप्रेषण का माध्यम है जिसके अन्तर्गत जनसंचार माध्यम नाटक, सिनेमा, पत्रकारिकता आदि का समावेश होता है।" हिन्दी साहित्य और मीडिया कौशल एक-दूसरे के पूरक है दोनों का काम एक-दूसरे का बिना नहीं चल सकता है। साहित्य सृजनात्मक है तो मीडिया एक कौशल है शिल्प है। साहित्यकार सोच-समझकर एक प्रशान्त मनोदशा में प्रतिक्रिया करता है तो मीडिया तत्कालिक प्रतिक्रिया करता है।

अतः कहा जा सकता है कि साहित्य सत्यपरक है तो मीडिया तथ्यपरक रचना-विन्यास है। "साहित्य और मीडिया के अंतर्संबंध का अर्थ यह नहीं है कि साहित्य तो वस्तुगता होता है। और मीडिया आत्मगत प्रस्तुति है। एक अच्छा मीडिया एक अच्छा साहित्य का रूप भी होता है। ये दो अनुशासन हैं, एक-दूसरे से इनका गहरा

रिश्ता होता है। भारत में मीडिया का आधार साहित्य रहा है। आरंभ में साहित्यिकार रचनाएँ मीडिया के रूप में ही सामने आया करती थी। जिसके बाद निबंध, उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक आदि सभी विधाएँ प्रेस में आई हैं।³ साहित्य और मीडिया के बारे में जब भी चर्चा होती है तो यह मान लिया जाता है कि, इन दोनों की अलग दुनिया हैं जबकि सच यह नहीं है। आधुनिक मुद्रण तकनीक के आने के पहले तक साहित्य भी मीडिया ही था। इसे हम परंपरागत मीडिया भी कह सकते हैं। मुद्रण तकनीक के आने के बाद, मीडिया के रूप में अखबार आया। मीडिया ने हिंदी माध्यम से नयी शब्दावली को अपने पाठक, दर्शकों को परिचित तक पहुँचाने बड़ा काम किया है। कोई भी सामाचार पत्र या साहित्यिक रचनाएँ, उसे समाज तक पहुँचाने का कार्य पाठक के द्वारा ही प्रकाश में आता है। और वहीं रचनाएँ और समाचार पत्र समाज में चलता है, जो पाठक के बैरोमीटर के समान होता है।

इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि; हम ऐसी भाषा और ऐसे साहित्य का चयन करें, जो पाठकों द्वारा; सहज और सरलता से ग्रहण किया जा सकें। क्योंकि—जिस तरह साहित्य बाजार की शक्तियों के रहमोकरम पर जिंदा है। मीडिया का लेखन भी बाजार के रहमोकरम पर जिंदा है। मीडिया वाला भी बाजार के लिए लिखता है और साहित्यिकार भी बाजार के लिए लिखता है। दोनों अपने—अपने तरीके से आधुनिकता के विमर्श का निर्माण कर रहे हैं। दोनों ही मीडिया के आधुनिक रूपों का अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज साहित्यिकार के पास आधुनिक मीडिया के रूप में पुस्तक जैसी मीडिया है।⁴ साहित्य का सृजन हमेशा मीडिया लेखन कौशल से ही अभिव्यक्त हुआ है। यदि मीडिया कौशल न होता है तो शायद मनुष्य की सृजन शक्ति प्रकाशित व प्रसारित नहीं होती है। और एक मनुष्य; दूसरे मनुष्य की सृजनशक्ति से लाभान्वित कभी नहीं हो पाता। मनुष्य की सृजनशक्ति आदिकाल से ही परंपरागत जनसंचार माध्यमों से अभिव्यक्ति होती आ रही है, पर आधुनिक जनसंचार माध्यमों में मनुष्य की सृजन शक्ति ने चार—चांद अवश्य लगाए।

कविता; साहित्य सृजन की प्रमुख विधा है। जो प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सम्प्रेषित होती है। प्रिंट मीडिया में कविता को बार—बार पढ़ा जा सकता है। बार—बार उसमें आये शब्दों का अर्थ निकाला जा सकता है। सच कहा जाये तो; कविता प्रिंट मीडिया में चिरकाल तक जीवित रहती है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं की साहित्य भाषा, मीडिया के द्वारा ही नया आयाम लेकर प्रचलित हो रही है। सभी भाषाओं के साहित्यिक कृतियाँ/ रचनाएँ मीडिया के माध्यम से आम जनता तक उपलब्ध कराई जा रही है। यदि उदाहरणों के लिए देखे तो प्रेमचंद की कहानियाँ 'पूस की रात', बूढ़ी काकी, कफन, गोदान, लघु चित्र, आदि, शिक्षित लोगों से पढ़ने वाली कहानियाँ, को हिन्दी भाषा व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाया जा रहा है। जिसे अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। आज यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में अशिक्षित लोगों के पास भी पहुँचायी जा रही है। यही हिन्दी भाषा, साहित्य और मीडिया लेखन कौशल का एक नया आयाम है। कलम—कागज के बिना कहीं भी, किसी भी जगह से इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से सभी भाषाओं को पढ़ना—पढ़ाना ही एक आधुनिक मीडिया का नया कौशल है, जो हिन्दी साहित्य को; एक नयी ऊँचाई तक ले जाने का कार्य कर रहा है।

इस नये मीडिया कौशल के सहायक बिन्दु है जैसे—गूगल में कई वेबसाइट, जैसे हिंदी लेखक डॉट कॉम, इंटरनेट आदि। ये सभी भाषाओं को नया आयाम देने में बड़े काम में आ रहे हैं इसके साथ ही ये पाठक को; हिंदी साहित्य में सुन्दर और सटीक जानकारी भी प्राप्त करवाते है। वर्तमान युग में साहित्य की परिभाषा बदल

गई, उसका माध्यम फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ने ले लिया है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौशल से उभरकर, आम जनता के सामने आ रहे हैं। जिससे हिन्दी साहित्य में ओर ज्यादा निखार आ गया है। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, फीचर, साक्षात्कार, विज्ञापन, अनुवाद आदि सभी साहित्य के सृजनात्मक पहलु हैं। जब इनका संबंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौशल के उपकरण, रेडियों व टेलीविजन से जुड़ जाता है; तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन कौशल के गौरव बन जाते हैं। “सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक और ट्विटर पर लिखा जाता कि, साहित्य एक अलग पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है, हिन्दी भाषा में ही सुन्दर और उम्दा जानकारी प्राप्त होती है, आज साहित्य की परिभाषा बदल गयी है। उसका माध्यम भी फेसबुक और ट्विटर उभरकर सामने आया है, उससे हिन्दी साहित्य ज्यादा उभर आया है।”⁵

वर्तमान में अपने विचारों या भावों को आमजन तक पहुंचाने में मीडिया कौशल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। जिसमें इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति; दूसरे से व्यक्ति से; जो विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो; उससे आसानी से जुड़ सकता है। लोकप्रियता के प्रचार-प्रसार में मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जहां व्यक्ति स्वयं को और अपने साहित्य को ज्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज बदलते परिदृश्य के साथ-साथ हिन्दी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मंच पर दस्तक देकर, अपने अस्तित्व और कौशल विकास को; ओर भी बुलन्द रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। “आज मीडिया में हिन्दी भाषा के वर्चस्व का प्रमुख कारण यह है कि, हिन्दी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त एवं वैज्ञानिक माध्यम है। हिन्दी में लिखे पोस्ट के भावों को समझने में असुविधा नहीं होती है। लिखी गई बात पाठक तक उसी भाव में पहुंचती है। जिस भाव में उसे लिखा जाता है। इस समय हिन्दी; मीडिया पर आसमान छू रही है। इसका कारण हिन्दी भाषा का साहित्यिक दृष्टि में सुगम और सरस होना है।”⁶

न्यू मीडिया संचार का वह संवादात्मक स्वरूप है। जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट, वेबकास्ट, न्यूकास्ट के जरिए पारस्परिक संवाद होता है। न्यू मीडिया एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से पलभर में एक से अधिक व्यक्तियों तक संदेश पहुंचाया जाता है। यह वर्तमान में संचार की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। साहित्य में हिन्दी के महत्व को स्पष्ट करते हुए; अपने ‘विश्व हिन्दी जन ब्लॉग’ में शीर्षक न्यू मीडिया में हिन्दी साहित्य की बढ़ती प्रवृत्तियों में शुक्ला जी लिखते हैं कि “वर्तमान दौर में साहित्यकार का न्यू मीडिया से दूर रहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। न्यू मीडिया का प्रयोग साहित्य के विकास के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है।”⁷ न्यू मीडिया की यह खास बात है कि; हम घर बैठे ही अपनी रचनाएं पलभर में इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित कर सकते हैं। और लेखक की रचनाएं देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच जाती हैं। इंटरनेट आधारित न्यू मीडिया के माध्यम से साहित्य के प्रकाशन में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

भारत के अतिरिक्त न्यू मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से साहित्यिक रचनाएं को; विश्वभर के पाठकों तक; सरलता और सुगमता से पलभर में ही पहुंचाया जा रहा है, वह भी बिना एक क्षण की देरी किए बिना। न्यू मीडिया पर उपलब्ध साहित्य नार्वे में रह रहे, हिन्दी भाषी को, उसी प्रकार उपलब्ध कराया जाता है। जिस प्रकार से आस्ट्रेलिया या अमेरिका में रह रहे हिन्दी भाषी प्रेमी व साहित्यकार को। यह न्यू मीडिया कौशल का ही करिश्मा है कि, आज घर बैठे ही हम इंटरनेट के माध्यम से हिन्दी साहित्य में किताबें लिख सकते हैं, और उन्हें पढ़ सकते

हैं। वर्तमान युग में न्यू मीडिया के माध्यम से हिन्दी साहित्यकार अपने विचारों और रचनाओं को भारत के कोने-कोने में बसे साहित्य प्रेमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में वेब और हिन्दी भाषा एक-दूसरे के पूरक हैं, जिससे हिन्दी साहित्य को दूर-दराज के गांवों तक बड़ी सरलता से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी साहित्य भारतीय लोग हिन्दी भाषा में ही पढ़ना पसंद करते हैं। क्योंकि प्रत्येक भारतीय की पहली पसंद ही हिन्दी है।

संक्षेप कहा जा सकता है कि, आज भी समाज में हिन्दी साहित्य ही है, जो समाज की कुरीतियों व बुराइयों की चुनौतियों के खिलाफ, मीडिया लेखन कौशल के माध्यम से आमजन की बुलन्द आवाज़ बनकर खड़ा है। आज संपूर्ण भारत में हिन्दी साहित्य मीडिया लेखन कौशल ने अपने पांव इतने पसार लिए हैं कि, अब उसे रोकना असंभव सा लग रहा है। हिन्दी साहित्य मीडिया कौशल ने समय के साथ चलते हुए और नवीनता के आग्रह को अपनाते हुए; सामाजिक आवश्यकता के तहत हिन्दी साहित्य के विकास कार्य को अत्यंत तत्परता, वैज्ञानिकता से पूर्ण किया है। वह भी बिना किसी सरकारी सहयोग या दबाव के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्रकारिता लेखन कौशल ने हिन्दी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के नये शब्दावली की संकल्पनाओं को अपनाते हुए, पाठकों, दर्शकों को इन संकल्पनाओं से परिचित कराने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके साथ ही यह कहना उचित होगा कि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौशल ने हिन्दी साहित्य की अधिकांश विधाओं को सरलता, संवेदनशीलता से जन-जन तक पहुंचाने का पुरजोर प्रयास किया है। आज हर व्यक्ति यह जानता है कि, उसे हिन्दी साहित्य के लेखन कौशल में आगे बढ़ना है; तो उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्रकारिता लेखन कौशल का आश्रय लेना ही पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 रविन्द्र जाटव केशव मोरे —मीडिया और हिन्दी : बदलती प्रवृत्तियाँ—वाणी प्रकाशन, संस्करण—2016, पृष्ठ सं०—66—67
- 2 वहीं— पृष्ठ सं०—123
- 3 जगदीश्वर चतुर्वेदी, सुधा सिंह— मीडिया प्राच्यवाद और वर्चुअल यथार्थ— अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड—पृष्ठ सं०—264
- 4 जगदीश्वर चतुर्वेदी — युद्ध ग्लोबल संस्कृति और मीडिया — अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड—पृष्ठ सं०—287
- 5 डॉ० गुलाबचंद पटेल—वैश्विक परिप्रेक्ष्य गांधी और अन्य शोध— साहित्य दर्शन प्रकाशन— पृष्ठ सं०—104
- 6 डॉ० एस० के० शर्मा—हिन्दी साहित्य—एस० बी० पी० डी० पब्लिकेशन्स पृष्ठ सं०—117
- 7 वृजेन्द्र अग्निहोत्री— शोध दृष्टि— पृष्ठ सं०—90



हिन्दू महिला महाविद्यालय, शामली,

गुरु विद्यापीठ एवं

गुगनराम सोसायटी (रजि.)

के संयुक्त तत्वावधान में (पंजी. 929/2006)

एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, 22 जनवरी 2023

को ऑनलाईन/ऑफलाईन आयोजित की जा रही है।

मुख्य विषय - विश्व पटल पर हिंदी

- बदलते वैश्विक में हिन्दी भाषा।
- हिन्दी भाषा कल, आज और कल।
- हिन्दी भाषा में व्यापार की संभावनाएं।
- भूमण्डलीकरण और हिन्दी।
- वैश्विक बाजार में हिन्दी की भूमिका।
- वसुधैव कुटुंबकम और हिन्दी।
- विश्व पटल पर हिन्दी साहित्यकार।
- प्रवासी साहित्य और हिन्दी।
- विभिन्न देशों में हिन्दी की स्थिति।
- हिन्दी के विस्तार में मीडिया की भूमिका।
- हिन्दी और हिंदुस्तान का भविष्य।

उपविषय

- हिन्दी में रोजगार के अवसर।
- हिन्दी भाषा और सिनेमा।
- हिन्दी के पत्र पत्रिकाओं का भविष्य।
- नई शिक्षा नीति 2020 और हिन्दी।
- विधि और हिन्दी।
- आर्य समाज का हिन्दी के प्रचार-प्रसार में योगदान।
- वैश्विक आर्थिक विकास में हिन्दी की भूमिका।
- विश्व पटल पर हिन्दी भाषा का भविष्य।
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास में हिन्दी की भूमिका।
- वैश्विक पटल पर हिन्दी साहित्य की लोकप्रियता।
- संविधान और हिन्दी।

पंजीकरण शुल्क :-

प्राध्यापक एवं अन्य 600/-
शोधार्थी/विद्यार्थी 400 /-

www.bohalshodhmanjusha.com
www.ginajournal.com

पंजीकरण तिथि :-
21 जनवरी 2023

पंजीकरण शुल्क गूगलपे, फोनपे, पेट्टीएम 9996737200 नम्बर पर भेजें

शुल्क जमा रसीद/स्क्रीनशॉट 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर हार्डसॉफ्ट करना अनिवार्य है अन्यथा गुप्तदान समझा जाएगा।

संरक्षक :
डॉ. मन्जु गर्ग
मो. 9927140765

संयोजक :
डॉ. सुशीला
मो. 9812832272

कार्यक्रम अधिकारी :
डॉ. विकास शर्मा
मो. 9996737200

आयोजक :
डॉ. नरेश सिहाग
एडवोकेट
मो. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्स, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी-127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115

